लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी-संस्करण

(चौदहवाँ सत्र)

7th Lok Sabha

(खंड 47 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

13.3.85

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

~~बुधवार, 18 अप्रैल, 1984/29 चैत्र, 1906 (शक)~~

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 20, पंक्ति 13, "डा०सुवह्ममण्यम् स्वामी" के स्थान पर "डा० सुवह्मण्यम् स्वामी" पढ़िये।

पृष्ठ 25, पंक्ति 14, "श्री ए०के०पी०साल्वे" के स्थान पर ~~श्री एन०के०पी०साल्वे~~ पढ़िये।

पृष्ठ ~~29~~, पंक्ति 6, "सोमेन्ट" के स्थान पर "सोमेन्स" पढ़िये।

पृष्ठ 37, पंक्ति 12, "शेंजवलकर" के स्थान पर "शेजवलकर" पढ़िये।

पृष्ठ 38, पंक्ति 24, "श्रानारायण" के स्थान पर "श्री नारायण" पढ़िये।

पृष्ठ 44, पंक्ति 15, "श्री चिंतामणि जैन" के स्थान पर "श्री चिंतामणि जैना" पढ़िये।

पृष्ठ 46, पंक्ति 16, प्रश्न सं० "797।" के स्थान पर "796।" पढ़िये।

पृष्ठ 48, पंक्ति 21, द्वोपसमह" के स्थान पर "द्वोपसमूह" पढ़िये तथा पंक्ति 22 में "श्रा" के स्थान पर "श्री" पढ़िये।

पृष्ठ 52, पंक्ति 13, "का" के स्थान पर "को" पढ़िये।

पृष्ठ 78, पंक्ति 3 और 7, "सेन्टो" के स्थान पर "सेन्टो" पढ़िये।

पृष्ठ 92, पंक्ति 13, "श्री के०पी०साल्वे" के स्थान पर "श्री एन०के०पी०साल्वे" पढ़िये।

पृष्ठ 94, नीचे से पंक्ति 7, "श्री चर्तुभुज" के स्थान पर "श्री चतुर्भुज" पढ़िये।

पृष्ठ 138, पंक्ति 14 और 19, "अभ्यारण्य" के स्थान पर "अभयारण्य" पढ़िये।

पृष्ठ 148, पंक्ति 19, "श्री के०ए० स्वाम्री" के स्थान पर "श्री के०ए० स्वामी" पढ़िये।

पृष्ठ 151, पंक्ति 23, "इन्टूमेण्टेशन" के स्थान पर "इन्स्ट्रूमेण्टेशन" पढ़िये।

पृष्ठ 169, पंक्ति 13, तथा पृष्ठ 170, नीचे से पंक्ति 2, "श्री वी०वी०देसाई के स्थान पर "श्री दी०वी०देसाई" पढ़िये।

पृष्ठ 171, पंक्ति 15, "श्री नवीन रावणी" के स्थान पर "श्री नवीन रावणी पढ़िये।

पृष्ठ 173, पंक्ति 25, "गृह मंत्री" के पश्चात् "(श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)" अंत:-स्थापित करिये।

पृष्ठ 174, नीचे से पंक्ति 4, "श्री पट्टाभि राम राव" के स्थान पर "श्री पट्टाभि राम राव" पढ़िये।

पृष्ठ 201, पंक्ति 20, "छपे" के स्थान पर "छिपे" पढ़िये।

पृष्ठ 211, पंक्ति 11, "श्री बनवारी लाल लेखा" के स्थान पर "श्री बनवारी लाल बेरवा" पढ़िये।

पृष्ठ 221, पंक्ति 7 के प्रारंभ में "यह" से पूर्व "अध्यक्ष महोदय:" अंत:स्थापित करिये।

पृष्ठ 221, नीचे से पंक्ति 2, "(टिन्डिवाल)" के स्थान पर "डिन्डिगल)" पढ़िये।

पृष्ठ 223, पंक्ति 2, "श्री सी०टी०दडापाणि(पोल्लाधी)" के स्थान पर "श्री सी०टी०दंडपाणि(पोल्लाची)" पढ़िये।

पृष्ठ 226, अंतिम पंक्ति, "हुई" के स्थान पर "हुए" पढ़िये।

पृष्ठ 233, पंक्ति 23, "श्री राम विलास पासवान" के स्थान पर "श्रीराम विलास पासवान" पढ़िये।

पृष्ठ 244, नीचे से पंक्ति 2, "श्री अजीत कुमार सारहा" के स्थान पर "श्री अजित कुमार साहा" पढ़िये।

पृष्ठ 271, पंक्ति 8, "प्रो० मधु दण्वते" के स्थान पर "प्रो० मधु दण्डवते" पढ़िये।

पृष्ठ 288, पंक्ति 20, "गुप्ता" के स्थान पर "गुप्त" पढ़िये।

पृष्ठ 318, पंक्ति 15, "श्री सत्यसाधान चक्रवर्ती" के स्थान पर "श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती" पढ़िये।

पृष्ठ 319, पंक्ति 20, "श्रीमती प्रोमिला दण्डवते" के स्थान पर "श्रीमती प्रमिला दण्डवते" पढ़िये।

पृष्ठ 332, पंक्ति 13, "श्री अनन्त रामुलु(नगरकुरमूल)" के स्थान पर "श्री अनन्त रामुलु मल्लु (नगरकुरनूल)" पढ़िये।

विषय सूची

सप्तम माला, खण्ड 47, चौदहवां सत्र, 1984/1906 (शक)

अंक 38, बुधवार, 18 अप्रैल, 1984/29 चैत्र, 1906 (शक)

विषय	पृष्ठ
नों के मौखिक उत्तर :	1—8
*तारांकित प्रश्न संख्या : 720 से 725	
नों के लिखित उत्तर :	19—218
तारांकित प्रश्न संख्या : 726 से 734 तथा 736 से 739	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 7942 से 7987 ; 7989 से 8073 ; 8075 से 8159 तथा 8161 से 8170	
भा-पटल पर रखे गए पत्र	218—219
र-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	220
75वां प्रतिवेदन	
क्कलन समिति	220
73वां प्रतिवेदन और 74वां प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश तथा सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 67वां प्रतिवेदन	
विलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	226—240
भिक्षुक-गृह एवं सुधार-गृहों के निवासियों की दयनीय दशा और दिल्ली के समाज कल्याण निदेशालय के पुनर्वास एवं वर्गीकरण केन्द्र में हाल ही में हुई घटना के समाचार	
श्री बी० डी० सिंह	227
श्री पी० के० थुंगन	231

*किसी नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य पूछा था।

विषय	पृष्ठ
श्री राम विलास पासवान	233
श्रीमती शीला कौल	237
नियम 377 के अधीन मामले :	241—247
(एक) देश में अवैध एवं जाली वित्त तथा बचत कम्पनियों की वृद्धि को रोकने की आवश्यकता	241
श्री चन्द्रपाल शैलानी	
(दो) कटक में केन्द्रीय विद्यालय संगठन को आबंटित किए भूखंड पर निर्माण कार्य शुरू करने हेतु उसे निदेश दिए जाने की आवश्यकता	241
श्रीमती जयन्ती पटनायक	
(तीन) दानापुर की रेलवे कालोनी में सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता	242
श्री रामावतार शास्त्री	
(चार) श्रीनगर हवाई अड्डे को वर्गोन्नत करके अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की आवश्यकता	242
श्री अब्दुल रशीद काबुली	
(पांच) 'संगम एक्सप्रैस' रेलगाड़ी को सहारनपुर से चलाए जाने की आवश्यकता	243
श्री रशीद मसूद	
(छः) पी० डी० आई० एल०, सिंदरी के अभिकल्पन तथा इंजीनियरी संबंधी क्रियाकलापों को एक स्थान पर केन्द्रित करने की आवश्यकता	243
श्री ए० के० राय	
(सात) नेवेली लिग्नाइट निगम द्वारा चलाये जा रहे सभी स्कूलों के शिक्षकों तथा कर्मचारियों के वेतनमानों में समानता लाने की आवश्यकता	244
डा० वी० कुलनदईवेलु	
(आठ) बीकानेर-दिल्ली मेल रेलगाड़ी के पश्चिम रेल के नापासार, श्री डूंगरगढ़ तथा राजलदेसर स्टेशनों पर रुकने को बहाल करने की आवश्यकता	244
श्री अजीत कुमार साहा	
(नौ) साबरमती तथा अहमदाबाद के बीच चलने वाली 49-डाउन तथा 50-अप रेलगाड़ियों को कड़ी तक बढ़ाने की आवश्यकता	245
श्री मोती भाई आर० चौधरी	

विषय	पृष्ठ
(दस) श्रम संगठन की राष्ट्रीय अभियान समिति के जनवरी, 1984 के अखिल भारतीय सम्मेलन के सुझावों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता	245
श्री सत्यनारायण जटिया	
(ग्यारह) इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ानों में धूम्रपान पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता	246
श्री विष्णु प्रसाद	
(बारह) कोरापुट (उड़ीसा) तक विमान सेवा की व्यवस्था करने की आवश्यकता	246
श्री के० प्रधानी	
वित्त विधेयक, 1984	247—268
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री प्रणव मुखर्जी	247
श्री सोमनाथ चटर्जी	253
श्री राम सिंह यादव	266
पंजाब में रेलवे स्टेशनों को आग लगाए जाने और अमृतसर में कुछ व्यक्तियों को गोली मार दिए जाने के बारे में गृह मंत्री द्वारा सभा में 17 अप्रैल, 1984 को दिए गए वक्तव्य के बारे में चर्चा	268—338, 340—343
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी	268
श्री बी० आर० भगत	283
श्री सोमनाथ चटर्जी	291
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया	296
श्री मनी राम बागड़ी	301
श्री इन्द्रजीत गुप्त	306
श्री जी० एस० निहालसिंह वाला	313
प्रो० के० के० तिवारी	315
श्री सूरज भान	323
श्री राजेश पाइलट	326

विषय	पृष्ठ
श्री हरीश कुमार गंगवार	330
श्री सन्तोष मोहन देव	333
श्री उत्तम राठौर	335
डा० वी० कुलनदेई वेलू	337
श्री प्रकाश चन्द्र सेठी	340
शनिवार, 21 अप्रैल, 1984 को लोक सभा की बैठक के बारे में	338—340

लोक सभा

बुधवार, 18 अप्रैल, 1984/29 चैत्र, 1906 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

जेलों में भीड़-भाड़

*720. **श्री रामकृष्ण मोरे** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में भीड़-भाड़ वाली जेलों में अमानवीय स्थितियों की जानकारी है ; और

(ख) क्या सरकार जेलों पर दबाव को कम करने के उद्देश्य से गौण अपराधियों के लिए खुली जेल प्रणाली का प्रयोग करने पर विचार कर रही है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बैया) : (क) भारत सरकार को कुछ राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की कुछ जेलों में भीड़ के कारण असन्तोषजनक स्थितियों की जानकारी है।

(ख) "जेलें" राज्य का विषय होने के कारण इस मामले में कार्यवाही करना राज्य सरकारों का कार्य है।

श्री रामकृष्ण मोरे : अध्यक्ष महोदय, जेलों की दशा बहुत खराब है और वे ठसा-ठस भरे हुए हैं। इस सन्दर्भ में मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा, कि क्या सरकार को पता है कि अत्यधिक भीड़ के कारण सासाराम जेल में 3 कैदियों की मृत्यु हो गयी थी, क्योंकि उसकी 72 कैदियों की क्षमता की तुलना में उसमें 549 कैदी ठूंस दिए गए थे।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : जैसा कि मैंने पहले भी कहा है इस मामले में राज्य सरकार को कदम उठाने हैं। यह सही है कि कुछ जेलों में कैदियों की भीड़ बढ़ गई है। देश में 1023 जेल हैं और उनकी कुल क्षमता 1,88,089 बन्दियों को रखने की है। इसकी तुलना में कैदियों की कुल संख्या 1,69,097 है। हमने राज्य सरकारों से जेल सुधार के लिए आवश्यक कार्यवाही करने को कहा है और कैदियों को जेलों में अधिक जगह देने के लिए भी कहा है। वास्तव में मुल्ला समिति का गठन किया गया है और इस विषय में कई सिफारिशें भी की गई हैं। जेलों में सुधार के बारे में आठवें वित्त आयोग ने भी कतिपय सिफारिशें की हैं। बिहार के सासाराम जेल में हुई इस घटना विशेष के बारे में हमारे पास अभी कोई तथ्य

नहीं हैं कि वहां इतनी अधिक ठूंसा-ठूंसी क्यों हुई। जैसे ही इन कारणों का पता चल जाएंगा बिहार सरकार को इस बारे में उचित कार्यवाही करने को कहा जाएगा।

श्री राम कृष्ण मोरे : मैं जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकार को ऐसे दिशा निर्देश जारी करेगी कि छोटे-मोटे अपराधियों को कुख्यात अपराधियों से अलग रखा जाए।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : दिशा निर्देश पहले से ही विद्यमान हैं उन्हें केवल इसे कार्यरूप देना है। ऐसा कहा गया है कि अधिकांश जेलों में रहने की दशा अमानवीय है। जेल इमारतों की जीर्ण अवस्था है और बन्दियों की भीड़भाड़ के कारण सफाई और निजी स्वच्छता की स्थिति बहुत खराब है। जल की कमी, खुली नाली व्यवस्था, सफाई कर्मचारियों की कमी, और अन्य सफाई व्यवस्था के अभाव के कारण अधिकतर जेलों में वातावरण असह्य होता है। टीका लगाने की व्यवस्था का कारगर ढंग से अनुसरण नहीं किया जाता है, अतः कई कैदी संक्रामक रोगों के शिकार हो जाते हैं। ये सब बातें राज्य सरकार के ध्यान में लायी गयी हैं। किन्तु वे धनाभाव की दलील देते हैं। जेल प्रशासन में पर्याप्त सुधार न हो पाने का मुख्य कारण धनाभाव रहा है। अतः राज्य सरकारों को उनके प्रयासों में सहायता के लिए 1977-78 और 1978-79 में जेलों के जीर्णोधार उनकी मरम्मत, नई इमारतें बनाने, सफाई व्यवस्था, विद्युतीकरण, जल आपूर्ति और जेलों में उद्योग और कृषि के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न राज्यों को 6 करोड़ रु० का अनुदान दिया गया।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, रोजमर्रा अखबारों में खबर निकलती है कि जेलों की स्थिति शोचनीय और दयनीय है और आज भारत सरकार वहां पर उत्तर दे रही है कि यह राज्यों का विषय है। कमेटी आपने मुकर्रर की जिसने जांच करके सुधार करने के रास्ते बतलाए और आज भारत सरकार कहती है कि राज्य सरकारों को लिख दिया है। मन्त्री जी मेहरबानी करके एक सवाल के आंकड़े दें कि किस-किस राज्य में किन-किन जेलों की हालत खराब है, उन राज्य सरकारों को आपने कब-कब पत्र लिखे और उन पर उन्होंने क्या-क्या कार्यवाही की ? साथ ही यह भी बताइये उन्होंने क्या आपसे सहायता मांगी और आपने क्या सहायता की ? यह सारी बातें आप बताने की कृपा करें।

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक ओवर-क्राउडिंग का सवाल है, 16 राज्यों और 6 यूनियन टेरीटरीज में जिसमें असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जश्मू कश्मीर कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मनीपुर, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, यू० पी०, अण्डमान, नीकोबार, चण्डीगढ़, दादरा नागर हवेली, गोवा डामन, डीव, लक्षद्वीप वगैरह शामिल हैं—इनमें ओवर-क्राउडिंग नहीं है।

जहां तक मुल्ला कमेटी रिपोर्ट का सवाल है, हमने सभी राज्यों को उसके इंप्लीमेंन्टेशन के लिए भेजा हुआ है। उनको कुछ फाइनेंशियल कांस्टेन्ट्स थीं और सम्बद्ध फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार 48.31 करोड़ रुपयों का प्रावधान जेलों का स्टैंडर्ड अपग्रेड करने के लिए किया गया था 11 राज्यों को, जोकि 1979 से 1984 के लिए था।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। मैं सरकार से दो चीजें जानना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि सरकार ने जो सर्वेक्षण कराया है उसके मुताबिक आपने बतलाया कि इन राज्यों में ओवर-क्राउडिंग है और इन राज्यों में नहीं है। मैं सरकार से जानना

चाहूंगा कि जेलों की टोटल कैपेसिटी क्या है ? हम तो हमेशा ही जेल जाने का काम करते हैं आपके जुल्मों के खिलाफ और मेरी जितनी उम्र नहीं है उतनी वार जेल जा चुका हूं इसलिए मुझे वहुत अच्छी तरह से मालूम है कि जेलों की कंडीशन्स क्या हैं लेकिन आज यहां पर हम कंडीशन के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। कन्डीशन्स के बारे में हमने पिछली बार बतलाया था और आपने कहा था कि यहां पर रिपोर्ट भी रखेंगे परन्तु आपने नहीं रखी। मैंने यह भी बताया था कि जेल से कैदी रात में डकैती करने के लिए छोड़ दिए जाते हैं आर सुबह उनको बन्द कर दिया जाता है। इस सम्बन्ध में मैंने मुजफ्फरपुर का उदाहरण भी दिया था। लेकिन आज इस समय हमारे सामने ओवर-क्राउडिंग का मामला है। इसलिए मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि पूरे देश में जेलों की क्या कैपेसिटी है और अभी उनमें कितने कैदी रखे जा रहे हैं ? अभी कल ही "टाइम्स आफ इण्डिया" में सासाराम जेल के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट छपी है :

जेलर श्री जगन्नाथ प्रसाद ने कहा :"

> "जेल ठसा-ठस भरे हुए हैं, 72 लोगों को रखने की क्षमता की तुलना में 549 कैदियों को रखा गया है।"

केवल 72 की कैपेसिटी है जिसके अगेंस्ट 549 कैदियों को रखा गया है जिसका नतीजा यह है कि तीन अण्डर-ट्रायल्स मर गए। तो ऐसी दुःखद स्थिति है। दूसरी बात यह है कि मन्त्री जी सरकार के एक अंग हैं और कैविनेट की ज्वाइन्ट रेस्पांसिविलिटी होती है, यहां पर ला मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं उन्होंने यहां पर जवाब दिया था कि जजेज की पोस्ट भी वैकेन्ट पड़ी हैं। दूसरी ओर यह जवाब भी आता है कि अण्डर-ट्रायल्स 38 साल तक बिला वजह बन्द रखे जाते हैं। तो तीनों चीजें एक साथ हैं—ओवर-क्राउडिंग भी है, अण्डर-ट्रायल्स बिना कुसूर के जेल में बन्द हैं और तीसरी तरफ जजेज की पोस्ट वैकेन्ट हैं। इनमें से अगर दो बातें पूरी हो जायें—अण्डर ट्रायल्स का मामला सुलझ जाए, जजेज की वहाली हो जाए तो ओवर-क्राउडिंग की जो समस्या है वह भी साल्व हो जायेगी। मैं जानना चाहूंगा क्या तीनों मिनिस्ट्रीज आपस में मिल करके कोई ऐसा रास्ता निकालेंगी जिससे कि अधिक से अधिक केसेज का निपटारा हो सके और इस समस्या का समाधान हो सके ? साथ ही यह भी बताने की कृपा करें कि अभी कितनी कैपेसिटी है और कितनी नयी जेलों को बनाने जा रहे हैं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जैसा कि अभी मेरे साथी ने बताया था कुल मिलाकर 1,88,089 व्यक्तियों के लिए जेलों में स्थान है और उसके मुकावले 1,69,097 कैदी वहां पर हैं इसलिए कुल मिलाकर तो स्थान की कमी नहीं है। यह बात सही है कि 1023 जेलों में से कुछ ऐसी हो सकती है जिनमें ओवर-क्राउडिंग हो और उसकी वजह से हालत खराब है।

जहां तक नये कानून बनाने का सवाल है, माननीय सदस्य का सुझाव बहुत अच्छा है, सम्बन्धित मिनिस्ट्रीज मिलकर इस बारे विचार करेंगी। जजेज की खाली जगहों को भी भरने का प्रयास किया जायेगा।

जहां तक जुविनाइल कैदियों को अलग रखने का सवाल है, उसका भी प्रबन्ध किया गया है और उसके लिए हाउसेज भी अलग बनाए गए हैं जहां पर उनको रिफार्म्स के सिलसिले में शिक्षा भी दी जाती है। जो ऐसे अण्डरट्रायल्स हैं जो कि अवधि से ज्यादा अण्डरट्रायल रह चुके हैं, उनको छोड़ने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और उसका पालन किया जा रहा है।

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए ली गई आशुलिपिक परीक्षा

*721. **श्री हीरालाल आर० परमार :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 1981, 1982 और 1983 में अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए कोई विशेष आशुलिपिक परीक्षाएं आयोजित की थी ;

(ख) यदि हां, तो उन परीक्षाओं में कितने उम्मीवार बैठे थे ; और

(ग) उन परीक्षाओं के आधार पर कितने उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया तथा कितने उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) : ऐसे उम्मीदवारों की संख्या जो परीक्षाओं में बैठे तथा जिन्हें सफल घोषित किया गया है, संलग्न विवरण में दी गयी है। चूंकि कर्मचारी चयन आयोग प्रयोक्ता विभागों को सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए केवल सिफारिश करता है तथा नियुक्ति के वास्तविक प्रस्ताव विभिन्न कार्यालयों के विभिन्न नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा किए जाते हैं इसलिए विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों द्वारा वस्तुतः नियुक्ति किए गए सफल उम्मीदवारों की संख्या उपलब्ध नहीं है।

विवरण

क्रम संख्या	परीक्षा का नाम	उम्मीदवारों की संख्या	सफल घोषित किए गए उम्मीदवारों की संख्या
1.	आशुलिपिक विशेष परीक्षा, 1981 दिल्ली क्षेत्र।	14	6
2.	आशुलिपिक विशेष परीक्षा, 1982 पूर्वी क्षेत्र।	298@	179
3.	आशुलिपिक विशेष परीक्षा, 1983	1058	213

@प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या।

श्री हीरा लाल आर० परमार : अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी ने जवाब दिया है कि सफल उम्मीदवारों की संख्या उपलब्ध नहीं है। मैं मन्त्री महोदय को बताना चाहता हूं कि हमारे संसद का एक कानून है, प्रश्न का जवाब देने के लिए 21 दिन का समय दिया जाता है। लेकिन 21 दिन के बाद भी

संख्या उपलब्ध नहीं है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उनको कितना समय और चाहिए और संख्या उपलब्ध क्यों नहीं है ?

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : मैंने जो कुछ कहा है उसे माननीय सदस्य सम्भवत: समझ नहीं पाये हैं। देश भर में मन्त्रालयों में रिक्त स्थानों की भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाती है और हम इन मंत्रालयों से सम्पर्क करते हैं और यह मन्त्रालय उन्हें नियुक्ति करते हैं। जब तक हमें इसके विपरीत कोई रिपोर्ट नहीं मिलती हम यही मानते हैं कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जिन प्रत्याशियों का चयन किया गया है उन्हें विभिन्न मन्त्रालयों ने ले लिया है।

श्री हीरा लाल आर० परमार : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने कहा है कि सदस्य ने प्रश्न को समझा नहीं है यह गलत बात है। मैं अच्छी तरह से समझता हूं। मन्त्री जी ने कहा है कि 1300 के करीब इन्टरव्यू में बैठे और इनमें से 398 पास हो गए। जो सफल उम्मीदवार हुए हैं, उनकी नियुक्ति होने का कहीं संकेत मिलता है या नहीं और अगर नहीं मिलता है, तो किस जगह से नहीं मिलता है—यह बताने की कृपा करें।

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य प्रत्येक साल के अलग-अलग आंकड़े चाहते हैं। 1980 में 210 शैड्यूल्ड कास्ट्स पास हुए और 148 शैड्यूल्ड ट्राइब्स पास हुए—कुल 258 पास हुए, जबकि कुल मिलाकर 550 लोग बैठे थे। जहां क्वालिफाइड एग्जामिनेशन का सवाल है, 87 शैड्यूल्ड कास्ट्स पास हुए और एक शैड्यूल्ड ट्राइब्स पास हुआ—कुल मिलाकर 88 पास हुए जितने भी लोग पास होते हैं, उनके नाम वेरीयस डिपार्टमेंट्स को, जिनके आफिस विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं, भेज दिए जाते हैं। जितने नाम हमने भेजे हैं, उनके प्रोफाइल्स अभी तक लौटकर नही आए हैं, जिनसे यह पता चलता है कि जिन लोगों के नाम भेजे गए थे, उन सबकी नियुक्ति हो गई है।

श्री हीरा लाल आर० परमार : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने जवाब दिया है कि नियुक्ति के लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं है और अब कहते हैं कि नियुक्ति हो गई है—इन दोनों में से कौन सी बात सच है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : अध्यक्ष जी, मैंने कहा है कि प्रोफाइल्स भेजी गई है। न तो कैंडिडेट्स की तरफ से कोई शिकायत आई है और न ही उनके प्रोफाइल्स लौट कर आए हैं। जिससे यह अन्दाज लगता है कि सबकी नियुक्तियां हो गई हैं।

श्री के० मायातेवर : महोदय, कर्मचारी चयन आयोग देश भर में विभिन्न वर्गों में रिक्त पदों को भरने के लिए उम्मीदवार भर्ती करता है। विभिन्न वर्गों के लोग देश के विभिन्न क्षेत्रों से कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाएं देते हैं। प्रत्याशियों का चयन और उनकी नियुक्ति परिणाम निकलने के बाद की जाती है। उदाहरण के लिए भिन्न-भिन्न वर्गों के लोगों की विभिन्न श्रेणियों में चयन और नियुक्त होती है। ने विभिन्न राज्यों के होतें हैं। कुछ पश्चिम बंगाल के होते हैं तो कई प्रत्याशी हरियाणा से तो कुछ तमिलनाडु और महाराष्ट्र से होते हैं। इस प्रकार कई राज्यों से उनका चयन होता है। चयन और नियुक्ति के पश्चात् यदि अपने अपने राज्यों में तबादला चाहते हैं तो उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। चयन और नियुक्ति के बाद जो लोग अपने अपने राज्यों में जाना चाहते हों उन्हें वहां जाने देने की क्या सरकार की नीति नहीं है ?

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : महोदय यह अभी के प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। यदि माननीय सदस्य कारण जानना चाहते हैं तो वह इसके लिए दूसरा प्रश्न करें।

श्री के० मायातेवर : मैं केवल स्थानान्तरण के विषय में सरकार की नीति जानना चाहता हूं ।

जापान द्वारा निर्मित मल्टी फंक्शनल डिजिटल टेलीविजन

*722. **श्री अमर राय प्रधान** :

श्रीमती जयन्ती पटनायक :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान ने 'मल्टी फंक्शनल डिजिटल टेलीविजन' बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और भारत ने इस मामले में क्या प्रगति की है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) जापान ने हाल ही में अनेक कार्य सम्पादित करने वाले बहुकार्यात्मक अंकीय दूरदर्शन सेटों का विनिर्माण करना आरम्भ कर दिया है ; प्रकाशित सूचना के अनुसार ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :—

अंकीय दूरदर्शन सेटों में दूरपाठ (टेलीटेक्स्ट) और दृश्यपाठ (वीडियोटेक्स्ट) विषयक अनुप्रयोगों की सुविधाएं हैं और इसमें अनेक चैनलों के माध्यम से देखने की भी व्यवस्था है अंकीय दूरदर्शन सेटों में एनालांग सेटों की अपेक्षा कम संख्या में संघटक-पुर्जे प्रयोग में लाए जाते हैं जिसके फलस्वरूप इसके मुद्रित परिपथ बोर्डों (पी० सी० बी०) का संजोयन अधिक सुदृढ़ होता है अंकीय दूरदर्शन सेटों में उच्च स्तर की विश्वसनीयता, सुधरी और साफ तस्वीर तथा बेहतर कार्यनिष्पादन के गुण भी विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां दूरदर्शन के संकेत नहीं प्राप्त होते हैं अथवा कम मात्रा में प्राप्त होते हैं।

अंकीय दूरदर्शन सेट की विद्यमान लागत एनालांग दूरदर्शन सेट की तुलना में कुछ अधिक होने की संभावना है लेकिन बाद में इसमें कमी आने की आशा की जाती है।

इलेक्ट्रानिकी विभाग ने अन्य बातों के अलावा अंकीय दूरदर्शन सेटों के तकनीकी एवं आर्थिक पहलुओं का अध्ययन तथा विश्लेषण करने के लिए अंकीय दूरदर्शन पर एक कार्यकारी दल गठित किया है कार्यकारी दल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर और आगे कार्रवाई की जाएगी।

श्री अमर राय प्रधान : हम सरकार के आभारी है कि उन्होंने "अंकीय टी० वी०" के लिए

कार्यकारी दल नियुक्त किया है जो अन्य बातों के अतिरिक्त अंकीय टी० वी० सेट के तकनीकी और आर्थिक पहलुओं की गवेषण और खोज करेगा। यह बहुत ही अच्छा अभिनव परिवर्तन है। हम दो दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा प्रदर्शित कार्यक्रम एक टी० वी० सेट पर एक समय में देख सकतें हैं। पत्नी कढ़ाई या खाना पकाने से सम्बन्धित कार्यक्रम देख सकती है और उसी समय उसी टी० वी० सेट पर पति बाजार भाव या राजनीतिक समाचार सुन सकता है। मैं समझता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में जब पति-पत्नी के बीच इतना मतभेद रहता है यह टी० वी० दाम्पत्य जीवन को सफल बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि सरकार को कार्यकारी दल की रिपोर्ट कब मिलेगी ?

डा० एम० एस० संजीवी राव : मैं माननीय सदस्य को उनकी बधाई लिए धन्यवाद देता हूं और उन्हें यह बताना चाहता हूं कि इस विषय में हम आवश्यक कदम उठा रहे हैं। मैं इस सम्माननीय सदन को यह बताना चाहता हूं कि अंकीय टी० वी० सेट एक नया आविष्कार है। यह जर्मनी के आई० टी० टी० में पहली बार बना है और ऐसे कुछ ही सेट अभी तक उन्होंने बनाये हैं। अब जापान की एक कंपनी 'मत्सुसथिटा' ने भी इसे बनाना शुरू किया है। इस टेलीविजन सेट में जो इन्टीग्रेटिड सरकिट है उसका उत्पादन केवल आई० टी० टी० जर्मन में होता है। जापान की कम्पनी भी यह सम्पूर्ण सरकिट उनसे आयात करती है। हम जानते हैं कि यह देश के लिए कितना आवश्यक है क्योंकि इससे वीडियो-टेक्स्ट और टेलीटेक्स्ट भी देखे जा सकते हैं। दूरवर्ती नियन्त्रक से वी० सी० आर० कम्प्यूटर टी० वी० कैमरा आदि के 61 संचालनों का नियन्त्रण किया जा सकता है। इन सब बातों को जानते हुए इस क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है उस पर पूरी निगरानी रखे हुए हैं अभी हमारे देश में वीडियोटेक्स्ट अथवा टेलीटेक्स्ट की सुविधाएं नहीं है। यदि हम सम्पूर्ण सरकिट बनाना भी चाहें तो उसमें समय लगता है और अंकीय सेट के लिए आवश्यक पुर्जों के निर्माण में तो और अधिक समय लगेगा, लेकिन हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। कार्य दल की रिपोर्ट आते ही हम उसे कार्यरूप देने के उपाय करेंगे।

श्री अमर राय प्रधान : मैं अंकीय (डिजिटल) सेट की कीमत के विषय में मन्त्री जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि इसका मूल्य अधिक होगा। मन्त्री जी ने जिस कम्पनी की बात कही है उसकी पुस्तिका तथा उसके बारे में एक समाचार-पत्र की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है जिसके अनुसार इन सेटों की कीमत परम्परागत सेटों से कम होगी क्योंकि परम्परागत सेटों की अपेक्षा 30 प्रतिशत कम पुर्जे लगते हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि जो कार्य दल आपने नियुक्त किया है क्या वह अंकीय टेलीविजन के कीमत के पहलू पर भी विचार देगा ?

डा० एम० एस० संजीवी राव : मैं माननीय सदस्य को बता चुका हूं कि अंकीय टेलीविजन सेटों में जो सम्पूर्ण सरकिट लगते हैं उनका निर्माण केवल आई० टी० टी० जर्मनी में होता है। यह सही है कि अंकीय टी० वी० में परम्परागत टी० वी० सेटों की तुलना में कम मात्रा में पुर्जों का उपयोग होता है परन्तु वह उनसे कहीं अधिक मंहगा है। जर्मनी और जापान में बड़े पैमाने पर उत्पादन होने पर हमें विश्वास है कि इस सरकिट की कीमत गिर जाएगी। जैसे ही कीमत कम होगी हम इसे अपने देश में शुरू करने पर विचार करेंगे।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : हमें खुशी है कि इलेक्ट्रानिक के अन्य क्षेत्रों की तरह टेलीविजन तकनीक में हमने बहुत प्रगति की है और निरन्तर सुधार हो रहा है। हम मन्त्री जी के आभारी हैं कि उन्होंने

इसके लिए कार्यकारी दल नियुक्त किया है। माननीय मन्त्री जी ने यह बताया कि कार्यकारी दल कब तक अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे ?

क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकती हूं कि क्या कार्यदल देश में ही पुर्जे बनाने के विषय पर विचार करेगा ? इसके साथ-साथ क्या कार्यदल कल पुर्जा उद्योग को प्रोत्साहित करेगा क्योंकि कल-पुर्जों के लिए कच्चे माल उनसे तैयार कल-पुर्जे और उनके उप-संयोजन के शुल्क ढांचे में एक विषमता है। कल-पुर्जा उद्योग नुकसान में न हो इसके लिए सरकार क्या कर रही है ?

डा० एम० एस० संजीवी राव : मैंने इस सदन को बताया है कि यह एक नया अविष्कार है। अमेरिका जैसे बहुत से उन्नत देशों ने अभी तक यह डिजिटल टेलीविजन बनाना शुरू नहीं किया है। इसके लिए महत्वपूर्ण पुर्जा एक इन्टीग्रेटिड सर्किट है जिसमें प्रतिरोधक और छारित्र जैसे निष्क्रिय पुर्जे लगे रहते हैं। इस इन्टीग्रेटिड सर्कट का निर्माण आई० टी० टी० जर्मनी द्वारा किया जाता है। इसलिए यह कहना ठीक नहीं कि हम अभी इसे बनाने की स्थिति में हैं क्योंकि इसमें समय लगता है। हमने 3-4 महीने पहले चण्डीगढ़ में से भी—कन्डक्टर कम्पलेक्स शुरू किया है। वहां हमने यह काम आरम्भ किया है। फिर भी मैं सदन को आश्वस्त कर सकता हूं कि हम डिजाइन सुविधाओं की तलाश में हैं ताकि हम अपने इन्टीग्रेटिड सर्किटों का निर्माण कर सकें। हमें पूरा विश्वास है कि हम देश के प्रतिभाशाली लोगों की मदद से टेलीविजन के लिए इन्टीग्रेटिड सर्कट बना सकेंगे।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : प्रधानमन्त्री ने पहले कहा था कि वे हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर में ऐसे उद्योग स्थापित करने के लिए बहुत इच्छुक हैं जो पर्यावरण स्थिति को नुकसान नहीं पहुंचाते, जिनसे प्रदूषण नहीं फैलता। अतः जब इस टैक्नोलौजी का विकास हो जाएगा और हम डिजिटल टेलीविजन का उत्पादन करने के लिए इकाइयां स्थापित करेंगे तो—क्या सरकार इसकी एक यूनिट जम्मू-कश्मीर में स्थापित करने पर विचार करेगी ?

डा० एम०एस० संजीवी राव : हमारी सरकार की नीति, विशेषकर हमारे प्रधानमंत्री की नीति है कि चूंकि इलैक्ट्रोनिक्स ही ऐसा उद्योग है जिसके लिए बहुत कम पूंजी की जरूरत होती है और सबसे ऊपर यह प्रदूषण-मुक्त है और अधिकतम रोजगार सम्भावनाएं पैदा करता है, इसलिए जितना अधिक सम्भव हो हम इलैक्ट्रोनिक उद्योगों की शुरुआत करना चाहते हैं। ये केवल पहाड़ी क्षेत्रों में बल्कि देश के दूरदराज क्षेत्रों में लगाए जाएंगे। निसन्देह, डिजिटल टेलीविजन इस नीति में आता है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : वे प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आप प्रदूषण के बारे में निश्चिन्त रहें क्योंकि हम वहां प्राकृतिक सौन्दर्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं।

(व्यवधान)

डा० एम० एस संजीवी राव : हम उस समय इस पर विचार करेंगे। पहले हमें इन्टीग्रेटिड सर्किट का विकास करना है (व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : वे उस बच्चे का नाम रखना चाहते जो अभी पैदा होना है।

विदेशों में रह रहे भारतीयों पर पुनर्विवाह सम्बन्धी प्रतिबन्ध

*723. **श्री सज्जन कुमार :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेश में ऐसे व्यक्तियों द्वारा पुनर्विवाह किए जाने पर कोई प्रतिबन्ध लगाया है, जो भारत में अपने विवाह के पश्चात विदेश चले जाते हैं तथा अपनी भारतीय पत्नी के मां बाप से पर्याप्त दहेज न मिलने के कारण अपनी पत्नी को भारत में छोड़ जाते है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने भारतीय महिलाओं के हितों की रक्षा हेतु उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है जो विदेश चले गए हैं और जिन्होंने भारत में पर्याप्त दहेज न मिलने के कारण विदेश पुनर्विवाह कर लिया है ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) पहली पत्नी के जीवन काल में अपर्याप्त दहेज के कारण या अन्यथा पुनः विवाह, जबकि बाद का विवाह व्यक्तिगत कानून के अनुसार रद्द हो जाता है, भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अधीन एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 7 वर्ष की सजा और जुर्माना किया जा सकता है। यदि अपराध भारत के बाहर किया जाता है, तो अपराधी के भारत लौटने के बाद उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

श्री सज्जन कुमार : अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री ने उत्तर में बताया है कि सात वर्ष तक की सजा उनको दी जा सकती है लेकिन साथ में यह भी कहा है कि जो अपराधी भारत से बाहर चले जाते हैं, जब भारत लौटकर आते हैं तभी उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। मैं जानना चाहता हूं कि जो लोग ऐसे हैं कि विदेशों में रह रहे हैं और अवधि बढ़वाते रहते हैं, क्या सरकार उन्हें यहां पर बुलाने की कोई व्यवस्था कर रही है, ताकि उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सके ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : जहां तक देश को वापस बुलाने की बात है यह दो देशों के बीच द्विपक्षीय समझौता है और जहां तक देश से बाहर भेजने के प्रस्ताव का प्रश्न है। इसे हम एक शर्त के रूप में शामिल नहीं कर सकेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : द्विपक्षीय समझौता किसके बीच—पति और पत्नी के बीच ?

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : दो देशों के बीच।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने समझा कि पति पत्नी के बीच।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : यहां आप दोनों में पहले ही द्विपक्षीय समझौता है। हम अधिक से अधिक इतना कर सकते हैं कि यदि किसी पासपोर्ट धारक द्वारा कथित अपराध के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही चल रही हो अथवा यात्रा के कागजात किसी फौजदारी अदालत में लम्बित पड़े हो तो पासपोर्ट अधिकारी पासपोर्ट जब्त कर सकते हैं या करवा सकते हैं अथवा पासपोर्ट या किसी यात्रा कागजात को रद्द कर सकते हैं।

श्री सज्जन कुमार : यह ठीक है कि एन्टी डावरी सैल बना हुआ है। रोजाना हम अखबार में पढ़ते हैं कि दहेज के कारण कोई न कोई बहन खुदकुशी कर लेती है या मार दी जाती है। इसके खिलाफ सरकार ने बहुत प्रभावशाली कदम उठाए हैं, जिनका स्वागत भी हुआ है। जो विदेशों में रहते आ रहे हैं,

उनके खिलाफ यदि कोई मुकदमा दर्ज होता है तो उनका पासपोर्ट रद्द किया जा सकता है। आज भी लिखित प्रश्न संख्या-8052 में कहा गया है कि एन्टी डावरी सैल के पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है, जिससे उनको वापिस बुलाया जा सके। ऐसी बहुत सी बहनें हैं जो तीन-तीन या चार-चार साल से अपने घर बैठी हैं और न उनके पास खर्चा भेजा जाता है। जब एन्टी डावरी सैल के पास कोई अधिकार ही नहीं है तो कानून में ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे इस तरह के लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही कर सकें और बहनों की जान बच सके।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : दहेज विरोधी सैल की आज जो संरचना है उसके अनुसार उसका काम शिकायत प्राप्त करने, उनकी जांच करने और जो लोग दोषी पाए जाते हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का है इसलिए दहेज विरोधी सैल के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। लेकिन मैं सम्मानीय सदन को सूचित करना चाहता हूं कि दण्ड संहिता धारा 125 के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट उस दशा में पत्नी के निर्वाह के लिए मासिक भत्ते के आदेश कर सकता है जब ऐसे व्यक्ति के पास पर्याप्त साधन हैं। वह अपनी पत्नी की उपेक्षा करता हो अथवा उनकी देखभाल के लिए इन्कार करता हो। लोगों को वापस लाने या उनके पासपोर्ट जब्त करने के बारे में, मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो लोग इस ढंग से दुर्व्यवहार करते हैं उन लोगों के विरुद्ध शिकायत मिलने पर क्या उचित कार्यवाही की जाती है। उसका पासपोर्ट जब्त किया जा सकता है। लोगों को वापस देश में लाने के बारे में मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है।

श्री सज्जन कुमार : यदि एन्टी डावरी सैल वाले नहीं बुलाएंगे तो जांच कैसे होगी?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : हम माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार करेंगे।

श्री भुवनेश्वर भूयन : मैं गृहमंत्री का ध्यान श्रीमती पूजा खन्ना, पत्नी श्री विरेन्द्र एच० खन्ना, ई-110 कमलानगर, नई दिल्ली निवासी के मामले की ओर दिलाना चाहूंगा। उसके पति श्री विरेन्द्र खन्ना भारत में अपनी शादी के ठीक 6 महीने बाद बहरीन चले गए। वे फिर 1982 में भारत आए और तीन महीने रहे। भारत में अपने वास के दौरान वह कभी भी अपनी पत्नी कमला खन्ना से नहीं मिले। जबकि अन्य रिश्तेदारों के पास आते जाते रहे। अत: इन परिस्थितियों में श्रीमती कमला खन्ना ने दहेज विरोधी सैल में शिकायत दर्ज कराई मैं समझता हूं अभी तक उनकी शिकायत पर उसे इस देश में वापस लाने या अपनी पत्नी के साथ सम्बन्ध बनाने के लिए कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। यदि दहेज विरोधी सैल ऐसी समस्याओं से निपट नहीं सकता तो वह किस लिए बनाए रखा हुआ है। उसे भारत वापस आने के लिए मजबूर क्यों नहीं किया जाता? उसका पासपोर्ट जब्त क्यों नहीं किया गया?

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : यह दहेज अधिनियम के उल्लंघन के मामलों की जांच के इरादे से कायम किया गया है। हमारे पास ऐसी शक्तियां नहीं है जैसा माननीय सदस्य ने जिक्र किया। गृहमंत्री ने पहले ही बता दिया है कि यदि ऐसे विशेष मामले उनके ध्यान में लाए जाते हैं तो हम निश्चित रूप से उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री ए० के० बालन : उत्तर के अनुसार बहुविवाह भारतीय दण्ड संहिता के अनुच्छेद 494 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। इन दिनों भारत में बहुविवाह प्रथा कुछ समुदायों में मौजूद है। क्या एक समय में चार पत्नियां रखने वालों पर यह नियम लागू होता है?

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : श्रीमान, जहां तक मुसलमानों का सम्बन्ध है वे अपने वैयक्तिक कानून

द्वारा शासित हैं। हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 हिन्दुओं, बौद्धों, जैनियों, सिखों और अन्य सभी जो इस देश में रहते हैं उन पर यह लागू होता है। अन्य जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैनी अथवा अन्य धर्मों के नहीं हैं, उनके लिए अधिनियम की धारा 17 में व्यवस्था है कि अधिनियम के लागू हो जाने के बाद उस दशा में दो हिन्दुओं में कोई शादी वैध नहीं होगी जब शादी की तिथि को किसी भी पक्ष का एक जीवित पति अथवा एक पत्नी है।

यह हिन्दू विवाह अधिनियम है। यह और सभी पर लागू नहीं होता। उदाहरण के लिए मुस्लिम वैयक्तिक कानून से शासित हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार : सर, दो-दो बार विवाह करने के मामले हिन्दू जाति में सबसे अधिक हैं क्योंकि हिन्दू रीति के अनुसार जितनें विवाह होते हैं, उनकी कहीं लिखित-पढ़त नहीं होती और उसी का फायदा उठा कर लोग दूसरी शादी बेहिचक कर लेते हैं यह देखते हुए कि यह रोग संसद-सदस्यों में और राज्यों की विधान सभाओं के विधायकों में भी फैला हुआ है, श्रीमन् आपने सुना होगा कि यू० पी० विधान सभा में एक···**···विधायक हैं, और **···विधायक हैं, जब कि भोला पाण्डे की शादी पहले ही हो चुकी थी, उसके बावजूद उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली, जिसमें आपके सब आफिसर लोग और कई मन्त्री लोग भी दावत में गए···(**व्यवधान**) श्रीमन् मैं उस घटना की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, मेरा कोई दूसरा अभिप्राय नहीं है···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप किसी का नाम मत लीजिए।

श्री हरीश कुमार गंगवार : श्रीमन्, आप उसके स्थान पर यू०पी० असैम्बली का एक एम०एल० ए० कर लीजिए। मैं तो अपनी बात को क्लैरिफाई करने के लिए कह रहा हूं, जो सच्ची बात है··· (**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : नाम कार्यवाही वृतान्त का हिस्सा नहीं होगा।

श्री हरीश कुमार गंगवार : आप जो चाहें, उसमें कर लीजिए, यदि आप सही नहीं समझें तो उसको कार्यवाही से निकाल दीजिए। मैंने तो सिर्फ अपनी वात को क्लैरिफाई करने के उद्देश्य से कहा था, एक एग्जाम्पल दी थी और वह हकीकत है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि

श्री जगदीश टाईटलर : मुझे नहीं मालूम कि वह अपने नेता को भूल रहे हैं**···क्योंकि यह उन पर भी लागू होता है।

श्री हरीश कुमार गंगवार : जो सही बात है, मैं उसके बारे में कह रहा हूं। यदि जगदीश टाइटलर साहब ने भी ऐसा किया हो तो उन पर यह लागू होती है। वैसे इनकी कहानी बड़ी प्रसिद्ध है··· (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : आप आगे करने वालों के लिए तो नहीं कहना चाहते···

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रामावतार शास्त्री : इस हाउस में तो तीन शादी वाले लोग भी मौजूद हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार : मैं पूछना चाहता हूं कि जब इस प्रकार के एम०पीज० और विधायकगण हैं, जब वे इस प्रकार की प्रथा डालेंगे और उनके लिए कोई कानून नहीं होगा, तो बाकी देश में क्या होगा, उसका नतीजा आप खुद लगा सकते हैं। क्या सरकार इस स्थिति पर विचार कर रही है कि ऐसे विधायक और ऐसे संसद सदस्य जो एक बार विवाह हो जाने के बावजूद, एक पत्नी रहते हुए, दूसरा विवाह रचाते हैं, उनको अगला चुनाव लड़ने के लिए डिस्क्वालिफाई घोषित कर दिया जाए। क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचारधीन है, ताकि ऐसे लोग दुबारा चुनाव न लड़ सकें। और जब यह प्रमाणित हो जाए कि किसी ने दूसरी शादी की है उसी दिन से वह हाउस के सदस्य न रहें, संसद सदस्य न रहें। क्या सरकार के विचार में कोई ऐसी योजना है?

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : श्री मान, माननीय मंत्री द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्न···मुझे खेद है··· माननीय संदस्य···है।

(व्यवधान)

हो सकता है वह कभी मन्त्री बन जाएं जबान फिसलने के कारण हुई चूक के लिए क्षमा करें? श्रीमान, अधिनियम बिल्कुल स्पष्ट है। जहां तक दो विवाह करने के लिए दण्ड का सम्बन्ध है अधिनियम के लागू हो जाने के बाद दो हिन्दुओं में हुई शादी उस दशा में अवैध होगी यदि शादी की तारीख को दोनों पक्षों में से एक जीवित पति या एक जीवित पत्नी है। उन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 494 और 495 के उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे। दोष सिद्धि का प्रश्न तब उठता है जब पति अथवा पत्नी का कोई घनिष्ट सम्बन्धी शिकायत करता है। इसमें सात वर्ष की सजा का दण्ड है। इस मामले में कानून बिल्कुल स्पष्ट है। जहां तक संसद के सदस्यों अथवा विधायकों का सम्बन्ध है कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। कानून के उपबन्ध सभी पर लागू होते हैं। ऐसा अपराध करने वालों को अवश्य सजा मिलनी चाहिए।

श्री हरीश कुमार गंगवार : आइदर पार्टी कम्पलेंट कर सकती है, किन्तु वह कम्पलेंट नहीं कर पाती, उसको दबा देते हैं। पहले वाली बीबी को बुरी तरह से दबा देते है, वह कम्पलेंट नहीं कर पाती, इसमें संशोधन की आवश्यकता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बीती, सोई बिसार दे, आगे की सुध ले।

डा० बसन्त कुमार पंडित : अध्यक्ष महोदय, सरकार दहेज की सामाजिक बुराई के बारे में चिन्तत है और सरकार ने दहेज सैल भी कायम किया है। मेरे माननीय मित्र के जबाव में मन्त्री जी ने बताया कि दहेज सैल ऐसे मामलों में कार्यवाही करने के लिए पूरी तरह सज्जित नहीं। क्या मैं उनसे जान सकता हूं कितने ऐसे विशेष मामले उनके पास आए हैं? क्या उन्होंने ऐसे लोगों तक उन उच्चायुक्तों या दूतावासों के माध्यम से पहुंचने के लिए कोई तरीका निकाला है जहां वह व्यक्ति रह रहा है, ताकि सुलह सफाई की कार्यवाही की जा सके या मैं यह समझ लूं कि सरकार की नीति इस बारे में मौन रहने की है।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : वह संगत प्रश्न की सीमा लांघ रहे हैं। मैं इसका उत्तर देने के लिए तैयार नहीं हूं।

खोई से कागज बनाना

*724. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खोई से कागज के उत्पादन के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ;

(ख) क्या उत्पादन बनाये रखने के उद्देश्य से सरकार खोई से कागज बनाने वाली मिलों को उत्पाद-शुल्क में प्रोत्साहन देने पर विचार करेगी ; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीनी उत्पादन के पुनरीक्षित प्राक्कलन, जो 60 लाख टन से अधिक नहीं होगा, तब सरकार खोई से कागज बनाने को किस प्रकार संरक्षण दे पायेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) सरकार कागज बनाने के लिए गन्ने की खोई सहित अन्य दूसरी कच्ची सामग्री के उपयोग को बढ़ावा दे रही है।

(ख) वजन में 75 प्रतिशत से अनधिक गन्ने की खोई से बनी लुगदी वाले लिखाई और छपाई का कागज और अविरंजित किस्मों के कागज (क्राफ्ट पेपर) उन पर लगने वाले उत्पादन शुल्क से पूर्णतया मुक्त हैं।

(ग) चूंकि गन्ने की उपलब्ध कुल खोई के संदर्भ में कागज के उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली गन्ने की खोई की मात्रा बहुत कम होती है, अतः चीनी के उत्पादन में संभावित गिरावट आ जाने से कागज के उत्पादन पर वास्तविक रूप से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। किन्तु, दीर्घकाल में कागज के उत्पादन के लिए गन्ने की और अधिक खोई प्राप्त करने हेतु चीनी मिलों में ईंधन संरक्षण सबन्धी अभ्युपाय करना होगा और गन्ने की खोई के स्थान पर ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करना पड़ेगा।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : अध्यक्ष महोदय, बगास से पेपर बनाने के लिए सरकार की नीति क्या है, उस सम्बन्ध में सरकार ने कोई खास नीति रखी नहीं है। क्योंकि हमारे यहां अखबारी कागज की भारी कमी है, इसके लिए नई टेक्नोलाजी इम्पोर्ट करने के लिए सरकार कोई इन्सैंटिव दे रही है या नहीं ?

बजट प्रपोजल में बगास पेपर मिल के लिए काफी एक्साइज रिडक्शन किया है, वैसे छोटे पेपर मिल के लिए भी दिया हुआ है, इसके कारण बगास वेस्ट से चल रहे पेपर मिल के दामों में भी कमी आई है जिससे सभी छोटे पेपर मिल घाटे में जा रहे हैं। इस बारे में सरकार क्या सोच रही है ?

श्री पट्टाभि रामाराव : जहां तक उत्पाद शुल्क का सम्बन्ध है यह मामला वित्त मंत्रालय द्वारा तय किया जाना है। मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। जैसे अब यह है उत्पादन के लिए अधिक खोई उपलब्ध है। कुल उत्पादित खोई के दो या तीन प्रतिशत कारखानों द्वारा प्रयुक्त की जाती है।

श्री बालासाहिब बिखे पाटिल : मेरा प्रश्न इसी के भाग 'ए' व 'बी' में है, मंत्री जी उसका जवाब दें बाद में बगास कम है या ज्यादा, उसके बारे में पूंछगा।

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : माननीय सदस्य ने बगास से कागज बनाने के संबंध में प्रश्न किया है। शासन ने इस सम्बन्ध में काफी सुविधाएं देने की घोषणा की है और वह जानकारी उनको होगी कि अन-कन्वेंशनल ला मैटीरियल की जो परिभाषा की गई है, उसमें अगर 50 प्रतिशत तक कागज बनाने का कार्य होता हो तो अन-कन्वेंशनल रा मैटीरियल, जिसमें वेस्ट पेपर, सीरियल स्ट्राज, बगास, ग्रासेज, मैस्टा जूट-काटन लिटर आदि सब वस्तुएं आती हैं इसमें कंसैशनल एक्साइज ड्यूटी लगेगी जहां 75 प्रतिशत या उससे ज्यादा बगास का इस्तेमाल होगा उसमें एक्साइज ड्यूटी पूरी तरह माफ कर दी गई है। इससे बगास पर आधारित कागज के कारखाने ज्यादा लगेंगे ऐसी संभावना है। इस बीच जो लैटर आफ इन्टैंट दिए गए हैं और जो रजिस्ट्रेशन किए गए हैं, उनकी संख्या भी हमारे पास है, सूची बड़ी लम्बी है, मैं इसे सदन पटल पर रखने को प्रस्तुत हूं।

श्री बाला साहिब बिखे पाटिल : नए बजट प्रोपोजल्ज में बड़े और छोटे कागज के कारखानों की एक्साइज ड्यूटी में काफी कमी करने के कारण बगास-बेस्ड पेपर को जो सुविधा मिल रही थी, वह नहीं मिल रही है। कागज के दाम कम हुए हैं और उनको घाटा हो रहा है। क्या उद्योग मन्त्री बताएंगे कि उनको वायेबल कैसे बनाया जाएगा ? निकट भविष्य में वे छोटे यूनिट बन्द होने जा रहे हैं।

जब चीनी का उत्पादन कम हो रहा है, तो बगास भी कम होगा। यह सही है कि बगास कम इस्तेमाल हो रहा है। बगास-बेस्ड पेपर मिलों को लम्बी दूरी से चीनी मिलों से बगास लाना पड़ रहा है और ज्यादा कीमत देनी पड़ रही है। मन्त्री महोदय ने सुझाव दिया है कि हम उसको कोल से सब्स्टीट्यूट करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि कोल से सब्स्टीट्यूट करने के लिए क्या सरकार साफ्ट लोन या कोल के दामों में सबसिडी देने की सोच रही है, जिससे उनको कोल के बायलर लगाने का इनसेन्टिव मिले।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैंने अभी कहा है कि जिन स्थानों में 75 प्रतिशत या इससे अधिक बगास का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है, उनमें एक्साइज ड्यूटी लगती ही नहीं है। लेकिन बहुत से छोटे यूनिट 25 टन की स्थापित कैपेसिटी के आधार पर बनाए गए हैं। चूंकि उनकी प्राजेक्ट रिपोर्ट पहले से ही ठीक तरह से नहीं बनाई गई है और वे अलाभकर हो गए हैं, इसलिए कठिनाई पैदा हुई है। 25 टन के यूनिटों को लाभकर बनाने के लिए जो भी सहायता आवश्यक होगी, वह अवश्य दी जाएगी।

जहां तक कोल-फायर्ड बायलर्ज, कोयले के आधार पर चलने वाले बायलर्ज, का प्रश्न है, तमिलनाडु के एक संस्थान में उसका उपयोग हो रहा है। बगास के आधार पर जो पेपर प्राजेक्ट है, उसकी कीमत में कोल-फायर्ड बायलर की लागत को शामिल कर लिया जाता है। अगर ऐसे आवेदनपत्र आएंगे कि उनको सहायता की आवश्यकता है, तो उन पर अवश्य विचार किया जाएगा।

श्री अश्फाक हुसैन : मेरा प्रश्न खोई से कागज बनाने के सम्बन्ध में है। जैसा कि अभी मन्त्री महोदय ने बताया है, खोई का उपयोग दो-तीन प्रतिशत ही हो पाता है। मैं उस क्षेत्र से आता हूं, जहां खोई की बहुतायत है और चीनी मिलें खोई को जलाकर लकड़ी का काम लेती हैं। क्या मन्त्री महोदय इस बात की जांच कराएंगे कि जहां खोई की इफरात है, वहां पब्लिक सेक्टर में कागज या दफ्ती का कारखाना लगाया जाए ? राज्य सरकारें इस ओर ध्यान नहीं देती हैं, इसलिए केन्द्र पर यह जिम्मेदारी आती है कि जहां बेकारी बहुत है और जहां खोई की इफरात है, वहां पब्लिक सेक्टर में कागज का कारखाना लगाने की योजना बनाई जाए।

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन्, इस समय खोई का प्रयोग चीनी मिलों या खांडसारी की यूनिटों में कोयले के स्थान पर बायलर में किया जाता है। चीनी मिलों के लिए यह बड़ा आसान होता है कि वे खोई का प्रयोग बायलर में करें, क्योंकि खोई वहां पर उपलब्ध होती है। इसलिए चीनी मिलें सामान्यतया खोई का उपयोग चीनी बनाने में करने के लिए तैयार रहती हैं, कागज बनाने के लिए नहीं। तमिलनाडु में यह प्रयोग प्रारम्भ में किया गया। यह जांच करने के लिए एक वर्किंग ग्रुप, कार्यकारी दल, बनाया गया था कि क्या इस प्रकार के यूनिट हो सकते हैं, जिनमें खोई हर आधारित बायलर की जगह कोयले पर आधारित बायलर हो और कोयले का डम्प बनाया जाए। यह प्रयोग तमिलनाडु में हो चुका है। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और कोआपरेटिव सेक्टर आमन्त्रित किए गए हैं कि वे ऐसी मिलें स्थापित करें, जहां कोयले के आधार पर बायलर चलें और खोई का उपयोग कागज बनाने के लिए किया जाए। बिहार के लिए फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनी है और उत्तर प्रदेश के लिए बन रही है। जहां पर मिलें इस प्रकार के बायलर का प्रयोग करने के लिए तैयार होंगी वहीं पर यह कर सकेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव : ऐसा लगता है कि सरकार की नीति बगास से कागज तैयार करने वाली यूनिटों को सहायता करने की है लेकिन वास्तविक लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। उसका एक कारण यह है कि ये यूनिटें छोटी लगी हुई हैं। दूसरा कारण यह है कि उनकी टेक्नालाजी भी माडर्न नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कागज की कमी हमारे देश में है और बगास से कागज बनाने की सम्भावना बढ़ी है तो क्या सरकार उसके लिए अपनी ओर से उनको गाइडलाइन्स देगी कि यूनिटों की क्या कैपेसिटी होनी चाहिए और किस तरह की कैपेसिटी की यूनिट लगानी चाहिए। साथ ही जो अन-एकोनामिक यूनिट्स हो गई हैं वह एकोनामिक और प्राफिट्बल हों उसके लिए सरकार कोई विशेष योजना तैयार करेगी और कम-से-कम उन जगहों पर जहां पर कि 50 प्रतिशत बगास का इस्तेमाल हो रहा है कागज बनाने के लिए लेकिन उनकी एक्साइज ड्यूटी नहीं माफ है, क्या उनको भी वह इस केटेगरी में लाएगी जिसमें एक्साइज ड्यूटी पूरी माफ है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : माननीय सदस्य जानते हैं कि मुख्य कठिनाई चीनी मिलों के आंतरिक उत्पादन के लिए, चीनी के उत्पादन के लिए बायलर में खोई का जो इस्तेमाल किया जाता है उसके कारण है। क्योंकि खोई उनको वहीं मिल जाती है अपने कांटे पर, वहीं अपनी मिल में ही वह खोई पैदा करते हैं और उसको सुखाकर उसका इस्तेमाल बायलर में कर लेते हैं। फिर कोयला मिले न मिले, उसमें तमाम कठिनाइयां होती हैं, किसानों को भी कठिनाइयां होती हैं, मजदूरों को भी कठिनाइयां होती हैं, इसलिए खोई का इस्तेमाल चीनी के ही उत्पादन में वह करना चाहते हैं। तो इस दुविधा को कम करने के लिए यह तय किया गया कि कोल फायर्ड बायलर हम वहां लगाएं। नई मिलों में खासतौर पर तो उसका प्रयोग किया जाए। जैसे महाराष्ट्र का प्रश्न उठाया गया तो महाराष्ट्र में इसके लिए महाराष्ट्र इण्डस्ट्रियल

डेवलपमेंट कारपोरेशन को एक लाख टन की इजाजत दी है ताकि जो व्यावहारिक भी हो, जिसकी क्षमता भी हो और जिसमें लाभकर भी हो, इसलिए उसको एक लाख टन की इजाजत दी है।

अब छोटी-छोटी यूनिट्स जो लगी हैं वह दो-तीन प्रकार की हैं, एक तो 25 टन की हैं, कोई 100 टन की हैं। सम्मानित सदस्य ने कहा कि 50 प्रतिशत जो बगास इस्तेमाल करते हैं उनको भी एक्साइज ड्यूटी में पूरी रिलीफ दी जाए तो उस पर हम विचार करेंगे कि क्या उनको रिलीफ एक्साइज ड्यूटी में दी जा सकती है। इस सम्बन्ध में मैं मुख्यमन्त्री से परामर्श करूंगा ताकि छोटी यूनिटों को भी इस सम्बन्ध में कुछ अधिक लाभ मिल सके।

जहां तक फीजिविलिटी रिपोर्ट बनाने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में स्माल इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन जो राज्यों के हैं और जो हमारा एस०आई०एस०आई० है वह प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में पूरी सहायता करते हैं। अगर कोई सहायता इस प्रकार की मांगी जाएगी तो अवश्य दी जाएगी।

श्रीमती प्रभिला दण्डवते : यह जो पेपर मिलों के बारे में बातचीत चल रही है पेपर मिलों को जरूर मदद और प्रोटेक्शन देना चाहिए। मेरा सवाल दूसरा है। जैसे बगास का निर्माण होता है वैसे ही मोलैसिस भी शुगर मिलों में बहुत बड़े पैमाने पर होता है। मैं पूछना चाहती हूं कि मोलैसिस से इण्डस्ट्रियल अल्कोहल बनता है और उससे शराब भी बनती है, तो क्या सरकार की यह नीति रहेगी कि आगे चलकर मोलैसिस से सिर्फ इण्डस्ट्रियल अल्कोहल बनेगा, शराब बनाने की इजाजत नहीं दी जायेगी। यह हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के खिलाफ भी है। इसलिए इस प्रकार का प्रतिबन्ध होना बहुत आवश्यक है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : प्रश्न तो खोई और कागज से सम्बन्धित था। शराब से उसका कितना सम्बन्ध है, यह माननीय सदस्य महोदया समझ सकती हैं।

राजस्थान में नमक बनाने के लिए सहकारी समितियां

*725. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सांभर साल्ट्स लि०, हिन्दुस्तान साल्ट्स लि० की सहयोगी कम्पनी के रूप में राजस्थान में नमक बनाने और नमक के खनन कार्य में लगा हुआ है ;

(ख) सांभर साल्ट्स लिमिटेड के अधीन नमक बनाने और नमक के लदान के काम में लगी हुई सहकारी समितियों और ठेकेदारों के ब्यौरे क्या हैं ;

(ग) क्या उन्हें वहां पर यह कार्य सौंपने के लिए कोई नियम हैं ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सांभर साल्ट्स लिमिटेड में राजपूताना साल्ट्स सोर्सेज को-आपरेटिव लेबर एण्ड सेविंग्ज सोसाइटी लिमिटेड को भी इस कार्य पर लगाया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां। किन्तु नमक का उत्पादन सौर वाष्पीकरण द्वारा खारे पानी से किया जा रहा है न कि खनन द्वारा।

(ख) विद्यमान में कम्पनी विभागीय रूप से कार्य कर रही है।

(ग) जब कभी कार्य को विभागीय रूप से नहीं किया जाता है तब उसे टेण्डर मंगाकर तथा/अथवा बातचीत करके कराया जाता है।

(घ) विगत में यह कार्य राजपूताना साल्ट सोर्सेज को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को भी दिया गया था। सोसाइटी को सितम्बर, 1984 तक के लिए नमक का निस्सारण करने तथा उसका भण्डारण करने का कार्य देने हेतु अभी बातचीत चल रही है।

श्री बनवारी लाल बेरवा : माननीय अध्यक्ष जी, मन्त्री महोदय द्वारा मेरे प्रश्न के भाग-ख और ग का उत्तर बड़ी होशियारी से दिया गया है। सांभर राजस्थान में एक ऐसी जगह है, जहां पर नमक बनता है। वहां पर राजपूताना लेबर सोसाइटी सन 1923 से बराबर काम करती आ रही है। इसके अन्दर 1440 सदस्य हैं, और पांच हजार आदमियों के परिवारों का भरण-पोषण होता है। एक तरफ हमारी नेता, श्रीमती इन्दिरा गांधी, के बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बेरोजगारों को रोजगार देने का कार्यक्रम चल रहा है और दूसरी तरफ पिछले आठ महीने से वहां के मजदूर मैनेजमेंट की वजह से परेशानी की हालत में हैं। इसके साथ ही उनको हर तरह की परेशानियां पैदा की जा रही हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन सब चीजों की वजह से नमक के उत्पादन में कोई फर्क पड़ा है?

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन्, मैं सम्माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारा किसी भी प्रकार का अभिप्राय या मंशा इस प्रश्न के उत्तर को टालने की नहीं है। जो तथ्य हमारे सामने आए हैं, उन्हें विनम्रतापूर्व सम्माननीय सदस्य के सामने रखने का अपना कर्तव्य समझता हूं। जहां इस सोसाइटी का प्रश्न है, जैसा मैंने कहा है कि दिल्ली में इस सम्बन्ध में बातचीत चल रही है। अभी कुछ ही दिन पूर्व 6 अप्रैल को यहां दिल्ली से श्री गोयल, जो उपसचिव हैं, को जयपुर भेजा गया था, ताकि वह सोसाइटी से बातचीत करें और समझौता हो जाए और एक समझौता हुआ भी है। जिसके आधार पर यह मत है कि सोसाइटी और कम्पनी के बीच में समझौता हो जाएगा तथा सोसाइटी के लोगों को काम मिलने लगेगा। मेरा सम्माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे सोसाइटी के पदाधिकारियों को यह सुझाव दें कि वे उस समझौते को स्वीकार कर लें, जो उन्होंने मान लिया है। उसी के मुताबिक करारनामे के ऊपर हस्ताक्षर कर लें।

श्री बनवारी लाल बेरवा : अध्यक्ष जी, मैनेजमेंट की तरफ से सोसाइटी से को-आपरेटिव ब्यूह रखकर जो भी करारनामा करवाया जा रहा है, उनका हठधर्मी का कोई विचार नहीं है। मैं सरकार से सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि सोसाइटी को कब तक काम दिलवा दिया जाएगा?

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन्, जैसे ही समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएंगे, वैसे ही काम शुरू हो जाएगा। मैं यह भी आग्रह करूंगा कि मैंने हठधर्मी शब्द का प्रयोग नहीं किया है। हठधर्मी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष जी, इस सोसाइटी के 1440 सदस्य हैं, जिनमें ज्यादा

शैड्यूल्ड कास्ट्स और माइनोरिटीज के हैं। इनको 1923 से साल्ट बनाने का काम मिलता आया है, लेकिन जब से श्री शुक्ला मैनेजिंग डायरेक्टर आए हैं, उनको काम देना बन्द कर दिया गया है। यह काम मिलीभगत द्वारा ठेकेदारों से करवाया जा रहा है। क्या सरकार की यह मंशा है कि को-आपरेटिव सोसाइटीज और श्रमिक को-आपरेटिव सोसाइटीज को छोड़कर ठेकेदारों द्वारा इस काम को करवाया जाएगा? सोसाइटी के सदस्य अब भी संसद सदस्यों और अध्यक्ष महोदय के पास भी आए हैं, अभी तक उनको काम नहीं मिला है। जबकि हमारी सरकार का इरादा बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वीकर सेक्शन्स को सहायता देने का है। लेकिन इससे यह मालूम पड़ता है कि हम उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। मैं मन्त्री महोदय से साफ तौर से जानना चाहता हूं कि वे उनकी किस तरीके से मदद कर रहे हैं?

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन्, मैं सम्माननीय वरिष्ठ सदस्य की भावना का आदर करता हूं। हमारा कतिपय भी यह उद्देश्य नहीं है कि इस सोसाइटी के सदस्यों को कार्य न मिले। इसीलिए हमने 6 अप्रैल को अपने उपसचिव को जयपुर भेजा था, ताकि इस सम्बन्ध में कोई राजीनामा हो सके। रेट्स का मामला भी उस एग्रीमेंट में तय हो गया है। एग्रीमेंट नं० 7, 8, 9, 10 में यह मामला तय हो गया है। झपोग, देवदानी और कियोर ये सब एग्रीमेंट में है, मैं इसके विवरण में नहीं जाना चाहता हूं। यह समझौता लागू करने की बात है। जहां तक काम का ताल्लुक है, अब तक ठेकेदारी प्रथा से नहीं, विभागीय आधार पर कराया जा रहा है, जैसी कि सूचना मेरे पास है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : यह बिल्कुल गलत बात है। विभागीय आधार पर नहीं कराया जा रहा है, ठेकेदारों को कांट्रेक्ट देकर करवाया जा रहा है। आप इनकी जांच कराइए, मैनेजिंग डायरेक्टर के खिलाफ एक्शन लीजिए।

श्री सतीश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, नमक वह वस्तु है जिसके लिए महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था। यह सांभर में बनता है और इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। मुझे भी इस सम्बन्ध में शिकायतें मिली थीं और मैंने भी इस सम्बन्ध में आपको पत्र लिखा था, जिसकी प्राप्ति की सूचना मुझे प्राप्त हो गई है।

यह बात सही है जैसे उत्तर में मन्त्री महोदय ने कहा है कि कभी यह काम डिपार्टमेंटली होता है, यदि वह नहीं होता है तो टेण्डर्स मंगाए जाते हैं। मैं यह चाहता हूं कि इसके सम्बन्ध में कोई नीति तय होनी चाहिए। डिपार्टमेंटली करने का मतलब है—प्राइवेट कांटैक्टर्स को काम दिया जाता है। यह को-आपरेटिव सोसाइटी बहुत पुरानी है, हजारों लोग इसके सदस्य हैं और ये लोग इस काम में बहुत कुशल हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप व्यक्तिगत रुचि लेकर इस काम को कराएं तथा इसको प्रतिष्ठा का सवाल न बनने दिया जाए।

श्री नारायण दत्त तिवारी : इस संबंध में मैं पहले ही आश्वासन दे चुका हूं। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं—हमारा यह उद्देश्य नहीं हो सकता है कि किसी को उजाड़ा जाए। जो परम्परा से काम करते आ रहे हैं उनको अवसर मिलना चाहिए।

श्री सतीश अग्रवाल : इस झगड़े में पिछले साल 75 लाख रुपए के नमक का सत्यानाश हो गया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा विवाद

*726. **श्री एन० ई० होरो** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गंगा द्वारा मार्ग बदलने के कारण कुछ गांवों के एक-दूसरे के क्षेत्राधिकार में अन्तरित हो जाने से उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच उत्पन्न सीमा विवाद को हल करने में अपनी रुचि दर्शायी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) 10 जून, 1970 को बिहार से उत्तर प्रदेश (सीमाओं का परिवर्तन) अधिनियम 1968 के लागू होने से पूर्व इन दो राज्यों के बीच अन्तर्राज्यीय सीमाएं गंगा और घाघरा नदी के गहरे नालों द्वारा निर्धारित की गई थी ; जो इन दो नदियों में परिवर्तन के साथ बदलती रहती थी। दोनों राज्य सरकारें बदलती सीमा के सम्बन्ध में विवादों के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा विचार किए जाने पर सहमत हो गए थे। मध्यस्थ के फैसले के आधार पर, जिसे दोनों राज्य सरकारों ने स्वीकार किया था बदलती हुई अन्तर्राज्यीय सीमाओं की निश्चित सीमाएं निर्धारित करने के लिए ऊपर उल्लिखित कानून बनाया गया था। अब इनके मध्य कोई सीमा विवाद नहीं हैं।

तथापि बदलती सीमाओं के स्थान पर निश्चित सीमाएं निर्धारित करने के बावजूद एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरित कुछ क्षेत्रों में भूमि पर स्वामित्व और उत्पादन करने के विषय में दावे करने के विषय में निजी ग्रुपों के मध्य कभी-कभी विवाद उत्पन्न होते हैं। निजी व्यक्तियों के इस प्रकार के दावों को सम्बन्धित राज्यों में सम्बन्धित राजस्व नियमों के तहत नियमित किया जाता है। इस अधिनियम की धारा 26 में इस प्रकार के स्थानान्तरण की तारीख से पूर्व एक राज्य के दूसरे राज्य में स्थानान्तरित क्षेत्र में लागू नियमों को जारी रखने की व्यवस्था है बशर्ते कि सक्षम विधायन में या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार की अन्य व्यवस्था नहीं की गई है। निजी ग्रुपों के मध्य स्थानान्तरित क्षेत्रों में भूमि के उनके दावों से सम्बन्धित मामलों का फैसला न्यायालय द्वारा किया जाता है।

अमेरिका द्वारा पुरानी और मरम्मत शुदा मशीनों सम्बन्धी पेशकश

*727. **श्री लक्ष्मणमलिक** :

श्री के० मालन्ना :

क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका से आये एक व्यापार मिशन ने भारत में बाजार का पता लगाने हेतु पुरानी और मरम्मत शुदा औद्योगिक मशीनों की पेशकश करने के लिए हाल ही में भारत का दौरा किया है ;

(ख) यदि हां, तो इन पुरानी मशीनों को खरीदने में भारत सरकार की रुचि सम्बन्धी ब्योरा

क्या है और क्या इन मशीनों के खराब हो जाने की स्थिति में कोई तत्सम्बन्धी गारंटी भी दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में यदि कोई सौदा और समझौता किया है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) एक व्यापार मिशन मार्च, 1984 के दौरान भारत आया था किन्तु इसने भारत सरकार के समक्ष कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं रखा। तथापि यह मिशन महानिदेशक, तकनीकी विकास से मिला था और इसने भारत को निर्यात के लिए अमेरिका में उपलब्ध पुराने उपकरणों के बारे में जानकारी दी थी।

चालू वर्ष में पुराने उपकरणों सहित पूंजीगत माल के आयात पर आयात तथा निर्यात नीति लागू होती है जिसकी घोषणा सरकार द्वारा 12 अप्रैल, 1984 को की गई है।

बंगलादेशियों का राजधानी में बसना

*728. **श्री मनोहर लाल सैनी :**

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :

क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश के नागरिकों ने दिल्ली में भी बड़ी संख्या में आना और बसना शुरू कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर, 1983 को उनकी संख्या क्या थी ;

(ग) दिल्ली के किन-किन क्षेत्रों में वे बड़ी संख्या में बस गये हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है ?

गृह मन्त्री (प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) हाल के वर्षों में ऐसे कोई मामले नहीं हुए हैं।

(ख) से (घ) लगभग 1200 बंगला देशी पिछले कई वर्षों से दिल्ली के नयी सीमा पुरी क्षेत्र में रह रहे हैं। जो 25 मार्च, 1971 के बाद आये हैं, उन्हें निष्कासित किया जाना है। ऐसे व्यक्तियों का पता लगाने और उन्हें निष्कासित करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

नेशनल इनवाइरनमेंटल इन्जीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट द्वारा राष्ट्रीय परियोजना तैयार करना

*729. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री सूरज भान :

क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इनवाइरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट ने कोई राष्ट्रीय परियोजना तैयार की है और वह योजना आयोग के विचाराधीन है ;

(ख) उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उन पर योजना आयोग का क्या दृष्टिकोण है ; और

(ग) परियोजना में उल्लिखित सुविधाओं का लाभ उठाने के सम्बन्ध में निर्धारित कार्यक्रम क्या हैं ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय पर्यावरणीय इन्जीनियरी अनुसंधान संस्थान द्वारा तैयार की गई कोई भी राष्ट्रीय परियोजना, योजना आयोग के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में खनिज

*730. **श्री हरीश रावत : क्या इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में अब तक किन-किन महत्वपूर्ण खनिजों का पता चला है ;

(ख) वहां पर अनुमानतः कुल कितनी मात्रा में खनिज निक्षेप उपलब्ध है ; और

(ग) क्या इन खनिजों को निकालने के लिए कोई योजना बनाई गई है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री(श्री एन० के० पो० साल्वे) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में विभिन्न खोजी एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के फलस्वरूप महत्वपूर्ण खनिज पाए गए हैं, जिनकी अनुमानित मात्रा निम्नलिखित है :—

खनिज	अनुमानित मात्रा (मि० टनों में)
1. सभी ग्रेड लाइमस्टोन	693
2. अवर्गीकृत श्रेणी का डोलोमाइट	114
3. सीसा-जस्ता-तांबा अयस्क	1.03
4. मैगनेसाइट	173
5. राक फास्फेट	31.32
6. टैल्क/सोपस्टोन/स्टेटाइट	5.80

इसके अलावा हाल में उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिले अलमोड़ा में टंगस्टन के अयस्क शीलाइट का पता चला है।

(ग) लाइमस्टोन, मैंगनेसाइट, टैल्क, राक फास्फेट जैसे खनिजों का पहले से ही दोहन किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार के उपक्रम भारत इलेक्ट्रानिक्स लि० ने मैंगनेसाइट के दोहन हेतु विशाल क्षेत्र पर खनन पट्टा लिया है। अलमोड़ा जिले में मैंगनेसाइट तथा सोपस्टोन आधारित उद्योग स्थापित करने के प्रस्ताव पर कुमायूं मण्डल विकास निगम विचार कर रहा है। इस प्रयोजन हेतु निगम ने 10 वर्ग कि० मी० क्षेत्र पर पूर्वेक्षण लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। केन्द्रीय सरकार के उपक्रम पाइराइट्स, फास्फोट्स एण्ड केमिकल लि० प्राकृतिक उर्वरकों के रूप में सीधे उपयोग के लिए फास्फेट चट्टानों का दोहन कर रहा है, इसके अलावा कुछ निक्षेपों का प्रायवेट पार्टियां भी दोहन कर रही हैं।

मोटरगाड़ी उद्योग का आधुनिकीकरण

*731. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मोटरगाड़ी उद्योग के विकास और आधुनिकीकरण के लिए कुछ रियायतें प्रदान की हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग के आधुनिकीकरण के कार्य को गति देने के लिए सरकार की नीति में क्या रियायतें प्रदान की गई हैं ; और

(ग) गत दो वर्षों में मोटरगाड़ी उद्योग का कार्य निष्पादन कैसा रहा है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मोटरगाड़ी उद्योग के विकास तथा आधुनीकीकरण के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) मांग में वृद्धि करने के लिए मझोली और भारी वाणिज्यक गाड़ियों पर उत्पादन-शुल्क यथामूल्य 15 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत कर दिया गया है ;

(2) वाणिज्यिक गाड़ियों, ईंधनक्षम कारों और दुपहियों के निर्माण हेतु महत्वपूर्ण हिस्से-पुर्जों का 40 प्रतिशत सीमा-शुल्क की रियायती दर पर आयात ;

(3) 100 सी० सी० इन्जन क्षमता तक स्कूटरों पर उत्पादन-शुल्क की रियायती दर ;

(4) ईन्धनक्षम कारों पर उत्पादन-शुल्क की रियायती दर ;

(5) स्वदेशी अनुसंधान तथा डिजाइन और जानकारी के चयनात्मक आयात के जरिए प्रौद्योगिकी का उन्नयन ;

(6) विविधीकरण, पुनः स्वीकृति, और क्षमता के और अच्छे उपयोग के लिए स्वतः वृद्धि के लिए पात्रता ;

(7) मोटरगाड़ियों की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए नये एककों की स्थापना और विद्यमान एककों के विस्तार (एम० आर० टी० पी०/फेरा एककों सहित) के जरिए अतिरिक्त क्षमताओं के लिए मंजूरी।

मोटरगाड़ी उद्योग से पिछले दो वर्षों में गाड़ियों के उत्पादन और बिक्री में केवल पर्याप्त वृद्धि की है बल्कि समकालीन प्रौद्योगिकियों और डिजाइनों के अनुसार आधुनिकीकरण करने में भी पर्याप्त प्रगति की है। उपर्युक्त उपायों के परिणामस्वरूप 1984-85 से आगे अधिक महत्वपूर्ण परिणाम निकलने की सम्भावना है। पिछले दो वर्षों में मोटरगाड़ियों का उत्पादन निम्न प्रकार हुआ है :—

क्रमांक	प्रकार	उत्पादन (आंकड़े "000 में)	
		1982-83	1983-84
1.	वाणिज्यिक गाड़ियां	86	88
2.	यात्री कारें	43	46
3.	जीप-टाइप गाड़ियां	21	23
4.	स्कूटर	264	279
5.	मोटरसाइकिलें	134	165
6.	मोपेड	233	343
7.	तिपहिए	31	38
8.	ट्रैक्टर	62	75

वस्तुसूचियों को समाप्त करके 1982-83 की तुलना में 1983-84 में वाणिज्यिक गाड़ियों की बिक्री में 4.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

हिमालय क्षेत्र के विकास विषयक समिति

*732. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या योजना मन्त्री 23 फरवरी, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 648 और 13 अप्रैल, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7204 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमालय क्षेत्र के सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक विकास के लिए दिसम्बर, 1982 में गठित समिति द्वारा किए गये कार्य का सारांश क्या है ;

(ख) क्या उक्त समिति सातवीं पंचवर्षीय योजना की तैयारी के लिए स्वीकृत दस्तावेज तैयार करने में भी भूमिका निभा रही है ;

(ग) यदि हां, तो इस भूमिका का स्वरूप क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं और पहाड़ी क्षेत्र के लिए गठित समिति का उपयोग क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) हिमालय क्षेत्र का विकास व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से करने से सम्बन्धित सलाहकार समिति ने 24 फरवरी, 1983 को अपनी पहली बैठक का आयोजन किया और उक्त क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श किया। इस समिति का यह विचार था कि अश्वरथ्या, पैदल पुलों, पीने का पानी, ईंधन, चारा, शिक्षा, ऊर्जा, कार्यकुशलता और माइक्रो हाइडल इकाइयों से सम्बन्धित कार्यक्रमों का इन क्षेत्रों के विकास में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

(ख) से (घ) सातवीं योजना के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों के विकास से सम्बन्धित प्रारूप पत्र तैयार करते समय उक्त समिति के विचारों को ध्यान में रखा गया है। इस बीच, पहाड़ी क्षेत्रों के दीर्घावधि एकीकृत विकास के लिए नीति संरचना और कार्यनीति तैयार करने के लिये एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है। इस कार्यकारी दल में सरकारी, गैर-सरकारी सदस्य और विशेषज्ञ हैं और इसमें कुछ ऐसे सदस्य भी हैं जो सलाहकार समिति के सदस्य हैं। यह दल सलाहकार समिति के विचारों को ध्यान में रखेगा।

मैसर्स पोद्दार्स द्वारा पुरानी मशीनों का आयात

*733. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या **उद्योग मंत्री** जिलेट ब्लेडों के उत्पादन के लिए मशीनों के आयात के बारे में 27 अप्रैल, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8824 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने मैसर्स पोद्दार्स द्वारा स्ट्रिप ग्राइण्डिग मशीनों, स्ट्रापिंग मशीनों आदि सहित पुरानी/मरम्मत शुदा मशीनों का आयात किए जाने की अनुमति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) सरकार ने हाऊस आफ पोद्दार के लिए आवश्यक नए संयंत्र और मशीनों के आयात की अनुमति दी है। मशीनों में पुराने कास्टिग और फ्रेमों पर बनी हुई स्ट्रोपिंग अटैचमैंट वाली तीन नई स्ट्रिप ग्राइण्डिग मशीनें सम्मिलित हैं, क्योंकि यह स्पष्ट किया गया था कि बेस कास्टिग अचल एवं स्थिर हिस्सा है इसलिए इसके पुरानेपन का मशीन के कार्य पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मै० जिलेट ने इस बात की लिखित रूप में पुष्टि की है कि पुराने कास्टिग और फ्रेमों पर टिकी मशीनें डिजाइन, गति और कार्यक्षमता के मामले में नई कास्टिग पर बनी हुई मशीनों के समान ही हैं।

इस्पात उद्योग के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना का कार्यान्वयन

*734. **श्री के० ए० राजन** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार मई, 1983 में आयोजित मजूरी समझौता वार्ता के दौरान

इस्पात उद्योग के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना लागू करने पर सहमत हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त योजना अभी तक कार्यान्वित नहीं की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ए० के० पी० सान्बे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

तिहाड़ जेल भेजे गए बच्चों की आय का निर्धारण

*736. **श्री ओस्कर फर्नान्डीस** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल के इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि 16 वर्ष की उम्र से छोटे अनेक बच्चों को बाल सुधार गृहों में भेजने की बजाय उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेजा गया था ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बच्चों की आयु का पता लगाने तथा उन्हें बाल सुधार गृहों में भेजने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि किशोर कैदी को जेल में दाखिल करने से पहले कैदी की आयु निर्धारित करने के प्रयोजन से उसकी डाक्टरी जांच करनी पड़ती है। जहां चिकित्सा अधिकारी किसी लड़के के मामले में किसी कैदी की आयु 16 साल से कम और किसी लड़की के मामले में 18 साल से कम आयु लिखता है, वहां जेल प्राधिकारी बाल अधिनियम, 1960 के उपबन्धों के अनुसार कैदी को अवलोकन गृह/विशेष स्कूलों को स्थानान्तरित करने के लिए मामले को संबंधित विचारण न्यायालय को वापस भेजते हैं।

औद्योगिक नीति का कार्यान्वयन

*737. **श्री विष्णु प्रसाद** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत राज्यों को जारी किए गए मार्ग निर्देशों का कहां तक पालन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प में देश में औद्योगिक विकास के लिए सरकार की आधारभूत नीति विषयक ढांचे का प्रावधान किया गया

है। सरकार ने, समय-समय पर, संकल्प के उपबन्धों को विस्तृत करने, स्पष्ट करने और उन्हें कार्यान्वित करने की दृष्टि से वक्तव्य दिए हैं, जिनमें जुलाई, 1980 का औद्योगिक नीति वक्तव्य भी शामिल है।

1956 के संकल्प और उसके बाद के नीति विषयक विवरणों में औद्योगिक क्षेत्र का योजनाबद्ध विकास करने के लिए केन्द्र सरकार के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों का प्रावधान किया गया है। इससे राज्य सरकारों को भी इस सम्बन्ध में मार्गदर्शन मिलता है। राज्य सरकारों द्वारा औद्योगिक उद्यमों की स्थापना करने के लिए अवस्थापना, वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाएं प्रदान करके उन्हें सौंपी गई सामान्य भूमिका को निभाया है।

जम्मू क्षेत्र में सीमावर्ती नगर राजौरी में बम विस्फोट

*738. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू क्षेत्र में सीमावर्ती नगर राजौरी में 14 फरवरी, 1984 को भयानक बम विस्फोट हुआ था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस बम विस्फोट का मुख्य उद्देश्य पास के बिजली घर को उड़ाना प्रतीत होता है ;

(ग) क्या इस बात की आशंका है कि यह बम सीमा पार से आए तोड़ फोड़ करने वालों ने रखा था ;

(घ) क्या किसी विदेशी हाथ की भी आशंका है ;

(ङ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(च) सेना के विशेषज्ञों ने बम के सम्बन्ध में क्या विचार व्यक्त किए हैं ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : जम्मू-व-कश्मीर सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, 14 फरवरी, 1984 की सुबह को एक बम-विस्फोट हुआ जिसके कारण राजौरी स्थित इलैक्ट्रिकल सब-डिवीजन के परिसर में खड़ी एक कार क्षतिग्रस्त हो गई। सब-स्टेशन को कोई क्षति नहीं पहुंची और न ही किसी व्यक्ति को कोई चोट आई। विस्फोट का उद्देश्य कार के मालिक के साथ व्यावसायिक दुश्मनी लगता है। मामले की जांच चल रही है। सेना के विशेषज्ञों ने, जिनसे राज्य सरकार ने सहायता ली थी, बताया है कि घटना में इस्तेमाल किया गया बम एक बच्चा बम था जिसे लोहे के टुकड़े आपस में जोड़कर बनाया गया था।

मसूरी में खनन कार्य

*739. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि मसूरी के पहाड़ी

क्षेत्रों में चूने के पत्थर की खुदाई का काम अबाध रूप से चल रहा है जिसके परिणामस्वरूप वन नष्ट हो रहे हैं और पर्यावरण में गड़बड़ी पैदा हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के खुदाई कार्यों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) यह मामला उच्चतम न्यायालय के पास है तथा निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

कलकत्ता सीमाशुल्क में परीक्षकों (एग्जामिनर्स) की भर्ती

7942. **श्री बाबूराव परांजपे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1978 से आज तक कलकत्ता सीमाशुल्क विभाग में परीक्षकों (एग्जामिनर्स) के पदों की वर्षवार कितनी रिक्तियों की सूचना कर्मचारी चयन आयोग को दी गई और इस प्रकार के रिक्त पदों हेतु कितने अभ्यार्थियों की सिफारिश की गई ;

(ख) क्या 1978 और 1982 के बीच किसी समय कलकत्ता सीमाशुल्क अधिकारियों ने चयन आयोग द्वारा भेजे गए अभ्यार्थियों को लेने से इन्कार कर दिया ;

(ग) क्या वित्त विभाग को यह अधिसूचित किया गया था कि सीमा शुल्क में परीक्षकों के पदों पर भर्ती हेतु मौखिक परीक्षा के लिए कोई न्यूनतम अर्हता अंक निर्धारित न किए जाएं ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार की अधिसूचना किस तारीख को जारी की गई और इस प्रकार के आदेशों का पालन न करने के लिए जिम्मेदार पाये जाने वालों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क)-विवरण संलग्न है।

(ख) सीमा शुल्क समाहर्ता, कलकत्ता ने सूचना दी है कि वर्ष 1978 से 1982 की अवधि के दौरान, उन्होंने ऐसे किन्हीं अभ्यार्थियों को नियुक्त करने से इन्कार नहीं किया था।

(ग) तथा (घ) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा "परीक्षकों" की भर्ती करने के लिए अपनाई गई कार्यविधि के अनुसार, साक्षात्कार के लिए कोई न्यूनतम अर्हक स्तर निर्धारित नहीं किया जाता और उम्मीदवारों द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त किए गए अंकों को उनके द्वारा लिखित भाग में प्राप्त किए गए अंकों के साथ जोड़ दिया जाता है तथा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों के कुल जोड़ के आधार पर उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए अर्हक घोषित किया जाता है।

विवरण

वर्ष	सूचित की गई रिक्तियों की संख्या	सिफारिश किए गए उम्मीदवारों की संख्या
1978	कोई नहीं	कोई नहीं
1979	6	6
1980	कोई नहीं	कोई नहीं
1981	3	3
1982	4	4
1983	21	17

*4 पद अधिशेष एकक के माध्यम से अधिशेष कर्मचारियों द्वारा भरे जाने के लिए रोक लिए गए थे।

भारी जल परियोजना, तलचर के कर्मचारियों पर लाठी चार्ज

7943. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 फरवरी, 1984 को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों द्वारा भारी जल परियोजना, तलचर (उड़ीसा) के कर्मचारियों और प्रबन्ध कार्मिकों दोनों पर किए गए लाठी चार्ज की घटना की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस घटना के बारे में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है ;

(ग) क्या तलचर परियोजना के प्रबन्धकों ने इस मामले में जांच की मांग की है ; और

(घ) भारी जल परियोजना, तलचर में 28 फरवरी, 1984 को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों द्वारा किए गए लाठी चार्ज के परिणामस्वरूप कितने कर्मचारी और प्रबन्ध कार्मिक घायल हुए ;

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) भारी जल परियोजना तलचर में 28 फरवरी, 1984 को हुई घटना के विषय में सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है, जब मुख्य दरवाजे पर उचित सुरक्षा की जांच के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा जोर देने पर कुछ परियोजना कामगर हिंसक हो गए और उन्हें "लाठी" का प्रयोग करके वितरित करना पड़ा।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) भारी जल परियोजना तलचर के प्रबन्ध द्वारा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से जांच करने की कोई मांग नहीं की गई है।

(घ) इस घटना में उपक्रम 14 कर्मचारियों और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 3 कार्मिकों को चोटें आयीं।

सीमेन्स सीमेंट द्वारा विस्तार करने की मांग

7941 : **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 17 मार्च, 1984 के बम्बई से प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र "करंट" में "इलेक्ट्रोनिक इन्वेंशन गवर्नमेंट विक्स एज सीमेंस शार्ट-सर्किट लोकल यूनिट्स" शीर्षक से प्रकाशित-समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कम्पनी द्वारा वस्तुओं के निर्माण के लिए मांगे गए विस्तार सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उनकी क्षमता कितनी है ;

(ग) तकनीक विकास महानिदेशालय द्वारा सीमेंट का पक्ष लिए जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) बिजली के लिए "प्रोसेस कंट्रोल इन्स्टूमेंटेशन" और प्रोसेस उद्योगों के निर्माण में लगे छोटे बड़े अन्य एकक क्या हैं और उनकी क्षमता कितनी है ; और

(ङ) सीमेंस की भारतीय सहायक कम्पनी द्वारा वास्तविक रूप से इस क्षेत्र पर कैसे अधिकार कर लिया गया।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि रामा राव) : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स सीमेंस इन्डिया लिमिटेड ने प्रोसेस कन्ट्रोल इन्स्ट्रूमेंटेशन के निर्माण की क्षमता को 1300 संख्या से बढ़ाकर 7500 सं० प्रतिवर्ष कर देने हेतु निम्न प्रकार पर्याप्त विस्तार करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस सम्बन्धी आवेदन प्रस्तुत किया था :—

निर्माण की वस्तु	वर्तमान लाइसेंस प्राप्त क्षमता	प्रस्तावित विस्तार	विस्तार के बाद वार्षिक क्षमता
1. प्रोसेस कंट्रोलर और सहायक सामान	400	1600	2000
2. इलेक्ट्रिकल वाल्व और डैम्पर ड्राइव (इलेक्ट्रिक एक्चुएटर)	600	1900	2500
3. इलेक्ट्रानिक मैजर और कन्वर्टर	300	700	1000
4. इन्डिकेटर, इंटेग्रेटर और रिकार्डर	—	1500	1500
5. इलेक्ट्रो न्यूमेटिक कंवर्टर और पोजीशन	—	500	500

उक्त कम्पनी ने कम्पनी कार्य विभाग को एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 21 के अधीन एक आवेदन दिया था और इसे जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए 22-3-1983 को एकाधिकार आवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को भेज दिया गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 29-6-1983 को कम्पनी-कार्य विभाग को प्रस्तुत कर दी थी। सरकार द्वारा अभी दोनों ही आवेदनों पर अन्तिम निर्णय लिया जाना है।

(ग) प्रोसेस कंट्रोल इन्ट्रूमेंटेशन एक ऐसी वस्तु है, जिसका उत्पादन बड़े गृहों और फेरा कम्पनियों के लिए खुला है। इन्ट्रूमेंटेशन उद्योग सम्बन्धी कार्यदल ने छठी योजनावधि की मांग का अनुमान लगाते हुए यह सिफारिश की थी कि विद्यमान एककों के विस्तार को अधिमान दिया जाना चाहिए। कुछ नए एककों को स्वीकृत किए गए आशयपत्रों के अलावा चार विद्यमान एककों को पर्याप्त विस्तार की अनुमति दे दी गई थी। चूंकि, मैसर्स सीमेंस इंडिया लिमिटेड भी प्रोसेस कन्ट्रोल इन्स्ट्रूमेंटेशन की विद्यमान उत्पादक कम्पनी है, अत: तकनीकी विकास के महानिदेशालय ने उनके आवेदन पर अनुकूल रूप से विचार करने की सिफारिश की हैं।

(घ) संगठित क्षेत्र में अन्य एकक और उनकी लाइसेंस प्राप्त क्षमता निम्नलिखित है :—

एकक का नाम	लाइसेंस प्राप्त क्षमता
1. मैसर्स इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा	58,640 संख्या
2. मैसर्स केल्ट्रान, त्रिवेन्द्रम	20,200 संख्या
3. मैसर्स टेलर इन्स्ट्रूमेंटस कम्पनी फरीदाबाद	16,500 संख्या
4. मैसर्स बैल्स फंट्रोल्स लिमिटेड कलकत्ता	22,434 संख्या
5. मै० महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा लिमिटेड	6,530 संख्या
6. मै० तोशनीवाल इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	3,500 संख्या
7. मै० ई० सी० आई० एल० हैदराबाद	(430 रुपए) लाख
8. मै० वास एण्ड बरनार्ड एक्चुएटर्स प्राइवेट लिमिटेड	2,000 संख्या
9. मै० हीनलेहमेन इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	2,500 संख्या
10. मै० भारत ब्रेक्स एण्ड वोल्ट्स लिमिटेड	1,600 संख्या
11. मै० बेस्ट एण्ड क्रोम्पटन लिमिटेड, मद्रास	1,600 संख्या

(ङ) मैसर्स सीमेंस इण्डिया लिमिटेड की प्रोसेस कन्ट्रोल इन्स्ट्रूमेंटेशन की मौजूदा क्षमता विद्यमान लाइसेंस प्राप्त क्षमता का एक छोटा हिस्सा है। यदि हम लघु क्षेत्र में स्थापित क्षमता और

कार्यान्वित की जा रही क्षमता पर विचार करें, तो कुल स्वीकृत क्षमता में मैसर्स सीमेंस इण्डिया लिमिटेड का अंश और भी कम हो जाएगा।

बांकोला क्षेत्र में तैनात केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा खान मजदूरों पर कथित अत्याचार

7945. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें बांकोला क्षेत्र में तैनात केन्द्रीय और औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा खान मजदूरों पर कथित अत्याचार के सम्बन्ध में कुमारडीह "ए" कोयला खान बर्दवान जिला (पश्चिम बंगाल) के ओ० सी० पी० मजदूरों से दिनांक 10 फरवरी, 1984 के ज्ञापन की एक प्रति प्राप्त हुई है ;

(ख) सरकार द्वारा ज्ञापन पर क्या कार्रवाई की गई है ;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है ;

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकार की रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ङ) इस० सी० एस० क्षेत्र में सी० आई० एस० एल० की कथित गतिविधियों के बढ़ने के समाचारों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक सर्वदलीय संसदीय समिति नियुक्त करने की उपयोगिता पर विचार कर रही है ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) गृह मंत्री को कुमारडीही के "ए" कोयला खान के प्रोजेक्ट के कामगारों के 10 फरवरी, 1984 के ज्ञापन की प्रति प्राप्त हुई है जिसमें केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा अत्याचार के आरोप हैं। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से एक रिपोर्ट मांगी गई थी जिससे ओपन कोस्ट प्रोजेक्ट के कामगारों पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा हमला किए जाने के आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं।

(ग) जी, नहीं श्रीमान्।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान्।

देश में दूरसंचार उपकरणों का निर्माण

7946. **श्री के० प्रधानी** : क्या प्रधान मन्त्री 23 मार्च, 1984 को सदन में दिए गए नीति संबंधी वक्तव्य के बारे में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र के कौन-कौन से एककों के प्रयोकर्ताओं के परिसरों पर जैसे टेलीफोन उपकरण, स्वचालित निजि ग्रांड एक्सचेंज टेलप्रिंटर और डाटा संचार उपकरण आदि लगाने के लिए टेलीफोन के बल, टेलीग्राफ और बेतार उपकरण स्विचिंग और पारेषण उपकरणों जैसे विभिन्न प्रकार

के उपकरणों का निर्माण करने के प्रस्ताव विचाराधीन है, कहां स्थापित किए जाएंगे, उनकी क्षमता क्या होगी और विदेशी सहयोग आदि का विवरण क्या है ;

(ख) क्या इलेक्ट्रॉनिकी विभाग इन उपकरणों को लोगों को उपलब्ध कराने अथवा टेलीफोन और टेलीग्राम विभाग द्वारा खरीदे जाने से पहले इनकी जांच करने के लिए अपना निरीक्षण संगठन स्थापित करेगा ; और

(ग) क्या उनके द्वारा आई० टी० आई० हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स, हिन्दुस्तान केबल्स और डाक-तार विभाग जैसे सरकारी एककों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) निजी क्षेत्र की जिन इकाइयों ने विभिन्न प्रकार के दूरसंचार उपस्करों, जैसे टेली-फोन केबल्स, आदि के विनिर्माण के लिए आवेदन-पत्र दिए हैं उनके नाम तथा स्थापना स्थल उत्पादन-क्षमता और विदेशी-सहयोग विषयक जानकारी विवरण 1 में दी गई है।

(ख) तथा (ग) इन पहलुओं पर निर्णय लेने के लिए "संचार उपस्कर विशिष्ट निर्धारण समिति" स्थापित की जा रही है।

इस्पात आयात पूल निधि

7947. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य प्रतिपूर्ति योजना के वित्त पोषण के लिए कुछ धन-राशि उपलब्ध कराने हेतु इस्पात पूल निधि का उपयोग करने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस योजना के लिए कितनी धनराशि दी गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) जी, हां, अभी हाल में इन्जीनियरी निर्यात् संबर्द्धन परिषद (ई० ई० पी० सी०) को दावों का भुगतान करने के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि दी गई है।

कर्फ्यू लागू करना

7948. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान (वर्ष वार) धारा 144 और कर्फ्यू को राज्य-वार कितनी बार लागू किया गया ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : विधि व व्यवस्था बनाए रखना मूलत: राज्य सरकारों से सम्बन्धित है और जब आवश्यक समझा जाता है वे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन संदेशों की उद्घोषणा करने और कर्फ्यू लागू करने सहित उपयुक्त कार्यवाही करती हैं। इसलिए इस सम्बन्ध में यथा अपेक्षित राज्यवार, वर्ष-वार सांख्यकीय सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण

संचार उपकरणों आदि के विनिर्माण के लिए निजी कम्पनियों से प्राप्त आवेदन-पत्रों की सूची

क्र० सं०	पार्टी का नाम	विनिर्माण की वस्तु	स्थापना-स्थल	विदेशी सहयोग
1	2	3	4	5
1.	मेसर्स इन्डस्ट्रीयल डवलपमेंट कन्सोर्टियम (प्रा०) लिमिटेड, बंगलौर-25 दिनांक 30-3-84	टेलीफोन उपकरण 1,00,000 नग पी० ए० बी० एक्स दूरमुद्रक और आंकड़ा संचार उपस्कर एक लाख	बंगलौर	कोई नहीं
2.	मेसर्स बीनाटोन इलेक्ट्रॉनिक्स (प्रा०) लिमिटेड, साहिबाबाद-201007 दिनांक 4-4-84	1. टेलीफोन उपकरण 2,00,000 नग 2. पेजिंग उपस्कर 1,00,000	साहिबाबाद (उत्तर प्रदेश)	कोई नहीं
3.	मेसर्स यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली दिनांक 4-4-84	1. टेलीफोन उपकरण 5.0 लाख 2. पी० ए० बी० एक्स० एक्सचेंज 50,000 लाइनें	श्रेणी 'ख' गुजरात	कोई नहीं

1	2	3	4	5
		3. दूरमुद्रक 5000 नग 4. आंकड़ा संचार उपस्कर 50 नग		
4.	मेसर्स ऊषा माइक्रोप्रोसेस कन्ट्रोल्स लि०, नई दिल्ली दिनांक 4-4-84	1. टेलीफोन उपकरण -1,00,000 नग 2. पी० ए० बी० एक्स० प्रणालियां दूरमुद्रक तथा आंकड़ा संचार उपस्कर -5,000 नग	दादरी (उ० प्र०)	कोई नहीं
5.	मेसर्स ऊषा रेक्टिफायर कारपोरेशन इण्डिया (प्रा०) लिमिटेड नई दिल्ली दिनांक 4-4-84	1. टेलीफोन उपकरण -50,000 नग 2. पी० ए० बी० एक्स प्रणालियों दूरमुद्रक तथा आंकड़ा संचार उपस्कर -7500 नग	फरीदाबाद	कोई नहीं
6.	मेसर्स यूनिट्रॉन लिमिटेड, फरीदाबाद दिनांक 4-4-84	1. टेलीफोन उपकरण -5,00,000 नग 2. पी० ए० बी० एक्स० एक्सचेंज -50,000 नग	बल्लभगढ़ फरीदाबाद	कोई नहीं

3. दूरमुद्रक
-5,000 नग
4. बांकड़ा संचार उपस्कर
-50 प्रणालियां

टेलीफोन उपकरण
-5,00,000 नग

कालका
जिला : अम्बाला
हरियाणा

कोई नहीं

7. श्री ए० बार० दाहिया
चण्डीगढ़-160022
दिनांक 10-4-84

मन्दिर में पाए गए मांस के टुकड़े

7949. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 12 मार्च, 1984 के दैनिक "हिन्दुस्तान" में "मन्दिर में मांस के टकड़े मिलने से तनाव" शीर्षक से प्रकाशित समाचार सही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य के लिए जिम्मेदार लोगों को इस बीच गिरफ्तार कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाशचन्द्र सेठी) : (क) 11-3-1984 को लाजपत नगर थाने में श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर, लाजपत नगर के परिसर में मांस का टुकड़ा मिलने के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। स्थानीय पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और उक्त आपराधिक सामग्री पाई।

(ख) तथा (ग) लाजपत नगर थाने में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 295क के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है। इस सम्बन्ध में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

पर्यावरण सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति

7950. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिस्थिति सन्तुलन को बनाये रखने के लिए पर्यावरण सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति द्वारा एक नई वन नीति की सिफारिश की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) देश में तथा विशेष रूप से जनजाति क्षेत्रों में इसके कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावित नीति के उद्देश्य हैं ;

(1) विद्यमान प्राकृतिक वनों की उनके वनस्पति तथा प्राणीजात सहित सुरक्षा तथा वृद्धि ;

(2) स्थायी कृषि के लिए अयोग्य सभी निम्नीकृत तथा अनाच्छादित भूमियों पर वन तथा घास लगाने में तीव्र वृद्धि करना ; और

(3) वन संसाधनों का पर्यावरणीय दृष्टि से अविरोध और कुशल प्रबन्ध।

यह प्रस्ताव निम्नलिखित अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुझाया गया है :

(1) पर्यावरणीय स्थिरता का रख-रखाव ;

(2) वनस्पति, प्राणीजात तथा समृद्ध जैविक विविधता के माध्यम से प्राकृतिक सम्पति का संरक्षण ;

(3) आदिवासी समुदायों के हितों की सुरक्षा करना ;

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए उत्पादी रोजगार का सृजन करना ;

(5) ग्रामीण तथा आदिवासी लोगों के लिए ईंधन, चारा तथा लघु वन उत्पाद की आवश्यकताओं को पूरा करना ।

(ग) प्रारूप नीति अभी विचाराधीन है ।

मारुति वाहनों के लिए वारंटी की शर्तें

7951. **श्री एन० के० शेजवलकर** : **क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति उद्योग लिमिटेड ने अपने ग्राहकों के लिए अपने वाहनों हेतु क्या वारंटी शर्तें और वाहनों की बिक्री के बाद उनकी सर्विस के लिए क्या सुविधाओं की पेशकश की है ;

(ख) वाहन खरीदारों को बिक्री के बाद नि:शुल्क सर्विस (दो) फालतू पुर्जों को नि:शुल्क बदलने के लिए, कितनी अवधि दी जाएगी ; और

(ग) फालतू पुर्जों की कीमत, वारंटी अवधि के बाद सर्विसिंग और विदेशी पुर्जों की उपलब्धता से सम्बन्धित कम्पनी की नीति की मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि रामराव) : (क) तथा (ख) गाड़ी की डिलीवरी की तारीख से 12 महीनों की अवधि के लिए, या गाड़ी को 20,000 किलोमीटर तक चलाये जाने तक, दोनों में से जो भी पहले हो, मारुति कार पर वारंटी है। वैन पर भी, वैन की डिलीवरी की तारीख से 12 महीनों के लिए, या गाड़ी को 16,000 कि० मी० तक चलाये जाने तक, दोनों में से जो भी पहले हो, वारंटी है। पिक-अप टाइप की गाड़ियों के लिए वारंटी गाड़ियों की डिलीवरी की तारीख से छः महीनों के लिए, या गाड़ी को 16,000 कि० मी० तक चलाये जाने तक है, दोनों में से जो भी पहले हो। इसके अलावा, मारुति द्वारा डिलीवरी से पहले निरीक्षण करने हेतु नि:शुल्क सेवा प्रदान की जा रही हैं। ये तीनों सेवायें निर्धारित किलोमीटर के अन्तर्गत पूरी करनी होती हैं, अन्तिम सेवा 5,500 कि०मी० के अन्तर्गत होती है। वारंटी की नीति के अनुसार वारंटी की अवधि में हिस्से-पुर्जों को नि:शुल्क बदलना सम्भव होगा ।

(ग) कम्पनी की नीति यह है कि आयातित हिस्से-पुर्जों सहित सभी आवश्यक हिस्से-पुर्जों को

उपलब्ध कराया जाए और उपयुक्त वाणिज्यिक मानदण्डों के अनुसार उनका मूल्य निर्धारित किया जाए। वारंटी की अवधि के बाद सर्विस करने की सुविधायें डीलरों और अन्य स्वीकृत सर्विस केन्द्रों के जरिए प्रदान की जायेगी।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) का क्रियान्वयन

7952. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) में उल्लिखित 14 मदों को देश के "क", "ख" और "ग" क्षेत्र के सभी राज्यों में द्विभाषिक रूप में क्रियान्वित किए जाने का प्रावधान है ;

(ख) यदि हां, तो महासागर विकास विभाग और "क", "ख" और "ग" क्षेत्रों में स्थित उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान धारा 3 (3) के राज्यवार और वर्षवार क्रियान्वयन के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है ;

(ग) तीनों क्षेत्रों में उपरोक्त 14 मदों का कार्य शत-प्रतिशत द्विभाषिक रूप में करने में क्या कठिनाइयां हैं ; और

(घ) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) महासागर विकास विभाग ने एक पृथक् विभाग के रूप में मार्च, 1982 से कार्य करना शुरू किया है। देश के "क", "ख" और "ग" क्षेत्रों के राज्यों में इस विभाग के कोई सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय नहीं हैं। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) में उल्लिखित 14 मदों में से 7 मदों पर शत-प्रतिशत कार्य द्विभाषिक रूप में किया जा रहा है। शेष 7 मदों के सम्बन्ध में, अभी तक ऐसा कोई अवसर नहीं आया है जब इस विभाग को अधिनियम में अपेक्षित अन्य मदों से सम्बन्धित कार्य द्विभाषिक रूप में करने की जरूरत पड़ी हो।

केरल में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए श्री नारायण जयन्ती समाधि दिवसों को छुट्टी घोषित करना

7953. **श्री ए० नीला लोहितदसन नाडार** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने केरल में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और उपक्रमों में इस वर्ष श्री नारायण जयन्ती और समाधि दिवसों को छुट्टी घोषित करने के निर्देश जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार केरल में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और उपक्रमों में आने वाले सभी वर्षों में उक्त दिनों की छुट्टी घोषित करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्रवाई की गई है ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाशचन्द्र सेठी) : (क) तथा (ख) केरल स्थित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण समन्वय समितियों को सलाह दी गई है कि वे इस वर्ष (1984) के दौरान श्री नारायण गुरु के जन्म दिवस को केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में एक अतिरिक्त छुट्टी के रूप में घोषित करें। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की छुट्टियां इन आदेशों से विनियमित नहीं होती हैं।

(ग) तथा (घ) इस सम्बन्ध में भविष्य में अपनाई जाने वाली नीति अभी तक तैयार नहीं की गई है।

उड़ीसा में दामनजोड़ी में अल्यूमीनियम संयंत्र के विस्थापित लोगों का पुनर्वास

7954. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कोरापुट जिले में दामनजोड़ी स्थित अल्युमीनियम संयंत्र के विस्थापित लोगों के पुनर्वास और अन्य सुविधायें प्रदान करने की योजना को "नेल्को" की परियोजना के एक भाग के रूप में शामिल कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो "नेल्को" द्वारा पुनर्वास तथा अन्य सम्बद्ध मामलों के लिए तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ;

(ग) परियोजना कार्य के आरम्भ होने से अब तक पुनर्वास, मुआवजा और न्यूनतम सुविधायें आदि प्रदान करने के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई है तथा इस परियोजना की प्रगति का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) विस्थापित लोगों में से परियोजना में अब तक कितने अकुशल कर्मचारियों को रोजगार मिला हुआ है तथा "नेल्को" द्वारा विस्थापित लोगों में से कुशल व्यक्ति तैयार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी (नाल्को) ने उड़ीसा के जिला कोरापुट में दामनजोड़ी एल्यूमिना संयंत्र की स्थापना से विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास और रोजगार अवसर जुटाने में मदद देने के लिए अनेक उपाय किए हैं।

(ग) भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवज़ा के अतिरिक्त, नाल्को ने विस्थापित लोगों के पुनर्वास हेतु निम्नलिखित राशि प्रदान की है :—

(1) विस्थापितों के लिए रिहायशी मकानों के निर्माण हेतु 5 लाख रुपए इस धन से 46 ट्रांजिट मकान बन गये हैं और 30 अन्य बन रहे हैं।

(2) विस्थापित परिवारों के लिए 2 लाख रुपए की अनुमानित लागत से 50 अस्थायी शेड बन गये हैं ;

(3) प्रत्येक विस्थापित परिवार को अपने रिहायशी मकान के निर्माण हेतु 2500/- रु० की अनुग्रह राशि दी गई है।

(घ) 20-3-1984 तक 581 विस्थापित परिवारों में से 567 व्यक्तियों को (523 को ठेकेदारों की मार्फत और 44 को नाल्को में सीधे) रोजगार दिया गया है।

नाल्को द्वारा स्थानीय विस्थापित लोगों को विभिन्न व्यवसायों में दक्ष बनाने के लिए ठेकेदारों/उपठेकेदारों की मार्फत व्यवसाय प्रशिक्षण भी दिलाया जा रहा है। 26-3-84 तक, 17 अकुशल श्रमिक नाल्को के विभिन्न ठेकेदारों/उप ठेकेदारों की मार्फत प्रशिक्षण ले रहे थे और नाल्को द्वारा सीधे नियुक्त 32 व्यक्ति दामनजोड़ी में तकनीकी व्यवसाय का प्रशिक्षण ले रहे थे। नाल्को की योजना अन्ततः प्रत्येक विस्थापित परिवार के एक-एक स्वस्थ व्यक्ति को रिक्त पदों की संख्या और उनके प्रति उनकी पात्रता के अनुसार रोजगार देने की है।

खादी ग्रामोद्योग आयोग में ग्रेड और पदोन्नति

7955. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए क्या पद-वार ग्रेड बनाये गये हैं ; और

(ख) उन सभी पदों और ग्रेडों के लिए पदोन्नति के क्या अवसर हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि रामराव) : (क) खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पद-वार ग्रेड निम्नलिखित हैं :—

पद का नाम	वेतनमान
1. प्रबन्धक	1200-1600 रु०
2. सहायक प्रबन्धक	650-1200 रु०
3. लेखा अधिकारी	650-1200 रु०
4. वरिष्ठ प्रभारी	550-900 रु०
5. लेखाकार-I	550-900 रु०
6. पैटर्न-सह-डिजाइन-सह-कटर मास्टर	425-700 रु०
7. प्रभारी	425-700 रु०,

8. आशुलिपिक	425-700 रु०
9. डेकोरेटर (सज्जाकर)	380-640 रु०
10. सहायक सज्जाकर	380-640 रु०
11. रोकड़िया	380-640 रु०
12. लेखाकार-II	380-640 रु०
13. सेल्समैन-I	380-640 रु०
14. सहायक कटर मास्टर	380-640 रु०
15. सहायक प्रभारी	380-640 रु०
16. उच्च श्रेणी लिपिक	330-560 रु०
17. सेल्स-मैन-II	330-560 रु०
18. अवर श्रेणी लिपिक	260-400 रु०
19. सेल्समैन-III	260-400 रु०
20. ड्राइवर	260-350 रु०
21. हैल्पर/पैकर	210-290 रु०
22. दफ्तरी	210-270 रु०
23. चपरासी/स्वीपर/चौकीदार	196-232 रु०

(ख) वरिष्ठता सूची के आधार पर पदोन्नति का लाभ 550-900/- रु० के वेतन मान वाले पदों सहित सम्बद्ध उप-संवर्ग के अन्तर्गत आने वाले पदों को भी दिया जाता है तथा इस बारे में सम्बद्ध भवनों की एक अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची संचालित की जाती है। भवनों की वरिष्ठता सूची में दिए गए उप-संवर्ग निम्नलिखित हैं :—

(क) प्रशासनिक-सह-तकनीकी।

(ख) तकनीकी लेखा।

(ग) मन्त्रालयीय।

(घ) विविध।

550-900/- रुपये से कम वेतनमात वाले पदों की एककवार वरिष्ठता सूची में सम्बन्धित उप-संवर्गों के सम्बद्ध छोटे पदों के लिए पदोन्नति की सुविधा प्रदान की गई है। पदोन्नति के सम्बन्ध में की गई व्यवस्था नीचे दी गई है :—

(1) प्रशासनिक-सह-तकनीकी

पद का नाम		
1. प्रबन्धक	1200-1600 रु०	अखिल
2. सहायक प्रबन्धक	650-1200 रु०	भारतीय
3. वरिष्ठ प्रभारी	550-900 रु०	वरिष्ठता
4. प्रभारी	425-700 रु०	
5. सहायक प्रभारी	380-640 रु०	
6. सेल्समैन-I	380-640 रु०	
7. सेल्समैन-II	330-560 रु०	
8. सेल्समैन-III	260-400 रु०	

(2) तकनीकी लेखा

1. लेखा अधिकारी	6501-200 रु०	अखिल
2. लेखाकार-I	550-900 रु०	भारतीय
3. लेखाकार-III	380-640 रु०	वरिष्ठता

(3) मन्त्रालयीय

1. प्रभारी (बिक्री लेखा/सरकारी आपूर्ति)	425-700 रु०
2. उच्च श्रेणी लिपिक	330-560 रु०
3. अवर श्रेणी लिपिक	260-400 रु०

(4) विविध

इसमें कटर मास्टर सज्जाकार आदि के पद सम्मिलित हैं। जहां तक 380-640/-रु० के वेतन-मान में रोकड़िया के पद का सम्बन्ध है यह बताया गया है कि उपर्युक्त को उप-संवर्ग लेखा, तकनीकी

अथवा विविध श्रेणी में सम्मिलित किए जाने सम्बन्धी मामला विचाराधीन है। विद्यमान स्टाफ ढांचे और पद्धति को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक स्वीकृत पद को पदोन्नति का लाभ देना सम्भव नहीं है। किन्तु उपसंवर्ग में अथवा विविध में सम्मिलित कुछ पद अर्थात कटर मास्टर समूह "घ" के अन्तर्गत आने वाले सभी पदों के लिए उसी लाइन में पदोन्नति की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

यूरेनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड का विस्तार कार्यक्रम

7956. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरेनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड ने आगामी वर्षों के लिए एक बड़े विस्तार कार्यक्रम को चलाने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) क्या हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के राखा कापर प्लांट के कापर टेलिंग से एक यूरेनियम रिकवरी प्लांट को पहले ही उत्पादन के लिए आरम्भ किया गया है ; और

(ग) क्या बिहार के मोसाबनी में हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के कापर कन्सट्रेटर के समीप एक यूरेनियम रिकवरी प्लांट को शीघ्र ही स्थापित किया जा रहा है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) जी, हां।

(ग) मूसाबनी में हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के तांबे को सांद्रित करने वाले संयंत्र के साथ एक प्रौद्योगिक संयंत्र काम कर रहा है।

रायल्टी की दरों में संशोधन

7957. **श्री ए० के० राय** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन उपबन्धों का ब्यौरा क्या है जिनसे राज्य सरकार खनिजों पर रायल्टी की दरों में परिवर्तन कर सकती है ;

(ख) क्या राज्य सरकार को शीघ्रातिशीघ्र रायल्टी दरों मे संशोधन करने का अवसर देने के लिए कोई परिवर्तन करने का विचार है ;

(ग) बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसी राज्य सरकारों द्वारा उन राज्यों में उत्पादित प्रमुख खनिजों पर रायल्टी की दरों में गत 15 वर्षों के दौरान किए गए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में उपर्युक्त राज्यों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) राज्य सरकार केवल इमारती पत्थर कंकड़ तथा साधारण मिट्टी आदि गौण खनिजों की रायल्टी दरों में परिवर्तन कर

सकती है। खान और खनिज (विनियम और विकास) अधिनियम 1957 की धारा 15 में राज्य सरकारों को गौण खनिजों के उत्खनन पट्टों, खनन पट्टों या खनिज रियायतों की स्वीकृति को विनियमित करने के लिए नियम बनाने उनपर रायल्टी दरें निर्धारित करने तथा उन दरों को चार वर्ष की अवधि में एक बार संशोधित करने के अधिकार प्रदान किए गए हैं।

(ख) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 के संशोधन प्रस्तावों के अन्तर्गत गौण खनिजों की रायल्टी दरों में संशोधन की अवधि में परिवर्तन करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) राज्य सरकार को मुख्य खनिज की रायल्टी दरों में परिवर्तन करने का अधिनियम में अधिकार प्राप्त नहीं है। अधिनियम की धारा 9 (3) के तहत ऐसा अधिकार केवल केन्द्र सरकार को प्राप्त है।

(घ) और (ङ) बिहार और उड़ीसा सरकारें लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, ताम्र अयस्क मैंगनेसाइट तथा अभ्रक की रायल्टी दरों में शीघ्र संशोधन पर जोर दे रही है और रायल्टी दरों में ये संशोधन केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं।

जिंक की मांग और उत्पादन

7958. **श्री चिंतामणि जैन :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जिंक की अनुमानित वार्षिक मांग और उत्पादन क्या है ;

(ख) जिन स्थानों पर जिंक पाया जाता है उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) जिंक की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि हाल ही में जिंक के मूल्यों में वृद्धि की गई है ;

(ङ) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है और अन्य औद्योगिकी उत्पादों जिनमें जिंक इस्तेमाल होता है पर पड़ने वाले प्रभावों का ब्यौरा क्या है ; और

(च) मांग को पूरा करने के लिए देश में जिंक का उत्पादन करने और मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) वर्ष 1984-85 में जस्ता की मांग और उत्पादन का आकलन क्रमशः लगभग 1,40,000 टन और 70,000 टन है।

(ख) जस्ता निक्षेप मुख्यतः राजस्थान के उदयपुर और भीलवाडा जिले में है और कुछ छोटे-मोटे निक्षेप प० बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि में हैं।

(ग) मांग की तुलना मे देशी उत्पादन की न्यूनता खनिज और धातु व्यापार निगम की मार्फत

जस्ता धातु के आयात द्वारा पूरी की जाती है ।

(घ) और (ङ) वर्ष 1983-84 में जस्ता मूल्य बढ़ गए । बढ़े हुए मूल्यों का खपत कर्त्ता उद्योगों झलाई, रंगरोगन, रसायन आदि पर असर पड़ा है । लेकिन उपर्युक्त उद्योगों में जस्ते के अलावा अन्य कच्चे माल की भी खपत होती है जिनकी मूल्य-वृद्धि का भी उक्त उद्योगों पर असर पड़ा है । मात्र जस्ता मूल्यों की वृद्धि से ही उक्त असर नहीं ।

(च) चूंकि लक्षित जस्ता उत्पादन प्राप्ति में मुख्य बाधा बिजली की पूर्ति की है, अतः देशी उत्पादन में वृद्धि हेतु राज्य बिजली बोर्डों से प्राप्त बिजली सप्लाई के अलावा हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की विभिन्न यूनिटों पर डीजल विद्युत उत्पादन सैट लगाए गए हैं । इसके अलावा जस्ते के देशी उत्पादन में 4,000 टन वार्षिक की वृद्धि हेतु देवारी जस्ता प्रद्रावक पर लीच बेसिडयू ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है ।

जस्ता धातु के उत्पादन में और अधिक वृद्धि के लिए नई खानों (रामपुरा अगुचाबरोई) के विकास और नए जस्ता-सीसा प्रद्रावक कम्पलेक्स) (जिसकी वार्षिक क्षमता 20,000 टन जस्ता और 35,000 टन सीसा धातु है) और 3 × 30 मेगावाट गृहीत ताप बिजलीघर (चित्तौड़ गढ़ के समीप) तथा छेवारी जस्ता प्रद्रावक में 1 × 15 मेगावाट के गैस टरबाइन सेट की स्थापना का एक बड़ा प्रस्ताव' पूंजी सम्बन्धी निर्णय के लिए इस समय सरकार के विचाराधीन है ।

मैसर्स कोमिनको बिनानी जिंक लिमिटेड नामक प्राइवेट कम्पनी ने भी जस्ता उत्पादन की अपनी लाइसेंस शुदा 20,000 टन वार्षिक क्षमता के आधुनिकीकरण/विस्तार का कार्यक्रम शुरू किया हैं ।

खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा आयातित जस्ते के मूल्य का निर्धारण मुख्य आयात-निर्यात नियन्त्रक की अध्यक्षता में कार्यरत मूल्यन समिति द्वारा किया जाता है और देशी उत्पादकों को भी उक्त विधि से यथा-निर्धारित मूल्यों पर ही अपना माल बेचना होता है। समिति द्वारा निर्धारित मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जस्ता मूल्यों की घटबढ़ से जुड़े होते हैं । और इसलिए विश्व-बाजार में जस्ता मूल्य में प्रत्येक घट-बढ़ इस धातु के घरेलू बिक्री मूल्य में परिलक्षित होगी ।

गणतन्त्र दिवस समारोह

7959. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और राज्यों की राजधानियों में गणतंत्र दिवस समारोहों के आयोजन का उद्देश्य राष्ट्रीयता और देश में एकता की भावना उत्पन्न करना है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने दिल्ली और अन्य स्थानों पर गणतंत्र दिवस समारोहों की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियों पर माल्यार्पण के प्रस्ताव पर विचार किया है ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) गणतंत्र दिवस प्रति वर्ष 26 जनवरी को उस दिन की याद में मनाया जाता है जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था और भारत प्रभुसत्ता-सम्पन्न

समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र बना और इस दिन के समारोह का उद्देश्य राष्ट्रीयता, देश की एकता और अखंडता की भावना उत्पन्न करना है।

(ख) सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

पिछड़े क्षेत्र के विकास सम्बन्धी समिति

7960. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रीय समिति और उद्योगों के विकेन्द्रीकरण की सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिए जाने की आशा है ?

योजना मंत्री (एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) विकेन्द्रित औद्योगिक विकास से सम्बन्धित (1) औद्योगिक संगठन (2) ग्राम और कुटीर उद्योग और (3) औद्योगिक प्रकीर्णन की रिपोर्टों में दी गई सिफारिशों की सम्बन्धित मन्त्रालयों, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श करके जांच की गई है। इन परामर्शों के फलस्वरूप आम सहमति को सातवीं योजना के लिए कार्यनीति तैयार करते समय ध्यान में रखा जाएगा।

पर्यावरण अनुसंधान समिति की स्थापना

7971. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक पर्यावरण अनुसंधान समिति स्थापित की गई है, यदि हां तो समिति के मुख्य कार्य क्या हैं ; और

(ख) वायु प्रदूषण और औद्योगिक अपशिष्ट की समस्या को हल करने के सम्बन्ध में इसको कितनी सफलता मिली है ?

पर्यावरण विभाग में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां। प्रत्येक दो वर्षों के पश्चात समिति का पुनर्गठन किया जाता है समिति के मुख्य कार्य ये हैं :

(1) अनुसंधान के लिए प्राथमिकता के क्षेत्रों का अभिनिर्धारण करना ;

(2) अनुसंधान प्रस्तावों का मूल्यांकन करना तथा वित्तीय सहायता के लिए ऐसे प्रस्तावों की उपयुक्तता के बारे में पर्यावरण विभाग को सिफारिशें करना; और

(3) राष्ट्रीय आधार पर परियोजनाओं के गठन के बारे में सलाह देना।

(ख) प्रदूषण, जल गुणवत्ता, औद्योगिक अपशिष्ट उपचार तथा पर्यावरण पर इनके प्रभाव

वाले क्षेत्रों में अनुसंधान परियोजनाओं ने अध्ययन तथा परिणामी प्रभावों के क्षेत्रों में विशिष्ट प्रदूषकों के विद्यमान स्तरों का संकेत दिया है। ऐसे अध्ययनों से मार्गदर्शी सिद्धान्तों को तैयार करने, विशिष्ट द्रव्य अपशिष्ट के उपचार के लिए पद्धति तैयार करने और अपशिष्ट को पुनः प्रयोग में लाने की संभाव्यताओं पर विचार करने में मदद मिली है।

आश्रित सास-ससुर को छुट्टी यात्रा रियायत का अधिकार

7962. **श्री भीखा भाई** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी का आश्रित पति छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार है ;

(ख) क्या ऐसी किसी महिला केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी के सास-ससुर पुरुष केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी के आश्रित माता-पिता की तरह छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार नहीं हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ;

(घ) इस भेदभाव को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ; और

(ङ) यदि ये आश्रित सास-ससुर ऐसी छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार हैं, तो वे किस संबद्ध नियम अथवा आदेश के अन्तर्गत उसके हकदार हैं ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां, बशर्ते कि वह केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी के साथ रह रहा हो।

(ख) जी, हां।

(ग) चूंकि केन्द्रीय सरकार के पुरुष और महिला दोनों प्रकार के कर्मचारी अपने साथ रह रहे और पूरे तौर पर उन पर आश्रित माता-पिता के लिए छुट्टी यात्रा रियायत पाने के हकदार हैं, और अपने अपने सास-ससुर के लिए नहीं, इसलिए इसमें कोई भेदभाव नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

टेक्सस्चराइजिंग मशीन्स

7963. **श्री लहना सिंह तुर** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिम्सन ने वर्ष 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 और 1984 के दौरान एस० डी० एस०-3, एस० डी० एस०-3/600, एस० डी० एस०/8, डी० सी० एस०-1000, डी० सी० एस०-1200 की कितनी ड्रा टेक्स्चराइजिंग मशीनों का निर्माण किया और वितरण किया है ;

(ख) क्या सरकार भारतीय प्रयोक्ताओं को सप्लाई किए जाने वाले उपकरणों के निर्माण में

उपयोग में लाये जाने के लिए पुर्जों के रूप में पुरानी ड्रा टेक्स्चराइजिंग मशीनों के आयात की अनुमति देती है ; और

(ग) देश में ऐसे आयात को रोकने के लिए दण्ड की व्यवस्था सहित सरकार का विचार क्या पूर्वोपाय करने का है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) उत्पादन को माडल अथवा मात्रा में मानीटर नहीं किया जाता है । क्रिम्पिंग तथा ड्राटेक्सचराइजिंग मशीनों के उत्पादन की रिपोर्ट कम्पनी मूल्यों में देती रही है । 1979 से 1983 के दौरान उनकी मशीनों का उत्पादन, इस प्रकार बताया गया है ।

1979—172.06 लाख रुपये

1980—591.76 लाख रुपये

1981—127.00 लाख रुपये

1982—998.13 लाख रुपये
तथा
1983—465.81 लाख रुपये

(ख) जी, नहीं ।

उपकरण निर्माण करने वाले लाइसेंस प्राप्त एककों के लिए स्वीकृत चरणबद्ध निर्माण कार्यक्रम के अनुरूप हिस्से-पुर्जों (उत्कृष्ट क्वालिटी के हिस्से पुर्जों) के आयात को नियमित किया जाता है । फिर भी, स्वीकृत चरणबद्ध निर्माण कार्यक्रम का किसी प्रकार से उल्लंघन किए जाने पर एककों पर आयात व्यापार नियन्त्रण विनियमों के अधीन कार्यवाही की जायेगी जो कि अपने अधिकारों के अधीन प्रायोजित प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली किसी कार्यवाही के पूर्वाग्रह रहित होगी ।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में जवानों पर हमला

7964. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में जवानों पर कितनी बार हमला हुआ और प्रत्येक हमले का अलग-अलग ब्यौरा क्या है तथा कितने लोग मारे गए/आहत हुए ;

(ख) क्या सरकार ने हताहतों के निकट सम्बन्धियों को किसी अनुग्रह राशि के भुगतान की स्वीकृति की है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार ऐसे हताहतों के परिवारों के पुनर्वास सम्बन्धी मामलों पर विचार करेगी ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) से (घ) अण्डमान और निकोबार प्रशासन से सूचना मांगी गई है और बाद में उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

जाली वीसा जारी करने सम्बन्धी गिरोह

7965. **श्री रामलाल राही** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जाली वीसा जारी करने सम्बन्धी कुछ गिरोह काम कर रहे हैं, जिन्हें राजनीतिक नेताओं का संरक्षण प्राप्त है ; और

(ख) यदि हां, तो इन गिरोहों को पकड़ने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है तथा अब तक ऐसे कितने गिरोहों का भंडाफोड़ हुआ है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सीमेंट नियन्त्रण संगठन में प्रतिनियुक्त अधिकारी

7966. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **उद्योग मंत्री** सीमेंट नियन्त्रण संगठन में प्रतिनियुक्ति अधिकारों के बारे में 4 मई, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9912 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे कर्मचारियों को जिन्हें दो महीने की अनुमत्य अवधि के बाद प्रतिनियुक्ति पर रखने के सम्बन्ध में 22 जुलाई, 1976 के संकल्प के अनुसार भत्ता देने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ख) 22-7-1976 के संकल्प के अनुसार जिन कर्मचारियों को सीमेंट नियन्त्रण संगठन में दो मास की अनुमत अवधि के बाद भी प्रतिनियुक्ति पर बनाए रखा गया उन्हें भत्ते देने के प्रश्न पर वित्त मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जा रहा है। उन्होंने कुछ विषयों पर स्पष्टीकरण मांगा था जो अब भेज दिया गया है। वित्त मंत्रालय की अन्तिम सलाह की प्रतीक्षा की जा रही है।

अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची (वरिष्ठता कोटा) 1983 को अन्तिम रूप दिया जाना

7967. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) ने सभी संवर्ग नियन्त्रक प्राधिकारियों को अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची (वरिष्ठता कोटा) 1983 को अंतिम रूप देने के लिए पात्र अधिकारियों के विवरण 7 अप्रैल, 1984 तक भेजने को कहा है ;

(ख) यदि हां, तो अनुभाग अधिकारी ग्रेड के लिए उपरोक्त (क) में उल्लिखित में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्धारित जोन के अन्तर्गत उम्मीदवारों (सामान्य तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अलग-अलग) की कुल संख्या कितनी है ;

(ग) उन संवर्गों की संख्या कितनी है, जिन्होंने अभी तक जानकारी नहीं भेजी है ;

(घ) उपरोक्त भाग (ग) में उल्लिखित संवर्गों से अपेक्षित जानकारी समय पर एकत्र करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ; और

(ङ) क्या सरकार निर्धारित अवधि अर्थात 1 जुलाई, 1984 तक उपरोक्त (क) में उल्लिखित सूची जारी कर सकेगी ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) अनुभाग अधिकारी ग्रेड की 1983 की प्रवर सूची में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित जोन (वरिष्ठता रैंज) निर्धारित किए गए हैं :—

(i) सामान्य उम्मीदवारों के सम्बन्ध में

21-8-80 को जारी की गई सहायकों की अनुपूरक सामान्य वरिष्ठता सूची में क्रम सं० 700 तक के सभी अधिकारी।

(ii) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के सम्बन्ध में

21-8-80 को जारी की गई सहायकों की अनुपूरक सामान्य प्रवर सूची में शामिल किए गए सभी पात्र अधिकारी और 1 7-74 को अथवा उससे पहले सहायकों की प्रवर सूची में शामिल किए गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सभी स्थायी सहायक और उनसे वरिष्ठ अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सीधी भर्ती वाले सभी स्थाई सहायक।

(ग) और (घ) तेईस अर्धशासकीय पत्र लिखकर उन्हें पहले ही स्मरण करा दिया गया है कि वे सूचना शीघ्र भेज दें।

(ङ) सरकार प्रवर सूची को यथा सम्भव शीघ्र जारी करने के लिए उत्सुक है।

राजधानी में डाकुओं द्वारा दो व्यक्तियों की गोली मार कर हत्या

7968. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 अप्रैल, 1984 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित "टू शाट डेड बाई रावर्स इन कैपिटल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यमुनापार के डी० डी० ए० फ्लैटों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ;

(ग) क्या डाकुओं को गिरफ्तार किया गया है, सरकार ने शोक संतप्त परिवारों को सरकारी नौकरी सहित कितना मुआवजा दिया है ; और

(घ) क्या यमुनापार क्षेत्र का स्तर बढ़ाने के लिए कुछ केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों को स्थानान्तरित करने हेतु उनके मंत्रालय का विचार निर्माण और आवास मंत्रालय से अनुरोध करने का है ; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) यमुना बिहार कालोनी में दो पुलिस सहायता केन्द्र गठित किए गए हैं । रात्रि और दिन की गस्त गहन की गई है । इस क्षेत्र में वाहनों/विक्रेताओं की जांच की जा रही है । ज्ञात बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है । क्षेत्र में कार्य कर रहे चौकीदारों और घरेलू नौकरों के चरित्र और पूर्व-वृत्त की जांच प्रारम्भ की गई हैं ।

(ग) दो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और शेष अभियुक्तों को पकड़ने के प्रयत्न जारी हैं । दिल्ली प्रशासन ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00 रु० की अनुग्रह पूर्वक अनुदान स्वीकृत किया है । पुलिस आयुक्त दिल्ली द्वारा अपराधियों का पीछा करने में बहादुरी के कार्य करने के लिए स्वर्गीय श्री बुन्दू खां के परिवार को 2,000 रु० का पुरस्कार दिया है ।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, क्योंकि यमुना पार के क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को स्थानान्तरित करना कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने में कोई सहायक नहीं होगा ।

माचिसों आदि की क्रय नीति

7969. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या **उद्योग मंत्री** माचिसों को लघु क्षेत्र के उद्योगों के लिए आरक्षित करने के बारे में 28 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5157 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भण्डारों की क्रय नीति को कार्यान्वित करने के लिए मंत्रालयों/विभागों और वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों को जारी किए गए अनुदेशों की प्रतियां सभा पटल पर रखी जायेंगी ;

(ख) क्या इन अनुदेशों में दिल्ली में कार्यरत सुपर बाजार और केन्द्रीय भण्डारों को शामिल किया गया है ; और

(ग) यदि सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा अनुदेशों का कार्यान्वयन नहीं किया जाए तो माचिसों का निर्माण करने वाले लघु क्षेत्र उद्योगों के लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) केन्द्रीय भण्डार खरीद नीति को

कार्यान्वित करने के लिए मंत्रालयों/विभागों/वित्तीय संस्थानों और बैंकों को जारी किए गए अनुदेशों के सम्बद्ध उद्धरणों को सभा-पटल पर रख दिया जायेगा। सामान्य लेखा परीक्षा सम्बन्धी अपेक्षाओं को पूरा करने के सन्दर्भ में ये अनुदेश क्रेता संगठनों के लिए मार्ग सिद्धांत हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जब कभी इस प्रकार के प्रसंग सरकार की जानकारी में लाये जाते हैं; इस सम्बन्ध में सम्बन्धित एजेंसियों से वस्तुस्थिति मालूम कर कार्रवाई की जाती है।

तिरुचि में 'भेल' के बायलर प्लांट के लिए विस्तार-कार्यक्रम

7970. **श्री एन० सेलवाराजु** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा तिरुचि में 'भेल' के बायलर प्लांट के लिए किन विस्तार कार्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान की गई है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : सरकार ने कुल 29.83 करोड़ रुपए की लागत से बी० एच० ई० एल०, तिरुचि में बायलर प्लांट के एक विस्तार कार्यक्रम के लिए जून, 1979 में स्वीकृति दी थी।

देश में अल्यूमिनियम की पूर्ति की स्थिति

7971. **श्री गुफरान आजम** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अल्यूमीनियम की पूर्ति की कमी के कारण रुग्ण हो रहे हजारों औद्योगिक एककों को राहत प्रदान करने के लिए देश में अल्यूमिनियम की पूर्ति की स्थिति में सुधार करने हेतु कोई ठोस और दीर्घावधि कदम उठाए हैं;

(ख) अल्यूमिनियम की तेजी से बढ़ रही मांग और इसकी निरन्तर अपर्याप्तता को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा खनिज और धातु व्यापार निगम को इसका रक्षित भण्डार रखने की अनुमति न दिए जाने के कारण क्या हैं जैसा कि जस्ते, निक्कल और अन्य धातुओं के मामले में दी हुई है; और

(ग) गत 14 महीनों से भारतीय बाजारों में चल रही भारी मुनाफाखोरी को ध्यान में रखते हुए समाज के कुछ वर्गों के लोगों द्वारा किए जा रहे शोषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) मुख्यतः अपर्याप्त बिजली पूर्ति के कारण देश में अल्यूमिनियम प्रद्रावकों की क्षमता का कम उपयोग हो रहा है तथा घरेलू उपयोग के लिए एल्यूमिनियम की उपलब्धि पर प्रतिकूल असर पड़ा है। सम्बन्धित राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि एल्यूमिनियम प्रद्रावकों को उत्पादन में वृद्धि करने के लिये समुचित बिजली सप्लाई करें। दीर्घकालीन नीति के रूप में बाल्को के लिए ग्रहीत विद्युत संयंत्र तथा उड़ीसा में ग्रहीत विद्युत संयंत्र सहित एक नए एल्यूमिनियम कम्पलैक्स निर्माण चल रहा है।

(ख) खनिज और धातु व्यापार निगम विदेशी मुद्रा की उपलब्धि को देखते हुए उपयुक्त बफर स्टाक रखेगा।

(ग) मांग और उत्पादन के अन्तर को पूरा करने के लिये भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम, जो आयातक एजेंसी है, 1983-84 में 30,000 टन और 1984-85 की प्रथम तिमाही में 15,000 टन का आयात करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। एल्यूमिनियम उत्पादक तथा खनिज और धातु व्यापार निगम ने उपभोक्ताओं को एल्यूमिनियम प्रशासित दरों पर बेचा है।

हिन्दी अधिकारियों/वरिष्ठ हिन्दी अधिकारियों के पद के लिए मन्त्रालयों/विभागों के भर्ती नियम

7972. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय ने 10-15 वर्ष पूर्व अन्य मन्त्रालयों/विभागों को इस आधार पर हिन्दी अधिकारियों/वरिष्ठ हिन्दी अधिकारियों के भर्ती नियम न बनाने की सलाह दी थी कि उनका मन्त्रालय स्वयं केन्द्रीय सचिवालय में इस प्रकार के सभी पदों के लिए एक सांझी सेवा का गठन कर रहा है ;

(ख) क्या उनके मन्त्रालय द्वारा इस आशय का कोई परिपत्र जारी किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा की मोटी रूपरेखा नवम्बर, 1975 में परिचालित की गई थी। उसके बाद जब कभी किसी मन्त्रालय/विभाग ने अपने हिन्दी पदों के लिए नये भर्ती नियम बनाने या वर्तमान भर्ती नियमों में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव भेजा तो उनको सेवा के प्रस्तावित गठन को ध्यान में रखते हुए ऐसा न करने की राय दी गई।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

नरोरा परमाणु बिजली परियोजना में चोरी

7973. **श्री त्रिलोक चन्द्र** :

श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नरोरा परमाणु बिजली परियोजना में कोई चोरी हुई है ; यदि हां, तो मशीनों के चुराये गये पुर्जों और चोरी गये सामान का ब्यौरा क्या है तथा उनकी मात्रा कितनी है और इससे परियोजना को कुल कितना नुकसान हुआ है ;

(ख) चोरी का कारण और समय क्या है और इस सम्बन्ध में लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में अभी भी कोई कार्यवाही की जा रही है और इस चोरी से सम्बन्धित अधिकारियों के नाम क्या हैं ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक, इलैक्ट्रानिकी तथा महानगर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) जनवरी, 1984 में सामान्य रूप से की गई जांच के दौरान यह पाया गया था कि स्टोर यार्ड से केबल के चार ड्रम गायब थे, जिनमें लगभग 14,000 रुपए मूल्य के 2509 मीटर लम्बे इसुलेटिड तांबे के केबल थे। मामले की सूचना पुलिस को जांच के लिए दे दी गई है। इस बीच, सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा रहा है।

होमगार्डों के दैनिक भत्ते का बढ़ाया जाना

7974. **श्री अजय विश्वास** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने केन्द्र सरकार को होमगार्डों का दैनिक भत्ता बढ़ाकर 16 रुपये प्रति दिन करने का कोई प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने वर्तमान मूल्य वृद्धि पर विचार करते हुए महसूस किया है कि विभिन्न राज्यों में होमगार्डों को मिलने वाला वर्तमान दैनिक भत्ता बहुत कम है और होम गार्डों के दैनिक भत्ते को तुरन्त बढ़ाए जाने की आवश्यकता है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार त्रिपुरा सरकार के सुझाव के अनुसार होम गार्डों के दैनिक भत्ते को बढ़ाकर कम-से-कम 16 रु० प्रतिदिन करने और सभी राज्य सरकारों को तदनुसार आदेश देने का है ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने होम गार्डों के लिए ड्यूटी भत्ते की दरों में संशोधन करने की सिफारिश की थी। चूंकि ड्यूटी भत्ता मूल रूप से राज्य सरकारों द्वारा देय है, इसलिए इस मामले में राज्य के प्राधिकारियों के विचार तथा सिफारिशें मांगी गई हैं।

स्कूलों के लिए यू० के० से कम्प्यूटरों का आयात

7975. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने स्कूलों के बच्चों के लिए यू० के० से 300 करोड़ रुपए मूल्य के कम्प्यूटरों का आयात करने का निर्णय किया है (दिनांक 12-3-1984 का इकनामिक टाइम्स) ;

(ख) क्या यह सच है कि यह आयात यू० के० द्वारा भारत को उपहार स्वरूप दिए गए 6

कम्प्यूटरों वाले 5 सैटों के बाद किया जा रहा है ;

(ग) क्या सरकार देश में विशेषकर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भारी गरीबी को देखते हुए भी कम्प्यूटरों का आयात ज्यादा जरूरी समझती है ;

(घ) क्या धीरे-धीरे स्वदेश में ही कम्प्यूटर बनाना संभव नहीं हो सकता ; और

(ङ) क्या यह सच है कि वर्तमान आयातित कम्प्यूटर संतोषजनक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं जैसा कि एन० डी० डी० बी० द्वारा आयात किए गए कम्प्यूटरों से जाहिर है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालयों में उपमन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, नहीं। सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए ग्रेट ब्रिटेन से 300 करोड़ रु० मूल्य के कम्प्यूटरों के आयात के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया है। किन्तु, वर्ष 1984-85 में 250 स्कूलों के लिए प्रायोगिक परियोजना के अन्तर्गत सरकार ग्रेट-ब्रिटेन से सीमित संख्या में कम्प्यूटरों का आयात कर सकती है।

(ख) ग्रेट-ब्रिटेन द्वारा भारत को उपहार स्वरूप कम्प्यूटर उपलब्ध कराने और भारत सरकार द्वारा स्कूलों में कम्प्यूटर लागू करने तथा प्रायोगिक परियोजना के लिए सीमित संख्या में कम्प्यूटरों के आयात के निर्णय का कोई सम्बन्ध नहीं है।

(ग) उत्पादकता में सुधार लाने तथा द्रुत आर्थिक विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की दिशा में, कम्प्यूटरों का उचित उपयोग हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी तथा भुखमरी दूर करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। कम्प्यूटरों का अनुप्रयोग खाद्य उत्पादन, प्रबन्ध तथा वितरण-व्यवस्था, कृषि और शिक्षा के क्षेत्रों में होता है।

(घ) भारत सरकार की यह नीति है कि जहां भी उचित एवं संभव हो, वहां स्वदेशी-स्रोतों से प्राप्त कम्प्यूटरों का प्रयोग किया जाए। आयातित कम्प्यूटरों का प्रयोग तभी किया जाता है जब स्थानीय कम्प्यूटर आवश्यक विशिष्टियों को पूरा नहीं करते। भारत सरकार की चेष्टा हमेशा यह रही है कि देश में विनिर्माण के स्तर को सुधारा जाए ताकि हमारी कम्प्यूटरों की अधिकांश आवश्यकताओं को स्वदेशी-स्रोतों से ही पूरा किया जा सके। वस्तुतः प्रायोगिक परियोजना को छोड़कर, हमारे स्कूलों के लिए कम्प्यूटरों की आपूर्ति स्वदेशी-स्रोतों से ही किए जाने की योजना है।

(ङ) जी, नहीं।

आदिवासी क्षेत्रों में कार्यरत विदेशी एजेंसियां

7976. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के आदिवासी क्षेत्रों में कितनी विदेशी एजेंसियां सामाजिक-आर्थिक विकास संगठन के रूप में काम कर रही हैं ;

(ख) उनकी गतिविधियों का स्वरूप क्या है, वे किस देश से सम्बन्ध हैं और उनकी वित्तीय सहायता का स्त्रोत क्या है ;

(ग) क्या आदिवासी क्षेत्रों में कार्यरत कुछ विदेशी एजेन्सियों के सीमावर्ती क्षेत्रों से सम्बद्ध होने के कारण आदिवासी क्षेत्रों में व्याप्त अशांति के कुछ मामले सरकार की जानकी में आये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उग्रवादियों द्वारा ग्राम सरपंच की हत्या

7977. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 मार्च, 1984 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि उग्रवादियों ने कपूरथला में एक ग्राम सरपंच की गोली मार कर हत्या कर दी और फिरोजपुर में एक शीतल भंडार के मालिक को पिस्तौल दिखाकर लूट लिया ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) सरकार ने समाचार देखा है।

(ख) 23 मार्च, 1984 को श्री करतार चन्द को गांव खानपुर में उसके खेत में स्थित उसके मकान में कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मार दी। इस घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली, कपूरथला में भा० दं० सं० की धारा 302/148/149 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है।

23 मार्च 1984 को लगभग 7.45 बजे श्री अमरजीत सिंह सेठी, फिरोजपुर शहर निवासी अपने "कोल्ड स्टोरेज" से कार में लौट रहा था। रास्ते में तीन अज्ञात सशस्त्र व्यक्तियों ने घात लगायी और उससे 900 रु०, एक सोने का कड़ा और मुद्रिका छीन ली। इस घटना के सम्बन्ध में भा० दं० सं० की धारा 382 के तहत थाना शहर फिरोजपुर में एक मामला दर्ज किया गया है।

जनरेटर सेटों के आयात पर प्रतिबन्ध

7978. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विदेशी कम्पनियों द्वारा जनरेटर सेटों के वास्तविक रूप से देर लगा देने के कारण अब इसके बाद आयात संबंधी सभी अनुरोध एसोसिएशन आफ इण्डियन इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्री के माध्यम से किए जायेंगे ; और

(ख) जनरेटर सेटों तथा 4000 के० वी० ए० तक के वेयर आल्टरनेटरों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के विलम्ब के क्या कारण है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) विद्युत जनित्रण उपकरणों का आयात देशी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सरकार की आयात-निर्यात नीति के उपबन्धों द्वारा नियन्त्रित किया जाता है।

टायर कम्पनियों द्वारा क्षमता का उपयोग

7979. **श्री बी० के० नायर** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्य कर रही टायर कम्पनियों की संख्या कितनी है ;

(ख) उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है और पिछले पांच वर्षों के दौरान इसका कितना उपयोग किया गया है ;

(ग) क्या मूल्यों में वृद्धि करने के लिए इन कम्पनियों द्वारा प्रायः टायर उत्पादन जान-बूझकर कम किया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी उपयोजना का कार्यान्वयन

7980. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी उपयोजना को सन्तोषजनक रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उप-योजना क्षेत्रों में आदिवासी उप-योजना कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कोई सक्षम तंत्र स्थापित नहीं किया है ;

(ग) क्या इन क्षेत्रों में नियुक्त परियोजना अधिकारियों के पास उपयोजना कार्यक्रमों पर निगरानी रखने और उनके कार्यान्वयन के लिए अपना स्वतन्त्र तंत्र नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्योरा क्या है ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

एकक का नाम	1979			1980		
	अधिष्ठापित क्षमता (लाख नग)	उत्पादन (सं०)	उपयोग का प्रतिशत	अधिष्ठापित क्षमता (लाख नग)	उत्पादन (सं०)	उपयोग का प्रतिशत
1. डनलप साहागंज	11.41	10,17,200	89	11.41	11,31,800	99
2. डनलप अम्बात्तूर	5.80	5,58,800	96	5.80	6,53,100	112
3. बम्बई टायर्स	11.00	7,70,100	70	11.00	7,79,900	71
4. सीयट टायर्स	8.50	10,37,00	122	8.50	11,56,400	136
5. गुडईयर	6.00	4,63,900	77	6.00	6,39,400	106
6. प्रीमियर	3.00	3,00,900	100	3.00	2,03,700	68
7. ईचेक	3.00	87,800	29	3.00	89,000	29
8. एम० आर० एफ० मद्रास	6.10	5,11,700	34	6.10	5,86,100	96
9. एम० आर० एफ० गोवा	6.10	3,13,000	78	4.00	3,15,200	79
10. एम० आर० एफ० अरकोनम	2.50	55,700	22	2.50	1,43,800	57
11. मोदी रबर	4.00	7,17,200	179	4.00	9,02,600	225

12. जे० के० इण्डस्ट्रीज	4.00	5,43,900	136	4.00	3,78,300	94
13. अपोलो	4.00	1,74,500	44	4.00	2,51,100	63
14. फ्ल्कन	3.00	4,48,100	149	5.00	5,09,200	102
15. विक्रांत	4.00	—	—	4.00	1,08,600	27
16. स्टालियन	1.08	—	—	1.80	—	—
17. यू० पी० टायर	—	—	—	—	—	—
18. टनफोर्ट	200	—	—	200	—	—
19. श्रीचक्र टायर	—	—	—	—	—	—
योग :	84.11	69,99,800	83	84.11	78,48,200	93

क्रम सं०	1981 अधिष्ठापित क्षमता (लाख नग)	1981 उत्पादन (सं०)	1981 उपयोग का प्रतिशत	1982 अधिष्ठापित क्षमता (लाख नग)	1982 उत्पादन (सं०)	1982 उपयोग का प्रतिशत	1983 अधिष्ठापित (लाख नग)	1983 उत्पादन (सं०)	1983 उपयोग का प्रतिशत
1.	12.91	11,41,001	88	12.91	10,49,433	81	12.91	9,86,014	76
2.	6.30	6,84,739	108	6.30	7,98,137	127	6.30	7,46,330	118
3.	11.00	5,13,302	47	11.00	9,66,284	79	11	11,85,139	103
4.	10.10	12,37,967	122	10.10	14,19,598	140	10.10	15,64,289	155
5.	6.00	7,43,164	124	6.00	6,77,555	113	7.50	6,227,43	83
6.	3.00	3,51,538	117	3.00	2,81,714	94	6.00	1,82,536	30
7.	5.00	68,499	14	5.00	34,496	7	5.00	10,291	2
8.	6.10	6,13,969	100	7.50	5,73,394	76	7.50	5,49,850	73
9.	4.00	1,65,696	41	8.00	3,66,007	46	8.00	3,32,350	41
10.	2.50	2,91,933	117	2.50	2,75,503	110	2.50	3,37,576	135
11.	4.00	9,32,752	233	7.64	9,82,432	123	7.64	11,21,593	147
12.	4.00	4,98,738	125	4.70	3,77,180	80	6.95	5,07,403	73
13.	4.00	1,26,191	31	4.00	3,03,783	76	4.00	2,97,737	74
14.	7.00	6,14,012	88	8.00	5,52,300	69	3.00	5,04,254	63

15.	5.00	3,37,404	84	4.00	2,89,683	72	5.00	3,44,354	69	
16.	1.80	—	—	1.80	—	—	1.80	1,13,919	63	
17.	—	—	—	5.00	91,741	18	5.00	51,004	10	
18.	2.00	—	—	2.00	—	—	2.00	—	—	
19.	—	—	—	—	—	—	6.00	2,129	0.4	
योग	93.71	82,30,565	89	109,45	89,39,293	82	123.20	94,59,511	77	

(ग) जी नहीं श्रीमान।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशों में कार्यरत आणविक वैज्ञानिकों की संख्या

7981. **श्री ब्रज मोहन महन्ती** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आणविक वैज्ञानिकों की कुल संख्या क्या है और विदेशों में कार्यरत ऐसे वैज्ञानिकों की संख्या क्या है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की कोई जानकारी है कि उनमें से कितने भारतीय वैज्ञानिक किन देशों में काम कर रहे हैं ;

(ग) क्या सभी आणविक वैज्ञानिकों को उचित रोजगार प्राप्त है ;

(घ) भारत सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप कितने ऐसे वैज्ञानिक स्वदेश लौट आए हैं ; और

(ङ) क्या भारत के आणविक विकास कार्यक्रम चलाने के लिए सरकार के पास आणविक वैज्ञानिकों की कमी है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) भारत में तथा विदेशों में काम करने वाले भारतीय न्यूक्लियर वैज्ञानिकों की कोई भी सूची नहीं रखी जाती।

(घ) तथा (ङ) हालांकि भारत के न्यूक्लियर ऊर्जा सम्बन्धी विकास कार्यक्रम के लिए न्यूक्लियर वैज्ञानिकों की कोई भी कमी महसूस नहीं की जा रही है फिर भी सरकार ने हमेशा इस बात का स्वागत किया है कि विदेशों में बसे हुए भारतीय न्यूक्लियर वैज्ञानिक भारत वापिस लौटें और यहां काम करें।

ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स का निर्माण

7982. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स का निर्माण करने वाली कम्पनियों का ब्यौरा क्या है गत तीन वर्षों के दौरान उनकी लाइसेंस शुदा और अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी और उनका वार्षिक उत्पादन कितना था ;

(ख) क्या ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स का निर्माण बांगूर एण्ड झुनझुनवाला समूहों का एकाधिकार है और क्या वे इसके लिए भारी काला बाजारी दाम ले रहे हैं ;

(ग) क्या भारत में ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स के मूल्य अन्य कई देशों में मौजूद मूल्यों की तुलना में अधिक हैं ;

(घ) क्या सरकार ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स के निर्माण के लिए और कारखाने स्थापित करने के लिए लाइसेंस नहीं दे रही है और कुछ आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए गए अथवा लम्बित पड़े हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अस्वीकार करने तथा लम्बित रखने के क्या कारण हैं और लम्बित पड़े आवेदन पत्रों पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ङ) उत्पाद की बनावटी कमी को दूर करने, उसमें काला-बाजारी का उन्मूलन करने, काला बाजारियों को गिरफ्तार करने और उनसे देय सरकारी कर वसूल करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि रामा राव) : (क) संगठित क्षेत्र में ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स का उत्पादन करने वाली कम्पनियों के नामों उनकी लाइसेंसीकृत और अधिष्ठापित क्षमता तथा पिछले तीन वर्षों में उसके वार्षिक उत्पादन को बताने वाली एक सूची विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ख) मे० ग्रेफाइट इण्डिया लि० और मे० हिन्दुस्तान इलैक्ट्रो ग्रेफाइट क्रमश: बांगुर और झुन-झुनवाला समूह की कम्पनियां हैं । इस मन्त्रालय को काला-बाजार में अधिक कीमत वसूले जाने के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ग) जी, हां।

(घ) क्षमता सम्बन्धी कठिनाई को देखते हुए ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स के उत्पादन के लिए और अधिक कारखाने लगाने हेतु अतिरिक्त क्षमता स्वीकृत नहीं की जा रही है। विद्यमान में आन्तरिक बिक्री के लिए ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स और ऐनोड्स का उत्पादन करने के लिए अतिरिक्त क्षमता की स्वीकृति देने पर उच्च न्यायालय का अवरोधक अंतिरित व्यादेश लगा हुआ है। मे० हिन्दुस्तान इलैक्ट्रो ग्रेफाइट और मे० ग्रेफाइट इंडिया को शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख योजना के अधीन एककों की स्थापना करने की हाल ही में अनुमति प्रदान की गई है। निम्नलिखित चार आवेदनपत्रों को क्षमता विषयक कठिनाई के कारण अस्वीकृत कर दिया गया है :—

1. मे० कम्पोनेंट एण्ड मशीनरी कारपोरेशन।
2. मे० बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०।
3. मे० हिन्दुस्तान इलैक्ट्रो ग्रेफाइट लि० (विस्तार योजना)।
4. मे० ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड।

ग्रेफाइट इलैक्ट्रोडों का उत्पादन करने सम्बन्धी कोई भी आवेदन-पत्र सरकार के पास अनिर्णीत पड़ा हुआ नहीं है।

(ङ) बनावटी कमी पैदा करने तथा काला बाजार में अधिक कीमत वसूलने के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।

विवरण

ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स का उत्पादन करने वाली कम्पनियों के नामों तथा उनकी लाइसेंस शुदा और अधिष्ठापति क्षमता तथा विगत तीन वर्षों के दौरान उनकी वार्षिक क्षमता को दर्शाने वाला विवरण

	कम्पनी का नाम	स्वीकृत	अधिष्ठापित	उत्पादन मी० टनों में		
				1981	1982	1983
1.	मे० ग्रेफाइट इंडिया लि०					
	दुर्गापुर एकक	4590	4590	3465	2871	3407
	बंगलौर एकक	10083	10083	5053	3668	2707
	शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख					
	एकक	2500	—	—	—	—
2.	मे० हिन्दुस्तान इलैक्ट्रो ग्रेफाइट लि०, मणिदीप (मध्य प्रदेश)	8500	8500	9172	8403	10271
3.	100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक	—	—	—	—	—
4.	मे० कार्बन कारपोरेशन	10000	5000	2970	2748	3294

राजस्थान के पेयजल और सड़कों हेतु आबंटन

7983. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :**

श्री चतुर्भुज :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने राजस्थान राज्य की उपेक्षा की है और वर्ष 1984-85 के लिए इसकी वार्षिक योजना में कोई वृद्धि नहीं की है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने पेयजल और सड़कों हेतु आबंटन को काफी कम कर दिया है ;

(ग) क्या केन्द्र सरकार इस गरीब राज्य को अन्य राज्यों के समकक्ष लाएगी ;

(घ) यदि हां, तो किस तरह और इस बारे में पूरा ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) संसाधनों की अत्यधिक बाध्यकारिता को ध्यान में रखते हुए। 1984-85 की वार्षिक योजना के लिए परिव्यय में 1983-84 के अन्तिम स्तर के आगे वृद्धि नहीं की जा सकी। वस्तुतः इस आकार को सुनिश्चित करने के लिए भी वर्ष 1983-84 के अन्त में घाटे का समायोजन न करने आदि जैसी विशेष सुविधा देनी पड़ी।

(ख) वर्ष 1984-85 के लिए क्षेत्रकीय परिव्यय 1984-85 के वार्षिक योजना दस्तावेज में दिखाये जाएंगे जो राज्य बजटों के अन्तिम रूप दिए जाने के शीघ्र पश्चात संसद में रखा जायेगा।

(ग) और (घ) वार्षिक योजनाओं को राज्य सरकार के समग्र संसाधनों को ध्यान में रखकर अंतिम रूप दिया जाता है। जहां तक केन्द्रीय सहायता का सम्बन्ध है, ये राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा सुझाये गए फार्मूले के आधार पर वितरित की जाती है जो कुछ स्वीकृत आर्थिक मानदण्डों के आधार पर राज्यों के पिछड़ेपन को ध्यान में रखता है।

संत भिन्डरावाला के विरुद्ध मामले

7984. **श्री रामविलास पासवान** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय संत भिंडरावाला के विरुद्ध कितने मामले चल रहे हैं और कितने मामलों में संत भिंडरावाला के विरुद्ध वारंट जारी किए गए ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाशचन्द्र सेठी) : श्री जनरनैल सिंह भिंडरावाले के विरुद्ध ग्यारह मामले दर्ज किए गए हैं जिनकी जांच पड़ताल की जा रही है। इन मामलों में उनके विरुद्ध अब तक कोई वारंट जारी नहीं किए गए हैं।

बैला डिला मजदूर संघ से प्राप्त अभ्यावेदन

7985. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें बैला डिला मजदूर संघ (सी० आई० टी० यू०) बचेली हिप टाप (मध्य प्रदेश) से दिनांक 16 मार्च, 1984 की अभ्यावेदन संख्या बी० एम० यू० डी०/5/84/209 प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या उन्होंने बचेली खानों के भण्डारों से पिंड खनिज के निर्गम में भारी अनियमितताओं की शिकायत की है ;

(ग) क्या सरकार शिकायत की जांच करने के लिए कार्यवाही कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में की जाने वाली जांच का स्वरूप क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) अभ्यावेदन में उठाए गए मुद्दों पर टिप्पणियां भेजने के लिए यह मामला नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन को भेज दिया गया है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हो जाने में पश्चात् ही इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

उड़ीसा में उद्योगों की स्थापना

7986. **श्री रास बिहारी : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश के गैर-औद्योगिक जिलों में, विशेषकर उड़ीसा के पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में, उद्योग स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ;

(ख) क्या सरकार के निर्णयानुसार उड़ीसा में प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं ने कार्य करना शुरू कर दिया है ;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1984 में शामिल किए गए जिलों के नाम क्या हैं ;

(घ) उड़ीसा के गैर औद्योगिक जिलों में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के सरकार के कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या उड़ीसा में भवानी पोप कालाहांडी, जहां कोई प्रमुख उद्योग नहीं है ; को गैर औद्योगिक जिलों में शामिल नहीं किया गया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि रामा राव) : (क) से (ङ) पता लगाए गए उद्योग रहित जिलों और पिछड़े क्षेत्रों को दी जाने वाली रियायतों और प्रोत्साहनों के साथ-साथ केन्द्रस्थ संयत्रों को प्रमाणित करने के लिए निर्धारित कसौटी सहित उन्हें मिलने वाली अतिरिक्त रियायतों की घोषणा दिनांक 27-4-1983 के प्रेस टिप्पण द्वारा की गई है (इस टिप्पण की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं)।

उड़ीसा में किसी भी केन्द्रस्थ संयंत्र द्वारा कार्य आरम्भ किए जाने के बारे में भारत सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। वर्ष 1982 और 1983 के दौरान उड़ीसा के तीन उद्योगरहित जिलों को क्रमशः 15 और 8 आशय पत्र स्वीकृत किए गए हैं।

कालाहांडी जिला "उद्योग-रहित जिला" नहीं है क्योंकि यह "उद्योग-रहित जिले" के रूप में घोषित किए जाने सम्बन्धी मानदण्ड को पूरा नहीं करता है।

नदियों से पर्यावरण प्रदूषण का खतरा

7987. **श्री सत्य गोपाल मिश्र : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश को नदियों से पर्यावरण प्रदूषण का कोई खतरा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने पर्यावरण को नदी प्रदूषण से बचाने के लिए क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जल प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण के केन्द्रीय बोर्ड के अनुसार देश में बड़ी नदियों का प्रदूषण सम्बन्धी स्तर नीचे दिया गया है—

गंगा : गंगा नदी का पानी कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना और कलकत्ता की ओर अनुप्रभाव में प्रदूषित होता जाता है।

यमुना : यमुना नदी के जल का प्रदूषण दिल्ली से आरम्भ होकर मथुरा और आगरा से इटावा तक होता है।

अन्य अन्तर्राज्यीय बड़ी नदियां

साबरमति : इस नदी का पानी अहमदाबाद और गुजरात के अनुप्रभाव में प्रदूषित पाया गया।

नर्मदा : गुजरात में गुरुदेश्वर के पास नर्मदा नदी के पानी को प्रदूषित पाया गया।

गोदावरी : मुख्य नदी का पानी धालगांव महाराष्ट्र में प्रदूषित है। गोदावरी नदी की एक धारा वेनगंगा का पानी आश्ती, महाराष्ट्र में प्रदूषित है।

कृष्णा : कृष्णा नदी की एक धारा भीमा के पानी को पुणे के अनुप्रभाव में महाराष्ट्र के तकल नामक स्थान पर प्रदूषित पाया गया।

ताप्ती : इस नदी का पानी मध्य प्रदेश में बरहामपुर के पास प्रदूषित है।

(ग) केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड औद्योगिक अपशिष्टों को नदियों में और अन्य जल निकायों में प्रवाहित करने से पूर्व उनका उपयुक्त उपचार की व्यवस्था करने के लिए उद्योगों को विनियमित कर रहे हैं, जहां आवश्यक हो, कानूनी कार्यवाही भी की जा रही है।

पंजाब के आंदोलनकर्त्ताओं और उग्रवादियों के बारे में श्वेत-पत्र

7989. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब में आंदोलनकर्त्ताओं तथा उग्रवादियों द्वारा स्थापित असमर्थताओं तथा उनके समुदाय पर की जा रही ज्यादतियों के बारे में इस समय किए जा रहे अत्याधिक प्रचार का खण्डन करने के लिए एक "श्वेत पत्र" तैयार करने की आवश्यकता पर किसी स्तर पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसको कब तक प्रकाशित करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) सरकार ने कोई "श्वेत पत्र" जारी करना आवश्यक नहीं समझा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस सम्बन्ध में समय-समय पर सदन को सूचना दी जाती है।

उत्पादन लागत को कम करने के लिए उद्योगों से अपील

7990. **श्री मोती भाई आर० चौधरी :**

श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्पादन लागत को कम करने तथा उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए उद्योगों से विशेष अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या हैं ;

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ;

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक एककों द्वारा भी इस दिशा में कोई प्रगति की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव): (क) से (ग) अधिष्ठापित क्षमता का इष्टतम उपयोग करना, उत्पादन को अधिकतम करना तथा उत्पादन लागत में कमी करके अधिक उत्पादकता प्राप्त करना जुलाई, 1980 के औद्योगिक नीति विवरण के महत्वपूर्ण आर्थिक उद्देश्य हैं।

अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक लाइसेंस देने और आयात नीतियों में उपयुक्त परिवर्तन करने के अतिरिक्त आर्थिक और वित्तीय उपाय करके तथा अवस्थापना में सुधार करके इन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के विनिर्माण/उत्पादन वर्ग की उत्पादन लागत में वर्ष 1981-82 की तुलना में वर्ष 1982-83 में गिरावट आई है जिसे इस तथ्य से भी देखा जा सकता है कि उत्पादन मूल्य से उत्पादन लागत का प्रतिशत 1981-82 में 98 प्रतिशत से घटकर 1982-83 में 97 प्रतिशत रह गया है तथा बिक्री में उत्पादन लागत का प्रतिशत 1981-82 के 92.5 प्रतिशत से कम होकर 1982-83 में 91.5 प्रतिशत रह गया है।

ब्लेड के निर्माण के लिए मैसर्स जिल्लेट और मैसर्स पोद्दार्स के बीच हुए समझौते को स्वीकृत न किया जाना

7991. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेजर ब्लेडों के निर्माण के लिए अमेरिकी बहुराष्ट्रिक कम्पनी जिल्लेट और मैसर्स हाउस आफ पोद्दार्स के बीच हुए समझौते को स्वीकृति नहीं दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या देश में बिक्री के लिए आम खपत की वस्तुओं पर विदेशी मार्क के नामों के प्रयोग को अनुमति न दिए जाने सम्बन्धी सभी अन्य मामलों में अपनाई गई सरकार की नीति और व्यवहार को विफल बनाने के लिए मैसर्स पोद्दार्स का विचार विदेशी मार्क के नाम का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप में करने का है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) सरकार ने रेजर ब्लेडों का उत्पादन करने के लिए मैसर्स हाउस आफ पोद्दार्स का अमरीका की जिल्लेट कम्पनी के साथ विदेशी सहयोग करने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) विदेशी सहयोग करार में यह व्यवस्था की गई है कि "संयुक्त उपक्रम कम्पनी" एक नया भारतीय ब्रांड नाम (जिसका दोनों पार्टियों के बीच निर्णय किया जाएगा) का उपयोग करेगी। जिसमें एक भिन्न भारतीय अथवा अन्य नाम होगा जो "सेवन ओ क्लाक" ट्रेड मार्क से मिलता-जुलता ही रखा जाएगा ताकि यह इसका स्पष्ट रूप से भारतीय ब्रांड नाम होने का आभास हो सके।

हिप्पियों के बारे में आंकड़े

7992. **श्री अनन्तरामुलु मल्लु** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने देश में दिन-प्रति-दिन हिप्पियों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उनके बारे में कोई आंकड़े एकत्रित किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार उनकी संख्या क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि नशीले पदार्थों के वशीभूत होकर अश्लीलता में लिप्पत रहने वाले हिप्पियों से भारतीय युवा लड़कों और लड़कियों के चरित्र पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारत में उनके आने पर रोक लगाने अथवा उनके अनैतिक कार्यों पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) "हिप्पी" शब्द की ठीक-ठीक परिभाषा न होने के कारण, ऐसे विदेशियों के आने के बारे में कोई विश्वस्त सूचना नहीं है।

(ग) और (घ) ऐसे व्यक्तियों के भारत में प्रवेश को सीमित करने की दृष्टि से, जो नशीले पदार्थों के उपयोग, अश्लील व्यवहार, आवारागर्दी, भिक्षावृत्ति आदि में लिप्त होने के कारण समाज के लिए मुसीबत बने हों, विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों को ऐसे व्यक्तियों को वीजा मन्जूर करते समय

विशेष रूप से सतर्कता बरतने के स्थायी आदेश हैं। राज्य सरकारों को भी उपयुक्त रूप से यह सलाह दी गई है कि वे ऐसे विदेशियों की गतिविधियों पर सावधानी पूर्वक नजर रखें ओर कानून की कोई अवहेलना किए जाने पर तुरन्त दण्डात्मक कार्रवाई करें।

पंजाब में निहंगों के वेश में पाकिस्तानी गुप्तचर

7993. **श्री के० मालन्ना :**

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कुछ पाकिस्तानी जासूसों द्वारा भारत में घुसपैठ करने की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या पंजाब अथवा सीमावर्ती क्षेत्रों के पास कुछ पाकिस्तानी जासूसों को निहंगों के वेश में पाया गया है ; और

(घ) क्या भारत सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ पता चला है कि पाकिस्तान में ऐसी कौन सी ऐजेंसी सक्रिय है जिसने अपने जासूस पंजाब में भेजे हैं और इन जासूसों का उद्देश्य क्या है ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) पंजाब सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 1-1-1983 से 30-11-83 तक की अवधि के दौरान जासूसी गतिविधियों के कारण 11 (ग्यारह) पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किए गए।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले संवेदनशील मामलों पर विचार-विमर्श करना लोकहित में नहीं है।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिवों और उप-सचिवों की नियुक्ति

7994. **श्री मूल चन्द डागा : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय में निरन्तरता के हित में निदेशक के पद तक सचिवालय के सभी पदों पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी० एस० एस०) के अधिकारियों को नियुक्त किया जाना अपेक्षित है ;

(ख) क्या 1983 वर्ष के लिए अवर सचिव उप सचिव के रूप में नियुक्ति हेतु पैनल में रखे गए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं जबकि अन्य सेवाओं के अधिकारियों को रिक्त पदों पर नियुक्त किया जा रहा है ;

(ग) क्या सरकार का उन सभी अधिकारियों के नियुक्ति आदेश जारी करने का प्रस्ताव है जिन्हें अपने मन्त्रालयों/विभागों में पिछले दो मास में नहीं खपाया जा सका जैसाकि केन्द्रीय सरकार की अन्य सभी सेवाओं में किया जा रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, नहीं । केन्द्रीय सचिवालय में अवर सचिव और इसके ऊपर के पद किसी सेवा विशेष के सदस्यों के लिए आरक्षित नहीं हैं। ये पद कार्य के प्रभावी निष्पादन के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, सेवा, अनुभव और विशेष प्रशिक्षण को ध्यान में रखते हुए भरे जाते हैं।

(ख) अवर सचिव/उप सचिव के रिक्त पदों के लिए अन्य संगठित सेवाओं के अधिकारियों के साथ-साथ केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I/चयन ग्रेड प्रवर सूची के अधिकारियों पर भी निरपवाद रूप से विचार किया जाता है जिसमें प्रत्येक पद के कार्यों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखा जाता है और केंद्रीय सचिवालय सेवा सहित विभिन्न संगठित सेवाओं के अधिकारियों में से किसी अधिकारी के चुनाव की अन्तिम पसन्द सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालय/विभाग की होती है।

(ग) तथा (घ) चूंकि अवर सचिव या इसके ऊपर के पद किसी विशेष सेवा के सदस्यों के लिए आरक्षित नहीं होते इसलिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की तैनाती के सम्बन्ध में आदेश जारी करने का प्रश्न तब तक नहीं उठता जब तक कि उन्हें अपने मन्त्रालय/विभाग में न खपाए जाने की स्थिति में अन्य मन्त्रालयों/विभागों द्वारा नहीं चुन लिया जाता और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित नहीं किया जाता।

भारत-जापान सहयोग

7995. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक क्षेत्र सम्बन्धी भारत-जापान द्विपक्षीय सहयोग, जो अब तक बहुत कम था, में काफी सुधार आया है ;

(ख) क्या वर्ष 1958 से 1981 तक की अवधि की तुलना में वर्ष 1982 से सहयोग ने, तकनीकी और वित्तीय क्षेत्रों में जापान द्वारा अधिक बढ़-चढ़कर भाग लेने के कारण नया आयाम प्राप्त किया है ;

(ग) यदि हां, तो भारत और जापान के बीच औद्योगिक सहयोग में कितना सुधार हुआ है ; और

(घ) किन अन्य सुधारों के बारे में विचार किया जा रहा है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1958 से 1983 की अवधि के दौरान जापान के साथ तकनीकी और वित्तीय दोनों प्रकार की वर्षवार सहयोग स्वीकृतियों की संख्या दी गई है।

विवरण

वर्ष	जापानी पार्टियों के साथ कुल स्वीकृतियां		
	वित्तीय	तकनीकी	कुल
1	2	3	4
1958	3	3	6
1959	9	6	15
1960	3	47	50
1961	2	43	45
1962	5	24	29
1963	4	40	44
1964	2	35	37
1965	5	26	31
1966	2	16	18
1967	8	13	21
1968	1	11	12
1969	1	16	17
1970	4	11	15
1971	6	29	35
1972	2	25	27
1973	2	34	36
1974	4	24	28
1975	3	20	23

1	2	3	4
1976	—	—	10
1977	—	—	20
1978	2	26	28
1979	—	—	12
1980	5	29	34
1981	4	23	27
1982	5	46	51
1983	7	51	58

इलेक्ट्रानिक आयोग का पुनर्गठन

7996. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक आयोग का पुनर्गठन किया गया है ;

(ख) पिछले इलेक्ट्रॉनिक आयोग का कार्यकाल कब समाप्त हुआ था और इसका पुनर्गठन कब किया गया था और कितने वर्षों के लिए ; और

(ग) आयोग के सदस्यों के नाम क्या हैं और पुनर्गठित आयोग की शक्तियां क्या हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) तथा (ख) इलेक्ट्रानिकी आयोग का पिछला कार्यकाल दिनांक 30 सितम्बर, 1983 को समाप्त हो गया और दिनांक 1 अक्तूबर, 1983 से एक वर्ष की अवधि के लिए इसका पुनर्गठन किया गया है ।

(ग) 1 अप्रैल, 1984 की स्थिति के अनुसार आयोग के सदस्यों के नाम नीचे दिए अनुसार हैं :—

(1) डा० एम० एस० संजीवी राव,
इलेक्ट्रानिकी उप मन्त्री — अध्यक्ष

(2) डा० प्रेम प्रकाश गुप्त,
सचिव, इलेक्ट्रानिकी विभाग — सदस्य

(3) श्री एस० के० भटनागर,
सचिव, औद्योगिक विकास विभाग — सदस्य

(4) प्रो० सतीश धवन,
अध्यक्ष, अन्तरिक्ष आयोग, बंगलौर — सदस्य

(5) श्री आर० गणपति,
सचिव, व्यय विभाग — सदस्य (वित्त)

(6) श्री के० थॉमस कोड़ा,
सचिव, संचार मन्त्रालय — सदस्य

(7) प्रो० एस० सम्पत,
निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर — सदस्य

पुनर्गठित आयोग की शक्तियां

आयोग की शक्तियां वही रहेंगी जो पिछले आयोग की थीं। इलेक्ट्रानिकी आयोग के गठन के सम्बन्ध में (दिनांक 9 जुलाई, 1976 तथा 11 नवम्बर, 1982 को यथा संशोधित) दिनांक 1 फरवरी, 1971 के संकल्प की एक प्रतिलिपि संलग्न है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आयोग की शक्तियों का भी उल्लेख किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-8202/84]

राजस्थान में पिछड़े जिलों की घोषणा

7997. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कितने जिलों को औद्योगिक दृष्टिकोण से पिछड़ा जिला घोषित किया गया है ;

(ख) किसी जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ;

(ग) चित्तौड़गढ़ के औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला घोषित न किए जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या चित्तौड़गढ़ जिले का विकास सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में उसे औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) औद्योगिक दृष्टि से

पिछड़े क्षेत्रों का "क", "ख" और "ग" तीन श्रेणियों में वर्गीकरण करने के लिए अपनाया गया मापदण्ड निम्नलिखित है :—

(1) वर्ग "क" के जिलों में "उद्योग रहित जिले" अर्थात वे जिले जिनमें कोई बड़ा या मझोला उद्योग नहीं है और "विशेष क्षेत्र" अर्थात पहाड़ी, दूर-दराज और दुर्गम क्षेत्रों वाले जिले शामिल हैं।

(2) वर्ग "ख" के जिलों में वर्ग "क" में शामिल किए गए जिलों को निकालकर पहले के केन्द्रीय राजसहायता पाने वाले जिले शामिल हैं।

(3) वर्ग "ग" के जिलों में वर्ग "क" और "ख" में शामिल किए गए जिलों को निकाल कर पहले के रियायती वित्त पाने वाले जिले शामिल हैं।

इस मापदण्ड के आधार पर राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले माना गया हैं :—

वर्ग "क"	जैसलमेर और सिरोही।
वर्ग "ख"	अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा, चुरू, नागौर और उदयपुर।
वर्ग "ग"	बांसवाड़ा, बारमेड़, डूंगरपुर, जालौर, झुंझनू, झालवाड़, सीकर और टोंक।

(ग) से (ङ) चित्तौड़गढ़ को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा नहीं माना गया है क्योंकि यह उपर्युक्त मानदण्ड को पूरा नहीं करता। चित्तौड़गढ़ को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित करने के लिए सरकार के पास इस समय कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

मन्त्रालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता

7998. **श्री निहाल सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रियों के साथ सम्बद्ध स्टाफ कार चालकों को 23 दिसम्बर, 1982 से बढ़ी हुई दरों पर समयोपरि भत्ते की अदायगी की जा रही है जबकि मन्त्रालय में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों का मामला चौथे वेतन आयोग को भेज दिया गया है ;

(ख) क्या उपरोक्त मामला संयुक्त परामर्शदात्री तन्त्र की रजामन्दी से वेतन आयोग को भेजा गया है और क्या वेतन आयोग ने अन्य कर्मचारियों के लिए भी दिसम्बर, 1982 से समयोपरि भत्ते की संशोधित दरें लागू करने की सिफारिश की है ; और

(ग) यदि नहीं; तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) संयुक्त परामर्श तन्त्र की योजना में यह व्यवस्था है कि निर्वाचन बोर्ड के अधिनिर्णय में प्रस्तावित आशोधनों अथवा उसे अस्वीकार करने के कारणों को संसद के समक्ष रखने के पश्चात उक्त अधिनिर्णय में आशोधन किए जा सकते हैं अथवा उसे अस्वीकार किया जा सकता है। इस मामले में, संसद के समक्ष वित्त मन्त्री द्वारा इस आशय का एक बयान दिए जाने के पश्चात यह विषय चतुर्थ वेतन आयोग को भेजा जा रहा है। उन्हें लागू किए जाने की तारीख का निर्णय वेतन आयोग की सिफारिशें प्राप्त हो। पर ही किया जा सकता है।

जल प्रदूषण के निवारण तथा नियन्त्रण सम्बन्धी केन्द्रीय बोर्ड द्वारा निपटाए गए मामले

7949. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जल प्रदूषण के निवारण और नियन्त्रण सम्बन्धी केन्द्रीय बोर्ड द्वारा वर्ष 1974 के अधिनियम 6 के अन्तर्गत वर्ष 1974 से अब तक वर्ष-वार और राज्य-वार कितने मामलों को निपटाया गया ;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके क्या परिणाम रहे हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) क्योंकि जल प्रदूषण के निवारण एवं नियन्त्रण का केन्द्रीय बोर्ड, नई दिल्ली केवल संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्य बोर्ड के रूप में कार्य करता है केन्द्रीय बोर्ड द्वारा देखे जाने वाले मामलों की वर्ष-वार संख्या विवरण में दी गई है।

(ख) तथा (ग) ऊपर (क) में दर्शाए गए 60 मामलों में से 20 मामलों का निर्णय केन्द्रीय बोर्ड के हक में हुआ ; 16 को छोड़ दिया गया क्योंकि ये अपेक्षाकृत कम प्रदूषण सम्भाव्यता वाली छोटी इकाइयां हैं ; और 24 मामले विभिन्न न्यायालयों में कानूनी प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं में लम्बित पड़े हुए हैं।

आन्ध्र प्रदेश में परियोजना डिजाइन और विकास एवं केन्द्र की स्थापना

8000. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के राजामण्डी में परियोजना डिजाइन और विकास एवं सेवा केन्द्र के लिए एक क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश सरकार का निवेदन केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) राजामण्डी में ग्रेफाइट और सिरेमिक (चीनी मिट्टी) उद्योग के लिए एक उत्पाद और प्रोसेस विकास केन्द्र की स्थापना हेतु आन्ध्र प्रदेश सरकार का एक प्रस्ताव हुआ था।

विवरण

जल प्रदूषण के निवारण एवं नियन्त्रण के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा देखे जाने वाले मामलों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	मामलों की संख्या									
	74-75	75-76	76-77	77-78	78-79	79-80	80-81	81-82	82-83	83-84	योग
दिल्ली	—	—	—	1	8	15	2	—	23	—	49
गोवा, दमन तथा दीव	—	—	—	—	1	2	—	—	—	2	5
पांडिचेरी	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—	6
योग	—	—	—	1	12	17	2	—	26	2	60

(ख) राज्य सरकार से प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए अनुरोध किया गया है, जिसकी अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा 'सेन्टी' स्कूटर का निर्माण

8001. **श्री अनवर अहमद** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की कम्पनी स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ गत कई वर्षों से घाटे में चल रही है ;

(ख) क्या इस कम्पनी ने वर्ष 1982 में एक नए स्कूटर 'सेन्टी' का निर्माण किया ;

(ग) क्या कम्पनी ने इस स्कूटर की प्रत्येक बुकिंग के लिए 500 रु० की धनराशि बनाने के रूप में प्राप्त की थी ;

(घ) क्या अनेक व्यक्तियों ने बयाने की अपनी राशि को वापिस लेने का अनुरोध किया है, क्योंकि यह स्कूटर मार्किट में सफल नहीं रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या क्या है तथा ब्याज सहित धनराशि वापिस करने में अधिक से अधिक कितना समय लिया जा रहा है और इस स्कूटर में क्या मुख्य दोष/कमियां है तथा उन्हें कैसे दूर करने का विचार किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) जी, हां।

(घ) तथा (ङ) लगभग 45 हजार व्यक्तियों ने सेन्टो स्कूटरों की बुकिंग रद्द करने के लिए आवेदन दिए हैं। लगभग 20,000 आवेदकों को राशियां लौटा दी गई हैं और बाकी आवेदनों पर कार्यवाही हो रही है। कठिन अर्थोपाय स्थिति के कारण राशियों को लौटाने में कम्पनी को समय लग रहा है। स्कूटर में कथित खराबियों का सम्बन्ध ईंधन की अस्थिर खपत, अपर्याप्त पावर और कम्पनों से है। कुछ खराबियों को ठीक कर दिया गया है और अन्य खराबियों को भारतीय मोटरगाड़ी अनुसंधान संघ, पुणे की तकनीकी विशेषज्ञता से ठीक किया जा रहा है।

सीमेंट नीति में परिवर्तन

8002. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट नीति में कुछ परिवर्तन करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान नीतियों में क्या परिवर्तन करने का विचार किया गया है ; और

(ग) वर्ष 1984-85 में प्रस्तावित परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) 28-2-1982 से लागू

की गई सीमेंट के आंशिक विनियन्त्रण की नीति को बारीकी से मानिटर और समीक्षा की जाती है तथा सरकार द्वारा यदि इस नीति में कोई परिवर्तन करने का निर्णय किया जाता है तो उसकी सूचना सीमेंट उद्योग को उचित रूप से दी जाती है। इस नीति में परिवर्तन का यदि कोई प्रस्ताव हो तो इस स्तर पर उसका ब्यौरा इतना पहले से नहीं दिया जा सकता।

जल संसाधनों के सम्बन्ध में कार्य दल का गठन

8003. **श्री गुलाम मोहम्मद खां** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने जल संसाधनों के सम्बन्ध में एक कार्य दल गठित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) अधिसूचना की एक प्रति संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए सं० एल० टी०---8203/84]

महिलाओं के प्रति अपराधों से निपटने के लिए राज्यों में महिला पुलिस बल का बढ़ाया जाना

8004. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** :

श्रीमती प्रमिला दण्डवते :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में महिलाओं के प्रति अपराधों की संख्या में हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने महिलाओं के प्रति हो रहे ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सभी स्तरों पर और विशेष सैलों/न्यायालयों में महिला पुलिस बल की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या किसी राज्य ने इस मामले में दी गई सलाह का उत्तर दिया है ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) से (ग) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे राज्य पुलिस बल में महिला पुलिस संख्या का पुनरीक्षण करें और अधिक महिलाएं भरती करने की नीति को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। चूंकि पुलिस राज्य का विषय है, इसलिए महिलाओं के प्रति अपराधों से निपटने के लिए अपने अपेक्षाओं के अनुसार महिला पुलिस बल की सं० बढ़ाना राज्य सरकारों का काम है।

2. दिल्ली पुलिस ने दहेज के कारण मौत के मामलों की जांच पड़ताल करने के लिए एक विशेष कक्ष स्थापित किया है और इस कक्ष के अध्यक्ष पुलिस उप-आयुक्त हैं जो एक महिला अधिकारी

है। दिल्ली में महिलाओं के प्रति अपराधों के मामलों के विचारण के लिए बिल्कुल अलग एक न्यायालय भी स्थापित किया है।

कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की राष्ट्र-विरोधी तत्वों के साथ बैठक

8005. **श्री राजेश कुमार सिंह :**

श्री रामविलास पासवान :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 मार्च; 1984 के "टेलीग्राफ" में कश्मीर मुक्ति मोर्चे की भारत में गड़बड़ी पैदा करने की योजना और उसकी हाल में श्रीनगर में राष्ट्र-विरोधी तत्वों के साथ हुई गुप्त बैठक के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) सरकार ने प्रैस रिपोर्ट की विषयवस्तु नोट कर ली है और सतर्क है।

ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रभाव

8006. **श्री रशीद मसूद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह जानने के लिए कोई मूल्यांकन किया गया है कि स्वतन्त्रता के बाद देश में ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने कितना सुधार किया है और शहरी और ग्रामीण जनता की आय के बीच के अन्तर को कम करके एक संतुलित ग्रामीण-शहरी उन्नति की स्थिति को प्राप्त कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है और इस दिशा में अब तक प्राप्त परिणाम को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिव राज वी० पाटिल) : (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी में और उच्च-योग्यता प्राप्त, प्रशिक्षित और कुशल जनशक्ति के निर्माण के लिए, जो कि विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग करने के लिए एक प्राथमिक संसाधन है, निरन्तर अत्याधिक पूंजी-निवेश किया गया है। अवसंरचनात्मक सुविधाओं, जैसे संचार, परिवहन, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विस्तार आदि में विशाल वृद्धि हुई है। सिंचाई सुविधाओं के कारण, जिनका प्रसार अपेक्षाकृत विशाल क्षेत्रों में किया गया है, उर्वरकों, पीड़क नाशियों परिष्कृत बीजों की उपलब्धता, सुधरी हुई कृषि प्रक्रियाओं के प्रसार के विकास के कारण कृषि उत्पादकता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के फलस्वरूप जीवन की सम्भावना में वृद्धि हुई है और चेचक, हैजा जैसे संचारी रोगों का उन्मूलन कर

दिया गया है। पशु स्वास्थ्य पोषण और गुणवत्ता में अत्यधिक सुधार हुआ है। मछली-पालन डेयरी विकास, फलों, सब्जियों, दालों और तिलहनों के उत्पादन पर विशेष ध्याय दिया गया है। शुष्क भूमि खेती और सामाजिक वानिकी पर भी ध्यान दिया गया है। ऊतक संवर्द्धन की आधुनिक विधियों का भी उपयोग किया जा रहा है। बाढ़ नियन्त्रण पर ध्यान दिया गया है। 20-सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से, ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रमों जैसे जैव-गैस उत्पादन और तेल के बीजों के उत्पन्न आदि संबंधी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

के० वी० आई० सी० जैसे अभिकरण और अन्य स्वयंसेवी संगठन ग्रामीण प्रौद्योगिकी के प्रसार, संवर्धन और उत्थान के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहे हैं। सी० एस ०आई० आर० जैसी० शिक्षा संस्थाएं और अनुसंधान संस्थाएं ग्रामीण प्रौद्योगिकी के विकास और प्रसार में लगे हुए हैं। नेशनल रिसर्च डिवेलपमेंट कारपोरेशन जो कि गैर-सरकारी क्षेत्र की एक लाभ निरपेक्ष कम्पनी है, भी ग्रामीण प्रौद्योगिकी का प्रसार करती है। 'भू-स्थिर' (पृथ्वी की बराबर गति से परिक्रमा करने वाले) संचार उपग्रहों के माध्यम से, पूरा देश अब एक राष्ट्रीय संचार जाल के अंतर्गत लाया जाएगा। ग्रामीण प्रौद्योगिकी के विकास और अनुप्रयोग को सहायता प्रदान करने के लिए एक काउन्सिल फार दि एडवांसमेंट आफ रूलर टेक्नोलोजी की स्थापना की गई है।

ये कार्य, बड़ी संख्या में उन लोगों तक पहुंचे हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी शामिल हैं, जिससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है और ग्रामीण लोगों के जीवन को गुणवन्ता में सुधार हुआ है।

देश में घड़ियां और कम्प्यूटर बनाने वाली कम्पनियां

8007. **श्री विरवा राम फुलवारिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इलैक्ट्रानिक घड़ियों और कम्प्यूटर बनाने वाली कारखानों को संख्या कितनी है ;

(ख) इन कारखानों में वार्षिक उत्पादन कितना होता है ;

(ग) क्या इलेक्ट्रानिक घड़ियां और कम्प्यूटर बनाने वाले ये कारखाने विदेशी कम्पनियों के सहयोग से चल रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) वर्ष 1983 के दौरान 8 कम्पनियां इलेक्ट्रानिक घड़ियों का और 50 कम्पनियों कम्प्यूटरों का विनिर्माण कर रही थीं।

(ख) प्राप्त जानकारी के आधार पर, वर्ष 1983 में कुल उत्पादन नीचे दिए अनुसार हुआ :—

इलेक्ट्रानिक घड़ियां	:	4.4 करोड़ रुपए
कम्प्यूटर	:	78 करोड़ रुपए

(ग) तथा (घ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स और हैदराबाद आलिवन नामक कम्पनियां क्रमश: जापान की मैसर्स सिटिजन कम्पनी और जापान की मैसर्स सीको कम्पनी के सहयोग से क्वार्ट्ज एनलॉग घड़ियों का विनिर्माण कर रही हैं। जहां तक अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियों के विनिर्माण का सम्बन्ध है, 3 जुलाई, 1980 को इलेक्ट्रानिक घड़ी उद्योग पर घोषित सहयोग की गई औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी नीति के पश्चात किसी भी विदेशी सहयोग को अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है।

अभी तक मैसर्स आई० सी० आई० एम०, पुणे (2904 कम्प्यूटरों के निर्माण के लिए) और मैसर्स एम० एम० सी०, कलकत्ता (सूक्ष्म संसाधित्र प्रोसेसर) पर आधारित आंकड़ा संसाधन उपस्करों के 100 प्रतिशत में ही विदेशी सहयोग को अनुमोदन प्रदान किए गए हैं।

जहां तक वित्तीय साझेदारी का सम्बन्ध है, इलेक्ट्रानिक घड़ियों के विनिर्माण के लिए अनुमोदित कम्पनियों में किसी भी विदेशी कम्पनी की कोई साम्या-पूंजी (इक्विटी) नहीं है। कम्प्यूटरों का विनर्माण करने वाली 50 कंश्पनियों में से, 6 कम्पनियों में विदेशी साम्या-पूंजी(इक्विटी) की है। साझेदारी इसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

तम्बाकू पकाने के लिए ईंधन लकड़ी के उपयोग के बारे में पारिस्थितिक अध्ययन

8008. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या तम्बाकू पकाने के लिए अत्यधिक मात्रा में ईंधन लकड़ी के उपयोग किए जाने जिसके कारण वनों की कटाई हो रही है, के बारे में कोई पारिस्थितिक अध्ययन किया गया है ?

पर्यावरण विभाग में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : अभी तक ऐसा कोई अध्ययन आरम्भ नहीं किया गया है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा के माध्यम से चुने गए उम्मीदवारों का ग्रुप "बी" की सेवाओं में आबंटन

8009. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **गृह मंत्री** भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा के माध्यम से चुने गए उम्मीदवारों का ग्रुप "बी" की सेवाओं में आबंटन के बारे में 28 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5215 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक मामलों में उम्मीदवार अपनी प्राथमिकता का उल्लेख नहीं करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उम्मीदवारों को ग्रुप "बी" सेवा आबंटित करने के क्या मानदण्ड हैं, जो कोई प्राथमिकता नहीं देते हैं, यदि आबंटन योग्यता के आधार पर किया जाता है, तो उन विभिन्न ग्रुप "बी" सेवाओं का क्या क्रम है, जो योग्यता के आधार पर क्रम-वार उम्मीदवारों को आबंटित की जाती है ; और

(ग) क्या उक्त उम्मीदवारों का ब्यौरा, जिन्होंने गत पांच वर्षों के दौरान किसी प्राथमिकता

विवरण

विदेशी साम्या-पूंजी वाली कम्प्यूटर विनिर्माणकारी कम्पनियों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	औद्योगिक लाइसेंस/ आशय-पत्र सं० तथा तारीख	विनिर्माण की वस्तु	विदेशी साम्या-पूंजी की प्रतिशतता	विदेशी साम्या-पूंजी की सहभागी कम्पनियां
1	2	3	4	5	6
1.	मेसर्स नेल्को, बम्बई	औद्योगिक लाइसेंस: 52 (77) 7-2-77 औद्योगिक लाइसेंस/282(77) 22-9-77 औद्योगिक लाइसेंस/340(80) 24-11-80	अंकीय दूरमापन तथा दूरनियंत्रण प्रणालियां-40 नग उच्च गति आंकड़ा अधिग्रहण तथा नियन्त्रण प्रणालियां-17 नग लघु कम्प्यूटर/सूक्ष्म संसाधित्र (माइक्रो-प्रोसेसर) पर आधारित प्रणालियों 2.00 करोड़ रुपये	39.91%	मेसर्स सेल्यूमबर्गर लिमिटेड, फ्रांस
2.	मैसर्स एम० एम० सी० लिमिटेड, कलकत्ता	औद्योगिक लाइसेंस/71 (79) 30-3-79 (100% निर्यात)	सूक्ष्म संसाधित्र (माइक्रोप्रोसेसर) पर आधारित आंकड़ा संसाधन उपस्कर-250 नग	3.15%	विदेशों में पजीकृत कम्पनियों, अनावासी भारतीयों तथा अनावासी नागरिकों द्वारा 3.15% अप्रत्यक्ष विदेशी धारिता

1	2	3	4	5	6
3.	मैसर्स मर्फी, इण्डिया लिमिटेड, थाणा	आ० पत्र/329 (81) 27-5-81	लघु-कम्प्यूटर/सूक्ष्म सांसाधित्र पर आधारित प्रणालियां-2 करोड़ रु०	33.30%	मैसर्स रैंक रेडियो इण्टरनेशनल, लन्दन
4.	मैसर्स बुश इण्डिया लिमिटेड, बम्बई	औद्योगिक लाइसेंस/175(81) 10-7-81	लघु-कम्प्यूटर/सूक्ष्म संसाधित्र पर आधारित प्रणालियां-2 करोड़ रु०	40.00%	मैसर्स रैंक बुश मर्फी लि०, लन्दन
5.	मैसर्स आई० सी० आई० एम० बम्बई	औद्योगिक लाइसेंस/291(81) 14-10-81	लघु-कम्प्यूटर/सूक्ष्म-संसाधित्र पर आधारित प्रणालियां-2करोड़ रु०		
		औद्योगिक लाइसेंस/75 (79) 7-4-79	1. अंकीय कम्प्यूटर प्रणालियां-30	40.00%	इन्टरनेशनल कम्प्यूटर लि०, ग्रेट-ब्रिटेन
		संशोधन 30-12-83	2. कार्ड रीडर-100 नग 3. लाइन मुद्रक-100 नग		
		आ० पत्र/1037 (83) 31-12-83	लघु-कम्प्यूटर/सूक्ष्म-संसाधित्र पर आधारित प्रणालियां एम० ई०- 2 करोड़ रुपये से 6 करोड़ रुपये तक के कारखाना बाह्य मूल्य		
6.	मैसर्स ए० एम० ई० ए० लिमिटेड, बम्बई	आ० पत्र 137(82) 1-3-82	लघु-कम्प्यूटर/सूक्ष्म संसाधित्र पर आधारित प्रणालियां 2 करोड़ रुपए	40.00%	ए० एस० ई० ए० ए० बी०, स्वीडन

का उल्लेख नहीं किया तथा उन सेवाओं का ब्यौरा जिनमें उनको आबंटित किया गया था, सभा पटल पर रखा जाएगा ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) केन्द्रीय सिविल सेवा परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार अखिल भारतीय सेवाओं और समूह "क" की केन्द्रीय सेवाओं तथा समूह "ख" की कुछ सेवाओं के सम्बन्ध में सामान्यतः अपनी प्राथमिकता का उल्लेख करते हैं। अनेक मामलों में उम्मीदवार समूह "ख" सेवाओं के लिए अपनी प्राथमिकता का उल्लेख नहीं करते।

(ख) इस तरह के उम्मीदवार और सेवाओं में रिक्तियों की कमी के कारण अपनी बारी से अपनी पसंद की सेवा में आबंटित न किए जा सकने वाले उम्मीदवार, केन्द्रीय युवा परीक्षा नियमों में अधिसूचित सेवाओं के क्रम के अनुसार उन सेवाओं की बाकी बची रिक्तियों पर अपने रैंक के अनुसार आबंटित किए जाते हैं।

(ग) एक विवरण (पृ० 87 पर) सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें इस तरह के उम्मीदवारों की संख्या दी गई है।

मध्य प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों का पता लगाया जाना

8010. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में विकास कार्य शुरू करने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों का पता लगा लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों के नाम क्या हैं और छठी योजना अवधि में अब तक (वर्षवार) उन क्षेत्रों में शुरू किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) मध्य प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र और इन क्षेत्रों में प्रारम्भ किए गए विकास कार्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

मध्य प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र

1. झाबुआ जिला
2. मांडला जिला
3. सरजुआ जिला।
4. बस्तर जिला
5. सरदारपुर, धार, कुकशी और मनवर तहसीलें, धार-जिला।
6. (प० निमार) जिले में बरवानी, राजपुर, सेनधवा, भिकनगांव, खरगोंव और महेश्वर तहसीलें।
7. हरसुद तहसील का खलवा जनजाति विकास खण्ड और खाखनर जनजाति विकास खण्ड, बुरहनपुर तहसीलें, खंडवा (पं० निमार) जिला।

8. रतलाम जिले में सेलाना तहसील।

9. बेतुल जिले में बेतुल तहसील (बेतुल सामुदायिक विकास खण्ड को छोड़कर) और मैसदही तहसील।

10. सियोनी जिले में लखुनदो तहसील और सियोनी तहसील में कुराई जनजाति विकास खण्ड।

11. बालाघात जिले में बाईहर तहसील।

12. होंशंगाबाद जिले में होंशंगाबाद तहसील का केसला जनजाति विकास खण्ड।

13. शाहदोल जिले में, बिहोहरी तहसील के पुष्प राजगढ़ ओर सौहागपुर तहसील और जयसिंह नगर सामुदायिक विकास खण्ड।

14. सिद्धी जिले में गोपदवंश तहसील का कुसिमी जनजाति विकास खंड।

15. रायगढ़ जिले में, रायगढ़ तहसील का जसपुरनगर, उदयपुर और रगोदा तहसील और खरसि या जनजाति विकास खंड।

16. बिलासपुर जिले में कठगोड़ा तहसील और मरवाही जनजाति विकास खंड, गोरिला जनजाति विकास खंड को और कोटा राजस्व निरीक्षक सर्किल बिलासपुर तहसील।

17. दुर्ग जिला में बालोद तहसील दोंदी जनजाति विकास खंड।

18. राजनन्द गांव जिले में राजनन्द गांव तहसील के मनपुर और मोहल्ला जनजाति विकास खंड और चौकी सामुदायिक विकास खंड।

19. रायपुर जिले में वृन्दरन स्वागड़ तहसील का गरियाबन्द, मैनपुर और छुरा जनजाति विकास खंड और धमतारी तहसील का सिहवा सामुदायिक विकास खंड।

20. जिला मारेना में शियोपुर तहसील का कराहल जनजाति विकास खंड।

21. तमिया और जामई जनजात्ति विकास खंड, पटवारी सर्किल सं० 63 से 68 और सं० 72 से 73, गांव सीरगांव खुर्द और पटवारी सर्किल सं० 62 का किरवानी गांव-मैनाश्वरी और गोली पारसिया, पटवारी सर्किल सं० 69 और छिन्दवाडा तहसील के पटवारी सर्किल सं० 97 का गांव बमहनी, हमारी जनजाति विकास खंड और अमरवारा तहसील का पटवारी सर्किल सं० 26, 27, 30, 31, 32, 41 से 44, 48, 49, 50-ख और 60 विछुआ जनजाति विकास खंड और पटवारी सर्किल सं० 1 से 19, 25 से 30, 32 से 37, गांव नन्दापुर पटवारी सर्किल सं० 20 पटवारी सर्किल सं० 24, गांव रामुधना, सिलोरा और जोबनी, पटवारी सर्किल सं० 31 और चिदवाडा जिले के सोनसर तहसील का पटवारी सर्किल सं० 39 का गांव मुली छोड़कर सभी गांव।

विकास कार्य

परिवार कल्याणोन्मुख की अनेक योजनाएं और कृषि, बागवानी, भू-संरक्षण, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, वन, रेशम उद्योग, उद्योग, सड़कें, पेय-जल आपूर्ति, शिक्षा, ग्रामीण विद्युतीकरण, सिंचाई, सहकारिता और स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यान्वयन के अन्तर्गत मूल संरचना विकास की योजनाएं।

विवरण

भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा के माध्यम से चुने गए उम्मीदवारों का समूह "ख" सेवाओं में आबंटन

परीक्षा वर्ष	जो उम्मीदवार अपनी प्राथमिकता की सेवा नहीं पा सके अथवा जिन्होंने समूह "ख" सेवाओं के सम्बन्ध में अपनी प्राथमिकता का उल्लेख नहीं किया, उनकी संख्या	किन-किन सेवाओं को आबंटित किए गए											
		केन्द्रीय सचिवालय	रेलवे बोर्ड	भारतीय विदेश सेवा (ख)	सशस्त्र सेना मुख्यालय	सीमा शुल्क मूल्यांकन	दानीसिवल	गोवा, दमन और दिउ सिविल	दानी पुलिस	पांडिचेरी पुलिस	रे०सु०ब०	गोवा, दमन और दिउ पुलिस
1978	68	—	—	—	66	—	—	—	1	—	1	—
1979	113	18	1	—	78	7	8	—	1	—	—	—
1980	105	9	—	—	80	6	1	1	7	—	—	1
1981	132	13	1	—	111	2	1	—	4	—	—	—
1982	उम्मीदवारों के आबंटन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।											

देश में कागज लुगदी का उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

8011. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) महंगे आयात से बचने के लिए भारत में कागज मिलों के लिए स्वदेशी लुगदी का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ख) क्या कागज की लुगदी बनाने के लिए जरूरत वाले वृक्ष लगाने वाले लोगों को कोई प्रोत्साहन दिया जा रहा है ; और

(ग) क्या सामाजिक वन योजना में कागज मिलों के लिए जरूरत वाली किस्म के वृक्षों को भी शामिल किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री पट्टाभि राम राव) : (क)देश में कागज मिलों में सामान्यतः लुगदी बनाने की केप्टिव सुविधाएं मौजूद होती हैं ; वनों से मिलने वाली कच्ची सामग्री की कमी को पूरा करने के लिए रद्दी कागज, अनाज का भूसा और गन्ने की खोई आदि जैसे द्वितीयक कच्चेमाल का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है। कागज बनाए जाने की किस्म की लुगदी का देश में कागज की अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में बहुत ही कम आयात किया जाता है किन्तु, विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान उत्पादन वानिकी कार्यक्रम को तेज किया गया है जिसमें वनों पर आधारित विभिन्न उद्योगों की कच्चेमाल सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए बागानों की संख्या बढ़ाया जाना शामिल है।

(ख) और (ग) लुगदी बनाने सम्बन्धी लकड़ी का उत्पादन करने के लिए अपेक्षित वृक्ष उगाने वाले व्यक्तियों को विशेष रूप से कोई भी विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। सामाजिक वानिकी योजना के अंतर्गत ईंधन की लकड़ी वाले और फलदार वृक्ष उगाने के सम्बन्ध में विशेष बल दिया जाता है। किन्तु सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के अन्तर्गत अन्य वृक्ष भी लगाए जाते हैं, जिनमें लुगदी बनाने सम्बन्धी के वृक्ष भी शामिल हैं।

मंडल आयोग की रिपोर्ट का कार्यान्वयन

8012. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा मण्डल आयोग की रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं और इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ; और

(ख) सरकार का विचार उपरोक्त आयोग की रिपोर्ट को कब तक कार्यान्वित करने का है ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाशचन्द्र सेठी) : (क) तथा (ख) मण्डल आयोग की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है। रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा बतलाना कठिन है।

1984-85 के लिए मध्य प्रदेश में कुछ कार्यक्रमों के लिए धन का आबंटन

8013. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान बरानी खेती और पेय जल सप्लाई कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए मध्य प्रदेश की कितनी राशि आबंटित की गई और इन कार्यक्रमों के लिए वर्ष 1984-85 में कितनी राशि आबंटित की गई है ; और

(ख) अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को इन कार्यक्रमों के लिए आबंटन के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) 1980-83 के दौरान शुष्क भूमि खेती के अन्तर्गत आबंटनों से सम्बन्धित सूचना राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दी जायेगी।

मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की छठी पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान पीने के पानी की आपूर्ति कार्यक्रमों से सम्बन्धित परिव्यय को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

वर्ष 1984-85 के लिए दो कार्यक्रमों यथा शुष्क भूमि कृषि और पीने के पानी की आपूर्ति के अन्तर्गत आबंटनों से सम्बन्धित ब्यौरे वार्षिक योजना दस्तावेज में दर्शाए जायेंगे जो यथाशीघ्र संसद के समक्ष रखा जायेगा।

विवरण

पीने के पानी की आपूर्ति से सम्बन्धित अनुमोदित परिव्यय*

(करोड़ रु०)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अनुमोदित परिव्यय 1980-81	1981-82	1982-83
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	24.13	25.00	28.00
2.	असम	7.70	8.00	10.00
3.	बिहार	18.00	18.00	18.42
4.	गुजरात	20.40	21.42	30.50

1 2	3	4	5
5. हरियाणा	9.25	12.00	14.00
6. हिमाचल प्रदेश	7.25	8.50	9.60
7. जम्मू एंड कश्मीर	17.00	17.00	17.00
8. कर्नाटक	18.92	23.10	25.53
9. केरल	14.49	14.50	14.50
10. मध्य प्रदेश	20.00	23.00	25.00
11. महाराष्ट्र	71.25	138.00	140.00
12. मणिपुर	6.50	6.50	5.50
13. मेघालय	7.87	7.50	7.80
14. नागालैंड	3.59	3.00	3.14
15. उड़ीसा	7.75	8.25	9.15
16. पंजाब	22.00	24.60	17.00
17. राजस्थान	21.69	22.54	21.00
18. सिक्किम	1.61	1.90	1.93
19. तमिलनाडु	30.49	38.00	57.90
20. त्रिपुरा	2.98	3.00	3.00
21. उत्तर प्रदेश	53.50	49.59	45.85
22. पश्चिम बंगाल	10.01	15.00	16.00
जोड़-राज्य	396.38	488.40	520.82

1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.65	0.70	0.87
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.75	2.75	3.35
3.	चण्डीगढ़	1.57	3.00	3.75
4.	दादरी और नागर हवेली	0.09	0.10	0.22
5.	दिल्ली	20.81	24.50	28.42
6.	गोवा, दमन और दीव	2.98	3.30	4.60
7.	लक्षद्वीप	0.03	0.04	0.04
8.	मिजोरम	2.00	2.01	2.35
9.	पांडिचेरी	0.80	0.90	1.25
	जोड़—संघ राज्य क्षेत्र	30.68	37.30	44.85
	जोड़—राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	427.06	525.70	565.66

* मलप्रणाली की व्यवस्था और सफाई के लिए परिव्यय शामिल हैं।

सीमेंट उद्योग का आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाना

8014. **श्री नवीन रावणी** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : -

(क) क्या यह सच है कि यदि सीमेंट उद्योग में व्याप्त रुग्णता की शीघ्र रोकथाम न की गई तो इसका काफी बड़ा भाग बेकार हो जायेगा ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस समय यह यूनिट कार्य कुशलता के निम्न स्तर पर कार्य कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उत्पादन में सुधार करने के लिए इन यूनटों के आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) यह सच है कि उद्योगों का स्वस्थ विकास और सुचारू रूप से कार्य संचालन सुनिश्चित करने के लिए उनकी रुग्णता की रोकथाम

जरूरी है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर सीमेंट के आंशिक नियन्त्रण की योजना के अन्तर्गत रुग्ण सीमेंट एककों के लिए कुछ रियायतों का प्रावधान किया गया है रुग्ण एककों को लेवी सीमेंट की कम मात्रा अर्थात् अपनी अधिष्ठापित क्षमता के (66.6 प्रतिशत के स्थान पर) 50 प्रतिशत की ही पूर्ति नियन्त्रित मूल्य पर करनी होती है। सीमेंट की अतिरिक्त मात्रा कीमत और वितरण नियन्त्रण से मुक्त गैर लेवी बाजार में बेचने की अनुमति देकर ऐसे एककों को प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने और आधुनिकीकरण सम्बन्धी योजनाओं में निवेश के लिए अतिरिक्त साधन जुटाने की सुविधा प्रदान की गई है।

उड़ीसा में नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड द्वारा परीक्षण के तौर पर छिद्रण

8015. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड ने उड़ीसा में प्रयोगात्मक छिद्रण कार्य शरू किया था ;

(ख) यदि हां, तो प्रायोगिक छिद्रण कार्य कब शुरू किया गया था ; और

(ग) परीक्षण के तौर पर किए गए छिद्रण की प्रगति और कार्य निष्पादन का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) उड़ीसा की पंचपटमाली बाक्साइट खान (नाल्को) में उत्पादन-पूर्व ड्रिलिंग, रोटरी-डिल प्रणाली अपना कर 3 मई, 1983 को शुरू की गई थी।

पंचपटमाली पर ड्रिलें ठीक काम कर रही हैं और उनकी वेधन दर 20 मीटर प्रति घण्टा है, जो अधिकतम है 1 मार्च, 1984 तक 4000 मीटर ड्रिलिंग का लक्ष्य था, जिसे नाल्को ने पूरा कर लिया है। 40 मीटर की वांछित वेधन गहराई की तुलना में अधिकतम 52 मीटर गहराई तक वेधन हुआ है। सभी बोर छिद्रों में 98-100 प्रतिशत नमूना वसूली की जा चुकी है।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा अवकाश और फालतू समय के माता-पिता/रिश्तेदारों को उनके कारोबार में सहायता करने के सम्बन्ध में आदेश/अनुदेश

8016. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक सरकारी कर्मचारी को अपने माता-पिता और दूसरे नजदीकी रिश्तेदार को उसके व्यवसाय, उपव्यवसाय, कारोबार आदि में छुट्टी और फालतू समय में अपने कार्यालय सम्बन्धी कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के निष्पादन में कोई बाधा पहुंचाये बिना सहायता करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस विषय पर लागू आदेशों/अनुदेशों की प्रतिलिपियां सभा पटल पर रखी जायेंगी ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) तथा (ख) मूल नियम 11 के अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी का पूरा समय उस सरकार के अधिकार में होता है जो उसे वेतन देती है। इसके अतिरिक्त,

सरकारी कर्मचारियों को शासित करने वाले केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमों के नियम 15 में यह व्यवस्था है कि वे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई व्यापार अथवा कारोबार अथवा कोई अन्य नौकरी नहीं करेंगे। यह प्रतिबन्ध कार्यालय समय से इतर समय पर भी लागू होता है। कोई सरकारी कर्मचारी अपने फालतू समय में केवल सामाजिक अथवा धर्मार्थ स्वरूप का सामयिक कार्य अथवा साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक स्वरूप का आकस्मिक कार्य कर सकता है अथवा खेल क्रिया-कलापों में भाग ले सकता है, बशर्ते कि इससे उसकी सरकारी ड्यूटी में कोई बाधा न पहुंचती हो। इन परिस्थितियों में किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने फालतू समय में अपने रिश्तेदारों के व्यवसाय में सहायता पहुंचाने का प्रश्न नहीं उठता। आचरण नियमों में यह भी व्यवस्था है कि किसी सरकारी कर्मचारी को अपने रिश्तेदार के कारोबार के समर्थन में प्रचार नहीं करना चाहिए और यदि उसके परिवार का कोई सदस्य व्यापार अथवा बीमा एजेंसी अथवा कमीशन एजेंसी लेता है या उसकी देखरेख करता है तो वह इसकी सूचना सरकार को देगा।

युवा और नाबालिग लड़कियों का गैर-कानूनी व्यापार

8017. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युवा और नाबालिग लड़कियों के गैर-कानूनी व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई योजना तैयार की गई है ;

(ख) क्या पुलिस का उदासीन रवैया इस व्यापार के फलने-फूलने में सहायक है ; और

(ग) यदि हां तो इस समस्या के साथ सख्ती से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाशचन्द्र सेठी) : (क) से (ग) युवा और नाबालिग लड़कियों में गैर-कानूनी व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई योजना नहीं है। फिर भी 1978 में यथा संशोधित महिलाओं और लड़कियों में अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 में अनैतिक व्यापारियों को दण्डित करके, वेश्याओं की गतिविधियों को नियन्त्रित करके और इस बुराई से बचाई गई महिलाओं का पुनर्वास करके महिलाओं और लड़कियों में अनैतिक व्यापार के दमन के लिए एक विस्तृत योजना पर बल दिया गया है। इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने और प्रवर्तित करने का उत्तर-दायित्व राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों का है। यह निष्कर्ष निकालने के लिए सरकार के पास कोई विशिष्ट सूचना अथवा रिपोर्ट नहीं है कि पुलिस का उदासीन रवैया युवा और नाबालिग अधिनियम में गैर-कानूनी व्यापार के फलने-फूलने में सहायक हैं।

मध्य प्रदेश में खादी ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहन

8018. **श्री फूल चन्द्र वर्मा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में विशेष कर देवास और शाजापुर क्षेत्रों में खादी ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहन देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार इन क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग करके वहां पर ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहन देने के बारे में विचार करेगी और इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के० वी० आई० सी०) पहले से ही राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पंजीकृत संस्थानों और पंजीकृत सहकारी समितियों के माध्यम से देवास तथा शाजापुर जिलों सहित मध्य प्रदेश में खादी और ग्राम उद्योगों के संवर्धन के लिए अनेक क्रियाकलापों/कार्यक्रमों को करने लगा हुआ है।

विद्यमान में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्यों में निम्नलिखित उद्योगों को शामिल किया गया। जिन्होंने देवास और शाजापुर जिलों में क्रमश: 10,90 लाख और 23.36 लाख रुपये मूल्य का उत्पादन किया है तथा 202 और 784 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया है :—

देवास	शाजापुर
उद्योगों के नाम	
1. पोली वस्त्र	1. बर्तन बनाना
2. बर्तन बनाना	2. बढ़ईगीरी और लुहारगीरी
3. बढ़ईगीरी व लुहारगीरी	3. ग्रामीण तेल
4. बेंत और बांस	4. चमड़ा
5. अन्न और दालों का परिष्करण	5. खादी
6. ग्रामीण तेल	
7. चमड़ा	
8. चूना	
9. खादी	

कोटा जिले में अनुसूचित जनजातियों का विकास और कल्याण

8019. **श्री चतुर्भुज** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली जनवरी, 1984 तक राजस्थान के कोटा जिले में किशनगंज शाहाबाद में अनुसूचित जनजातियों के विकास और कल्याण के लिए कौन-कौन सी परियोजनाएं आरम्भ की गईं ;

(ख) पहली जनवरी, 1984 तक इन परियोजनाओं पर कुल कितना व्यय किया गया ; और

(ग) क्या सरकार ने इस क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कोई मापदण्ड निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो प्रति अनुसूचित जनजाति कितना व्यय किया गया तथा उनकी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) राजस्थान के कोटा जिले में शाहाबाद और किशनगंज पंचायत समिति में आबाद सहारिया आदिम जनजातीय व्यक्तियों के कल्याण के लिए वर्ष 1977-78 में सहारिया विकास परियोजना आरम्भ की गई थी।

(ख) 1 जनवरी, 1984 तक 109.79 लाख रु० का कुल खर्च किया गया है।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

अनुसूचित जनजातियों पर प्रति व्यक्ति व्यय 804.50 रु० होता है। प्रति व्यक्ति आय का कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं में सरकारी कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट से एक कालम को समाप्त करना

8020. **श्री के० लक्कप्पा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा में कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों के "उत्कृष्ट", "बहुत अच्छा" "अच्छा" आदि जैसे ग्रेडिंग वाले आवश्यक कालम को वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के फार्म से समाप्त कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह परिवर्तन किस वर्ष से किया गया है ; और

(ग) यह महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के क्या कारण है ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1968 और इसके बाद से।

(ग) वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के फार्मों में ग्रेडिंग सम्बन्धी कालम को समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि यह उचित समझा गया था कि रिपोर्ट लिखने वाले तथा पुनरीक्षा करने वाले अधिकारियों को अपने आपको गोपनीय रिपोर्ट फार्म में दिए गए विभिन्न कालमों के अधीन संबंधित सरकारी कर्मचारी के कार्य निष्पादन तक सीमित रखना चाहिए तथा गोपनीय रिपोर्टों से प्रकट होने वाले उसके कार्य निष्पादन के आधार पर सरकारी कर्मचारी के ग्रेडिंग का काम उसकी पदोन्नति के लिए उसका मूल्यांकन करने वाली समिति पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

प्राथमिकता के आधार पर मारुति कारों का आबंटन

8021. **श्रीमती सुमति उरांव** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्माता के कोटे में से बिना बारी के प्राथमिकता के आधार पर मारुति कारों के आबंटन के लिए क्या मानदण्ड हैं ;

(ख) मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा सामान्य बारी में आबंटित की गई कारों की तुलना में

प्राथमिकता के आधार पर इस प्रकार कितनी कारें आवंटित की गयी हैं ;

(ग) निर्माता कोटा में से प्राथमिकता के आधार पर इस प्रकार महत्वपूर्ण व्यक्तियों, सरकारी कर्मचारियों, व्यापारियों और अन्य व्यक्तियों को अलग-अलग कितनी कारें आबंटित की गई हैं ; और

(घ) क्या निर्माता के कोटे के अन्तर्गत मारुति कारों के आबंटन के लिए तैयार की गई प्राथमिकता सूची में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आवेदन पत्रों को शामिल किया जाएगा ; यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) निर्माता के कोटे में से आबंटन के लिए अपनाए गए मापदण्ड इस प्रकार हैं :—

(1) कम्पनी के वाणिज्यिक हितों को बढ़ावा देना ;

(2) जनहित को बढ़ावा देना ;

(2) व्यक्तिगत कठिनाई को दूर करने ; तथा

(4) कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा गाड़ियों का प्रयोग करके कम्पनी के कार्यों को सुविधाजनक बनाना।

(ख) 31-3-1984 तक आबंटित कुल 840 कारों में से प्राथमिकता के आधार पर 34 कारों का आबंटन किया गया है।

(ग) मारुति तथा इसके ग्राहकों के बीच लेन-देन के ब्यौरे का बताया जाना एक उपयुक्त वाणिज्यिक प्रथा नहीं होगी।

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक भी निर्माता के कोटे में से कारों के आबंटन के पात्र हैं।

ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए मूल स्तरीय योजना

8022. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए मूल स्तरीय योजना बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो छठी योजना के दौरान इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) छठी योजना के दौरान मूल स्तरीय योजना को क्रियान्वित करने के लिए अपनाए जाने वाले प्रस्तावित उपाय क्या हैं ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) गरीबी दूर करने और अन्य योजना कार्यक्रमों का सही कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की दृष्टि से सरकार हमेशा आयोजना को विकेन्द्रित करने और योजना स्तर पर एकीकृत आयोजना शुरू करने की इच्छुक रही है।

(ख) और (ग) जिला स्तर पर योजना तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए एक स्कीम वर्ष 1982-83 से शुरू की गई है। इस स्कीम के अन्तर्गत जिला स्तर पर योजना तंत्र से सम्बन्धित व्यय को केन्द्र और राज्यों के बीच समान रूप से बांटा जाता है। योजना आयोग द्वारा जिला आयोजना के लिए उपयुक्त और अद्यतन कार्य प्रणाली बनाने के लिए एक कार्यकारी दल भी गठित किया गया है।

मंडल आयोग की सिफारिशों पर सचिवों की समिति की रिपोर्ट

8023. **श्री भोगेन्द्र झा :**

श्री उत्तम राठौर :

क्या **गृह मन्त्री** मंडल आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन के बारे में 16 नवम्बर, 1983 के तारांकित प्रश्न संख्या 30 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंडल आयोग की सिफारिशों पर सचिवों की समिति की रिपोर्ट पर इस बीच मंत्रि-मंडल समिति ने विचार कर लिया है ; यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या मंडल आयोग की सिफारिशों को श्री कर्पूरी ठाकुर के मुख्य मन्त्रित्व काल के दौरान सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के मानदण्डों के आधार पर अपनाए गए बिहार के फार्मूला के अनुसार संशोधित किया जाना है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) तथा (ख) मंडल रिपोर्ट अभी सरकार के विचाराधीन है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा किए गए हमलों सम्बन्धी शिकायतें

8024. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को गत 15 महीनों के दौरान विभिन्न औद्योगिक/कोयला खान/महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा किए गए हमलों सम्बन्धी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों से इन घटनाओं के सम्बन्ध में रिपोर्ट मांगी है ; और

(ग) सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

गृह मन्त्री(श्री प्रकाशचन्द्र सेठी) : (क) पिछले 15 महीनों के दौरान सरकार को सत्तरह घटनाओं से सम्बन्धित शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों द्वारा विभिन्न औद्योगिक उपक्रमों, कोयला खानों और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों में आक्रमण करने के आरोप है।

(ख) जी, नहीं श्रीमान।

(ग) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्त्तव्यों तथा अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या है और सरकार द्वारा उनके कार्य के लिए उपयुक्त मानक निर्धारित किए गए हैं। कोई शिकायत प्राप्त होने पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के प्राधिकारियों से रिपोर्ट मांगी जाती हैं और उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

आदिम जनजातियों का विकास

8025. **श्री के० प्रधानी** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा सरकार से, उनके द्वारा पता लगाई गई आदिम जनजातियों के नाम, उनकी जनसंख्या और जिस क्षेत्र में ये लोग बसे हुए हैं तथा इन आदिम जनजातीय लोगों के विकास कार्यक्रमों के लिए माइक्रो परियोजना प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है ; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान इन जनजातीय समूहों के विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के लिए सरकार का क्या वित्तीय तथा अन्य सहायता देने का प्रस्ताव है ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान । दोनठारिया कोन्ध लनजिया सोरास, लोधास और पउरी भूयान समुदायों के सम्बन्ध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो गयी हैं। तथापि पता लगाए सभी 12 समुदायों के लिए कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं, जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) 1984-85 के दौरान आदिम जनजाति समुदायों के लिए कार्यक्रमों के लिए उड़ीसा सरकार को 52.04 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण

क्र० सं०	परियोजना	स्थिति	अनुमानित जनसंख्या (1971 जनगणना)
1	2	3	4
1.	बोन्दो (पोरोजा)	मुदली पाडा, कोरापुट	5338
2.	डानबेरिया कोन्ध	छतीकाना, कोरापुट	2676

1 2	3	4
3. कुटिया कोन्ध	बेलधर, फुलबनी	5936
4. जुआंग	सुआकती, किओनझार	4379
5. खरियास (पहाड़ी)	मयूरभंज	5600
6. लनजिया सोरास	1. सेरंग, गनजाम 2. पूटासिंह कोरापुट	6000
7. भनकिडियास	(1) सम्बलपुर (2) सुन्दरगढ़ (3) मयूर भंज	1209
8. पोदी भुयां	(1) बोनाई, सुन्दरगढ़ (2) पालाहारा, धेनकेनाल	10270
9. सोरास (जारा)	थुम्बा, गंजाम	2734
10. बिरहोर	भोनाई, सुन्दरगढ़	98
11. दिदाई	कुदुमुलगुमा, कोरापुट	2164
12. लोधा	मोरादा, मयूरभंज	3891

2. कार्यान्वित किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रम और योजनाओं में, पेयजल की व्यवस्था, स्वास्थ्य चिकित्सा और शिक्षा सुविधाएं, झूम कृषि (पोदू) क्षेत्रों में वृक्षारोपण, भू-संरक्षण, पहाड़ी ढलानों का विकास और भूमि सुधार बैलों, बकरियां, मृग, मधुमक्खी के बक्सों, औजारों की आपूर्ति, वजन और नाप, शिल्पकला में प्रशिक्षण और संचार विकास सम्मिलित हैं।

भारतीय पुलिस सेवा से प्रतिभा का अन्तरण

8026. **श्री के० प्रधानी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 मार्च, 1984 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" नई दिल्ली में "आई०पी०एस० नो मोर प्राइज्ड पोस्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय पुलिस सेवा से प्रतिभा के अन्तरण को रोकने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) सिविल सेवा परीक्षा नियम के नियम 17 के अधीन कोई उम्मीदवार जिसे पहले ली गई परीक्षा के परिणामों पर भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त किया जाता है उसे बाद की परीक्षा के परिणाम पर भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और केन्द्रीय सेवाएं ग्रुप "क" में नियुक्त करने पर विचार किया जाता है। इस प्रकार से भा० पु० से० (परीविक्षाधीन) के अधिकारी इन सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के पात्र हैं।

मारुति वाहनों का डिलीवरी कार्यक्रम

8027. **श्री बाबूराम परांजपे** : क्या **उद्योग मन्त्री** मारुति वाहनों के डिलीवरी कार्यक्रम के बारे में 21 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3986 और 16 नवम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न सं० 244 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1985 तक फेस-I के शहरों के सम्बन्ध में कारों और वैनों का शहरवार डिलीवरी कार्यक्रम, फेस-1 के प्रत्येक शहर में बुक की गई कुल कारों और वाहनों की संख्या के प्रत्यक्ष अनुपात में क्यों नहीं है ;

(ख) 1984-85 के दौरान फेस-1 प्रत्येक शहर के लिए कारों और वाहनों का मास वार डिलीवरी कार्यक्रम बताएं जिसमें 1984-85 में प्रत्येक माह के अन्त तक प्रत्येक शहर की प्रतीक्षा सूची से ली जाने वाली संख्याओं का ब्यौरा दिया गया हो ;

(ग) 1984-85 के दौरान नीची छत वाली और ऊंची छत वाली मारुति वैन का मूल्य क्या है ; और

(घ) क्या कम्पनी (एक) कार से वैन और वैन से कार (दो) नीची छत वाली वैन से ऊंची छत वाली वैन और ऊंची छत वाली वैन से नीची छत वाली वैन में बुकिंग का अन्तरण करने की अनुमति देती है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) चरण-1 के शहरों में कारों और वैनों का शहरवार डिलीवरी कार्यक्रम उन शहरों में की गई बुकिंगों के सामान्य अनुपात में है। डीलरों को वित्तीय जीव्यता प्रदान करने के लिए आवश्यक वाहनों की न्यूनतम संख्या देने के उद्देश्य से कुछ मामूली परिवर्तन किए गए हैं।

(ख) माहवार और शहर वार डिलिवरी कार्यक्रम बताना सम्भव नहीं हैं क्योंकि ये डीलरों के मुख्य कार्य, उत्पादन-स्तर, यातायात सुविधाओं की उपलब्धता इत्यादि की गतिविधियों पर निर्भर है।

(ग) मार्च 1985 तक मारुति कार और नीची छत वाली वैन का मूल्य परिवहन प्रभार और स्थानीय करों को छोड़कर 47,500 रुपये होगी। कम्पनी द्वारा ऊंची छत वाली वैन के मूल्य की अभी घोषणा की जानी है।

(घ) कार से वैन और नीची छत वाली वैन से ऊंची छत वाली वैन और ऊंची छत वाली वैन से

नीची छत वाली वैन में बुकिंग का अन्तरण करने की मारुति अनुमति दे रही है। कारों के लिए बड़े पैमाने पर की गई बुकिंगों को ध्यान में रखते हुए वैन से कार में बुकिंग के अंतरण की अनुमति नहीं दी जा रही है।

लेवी कोटा कटौती योजना

8028. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुग्ण सीमेंट इकाइयों ने सरकार से लेवी कोटा कटौती योजना को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो ये रुग्ण इकाइयां कौन-कौन सी हैं ; रुग्णता लाभ योजना कब समाप्त हुई और इन रुग्ण इकाइयों को इस योजना से क्या लाभ प्राप्त हुआ ;

(ग) रुग्णता लाभ योजना को क्रियान्वित की अवधि के दौरान मशीनों और उपकरणों के आधुनिकीकरण करने तथा प्रौद्योगिकी संबंधी सुधार करने में ये रुग्ण इकाइयां कहां तक सफल रही ; और

(घ) इन इकाइयों के लेवी कटौती योजना को आगे बढ़ाने सम्बन्धी अनुरोध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (घ) 28-2-82 से सीमेंट के आंशिक विनियंत्रण की योजना शुरू हो जाने के फलस्वरूप अनेक सीमेंट एककों ने अनुरोध किया था कि उन्हें "रुग्ण" एकक माना जाए ताकि वे लेवी कोटा के निर्धारण के सम्बन्ध में उपलब्ध रियायतों का लाभ उठा सकें। इस प्रयोजन के लिए रुग्ण माने गए सीमेंट एककों को लेवी सीमेंट के रूप में अन्य विद्यमान एककों के लिए निर्धारित 66.6 प्रतिशत की तुलना में अधिष्ठापित क्षमता का केवल 50 प्रतिशत उत्पादन देना होता है। मार्च, '82 से फरवरी, 83 और मार्च, 83 से फरवरी, 1984 की अवधि के लिए निम्नलिखित 15 एककों को "रुग्ण" घोषित किया था :—

1. ए०सी०सी० द्वारका
2. ए०सी०सी० शिवालिया
3. ए०सी०सी० लखेरी
4. ए०सी०सी० खलारी
5. ए०सी०सी० सिंदरी
6. जयपुर उद्योग लि०, सवाई माधोपुर
7. रोहतास इंडस्ट्रीज लि०, डालमियानगर
8. सोन वैली पोर्टलैंड सीमेंट कं० लि० जापला

9. कल्याणपुर लाइम एंड सीमेंट वर्क्स लि० बंजारी

10. यू०पी० सीमेंट कारपोरेशन, चुर्क

11. यू०पी० सीमेंट कारपोरेशन, डल्ला

12. विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लि०, भद्रावती

13. भारतीय सीमेंट कारपोरेशन का चरखी दादरी एकक

14. इंडियन सीमेंटस लि०, शंकरनगर

15. तमिलनाडु सीमेंट कारपोरेशन, अलंगुलम

इनमें से 13 एककों ने इस लाभ को वर्ष 1984-85 के लिए जारी रखने के लिए फिर से अनुरोध किया है जिस पर विचार किया जा रहा है।

(ग) "रुग्ण" मानी गई फैक्टरियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उन्होंने वर्ष 1982-83 के दौरान 24.57 करोड़ का वास्तविक व्यय किया है और यह बताया है कि वर्ष 1983-84 और उनकी योजना 1984-85 के दौरान 193.05 करोड़ रु० अतिरिक्त व्यय करने की है। आधुनिकीकरण योजना में संयंत्र की पुनः स्थापना, चूने के पत्थर की खानों का आधुनिकीकरण, कैप्टिव विद्युत संयंत्रों की स्थापना और उनके उत्पादन में सुधार करने के लिए प्रौद्योगिकी की उन्नयन, ऊर्जा में किफायत प्रक्रिया में सुधार और उत्पादकता को अधिकतम करने जैसे अन्य उपाय शामिल हैं।

सार्वजनिक उपयोग के लिए कम्प्यूटर और इलेक्ट्रोनिक वस्तुओं के क्षेत्र में भारत-सोवियत रूस सहयोग

8029. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी।

(क) क्या सोवियत संघ सार्वजनिक उपयोग के लिए कम्प्यूटर्स और अन्य इलैक्ट्रोनिक वस्तुओं को शामिल करके भारत के साथ अपने सहयोग का क्षेत्र बढ़ा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो बढ़ाये जा रहे प्रस्तावित भारत-सोवियत कम्प्यूटर सम्बन्धी सहयोग की मुख्य रूपरेखा क्या है ;

(ग) भारत सोवियत संघ की इस सहायता का उपयोग किस प्रकार करेगा ; और

(घ) क्या यह सहायता सार्वजनिक क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्र में चलाई जा रही परियोजनाओं के रूप में होगी ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० एम०एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) भारत और सोवियत संघ के बीच अप्रैल, 1983 में एक व्यापारिक प्रोटोकाल (नयाचार) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस नयाचार के अंतर्गत सोवियत संघ से ई० सी०

1045 तथा अन्य किस्म की कम्प्यूटर प्रणालियों के आयात की व्यवस्था है। 1045 प्रणालियों का उपयोग मुख्यत: भारत में शैक्षणिक संस्थानों में किया जाएगा आशा की जाती है कि भारत द्वारा किए जाने वाले इस आयात के एवज में सोवियत संघ कम्प्यूटर साफ्टवेयर (यन्त्रेतर-सामग्री) और इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के रूप चार गुना मूल्य का आयात करेगा।

(ग) ऐसा होने पर शैक्षणिक संस्थानों के लिए मुक्त विदेशी-मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं के बगैर ही कम लागत पर कम्प्यूटर प्रणालियों की खरीद करना सम्भव हो सकेगा। सोवियत संघ को किए जाने वाले कम्प्यूटर साफ्टवेयर (यन्त्रेतर-सामग्री) तथा अन्य इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के निर्यात से भारत से अधिक वस्तुओं का निर्यात करने में सहायता मिलेगी और इससे साफ्टवेयर-यन्त्रेतर सामग्री) के विकास और इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के विनिर्माण का आधार और अधिक व्यापक होगा।

(घ) यह परियोजनाओं के रूप में नहीं होगा। निजी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों में कार्य करने वाली साफ्टवेयर (यन्त्रेतर-सामग्री) फर्मों तथा इलेक्ट्रानिकी वस्तुओं के विनिर्माताओं से आशा की जाती है कि वे सोवियत संघ की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे। सोवियत संघ को किए जाने वाले निर्यात का समन्वय-कार्य इलेक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम (ई०टी०टी०सी०) द्वारा किया जाएगा।

एस० ए० एम० सी० में गैस्ट हाउस, संस्थापना आदि पर खर्च

8030. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **उद्योग मन्त्री** एम० ए० एम० सी में हानि के बारे में 21 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4075 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 के दौरान नई दिल्ली स्थित एम० ए० एम० सी० के गैस्ट-हाउस के कमरे औसतन प्रतिमाह कितने दिन बुक रहते थे तथा एक महीने के दौरान एक समय में या विभिन्न अवधियों में, लोगों के ठहरने के कुल कितने कमरे बुक रहते थे ;

(ख) 'संस्थापना' के अन्तर्गत किए गए खर्च का विवरण क्या है तथा क्या वहां नियुक्त कर्मचारियों को छुट्टी, चिकित्सा सुविधा, छुट्टी यात्रा रियायत, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी आदि यदि हां तो कितने मूल्य के, लाभ दिए जाते हैं ;

(ग) वर्तमान पट्टे की अवधि क्या है, यह शुरू में कब समाप्त हुई थी और अन्तिम बार कब बढ़ाई गई थी तथा मासिक किराया कैसे निर्धारित किया गया था ; और

(घ) मालियों की नियुक्ति सम्बन्धी खर्च सहित, इस भवन के लान; फूलों के क्यारियों आदि के रख-रखाव पर एम० ए० एम० सी० के खाते में प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की जा रही है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि रामराव) : (क) 1983-84 के दौरान नई दिल्ली स्थित एम० ए० एम० सी० के गेस्ट हाउस के चार कमरों में से प्रत्येक कमरा औसतन प्रतिमाह 20 जनदिवस बुक रहता था।

(ख) 1982-83 के दौरान "संस्थापना" पर किए गए खर्च का विवरण निम्न प्रकार था :—

वेतन	13,680.00 रु०
महंगाई भत्ता	16,675.80 रु०
मकान किराया भत्ता	3,419.80 रु०
नगर प्रतिपूर्ति भत्ता	1,094.40 रु०
योग	34,870.00 रु०

गेस्ट हाउस में नियुक्त कर्मचारियों को छुट्टी, चिकित्सा सुविधा, छुट्टी यात्रा रियायत, भविष्य निधि, आदि जैसे लाभ दिए जाते हैं और मूल्य के रूप में 1983-84 में लगभग 13,000 रु० के लाभ दिए गए थे।

(ग) शुरू में 1-4-1976 से पट्टा तय किया गया था और समय-समय पर इसे बढ़ाया गया है। अन्तिम पट्टे की अवधि 31-3-1984 तक थी जिसे 4,200 रु० के मासिक किराए पर लिया गया था एम० ए० एम० सी० ने इसमें वृद्धि करने के लिए मकान मालिक से अनुरोध किया है।

(घ) गेस्ट हाउस के लान, आदि के रख-रखाव पर एम० एम० ए० सी० ने 1983-84 में 780 रुपये खर्च किए थे। एम० ए० एम० सी० की नामावली में कोई माली नहीं है।

दोहरी सीमेंट नीति का मूल्यांकन

8031. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फरवरी, 1982 में शुरू की गई दोहरी सीमेंट नीति का कोई मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ;

(ग) क्या वर्तमान नीति से, उपभोक्ताओं को, जिन्हें बाजार में सीमेंट उपलब्ध न होने के कारण कई बार लेवी की सीमेंट नहीं मिल पाती, कोई लाभ पहुंचने की बजाय, सीमेंट निर्माताओं और स्टाकिस्टों को इसे काला-बाजार में बेचकर और अपने गोदामों में नियमित चोरी करके इसमें मिलावट करके भारी लाभ कमाने में सहायता दी है ;

(घ) क्या सरकार राज्यों को लेवी सीमेंट के वर्तमान कोटे को बढ़ाने की व्यावहारिकता पर विचार करेगी ; और

(ङ) वैट प्रोसेस की बजाय ड्राई प्रोसेस, जिसमें ईंधन की कहीं ज्यादा बचत होती है, अपनाकर अपने निर्माण सम्बन्धी प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए सीमेंट कम्पनियों से अनुरोध करने के बारे में सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) 28-2-1982 को चालू की गई सीमेंट के आंशिक विनियन्त्रण की योजना के संचालन की बारीकी से मानिटरी और समीक्षा की जाती है। योजना की समीक्षा करने पर पता चला है कि देश के विभिन्न भागों में उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सीमेंट उपलब्ध करने और उत्पादक को उसका उचित लाभ दिलाने का सुनिश्चय करने सम्बन्धी आधारभूत उद्देश्य कुल मिलाकर प्राप्त कर दिए गए हैं।

(ग) सीमेंट की छुटपुट चोरी होने और उसमें मिलावट करने जैसी कदाचारों के मामलों में, राज्य सरकारें/संघशासित क्षेत्रों के प्रशासन सम्बद्ध माप एवं तोल कानूनों के उपबन्धों के अधीन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन और प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्रवाई करने के लिए सक्षम हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के उपबंधों के अधीन सीमेंट (किस्म नियन्त्रण) आदेश, 1962 भी जारी किया था जिसके अधीन सभी सीमेंट उत्पादकों को भारतीय मानक विशिष्टियों के अनुरूप सीमेंट का उत्पादन करना होता है। 3 जून, 1983 को इस आदेश में संशोधन किया गया था, जिसके अन्तर्गत सीमेंट उद्योग में आई० एस० आई० प्रभावीकरण 1-7-1983 से अनिवार्य कर दिया गया है।

(घ) देश में सीमेंट की उपलब्धता में वृद्धि होने पर जिसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है, राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के लेवी सीमेंट के आबंटन में यथा समय वृद्धि कर पाना सम्भव हो सकेगा।

(ङ) अनेक सीमेंट एककों ने प्रक्रिया वाले आधुनिकीकरण/विस्तार योजनाएं बनायी हैं जैसे हम प्रक्रिया वाले संयंत्रों को शुष्क प्रक्रिया वाले संयंत्रों में बदलना प्री-कैल्सीनेटर चालू करना, डीजल चालित केप्टिव जनित्रण सैटों और वायुप्रदूषण वियन्त्रण उपकरणों की स्थापना करना आदि।

पिछड़े क्षेत्रों/राज्यों में नई रेल लाइनें

8032. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **उद्योग मन्त्री** पिछड़े क्षेत्रों/राज्यों के लिए नई रेलवे लाइनों के बारे में 28 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10037 के उत्तर के सम्बन्ध यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना में पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उपरोक्त उत्तर में उल्लिखित रेल लाइनों के अतिरिक्त कोई नई रेल लाइनों के निर्माण के लिए सिफारिश की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके नाम क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या मन्त्रालय हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्यों, आदि जैसे राज्यों में छठी पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ की गई नई रेल लाइनों के तेजी से निर्माण करने के लिए सरकार से अनुरोध करेगी ;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) डांग्स जिले में छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने सम्बन्धी गुजरात राज्य सरकार के प्रस्ताव की सिफारिश रेल मन्त्रालय के विचार विमर्श के लिए की गई है।

5वीं योजना की आगे बढ़ायी जाने वाली परियोजनाओं के अलावा, रेल मन्त्रालय ने छठी योजना की अवधि में हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में निम्नलिखित तीन परियोजनाएं हाथ में ली हैं :

1. 1981-82 में नांगल बांध-तलवाड़ा, हि० प्र० का निर्माण और 84.74 कि० मी/ 29.16 कि० मी० से अधिक लम्बाई की मुकेरियन-तलवाड़ा साइडिंग का कार्य हाथ में लेने की स्वीकृति दी गई थी। इस परियोजना का कार्य चल रहा है ;

2. वर्ष 1982-83 में 1.6 करोड़ रुपये की लागत नई बड़ी लाइन (4.3 कि० मी०) कालका पखानु, हि०प्र० के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। रेल के आखिरी स्टेशन के स्थल का पता लगाने और लिपरा स्टेशन से आगे लाइन जोड़ने के कार्य को अन्तिम रूप देने के लिए स्थल सम्बन्धी अन्तिम सर्वेक्षण चल रहा है।

3. पूर्वोत्तर राज्यों में, वर्ष 1983-84 में जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर जोगीघोपा से गोहाटी तक बड़ी लाइन वाला रेल और सड़क का पुल बनाने की स्वीकृति दी गई थी।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षाबल में कार्यरत कर्मचारियों को अपने राज्यों से बहुत दूर के स्थानों को स्थानान्तरण

8033. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल आदि में कार्यरत कान्स्टेबल जैसे कम वेतनभोगी कर्मचारियों का अपने राज्यों से बहुत दूर के स्थानों को स्थानान्तरण करने के लिए कोई स्पष्ट मार्गनिर्देश है ;

(ख) यदि हां, तो इन मार्ग निर्देशों की रूपरेखा क्या है ;

(ग) क्या ऐसे कर्मचारियों से, जो (एक) पांच वर्षों (दो) सात वर्षों (तीन) दस वर्षों से अधिक समय से सेवारत हैं और जिनके द्वारा नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, नया नांगल, पानीपत, पब्लिक अण्डरटेकिंग्स आफ हरिद्वार आदि में उनका स्थानान्तरण नहीं किया गया है, से प्राप्त स्थानान्तरण सम्बन्धी कोई आवेदन सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनके आवेदनों के किस तारीख तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल में स्थानान्तरण की नीति इन बलों के अखिल भारतीय स्वरूप से निर्दशित होती है जिससे देशभर में उन पर स्थानान्तरण का दायित्व आ जाता है। प्रशासनिक तथा प्रचालन सम्बन्धी अपेक्षाओं को देखते तैनातियां निम्नलिखित मार्गनिर्देशों के अनुसार की जाती हैं :—

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल : कार्मिकों को अपने कैरियर के पहले 8 सालों के लिए (अनुकम्पा के मामलों में 6 साल) अपने मूल जोनों से बाहर तैनात किया जाता है।

इसके बाद, उन्हें अपनी बारी पर अपने मूल जोनों/राज्यों में तैनात किए जाने के बारे में विचार किया जाता है।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल : कार्मिकों को बटालियनों में तैनात किया जाता है जिनकी बदली होती रहती है और ये हर चार सालों में दुर्गम तथा सुगम क्षेत्रों में सेवा के लिए, बारी-बारी अपना स्थान बदलती रहती है। उन्हें तीन साल की अवधि के लिए बारी-बारी से ग्रुप सेन्टर जैसे स्थायी स्थानों पर भी तैनात किया जाता है।

सीमा सुरक्षा बल : सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों को यूनिटों/बटालियनों में रखा जाता है और उन्हें मुख्यतया सीमा पर तैनात किया जाता है। यूनिटों की एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र अदला-बदली करने की नियमित पद्धति है। इस प्रयोजनों के लिए 3 से 5 साल की अवधि निर्धारित की गई है। कार्मिकों को यूनिटों से संबद्ध किया गया है, इसलिए ये यूनिटों के साथ ही रहते हैं।

2. उपर्युक्त मार्गनिर्देशों का पालन करते समय यह कोशिश की जाती है कि कार्मिकों को अपने पसंद के स्टेशनों पर कार्य करने का बारी-बारी अवसर मिलता रहे। अनुकम्पा के आधार को भी पर्याप्त तथा उचित ध्यान दिया जाता है।

(ग) केवल केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की यूनिटें ही इन स्थानों पर तैनात हैं। उनके मामले में स्थिति इस प्रकार है कि जिन कार्मिकों ने बाहर तैनाती के केवल 5 साल पूरे किए हों, वे स्थानान्तरण के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होते। कुछ ऐसे कार्मिकों के मामले भी हैं, जिन्होंने अपने मूल जोन से बाहर 7 साल की सेवा कर ली हैं। उन्हें अपनी बारी पर अपनी पसंद के स्थानों पर स्थानांतरित किए जाने के वास्ते प्रतीक्षा सूची में रखा गया है ऐसे किसी कांस्टेबल का अपने मूल जोन में स्थानांतरण किए जाने का कोई मामला पेंडिंग नहीं है, जिसने अपने मूल जोन से बाहर 10 साल की सेवा पूरी कर ली हो।

(घ) कोई सही-सही तारीख बताना संभव नहीं है। तथापि, प्रतीक्षा सूची में उनके क्रमानुसार स्थानान्तरण किए जाएंगे, बशर्ते कि रिक्त स्थान उपलब्ध हों।

मध्य प्रदेश में कोरबा एल्यूमिनियम संयंत्र की प्रगति

8034. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कोरबा एल्यूमिनियम परियोजना कब पूरी हुई थी और उसमें काम कब शुरू हुआ है;

(ख) उक्त संयंत्र की उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ग) वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान प्राप्त उत्पादन का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या यह सच है कि वर्ष प्रतिवर्ष उत्पादन धीरे-धीरे कम हो रहा है ;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(च) उत्पादन की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने तथा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) एल्यूमिनियम प्रद्रावक के निर्माण के पूरा होने तथा चालू किए जाने का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

यूनिट	निर्माण पूरा हुआ	चालू किया गया
प्रथम चरण	मार्च, 1975	मई, 1975
दूसरा चरण	जून, 1976	सितम्बर, 1977
तीसरा चरण	दिसम्बर, 1977	जुलाई, 1983
चौथा चरण	सितम्बर, 1978	अभी चालू किया जाना है।

(ख) चारों चरणों को मिलाकर 100,000 टन

(ग) प्राप्त उत्पादन का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

वर्ष	उत्पादित मात्रा (टनों में)
1980-81	29,179
1981-82	34,756
1982-83	43,240
1983-84	61,338 (अनन्तिम)

(घ) जी नहीं। वस्तुतः शनैः शनैः बढ़ रहा है।

(ङ) सवाल नहीं उठता।

(च) मन्त्रालय तथा भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि० (बाल्को) लगातार मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से अधिक बिजली पूर्ति के लिए जोर देते रहे हैं। 1983-84 में विद्युत पूर्ति में कुछ सुधार हुआ, जिसके फलस्वरूप वर्ष में अधिक उत्पादन हुआ। विद्युत समस्या के दीर्घकालीन समाधान हेतु सरकार ने दिसम्बर, 1982 में बाल्को के कोरबा प्रोजेक्ट में एक ग्रहीत बिजली घर (270 मे० वा०) की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की है। इस परियोजना के लिए वित्त व्यवस्था की रूपरेखा पर विचार किया जा रहा है।

भारतीय भूसर्वेक्षण के कार्यक्रमों के लिए की गई व्यवस्था

8035. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय भू-सर्वेक्षण की गतिविधियों और कार्यक्रमों के लिए की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ;

(ख) छठी योजना अवधि के दौरान कितने क्षेत्र में सर्वेक्षण किया गया और क्या परिणाम प्राप्य हुए ;

(ग) 1983-84 वर्ष के अन्त तक कितनी राशि व्यय की गई ; और

(घ) 1984-85 वर्ष के लिए कितना प्रावधान किया गया है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) योजना आयोग ने खान विभाग के लिए छठी योजना के कुल 1300 करोड़ रुपए के आबंटन में से शुरू में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए 70 करोड़ रुपए (फलित कार्यों हेतु 56.57 करोड़ रु० तथा निर्माण कार्यों हेतु 13.43 करोड़ रु०) का आबंटन किया था। छठी योजना हेतु समग्र विभागीय सीमा के अन्तर्गत, विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति को ध्यान में रखकर, उनके लिए प्रावधान राशियों का समायोजन करके अन्य के साथ-साथ भारतीय भू-सर्वे के लिए भी योजना आयोग के परामर्श से वार्षिक आबंटन किया गया है।

(ख) खनिजों की खोज लगातार चलने वाला कार्य है और भारतीय भू-सर्वे द्वारा यह देश के विभिन्न राज्यों में लगातार की जा रही है। साथ ही 6वीं योजना में जी० एस० आई० ने भारत के समुद्री क्षेत्र में गवेषण और हवाई भू-भौतिकी सर्वेक्षण भी किया है। अब तक 4.4 लाख वर्ग किलोमीटर क्रमबद्ध वैज्ञानिक मानचित्रण, 22,954 वर्ग किलोमीटर बड़े पैमाने का मानचित्रण, 580 वर्ग किलोमीटर व्यापक मानचित्रण 5.02 लाख मीटर डिलिंग, 1.77 लाख वर्ग किलोमीटर समुद्री भूविज्ञान सर्वे० तथा 2.14 लाख वर्ग किलोमीटर हवाई सर्वेक्षण हुआ है। फलस्वरूप, प्राप्त खनिज स्रोत इस प्रकार है :—

खनिज	राज्य
कोयला	प० बंगाल, बिहार, उड़ीसा, म० प्र० और आन्ध्र प्रदेश
बाक्साइट	उड़ीसा, म० प्र०, बिहार
लिग्नाइट	तमिलनाडु, राजस्थान
ताम्बा	राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, हरियाणा और कर्नाटक
टंगस्टन	राजस्थान

टिन अयस्क	मध्य प्रदेश, उड़ीसा और हरियाणा
चूना पत्थर	राजस्थान, म० प्र० अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल और आंध्र प्रदेश
क्रोमाइट	उड़ीसा
स्वर्ण	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, डोलोमाइट-अरुणाचल प्रदेश।
राकफास्फेट	म० प्र०, मेघालय, उत्तर प्रदेश और प० बंगाल
हीरा	आंध्र और मध्य प्रदेश
जस्ता-सीसा	राजस्थान, महाराष्ट्र और प० बंगाल
चट्टानी नमक	राजस्थान
मैंगनीज	म० प्र०, उड़ीसा

(ग) 1980-81 से 1982-83 तक 40.20 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और 1983-84 में 19.75 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है।

(घ) 1984-85 के लिए 27.50 करोड़ रुपए का प्रावधान योजना आयोग ने किया है। भारतीय भूसर्वेक्षण के बजट प्रावधान में यह वृद्धि उसके कार्यों के विस्तार को ध्यान में रखकर की गई है।

दामनजोड़ी अल्यूमीनियम संयंत्र में रोजगार के बारे में सार्वजनिक उद्यम ब्यूरों के मार्गनिर्देश

8036. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामनजोड़ी अल्यूमीनियम संयंत्र में रोजगार के बारे में "नाल्को" को सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो से कोई नीति निर्देश प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो मार्गनिर्देशों का ब्यौरा क्या है और "नाल्को" द्वारा नीति के कार्यान्वयन के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा है ;

(ग) सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति के द्वारा अनुसूचित जन जातियों और अनुसूचित जातियों के श्रेणीवार कितने कर्मचारियों को नौकरी में खपाया गया है ; और

(घ) सीधी भर्ती, राज्य सरकारों या भारत सरकार के अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति और अन्य परियोजनाओं से स्थानांतरण के जरिये अब तक श्रेणी-वार कुल कितने लोगों को नियुक्त किया गया है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भर्ती पद्धति से सम्बन्धित लोक उद्यम ब्यूरो द्वारा जारी मार्गदर्शी नियमों के अनुसरण हेतु नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि० (नाल्को) के ध्यान में लाया गया था। लोक उद्यम ब्यूरो द्वारा जारी मार्गदर्शी नियमों के अनुसार कम्पनी द्वारा उन पदों पर भर्ती जिनका अधिकतम वेतनमान 800/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होता स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती हैं। यदि रोजगार कार्यालय द्वारा किसी श्रेणी के पद के सम्बन्ध में "उपलब्ध नहीं प्रमाण पत्र" जारी किया जाता है, तो रिक्तियां स्थानीय समाचार पत्रों में अधिसूचित की जाती हैं। अधिकारी तथा पर्यवेक्षी श्रेणियों में कार्मिकों की भर्ती के लिए पदों को स्थानीय तथा अखिल भारतीय स्तर के दोनों समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर तथा निजी सम्पर्क द्वारा अखिल भारतीय आधार पर भरा जाता है। परियोजना हेतु अधिग्रहीत क्षेत्रों से विस्थापित व्यक्तियों या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के व्यक्तियों को भर्ती के मामले में उच्च प्राथमिकता दी जाती है। नाल्को उपर्युक्त मार्गदर्शी नियमों को अपना रहा है।

(ग) 20 मार्च, 1984 को दामनजोड़ी एल्यूमिना संयंत्र में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1. सीधी भर्ती	31	17
2. प्रतिनियुक्ति	—	—

(घ) दामणजोड़ी एल्यूमिना संयंत्र में 20-3-1984 तक विभिन्न स्रोतों के माध्यम से नियुक्त किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या :—

1. सीधी भर्ती	166
2. प्रतिनियुक्ति पर राज्य सरकार	2
3. भारत सरकार से प्रतिनियुक्ति पर	1
4. अन्य सरकारी उद्यमों से स्थानांतरण पर	9

नाल्को में स्थानीय लोगों को रोजगार

8037. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नाल्को" प्राधिकारियों ने स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की नीति को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकारी उद्यम कार्यालय के अनुसार तथा उनके मन्त्रालय द्वारा की व्याख्या और "नाल्को" द्वारा परिभाषित "स्थानीय" शब्द का क्षेत्राधिकार क्या है ;

(ग) क्या यह केवल स्थानीय रोजगार कार्यालय तक ही सीमित है ; यदि हां, तो कोरापुट जिले के अन्य क्षेत्रों को इसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कैसे सम्मिलित किया जाने वाला है ;

(घ) क्या उपमण्डलीय स्तर और जिला स्तर के रोजगार कार्यालय इस परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं और तदनुसार "नाल्को" द्वारा उन्हें सूचित किया जाता है ;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(च) जिले के यदि "जिला" एक स्थानीय क्षेत्र हैं, योग्य व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये क्या उपाय किये जायेंगे ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी, हां ।

(ख) से (च) स्थानीय रोजगार दफ्तरों में पंजीकृत व्यक्ति स्थानीय माने जाते हैं । जहां 800/- रु० मासिक के अधिकतम वेतनमान वाले पदों की भर्ती की बात है, तो इन पदों के बारे में नाल्को अपने प्रोजेक्ट क्षेत्र, के स्थानीय रोजगार दफ्तरों को रिक्तियां सूचित करता है । यदि उन रोजगार दफ्तरों के पास उपयुक्त उम्मीदवार नहीं होते तो वह समीप के अन्य रोजगार दफ्तरों के उम्मीदवारों के नाम भेज सकता है । जिन मामलों में स्थानीय रोजगार दफ्तर "उम्मीदवार उपलब्ध नहीं" का प्रमाणपत्र दे देते, तो रिक्त पदों को स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापित कर दिया जाता है ।

अनुसूचित जातियों और अनु० आदिम जातियों के लिए रिक्त पदों की सूचना स्थानीय रोजगार दफ्तरों को देने के अलावा, इस योजना हेतु गठित विशेष रोजगार दफ्तरों को भी सूचना दी जाती है ।

दामनजोड़ी एल्यूमिना संयंत्र में 800/- रु० प्रतिमास के अधिकतम वेतनमान वाले गैर-प्रशासनिक पदों को रिक्तियों नाल्को द्वारा कोरापुट रोजगार दफ्तर को अधिसूचित की जाती हैं । लेकिन स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापित पदों के लिए कोरापुट जिले के अन्य क्षेत्रों के व्यक्ति भी आवेदन कर सकते हैं ।

दामनजोड़ी और आंगुल में 'नालको' परियोजनाओं की प्रगति

8038. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामनजोड़ी और आंगुल में नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड प्राधिकरण द्वारा निर्माण के शुरू से अब तक घटक-वार क्या प्रगति की गयी है ;

(ख) उनके मन्त्रालय ने दोनों परियोजनाओं के लिये कुल कितना पूंजी निवेश किया है ;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय ने निर्माणाधीन कार्य की प्रगति की पुनरीक्षा की है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष रहे और समय पर काम को समाप्त करने के लिये उपाय करने हेतु "नालको" प्राधिकरण को क्या निदेश दिए गए हैं ; और

(ङ) निर्धारित समय पर एल्यूमिना/अल्यूमिनियम संयंत्र को चालू करने के लिये उनके मंत्रालय और "नाल्को" प्राधिकरण ने क्या कदम उठाए हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (नाल्को) एक समेकित एल्यूमिनियम कम्पलैक्स, जिसमें पंचपटमाली और दामनजोड़ी में क्रमशः बाक्साइट खान और एल्यूमिना संयंत्र तथा आंगुल में एल्यूमिनियम प्रद्रावक संयंत्र और ग्रहीत विद्युत संयंत्र का निर्माण कर रहा है।

परियोजना के लिए अधिकांश भूमि प्राप्त कर ली गयी है और यह परियोजना अधिकारियों के कब्जे में हैं। तकनीकी जानकारी और आधारभूत इन्जीनियरी पैकेज विदेशी सलाहकारों से प्राप्त हो गये हैं। अधिकांश महत्वपूर्ण और दीर्घकालीन सुपुर्दगी वाले उपकरणों* के लिए आर्डर देने का काम पूरा हो चुका है। समनवेशी डिलों के प्राप्त होने से ड्रिलिंग शुरू हो गयी। आधारभूत सुविधाएं जैसे साइड-ग्रेडिंग, पहुंच मार्ग, अस्थायी मकान जल और विद्युत निर्माण आवश्यकताओं के अनुरूप स्थलों पर मुहैया कर दिये गये हैं। सभी परियोजना स्थलों पर निर्माण कार्य पूरा जोरों पर है।

(ख) मार्च, 1984 के अन्त तक इस परियोजना पर कुल व्यय लगभग 514 करोड़ रु० है।

(ग) से (ङ) परियोजना की प्रगति की मन्त्रालय में वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों की दृष्टि से नाल्को और इसके मुख्य सलाहकार अर्थात् इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड तथा डिबलपमेंट कन्सलटेंटस (प्रा०) लि० के साथ समीक्षा की जाती है।

सचिव खान की अध्यक्षता में परियोजना की प्रगति की समीक्षा अन्तर मन्त्रालयी सिपाही प्रगति समीक्षा बैठकों में की जाती है, जिसमें मन्त्रिमण्डल सचिवालय, योजना आयोग, लोक उद्यम ब्यूरो तथा अन्य मन्त्रालय भाग लेते हैं।

समयसूची का दृढ़ता से पालन करने को सुनिश्चित करने हेतु जहां भी आवश्यक हुआ है समुचित एजेन्सियों को सम्मिलित किया गया है तथा विभिन्न स्थलों पर निर्माण कार्य की गति तेज करने की उद्देश्य से अतिरिक्त जनशक्ति, मशीन और उपकरण जुटाये जा रहे हैं।

राज्य सरकार के साथ सम्पर्क भी रखा जा रहा है ताकि शेष भूमि अधिग्रहण और राष्ट्रीय राजमार्ग पर सामग्री की ढुलाई में नाल्को की सहायता की जा सके।

दून घाटी में चूने के पत्थर का खनन

8039. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दून घाटी में चूने के पत्थर की लगातार खुदाई से उस क्षेत्र के पर्यावरण के समक्ष उत्पन्न खतरों की जानकारी है ; और

(ख) क्या सरकार का खुदायी कार्य को रोकने के लिए तुरन्त कार्यवाही करने का प्रस्ताव है

*सिविल निर्माण कार्य

क्योंकि इससे न केवल मंसूरी और देहरादून नगर को पानी की सप्लाई पर गम्भीर प्रभाव पड़ेगा बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में अचानक आने वाली बाढ़ का खतरा बढ़ जायेगा ?

पर्यावरण विभाग में उप-मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) मामला उच्चतम न्यायालय के पास है तथा निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

पिछले दशक के दौरान परियोजनाओं का बन्द किया जाना

8040. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं, जिन्हें पिछले दशक में प्रारम्भ किया गया था तथा किसी सफलता अथवा अनुसंधान के माध्यम से संतोषजनक परिणाम के बिना ही उनको बन्द कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इलेक्ट्रोनिक विभाग द्वारा प्रारम्भ की गई इस प्रकार की परियोजनाओं के नाम क्या हैं तथा उन पर कितना व्यय किया गया है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जहां तक इलेक्ट्रॉनिकी विभाग का सम्बन्ध है, पिछले दशक में शुरू की गई किसी भी अनुसंधान परियोजना को, सफल न होने अथवा संतोषजनक परिणाम न देने के कारण, बन्द नहीं किया गया है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

पहाड़िया जनजातियों के वार्षिक सम्मेलन द्वारा पारित अभ्यावेदन और संकल्प,

8041. **श्री ए० के० राय** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के उन्थाल परगना के राज महल क्षेत्र में रहने वाली "पहाड़िया जनजाति" के लोगों की जनसंख्या "आर्थिक स्थिति," साक्षरता और नौकरियों में उनके प्रतिनिधित्व का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि अनुसूचित जनजातियों में भी "पहाड़िया जनजाति" सबसे अधिक पिछड़ी हुयी है और बिहार सरकार पुलिस मामलों में उन्हें फंसा कर उन पर अभियोग चला रही है ;

(ग) क्या सरकार को गोड्डा, सन्थाल परगना में छुपी पहाड़िया जनजाति के 13वें वार्षिक सम्मेलन द्वारा पारित अभ्यावेदन और संकल्प प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (घ) बिहार सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने के पश्चात सभा पटल पर रख दी जाएगी।

संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य का दर्जा दिया जाना

8042. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक संघ राज्य क्षेत्रों ने केन्द्रीय सरकार से अपने-अपने संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य का दर्जा प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो ये संघ राज्य क्षेत्र कौन-कौन से हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) हाल में किसी संघ शासित क्षेत्र सरकार से इस मामले में कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

देश में पर्यावरणीय सम्बन्धी समस्याओं का ब्यौरा

8043. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) देश में अब तक पता लगी पर्यावरणीय सम्बन्धी समस्याओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इन समस्याओं से निपटने के लिए क्या कार्यक्रम तैयार किए गए हैं ?

(ग) उपयुक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक क्या कार्य किया गया है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) देश की प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं में, वनों का विनाश, भू-रक्षण, अन्य प्राकृतिक संसाधनों में कमी, नाजुक पारि-तन्त्रों का संकट तथा विशेषकर, वायु, जल तथा मृदा का प्रदूषण है।

(ख) तथा (ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरणीय संरक्षण तथा सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया है। पर्यावरण के क्षेत्र में कई अनुसंधान अध्ययनों को प्रायोजित किया गया है। पर्यावरण विभाग द्वारा बड़ी विकास परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय अनुप्रभाव आंकलन हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किए गए हैं। पर्यावरणीय शिक्षा तथा जागरुकता के विकास के लिए, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं, पुनश्चर्या, पाठ्यक्रम, समूह चर्चा, लोकप्रिय भाषण, बहुत माध्यमों के अभियानों तथा निबन्ध प्रतियोगिताओं को सहायता दी गई। पर्यावरण विभाग में संकेन्द्रीय बिन्दु (फोकल प्वाइन्ट) सहित एक पर्यावरणीय सूचना तंत्र (ईन्विस) तथा विभिन्न विषय क्षेत्रों में पांच सूचना वितरण केन्द्रों की स्थापना की गई। पारि-विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत कई परियोजनाएं भी चलाई गयीं। प्रदूषण नियन्त्रण के लिए कुछ प्रमुख गतिविधियों में विस्तृत दस्तावेजों, औद्योगिक न्यूनतम राष्ट्रीय मानकों (एम० आई० एन० ए० एस०) का क्रमबद्ध क्रियान्वयन, नदियों के वर्गीकरण तथा जोनिंग के लिए मुहाना विस्तृत सर्वेक्षण; प्रदूषण नियन्त्रण की गतिविधियों में समन्वय के लिए क्षेत्रीय संस्थाओं की स्थापना; तथा वायु प्रदूषण

नियन्त्रण के लिए तकनीकी तथा तार्किक समर्थन का बनाना शामिल हैं। प्राकृतिक सजीव संसाधनों तथा जीव मंडल रिजर्वों के संरक्षण हेतु स्कीमें तैयार की जा रही हैं/कार्यान्वित की जा रही हैं।

ककरापार और तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए खिड़कियों की सप्लाई

8044. **श्री के० ए० राजन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ककरापार स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए आठ खिड़कियों तथा 16 और सम्भावित खिड़कियों और तारापुर के निकट परमाणु अविशेष प्रोसेसिंग संयंत्र के लिए 13 खिड़कियों की सप्लाई के लिए किसी सीटल कम्पनी को आर्डर दिए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उक्त सीटल कम्पनी को आर्डर देने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी०पाटिल) : (क) : जी, हां।

(ख) फर्म का चुनाव उत्पाद के तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त रहने और विश्व स्तर पर मांगी गई निविदाओं में उद्धृत तुलनात्मक लागत के आधार पर किया गया था।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों द्वारा धमकी

8045. **श्री रतन सिंह राजदा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों कर्मचारियों ने उप वित्त मंत्री, भारत सरकार को धमकाया था ;

(ख) क्या बैंक कर्मचारियों ने उन्हें धमकी दी थी, उनका घेराव किया था और हाथापाई की थी।

(ग) क्या समाचार पत्रों की खबरों के अनुसार गम्भीर परिणामों की धमकी दी गई है और उनके जीवन को खतरा है और

(घ) सरकार ने भविष्य में इस प्रकार की आपत्तिजनक घटनाओं की रोकथाम के लिए, यदि कोई कार्यवाही की हो, तो वह क्या है ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) से (ग) उप-वित्त मंत्री द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं और जीवन बीमा निगम के कार्यालयों से प्रशासन सुदृढ़ करने विशेष रूप से अधिक अनुशासन, समय-निष्ठा और बेहतर ग्राहक सेवा के लिए अचानक दौरे आरम्भ किए जाने के पश्चात बैंक कर्मचारियों के एक वर्ग द्वारा उनका घेराव किया गया और उनको टेलीफोन पर बेनामी धमकियां भी मिलनी शुरू हो गई कि यदि उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों की शाखाओं में अपने दौरे बन्द नहीं किए और गलती करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की सिफारिश करना बन्द नहीं किया तो उनके जीवन को खतरा हो जायेगा।

(घ) केन्द्रीय मंत्रियों की सुरक्षा के लिए प्रबन्ध पहले ही विद्यमान हैं। जब भी आवश्यकता होती है इन प्रबन्धों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

सेवा पेपर लिमिटेड कोरापुट की स्थापना

8046. **श्री के० प्रधानी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि कोरापुट जिले में सेवा पेपर लिमिटेड (एस० पी० एल०) जैसी विभिन्न परियोजनाओं को प्रारम्भ करने की वर्तमान क्या स्थिति है ;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : मैसर्स सेवा पेपर्स लि० उड़ीसा के कोरापुट जिले में 33,000 मी० टन प्रति वर्ष की अधिष्ठापित क्षमता वाली एक कागज परियोजना स्थापित कर रहे हैं। भूमि के अधिग्रहण, स्थल को तैयार करने तथा उपकरण लगाने आदि का कार्य पूरा हो गया है। स्टाक तैयार करने के उपकरण सहित कागज बनाने की मशीनों से सम्बन्धित कार्य पूरा होने वाला है। चालू करने से सम्बन्धित परीक्षण शुरू होने की सम्भावना है और परियोजना में वर्ष 1984-85 के मध्य में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो जायेगा।

मध्य प्रदेश में कार्यजनित बीमारी से हुई मौतें

8047. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज की मध्य प्रदेश शाखा द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट की जानकारी है, जिसमें यह बताया गया है कि नागदा मध्य प्रदेश में बहुत से लोगों की कार्यजनित बीमारी से मृत्यु हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। रिपोर्ट के अनुसार फैक्टरी के कार्मिकों को कार्बन डिसल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाई आक्साइड, क्लोरीन और मरकरी वाष्पों के उत्सर्जन से स्वास्थ्य संकट का खतरा है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि अपजल में अत्यधिक विषाक्त रसायन है जिन्हें चम्बलनदी में प्रवाहित किया जाता है।

(घ) कार्मिकों का व्यावसायिक स्वास्थ्य फैक्टरी अधिनियम के अन्तर्गत आता है। इस अधिनियम के उपबन्धों को राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। फैक्टरी परामर्श सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय द्वारा तीन अध्ययन आयोजित किए गए जिसकी सिफारिशों को कार्यान्वियन के लिए मुख्य फैक्टरी निरीक्षक को भेजा गया था। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के केन्द्रीय बोर्ड ने भी फैक्टरी अपशिष्टों के बारे में एक अन्वेषण किया और उसने फैक्टरी अपशिष्ट उपचार संयंत्र की क्षमता में वृद्धि करने तथा जैसाकि न्यूनतम राष्ट्रीय मानक कार्यक्रम में निर्धारित है, बी० ओ० डी० में कमी करने का निदेश दिया है। रेयन फैक्टरियों से होने वाले वायु और जल प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए गठित विशेषज्ञ दल ने अपना अध्ययन पूरा कर लिया है और इसकी रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है।

देश में बच्चों की संख्या

8048. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले आकलन के अनुसार देश में बच्चों की (15 वर्ष की आयु से कम) संख्या क्या है ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : 1981 की जनगणना के अनुसार देश में 0-14 वर्ष की आयु समूह के बच्चों की अनुमानित जन संख्या 263,064,491 है जो पांच प्रतिशत नमूने पर आधारित है। इस अनुमान में असम राज्य जहां 1981 की जनगणना नहीं की जा सकी थी, के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

रेलगाड़ियों में अपराध रोकने के लिए मुख्य मंत्रियों से परामर्श

8049. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने रेलगाड़ियों में लूटपाट, डकैती आदि की घटनाओं की रोकथाम के लिए मुख्य मंत्रियों पर सम्बन्धित राज्य में कानून व्यवस्था में सुधार करने हेतु दबाव डाला है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) और (ख) राज्यों के मुख्य मंत्रियों से कोई परामर्श नहीं किया गया। परन्तु रेलवे में अपराध को रोकने के लिए उनको पत्र लिखे गए हैं। उन्होंने अपराधों को रोकने और स्थिति सुधारने के लिए सभी प्रयास करने का आश्वासन दिया है।

गैर-सरकारी क्षेत्र में दूरसंचार उपकरणों का निर्माण

8050. **श्री मोहन लाल पटेल** :

श्री के० ए० राजन :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में दूरसंचार उपकरणों के निर्माण करने सम्बन्धी अपनी नीति में परिवर्तन किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निजी क्षेत्र को भी इस क्षेत्र में शामिल होने की अनुमति दी गई है ;

(ग) उन निजी क्षेत्र के एककों के नाम क्या हैं जिन्होंने मौके पर दूरसंचार उपकरणों के निर्माण के लिए अपने एकक स्थापित करने हेतु लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन पत्र दिए हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और उन एककों के नाम क्या हैं जिन्हें स्वीकृति प्रदान की गई है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) और (ख) दूर संचार उपस्कर के विनिर्माण में निजी उद्यमकर्त्ताओं का सहयोग प्राप्त करके अब तक अपनाई गई नीति के क्षेत्र को व्यापक बनाया गया है।

(ग) तथा (घ) प्रश्न के इन भागों में मांगी गई जानकारी विवरण में दी गई हैं।

विवरण

संचार उपकरणों आदि के विनिर्माण के लिए निजी कम्पनियों से प्राप्त आवेदन-पत्रों की सूची

क्रम सं०	पार्टी का नाम	विनिर्माण की वस्तु	स्थापना-स्थल	विदेशी सहयोग	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	मैसर्स इन्डस्ट्रीयल डवलपमेंट कन्सोर्टियम (प्रा०) लि० बंगलौर-25 दिनांक 30-3-84	टेलीफोन उपकरण 1,00,000 नग पी० ए० बी० एक्स० दूरमुद्रक और आंकड़ा संचार उपस्कर एक लाख	बंगलौर	कोई नहीं	प्रक्रियाधीन
2.	मैसर्स बीनाटोन इलेक्ट्रॉनिक्स (प्रा०) लिमिटेड, साहिबाबाद-201007 दिनांक 4-4-84	1. टेलीफोन उपकरण 2,00,000 नग 2. पेजिंग उपस्कर 1,00,000	साहिबाबाद (उ० प्र०)	कोई नहीं	प्रक्रियाधीन
3.	मैसर्स यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स लि०, नई दिल्ली दिनांक 4-4-84	1. टेलीफोन उपकरण 5.0 लाख 2. पी० ए० बी० एक्स० एक्सचेंज 50,000 लाइनें 3. दूरमुद्रक 5000 नग 4. आंकड़ा संचार उपस्कर 50 नग	श्रेणी 'ख' गुजरात	कोई नहीं	प्रक्रियाधीन

1	2	3	4	5	6
4.	मैसर्स ऊषा माइक्रोप्रोसेस कन्ट्रोल्स लि०, नई दिल्ली दिनांक 4-4-84	1. टेलीफोन उपकरण -1,00,000 नग 2. पी० ए० बी० एक्स० प्रणालियों दूरमुद्रक तथा आंकड़ा संचार उपस्कर -5,000 नग	दादरी (उ० प्र०)	कोई नहीं	प्रक्रियाधीन
5.	मैसर्स ऊषा रेक्टिफायर कारपोरेशन इण्डिया (प्रा०) लि०, नई दिल्ली दिनांक 4-4-84	1. टेलीफोन उपकरण 50,000 नग 2. पी० ए० बी० एक्स० प्रणालियां दूरमुद्रक तथा आंकड़ा संचार उपस्कर-7500 नग	फरीदाबाद	कोई नहीं	प्रक्रियाधीन
6.	मैसर्स यूनिट्रॉन लिमिटेड, फरीदाबाद दिनांक 4-4-84	1. टेलीफोन उपकरण-5,00,000 2. पी० ए० बी० एक्स० एक्सचेंज 50,000 नग 3. दूरमुद्रक-5,000 नग 4. आंकड़ा संचार उपस्कर -50 प्रणालियां	बल्लभगढ़ फरीदाबाद	कोई नहीं	प्रक्रियाधीन
7.	श्री ए० आर० दहिया चण्डीगढ़-160022 दिनांक 10-4-84	टेलीफोन उपकरण 5,00,000 नग	कालका जिला अम्बाल हरियाणा	कोई नहीं	प्रक्रियाधीन

मणिपुर राइफल्स के एक सहायक कमांडेंट की हत्या

8051. **श्री रामकृष्ण मोरे** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 फरवरी, 1984 को इम्फाल के पास उखराम में जवानों ने मणिपुर राइफल्स के एक सहायक कमांडेण्ट की हत्या की थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भविष्य में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) तथा (ख) 29-2-1984 को छठी मणिपुर राइफल्स के सहायक कमांडेंट और एडजुटेंट श्री धीरेन सिंह सांय लगभग 8 बजे खारासाम जंकशन चौकी पर उन अनुपस्थित व्यक्तियों की जांच करने गए थे जिनकी चौकी कमांडर सूबेदार जाखोथांग द्वारा उनको पहले सूचना दी गई थी। उनके साथ श्री लागेरंग काबुई, सहायक कमांडेंट थे। श्री काबुई जो नशे में थे, ने चौकी के जवानों के साथ दुर्व्यवहार किया। चौकी के जवानों ने उसके दुर्व्यवहार के प्रति कथित प्रतिक्रिया व्यक्त की और श्री काबुई पर हमला कर दिया जिनकी चिकित्सा की गई और उनकी बाद में मृत्यु हो गई।

(ग) सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए हैं और जांच-पड़ताल की जा रही है। श्री धीरेन सिंह सहायक कमांडेंट के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां आरम्भ कर दी गई हैं और उनको निलम्बित कर दिया गया है। चौकी के सभी तीस कार्मिकों को भी निलम्बित कर दिया गया है।

पतियों को बुलाने के सम्बन्ध में कानूनी शक्ति

8052. **श्री सज्जन कुमार** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस के दहेज विरोधी कक्ष के पास ऐसे पतियों को वापिस बुलाने की कोई कानूनी शक्ति नहीं है, जो अपने विवाह में कम दहेज मिलने के कारण अकेले विदेश चले जाते हैं तथा फिर न तो वे वर्षों तक अपनी पत्नी को वहां बुलाते हैं और न ही उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा ऐसा कानून न बनाए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे पतियों को किस कानून के अन्तर्गत विदेशों से वापस बुलाया जा सकता है ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) दिल्ली पुलिस के दहेज निरोधी कक्ष के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है।

(ख) और (ग) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट किसी

व्यक्ति को यह आदेश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी के भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता दे, यदि पर्याप्त साधनों वाला ऐसा कोई व्यक्ति अपनी पत्नी की उपेक्षा करता है अथवा उसे रखने से इन्कार करता है।

पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष सहायता कार्यक्रम

8053. **श्री हरीश रावत** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार के विशेष सहायता कार्यक्रम के प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया गया है ;

(ख) पहाड़ी क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी शीर्ष के अन्तर्गत इन क्षेत्रों के विकास के लिए अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है और इसमें से कितनी धनराशि का खर्च केन्द्रीय सरकार ने वहन किया है ;

(ग) क्या इतनी भारी धनराशि खर्च करने के बाद भी पहाड़ी जिलों की प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों की उप-योजना, जो कुछ अंश तक विशेष केन्द्रीय सहायता से निधिबद्ध होती है के कार्यान्वयन की वार्षिक प्रगति का पुनरीक्षण आगामी वर्ष के लिए उप-योजनाओं को अन्तिम रूप देते के दौरान किया जाता है।

(ख) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों की उप-योजना पर पांचवी पंचवर्षीय योजना से, व्यय और इसमें विशेष केन्द्रीय सहायता का भाग निम्न प्रकार से है :—

(करोड़ रु०)

अवधि	उप-योजना का कुल आकार	विशेष केन्द्रीय सहायता अंश
(1) पांचवी योजना (1974-79)	205.34	104.00
(2) 1979-80 (व्यय)	71.68	32.50
(3) छठी योजना (अनुमोदित परिव्यय)	570.00	350.00

(ग) से (ङ) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से सम्बन्धित सूचना इस कार्यक्रम को आरम्भ करने के बाद से उपलब्ध नहीं है।

उड़ीसा में उद्योगों की स्थापना

8054. **चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में विभिन्न स्थानों पर अब तक कितने उद्योग लगाए गए हैं ;

(ख) उनमें से कितने उद्योगों पर गैर-सरकारी क्षेत्र का स्वामित्व है ;

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र के स्वामित्व वाले औद्योगिक एककों का ब्योरा क्या है ;

(घ) उड़ीसा में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र के "इपीकोल" के प्रबन्धाधीन कितने उद्योग लगाए गए हैं ; और

(ङ) तत्सम्बन्धी अन्य ब्योरा क्या है ;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) 24. यह संख्या उन एककों की है जो उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन लाइसेंसीकृत हैं किन्तु लघु उद्योग क्षेत्र में स्थापित वह उद्योग इसमें सम्मिलित नहीं हैं जो उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के क्षेत्र से बाहर हैं तथा उक्त अधिनियम के छूट सम्बन्धी प्रावधानों के अधीन जिनका पंजीकरण किया गया है।

(ख) 19.

(ग) लाइसेंसीकृत एककों के ब्योरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा प्रति माह प्रकाशित किए जाते हैं।

(घ) तथा (ङ) छठी योजना की अवधि में इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ उड़ीसा लि० ने अब तक (1) कार्बन तथा मिश्र इस्पात सीमलेस पाइपिंग, बेण्डिंग आदि (2) अल्यूमिनियम तार छड़े (3) सीमेंट तथा (4) पारेषण लाइन टावर सब-स्टेशन ढांचे बनाने के लिए एककों की स्थापना की है।

त्रिपुरा में पाकिस्तानी चिन्ह वाली गोलियों का पाया जाना

8055. **नवल किशोर शर्मा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, 1984 में त्रिपुरा के उत्तरी जिले में उग्रवादियों द्वारा सीमा सुरक्षा बल के एक दल पर घात लगाकर हमला करने की घटना में पाई गई गोलियों पर पाकिस्तानी आयुद्ध कारखाने के चिन्ह थे ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी हां, श्रीमान 11 फरवरी, 1984 की घटना के स्थल से भारतीय मूल के गोलाबारूद के साथ पाकिस्तान आयुद्ध कारखाने के चिन्ह वाले 303 के 4 चले हुए खोल और एक मिसफायर्ड खोल बरामद हुए।

(ख) यह माना जाता है कि विद्रोहियों द्वारा अधिकांश हथियार और गोलाबारुद चोरी छिपे प्राप्त किए गए है, इसलिए पाकिस्तान आयुद्ध कारखाने के चिन्ह वाले गोलाबारुद की बरामदगी से कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। सीमा पर निगरानी रखी जा रही है।

देश में सोने के भण्डार

8056. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में सोने के ऐसे भण्डारों का पता चला है, जहां से पर्याप्त मात्रा में सोना प्राप्त किया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) कितनी मात्रा में सोना मिलने का अनुमान है ; और

(घ) खनन सम्बन्धी कार्य कब तक शुरू हो जाने की आशा है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) किए गए सर्वेक्षण के फलस्वरूप स्वर्ण खनिजीकरण का आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के चिगारगुन्टा और माल पकोड़ क्षेत्रों तथा अनन्तपुर जिले के कोटापल्ली खण्ड में और कर्नाटक के हट्टी तथा गदाग विस्तार क्षेत्रों में पता चला है। बिहार के सोनापेट क्षेत्र उड़ीसा के सलाई करना, कालिमा और तलकोई क्षेत्र, मध्यप्रदेश के रायगढ़ जिले के कुछ भागों तमिलनाडु के धर्मपुरी जिला, केरल की नीलाम्बर घाटी, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की शिवालिक घाटी के हिस्सों में, जहां-जहां सूचना मिली, स्वर्ण की खोज की गई है।

(ग) चिगारगुन्टा में 3 से 3.5 ग्राम प्रतिटन स्वर्ण के लगभग 3 मि० टन अयस्क और माल-घकोड़ा मे 2.4 ग्राम प्रति टन स्वर्ण के 6 लाख टन अयस्क होने की आशा है। अन्य क्षेत्रों में काम प्रारम्भिक चरण में है।

(घ) स्वर्ण की खोज एक निरन्तर चलने वाला कार्य है, जो देश के विभिन्न भागों में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा अन्य एजेंसियों द्वारा जारी रखा जा रहा है। परन्तु पूर्व के सर्वेक्षणों के फलस्व-रूप भारत गोल्ड माइन्स लि० द्वारा एक स्वर्ण खान का अनन्तपुर जिले में रामगिरि के निकट येप्पामाना में विकास किया जा रहा है। हटटी गोल्ड माइन्स कम्पनी हट्टी खानों के विस्तार की सम्भावनाओं पर विचार कर रही है तथा हाल में ही गुलवर्गा जिले में मंगलूर में पुरानी स्वर्ण खानों को उनकी सफलता का अध्ययन करने के लिए पुनः खोला गया है। अन्य क्षेत्रों से स्वर्ण का खनन व्यापक अन्वेषण के परिणामों तथा भण्डारों की प्रौद्यो-आर्थिक उपादेयता पर निर्भर करेगा।

सरकारी क्षेत्र में रुग्ण एकक

8057. **बी० के० नायर** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी एकक को रुग्ण घोषित करने का मानदण्ड क्या है ;

(ख) क्या वर्षों तक पूंजी निवेश पर आय सुनिश्चित करने में असमर्थता और कम से कम 75 प्रतिशत संस्थापित क्षमता का उपयोग न करना भी रुग्ण होने का एक कारण है ;

(ग) सरकारी क्षेत्र में स्थापित कितने एकक रुग्णता की सूची में हैं ;

(घ) उन्हें सामान्य स्थिति में लाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ; और

(ङ) क्या इन एककों के प्रभारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करने का विचार है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई औद्योगिक रुग्णता की परिभाषा के अनुसार किसी एकक को रुग्ण एकक की श्रेणी में तब रखा जाता है जब कि वह एक वर्ष तक नकद हानि में चलता रहे और वित्तीयन करने वाले बैंक के निर्णयानुसार चालू वर्ष तथा आगामी वर्ष में भी हानि में चलने की सम्भावना हो एवं जिसका वित्तीय ढांचा असन्तुलित हो, जैसे कि वर्तमान अनुपात 1:1 से कम हो व ऋण अनुपात (कुल बकाया देयताओं के मुकाबले शुद्ध मूल्य) बिगड़ रहा हो।

(ग) सरकार ने किसी भी सरकारी एकक को रुग्ण एकक की श्रेणी में नहीं रखा है।

(घ) तथा (ङ) विभिन्न उपक्रमों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालयों द्वारा त्रैमासिक आधार पर की जाती है। पाई गई खामियों को दूर करने के लिए अवश्य सुधारोपाय किए जाते हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए शेडों/फैक्ट्रियों/प्लाटों/दुकानों का आबंटन

8058. **श्री भीखा भाई** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को शेडों फ्लैटिड फैक्ट्रियों/भूखण्डों/दुकानों तथा अन्य वाणिज्यिक भूखण्डों आदि के आबंटन में कोई उचित आरक्षण नहीं दिया गया है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य जातियों के लोगों को कुल कितने शेड/फ्लैटिड फैक्ट्री/भूखंड/दुकानें आवंटित की गई तथा व्यावसायिक संकुलों के आवंटन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की क्या प्रतिशतता रही ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित/जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सामग्री के कोटे के आबंटन के लिए कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए ;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम दुकानों और वाणिज्यिक प्लाटों का आबंटन नहीं करता है। जहां तक औद्योगिक शेडों, प्लाटों तथा फ्लैटों नुमा फैक्टरियों का सम्बन्ध है, दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम ने पिछले तीन वर्षों में किसी भी औद्योगिक परिसर का निर्माण नहीं किया है, इसलिए आबंटन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) चूंकि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कच्चे माल का आबंटन करने के सम्बन्ध में कोई कानूनी आरक्षण नहीं है, अतः निगम के पास अलग से इसका कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

मध्य प्रदेश में खनिज भंडार

8059. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों में भारतीय भूसर्वेक्षण विभाग द्वारा किन-किन स्थानों पर सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) सर्वेक्षण किए गए स्थानों पर कौन-कौन से खनिज पदार्थ पाए गए तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश के छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों के विभिन्न भागों में खनिज के लिए सर्वेक्षण किया है। इसके फलस्वरूप खोजे गए खनिज तथा उनके स्थल निम्नलिखित है :—

प्राप्त खनिज	स्थान	जिला
मिट्टी	उजरा, नरसिंहपुर	छतरपुर
ताम्र अयस्क	बजना, मोली, इकरामपुर पुराना तिगोडा तथा सलैया	,,
पाइराइट	दिलारी, सलैया	छतरपुर
लौह अयस्क	दालीपुर, नीमखेड़ा, गुलाट तथा ईआरा, चोपोड़ा, बजना, कारी, कोटा, मोतीगढ़ तथा डूरा	,,
	मजारयोरा, तोरिया तथा उरगोरा	टीकमगढ़
पाइरोफिलाइट	कुररा	छतरपुर
	मजारयोरा, नन्दन वन, सरकना, महेनगढ़ कररी, भेटड़ा तथा परेवा	

फासफोराइट	हीरापुर, बसई, मडदेवडा कछार	सागर-छतरपुर जिला
हीरा	अंगोर	छतरपुर
सीसा अयस्क	बांदा-शाहदुरपुर	टीकमगढ़
बैराइट्स	सूरजपुर, दुरनखेड़ा तथा भरानी	टीकमगढ़

छतरपुर सागर जिले में 25 प्रतिशत फास्फोरस पेन्ट आक्साइड तत्व वाले लगभग 17 मि० टन फास्फोराइट का पता चला है तथा मध्य प्रदेश खनन निगम द्वारा 1978 से इसका दोहन किया जा रहा है। औद्योगिक दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण खनिज है—टीकमगढ़ में पाइरोफोलाइट, छतरपुर जिले में खनिज मिट्टी तथा टीकमगढ़ जिले में बैराइट।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों में पुलिस अधिकारियों के माध्यम से विशेष सहायता

8060. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के क्षेत्रों में पुलिस अधिकारियों के माध्यम से विशेष सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को विशेष निर्देश जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन निर्देशों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ;

(ग) क्या राज्य सरकार इन निर्देशों का पालन नहीं कर रही हैं ;

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ; और

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार की इस बारे में कोई निगरानी व्यवस्था है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रस्तुत रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ङ) केन्द्रीय गृह मन्त्री ने राज्य सरकारों को भेजे गए अपने तारीख 10 मार्च, 1980 के अ० सं० पत्र सं० 111-11011/4/80-एन० आई० डी० (डी०) में वे व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त सूचित किए हैं, जिन्हें अनुसूचित जातियों के प्रति अपराधों की रोकथाम के लिए करना अपेक्षित है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में ऐतिहासी, निवारक, दंडात्मक, पुनर्वासात्मक तथा कार्मिक नीति सम्बन्धी उपाय शामिल हैं। अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों के बारे में राज्य सरकारों को 8 दिसम्बर, 1980 को इसी तरह का एक अ० सं० पत्र भेजा गया था।

2. अनुसूचित जातियों के प्रति अपराधों से निपटने के लिए, विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त तारीख 19 मार्च, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1077 के उत्तर में सदन के पटल पर रखे गए थे। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के कारगर रूप से कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से लगातार

आग्रह करती रही है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसरण में, कई राज्य सरकारों ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) भूमि और मजदूरी सम्बन्धी विवादों को निपटाने के लिए और अनुसूचित जातियों की भूमि पर उनका कारगर कब्जा सुनिश्चित करने तथा उनकी भूमि के अनधिकार अतिक्रमण को रोकने के वास्ते, तंत्र को सुदृढ़ बना दिया गया है।

(2) शीघ्र विचारण के लिए आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु ने विशेष न्यायालय स्थापित किए हैं।

(3) बलात्कार समेत अपराधों के शिकार व्यक्तियों के लिए, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जिस राहत/मुआवजे की मात्रा की सिफारिश की गई, उसको हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने स्वीकार कर लिया है। अन्य राज्यों ने मुआवजे की अपनी दरें निर्धारित की है।

(4) केवल मात्र अनुसूचित जातियों के प्रति अपराधों के मामलों को दर्ज करने के लिए, बिहार में 11 पुलिस थाने और मध्य प्रदेश में 7 उप पुलिस थाने स्थापित किए हैं।

(5) अधिकांश राज्यों में अनुसूचित जातियों के कल्याण की देखभाल के लिए, मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तर की समितियां तथा डी० आई० जी० के अधीन विशेष एकक बनाए गए हैं।

(6) बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों ने ऐसे कुल 48 जिलों का पता लगाया है जो अनुसूचित जातियों के प्रति अपराधों की दृष्टि से नाजुक जिले हैं।

भंडुप में नमक विभाग की भूमि पर आवास काम्पलेक्स

8061. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बम्बई में भंडुप (पूर्व) में एक नया आवास काम्पलेक्स श्यामनगर बनाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस काम्पलेक्स की भूमि नमक विभाग की है ;

(ग) यदि हां, तो यह कालोनी किन कारणों से बन रही है ;

(घ) इस अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्नाधीन भूमि अन्य भू-भागों के साथ 16-2-1922 को किए गए विलेख के अन्तर्गत नमक बनाने हेतु 99 वर्षों के लिए पट्टे पर दी गई थी। उसके बाद हुई विभिन्न प्रकार की सौदेबाजी से भूमि के पट्टेधारी हित का कई लोगों में आदान-प्रदान होता रहा। किसी ए० जे० मोहम्मद के अधिकृत उत्तराधिकारी होने का दावा करने वाले किसी श्री मोहम्मद हफीज ने इसे 1971 के अभिहस्तान्तरण पट्टे पर आधारित भूमि बताया है। इन्होंने और इनके एजेन्टों ने इस भूमि पर अनाधिकार कब्जा कर लिया है और वे उन पर "श्याम नगर हाउसिंग काम्पलेक्स" नामक अनधिकृत आवास काम्पलेक्स बना रहे हैं।

(घ) और (ङ) नमक विभाग ने अनाधिकार कब्जे को रोकने और इस अनधिकृत काम्पलेक्स को हटाने के लिए पुलिस प्राधिकारियों से और बंबई नगर निगम के प्राधिकारियों से इस जमीन पर इमारत बनाने के कार्य सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार न करने के बारे में सम्पर्क किया था, किन्तु पुलिस या नगर निगम के प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित सहायता प्रदान नहीं की गई है।

दिसम्बर, 1983 में स्थानीय समाचार-पत्रों में इस जमीन पर अनाधिकार करने वाले लोगों के इस सौदे के खिलाफ जनता को सावधान करते हुए एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी और इसी प्रकार की सूचना दोबारा जारी करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। स्पेसीफिक रिलीफ ऐक्ट की धारा 354 के अधीन न्यायालय में एक घोषणात्मक याचिका दायर करने तथा मामले पर निर्णय होने तक अनधिकृत कब्जा करने वालों को निर्माण कार्य करने से रोकने के लिए न्यायालय से आदेश प्राप्त करने हेतु भी कार्रवाई की जा रही है।

ड्राई सैल बैटरी बनाने वाली कम्पनियां

8062. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ड्राई सैल बैटरी बनाने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं तथा उनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ख) क्या किसी नई कम्पनी ने देश में ऐसे उद्योग लगाने के लिए आवेदन किया है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या ड्राई सैल बैटरी में प्रयुक्त जिंक (जस्ता) का मूल्य बढ़ गया है जिससे ड्राई बैटरी सैल बनाने वाले उद्योगों को नुकसान पहुंचा है ; और

(घ) यदि हां, तो जिंक (जस्ता) के मूल्य में हुई वृद्धि के क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) संगठित क्षेत्र में ड्राई सैल बैटरी का उत्पादन कर रही कम्पनियों के नामों तथा उनकी वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता निम्नलिखित है :—

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	वार्षिक क्षमता (लाख संख्या)
1.	मै० यूनियन कार्बाइड, कलकत्ता	4950
2.	मै० एस्ट्रेला बैटरीज, बम्बई	2050
3.	मै० एफ्टी समलगेमेशान्स, बम्बई	720
4.	मै० जीप इण्डस्ट्रियल सिन्डीकेट, बम्बई	2220
5.	मै० तोशिबा आनन्द बैटरीज, कोचीन	900
6.	मै० पंजाब आनन्द बैटरीज, मोहाली (पंजाब)	1200
7.	मै० लखनपाल नेशनल, बड़ौदा	1800
8.	मै० इण्डो-नेशनल लि० मद्रास	1800
9.	मै० चैम्पियन इण्डस्ट्रीज, गाजियाबाद	600
10.	मै० जे० के० बैटरीज, भोपाल (बंद)	600

(ख) ड्राई सैल बनाने के लिए एकक की स्थापना हेतु कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) हाल ही में जस्ता का मूल्य बढ़ गया है जिससे ड्राई सैल उद्योग पर कुछ हद तक प्रभाव पड़ा है।

(घ) जस्ता के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में बढ़ोत्तरी होने के कारण मूल्य वृद्धि हुई हैं।

रंगीन टी० वी० सैटों के लिए आयात की गई वस्तुओं का ब्यौरा

8063. **श्री मोहन लाल पटेल :**

श्री अमर सिंह राठवा :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि रंगीन टी०वी० सैटों के लिए पिक्चर ट्यूबों का आयात किया जा रहा है यदि हां, तो रंगीन टी० वी० सैटों के निर्माण के लिए आयात की जा रही अन्य वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) एक रंगीन टी० वी० सैट के लिए पुर्जों के आयात पर कितनी धनराशि खर्च की जाती है ;

(ग) किन-किन देशों से और किस एजेंसी के माध्यम से आयात किया जा रहा है ;

(घ) क्या रंगीन टी० वी० सैट बनाने के लिए देश में रंगीन टी० वी० के ट्यूब और अन्य पुर्जों का निर्माण करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) देश में रंगीन टी० वी० सैटों का निर्माण करने के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर बनना कब सम्भव होगा।

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, हां। रंगीन दूरदर्शन सेटों के लिए पिक्चर ट्यूबों का आयात इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड एण्ड टेकनोलाजी डेवलपमेन्ट कारपोरेशन द्वारा किया जाता है। वह निगम इस वस्तु के आयात के लिए एक सरणीकरण अभिकरण के रूप में कार्य करता है। भारतीय व्यापार नियंत्रण नीति 1983-84 के परिशिष्ट 3 तथा 5 के अन्तर्गत आने वाली ऐसी वस्तुओं का आयात जिनकी लागत प्रति रंगीन दूरदर्शन सेट 35 डालर है, इसके लिए पात्र प्रत्येक विनिर्माता द्वारा सीधे किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, समस्वरित्र (ट्यूनर) जैसी खुला सामान्य-लाइसेंस की वस्तुओं का आयात विनिर्माता स्वयं कर सकता है।

(ख) एक रंगीन दूरदर्शन सेट में कुल आयातित अंश का मूल्य लगभग 110 अमरीकी डालर है।

(ग) रंगीन दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों का आयात जापान तथा दक्षिण कोरिया से किया जा रहा है। लेकिन, अन्य वस्तुओं का आयात सम्बन्धित विनिर्माता की इच्छा पर है।

(घ) रंगीन दूरदर्शन सेटों के विनिर्माण के लिए प्रतिरोधक (रेजिस्टर), संधारित (कैपेसिटर) विभव मापी (पोटेन्शियोमीटर) आदि जैसे सामान्य प्रयोजन के संघटक अधिकांश देश में पहले से ही बनाए जा रहे हैं। रंगीन दूरदर्शन पिक्चर ट्यूब तथा डिले लाइन जैसे विशिष्ट किस्म के संघटक-पुर्जों के यथा समय स्थानीय रूप से उपलब्ध के सम्बन्ध में कदम उठाए जा चुके हैं। रंगीन दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों के विनिर्माण के लिए मैसर्स पंजाब डिस्प्ले एण्ड डिवाइसिज लिमिटेड, अप्ट्रान तथा आन्ध्र प्रदेश इलेक्ट्रानिकी निगम को आशय-पत्र जारी किए जा चुके हैं। शत प्रतिशत निर्यात के लिए मैसर्स केल्ट्रॉन द्वारा रंगीन दूरदर्शन डिले लाइनों का विनिर्माण पहले ही किया जा रहा है संगठित क्षेत्र की एक निजी इकाई ने भी रंगीन दूरदर्शन विसरण संघटक-पुर्जों के विनिर्माण के लिए हाल ही में आवेदन-पत्र दिया है।

(ङ) पिक्चर-ट्यूब तथा डिले लाइन जैसे महत्वपूर्ण संघटक-पुर्जों का आयात आरम्भतः किया जाना आवश्यक है। यह इसलिए है कि स्वदेशी विनिर्माण तभी शुरू किया जा सकता है जब वार्षिक आवर्ती मांग आवश्यक स्तर तक पहुंच जाए जिससे ऐसे विनिर्माण तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हैं। इसके अलावा, विशेषकर पिक्चर ट्यूबों का स्थानीय विनिर्माण तकनीकी दृष्टि से जटिल है और इसमें काफी अधिक पूंजी-निवेश की जरूरत होती है, जिसके परिणामस्वरूप इसकी विनिर्माण प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है।

दिल्ली पुलिस में सहायक पुलिस आयुक्त की नियुक्ति संबंधी चयन सूची में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति

8064. **श्री त्रिलोक चन्द : क्या गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दिल्ली पुलिस में सहायक पुलिस आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हुई थी और उसने एक चयन सूची की सिफारिश की ;

(ख) क्या अनुसूचित जाति के किसी अधिकारी को इस चयन सूची में स्वीकृति के लिए शामिल किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो कितनें और उन्हें कब नियुक्त किया जायेगा ; और

(घ) यदि नहीं तो उस के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) से (घ) विभागीय पदोन्नति समिति ने स्थाई रिक्त पदों तथा स्थानापन्न रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकारियों की चयन सूचियां तैयार की थीं। स्थाई रिक्त पदों के लिए विचारार्थ जोन के भीतर कोई अनुसूचित जाति अधिकारी उपलब्ध नहीं था, इसलिए, स्थाई रूप से नियुक्ति के लिए जिन अधिकारियों की सिफारिश की गई है, उनकी सूची में कोई अनुसूची जाति अधिकारी शामिल नहीं है। तथापि, जिन अधिकारियों की स्थानापन्न नियुक्ति की सिफारिश की गई है, उनकी सूची में 7 अनुसूचित जाति अधिकारियों को शामिल किया गया है। चयन समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

ब्रिटेन के मशीनी औजार उद्योग का सहयोग

8065. **श्री बी० वी० देसाई : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के मशीनी औजार उद्योग ने प्रौद्योगिकी के अन्तरण और भारत में लाइसेंस के अन्तर्गत ब्रिटिश मशीनों के निर्माण के लिए भारतीय मशीनी औजार निर्माताओं के साथ अपना सहयोग पुनः शुरू करने की इच्छा व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने ब्रिटिश सरकार की इस पेशकश को स्वीकार कर लिया है ;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर होने की सम्भावना है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस समझौते की क्रियान्विति के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ङ) मार्च, 1984 में ब्रिटिश मशीन टूल निर्माताओं का एक शिष्टमण्डल भारत आया था जिसने प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण और भारत में मशीनी औजार निर्माण करने के लिए भारतीय मशीन टूल निर्माताओं को सहयोग देने में सामान्य रुचि दिखाई थी। सरकार को सहयोग के प्रस्ताव जब भी प्राप्त होंगे, सरकार की नीति के अनुसार उन पर गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जायेगा।

जस्ता की कीमतों में वृद्धि

8066. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह भी सच है कि जस्ता का प्रयोग ड्राई सैल बैटरी बनाने में किया जाता है यदि हाँ, तो उन कम्पनियों का ब्योरा क्या है, जो ड्राई सेल बैटरी का निर्माण करती हैं ; और

(ख) इस उद्योग को बचाने तथा ड्राई सेल बैटरी की कीमतों में और अधिक वृद्धि न होने देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) ड्राईसेल बेटरी बनाने के लिए जिंक का प्रयोग किया जाता है।

संगठित क्षेत्र में ड्राईसेल बेटरी बनाने वाली कम्पनियों के नाम और उनकी वार्षिक लाइसेंस क्षमता निम्न प्रकार है :—

क्रमांक	कम्पनी के नाम	वार्षिक क्षमता (लाख नग)
	मैसर्स	
1.	यूनियन कारबाइड, कलकत्ता	4950
2.	एस्ट्रेला बैटरीज, बम्बई	2050
3.	आपटे एमल्गमेशन, बम्बई	720
4.	जीप इण्डस्ट्रियल सिंडीकेट लि०, बम्बई	2220
5.	तोशिवा आनन्द बैटरीज, कोचीन	900
6.	पंजाब आनन्द बैटरीज लि०, मोहाली (पंजाब)	1200
7.	लखनपाल नेशनल, बड़ौदा	1800
8.	ड्रण्डो नेशनल लि०, मद्रास	1800
9.	चैमपियन इण्डस्ट्रीज, गाजियाबाद	600
10.	जे० के बेटरीज, भोपाल (बन्द हो गई)	600

जिक का मूल्य महीने से महीने के आधार पर मूल्य सम्बन्धी समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है, यह मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लन्दन मेटल एक्सचेंज में अलौह धातुओं के मूल्यों में शुल्क (सीमा और उत्पादन) और एम० एम० टी० सी० प्रभार आदि जोड़ कर निर्धारित किया जाता है।

डीलक्स मारुति कारें

8067. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **उद्योग मन्त्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा डीलक्स मारुति कार बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी कार में दी जाने वाली सम्भावित सुविधाओं तथा निर्धारित मूल्य का ब्यौरा क्या है ;

(ग) यह कार कब तक तैयार हो जाएगी और सड़क पर जाएगी और क्या इस कार के लिए बुकिंग भी की गई है और यदि हां, तो कितनी कारें बुक की गई हैं ; और

(घ) अन्य मारुति कारों के उत्पादन में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और इन कारों की डिलीवरी का काम कब शुरू होने की सम्भावना है और कारों की अगली बुकिंग कब शुरू होने सम्भावना है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां।

(ख) डीलक्स माडल की कारों में एक एयरकंडीशनर, एक कैसेट प्लेयर, एक रेडियो, एक घड़ी रंगदार शीशे, सीट बेल्ट, सीट कवर और बढ़िया कारपेट के होने की आशा है। डीलक्स कार का कारखाने से निकलते समय के मूल्य के 75,000 रु० से अधिक नहीं होने की सम्भावना है जिसमें परिवहन लागत और स्थानीय कर शामिल नहीं हैं।

(ग) डीलक्स कारों का उत्पादन 1984 के उत्तरार्ध में प्रारम्भ होने की आशा है। अब तक डीलक्स कारों की बुकिंग नहीं की गई है।

(घ) मारुति कारों की डिलीवरी दिसम्बर, 1983 में शुरू की गई थी और मार्च, 1984 तक 840 कारों का आबंटन किया गया है। मारुति कारों के लिए पहले ही भारी बुकिंग को ध्यान में रखते हुए इस समय और आगे बुकिंग करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

उड़ीसा में काम कर रहे सीमेंट संयंत्र

8068. **श्री रासबिहारी बहेरा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कितने मिनी सीमेंट संयंत्र और सीमेंट संयंत्र काम कर रहे हैं, वे कहां-कहां स्थित हैं तथा गत दो वर्षों के दौरान वर्ष-वार और उद्योग-वार उनका वार्षिक उत्पादन क्या रहा ;

(ख) कितने मिनी सीमेंट संयंत्र कहां-कहां निर्माणधीन हैं तथा कब तक इनका निर्माण-कार्य पूरा हो जाएगा और इनमें उत्पादन शुरू हो जाएगा ;

(ग) उड़ीसा में मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना से सम्बन्धित कितने आवेदन-पत्र केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए विचाराधीन हैं ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (पट्टाभि राम राव) : (क) उड़ीसा राज्य में चल रहे सीमेंट संयंत्रों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

एकक का नाम	स्थापना स्थल	उत्पादन (लाख मी० टन)
हीरा सीमेंट	बारगढ़ जिला-संभलपुर	1982-4.38 19 3-4.15
उड़ीसा सीमेंट	राजगंगपुर जिला-सुन्दरगढ़	1982-4.08 1983-4.09

इस समय मे उड़ीसा राज्य में कोई भी मिनी सीमेंट संयंत्र कार्य नहीं कर रहा है ;

(ख) उड़ीसा में 5 मिनी सीमेंट संयंत्रों—सुन्दरगढ़ जिले में तीन और कोरापुट जिले में दो संयंत्रों की स्थापना करने के लिए आशयपत्रों और तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकरण के जरिए स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं। ये कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(ग) और (घ) उड़ीसा में मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति हेतु कोई भी नया आवेदनपत्र अनिर्णित नहीं पड़ा हुआ है। किन्तु उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में गतवर्ष 56,000 मी० टन अधिष्ठापित क्षमता वाले एक मिनी सीमेंट संयंत्र की स्थापना करने के लिए एक निजी कम्पनी के आवेदनपत्र को प्रथमदृष्टया अस्वीकृत कर देने के खिलाफ उससे एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

कालाहांडी में मूलभूत ढांचे सम्बन्धी सुविधाएं

8069. **श्री रासविहारी बहेरा : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में मूलभूत ढांचे का प्रावधान न किए जाने के कारण वास्तविक रूप में औद्योगिक विकास नहीं हो पा रहा है ;

(ख) क्या यही तथ्य उड़ीसा और कालाहांडी जिले पर भी लागू होते हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार देश के ऐसे पिछड़े जिलों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दे रही है ;

(घ) यदि हां, तो क्या कालाहांडी जिले को विशेष रूप से पिछड़े जिलों में शामिल किया गया है ; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव): (क) और (ख) पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास में कमी के प्रमुख कारणों में से अवस्थापना सम्बन्धी कमियां एक प्रमुख कारण है । यह बात कालाहांडी जिले सहित सभी पिछड़े क्षेत्रों पर लागू होती है।

(ग) केन्द्र सरकार पता लगाए गए "उद्योग रहित जिले" के अवस्थापना सम्बन्धी विकास के लिए 2 करोड़ रुपए प्रति जिला (बशर्ते कि कुल लागत का 1/3 राज्य सरकार द्वारा व्यय किया जाये) अवस्थापना सम्बन्धी विकास सहायता देगी ।

(घ) और (ङ) कालाहांडी जिले को "उद्योग रहित जिला" नहीं माना गया है। इसलिए यह 2 करोड़ रुपए अवस्थापना सम्बन्धी सहायता पाने का पात्र नहीं है। फिर भी यह जिला पिछड़े जिलों के "ख" वर्ग में आता है और यह सरकार द्वारा दिनांक 27-4-1983 के प्रेस टिप्पण (प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं) के अनुसार घोषित 15 प्रतिशत केन्द्रीय निवेश राजसहायता तथा अन्य रिआयते पाने का हकदार है।

हल्दिया में तटीय इस्पात संयंत्र की स्थापना

8070. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हल्दिया में एक तटीय इस्पात संयंत्र की स्थापना करने का विचार त्याग दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त योजना का और हल्दिया में तटीय इस्पात संयंत्र की स्थापना के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) वित्तीय तथा अन्य कठिनाइयों और छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किए गए वायदों को देखते हुए इस समय हल्दिया में इस्पात कारखाना लगाने के प्रस्ताव पर विचार करना संभव नहीं है।

विदेशी मत्स्य नौकाएं चार्टर करना

8071. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **योजना मन्त्री** गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य के असंतुलित विकास के बारे में 7 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2415 के उत्तर के संबंध में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मत्स्य नौकाओं को चार्टर करने की नीति से प्राप्त उद्देश्यों के बारे में कोई अग्रेतर पुनरीक्षा की गई है ;

(ख) छठी योजना के लिए लक्ष्यों की तुलना में इस नीति की वास्तविक उपलब्धियां क्या हैं ;

(ग) क्या उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में दिए गए सभी संबद्ध उद्देश्यों की पूर्ति में कमी होने की संभावना को देखते हुए किन्हीं वैकल्पिक उपायों पर विचार किया गया है ; और

(घ) इस विषय, जो छठी योजना के सम्बन्ध में मत्स्य पालन नीति का मुद्दा है, के बारे में की गई पुनरीक्षा का ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं। योजना आयोग ने और कोई पुनरीक्षण नहीं किया है। तथापि, कृषि मन्त्रालय अर्थात् कार्यक्रम का प्रभारी प्रशासनिक मन्त्रालय इस विषय पर आवधिक अंतर-विभागीय परामर्श करता है।

(ख) वर्ष 1983 के दौरान, मूल लक्ष्य 150 की तुलना में, किराए पर ली गई नौकाओं की संख्या 83 थी। बाद में, अंतर-विभागीय परामर्शों के परिणामस्वरूप, यह महसूस किया गया कि लक्ष्य को 100 तक संशोधित करने की आवश्यकता है।

(ग) इस अवस्था में किन्हीं वैकल्पिक उपायों पर विचार नहीं किया गया है। गहरे समुद्र मत्स्य नौकाओं के विस्तार के वर्तमान कार्यक्रम में विदेशी नौकाओं को किराए पर लेने के अतिरिक्त नौकाओं के आयात और उनका देशी निर्माण शामिल है।

(घ) उत्तर (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रतिभा पलायन

8072. **श्री ए० के० राय** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक जनवरी, 1984 तक हाल के वर्षों में प्रतिभा पलायन की प्रवृत्ति रुक गई है ;

(ख) क्या प्रधान मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि विदेशों से शिक्षा प्राप्त उन वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और डाक्टरों को, जो देश में नौकरी करने के लिए विदेशों से यहां वापिस आते हैं, नौकरी प्राप्त किए बिना देश छोड़ना पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो देश में प्रतिभाशाली व्यक्तियों को रखे रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उन्हें क्या अवसर प्रदान किए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा अन्तरिक्ष इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) उच्च अध्ययनों और अनुभव प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में योग्यता प्राप्त व्यक्ति विदेश जाते हैं। जब कि उनमें से अधिकतर वापिस आ जाते हैं, कुछ वहीं रह जाते हैं। चूंकि विदेश जाने वाले विभिन्न प्रकार के लोगों के बीच, में इस प्रकार की कोई भेद करने की विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है और न ही इस प्रकार का कोई रिकार्ड रखा जा रहा है। इसलिए यह संभव नहीं है कि इस विषय पर निश्चित सूचना प्रदान की जा सके।

(ख) और (ग) योग्यता प्राप्त वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और डाक्टरों के लिए भारत में काम करने के लिए बड़ी संख्या में अवसर उपलब्ध है। नियमित उद्यमी पर रोजगार को पाने के योग्य उनके लिए

तुरन्त तदर्थ रोजगार की नम्य प्रणालियां उपलब्ध हैं। विज्ञान और प्राद्योगिकी, कृषि, सिंचाई, विद्युत उर्वरक, स्वास्थ्य, ऊर्जा, संचार, उद्योग और अन्य विकासात्मक क्रियाकलापों के लिए विनियोजन को पर्याप्त बढ़ाया गया है। वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और डाक्टरों के लिए अवसर प्रदान करने के लिए उपयुक्त सुविधाओं का सृजन करने के साथ-साथ अभिछात्रवृतियां और एसोसिएट वृतियां प्रदान की गई। क्षेत्रीय परिष्कृत यंत्रीकरण केन्द्रों के तन्त्र के माध्यम से परिष्कृत उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक संस्थानों को, वैज्ञानिकों के कैरियर विकास के लिए अच्छे अवसर प्रदान करने के लिए वर्द्धित प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रत्यात्योजन किया गया है। थ्रस्ट क्षेत्रों को को अभिनिर्धारित किया गया है जिनके लिए अनुसन्धान प्रस्तावों का निधीयन किया जाता है। जिससे वैज्ञानिकों को अग्ररेखीय क्षेत्रों में कार्य करने के लिए अवसर मिलता है। अन्य के साथ-साथ एक ऐसी स्कीम भी है जिसमें युवा वैज्ञानिकों को स्वतन्त्र रूप से अपनी अनुसंधान रुचियों का अनुसरण करने के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं। वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन सभी उपायों के फलस्वरूप विदेश में योग्यता प्राप्त वैज्ञानिकों, डाक्टरों और इंजीनियरों को भारत में कार्य करने के लिए अत्याधिक वर्धित अवसर प्राप्त हुए हैं।

उड़ीसा में सफेद बाघ (व्हाइट टाइगर) अभयारण्य

8073. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या उड़ीसा में सफेद बाघ "व्हाइट टाइगर" काफी संख्या में हैं ; यदि हां, तो उनकी कुल संख्या कितनी है ;

(ख) क्या पर्यटन को अधिक आकर्षक बनाने तथा बाघ की इस जाति के संरक्षण के लिए वहां पर एक सफेद बाघ, अभयारण्य स्थापित किया जा सकता है ;

(ग) इस विचार के बारे में सरकार की क्या प्रति क्रिया है ; और

(घ) क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) इस समय उड़ीसा में 11 सफेद बाघ बन्दी स्थिति में है।

(ख) से (घ) सफेद बाघ एक अलग उप-जाति (स्पीसीज) नहीं है अत: किसी निश्चित क्षेत्र में अधिक संख्या में नहीं पाये जाते हैं। इसलिए केवल सफेद-बाघों के लिए अभ्यारण्य की स्थापना सुसंगत नहीं है।

डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंज विकसित करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र

8075. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) डिजिट टेलीफोन एक्सचेंज विकसित करने के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस एकक के लिए दावा करने और इसका भार लेने के लिए संचार मन्त्रालय की अपेक्षा इलेक्ट्रोनिक्स विभाग के पास क्या अधिक अनुकूल मुद्दे हैं ;

(ग) क्या इस प्रस्तावित केन्द्र के कर्मचारी संचार मन्त्रालय से प्रति नियुक्ति विभाग से अपने कर्मचारी लिए हैं ; और

(घ) संचार मंत्रालय द्वारा इस नये केन्द्र की उपलब्धियों अथवा परिणामों को 'फील्ड' में कैसे कार्यान्वित किया जायेगा ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) "राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिकी स्विचन प्रणाली प्रौद्योगिकी विकास-केन्द्र" की स्थापना एक वैज्ञानिक संस्था के रूप में की जा रही है जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और संचार मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी इस संस्था में निम्नलिखित होंगे :—

(1) संचार मन्त्री की अध्यक्षता में एक संचालन-परिषद् ।

(2) सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की अध्यक्षता में एक संचालन समिति ।

(3) परियोजना-निदेशक की अध्यक्षता में एक परियोजना बोर्ड ।

(ख) यह राष्ट्रीय केन्द्र एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में कार्य करेगा और इसे समूचे प्राधिकार प्राप्त होंगे तथा कार्य-प्रणाली में परिवर्तन करने की शक्ति होगी । रोजमर्रा के कार्यों पर केन्द्र के परियोजना बोर्ड का नियन्त्रण रहेगा तथा जो इस बारे में संचालन-समिति और संचालन परिषद् के प्रति उत्तरदायी होगा ।

(ग) राष्ट्रीय केन्द्र में अंकीय स्विचन प्रणाली के अगले सोपान को विकसित करने से सम्बन्धित प्रस्तावित कार्य कलाप एक राष्ट्रीय प्रयास के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा और इसमें देश तथा अन्य स्थानों के सभी संगठनों में कार्य कर रहे व्यक्तियों तथा स्रोतों को शामिल किया जाएगा ।

(घ) राष्ट्रीय केन्द्र द्वारा विकसित अंकीय स्विचन प्रणाली की प्रौद्योगिकी का उपयोग तीसरे तथा बाद में स्थापित किए जाने वाले स्विचन कारखाने के रूप में किया जाएगा । संचार मन्त्रालय तथा अन्य प्रयोक्ताओं की विद्यमान आवश्यकताओं के अनुरूप इस उत्पादन को विकसित किया जाएगा ।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय

8076. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में क्रमश: 1978-79 और 1981-82 में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस समय आय की तुलना में 1978-79 से 1981-82 की अवधि के दौरान मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) 1978-79 एवं 1981-82 वर्षों हेतु प्रचलित एवं स्थिर (1970-71) भावों पर सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा किए गए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रति व्यक्ति आय के शासकीय अनुमान विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) प्रचलित एवं स्थिर (1970-71) भावों पर तैयार किए गए राज्य आय के अनुमान के आधार पर दो वर्षों 1978-79 और 1981-82 के लिए अन्तर्निहित कीमत सूचकांकों द्वारा मापित मूल्य परिवर्तन की जानकारी विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

वर्ष 1978-79 तथा 1981-82 के दौरान प्रचलित एवं स्थिर (1970-71) भावों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय का शासकीय अनुमान

प्रति व्यक्ति आय (रु०)

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	प्रचलित भावों पर		स्थिर भावों पर (1970-71)	
	1978-79	1981-82	1978-79	1981-82
1	2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश	1083	1536	659	718
2. असम	1007	1380	545	546
3 बिहार	73	995	438	448
4. गुजरात	1548	2192	911	948
5. हरियाणा	1895	2581	1064	1078
6. हिमाचल प्रदेश	1295	1773	742	728
7. जम्मू तथा कश्मीर	1222	1630	648	681
8. कर्नाटक	1136	1541	723	678
9. केरल	1121	1447	593	636
10. मध्य प्रदेश	889	1241	480	512
11. महाराष्ट्र	1800	2496	1002	1007

1	2	3	4	5
12. मणिपुर	792	1045	444	462
13. मेघालय	1012	1236	——	——
14. उड़ीसा	873	1308	527	564
15. पंजाब	2351	3164	1388	1443
16. राजस्थान	1150	1417	642	585
17. तमिलनाडु	1070	1373	669	667
18. त्रिपुरा	1019	——	592	——
19. उत्तर प्रदेश	935	1313	514	520
20. पश्चिम बंगाल	1304	1595	761	720
21. दिल्ली	2401	3208	1382	1441
22. गोआ, दमन एवं द्वीप	2119	2830	1240	1423
23. पांडिचेरी	2459	——	1324	——

—उपलब्ध नहीं।

टिप्पणी :—1. रीतिविधान तथा प्रयुक्त स्रोत सामग्री में अन्तर के कारण विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आंकड़े पूर्ण रूपेण तुलनीय नहीं हैं।

2. मेघालय, नागालैंड और सिक्किम राज्य तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, चण्डीगढ़, दादरा और नगर हवेली, लक्ष्यद्वीप मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र आय के अनुमानों का संकलन नहीं करते।

विवरण-II

राज्य आय अनुमानों से प्राप्त अन्तर्निहित कीमत सूचकांक के आधार पर वर्ष 1978-79 की तुलना में वर्ष 1981-82 के दौरान वृद्धि की प्रतिशतता

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मूल्य में प्रतिशत वृद्धि
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	30.2
2. असम	36.7

1	2
3. बिहार	25.8
4. गुजरात	36.1
5. हरियाणा	34.4
6. हिमाचल प्रदेश	39.5
7. जम्मू तथा कश्मीर	26.9
8. कर्नाटक	44.7
9. केरल	20.4
10. मध्य प्रदेश	30.9
11. महाराष्ट्र	38.0
12. मणिपुर	26.8
13. मेघालय	——
14. उड़ीसा	40.0
15. पंजाब	29.5
16. राजस्थान	35.2
17. तमिलनाडू	28.7
18. त्रिपुरा	——
19. उत्तर प्रदेश	38.8
20. पश्चिम बंगाल	29.2
21. दिल्ली	28.2
22. गोआ, दमन एवं द्वीप	16.4
23. पांडिचेरी	——

—उपलब्ध नहीं ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को सीमेंट का आबंटन

8077. **श्री अजय विश्वास** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981, 1982 और 1983 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों का सीमेंट का प्रति व्यक्ति आबंटन क्या था ;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : राज्यों/संघशासित प्रदेशों को सीमेंट का आबंटन पिछले खपत स्तरों और अनुमानित समग्र उपलब्धता के आधार पर तथा जनसंख्या और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास आदि जैसे कुछ कारकों पर पर्याप्त ध्यान देकर किया जाता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न राज्यों/संघशासित प्रदेशों को वर्ष 1982 की पहली और दूसरी तिमाही तथा 1983 की दूसरी तिमाही के दौरान सीमेंट के किए गए आबंटन का ब्योरा निम्नलिखित है :—

राज्य/संघशासित प्रदेश का नाम	1982 की प्रथम तिमाही में मूल आबंटन, इसमें सिंचाई व बिजली परियोजनाओं अर्थात् सीमेंट के आंशिक विनियन्त्रण से पूर्व किया गया आबंटन शामिल नहीं है	वर्ष 1982 की दूसरी तिमाही में किया गया मूल त्रैमासिक आबंटन, इसमें सिंचाई व बिजली परियोजनाओं के लिए अर्थात् आंशिक विनियन्त्रण के बाद किया गया आबंटन शामिल नहीं है	आंकड़े मी० टनों में 1983 की दूसरी तिमाही से आगे तक सिंचाई व बिजली परियोजनाओं को छोड़कर मूल त्रैमासिक आबंटन
1. असम (समतल क्षेत्र में)	44,700	28,800	30,800
2. अरुणाचल प्रदेश	12,550	13,100	14,000
3. मेघालय	17,615	17,600	18,800
4. मिजोरम	6,250	6,400	6,900
5. मणिपुर	9,220	9,200	9,800
5. नागालैंड	13,975	14,000	15,000
7. त्रिपुरा	10,700	10,700	11,500

विभिन्न राज्यों के लिए योजना सम्बन्धी आबंटन

8078. **श्री अजय विश्वास** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों को पहली पंचवर्षीय योजना से छठी पंचवर्षीय योजना तक (राज्यवार) कुल कितना योजना सम्बन्धी आबंटन किया गया ;

(ख) क्या सरकार यह महसूस करती है कि पांच पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यान्वयन के बावजूद पूर्वोत्तर क्षेत्र की विकास की गति धीमी है ; और

(ग) क्या सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना में पूर्वोत्तर क्षेत्र के तेजी से विकास के लिए समयबद्ध कार्यक्रमों को शुरू करने पर विचार करेगी ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पांच राज्य यथा—असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के दो संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों की घटक इकाइयों और उत्तर-पूर्वी परिषद के पहली योजना से छठी तक राज्यवार कुल योजना आबंटन निम्न प्रकार हैं :—

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	(करोड़ रु०)
1. असम	2392.41*
2. मणिपुर	438.81+
3. मेघालय	395.53×
4. नागालैंड	382.81**
5. त्रिपुरा	430.08+
6. अरुणाचल प्रदेश	345.35
7. मिजोरम	203.61×
उप-जोड़ (1-7)	4588.60
उत्तर-पूर्वी परिषद्	477.00=
कुल जोड़	5065.60

*इसमें पांचवीं योजना से पहाड़ी क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों की उप-योजनाओं के अन्तर्गत दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता शामिल है।

+इसमें पांचवीं योजना से जनजातीय उप-योजनाओं के अन्तर्गत दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता शामिल है।

×चौथी योजना से।

**तीसरी योजना से।

=पांचवीं योजना से।

(ख) और (ग) सरकार उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के त्वरित विकास की आवश्यकता को स्वीकार करती है और स्वतन्त्रता से इस दिशा में प्रयास किए गए हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात् 1974-79 से इन प्रयासों में नई गति आई है। इस क्षेत्र की ओर यथोचित ध्यान दिया जाता रहेगा ताकि इसका अपेक्षाकृत पिछड़ापन दूर किया जा सके और इसे देश के अन्य क्षेत्रों के स्तर पर लाया जा सके।

धर्मनगर त्रिपुरा में सीमेंट "डम" खोला जाना

8079. **श्री अजय विश्वास** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धर्मनगर, त्रिपुरा में सीमेंट डम खोला जाएगा ;

(ख) क्या डम प्रभारों पर अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो "डम" प्रभारों सहित मदवार व्यय कितना है ;

(घ) क्या स्थानीय ठेकेदारों को उचित अवसर दिए गए हैं ;

(ङ) निविदा अथवा बातचीत के द्वारा "डम" के क्लियरिंग एजेंट की नियुक्ति का आधार क्या है ; और

(च) यदि बातचीत द्वारा है, तो क्या निविदादाताओं से बातचीत के लिए अवसर दिए जाते हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) लदान के खर्च को निकालकर भारतीय सीमेंट निगम (सी० सी० आई०) ने 40 रु० प्रति मी० टन का समेकित प्रभार निर्धारित किया है।

(घ) स्थानीय ठेकेदारों सहित सभी ठेकेदारों को समान अवसर देने के लिए भारतीय सीमेंट निगम द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापनों के जरिए टेंडर मंगवाए गए थे।

(ङ) और (च) टेंडरों के साथ-साथ टेंडर देने वाली पार्टियों के साथ बातचीत करके।

गुजरात में वनों पर आधारित उद्योग

8080. **श्री आर० पी० गायकवाड** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छठी योजना की शेष अवधि में तथा सातवीं योजना में वनों पर आधारित उद्योग बढ़ाने का है ;

(ख) यदि हां, तो गुजरात राज्य में वनों पर आधारित उद्योग स्थापित करने का विचार है ; और

(ग) वे कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे और उनकी अनुमानित लागत कितनी है और वे कब तक उत्पादन शुरू कर देंगे ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) पर्याप्त कच्चा माल निरन्तर मिलते रहने की दृष्टि से वनों पर आधारित उद्योगों की स्थापित के प्रस्तावों पर गुणावगुण के आधार पर समय-समय पर विचार किया जाता है। गुजरात राज्य की 1984-85 की वार्षिक योजना में वनों पर आधारित उद्योगों के सन्दर्भ में परिव्यय की व्यवस्था नहीं की गई है और सातवीं योजना तो अभी तैयार ही नहीं की गई।

महासागर विकास विभाग द्वारा हिन्दी और अंग्रेजी में लिखे गए पत्र

8081. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **प्रधानमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) महासागर विकास विभाग द्वारा देश के "क" "ख" और "ग" क्षेत्रों के राज्यों में स्थित अपने सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबन्धों के अनुसार वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान, अलग-अलग भेजे गये मूलपत्रों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें से राज्यवार और वर्षवार हिन्दी और अंग्रेजी में भेजे गए मूल पत्रों की अलग-अलग संख्या कितनी है ;

(ग) महासागर विकास विभाग को उपरोक्त "क", "ख" और "ग" क्षेत्रों में स्थित अपने सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कुल कितने मूलपत्र प्राप्त हुए ; और

(घ) उनमें से अंग्रेजी और हिन्दी में लिखे गये मूलपत्रों की राज्यवार अलग-अलग संख्या कितनी है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विभागों के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) महासागर विकास विभाग के कोई सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय नहीं हैं।

(ख) से (घ) ऊपर (क) में बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मन्त्रालयों में श्रेणी-चार के कर्मचारियों को वर्दी, जूते, कम्बल आदि की सप्लाई

8082. **श्री निहाल सिंह** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मन्त्रालयों में काम करने वाले श्रेणी-चार के कर्मचारियों, ड्राइवरों, सुरक्षा कर्मचारियों, आप्रेटरों आदि के लिए वर्दी, कम्बल, जूते आदि के सम्बन्ध में तीसरे वेतन आयोग ने क्या लागत निर्धारित की थी ;

(ख) क्या वर्ष 1973 से अब तक मूल्यों में काफी वृद्धि हो गई है तथा इस मूल्य वृद्धि के

अनुपात में वर्दी, कम्बल, जर्सी, जूते, चप्पल आदि की लागत कितनी बार बढ़ाई गई है ;

(ग) क्या उपरोक्त मदों की लागत में की गई वृद्धि इस समय चल रहे मूल्यों की तुलना में बहुत कम है ; और

(घ) क्या सरकार सरकारी सस्थानों से उचित मूल्यों पर वर्दी, जूते, कम्बल आदि की सप्लाई की व्यवस्था करेगी ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, नहीं। तृतीय वेतन आयोग ने इसके बारे में कोई सिफारिश नहीं की थीं।

(ख) तथा (ग) वर्दियों की विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों में सन् 1973 के बाद वृद्धि हुई होगी। चूंकि वर्दियों की विभिन्न वस्तुओं और उनके कच्चे माल की लागत में कमी बेशी होती रहती है, इसलिए लागत की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। सरकारी विभागों को ये वस्तुएं निर्धारित विशिष्टियों और इस विषय से सम्बन्धित अनुदेशों के अनुसार प्राप्त करनी होती हैं। सरकारी विभागों को अब जूतों और चप्पलों की खरीद विशिष्टियों के अनुसार समय-समय पर निर्धारित मूल्यों पर विशेष रूप से अनुमोदित एजेन्सियों से ही करनी होती है।

(घ) सरकार द्वारा वर्दियों की वस्तुओं की खरीद इस विषय से सम्बन्धित आदेशों के अनुसार की जाती है और वर्दियों की वस्तुएं कर्मचारियों को जारी कर दी जाती हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सीमेंट का उत्पादन

8083. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1980-81 से 1983-84 की अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में वर्ष-वार कितनी मात्रा में सीमेंट का उत्पादन हुआ है और इस अवधि के दौरान प्रत्येक उपक्रम ने कितना लाभ कमाया है ; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान इस उत्पादन में से लेवी सीमेंट और खुली बिक्री के सीमेंट की मात्रा और मूल्य कितना था ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र में सीमेंट कारखानों द्वारा वर्ष 1980-81 से 1983-84 की अवधि में किए गए सीमेंट का उत्पादन और सीमेंट की आंशिक विनियंत्रण योजना आरम्भ करने की तारीख (28-2-82) से लेकर वर्ष 1983-84 के अन्त तक लेवी सीमेंट की आपूर्ति की मात्रा दर्शाने वाला एक **विवरण अनुबन्ध-1** के रूप में संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० —8204/84] पहली जनवरी, 1980 से 31 मार्च, 1984 तक लागू उत्पादन शुल्क और प्रति मी०टन पैकिंग के खर्चों सहित साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट और पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट की रेल भाड़ा मुक्त कीमत दर्शाने वाला एक अन्य विवरण अनुबन्ध-2 के रूप में संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०—8204/84] गैर-लेवी सीमेंट पर मूल्य और विवरण नियंत्रण न होने के कारण अनुबन्ध-2 में दिए गए मूल्य

लेवी-सीमेंट के सम्बन्ध में हैं। परन्तु सीमेंट मैनयुफैक्चरर्स एसोसिएशन ने विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में गैर-लेवी सीमेंट का निम्नलिखित अधिकतम खुदरा मूल्य बताया था :—

मूल्य (50 कि० ग्रा० सीमेंट वाली प्रति बोरी) (स्थानीय लेवी और करों को निकाल कर)	राज्य/संघशासित क्षेत्र
64/- रु०	केरल, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तरी-पूर्वी राज्य
60/- रु०	अन्य सभी राज्य/संघशासित क्षेत्र

इन वर्षों के दौरान भारतीय सीमेंट नियम द्वारा अर्जित किया गया शुद्ध लाभ निम्नलिखित प्रकार है :—

वर्ष	रु० (लाखों में)
1980-81	39.06
1981-82	882.47
1982-83	2487.38
1983-84	802.00

राज्य सरकारी क्षेत्र के अन्य एककों के सम्बन्ध में इस प्रकार की सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

राज्यों में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के लिए बोर्डों की स्थापना

8084. **श्री के० ए० स्वाम्री** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें 1974 के अधिनियम 6 के अन्तर्गत जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के लिए राज्य बोर्डों की स्थापना की गई है ;

(ख) यदि कोई ऐसे राज्य हैं जिनमें इस प्रकार के बोर्ड स्थापित नहीं किए गए हैं तो उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) इस प्रकार के बोर्ड स्थापित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप-मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) इन राज्यों के नाम हैं :—

(1) आन्ध्र प्रदेश (2) असम

(3) गुजरात (4) बिहार

(5) हरियाणा (6) हिमाचल प्रदेश

(7) जम्मू तथा काश्मीर (8) कर्नाटक

(9) केरल (10) मध्य प्रदेश

(11) महाराष्ट्र (12) मेघालय

(13) उड़ीसा (14) पंजाब

(15) राजस्थान (16) तमिलनाडु

(17) उत्तर प्रदेश (18) पश्चिम बंगाल

(ख) चार उत्तर-पूर्वी पहाड़ी राज्य अर्थात् मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा तथा सिक्किम।

(ग) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 को अपनाने के पश्चात संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राज्य बोर्डों का गठन किया जाना है, नागालैंड, मणिपुर तथा सिक्किम के राज्यों ने अभी तक अधिनियम को नहीं अपनाया है। त्रिपुरा सरकार ने अधिनियम को अपना लिया है लेकिन अभी तक राज्य बोर्ड का गठन नहीं किया है।

जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के लिए संयुक्त बोर्ड

8085. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या 1974 के अधिनियम 6 के अन्तर्गत जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के लिए संयुक्त बोर्डों की स्थापना की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप-मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अभी तक एक संयुक्त बोर्ड की स्थापना की आवश्यकता नहीं पड़ी है।

आन्ध्र प्रदेश को सीमेंट का कोटा

8086. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा राज्य के लिए सीमेंट के कोटे में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां। राज्य को लेवी सीमेंट के आबंटन में वृद्धि करने का ऐसा अनुरोध राज्य सरकार की ओर से 1983 में प्राप्त हुआ था।

(ख) आंध्र प्रदेश को लेवी सीमेंट के आबंटन में 33,600 मी० टन प्रति वर्ष की वृद्धि 1983 की दूसरी तिमाही से कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त 1983 की पहली तिमाही से 1984 की दूसर तिमाही तक की अवधि के दौरान बाढ़/सूखे/साइकलोन से राहत के कार्यों हेतु आंध्र प्रदेश राज्य के पक्ष में तदर्थ आधार पर 65000 मी० टन लेवी सीमेंट का और अधिक आबंटन भी किया गया था।

आदिरूप (प्रोटोटाइप) विकास और प्रशिक्षण केन्द्र, हैदराबाद की स्थापना

8087. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : (क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से हैदराबाद में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा एक आदिरूप (प्रोटोटाइप) विकास और प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना का निवेदन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ख) हैदराबाद में इलेक्ट्रानिक्स के लिए एक आदिरूप (प्रोटो-टाइप) विकास केन्द्र (पी० डी० टी० सी०) स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने एक प्रस्ताव तैयार किया है।

अन्तिम निर्णय लिए जाने हेतु निगम की परियोजना रिपोर्ट पर सरकार के सम्बन्धित विभागों द्वारा विचार किया जा रहा है।

इंसेट-I सी का डिजाइन

8088. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या "इंसेट-1 सी की डिजाइन समीक्षा पूरी हो गई है ;

(ख) क्या इस समय अन्तरिक्ष में विद्यमान इंसेट I बी को 1985 और 1986 में विदेश से स्पेस शटल से छोड़े जाने वाले सैटेलाइट से जोड़ दिया जाएगा ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा 1984-85 के बाद छोड़े जाने वाले सैटेलाइटों के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी एवं महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इन्सेट-I सी० के लिए प्रारम्भिक डिजाइन समीक्षा पूरी कर ली गई है।

(ख) इन्सेट-I बी० उपग्रह, जिसे मूल रूप में कक्षा में अतिरिक्त उपग्रह के रूप में बनाया गया था, 74° पूर्व पर स्थित अब यह एक मुख्य उपग्रह है। इन्सैट-I सी० उपग्रह के अमरीकी अन्तरिक्ष परिवहन प्रणाली (एस० टी० एस०) द्वारा 1986 के मध्य में छोड़े जाने की सम्भावना है। 94° पूर्व के निर्धारित स्थान पर पहुंचने के बाद, इन्सैट-I सी० उपग्रह कुछ प्रमुख पथ दूर संचार उपयोग सहित कक्षा में अतिरिक्त उपग्रह के रूप में रहेगा।

(ग) निकट भविष्य में छोड़े जाने वाले अन्य उपग्रहों का कार्यक्रम निम्न प्रकार है :

(क) अपने संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट (ए० एस० एल० वी०) का उपयोग करते हुए विज्ञान/प्रौद्योगिकी/उपयोगों के क्षेत्र में निम्न भू-मिशनों के लिए 150 कि० ग्रा० भार को श्रेणी के (श्रोस) उपग्रह (अस्थायी रूप में इनका प्रथम प्रमोचन 1985 के लिए तथा द्वितीय प्रमोचन 1986 के लिए निर्धारित है)।

(ख) 1000 कि० ग्रा० भार की श्रेणी के ध्रुवीय कक्षीय सुदूर संवेदन(आई० आर०एस०) उपग्रह, इसमें प्रथम उपग्रह का प्रमोचन सोवियत प्रमोचक राकेट द्वारा 1986 के लिए निर्धारित है। इस शृंखला में बाद के उपग्रहों को अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी० एस० एल० वी०) का उपयोग करते हुए छोड़ा जाएगा।

(ग) इन्सैट-I अन्तरिक्षयानों की प्रतिस्थापना के लिए इन्सैट-II अन्तरिक्षयानों का डिजाइन और निर्माण भारत में ही किया जाएगा, जिसमें से प्रथम जांच उपग्रह को 1988/89 में छोड़ा जाएगा तथा प्रचालनात्मक उपग्रहों को 1990/91 में छोड़ा जाएगा। इन अन्तरिक्षयानों को प्राप्त प्रमोचकों अथवा भारतीय प्रमोचकों द्वारा, जैसा भी उचित होगा, छोड़ा जाएगा।

इन्स्ट्रूमेण्टेशन-उद्योग का कार्य-निष्पादन

8089. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इन्स्ट्रूमेंटेशन उद्योग का वर्तमान कार्य-निष्पादन और स्तर सन्तोषजनक नहीं है और उसमें सुधार की जरुरत है ;

(ख) यदि हां, तो निकट भविष्य में इन्स्ट्रूमेंटेशन-उद्योग के कार्य निष्पादन और परियोजना के स्तर में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) भारत में इन्स्ट्रूमेण्टेशन उद्योग ने पर्याप्त प्रगति की है तथा यह उद्योग देश की अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा करने की

स्थिति में है। किन्तु प्रोसेस कन्ट्रोल इन्स्ट्रूमेंटेशन को छोड़कर उत्पादन को कम प्रौद्योगिकी में मूलत: बांधा गया है। इन्स्ट्रूमेंटेशन उद्योग में तेजी से प्रौद्योगिकीय परिवर्तन किए गए हैं। प्रोसेस कन्ट्रोल इन्स्ट्रूमेंटेशन उद्योग के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को न्यूमेटिक से इलेक्ट्रानिक एनालौग में तथा माइक्रो-प्रोसेस पर आधारित प्रोसेस कन्ट्रोल उपकरणों में बदला जा रहा है। देश में प्रोसेस कन्ट्रोल इन्स्ट्रूमेंटेशन का निष्पादन भी काफी सन्तोषप्रद है।

(ख) और (ग) अधुनातम प्रोद्योगिकी की गति बनाए रखने के लिए इन्स्ट्रूमेंटेशन उद्योग में विदेशी सहयोग को प्रोत्साहन दिया जाता है। अपना कार्यसंचालन, विशिष्टता और प्रतियोगिता स्तर सुधारने के लिए विद्यमान कुछ एककों के विस्तार की अनुमति दी गई है। सरकारी क्षेत्र के एककों को अपना प्रौद्योगिकीय आधार बढ़ाने तथा इन्स्ट्रूमेंटेशन के नए क्षेत्रों में उत्पादन का विविधीकरण करने के लिए सभी प्रकार की सहायता दी जाती है।

पेट्रो-रसायन एककों में कम्प्यूटर व्यवस्था को लागू करना

8090. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को पेट्रो-रसायन एककों में कम्प्यूटर की व्यवस्था को लागू करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वर्ष 1984-85 में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ;

(ग) उन पेट्रो-रसायन एककों के नाम और संख्या क्या है, जिनमें कम्प्यूटर व्यवस्था को प्रारंभ किया जाने वाला है ; और

(घ) इन परियोजनाओं पर कितना व्यय करने का प्रस्ताव है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है।

समुद्री सम्पदा का पता लगाने और उपयोग करने के प्रस्ताव

8091. **श्री अमर राय प्रधान** :

श्री मोहम्मद असरार अहमद :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज, तेल और गैस सहित समुद्री सम्पदा का पता लगाने और उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) समुद्री सम्पदा का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) जलयानों की अधिप्राप्ति एक अनुसन्धान जलयान, "सागर कन्या" पहले ही क्रियाशील है। दूसरा अनुसन्धान जलयान, "सागर सम्पदा" इस वर्ष पहुंचने की संभावना है।

(2) महाद्वीपीय शेल्फ और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर सजीव एवं खनिज संसाधनों के सर्वेक्षण सक्रिय रूप से जारी हैं। भारत के सम्पूर्ण पश्चिमी महाद्वीपीय शेल्फ और पूर्वी महाद्वीपीय शेल्फ के लगभग एक-तिहाई भाग में सर्वेक्षण-कार्य पूरा हो चुका है जिससे क्षेत्र के भू-विज्ञान और भू-भौतिकी के सम्बन्ध में पता चला है।

(3) बहुधात्विक पिण्डों के लिए गहरे-समुद्र का सर्वेक्षण-कार्य सुचारु रूप से चल रहा है।

(4) समुद्र-जल से समुद्रीय रसायन एवं स्वच्छ जल प्राप्त करने का कार्य भी सुचारु रूप से चल रहा है।

(5) जहां तक तेल और गैस का सम्बन्ध है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने तेल और गैस के तटवर्ती अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है। यद्यपि बोम्बे हाई क्षेत्र से तेल और गैस निकालने की योजना पूरी तरह तैयार कर ली गई है, अन्य क्षेत्रों में कार्य अभी जारी है।

भर्ती और पदोन्नति किए गए सरकारी कर्मचारियों (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के अतिरिक्त) और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों की संख्या

8092. **श्री भोखाभाई** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रत्येक विभाग में 1 जनवरी, 1982 को श्रेणी 'क' से श्रेणी 'ग' तक (पदवार) सरकारी कर्मचारियों की (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त) और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की (लिपिकीय और गैर-लिपिकीय) संख्या कितनी थी ; और

(ख) उक्त पदों पर (एक) 1 जनवरी, 1982 से 31 दिसम्बर, 1982 और 1 जनवरी, 1983 से 31 दिसम्बर, 1983 तक कुल कितने सरकारी कर्मचारी (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त) और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी भर्ती और पदोन्नत (पदवार) किए गए ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-8205/84]

त्रिपुरा में उग्रवादियों की गतिविधियां

8093. **श्री बिरदा राम फुलवारिया** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में उग्रवादियों ने गत 18 महीनों के दौरान 74 लोगों को मार दिया तथा कई स्थानों पर पुलिस थानों पर आक्रमण किए और हथियार छीन लिए :

(ख) क्या उग्रवादियों के आक्रमण दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन उग्रवादियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) बताया जाता है कि पिछले 18 महीनों के दौरान (अक्तूबर, 1982 से 31 मार्च, 1984 तक) त्रिपुरा में आदिवासी उग्रवादियों द्वारा 63 व्यक्तियों की हत्या की गई है । इस अवधि के दौरान उन्होंने कुछ थानों पर छापे भी मारे और थोड़े-से हथियार लूटे ।

(ख) त्रिपुरा में 1983 में जिन हिंसक घटनाओं में उग्रवादियों का हाथ था उनकी संख्या 1982 की तुलना में कम थी । 1983 में सूचित की गई घटनाएं 52 थी जबकि 1982 में 92 घटनाएं सूचित की गई थी ।

(ग) उग्रवादियों की गतिविधियों से निपटने के लिए सतर्कता बरती जा रही है और सुरक्षा उपाय किए गए हैं । जो उग्रवादी आत्मसमर्पण कर देते हैं । और कानून का पालन करने वाले नागरिकों की तरह रहना चाहते हैं, उन्हें पुनर्वास सुविधाएं दी जा रही हैं ।

गृह मन्त्रालय में अनुभाग अधिकारी ग्रेड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों को भरा जाना

8094. **श्री रामलाल राही** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में 56 रिक्तियां अर्थात 28 परीक्षाओं द्वारा भरे जाने वाले कोटा में और 28 गृह मंत्रालय (मंत्रालय) में चयन सूची (वरिष्ठता) कोटा 1983 द्वारा पदोन्नत किए जाने वालों द्वारा भरे जाने के लिए घोषित की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पदोन्नति जोन के अन्तर्गत न आने वाले अधिकारियों की चयन सूची (वरिष्ठता कोटा) के अधिकारियों के उपलब्ध होने तक, उपर्युक्त (क) रिक्तियों में पहले ही नियुक्ति की जा चुकी है ;

(ग) यदि हां, तो 17 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3816 के उत्तर में सरकार द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए कि चयन सूची की रिक्तियों में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पर्याप्त संख्या में अधिकारी उपलब्ध हैं, उपर्युक्त (क) रिक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने अधिकारियों की नियुक्ति की गई है ; और

(घ) यदि नहीं तो उपर्युक्त (क) रिक्तियों में नियुक्ति के लिए पदोन्नति जोन में शामिल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों उपेक्षा के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (घ) गृह मंत्रालय संवर्ग में वर्ष 1983 के लिए अनुभाग अधिकारी जिसमें चयन सूची रिक्तियों की अस्थायी संख्या 56 परिकलित की गई है। इनमें से इस समय 20 पर चयन सूची के क्षेत्र में शामिल अधिकारी कार्य कर रहे हैं, 6 पर दीर्घावधि अनुभाग अधिकारी और शेष रिक्तियों को वरिष्ठतम सहायकों की तदर्थ पदोन्नतियां करके उपयोग किया जा रहा है। आरक्षित वर्ग के तीन सहायकों तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में पदोन्नत किया गया था। उनको वर्ष 1982 के लिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में शामिल किया जा चुका है।

केन्द्रीय भंडार में वस्तुओं की उपलब्धता

8095. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भंडारों में ऐसी कोई प्रणाली अपनाई गई है जिससे यह पता चल सकता हो कि इसकी शाखाओं में कौन सी वस्तु उपलब्ध नहीं है, कब से नहीं है और क्या इसके तथ्यों पर प्राधिकारियों का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि शाखाओं में हर समय सभी उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध रहें और वस्तुएं खरीदने और सप्लाई करने के समय तक अन्य शाखाओं में उपलब्ध भंडार को कमी वाली शाखा को स्थानान्तरित कर दिया जाए ;

(ग) क्या इसके लिए कुछ कर्मचारी लगाए गए हैं और यदि हां, तो क्या वे कर्मचारी इन तथ्यों पर अधिकारियों का ध्यान दिलाते है ; और

(घ) शाखाओं सहित उन उपभोक्ता वस्तुओं का ब्यौरा क्या है जो उपलब्ध नहीं हैं और उन्हें खरीदने तथा सप्लाई करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सोसाइटी का यह प्रयत्न रहा है कि दिल्ली के दूर दराज के इलाकों में स्थित इसके शाखा बाजारों द्वारा बेची जाने वाली उपभोक्ता वस्तुओं का काफी स्टाक बना रहे। समिति में दो भण्डार अधीक्षक हैं जो उपभोक्ता वस्तुओं को इन शाखा भण्डारों में भेजने के कार्य पर निगाह रखते हैं तथा यह भी देखते हैं कि जिन वस्तुओं की मांग की तुलना में कमी दिखाई देती है उनकी पूर्ति के लिए उपाय किए जाते हैं।

बी० एच० ई० एल० तिरुचि द्वारा कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण

8096. **श्री एन० सेलवाराजू** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी० एच० ई० एल० तिरुचि में आवास की कमी को देखते हुए कर्मचारियों की

आवश्यकता को पूरा करने हेतु तिरुचि में बी० एच० ई० एल० टाउनशिप में कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) कितने कर्मचारियों को अभी भी क्वार्टर दिए जाने हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां।

(ख) बी० एच० ई० एल०, तिरुचि में अभी 9302 कर्मचारियों को क्वार्टर दिए जाने हैं।

बी० एच० ई० एल० के कार्यकारी अधिकारियों का वेतन

8097. **श्री एन० सेलवाराजू** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बी० एच० ई० एल० के कार्यकारी अधिकारियों के वेतन ओ० एन० जी० सी० और इण्डियन आयल के बराबर किए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : जी, नहीं।

बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों को आर्थिक सहायता

8098. **श्री भीखाभाई** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983-84 के दौरान बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कुल कितने परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : 1983-84 के दौरान बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के 24.98 लाख परिवारों और अनुसूचित जनजातियों के 7.63 लाख परिवारों की आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य था।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग जैसी एजेंसियों का सृजन

8099. **श्री भीखाभाई** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संविधान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग जैसी बहुत सी एजेंसियां बनाने की क्या उपयोगिता है ;

(ख) क्या सरकार सामाजार्थिक योजनाऐं बनाते समय इन सिफारिशों पर ध्यान देती है ; और

(ग) किस माध्यम से समन्वय किया जाता है ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) अनुसूचित जाति और अनूसूचित जनजाति के आयुक्त के रूप में पदनामित एक विशेष अधिकारी संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत नियुक्त किया जाता है। उसको संविधान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध संरक्षणों से

सम्बन्धित मामलों की जांच करने की जिम्मेवारी है। समस्या की महत्ता पर विचार करते हुए सरकार का यह मत है कि एक विशेष अधिकारी के कार्य करने और प्रभुत्व के अतिरिक्त, इन मामलों को उच्च स्तरीय आयोग को सुपुर्द किया जाना चाहिए और तदनुसार ही सरकार ने एक आयोग गठित किया है।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आयुक्त, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के आयोग का पदेन सदस्य भी है जो दोनों अभिकरणों के मध्य समन्वय सुनिश्चित करता है।

केन्द्रीय सचिवालय, राजभाषा सेवा (ग्रुप "ए" और "बी" पद) के लिए नियम

8100. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (ग्रुप "ए" एवं "ब" पद) के लिए नियम अधिसूचित किए गए हैं ;

(ख) क्या यह नियम उनके भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू है ;

(ग) क्या यह सच है कि सेवा के गठन के आरम्भ में केवल उन अधिकारियों, जो 19 सितम्बर, 1981 को ऐसे पदों पर थे, के मामलों पर विचार किया जा रहा है ; और

(घ) क्या नियम के लागू होने की अधिसूचित तारीख को ऐसे पदों पर रहने वाले अधिकारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) ये नियम भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि अर्थात 24 सितम्बर, 1983 से लागू हो गए हैं।

(ग) और (घ) नियमों में दी गई विभागीय अभ्यर्थी की परिभाषा के अनुसार केवल उन्हें सेवा के आरम्भिक गठन के समय सेवा में समाहृत करने के लिए विचार में लाया जायेगा, जो 19-9-81 को या तो सेवा में सम्मिलित पदों पर नियुक्त थे या उन पदों पर धारणाधिकार रखते थे।

निलम्बन के अधीन सरकारी कर्मचारियों को देय राशि पर ब्याज की अदायगी

8101. **श्री मनोहन लाल सैनी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन सरकारी कर्मचारियों के बारे में जो निलम्बनाधीन हों और जिन्हें विभागीय जांच में अन्तिम रूप से दोष मुक्त कर दिया गया हो, देय राशि पर ब्याज की अदायगी के लिए कोई आदेश अनुदेश हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी प्रति सदन के सभा पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में अनुदेश जारी करने का है ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

खादी ग्रामोद्योग आयोग की रोजगार योजना

8102. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग पांच लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए खादी और ग्रामोद्योग द्वारा तैयार की गई महत्वाकांक्षी योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत किन-किन क्षेत्रों को लिया जाएगा ;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) छठी योजना की अवधि के दौरान खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में वर्ष 1979-80 में 27.31 लाख व्यक्तियों को मिले रोजगार को वर्ष 1984-85 में बढ़ाकर 40.50 लाख व्यक्ति करने का विचार है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने पहले ही वर्ष 1982-83 के दौरान 34.34 लाख व्यक्तियों तक के लिए रोजगार उत्पन्न कर लिया है और 1983-84 की वार्षिक योजना के अनुसार 1983-84 के दौरान लगभग 2.51 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर उत्पन्न करके रोजगार के स्तर को 36.85 लाख व्यक्ति तक पहुंचा लेने की परिकल्पना की गई है। इस आयोग के कार्यकलापों में समग्र देश को इनके अन्तर्गत लाना और मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना शामिल है।

मैसर्स हैवी इन्जिनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड और जैसप लिमिटेड में घाटा

8103. **श्री मूलचन्द डागा** :

श्री सुशील भट्टाचार्य :

क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कई वर्षों से मैसर्स हैवी इन्जिनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची, माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर और मैसर्स जैसप लिमिटेड को लगातार घाटा हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले 5 वर्षों में उनको कितना घाटा हुआ है और उनका संचयी घाटा कितना है ;

(ग) इन उपक्रमों को व्यावहारिक बनाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ;

(घ) सरकार ने इन प्रतिष्ठानों में हानि न होने के लिए लक्ष्य वर्ष कब तक निर्धारित किया है ; और

(ङ) क्या सरकार इन प्रतिष्ठानों में घाटा रहने की स्थिति में इनके गैर-राष्ट्रीयकरण करने पर विचार करेगी ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले पांच वर्षों में हुई हानियों और संचित हानियों के बारे में जानकारी संलग्न **विवरण में दी गई है**।

(ग) सरकार और कम्पनी द्वारा इसकी जीव्यता में सुधार लाने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) अधिक मूल्य की आधुनिकतम और पुनरावृत्तिमूलक वस्तुओं के उत्पादन के लिए क्रयादेश प्राप्त करना ;

(2) उन्नत उत्पादन योजना प्रणाली, आधुनिक वस्तु-सूची नियन्त्रण तरीकों, जाब कास्टिंग इत्यादि को प्रारम्भ करना ;

(3) वरिष्ठ और मध्यम प्रबन्ध स्तरों को मजबूत बनाना ;

(4) आवश्यक कार्य-संचालन पूंजी के लिए सहायता प्रदान करना ;

(5) औद्योगिक सम्बन्धों और अनुशासन में सुधार करना ;

(6) उत्पादन में घाटे को कम करने के लिए स्थायी डीजल जनरेटिंग सेटों को अधिष्ठापित करना ;

(7) उत्पादन वित्तीय जीव्यता में सुधार लाने के लिए विविधीकरण और उत्पाद उन्नयन ;

(घ) और (ङ) पिछले कुछ वर्षों से इन कम्पनियों के उत्पादन और उत्पादिता में सुधार हो रहा है। फिर भी अगले दो वर्षों में एम० ए० एम० सी० और जैसप के हानि रहित स्थिति में पहुंच जाने की आशा है। एच० ई० सी० को अभी और समय लगेगा। अतः विराष्ट्रीयकरण का प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	एच० ई० सी	एम०ए०एम०सी०	जैसप लिमिटेड
1978-79	27.75	9.94	9.13
1979-80	34.78	9.54	9.31
1980-81	51.13	15.50	11.65
1981-82	22.82	12.88	7.44
1982-83	47.96	10.07	4.47
31-3-1983 तक संचित हानि	362.72	123.86	59.50

नदियों के किनारों पर स्थापित उद्योगों से होने वाला प्रदूषण

8104. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या देश में नदी जल प्रदूषण बढ़ रहा है और क्या इस प्रदूषण को रोकने की दृष्टि से सरकार का विचार ऐसे उपाय करने का है जिनके अन्तर्गत ऐसे उद्योगों को नदियों के किनारे स्थापित करने की मन्जूरी नहीं दी जायेगी जिनके विषाक्त अपशिष्ट के कारण जल प्रदूषित होता है और किसानों की जमीन खेती योग्य नहीं रहती जिसके परिणामस्वरूप अनेक किसान धान की फसल उगाने से वंचित रह जाते हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी करने से पहले केन्द्रीय जल प्रदूषण बोर्ड अथवा राज्य जल प्रदूषण बोर्डों की मंजूरी लेने का है ?

पर्यावरण विभाग में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) अपशिष्ट जल प्रमुख रूप से घरेलू श्रोत की बहि: प्रवाह की वजह से नदी जल शहरों तथा कस्बों से अनुप्रवाहों में शीघ्र ही प्रदूषित हों जाता है। तथापि ये कुछ प्रदूषित फैलाव सिंचाई के लिए श्रोत रूप में आयोग्य नहीं पाए गए हैं। उद्योगों को अपने व्यापारिक निस्सरणों का बहि:प्रवाह करने से पूर्व पर्याप्त उपचार करने के लिए उत्तरोत्तर नियंत्रित किया जा रहा है।

(ख) प्रदूषक कारखानों को लाइसेंस जारी करने से पहले प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की सहमति लेने का प्रस्ताव है।

उपग्रहों कार्य निष्पादन

8105. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) भारत द्वारा छोडे गए कौन-कौन से उपग्रह सफल रहे और कौन कौन से असफल रहे ; और

(ख) इस समय कौन से उपग्रह कार्य कर रहे हैं और उनकी उपलब्धियों का ब्योरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में भविष्य के कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी एवं महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारत द्वारा छोड़े गए उपग्रह निम्न प्रकार है :

स्वदेशी उपग्रह

(1) आर्यभट

(2) भास्कर-I तथा II

(3) रोहिणी उपग्रह आर० एस०-I, आर० एस० डी०-I, आर० एस० डी०-2

(4) एप्पल

कुछ मिशनों में कुछ व्यवधानों के होने के बावजूद, उपर्युक्त सभी उपग्रहों ने अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया। इनमें से कोई भी असफल नहीं रहा।

विदेश से प्राप्त उपग्रह

(5) भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह-1ए (इन्सैट-1ए)

(6) भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह-1बी (इन्सैट-1बी)

जब कि इन्सैट-1बी, 15 अक्टूबर, 1983 से अपने प्रचालनीकरण के साथ पूरी तरह सफल प्रमाणित हुआ, इन्सैट-1ए उपग्रह को सौरपाल के न खुलने के कारण हुई लघु विसंगतियों के असाधारण संयोजन के परिणामस्वरूप सितम्बर 1982 में निष्क्रिय करना पड़ा।

(ख) (1) भास्कर II और इन्सैट-1 बी० उपग्रह इस समय प्रचालन में हैं। भास्कर-II के "समीर" के तीन चैनालों और टी०वी० कैमरों, दोनों से प्रतिबिम्बित किया नियमित रूप में प्राप्त की गई। भास्कर II के टी०वी०, समीर और डी० सी० पी० नीतभारों से एकत्रित आंकड़ों को विविध उपयोगों के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। इस समय, भास्कर II उपग्रह अपने माइक्रोवेव रेडियो-मीटर से मुख्य रूप में आंकड़े प्राप्त कर रहा है। चूंकि सभी निर्धारित क्रियाकलाप पूरे हो गए हैं, अत: भास्कर मिशन को शीघ्र ही समाप्त किया जाना है।

(2) इन्सैट-1 प्रणाली को हमारी राष्ट्रीय लम्बी दूरी के दूरसंचार, जनसंचार और मौसम-विज्ञानीय सुविधाओं को गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों रूपों में, बढ़ाने के लिए बनाया गया है। अक्तूबर 15, 1983 को विविध राष्ट्रीय एजेंसियों ने इन्सैट-1बी के प्रचालनात्मक उपयोग प्रारम्भ किए। सभी सेवाएं पूरी तरह प्रचालन में हैं और सन्तोषप्रद रूप में कार्य कर रही हैं। प्रधान मन्त्री जी ने 11-2-1984 को इन्सैट-1बी उपग्रह को राष्ट्र को समर्पित किया।

(3) भविष्य में छोड़े जाने वाले उपग्रह मुख्य रूप में निम्न श्रेणियों के हैं :

—विज्ञान/प्रौद्योगिकी/उपयोग के क्षेत्रों में निम्न-भू-मिशनों के लिए 150 कि० ग्रा० भार की श्रेणी के उपग्रह।

—1000 कि० ग्रा० भार की श्रेणी के ध्रुवीय कक्षीय सुदूर संवेदन उपग्रह।

—इन्सैट प्रणाली की निरन्तरता तथा विकास के लिए संचार और मौसमविज्ञान के लिए आनुक्रमिक भू-स्थायी अन्तरिक्षयान।

भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी

8106. **श्री विरदाराम फुलवारिया** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में कुल कितने अधिकारी हैं ;

(ख) उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने अधिकारी हैं ; और

(ग) उनका राज्य-वार अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) भारतीय पुलिस सेवा के संबंध में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश संवर्गों को छोड़कर, 1-3-1984 की स्थिति के अनुसार अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी जाती है। शेष सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

विवरण

1-3-1984 की स्थिति के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के राज्य/संयुक्त संवर्गों के अधिकारियों की संख्या और उक्त संख्या में से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संयुक्त संवर्ग	भारतीय प्रशासनिक सेवा			भारतीय पुलिस सेवा		
		अधिकारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जातियों के अधिकारियों की संख्या	अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या	अधिकारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जातियों के अधिकारियों की संख्या	अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	291	34	11	**	**	**
2.	असम मेघालय	166	7	33	96	6	15
3.	बिहार	335	23	19	162	18	7
4.	गुजरात	185	22	6	97	9	5
5.	हरियाणा	168	30	1	74	11	शून्य
6.	हिमाचल प्रदेश	101	6	15	49	7	3
7.	जम्मू-कश्मीर	72	7	4	38	2	1

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	कर्नाटक	263	26	7	110	11	2
9.	केरल	141	15	2	78	6	2
10.	मध्य प्रदेश	343	35	16	214	24	9
11.	महाराष्ट्र	314	33	12	**	**	**
12.	मणिपुर त्रिपुरा	103	2	13	53	2	7
13.	नागालैंड	43	शून्य	26	भा०पु०से० संवर्ग नहीं है		
14.	उड़ीसा	198	16	5	103	5	3
15.	पंजाब	160	28	1	93	20	शून्य
16.	राजस्थान	224	19	13	115	6	6
17.	सिक्किम	23	1	13	8	शून्य	4
18.	तमिल नाडु	279	37	6	112	20	2
19.	संघ राज्य क्षेत्र	176	17	19	92	11	4
20.	उत्तर प्रदेश	489	71	9	**	**	**
21.	पश्चिम बंगाल	257	27	10	173	13	11

**सूचना आनी बाकी है।

पंजाब के अपराधियों और उग्रवादियों के बीच सम्बन्ध

8107. **श्री जयपाल सिंह कश्यप :**
श्री त्रिलोक चन्द :
श्री आर० आर० भोले :
श्री एन० ई० होरो :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2 जनवरी, 1984 को दिल्ली में संसद मार्ग पर दिन दहाड़े डकैती

और गोली चलाने की घटना में शामिल अपराधियों के पंजाब के उग्रवादियों से सम्बन्ध हैं और उन्हें दल खालसा के लिए कार्य करने के लिए स्वर्ण मन्दिर परिसर में प्रशिक्षण दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) इन घटना में गिरफ्तार किये गये अभियुक्त श्री सुखदेव सिंह ने पूछताछ के दौरान यह बताया है कि उसने स्वर्ण मन्दिर परिसर, अमृतसर में हथियार तथा गोलाबारूद के सम्बन्ध में प्रशिक्षण लिया था। परन्तु उसने इस बात से इन्कार किया है कि उसका दल खालसा के साथ कोई सम्बन्ध है।

दिल्ली में उग्रवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए भी आवश्यक कदम उठाये गये हैं।

खनिजों पर रायल्टी की दरें

8108. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों को लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, तांबा अयस्क, मैग्नेसाइट अयस्क और अन्य खनिजों पर दी जा रही रायल्टी वर्तमान दरें क्या हैं ;

(ख) ये दरें अन्तिम बार कब निर्धारित की गई थीं।

(ग) रायल्टी की दरें निर्धारित करने के लिये क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं ; और

(घ) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारें रायल्टी की अधिक दरों की मांग कर रही हैं ; यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क ताम्र अयस्क, मैंगनेसाइट तथा अन्य खनिजों की वर्तमान रायल्टी दरें और उनके गत संशोधन की तारीखें अनुबन्ध में दी गई हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी ८206/84]

(ग) मुख्य खनिजों पर रायल्टी दरें केन्द्र सरकार द्वारा खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 की धारा 9(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए चार वर्ष में एक बार निर्धारित और संशोधित की जाती हैं। रायल्टी दरों को गुण-दोष के आधार पर, खनिजों के खान मुहाना मूल्य, उत्पादन, खपत, कीमतों और निर्यात, खनिज व्यापार तथा उद्योगों एवं राज्य सरकारों के विचारों को ध्यान में रख कर संशोधित किया जाता है, ताकि खनिज उद्योग और राष्ट्र के समग्र हितों की रक्षा की जा सके।

(घ) बिहार और उड़ीसा सरकारें लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, ताम्र अयस्क, मैंगनेसाइट

तथा अभ्रक की रायल्टी दरों में शीघ्र संशोधन के लिए जो दे रही हैं, तथा इन खनिजों की रायल्टी दरों में संशोधन पर केन्द्र सरकार विचार कर रही है।

उद्योगों में मंदी

8109. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ उद्योगों में मन्दी आई है ;

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगों के नाम क्या हैं तथा उनमें कितनी मात्रा में उत्पाद एकत्र हो गए हैं ; और

(ग) इन उद्योगों में मन्दी के मुख्य कारण क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) कुछ उद्योगों को जिनमें इस्पात, वस्त्र और इन्जीनियरी का सामान बनाने वाले उद्योग शामिल हैं, कुछ इन्जीनियरी उद्योगों के मामले में बड़े खरीदारों की वित्त सम्बन्धी अड़चनों सहित विभिन्न कारणों से मांग कम हो जाने के कारण हानि हुई है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार इस्पात के आरम्भिक स्टाक में कमी हुई है। जो 1-4-83 को 15.4 लाख मी० टन की अपेक्षा 1-4-84 को घटकर 8 लाख मी० टन रह गया है, जबकि पिछले वर्ष की तुलना में वस्त्रों की प्रतिव्यक्ति खपत बढ़ी है। इन्जीनियरी के सामान के उत्पादन में 1983 में और भी वृद्धि दिखाई दी है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० को संभावित हानि

8110. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० को चालू वर्ष के दौरान हानि होने की सम्भावना हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष भारतीय प्राधिकरण लि० को कितनी हानि होने की संभावना है और यह 1981-82 और 1982-83 के आंकड़ों की तुलना में कितनी होगी ; और

(ग) हानि के प्रमुख कारण क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों में "सेल" की लाभ/हानि की स्थिति इस प्रकार है :

(सभी आंकड़े करोड़ रुपयों में हैं)

वर्ष	लाभ(+)/हानि(—)	(लागत में वृद्धि घटा पिछले वर्ग की तुलना में हुई वास्तविक वसूली में वृद्धि)
1980-81	(+) 1.01	45
1981-82	(+) 39.17	(—) 15
1982-83	(—)105.76	115

"सेल" को हुई हानि का मुख्य कारण यह है कि वास्तविक वसूली लागत में हुई वृद्धि की तुलना में कम होती रही है, जैसा कि नीचे तालिका में दिखाया गया है:

(सभी आंकड़े करोड़ रुपयों में हैं)

	1980-81	1981-82	1982-83
पिछले वर्ष की तुलना में "सेल" की बिक्री से हुई वसूली में अनुमानित वृद्धि (इस्पात तथा कच्चा लोहा)	125	319	231
पिछले वर्ष की तुलना में लागत में वृद्धि			
— कच्चा माल, स्टोर, फालतू पुर्जे, बिजली	124	232	199
— वेतन तथा मजूरी	29	42	57
— रख-रखाव	3	10	3
— मूल्यह्रास	1	9	9
— ब्याज	15	11	78
उपर्युक्त मदों के बारे में पिछले वर्ष की तुलना में लागत में हुई कुल वृद्धि	170	304	346

वर्ष 1983-84 में "सेल" के कारखानों की लाभ और हानि की स्थिति का पता तभी चलेगा जब इस वर्ष का हिसाब-किताब अन्तिम रूप से तैयार हो जाएगा।

हानि को कम करने तथा कार्यकरण में सुधार लाने के लिए "सेल" मांग के अनुरूप प्राडक्ट-मिल्स में परिवर्तन लाने, विपणन के लिए अथक प्रयास करके बिक्री में वृद्धि करने और इस प्रकार तैयार

माल, कच्ची सामग्री, स्टोर्स तथा फालतू पुर्जों के स्टाक में कमी करने तथा निर्यात के लिए अधिक उत्पादन करने हेतु हर संभव प्रयास कर रही है। प्रौद्योगिकरण प्रक्रियाओं में सुधार करके लागत में कमी करने, उपस्कारों की समय पर मरम्मत करके तथा बेहतर रख-रखाव द्वारा उनकी उपलब्धि में वृद्धि करने, स्टोर्स तथा फालतू पुर्जों की खरीद कम से कम करने और हर प्रकार से खर्च में कमी करने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं।

नैनीताल के निकट एक रंगीन सिनेमा फिल्म संयंत्र की स्थापना

8111. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैनीताल, उत्तर प्रदेश के निकट 160 करोड़ रुपये की लागत से एक रंगीन सिनेमा फिल्म संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव त्याग दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव को त्यागने के क्या कारण हैं ;

(ग) 1982 और 1983 के दौरान कितनी मात्रा में और कितनी लागत की रंगीन सिनेमा फिल्मों का आयात किया गया ; और

(घ) देश में इस प्रकार की फिल्मों की वार्षिक मांग कितनी है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न हो नहीं उठता।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार अप्रैल, 1983 से जनवरी, 1984 के अन्त तक 5.95 करोड़ रुपये के मूल्य की रंगीन सिनेमा फिल्मों के 37.926 रोल आयात किए गए थे। अप्रैल, 1982 से मार्च, 1983 के अन्त तक 8.00 करोड़ रुपए के मूल्य के 72,840 रोल आयात किए गए थे।

कच्ची रंगीन सिनेमा फिल्म की वार्षिक अनुमानित आवश्यकता 11.50 करोड़ रुपए के मूल्य के 63,727 रोलों की है।

जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रविरोधी तत्वों की गतिविधियां

8112. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रविरोधी तत्वों की गतिविधियों के विषय में कोई सूचना प्राप्त हुई है :

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कुछ व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) सरकार राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के बारे में विभिन्न स्रोतों से रिपोर्ट प्राप्त करती रहती है।

(ग) और (घ) जम्मू व कश्मीर सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार पिछले एक वर्ष के दौरान 30 व्यक्ति, जो राष्ट्र विरोधी तथा समाज विरोधी गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त पाये, गिरफ्तार किए गए।

गुजरात में बड़े इन्जीनियरिंग और इलेक्ट्रोनिक एकक स्थापित करने की योजना

8113. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गुजरात औद्योगिक निवेश निगम के माध्यम से बड़े इन्जीनियरी और इलेक्ट्रोनिक एककों को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष योजना केन्द्र को प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) गुजरात सरकार ने "लार्जइंजीनियरिंग और इलेक्ट्रोनिक्स प्रोजेक्टस (लीप)" प्रोत्साहन योजना, 1982 नामक एक योजना शुरू की है। योजना का कार्यान्वयन गुजरात औद्योगिक निवेश निगम द्वारा किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत स्थापना-स्थल आदि से सम्बन्धित कुछ शर्तें पूरी करने पर बड़े इन्जीनियरिंग और इलेक्ट्रोनिक्स एककों को नियत पंजी निवेश के 10 से 20 प्रतिशत तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है।

(ग) योजना के उपबन्धों के अन्तर्गत ऋण देने के लिए निधि की आवश्यकता पूरी करने के लिए राज्य सरकार की 1984-85 की वार्षिक योजना प्रावधान किया गया है।

पाकिस्तान समर्थक अलगाववादी और उग्रवादी संगठन

8114. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व आसूचना एजेंसियों द्वारा केन्द्रीय सरकार को कश्मीर में पाकिस्तान समर्थक अलगाववादी और उग्रवादी संगठनों की शाखाओं के साथ-साथ अस्थिरता पैदा करने की अपनी नीति के उद्देश्य के लिए विदेशों में राजनयिकों और भारतीय वायुयानों के अपहरणों की सम्भावना की चेतावनी दी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दृष्टि से सरकार ने हवाई अड्डों और विदेशों में राजनयिक मिशनों में सुरक्षा को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या विदेशों में राजनयिक कार्यालयों में सुरक्षा प्रबन्धों को और सुदृढ़ किया जाएगा।

(घ) यदि हां, तो क्या मन्त्रालय ने विदेशों में भारतीय मिशनों को लन्दन की हाल की घटनाओं की दृष्टि से सुरक्षा गार्डों की संख्या बढ़ाने के भी निदेश दिए हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो देश के विभिन्न भागों में काम करने वाली ऐसी एजेंसियों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) हवाई अड्डों और विदेश में स्थित राजनयिक मिशनों में सुरक्षा कड़ी करने के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं।

(ग) तथा (घ) वियना सम्मेलन के अन्तर्गत विदेश स्थित मिशनों और वहां तैनात कार्मिकों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मेजबान सरकार का है। फिर भी जहां आवश्यक है वहां उपयुक्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं।

(ङ) इन एजेंसियों की गतिविधियों का पता लगाने के लिए उपयुक्त उपाय किए गए हैं।

कागज उद्योग में संकट

8115. **श्री बी० बी० देसाई :**

श्री मनमोहन टुडु :

श्री पी० एम० सईद :

डा० कृपासिन्धु भोई :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या 9 बड़ी कागज मिलों और 42 लघु मिलों ने पिछले 3-4 महीनों के दौरान अपना उत्पादन कार्य बन्द कर दिया है ;

(ग) क्या मिलों को बन्द करने के फलस्वरूप उत्पादन क्षमता के दो मिलियन टन से अधिक कम होने का अनुमान किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो बन्द हुए बड़े एककों के नाम क्या हैं ;

(ङ) क्या राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं द्वारा लघु एककों को 250 करोड़ रुपये से अधिक की दी गई धनराशि को पिछले कुछ वर्षों से वापस नहीं किया गया है ;

(च) क्या इसके फलस्वरूप कागज का उत्पादन जो वर्ष 1982 में 12.5 लाख टन था वह तेजी से घटकर वर्ष 1983 में 11 लाख टन से भी कम हो गया है ; और

(छ) यदि हां, तो कागज उद्योग को संकट से उबारने के लिए सहायता करने हेतु किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ख) औद्योगिक विवादों और वित्तीय समस्याओं के कारण वर्ष 1983-84 में लगभग 8 बड़ी और 23 छोटी कागज मिलों में कुछ अवधि या पूरे वर्ष के लिए उत्पादन रुक गया था। किन्तु कुल मिला कर कागज उद्योग की स्थिति में सुधार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं।

(ग) तथा (घ) इस समय लगभग 22 लाख मी० टन की कुल अधिष्ठापित क्षमता में से काम बंद होने के कारण केवल 2.5 लाख मी० टन की कुल क्षमता पर ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस समय जो बड़े एकक बन्द पड़े हैं उनका ब्यौरा निम्नलिखित हैं : —

एकक का नाम	स्थापना स्थल	अधिष्ठापित क्षमता (मी० टन/प्रति वर्ष)
टीटागढ़ पेपर मिल्स (नं० 1)	टीटागढ़, प० बंगाल	40,000
टीटीगढ़ पेपर मिल्स (नं० 2)	काकी नाड़ा प० बंगाल	35,000
बंगाल पेपर मिल्स	रानी गंज प० बंगाल	50,000
अशोक पेपर मिल्स	जोगीघोपा, असम	27,000
अशोक पेपर मिल्ल	रामेश्वर नगर, बिहार	13,000
	योग	1,65,500

(ङ) कुछ छोटी कागज मिलों पर पिछली राशियां बकाया हैं अथवा वे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और अन्य संस्थानों द्वारा दिए गए ऋणों का भुगतान न कर सकने के लिए दोषी हैं।

(च) तथा (छ) कागज और गत्ते का उत्पादन 1982 में 12.36 लाख मी० टन की तुलना में 1983 के दौरान 11.78 लाख मी० टन हुआ था। कागज मिलों के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए आवश्यक विशिष्ट उपाय बताने हेतु सरकार ने वित्तीय संस्थानों/राज्य सरकारों से बातचीत आरम्भ कर दी हैं। उद्योग की सहायता करने के लिए विभिन्न राजकोषीय मदद दी जा रही है तथा अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं में भी सुधार किया जा रहा है जिससे यह उद्योग क्षमता का और अधिक उपयोग कर सके।

बी० एच० ई० एल०, एच० एम० टी० और एच० ई० सी० द्वारा उत्पादन सहयोग

8116. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ प्रमुख सरकारी उपक्रमों में उत्पादन क्षमताओं के कुशल उपयोग के

द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के प्रयास करने हेतु एक दूसरे के आधार पर कार्य करने के लिए कहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस नीति के अंग के रूप में बी० एच० ई० एल०, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स और हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन से उत्पादन में सहयोग करने के लिए कहा है ;

(ग) इन एककों ने किस सीमा तक उत्पादन में सहयोग करना प्रारम्भ कर दिया है ; और

(घ) सरकार को इन उपक्रमों द्वारा घाटे के बजाय कब तक लाभ अर्जित किए जाने की स्थिति में आ जाने की आशा है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) सुविधाओं और कार्य-भार की सम्पूरकताओं का विदोहन करने के संदर्भ में अन्य के साथ-साथ बी० एच० ई० एल०, एच० एम० टी० और एच० ई० सी० से अनुरोध किया गया है कि वे उत्पादन में सहयोग के उपाय के लिए प्रयत्न करें लेकिन उत्पादन प्रारम्भ करने हेतु अभी कोई ठोस क्रयादेश नहीं दिए गए हैं।

(घ) बी० एच० ई० एल० और एच० एम० टी० पहले ही लाभ कमा रहे हैं। एच० ई० सी० के निकट भविष्य में हानि-रहित स्थिति में पहुंचे जाने की सम्भावना है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास लम्बित भ्रष्टाचार के मामले

8117. **श्री नबीन रावणी :**

श्री पी० एम० सईद :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1983 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास लम्बित भ्रष्टाचार के मामलों की संख्या क्या है ;

(ख) ये मामले उनके पास कब से लम्बित हैं ;

(ग) उनका निपटान न करने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या उनका निपटान करने के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई निदेश जारी किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इन मामलों को कब तक निपटा दिया जायेगा ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाशचन्द्र सेठी) : (क) तथा (ख) 31-12-1983 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास भ्रष्टाचार के 926 मामले लम्बित थे। उनके ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

वह अवधि जिससे जांच लम्बित है	मामलों की संख्या
6 मास के भीतर	369
6 मास तथा एक वर्ष के बीच	287
1 से 2 वर्ष के बीच	209
2 वर्ष से अधिक	61

(ग) से (ङ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच पूरी करने में विलम्ब के मुख्य कारण ये हैं—दोषी व्यक्तियों द्वारा विलम्बकारी युक्तियां अपनाया जाना, स्थगन आदेश प्राप्त करना, न्यायालयों में जांच अभिकरणों द्वारा अनुपालन की क्रियाविधियों की वैधता को चुनौती देना तथा मामलों के अन्तरणों के लिए न्यायालयों में जाना, मामलों का जटिल तथा पेचीदा स्वरूप जिनमें काफी बड़ी संख्या में गवाहों तथा भारी भरकम रिकार्डों आदि की जांच शामिल है। शीघ्र निपटान के उद्देश्य से इन मामलों की समय समय पर पुनरीक्षा की जाती है।

इस्पात के मूल्य में वृद्धि

8118. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात के मूल्यों में वृद्धि करने का निर्णय किया है और यदि हां, तो कितने प्रतिशत ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस्पात के उत्पादन की क्या स्थिति रही ;

(ग) इस्पात की कितनी मात्रा बिना बिके पड़ी हुई है ; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में इस्पात का आयात किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (**श्री एन० के० पी० साल्वे**) : (क) सर्वतोन्मुखी इस्पात कारखानों द्वारा उत्पादित बढिया इस्पात की आम श्रेणियों के मूल्य सरकार द्वारा नहीं बल्कि संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

(ख) गत तीन वर्षों का 6 सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों (टिस्को भी शामिल है) का विक्रेय इस्पात का उत्पादन नीचे दिया गया है :—

(हजार टन)

वर्ष	उत्पादन
1981-82	7257
1982-83	7291
1983-84	6397 (आंकड़े अस्थाई हैं)

(ग) इस्पात के इन मुख्य उत्पादकों के कारखानों तथा आन्तरिक बिक्री के स्टाकयार्डों में विक्रेय इस्पात का स्टाक जो 1-4-1983 को 15.5 लाख टन था घटकर 1-4-1984 को 8 लाख टन (आंकड़े अस्थाई है) रह गया।

(घ) गत तीन वर्षों में माध्यम अभिकरण नामतः स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० द्वारा आयात किए गए इस्पात का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	मात्रा (लाख टनों में)
1981-82	10.5
1982-83	13.2
1983-84	5.1

(अप्रैल, 1983 से फरवरी, 1984)

इस अवधि में इस्पात के कुल आयात के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हैं।

आशुलिपिकों के पदोन्नति के अवसर

8119. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या गृह मंत्री आशुलिपिकों के पदोन्नति अवसर के बारे में 28 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10105 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक आशुलिपिकों के पदोन्नति अवसरों में सुधार के प्रश्न पर अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस विषय पर जारी किये गए आदेशों/अनुदेशों की प्रतियां सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या आशुलिपिक ग्रेड "सी" से चयन ग्रेड को उनके अहित के लिए समाप्त कर दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) सरकार द्वारा इस विषय पर लिए गए निर्णय की समीक्षा के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्री : (क) और (ख) कर्मचारी पक्ष की यह मांग स्वीकार कर ली गई है कि केन्द्रीय आशुलिपिक सेवा के सहभागी कार्यालयों में निदेशकों और उनके समतुल्य स्तर के अधिकारियों के लिए ग्रेड-ख आशुलिपिकों की व्यवस्था की जाय और इस प्रयोजन के लिए ग्रेड "ग" के पदों की तदनुरूपी संख्या को ग्रेड "ख" में अपग्रेड कर दिया जाए और 23-1-1984 से इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

इन आदेशों की एक प्रति दिनांक 7-3-84 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1739 और 1784 के उत्तर में सभा पटल पर रख दी गई थी।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "ग" और ग्रेड "ख" के बीच पदों का पुनः वितरण हो जाने के परिणामस्वरूप ग्रेड "ग" से सम्बद्ध चयन ग्रेड समाप्त कर दिया गया है। 1-4-1984 की स्थिति के अनुसार पुनरीक्षा करने का निर्णय भी लिया गया है।

पंजाब में सामान्य स्थिति स्थापित करना

8120. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य में विद्यमान परिस्थितियों के कारण पंजाब की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा राज्य में सामान्य स्थिति तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण उत्पन्न करने और लोगों में पुनःविश्वास जाग्रत करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाये गए हैं ?

गृह मंत्री (प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) पंजाब में वर्तमान स्थिति के कारण राज्य की व्यवस्था किसी हद तक प्रभावित हुई है।

(ख) राज्य प्राधिकारियों ने विधि व व्यवस्था बनाये रखने और हिंसक गतिविधियों को रोकने के लिए विभिन्न कानूनी तथा प्रशासनिक उपाय किए हैं। इसके अतिरिक्त सामान्य स्थिति तथा साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने में लोगों को शामिल करके शान्ति तथा साम्प्रदायिक सदभाव समितियों की बैठकें, शांति मार्च, इत्यादि आयोजित किए गए हैं।

बिजली के घटिया और नकली उपकरण

8121. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली उपकरण उद्योग द्वारा मानव जीवन तथा विद्युत यंत्रों को होने वाले नुकसान की परवाह किये बिना बाजार में विभिन्न प्रकार के घटिया और नकली विद्युत उपकरणों की भरमार कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उद्योग को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी प्रयोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने 12-11-1981 से घरेलू काम में आने वाली बिजली की 40 वस्तुओं के सम्बन्ध में किस्म नियंत्रण सम्बन्धी आदेश पहले से ही लागू कर दिया था।

विल्सन के रिफिलों के किस्म में गिरावट

8122. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विल्सन और क्लेयरस की रिफिलों की किस्म में हाल ही में भारी गिरावट आई है और काफी संख्या में नये रिफिलों को उपयोग के योग्य नहीं पाया गया है ;

(ख) क्या देश भर में बड़ी संख्या में बाल पेन तथा रिफिल निर्माता मौजूद हैं और घटिया तथा नकली वस्तुओं को बेच रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा लोगों के हित में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री पट्टाभि राम राव) : (क) रिफिलों की किस्म में आई किसी सामान्य गिरावट से सरकार अवगत नहीं है ।

(ख) बाल प्वांइन्ट पैनों और रिफिलों का उत्पादन केवल लघु क्षेत्र के विकास के लिए आरक्षित हैं । लघु क्षेत्र में इन मदों के अनेक निर्माता हैं । लेकिन उनके उत्पादों की किस्म में आई किसी सामान्य गिरावट से सरकार अवगत नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजा जाना

8123. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिभाशाली लड़के लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश भेजा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और गत पांच वर्षों के दौरान इससे कितने छात्र लाभान्वित हुए ; और

(ग) उन पर खर्च की गई धनराशि का क्या ब्यौरा है ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान । अनुसूचित जातियों/अनु० जनजातियों के छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय समुद्रपार छात्रवृत्ति योजना है, जिसके अधीन छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में भेजा जाता है । यह योजना 1 54-55 से लागू है । पिछले पांच वर्षों के दौरान 110 छात्रों को उक्त योजना के अधीन छात्रवृत्ति दी जा चुकी है ।

(ग) इन छात्रों पर पिछले पांच वर्षों के दौरान, वर्षवार, किए गए व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्रम सं०	वर्ष	किया गया व्यय
1	1978-79	13,91,891.00 रु०
2	1979-80	17,34,424.00 रु०
3	1980-81	25,06,300.00 रु०
4	1981-82	39,13,069.00 रु०
5	1982-83	32,00,000.00 रु० ×

(× बजट आबंटन)

वाहनों द्वारा प्रदूषण

8124. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ वाहन सड़कों पर चलते समय काला धुआं छोड़ते हैं और इस प्रकार प्रदूषण फैलाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो प्रदूषण फैलाने वाले इन स्रोतों पर नियन्त्रण रखने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यावरण विभाग में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हाँ ।

(ख) अब तक किए गए अथवा किए जाने वाले उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) वाहनों से धुएं के उत्सर्जन को रोकने के लिए इस समय मोटर वाहन अधिनियम के उपबन्धों को सामान्य रूप से लागू किया जा रहा है ।

(2) वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 अधिनिमित किया गया है । वाहनों के धुएं से होने वाले प्रदूषण सहित वायु-प्रदूषण की समस्याओं के समाधान के लिए केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए अधिकृत किया गया है ।

(3) केन्द्रीय बोर्ड ने परिवेशी वायु की गुणवत्ता पर वाहन उत्सर्जन के प्रभाव का पता लगाने के लिए दिल्ली में वाहन उत्सर्जन तत्वों के अध्ययन आयोजित किए और स्थिति में सुधार लाने के लिए कुछ सिफारिशें की हैं ।

(4) केन्द्रीय बोर्ड ने उत्सर्जन के स्तरों को विकसित करने के लिए एक समिति का गठन किया है ।

(5) उत्पादन स्तर पर मोटरों के धुएं से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वाहन निर्माताओं को राजी करने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

(6) अहमदाबाद, दिल्ली, बम्बई और पुणे के नगर पालिका प्राधिकारियों को प्रदूषण पैदा करने वाले वाहनों के खिलाफ उपचारात्मक उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं ।

बाघों की संख्या

8125. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रोजेक्ट टाइगर के शुरू होने से पहले बाघों की संख्या कितनी थी ; और

(ख) इस समय बाघों की कुल संख्या कितनी है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) बाघ परियोजना शुरू करने से पहले 1972 में की गई प्रथम अखिल भारतीय बाघ गणना के अनुसार बाघों की आबादी 1827 थी ।

(ख) 1979 में किए गए अन्तिम अखिल भारतीय गणना के अनुसार बाघों की आबादी 3015 थी । अखिल भारतीय बाघ गणना दूसरी बार 1984 में की जा रही है ।

मण्डल आयोग की सिफारिश

8126. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा मण्डल आयोग की कितनी सिफारिशें स्वीकार की गई हैं ; और

(ख) उनमें से कितनी सिफारिशें लागू कर दी गई हैं और कितनी सिफारिशें अभी लागू की जानी हैं ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) तथा (ख) मण्डल आयोग की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

विदेशी सहायता और सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाना

8127. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कौन-कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विदेशी सहायता और सहयोग चाहता है ;

(ख) सहयोग के कौन-कौन से नए क्षेत्रों का पता लगाया गया है ; और

(ग) भारत के विकास में विदेशी सहयोग ने क्या भूमिका निभाई है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) हम औद्योगिक मशीनों, इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रानिक उपकरण, परिवहन उपकरण, मशीनी औजार, आर्गेनिक तथा पैट्रो रसायनों

और संश्लिष्ट रेशों जैसे उच्च तकनीकी और निर्यात सम्भाव्यता वाले क्षेत्रों में विदेशी सहयोग के इच्छुक हैं।

(ख) विदेशी सहयोग के नए क्षेत्रों में अन्यों के साथ-साथ सी० एन० सी० मशीनें, हाई टेन्शन इंसुलेटर्स, फ्लूडाइज्ड केलसिनर्स, प्रक्रिया नियन्त्रण उपकरण, नैदानिक चिकित्सा उपकरण, कांच के इन्सुलेटर्स, प्रिकैल्सिनेशनल प्रौद्योगिकी सहित उच्च क्षमता वाले सीमेंट संयंत्र, सिरेमिक रेशे, नायलोन टायर कोर्ड यार्न, कास्टिक सोडे के लिए मेम्ब्रेन प्रौद्योगिकी और बाइ-कम्पोनेंट एक्रेलिफ फाइबर भी सम्मिलित हैं।

(ग) विदेशी सहयोगों द्वारा तकनीकी के अन्तर को समाप्त करके औद्योगिकी विकास में आगे बढ़ने के मामले में सहायता मिली है और इस प्रकार आयात प्रतिस्थापन, आधुनिकीकरण, तकनोलोजी का उत्थान, उत्पाद-मिश्र का युक्तियुक्तकरण और निर्यात क्षमता में सुधार हुआ है।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा संसद सदस्य के सम्पर्क में आने के बारे में अनुदेश

8128. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या **गृह मंत्री** सरकारी कर्मचारियों द्वारा संसद सदस्यों के संपर्क में आने के बारे में 20 अप्रैल, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8063 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उक्त प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर की अन्तिम पंक्ति में उल्लिखित "सर्विस" का क्या अभिप्राय है, क्या इसका अर्थ सरकार के अंतर्गत उसके निजी सेवा हित से है अथवा वह "सर्विस" जिससे वह सम्बद्ध है ;

(ख) क्या छुट्टी पर गए किसी सरकारी कर्मचारी को उसके ड्यूटी पर वापिस आए बिना निलम्बित किया जा सकता है, यदि हां, तो किन परिस्थितियों में, और उसे पहले ड्यूटी पर हाजिर हो लेने देने तथा फिर निलम्बित न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस विषय से सम्बन्धित आदेशों यदि कोई हों, की प्रतियां सभा पटल पर रखी जायेंगी तथा यदि कोई आदेश नहीं हैं, तो क्या सरकार का विचार स्थिति को स्पष्ट करने का है ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 20 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को सरकार के अधीन अपने सेवा सम्बन्धी मामलों में अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए राजनैतिक या कोई अन्य बाहरी दबाव नहीं डालना चाहिए। "उसकी सेवा" शब्द से तात्पर्य सरकार के अधीन उसकी नियुक्ति से सम्बन्धित उन सभी पहलुओं से है जो सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले विभिन्न नियमों तथा आदेशों द्वारा शासित होते हैं।

(ख) जी, हां। जिन परिस्थितियों में किसी सरकारी कर्मचारी को निलम्बित किया जा सकता है वे एक जैसी ही होती है चाहे वह ड्यूटी पर हो अथवा न हो। क्योंकि संगत नियम नियुक्ति प्राधिकारी को या किसी अन्य प्राधिकारी को जिसका वह अधीनस्थ है या अनुशासनिक प्राधिकारी को या किसी अन्य प्राधिकारी को, जिसे राष्ट्रपति ने अपने साधारण या विशेष आदेश द्वारा निमित्त प्राधिकृत किया

हो, किसी सरकारी सेवक को निलम्बित करने की अनुज्ञा देते हैं तथा चूंकि छुट्टी पर जाने वाला कर्मचारी सरकारी कर्मचारी बना रहता है इसलिए समुचित प्राधिकारी द्वारा उसे निलम्बित किए जाने में कोई रुकावट नहीं हो सकती बशर्ते कि परिस्थितियों के अनुसार ऐसा निलम्बन किया जाना उचित हो।

(ग) जहां तक इस प्रश्न के भाग (क) का सम्बन्ध है, क्योंकि इस विषय पर आचरण नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं इसलिए और आगे स्पष्टीकरण देने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। जहां तक इस प्रश्न के भाग (ख) का सम्बन्ध है, जिन परिस्थितियों में किसी सरकारी कर्मचारी को निलम्बित रखा जा सकता है वे परिस्थितियां केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 के नियम 10 में दे दी गई हैं।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों से जेब कतरों का सफाया करना

8129. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 और 8 मार्च, 1984 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में क्रमशः "आर्मड पिक पोकेट्स आन डी० टी० सी० रूट" "पुलिस इन लीग" "विद डी०टी० सी० पिक-पोकेट्स" शीर्षक के छपे समाचारों की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां तो क्या उनके मंत्रालय का विचार एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत भ्रष्ट पुलिस कार्मिकों का पता लगाने तथा दिल्ली परिवहन निगम की बसों से जेबकतरों का सफाया करने का आदेश है।

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) जांच करने पर यह पाया गया कि रामनाथ नामक किसी व्यक्ति ने डिफेंस कालोनी या कालकाजी पुलिस स्टेशन या गांव जमरूदपुर के नजदीक दो पुलिस चौकियों पर दिल्ली परिवहन निगम की बसों में जेब कतरने के विषय में शिकायत दर्ज नहीं की थी। जैसा कि समाचार में उल्लिखित किया गया है, जमरूदपुर में कोई थाना या पुलिस चौकी नहीं है।

दिल्ली पुलिस कार्मिकों के आचरण पर सतत निगरानी रखी जाती है और यदि अपराध करने में उनकी तरफ से कोई सहापराधिता ध्यान में आती है तो सख्त कार्रवाई की जाती है।

जेबकतरों को पकड़ने के लिए और इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए दिल्ली परिवहन निगम की चलती बसों में और बस स्टापों पर वर्दी और सादे कपड़ों में कर्मचारियों को तैनात किया जाता है। समय-समय पर विशेष अभियान चलाया जाता है। ज्ञात जेबकतरों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है।

उड़ीसा में खनिज पर आधारित उद्योग

8130. **श्री हरिहर सोरन :** क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के क्योंझर जिले में खनिज पर आधारित कौन-कौन से और कितने उद्योग स्थापित किए गये हैं ;

(ख) खनिज पर आधारित ऐसे उद्योगों में से कितने उद्योग गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा स्थापित किए गये हैं तथा कितने उद्योगों का प्रबन्ध सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत हैं ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

औद्योगिक अपशिष्टों के कारण स्वास्थ्य और पर्यावरण सम्बन्धी खतरा

8131. **श्री के० मालन्ना** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में औद्योगिक अपशिष्टों से भारी धातु प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य और पर्यावरण सम्बन्धी भारी खतरा पैदा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन शुरू किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) भारत में औद्योगिक निस्सारों की विषैली धातुओं से मानव स्वास्थ्य के लिए गम्भीर समस्या उत्पन्न होने की किसी घटना की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) तथा (ग) पहले कुछ शहरी औद्योगिक स्थानों में राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान द्वारा कुछ अध्ययन किए गए हैं। दो भारी धातुओं की अभिव्यक्ति मन्द प्रकृति की थी। बैट्री भण्डार तथा कास्टिक सोडा उत्पन्न करने वाले संयंत्रों की कारखाना सलाहकार सेवा के द्वारा दो भारी धातुओं के लिए किए गए कार्य पर्यावरण में उनका स्तर जायज सीमा से अधिक है। पर्यावरण में भारी धातुओं के आधार रेखा आंकड़े प्राप्त करने के लिए देश में 6 अलग-अलग संस्थानों द्वारा वायु, जल, मृदा तथा जैव-नमूनों में दस भारी धातुओं के स्तर का प्रवोधन करने के लिए, हाल ही में एक समेकित परियोजना प्रारम्भ की गई है।

(घ) इन औद्योगिक स्थानों में स्थानीय निर्वात वातायनी प्रदान करने के लिए, क्रिया विधियों में सुधार के लिए तथा ग्रह-रक्षण के लिए, कदम उठाये गये हैं। ये कदम कार्य पर्यावरण में संदूषकों के जमाव को जायज सीमा में रखने के लिए मदद करेंगे। कार्य पर्यावरण में विभिन्न पदार्थों के लिए जिसमें भारी धातुएं भी शामिल हैं जायज सीमा कारखाना अधिनियम की धारा 112 के तहत बना ली गई है तथा राज्य सरकारों को उनके राज्य उद्योग नियमों में अपनाये जाने के लिए सिफारिश की गई है।

अंग्रेजी और हिन्दी में लिखे गए पत्र

8132. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय और सांख्यिकी विभाग द्वारा वर्ष 1982-83, 1982-83 और

1983-84 के दौरान राजभाषा अधिनियम, 1963 के अनुसार 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में स्थित अपने कार्यालयों को कुल कितने मूल-पत्र लिखे ;

(ख) उनमें से क्षेत्र-वार और वर्ष-वार कितने मूल-पत्र हिन्दी में और कितने अंग्रेजी में लिखे गये ;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान उनके मंत्रालय और सांख्यिकी विभाग को 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में स्थित अपने कार्यालयों और उपक्रमों से वर्ष-वार कुल कितने मूल पत्र प्राप्त हुए ; और

(घ) उनमें से क्षेत्र-वार कुल कितने मूल पत्र हिन्दी में थे और कितने अंग्रेजी में ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : क. योजना आयोग

(क) और (ख) वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान देश के 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों को लिखे गए मूल पत्रों और उनमें से मूल रूप से अलग-अलग हिन्दी और अंग्रेजी में लिखे गए पत्रों की संख्या क्षेत्र-वार और वर्ष-वार नीचे दी गई हैं। वर्ष 1981-82 और 1982-83 के लिए क्षेत्रवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

वर्ष	जोड़	हिन्दी में	अंग्रेजी में
1981-82	9425	676	8749
1982-83	11556	532	11024
1983-84	(दिसम्बर 83 तक)		
क्षेत्र 'क'	2473	266	2207
क्षेत्र 'ख'	1047	78	969
क्षेत्र 'ग'	797	99	698

(ग) और (घ) प्राप्त मूल पत्रों की संख्या का क्षेत्रवार ब्यौरा नहीं रखा जाता। तथापि हिन्दी में प्राप्त मूल पत्रों की वर्षवार संख्या नीचे दी गई है :

1981-82	895
1982-83	921
1983-84 (दिसम्बर, 83 तक)	1080

ख. सांख्यिकी विभाग

(क) और (ख) जैसा कि संलग्न विवरण में उल्लिखित है।

(ग) और (घ) प्राप्त मूल पत्रों की संख्या का क्षेत्रवार ब्यौरा नहीं रखा जाता। तथापि हिन्दी प्राप्त मूल पत्रों की वर्षवार संख्या नीचे दी गई है :

1981-82	4478
1982-83	3540
1983-84	3329

(दिसम्बर, 83 तक)

राजभाषा अधिनियम, 1963 का कार्यान्वयन

8133. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) अन्तरिक्ष विभाग द्वारा देश के "क", "ख" और "ग" क्षेत्रों में स्थित अपने कार्यालयों के अनुसार 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान कुल कितने मूल पत्र लिखे गए ;

(ख) उनमें से क्षेत्रवार और वर्षवार हिन्दी और अंग्रेजी में मूलतः कुल कितने-कितने पत्र लिखे गये ;

(ग) उपरोक्त वर्षों के दौरान, अन्तरिक्ष विभाग को "क", "ख" और "ग" क्षेत्रों में स्थित अपने कार्यालयों से वर्षवार कुल कितने मूल पत्र प्राप्त हुए ; और

(घ) उनमें से क्षेत्र वार, कुल कितने मूल पत्र हिन्दी में थे और कितने अंग्रेजी में ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रखा जायेगा।

उड़ीसा के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करना

8134. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों के पिछड़े जिलों में उद्योगों को स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1982 तथा 1983 में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में औद्योगिक एककों को स्थापित करने के लिए कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए ;

(ग) उड़ीसा के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के क्या नाम हैं जहां पर उद्योग स्थापित करने के लिए इन वर्षों में औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए ; और

विवरण

क्षेत्र क, ख और ग में स्थित कार्यालयों की सांख्यिकी विभाग द्वारा हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में लिखे गए मूल पत्रों के आंकड़े दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	सांख्यिकी विभाग द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों को लिखे गए मूल पत्रों की कुल संख्या			इन मूल पत्रों में से निम्नलिखित क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों को मूल रूप से हिन्दी में लिखे गए पत्रों की संख्या			इन मूल पत्रों में से निम्नलिखित क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों को मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे गए पत्रों की संख्या		
	क	ख	ग	क	ख	ग	क	ख	ग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1980-82	6044	187	2694	5567	—	59	477	187	2635
1982-83	2902	368	1384	1857	266	755	1045	102	629
1983-84 (1983, दिसम्बर तक)	3421	313	826	2942	226	199	479	87	627

(घ) उड़ीसा के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में अब तक स्थापित किए गए औद्योगिक एककों की संख्या का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) वर्ष 1982 और 1983 में उड़ीसा राज्य में केन्द्रीय रूप से घोषित मयूरभंज, क्योझर, धेनकनाल और कोरापुट पिछड़े जिलों में उद्योगों की स्थापना के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबंधों के अधीन औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे।

(घ) औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत करते समय इसकी आरम्भिक वैधता अवधि 2 वर्ष होती है, इसके लिए बाद में पर्याप्त औचित्य के आधार पर दो बार एक-एक वर्ष का और समय बढ़ाने की अनुमति दी जाती है। अतएव, वर्ष 1982 और 1983 में उड़ीसा राज्य के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिलों के लिए स्वीकृत किए गए औद्योगिक लाइसेंस कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में होंगे।

विवरण

वर्ष 1982-1983 में पिछड़े क्षेत्रों के लिए जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों के के राज्यवार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

राज्य	1982	1983
1. आन्ध्र प्रदेश	9	25
2. अरूणाचल प्रदेश	—	2
3. आसाम	1	22
4. बिहार	—	6
5. गुजरात	25	36
6. गोवा, दमन और द्वीव	7	3
7. हरियाणा	4	12
8. हिमाचल प्रदेश	5	5
9. जम्मू और काश्मीर	2	10
10. कर्नाटक	16	27
11. केरल	6	16

राज्य	1982	1983
12. मध्य प्रदेश	5	19
13. महाराष्ट्र	21	23
14. नागालैंड	—	2
15. उड़ीसा	2	5
16. पांडेचेरी	1	3
17. पंजाब	3	11
18. राजस्थान	9	11
19. तमिलनाडु	15	35
20. उत्तर प्रदेश	5	33
21. पश्चिम बंगाल	8	11
22. एक से अधिक राज्य	1	—
योग :—	145	317

सरकारी क्षेत्र को सोने की खानों का विवरण

8135. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित सोने की खानों के नाम तथा संख्या क्या है ;

(ख) क्या उन सोना खानों के कार्य निष्पादन की समीक्षा की गई है ;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में उन सरकारी क्षेत्र की सोना खानों की उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) देश में स्वर्ण का खनन दो उपक्रम भारत गोल्ड माइन्स लि० केन्द्र सरकार का उपक्रम तथा हट्टी गोल्ड माइन्स लि० कर्नाटक राज्य सरकार का उपक्रम करते हैं ।

(ख) भारत गोल्ड माइन्स लि० के कार्य निष्पादन की समीक्षा केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है जबकि हट्टी गोल्ड माइन्स लि० के कार्य निष्पादन की समीक्षा की जिम्मेदारी कर्नाटक राज्य सरकार की है।

(ग) और (घ) भारत गोल्ड माइन्स और हट्टी गोल्ड माइन्स का गत 3 वर्षों का स्वर्ण उत्पादन जिसके सत्यापित आंकड़े उपलब्ध हैं, निम्नलिखित हैं :—

(यूनिट कि० ग्रा०)

वर्ष	भारत गोल्ड माइन्स	हट्टी गोल्ड माइन्स लि०
1980-81	1563	783
1981-82	1421	965
1982-83	1370	754

संघ लोक सेवा आयोग के पास लम्बित अनुशासनात्मक मामले

8136. **श्री हरीश रावत** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग के पास अनुशासनात्मक कार्यवाही के कितने मामले लम्बित हैं ;

(ख) उन मामलों को निपटाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के लिए कितनी समय सीमा निर्धारित की गई है ; और

(ग) भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों द्वारा कितने मामलों में संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों को अस्वीकार किया गया है ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) 1-3-1984 की स्थिति के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग के पास 161 अधिकारियों से सम्बन्धित मामले लम्बित थे।

(ख) ऐसी कोई सीमा नहीं है।

(ग) चूंकि किसी विशिष्ट अवधि के बारे में सूचना नहीं मांगी गई है इसलिए ऐसे मामलों की संख्या बताना संभव नहीं है जिनमें संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशें नामंजूर कर दी गई हों। किन्तु पिछले दस वर्षों के दौरान 8 मामलों में संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है।

उत्तर प्रदेश में कुछ पर्वतीय जिलों को पिछड़े जिले घोषित करना

8137. **श्री हरीश रावत** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले राज्य के आठ पर्वतीय जिलों को उनकी

विशेष भौगोलिक, सामाजिक स्थितियों और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण पिछड़े जिले घोषित करने की मांग की थी।

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग उत्तर प्रदेश के अनुरोध को स्वीकार कर रहा है ;

(ग) यदि हां, तो कब तक ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) उत्तर प्रदेश के आठ पहाड़ी जिले यथा अल्मोड़ा, चमोली, पौढ़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, उत्तर काशी, पिथौरागढ़ देहरादून और नैनीताल दिनांक 1-4-1983 से पहले से ही विशेष क्षेत्र जिले घोषित किए जा चुके हैं और इन क्षेत्रों में स्थापित की जा रही औद्योगिक इकाइयां अब 25 प्रतिशत केन्द्रीय निवेश राजसहायता और रियायती वित्त की पात्र हैं।

(ख) से (घ) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

इस्तीफा दिए जाने के बाद एक राजपत्रित अधिकारी को बहाल किया जाना

8138. **श्री हरीश रावत** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा सेवा से इस्तीफा दिए जाने के बाद उसको उसी पद पर फिर से बहाल किया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो नियमों के अधीन सेवा में व्यवधान की कितनी अवधि को माफ किया जा सकता है ;

(ग) क्या सरकार के पास दीर्घावधि के लिए सेवा में व्यवधान को माफ करने के लिए कोई स्वविवेकी अधिकार है ; और

(घ) यदि हां, तो सेवा में व्यवधान की कितनी अधिकतम अवधि के लिए माफी दी जा सकती है ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (घ) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 26 के अनुसार जब तक कि समुचित अनुज्ञा से सरकार के अधीन दूसरी नियुक्ति ग्रहण करने के लिए इस्तीफा न दिया जाए या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा लोकहित में इस्तीफा वापस लेने की अनुज्ञा न दी जाए, इस तरह के इस्तीफे से पिछली सेवा समाप्त हो जाती है। किन्तु, नियुक्ति प्राधिकारी किसी व्यक्ति को लोक हित में निम्नलिखित शर्तों पर अपना इस्तीफा वापस लेने की अनुमति दे सकता है :—

(1) यह कि सरकारी सेवक ने पदत्याग ऐसी विवशता के कारण स दिया था जिनका सम्बन्ध उसकी ईमानदारी, दक्षता या आचरण की बाबत किसी लांछन से नहीं है और पदत्याग को वापस लेने की प्रार्थना उन परिस्थितियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन आ जाने के कारण की गई है, जिन परिस्थितियों में सरकारी सेवक मूलतः पद त्याग करने के लिए विवश हुआ था ;

(2) यह कि पद-त्याग के प्रभावी होने की तारीख और पद-त्याग वापस लेने की प्रार्थना करने की तारीख के बीच कीअवधि में संबंधित व्यक्ति का आचरण किसी भी प्रकार से अनुचित नहीं था ;

(3) यह कि पदत्याग प्रभावी होने की तारीख और उस तारीख के बीच जिसको संबंधित व्यक्ति को पदत्याग वापस लेने की अनुज्ञा देने से परिणाम स्वरूप कर्तव्य ग्रहण करने की अनुमति दी गई है अनुपस्थिति की अवधि नब्बे दिन से अधिक नहीं है ;

(4) यह कि वह पद जो सरकारी सेवक का पदत्याग स्वीकार करने पर रिक्त हुआ था अथवा उसके समतुल्य कोई पद उपलब्ध है ।

नियमों में यह भी प्रावधान है कि पदत्याग को वापस लेने की प्रार्थना नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी द्वारा उस दशा में स्वीकार नहीं की जाएगी, जब कि सरकारी सेवक ने सेवा या पदत्याग किसी निजी वाणिज्यिक कम्पनी में या उसके अधीन अथवा सरकार के पूर्णतः या अधिकांशतः स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या कम्पनी में अथवा सरकार द्वारा नियन्त्रित या वित्तपोषित किसी निकाय में या उसके अधीन कोई नियुक्ति ग्रहण करने के उद्देश्य से की गई थी। इसके अतिरिक्त जहां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को पदत्याग वापस लेने और कर्तव्य ग्रहण करने का आदेश पारित किया जाता है वहां यह समझा जायेगा कि ऐसे आदेश में सेवा में किसी व्यवधान को माफ करने का आदेश भी है किन्तु व्यवधान की अवधि पेंशन के प्रयोजन के लिए अर्हक सेवा के रूप में नहीं गिनी जाएगी ।

पंजाब में राष्ट्रपति शासन के बाद तोड़फोड़, लूटपाट आदि की घटनाएं

8139. **श्री के० लक्कप्पा :**

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती :

श्री छांगुर राम :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने के बाद उग्रवादी तत्वों की गतिविधियों के परिणामस्वरूप तोड़ फोड़, हत्याओं, डकैतियों, बैंक डकैतियों, बम फेंकने, सम्पत्तियों को लूटने, लोगों के मारे जाने की कितनी घटनाएं हुई हैं ;

(ख) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उग्रवादियों को पकड़ने तथा उनकी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं :

(ग) पकड़े गए अपराधियों की अपराधवार संख्या कितनी है और उनमें से कितने मामलों में अपील की गई ; और

(घ) कितने अपराधियों को सजा दी गई तथा कितनी सजा दी गई और उनको किन तारीखों को सजा दी गई थी ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) 7-10-83 से 3-1-3-84 तक की अवधि के दौरान हत्याओं/गोली मारने की 81 घटनाएं, विस्फोटों के 26 मामले, बैंक लूटपाट के 17 मामले और लूटपाट के 112 अन्य मामले हुए हैं। इन घटनाओं के सम्बन्ध में 86 गिरफ्तारियां की गई हैं। इस अवधि के दौरान हिंसक घटनाओं में 131 व्यक्तियों की जानें गईं।

राज्य में उग्रवादी तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इनमें विशेष दस्ते स्थापित करना, पुलिस गश्त गहन करना, छापे और नाकाबन्दी आयोजित करना, बैंकों की सुरक्षा के लिए प्रबन्ध सुदृढ़ करना, ग्राम रक्षा सोसायटियों को सक्रिय करना, हथियार रखने और मोटरसाईकिल तथा स्कूटर चलाने पर प्रतिबन्ध लगाना, सुरक्षा बलों को अतिरिक्त शक्तियां देना और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना शामिल है।

(घ) अभी तक ऐसे किसी मामले में निर्णय नहीं किया गया है।

कर्मचारियों की भर्ती के सम्बन्ध में राजभाषा अधिनियम, 1963 और 1967 के कार्यान्वयन का प्रभाव

8140. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा आश्वासन दिया गया है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 और 1967 और उनकी क्रियान्विति के लिए 1976 में बनाये गए नियमों के कार्यान्वयन में धन की कमी आड़े नहीं आएगी :

(ख) यदि हां, तो क्या इस नीति के अनुसार, इस कार्य के लिए कर्मचारियों की भर्ती करने में कोई रुकावट नहीं है :

(ग) क्या प्रधान मन्त्री ने अभी हाल में यह घोषणा की थी कि अगले नौ महीनों में सरकारी सेवाओं में कोई भर्ती नहीं की जाएगी ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस घोषणा का राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन पर कोई असर पड़ेगा ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन/कार्यान्वयन के लिए और इससे सांविधिक एवं विधिक अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए न्यूनतम हिन्दी पदों के सृजन के बारे में 1981 में मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये गए थे और आवश्यक न्यूनतम पदों का सृजन सामान्य प्रतिबन्ध आदेशों से मुक्त था। केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालय/विभाग न्यूनतम हिन्दी पदों का सृजन वित्त सलाहकारों के अनुमोदन से इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर कर रहे थे।

(ग) और (घ) जनवरी, 1984 में सभी पदों के सृजन पर लगाया प्रतिबन्ध राजभाषा हिन्दी से सम्बन्धित न्यूनतम पदों के सृजन पर भी लागू होता है। और जिन विभागों/कार्यालयों में न्यूनतम पदों का सृजन नहीं हो पाया है वहां राजभाषा अधिनियम के कार्यावयन पर इसका असर बैन की अवधि तक जो सितम्बर, 1984 है, पड़ सकने की संभावना हो सकती है।

समाचार पत्र कार्यालयों पर हमला

8141. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में हाल ही के महीनों में समाचार पत्रों के कार्यालयों पर हमले किए गए हैं :

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है : और

(ग) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों ने ऐसे हमलों की रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) अपराधों से सम्बन्धित कानूनों को लागू करने के लिए राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन जिम्मेवार हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल सरकार और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों अरुणाचल प्रदेश, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह दादरा और नगर हवेली गोवा, दमन व दीव, लक्षद्वीप मिजोरम और पांडिचेरी में 1-1-83 से 31-1-84 की अवधि के दौरान समाचार पत्रों के कार्यालयों पर हमले की कोई घटना सूचित नहीं की है।

जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु सरकारों और चण्डीगढ़ और दिल्ली संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा समाचार पत्रों के कार्यालयों पर हमलों की घटनाओं और उन पर की गई कार्रवाइयों के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

पुलिस कर्मियों द्वारा पत्रकारों को परेशान किया जाना

8142. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश के भिन्न भागों में पुलिस कर्मियों द्वारा पत्रकारों को परेशान किए जाने की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) 'लोक व्यवस्था' और "पुलिस" राज्य का विषय होने के कारण सम्बन्धित राज्य सरकारों से पत्रकारों को परेशान करने की घटनाओं के बारे में कार्यवाही करने की उम्मीद की जाती है। पुलिस कार्मिकों द्वारा पत्रकारों को परेशान करने के बारे में अखिल भारतीय आधार पर कोई आंकड़े संकलित नहीं किए जाते है। फिर भी सरकार उच्च स्तर की पत्रकारिता वाले पत्रों को स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह बचनबद्ध है। सभी राज्य सरकारों से पत्रकारों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है ताकि वे अपनी डयूटियां कारगर और स्वतन्त्र ढंग से पूरी कर सकें।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	ब्यौरा	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	जम्मू और कश्मीर	24-6-83 को दोपहर लगभग 1-30 बजे 100-150 व्यक्तियों की एक भीड़ ने जो मुख्य सम्पादक के विरुद्ध नारे लगा रहे थे, वीर मार्ग, जम्मू में "कश्मीर टाईम्स" दैनिक समाचार पत्र के कार्यालय पर हमला बोल दिया। उन्होंने एक विशेष राजनैतिक दल के विरुद्ध संपादकीय लेख में की गई आलोचनात्मक रूख के विरुद्ध विरोध प्रकट करने के कारण मुख्य संपादक को घसीटा और उस पर लाठियों से कातिलाना हमला किया।	थाना शहर जम्मू में आर० पी० सी० की धारा 307/452/147/148/436/511/427 के अन्तर्गत एक मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 161/83 दर्ज किया गया। 19 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। मामले में 8-8-83 को सत्र न्यायाधीश न्यायालय, जम्मू में चालान किया गया।
2.	कर्नाटक	I 3-4-83 को चिकमंगलूर जिले के 3 व्यक्ति "मंजुला मठ" कन्नड दैनिक के प्रेस में घुस गए और प्रैस की सम्पत्ति नष्ट कर दी।	संपादक की शिकायत पर तीन अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 448/427 के तहत उत्तरी रेलवे पुरा पुलिस स्टेशन में सी० आर० सं० 44/83 दर्ज किया गया जिसमें समझौता में समाप्त हुआ।
		II 14-11-83 को कुछ अज्ञात व्यक्ति अमृत कन्नड दो बंदर, मंगलौर की प्रैस में घुस गए और समाचारपत्र के कुछ अंक नष्ट किए और प्रैस सम्पति को नुकसान पहुंचाया।	सिकटात संख्या 161 कट के तहत मंगलौर में उत्तरी पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया। न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट 24-1-84 को प्रस्तुत की गई और मामले का "पता न लगा" के रूप में माना गया।

1	2	3	4
		III 14-11-83 को कुछ अज्ञात व्यक्ति मंगलौर में एक कन्नड़ दैनिक "दिव्य वाणी" के प्रैस में घुस गए और समाचार पत्र की प्रतियां नष्ट की और प्रैस सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया ।	भारतीय दन्ड संहिता दण्ड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 143/147/323/443 के अन्तर्गत मंगलौर, पूर्वी थाने में सी० आर० संख्या० 102/83 के तहत एक मामला दर्ज किया गया ।
		IV 29-1-84 को कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने इस आधार पर कि रस्तोत संघ के 6-7 नेताओं जो कार से चिकमंगलूर की यात्रा करते हुए एक प्लांटर पर हमला करने के लिए गिरफ्तार किए गए थे की जमानत प्राप्त करने में वकील को नियुक्त करने के लिए संपादक जिम्मेदार है। चिकमंगलूर से प्रकाशित एक कन्नड़ दैनिक "हौसा दिगारथ" के परिसर पर हमला किया ।	चिकमंगलूर ग्रामीण पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया ।
३.	महाराष्ट्र	जून, 1983 के महीने में मनलेगांव (नासिक) में एक मराठी साप्ताहिक "जनता टाईम्स" के छापेखाने पर आक्रमण की एक घटना हुई ।	100-200 व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 143/147/148/149/427/454/380/511 और बम्बई पुलिस अधिनियम की धारा 135 के साथ पठित धारा 37 (3) के अन्तर्गत आजाद नगर पुलिस स्टेशन (मालेगांव) में सी० आर० सं० 92/83 के तहत एक अपराध दर्ज किया गया। 6 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए ।
४.	तमिलनाडु	13-2-83 को कुछ व्यक्ति तमिल दैनिक "कुमारी मुरासु" प्रैस में घुस गये और मशीनरी को हानि पहुंचाई और प्रैस से 10,152 रु० ले गए। कुल अनुमानित हानि 80,000 रु०	कन्याकुमारी जिला पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/448/148/427/452/323/436 और 379 के अन्तर्गत अपराध सं० 155/83 के तहत वदासेरी थाने में

		की है।	एक मामला दर्ज किया और 5 व्यक्ति गिरफ्तार किए। एक व्यक्ति ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया।
5.	चण्डीगढ़	सेक्टर 29 में दक्षिण मार्ग स्थित समाचार पत्रों ग्रुप दैनिक "ट्रिब्यून" के परिसर में 25-1-84 को 10.50 बजे रात को एकविस्फोट हुआ। इससे भवन को कुछ क्षति पहुंची।	पुलिस स्टेशन पूर्वी चण्डीगढ़ में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307/427 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5 के अन्तर्गत 25-1-84 को एक मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 33 दर्ज किया गया।
6.	दिल्ली	2-9-83 को एक राजनैतिक दल के 200-250 कार्यकर्ता की एक भीड़ यह मांग करते हुए कि एक विशेष समुदाय की शिकायतों को सही रूप में प्रकाशित नहीं किया जा रहा है, समाचार पत्रों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए कोटला फिरोजशाह से ग्रुपों में प्रेस क्षेत्र में घुस गई। और इण्डियन एक्सप्रैस, टाईम्स आफ इण्डिया, मिलाप और प्रताप के भवनों के परिसरों में घुसने की कोशिश की।	एक मामला दर्ज किया गया और 20 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए।

औद्योगिक लाइसेंस जारी करना

8143 **श्री मोहनलाल पटेल** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य, विशेषकर गुजरात में पिछड़े क्षेत्रों तथा उद्योग रहित जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिए वर्ष 1983 के दौरान कितने लाइसेंस जारी किए गए थे ;

(ख) उन क्षेत्रों के उद्योग स्थापित करने के लिए वर्ष 1983 के दौरान कितने आशयपत्र जारी किए गए थे ; और

(ग) सरकार द्वारा पिछड़े क्षेत्रों अथवा उद्योग रहित जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिए क्या प्रोत्साहन दिए गए ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) वर्ष 1983 के दौरान पिछड़े क्षेत्रों को जारी किए गये आशय-पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों तथा इनमें उद्योग रहित जिलों के अंश को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) दिनांक 27-4-1983 के प्रेस टिप्पण (जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं) के अनुसार सरकार ने उद्योग रहित जिलों और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए दी जाने वाली रियायतों/प्रोत्साहनों में वृद्धि करने की घोषणा की है। सरकार उद्योग रहित जिलों/पिछड़े क्षेत्रों को औद्योगिक लाइसेंस देने में वरीयता भी देती है।

विवरण

वर्ष 1983 के दौरान पिछड़े क्षेत्रों को जारी किए गए आशय-पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों तथा इनमें उद्योग रहित जिलों के अंश को दर्शाने वाला विवरण।

क्रमांक	राज्य	आशय-पत्र	औद्योगिक लाइसेंस
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	50	25
2.	अंडमान और निकोबार	—	—
3.	अरुणाचल प्रदेश	7 (6)	2 (2)
4.	असम	3 (2)	22
5.	बिहार	18 (4)	6 (1)
6.	दादर और नगर हवेली	3 (3)	—

1	2	3	4
7.	गुजरात	64 (11)	36
8.	गोआ, दमण और दीव	12	3
9.	हरियाणा	46	12
10.	हिमाचल प्रदेश	20 (3)	5 (2)
11.	जम्मू तथा कश्मीर	18 (*)	10
12.	कर्नाटक	48 (8)	27
13.	केरल	25 (1)	16
14.	मध्य प्रदेश	45 (22)	19 (5)
15.	महाराष्ट्र	61	23
16.	मणिपुर	1 (1)	—
17.	मेघालय	4	—
18.	नागालैंड	3	2
19.	उड़ीसा	12 (8)	5
20.	पांडिचेरी	10	3
21.	पंजाब	18	11
22.	राजस्थान	24 (1)	11
23.	सिक्किम	—	—
24.	तमिलनाडु	32	35
25.	त्रिपुरा	1 (1)	—
26.	उत्तर प्रदेश	94 (29)	33 (1)
27.	पश्चिम बंगाल	25 (6)	11 (2)
28.	जिन राज्यों को दर्शाया नहीं गया। एक से अधिकर राज्य	5	—
	योग	749 (110)	317 (13)

(*) कोष्ठक में दिए गए आंकड़े उद्योग रहित जिलो का अंश दर्शाते हैं।

मिजो नेता द्वारा सरकार के साथ पुनः बातचीत शुरू करना

8144 **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वासित मिजो नेता, श्री लालडेंगा अब भारत सरकार के साथ पुनः बातचीत शुरू करने का इच्छुक हैं ;

(ख) क्या इस संबंध में श्रीमती लालडेंगा, प्रधानमन्त्री से मिली थी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाशचन्द्र सेठी) : (क) सरकार को लालडेंगा से ऐसा कोई संकेत प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत ब्रेक्स और वाल्वस लि० में कर्मचारी वृन्द

8145. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1977-78 और 1982-83 के दौरान भारत ब्रेक्स और वाल्व्स लि० में वर्ग-वार अर्थात् पूर्णकालिक निदेशक, महाप्रबन्धक, उप-महाप्रबन्धक, प्रबन्धक, उप-प्रबन्धक, सहायक प्रबन्धक और अन्य वर्गों के कितने अधिकारी थे तथा उनके पृथक-पृथक कुल वेतन और परिलब्धियां तथा अन्य लाभ क्या थे ; और

(ख) 1977-78 और 1982-83 के दौरान कर्मचारियों और सहायक कर्मचारियों, मजदूरों के अर्थात् प्रत्यक्ष कामगार अप्रत्यक्ष कामगार विशेष उच्च कुशलता प्राप्त या मिस्त्री, उच्च कुशलता प्राप्त अर्द्ध-कुशल, अकुशल की वर्ग-वार कुल संख्या क्या थी और उनकी कुल मजूरी वेतन क्या थे।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ख) भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लिमिटेड 1977-78 में अस्तित्व में नहीं था। यह कंपनी 1 अगस्त, 1978 को अस्तित्व में आई। वर्ष 1982-83 के सम्बन्ध में जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लिमिटेड, कलकत्ता में 1982-83 के लिए श्रेणीवार अधिकारियों की संख्या।

श्रेणी	31-3-1983 को संख्या
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक	1
उप-महाप्रबन्धक	3

प्रबन्धक	2 (रिक्त)
उप-प्रबन्धक	10
वरिष्ठ कार्यकारी	8
कार्यकारी	18
अधीक्षक	20

1982-83 के लिए पूर्णकालिक निदेशक, महा-प्रबन्धक, उप-महाप्रबन्धक, प्रबन्धक, उप-प्रबन्धक सहायक प्रबन्धक तथा अन्य श्रेणियों के अधिकारियों की संख्या तथा उनका कुल वेतन एवं विशेष भत्ते व अन्य लाभ।

1.

पद	31-3-1983 को संख्या
पूर्णकालिक निदेशक	1
महाप्रबन्धक	कोई नहीं
उप-महाप्रबन्धक	3
प्रबन्धक	2 (रिक्त)
उप-प्रबन्धक	10
वरिष्ठ कार्यकारी	8
कार्यकारी	18
अधीक्षक	20

2. 1982-83 के लिए कुल वार्षिक वेतन = 13.92 लाख रुपए

3. विशेष भत्ते व लाभ

(क) प्रबन्धक तथा उससे बड़े अधिकारियों के लिए कार्यालय-प्रयोग हेतु कार की सुविधाएं।

(ख) चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति।

(ग) भविष्य निधि अधिनियम के अनुसार भविष्य निधि।

(घ) ग्रेच्युटी अधिनियम के अनुसार ग्रेच्युटी।

(ङ) मूल वेतन पर 20 प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता।

(च) मूल वेतन पर 6% की दर से नगर प्रतिपूर्ति भत्ता जो अधिकतम 75 रुपए प्रतिमास होगा।

1982-83 के दौरान स्टाफ तथा सब-स्टाफ वर्करों का श्रेणीवार ब्यौरा, प्रत्यक्ष श्रमिकों, विशेष उच्च कुशल या मिस्त्री, उच्च कुशल, अर्ध-कुशल तथा अकुशलों की संख्या और उनका कुल वेतन/मजदूरी।

पद		31-3-1983 को संख्या
पर्यवेक्षक (जी)		64
फोरमैन/सहायक फोरमैन		64
स्टाफ		103
सब-स्टाफ		
चपरासी		18
दरबान		27
चालक		10
		55
श्रमिक		
विशेष उच्च कुशल		24
उच्च कुशल		50
कुशल		309
अर्ध-कुशल		85
अकुशल		185
		653
	योग	939
प्रत्यक्ष श्रमिक		449
अप्रत्यक्ष श्रमिक		204
		653

उपरोक्त श्रेणियों का कुल वार्षिक वेतन/मजदूरी = 106.92 लाख रुपए

भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस लिमिटेड का उपरि व्यय

8146. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस लिमिटेड कलकत्ता का 1977-78 और 1982-83 के दौरान उपरि व्यय कितना था ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस लिमिटेड 1977-78 में अस्तित्व में नहीं था। यह कम्पनी 1 अगस्त 1988 की अस्तित्व में आई। 1982-83 में कम्पनी का ऊपरी व्यय इस प्रकार है :—

	(लाख रुपये में)
1. वेतन, मजदूरी, बोनस, भविष्य निधि अंशदान तथा कर्मचारी कल्याण व्यय	148-76
2. बिजली तथा ईंधन	11.17
3. अन्य विविध खर्चे	19.97
4. मूल्य ह्रास	14.00
योग	193.90

उपरोक्त विवरण में बैंक ऋणों तथा सरकारी ऋणों पर ब्याज जो कि 1882-83 में 59.61 लाख रुपये था, शामिल नहीं है। इन आंकड़ों की लेखा-परीक्षा की जानी है।

पिछड़े क्षेत्रों का आर्थिक विकास

8147. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पहाड़ी, रेगिस्तानी और आदिवासी क्षेत्रों सहित देश के पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक विकास को इन क्षेत्रों को सातवीं पंचवर्षीय योजना के कोई सेक्टर में शामिल करने और उनमें नई रेल लाइनें, सड़के, पुल आदि जैसी आधारभूत परिवहन सुविधाओं और दूर संचार तथा डाक सुविधाओं की व्यवस्था को उच्च प्राथमिकता देकर तेज करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग सातवीं पंचवर्षीय योजना में इन पिछड़े क्षेत्रों में इन क्षेत्रों के लिए धन के आबंटन में उदारता सुनिश्चित करेगा और प्रत्येक विभाग/मंत्रालय के लिए इन क्षेत्रों में परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्यवन के प्रबन्ध के लिए एक अलग कक्ष का गठन करेगा ;

(ग) कक्ष का गठन कौन सी तारीख तक किए जाने की संभावना है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्री (श्री एस० वी० चव्हाण) : (क) से (घ) तक--लोक सभा के दिनांक 14-3-84 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2917 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

मंत्रालयों द्वारा पदोन्नति/भर्ती आदि के सम्बन्ध में आदेशों का कार्यान्वयन

8148. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार के लिए सूची तैयार करने तथा बिना बारी के पदोन्नति करने और समीक्षा के सम्बन्ध में क्या आदेश हैं और क्या कार्मिक विभाग जो कि एक "नोडल" एजेंसी है, जिसे अपने द्वारा जारी पदोन्नति, भर्ती, अनुशासन से संबंधित मामलों के आदेशों/मार्ग निर्देशों के कार्यान्वयन की देख-रेख का उत्तरदायित्व सौंपा गया है अपना उत्तरदायित्व निभाने में असफल रही है क्योंकि अन्य मन्त्रालयों/विभागों और भारत सरकार के कार्यालयों द्वारा उनके जारी अनुदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है और वे अपनी नीतियों का पालन कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या "नोडल" एजेंसी द्वारा जारी सभी आदेशों का सभी द्वारा कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(ग) क्या ऐसे कोई अनुदेश है जिसके अनुसार यदि कोई अधिकारी एक वर्ष में उत्कृष्ट रिपोर्ट प्राप्त करता है और यदि वह उसके बाद उसी प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त नहीं करता है तो उसे प्रतिकूल रिपोर्ट माना जाता है ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ख) विभागीय पदोन्नति समितियों के कार्यकरण सम्बन्धी अनुदेश कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए आदेशों में दिए गए हैं। दिनांक 30 दिसम्बर, 1976 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22011/6/75-स्था० (घ) के अधीन समेकित अनुदेश जारी किए गए थे जिन्हें 24 दिसम्बर, 1980 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22011/3/76-स्था० (घ) द्वारा संशोधित किया गया है। जिस अतारांकित प्रश्न संख्या 1777 का उत्तर 7 मार्च, 1984 को दिया गया था, उस प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में यह उल्लेख किया गया है कि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को आबंटित मामलों के सम्बन्ध में उस विभाग द्वारा जारी किए गए सामान्य अनुदेशों का अनुपालन भारत सरकार के सभी मन्त्रालयों/विभागों द्वारा आवश्यक रूप से किया जाना है, जब तक कि किसी विशेष मामले के सम्बन्ध में सामान्य नीति से हटने के बारे में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग सहमत न हो गया हो। इस तरह के अनुदेशों के कार्यान्वयन पर निगाह रखने की कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी, जब कभी आवश्यक समझा जाता है, सेवा सम्बन्धी मामलों में किन्हीं अनुदेशों अथवा किसी नीति के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में मन्त्रालयों/विभागों से अपेक्षित सूचना मांगी जाती है। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के अनुदेशों के निर्वचन या कार्यान्वयन में सन्देह होने की स्थिति में मन्त्रालय/विभाग इस तरह के मामलों को उपयुक्त सलाह के लिए भेजते भी हैं।

(ग) जी, नहीं।

खालिस्तान ध्वज का फहराया जाना

8149. **श्री मनोहर लाल सैनी :**

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :

श्रीमती किशोरी सिन्हा :

श्री के० प्रधानी :

श्री बी० डी० सिंह :

श्री रशीद मसूद :

क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ लोगों ने जनवरी, 1984 को खालिस्तान के संविधान को स्वीकार किया था और खालिस्तान के ध्वज को भी फहराया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस राष्ट्र विरोधी कार्य में शामिल व्यक्तियों को पकड़ा है ?

(घ) यदि हां तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ङ) श्री बलबीरसिंह संधू ने गोल्डन टैम्पल कम्पलेक्स में 26 जनवरी, 1984 को एक झंडा फहराया और एक पर्चा बांटा जो तथाकथित खालिस्तान गणराज्य का संविधान मालूम होता है इस सम्बन्ध में, उनके खिलाफ 27 जनवरी, 1984 को विधि विरुद्ध कार्यकलाप (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 3/13 के अधीन और आई० पी० सी० की धारा 124 क/153 क के अधीन एक मामला दर्ज किया गया। बताया जाता है कि श्री सन्धू गोल्डन टैम्पल कम्पलेक्स अमृतसर में छिपे हुए हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी से अनुरोध किया गया है कि वे कानून के तहत कार्रवाई करने के लिए श्री सन्धू को प्राधिकारियों को सौंप दें। उन्हें अभी तक प्राधिकारियों को नहीं सौंपा गया है।

नरोरा और काकरापाडा परमाणु बिजली परियोजनाओं को चालू किया जाना

8150. **श्री कृपा सिन्धु भोई** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) निर्माणाधीन नरोरा और काकरापाडा परमाणु बिजली परियोजनाओं की क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) उनको कब तक चालू कर दिए जाने की सम्भावना है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) नरोरा परमाणु-विद्युत परियोजना का

निर्माण-कार्य काफी हद तक पूरा किया जा चुका है। वस्तुत:, परियोजना के काम का 75% भाग पूरा हो चुका है। ककरापाडा परमाणु बिजलीघर को लगाने का काम हाल ही में शुरू किया गया है तथा वस्तुत: उसका 10 प्रतिशत काम पूरा किया जा चुका है।

(ख) आशा है कि नरौरा परमाणु विद्युत परियोजना के पहले और दूसरे यूनिट का काम क्रमश: 1987-88 और 1988-89 तक पूरा कर लिया जाएगा। यह भी आशा है कि ककरापार परमाणु बिजलीघर के पहले और दूसरे यूनिट का काम क्रमश: 1980-81 और 1991-92 में पूरा कर लिया जाएगा।

औद्योगिक लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को उदार बनाना

8151. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संकट का सामना कर रहे कुछ उद्योगों में औद्योगिक लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को व्यापक रूप से उदार बनाने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उद्योगों के भारी संकट में होने के मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) क्या लाइसेंस जारी करने की वर्तमान उदार प्रक्रिया से सीमेंट उद्योग काफी सहायक सिद्ध हुआ है ;

(घ) सरकार का विचार उन उद्योगों/कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है जो आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों को कार्यान्वित न करके उत्पादन क्षमता को विफल करने के प्रयास करते हैं ; और

(ङ) औद्योगिक लाइसेंस जारी करने की नीति को उदार बनाने संबंधी अंतिम निर्णयों के कब तक घोषित किए जाने की सम्भावना है ;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) औद्योगिक लाइसेंस देने की नीति की लगातार समीक्षा की जाती है और उद्योग को जिन अड़चनों का सामना करना पड़ता है उन्हें दूर करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं।

(ग) लाइसेंस देने की उदार बनाई गई नीति का अनुसरण करके और विशेषकर 28-2-1982 से सीमेंट पर आंशिक विनियंत्रण की योजना लागू करने से सीमेंट उद्योग में चहुमुखी सुधार हुआ है। अधिष्ठापित क्षमता वर्ष 1980-81 के आरम्भ में 243 लाख मी० टन से बढ़कर वर्ष 1983-84 के अंत में 369 लाख मी० टन हो गई है और वर्ष 1984-85 तक इसके छठी योजना में निर्धारित 430 लाख मी० टन के लक्ष्य को पार कर जाने की सम्भावना है। वर्ष 1980-81 में देश में हुआ 185.6 लाख मी० टन उत्पादन वर्ष 1983-84 में बढ़कर 270 लाख मी० टन हो गया है और वर्ष 1984-85 में इसके 320 से 330 लाख मी० टन होने की संभावना है। इस नीति के परिणाम स्वरूप देश के विभिन्न भागों में उचित मूल्यों पर सीमेंट मिलता रहा है और सीमेंट उत्पादकों को उचित लाभ मिल रहा है। इस उद्योग ने आधुनिकीकरण और विस्तार की योजनाएं आरम्भ करने के लिए पर्याप्त साधन भी जुटा लिए हैं।

(घ) औद्योगिक लाइसेंस देने की प्रणाली क्षमताओं के पूर्वक्रय को रोकने के लिए ही बनायी गयी है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आशय-पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों की कडाई से मानीटरिंग की जा रही है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

मंत्रालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की भर्ती/पदोन्नति की देखभाल के लिए सम्पर्क अधिकारी

8152. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भर्ती/पदोन्नति सम्बन्धी मामलों की देखभाल के लिए संपर्क अधिकारी हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे सभी संपर्क अधिकारी स्वयं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ; और

(घ) कार्य को और अधिक फलदायक और प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को पहले ही अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि प्रशासन के प्रभारी उप सचिव (अथवा अन्य अधिकारी जिसका रैंक उप सचिव से कम न हो) को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित मामलों के बारे में संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नामित कर दें। उपलब्ध सूचना से यह पता चलता है कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में सम्पर्क अधिकारी हैं।

(ख) तथा (ग) संपर्क अधिकारी की न तो कोई अलग नियुक्ति होती है और न ही ऐसा कोई स्वतन्त्र पद है। चूंकि प्रशासन का प्रभारी उप सचिव ही संपर्क अधिकारी होता है, इसलिए हमेशा यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि संपर्क अधिकारी निरपवाद रूप से अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का होगा, यद्यपि इस प्रकार की कोई रोक नहीं है। इसके अतिरिक्त, सरकार के ऐसे कोई नीति विषयक अनुदेश नहीं हैं कि सम्पर्क अधिकारी अनिवार्यतः अनुसूचित जाति/जनजाति का होगा।

(घ) सम्पर्क अधिकारी को सौंपी गई ड्यूटियां कार्य को पूर्णतः प्रभावी तथा लाभदायक बनाने के उद्देश्य से पर्याप्त रूप से सर्वांगपूर्ण मालूम पड़ती हैं।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भारतीय विदेश सेवा/भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा और श्रेणी एक और दो के अन्य पदों के लिए विज्ञापन

8153. **श्री के० बी० एस मणि** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोकसेवा आयोग द्वारा 1980-81, 1981-82, 1982-83 और 1983-84 (31

मार्च, 1984 तक) के दौरान भारतीय विदेश सेवा/भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा और श्रेणी एक और दो के कितने पदों का विज्ञापन दिया गया ;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त संवर्गों में संवर्ग-वार कितने पद भरे गए ;

(ग) कितने पद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा भरे गए ; और

(घ) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदों को भरा जाना बकाया है और यदि हां, तो इस बकाया को भरे जाने के लिए क्या कार्यवाही प्रारम्भ की गई है ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (घ) अपेक्षित ब्यौरे एकत्रित किए जा रहे हैं और उन्हें सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा

8154. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवगठित केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा को राजभाषा विभाग द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है :

(ख) क्या उपरोक्त सेवा में सम्मिलित पद तकनीकी अथवा लिपिकीय पद हैं ; और

(ग) क्या ये पद तकनीकी हैं और इस सेवा को नियन्त्रित करने वाले अधिकारियों की तकनीकी योजनाएं क्या हैं, और इस सेवा के प्रशासन को कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को न सौंपने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाशचन्द्र सेठी) : (क) जी हां।

(ख) सेवा में सम्मिलित पद लिपिकीय/अलिपिकीय हैं।

(ग) केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का प्रशासन राजभाषा विभाग, जो संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के बारे में मुख्य (नोडल) प्राधिकारी है, को भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अन्तर्गत सौंपा गया है।

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी द्वारा भूमि से वंचित होने वाले व्यक्तियों को अनुग्रह राशि का भुगतान

8155. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूमि से वंचित होने वाले लोगों को कुछ उत्तराधिकारी मूल दावेदारों की मृत्यु के बाद भी कुछ मूल दावेदारों के साथ-साथ 1968 से आई० आई० एस० सी० ओ० में रोज-

गार के बदले में जैसा कि गैर-सरकारी भूमि का अर्जन करते समय आश्वासन किया गया था, प्रतिमाह अनुग्रह भुगतान प्राप्त कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो अनुग्रह भुगतान प्राप्त करने वाले ऐसे लोगों की संख्या कितनी है और उनके नाम तथा पते क्या हैं और अनुग्रह भुगतान कब से किया जा रहा है और कितना ;

(ग) ऐसे अनुग्रह भुगतान से बचने के लिए आई० आई० एस० सी० ओ० प्रबन्ध द्वारा उन्हें रोजगार उपलब्ध न कराये जाने के कारण क्या हैं ; और

(घ) क्या आई० आई० एस० सी० ओ० प्रबन्ध उन्हें तत्काल रोजगार देने पर विचार करेगा और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (घ) इस समय 10 कर्मचारियों को, वर्ष 1968 में जब इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (इस्को) निजी क्षेत्र की कम्पनी थी, रज्जुपथ बनाने और उसे चालू करने में कम्पनी की सहायता के लिए अनुग्रहपूर्वक अदायगी की जा रही है। अदायगी का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। 'इस्को' के ध्यान में केवल एक ऐसा मामला आया हैं। जहां पति की मृत्यु के पश्चात् अनुग्रहपूर्वक अदायगी पत्नी को की जा रही है क्योंकि अर्जित भूमि पत्नी के नाम में पाई गई थी।

जिन लोगों की भूमि अर्जित की गई है उनमें से केवल उन व्यक्तियों को रोजगार दिया गया था जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा रोजगार देने के बारे में आश्वासन-पत्र प्रस्तुत कर सके थे। इनमें से किसी भी व्यक्ति ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिसमें यह दिखाया गया हो कि "इस्को" के तत्कालीन प्रबन्धकों ने उन्हें रोजगार का आश्वासन दिया था। उपर्युक्त को देखते हुए इस्को के लिए इन लोगों को रोजगार देना सम्भव नहीं है।

विवरण

1 अनुग्रहपूर्वक अदायगी प्राप्त कर रहे व्यक्तियों का ब्यौरा

क्रम संख्या	व्यक्ति का नाम	पता	अनुग्रहपूर्वक अदायगी की राशि (रुपयों में)	अनुग्रहपूर्वक अदायगी कब से की जा रही है।
1	2	3	4	5
	सर्व श्री			
1.	सागेश्वर छटोराज	गांव तथा डाकखाना मिथानी जिला : बर्दवान (पश्चिमी बंगाल)	150 रुपए	1976

1	2	3	4	5
2.	नन्दलाल अचर्जी	गांव तथा डाकखाना गंगतिया जिला : वर्दवान (पश्चिमी बंगाल)	60 रुपए	1968
3.	रामवतन बनर्जी	गांव — जसीडिह डाकखाना : दिशरगढ़ जिला वर्दवान (पश्चिमी बंगाल)	150 रुपए	1977
4.	श्रीमती पारू दस्सी	—तदैव—	40 रुपए	1977
5.	सन्तोष माझी	—तदैव—	60 रुपए	1968
6.	वेनी माधव माझी	गांव तथा डाकखाना राधानगर जिला—वर्दवान (पश्चिमी बंगाल)	75 रुपए	1968
7.	विश्वनाथ मंडल	—तदैव—	75 रुपए	1968
8.	शंकर चंद मंडल	—तदैव—	75 रुपए	1968
9.	वोडी मांझी	गांव तथा डाकखाना छोटो डिघरी जिला वर्दवान (पश्चिमी बंगाल)	50 रुपए	1968
10.	लखीराम मांझी	—तदैव—	50 रुपए	1968

महाराष्ट्र के धुले जिले में नासिक में मारे गए अनुसूचित जनजाति के लोग

8156. **श्री राम विलास पासवान** : क्या गृह मंत्री क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 20 मार्च, 1984 के "इण्डियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि 16 मार्च, 1984 को महाराष्ट्र के धुले जिले में नासिक में अनुसूचित जनजाति के आठ व्यक्ति मारे गए :

(ख) यदि हां, तो इस घटना के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस बीच इस मामले में कोई जांच करायी गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (घ) जी हां, श्रीमान। महाराष्ट्र सरकार से 20-3-84 को प्राप्त सूचना के अनुसार होली त्यौहार के दौरान जिला धूले में आदिवासियों और गुजर पटेलों के बीच हुए दो झगड़ों में 16 मार्च को पांच आदिवासी मारे गए। पुलिस ने भा० दं० सं० की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत अपराधियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए हैं।

राष्ट्रीय एकता एवं मानव अधिकार की स्थापना

8157. **श्री पी० एम० सईद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यक आयोग ने राष्ट्रीय एकता तथा धर्म निरपेक्ष परम्पराओं के संवर्धन और अल्पसंख्यकों सहित सभी वर्गों के लोगों के मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय एकता एवं मानव अधिकार आयोग की स्थापना की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ; और

(घ) यदि नहीं तो उसके कारण क्या हैं ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (घ) अल्पसंख्यक आयोग की चौथी वार्षिक रिपोर्ट की सिफारिशों पर सरकार की प्रतिक्रिया की गई कार्यवाही के ज्ञापन में प्रस्तुत की जाएगी, जिसके साथ रिपोर्ट होगी, जब इसे संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

देश में यूरेनियम/थोरियम के भण्डार

8158. **श्री कृपा सिन्धु भोई** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय डा० होमी भाभा ने कहा था कि भारत की ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति परमाणु ऊर्जा से ही सकती है और यदि हां, तो देश में यूरेनियम/थोरियम के कुल कितने भंडार हैं ;

(ख) क्या यह हमारे परमाणु विद्युत संयंत्रों के लिए पर्याप्त हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो वैकल्पिक ईन्धन के लिए क्या उठाए जा रहे हैं ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) जी, हां। भारत में यूरेनियम और थोरियम के ऐसे निक्षेपों में, जिनमें इन खनिजों की विद्यमानता के बारे में संकेत मिले हैं या निश्चित जानकारी प्राप्त की जा चुकी है, कुल मिलाकर क्रमश: 73,000 मीटरिक टन यूरेनियम आक्साइड (U3O6) और 3,63,000 मीटरिक टन थोरियम आक्साइड (Tho2) मौजूद हैं। ऐसा अनुभव किया

जाता है कि सन् 2000 तक 10,000 मेगावाट क्षमता के परमाणु बिजली घर लगाने के हमारे देश के प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए तथा बाद के कार्यक्रम के लिए यूरेनियम और थोरियम के ये भंडार पर्याप्त हैं।

मदर डेरी संयंत्र द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को यमुना नदी में छोड़ना

8159. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदर डेरी संयंत्र, पटपड़गंज रोड पावर हाऊस के पास, दिल्ली—92 के अपशिष्ट पदार्थों को यमुना नदी में छोड़ा जाता है और बकाया कचरे को मुख्य सड़क के आस-पास फेंक और छितरा दिया जाता है जिसके कारण उस क्षेत्र में बदबू और बीमारियां फैल रही हैं, यदि हां, तो क्या सरकार ने वहां पर फैली बदबू और बीमारियों को रोकने के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस प्रकार की लापरवाही के लिए कौन व्यक्ति उत्तरदायी हैं और क्या सरकार उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही करेगी और इस सम्बन्ध में पूरा-पूरा ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) मैसर्स मदर डेरी अपशिष्ट का उपचार करता है और उपचारित अपशिष्ट को यमुना नदी में पहुंचाने के लिए एक बन्द नाले के माध्यम से खुले नाले में पहुंचाया जाता है। तल में रुके गाढ़े कीचड़ के बहिस्राव के लिए संयंत्र के परिसर के भीतर कीचड़ सुखाने के स्थान भी बनाए गए हैं। केन्द्रीय बोर्ड अपजल उपचार के कार्य निष्पादन की पूरी निगरानी कर रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी सेवकों द्वारा अंदमान और निकोबार प्रशासन के खिलाफ दायर की गई याचिकाएं

8161. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी सेवकों द्वारा अब तक अंदमान और निकोबार प्रशासन के खिलाफ वर्ष-वार कुल कितनी याचिकाएं दर्ज की गई हैं और उनमें से अब तक कितनी निपटाई जा चुकी हैं :

(ख) इस प्रकार निपटायी गई याचिकाओं में से कितनी प्रशासन के हक में थीं और कितनी उसके खिलाफ थीं ;

(ग) कर्मचारियों के हक में गए मामलों में कुल कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है ; और

(घ) अंदमान और निकोबार प्रशासन की तुलना में भारत सरकार के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं का कुल प्रतिशत क्या है ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क)

कलैंडर वर्ष	प्राप्त किए गए	निपटाये गये
1982	32	3
1983	21	3
1984 (3-4-84 तक)	12	3
जोड़	65	9

(ख) और (ग) निपटाये गये सभी नौ मामले अंडमान और निकोबार प्रशासन के हक में थे और प्रशासन के खिलाफ कोई मामला नहीं था।

(घ) उपर्युक्त वर्षों के दौरान सरकारी कर्मचारियों द्वारा दायर सभी रिट याचिकाओं में याचिकाकर्त्ताओं (सरकारी कर्मचारी) द्वारा भारत सरकार को प्रतिवादी के रूप में लिया गया। अंडमान और निकोबार प्रशासन के सम्बन्ध में विशेष रूप से भारत सरकार के विरुद्ध किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा कोई याचिका दायर नहीं की गई।

इलेक्ट्रानिक्स विभाग और इलेक्ट्रानिक्स आयोग के प्रभाग

8162. **श्री चित्त बसु :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

इलेक्ट्रोनिक्स विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग के कौन से प्रभाग, विभाग और ऐसे सुस्पष्ट भाग हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : इलेक्ट्रॉनिकी विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिकी आयोग के प्रमुख प्रभाग नीचे दिए गए अनुसार हैं :

1. कम्प्यूटर विकास
2. संचार
3. संघटक-पुर्जे
4. परीक्षण तथा परिमापन उपकरण
5. रक्षा परियोजनाएं

6. आर्थिक तथा वित्तीय मामले

7. निर्यात ; अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग : प्रदर्शनियां

8. लाइसेंसिंग

9. जनशक्ति विकास

10. निगरानी

11. संसदीय मामले

12. रेडार तथा रक्षा इलेक्ट्रॉनिकी

13. क्षेत्रीय विकास, कृषि तथा औषधि के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिकी

14. मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता-नियंत्रण (टी० आर० क्यू० सी०) तथा इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशालाएं (ई० आर० टी० एल०)

15. प्रौद्योगिकी नीति विषयक वक्तव्य का कार्यान्वयन (टी० पी० एस०)

16. वित्त

17. कार्मिक

18. प्रशासन तथा समन्वय

19. इलेक्ट्रॉनिकी आयोग विषयक मामले

20. सूचना, आयोजना तथा विश्लेषण

21. राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र।

राजस्थान में राष्ट्रीय ध्वजों की नीलामी

8163. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 मार्च, 1984 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि राजस्थान राज्य में मदोली के खण्ड विकास अधिकारी ने अन्य कार्यालय सम्पत्ति के साथ राष्ट्रीय ध्वजों की नीलामी के लिए विज्ञापन देकर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (घ) सरकार ने सम्बन्धित समाचार देखा है। राजस्थान सरकार द्वारा भेजे गए तथ्यों के अनुसार विकास अधिकारी, पंचायत समिति भलोड़ी ने 19-12-1981 को राष्ट्रीय ध्वज समेत विभिन्न मदों की एक नीलामी सूचना जारी की थी। नीलामी की मदों में राष्ट्रीय ध्वज को शामिल करना निष्कपट गलती थी जिसका आशय राष्ट्रीय ध्वज के प्रति कोई अनादर अथवा अपमान प्रदर्शित करना नहीं था। इस गलती को एक शुद्धिपत्र जारी करके 22 दिसम्बर, 1981 को ठीक कर दिया गया था जिसमें राष्ट्रीय ध्वज की नीलामी सूचना को रद्द किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज की नीलामी नहीं की गई थी। फिर भी विकास अधिकारी को भविष्य में अधिक सावधान रखने की चेतावनी दे दी गई है।

सरकारी कार्यालयों के राष्ट्रीय अप्रयुक्त ध्वजों का निपटान

8164. **श्री बनवारी लाल लिखा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कार्यालयों के घिसेपिटे, क्षतिग्रस्त अथवा अप्रयुक्त राष्ट्रीय ध्वजों का निपटान करने के लिए वर्तमान नियमों के अन्तर्गत क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ;

(ख) क्या सरकार का अप्रयुक्त अथवा क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय ध्वजों का निपटान करने के लिए सभी केन्द्रीय और राज्य कार्यालयों को निदेश जारी करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) भारतीय झण्डा संहिता, जिसमें अन्य बातों के साथ भारत राष्ट्रीय झण्डा के सही उपयोग और प्रदर्शन के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए सरकार के अनुदेश हैं, में यह निर्धारित है, "अब झण्डा फट जाए या मैला हो जाय, जो उसे फेंकना नहीं चाहिए और न उसे सम्मान रहित ढंग से निपटाना चाहिए, बल्कि झण्डे को एकान्त में पूरा नष्ट कर देना चाहिए अथवा झण्डे के गौरव के अनुकूल किसी दूसरे तरीके को अपनाना अधिक उपयुक्त होगा। यह संहिता भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को परिचालित की जा चुकी है।

सशस्त्र सेना मुख्यालय सेवाओं और केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के बीच भिन्नता

8165. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या **गृह मंत्री** सशस्त्र सेना मुख्यालय सेवाओं और केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं में भिन्नता के बारे में 4 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न सं० 6501 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय वेतन आयोग की टिप्पणियों पर ध्यान न दिए जाने से कारण क्या हैं ;

(ख) क्या आयोग की टिप्पणियों, जो निन्दा से भी अधिक बड़ी बात है और जिस ढंग से इसने अन्य टिप्पणियों पर विचार किया है, पर विचार किया जाना उनके मंत्रालय के लिए आवश्यक नहीं है ;

(ग) क्या भरती प्रक्रिया में अन्तर को स्पष्ट रूप से बताया जाएगा ; और

(घ) क्या सरकार का अब उन टिप्पणियों पर विचार करने अथवा चौथे वेतन आयोग को इस विषय में अपनी सिफारिशें देने और इसमें सम्मिलित मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय केडेट कार्पस, भूमि और छावनी, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा आदि जैसे कार्यालयों को हानि न होना सुनिश्चत करने के लिए कहने का विचार है ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) तथा (ख) लोक सभा के दिनांक 4-4-1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6504 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित तृतीय वेतन आयोग की टिप्पणियां कार्यालयों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में थी। आयोग ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना को सशस्त्र सेना मुख्यालयों तथा अन्तर सेवा संगठनों में लागू किए जाने के प्रश्न पर अपनी रिपोर्ट के अध्याय 10 के पैरा 7 में विचार किया था। आयोग न यह उल्लेख किया था कि इस प्रस्ताव पर कई अवसरों पर विचार विमर्श हुआ किन्तु इसे हर बार छोड़ दिया गया है। इस प्रकार आयोग ने सशस्त्र सेना मुख्यालय सेवाओं को केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के साथ मिलाने के लिए कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की थी।

(ग) केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं और सशस्त्र सेना मुख्यालय सेवाओं की भर्ती क्रियाविधियों के बीच की भिन्नताओं को निर्दिष्ट करने वाला एक सारणीबद्ध विवरण संलग्न है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं और सशस्त्र सेना मुख्यालय सेवाओं की भर्ती पद्धतियों के बीच भिन्नताएं

ग्रेड का नाम	केन्द्रीय सचिवालय सेवा	सशस्त्र सेना मुख्यालय सेवा
1	2	3
ग्रेड I/सिविलियन स्टाफ आफीसर	कम से कम 8 वर्ष की सेवा वाले स्थायी अनुभाग अधिकारी/ग्रेड "क" आशुलिपिक में से चयन के आधार पर पदोन्नति द्वारा	सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारियों में से चयन के आधार पर पदोन्नति द्वारा। 25 वीं रिक्ति ग्रेड "क" आशुलिपिकों में से भरी जायेगी। पात्रता के लिए कम से कम 8 वर्ष की लगातार अनुमोदित सेवा।
अनुभाग अधिकारी/ सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी	(i) **सीधी भर्ती** मूल रिक्तियों का 20 प्रतिशत सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से।	मूल रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से।

1	2	3
	(ii) **प्रवर सूची के माध्यम से** प्रवर सूची की 50 प्रतिशत रिक्तियां संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरी जाती है जिसमें पांच वर्ष की अनुमोदित सेवा वाले सहायक/ग्रेड "ग" आशुलिपिक पात्र होते हैं।	शेष 75 प्रतिशत रिक्तियां उन सहायकों में से जिन्होंने उक्त ग्रेड में कम से कम 5 वर्ष की लगातार अनुमोदित सेवा पूरी कर ली है, चयन के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरी जाती हैं।
	प्रवर सूची की 50 प्रतिशत रिक्तियां वरिष्ठता एवम योग्यता के आधार पर भरी जाती हैं जिसमें 8 वर्ष की अनुमोदित सेवा वाले सहायक पात्र होते हैं।	
उच्च श्रेणी लिपिक	प्रवर सूची की 75 प्रतिशत रिक्तियां 8 वर्ष की अनुमोदित सेवा वाले अवर श्रेणी लिपिकों की पदोन्नति द्वारा भरी जाती हैं।	100 प्रतिशत रिक्तियां अवर श्रेणी ग्रेड के उन अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा भरी जाती हैं जिन्होंने उक्त ग्रेड में कम से कम 5 वर्ष की लगातार अनुमोदित सेवा पूरी कर ली हो।
	प्रवर सूची की 25 प्रतिशत रिक्तियां कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरी जाती हैं।	

बारामूला में सरकारी क्षेत्र के उद्योग की स्थापना

8166. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको यह जानकारी है कि 1947 में बारामूला कस्बे को हमलावारों ने नष्ट कर दिया था और सामान्य स्थिति लाने के लिए कस्बे में पूंजी निवेश की आवश्यकता है ; और

(ख) क्या इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए कि वहां पर भारत सरकार द्वारा कौन-कौन से

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित किया जा सकता है सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण कराया जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) : उद्योगों की स्थापना के लिए उद्योग मंत्रालय कोई सर्वेक्षण नहीं करता । केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र परियोजनाओं से सम्बन्धित स्थापना-स्थल का निर्णय सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा तकनीकी आर्थिक स्थितियों पर विचार विमर्श करने के पश्चात किया जाता है।

मारुति कारों के लिए घटिया पुर्जे

8167. **श्री ए० नीला लोहित दसन नाडार** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति उद्योग लिमिटेड के जापानी सहयोगियों ने यह पाया है कि देश में निर्मित नट और बोल्ट जैसे छोटे पुर्जे भी घटिया किस्म के हैं ;

(ख) क्या इससे त्रुटिपूर्ण औद्योगिक नीति का संकेत मिलता है और यदि हां, तो सरकार छोटे पुर्जों के उत्पादन के लिए भी विदेशी सहयोग की अनुमति देने की बजाय औद्योगिक नीति को ठीक करने के लिए क्या कदम उठा रही है ; और

(ग) क्या सरकार युवा वैज्ञानिकों को और इन्जीनियरों को अनुसंधान कार्यों के लिए वित्तीय सहायता देने पर विचार कर रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इन्जीनियरों तथा वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान तथा विकास कार्य को विभिन्न प्रोत्साहनों द्वारा बढ़ावा देने की सरकार की हमेशा नीति रही है।

देश में पुलिस की गोली से मारे गए/घायल हुए आदिवासियों की संख्या

8168. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 से राज्य-वार तथा वर्षवार देश के विभिन्न राज्यों में पुलिस की गोली से मारे गए और घायल हुए आदिवासियों की कुल संख्या कितनी है.;

(ख) संविधान के अन्तर्गत घोषित अनुसूचित क्षेत्र के बारे में सरकार के वार्षिक प्रतिवेदनों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्ष 1980 से राज्य-वार पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की घटनाओं के बारे में न्यायिक जांच, यदि कोई है, के प्रतिवेदन क्या हैं ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

इस्पात एककों में उत्पादन को ध्यान में रखते हुए जनशक्ति आवश्यकता के वैज्ञानिक आधार पर निर्धारण के लिए अध्ययन

8169. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के विभिन्न इस्पात एककों में वास्तविक उत्पादन अथवा अधिकतम उत्पादन स्तर को ध्यान में रखते हुए जनशक्ति आवश्यकताओं के वैज्ञानिक निर्धारण के लिए कोई समेकित अध्ययन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक एकक की जनशक्ति आवश्यकता कुल कितनी है, वास्तविक और अनुमानित कार्यकुशलता के बीच यदि कोई अन्तर है, तो कितना और यदि किसी फालतू जनशक्ति का पता लगा है, तो वह कितनी है और कितने कामगारों को बेकार रखा गया है ; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान कर्मचारियों को कितना समयोपरि भत्ता दिया गया ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री(श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी, हां। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ़ कालेज, हैदराबाद के मार्गदर्शन के अंतर्गत वर्ष 1969 से 1971 के दौरान भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के इस्पात कारखानों के औद्योगिक इन्जीनियरी विभागों ने वैज्ञानिक आधार पर इन कारखानों की जनशक्ति की आवश्यकताओं का निर्धारण करने के लिए सभी कारखानों के वर्क्स डिपार्टमेंटों तथा यंत्रीकृत खानों का समेकित अध्ययन किया है। वर्ष 1972 में बोकारो इस्पात कारखाने में भी इसी प्रकार का अध्ययन किया गया था। इस समय भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद "इस्को" में अध्ययन कर रहा है। निर्धारित क्षमता पर उत्पादन करने के संदर्भ में इन अध्ययनों से निर्धारित क्षमता पर उत्पादन करने के लिए जन-शक्ति की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया गया है। औद्योगिक इन्जीनियरी विभाग स्थापित की गई अतिरिक्त सुविधाओं के लिए आवश्यक जन-शक्ति का भी समय-समय पर अनुमान लगाते हैं।

इन अध्ययनों तथा मजदूर संघों के साथ हुई बातचीत के आधार पर जन-शक्ति की मंजूरी प्रदान की जाती है।

(ख) 30 सितम्बर, 1983 को प्रत्येक कारखाने (खानें भी शामिल हैं) के लिए स्वीकृत जन-शक्ति इस प्रकार है :—

भिलाई इस्पात कारखाना	...	69,514
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	...	35,936
राउरकेला इस्पात कारखाना	...	42,342
बोकारो इस्पात कारखाना	...	60,946
इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड	...	48,393

मिश्र इस्पात कारखाना	...	7,299
सेलम इस्पात कारखाना	...	1,366

जब कभी यह पता लगता है कि जन-शक्ति आवश्यकता से अधिक है तो उसे दूसरे कारखानों में लगाने का प्रयास किया जाता है। अतः जब वर्ष 1972 में राउरकेला इस्पात कारखाने में 900 से अधिक कर्मचारियों के फालतू होने का पता चला था तो उन्हें दूसरे कामों पर लगाने के लिए कदम उठाए गए थे। इस समय केवल 55 श्रमिक फालतू हैं। इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० के बर्नपुर के कारखाने में वर्ष 1980 में 201 कर्मचारी आवश्यकता से अधिक पाए गए थे। अब तक सभी कर्मचारियों को दूसरे कामों पर लगाया जा चुका है। वर्ष 1982-83 में मिश्र इस्पात कारखाने में भी शीट मिल में बाजार की कठिनाइयों के कारण उत्पादन प्रक्रिया को पुनः व्यवस्थित करने के परिणामस्वरूप 26 श्रमिक फालतू हो गए थे। उन्हें दूसरे कामों पर लगाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। वर्ष 1980-81 में भिलाई इस्पात कारखाने की लौह-अयस्क की खानों में लगभग 1200 विभागीय देहाड़ी श्रमिक फालतू हो गए थे। उन्हें दूसरे कामों पर लगाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० में वासनाला की कोयला खानों के बन्द हो जाने से लगभग 400 कर्मचारी फालतू हो गए थे। मजदूर संघों के परामर्श से इन फालतू कर्मचारियों को दूसरे कामों पर लगाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ग) वर्ष 1981-82 और 1982-83 में कर्मचारियों को दिए गए समयोपरि भत्ते की राशि का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(लाख रुपए)

	1981-81	1982-83	1983-84 (अप्रैल, 83 से दिसम्बर 83 तक)
भिलाई इस्पात कारखाना	678.67(12.8)	841.99(14.8)	810.47
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	404.64(11.4)	517.82(13.6)	378.02
राउरकेला इस्पात कारखाना	573.11(15.2)	652.68(16.1)	539.71
इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० (बर्नपुर)	287.74(13.1)	317.93(13.7)	303.46
मिश्र इस्पात कारखाना	84.87(11.6)	93.39(11.9)	60.44
सेलम इस्पात कारखाना	0.15(0.3)	0.37(0.5)	0.22
बोकारो इस्पात कारखाना	375.70(9.4)	412.98(9.5)	313.69

नोट :—कोष्ठकों में दिखाए गए समयोपरि भत्ते के भुगतान के आंकड़े वेतन जमा मंहगाई भत्ते का प्रतिशत दर्शाते हैं।

राजस्थान में सीमेंट फैक्ट्रियों का ब्यौरा

8170. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कुल कितनी सीमेंट-फैक्ट्रियां काम कर रही हैं तथा उनमें से प्रत्येक फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता क्या है ; और

(ख) राजस्थान में, जिले-वार कितनी सीमेंट-फैक्ट्रियां स्थापित करने का विचार किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) राजस्थान में सीमेंट के सात कारखाने कार्यरत हैं जिनकी क्षमताएं अधोलिखित हैं :—

एकक का नाम	वार्षिक क्षमता लाख मी० टन
1. ए० सी० सी० लिमिटेड, लाखरी	3.22
2. बिड़ला सीमेंट वर्क्स, चित्तौड़गढ़	4.00
3. जयपुर उद्योग लि०, सवाई माधोपुर	10.00
4. जे० के० सिंथटिक्स लि०, निम्बाहेड़ा	11.40
5. उदयपुर सीमेंट वर्क्स, उदयपुर	4.00
6. मुंगलम सीमेंट लि०, मोराक	4.00
7. स्ट्रा प्राडक्ट्स लि०, बांसा	5.00

(ख) जिला	औ० ला०*	आ० प०**	पंजीकरण***	योग
1	2	3	4	5
अजमेर	—	1	—	1
अलवर	—	—	1	1
बांसवाड़ा	1	—	—	1
भीलवाड़ा	—	1	—	1
चित्तौड़गढ़	—	3	—	3

1	2	3	4	5
जयपुर	1	—	—	1
जोधपुर	—	1	—	1
कोटा	—	2	—	2
नागौर	1	1	—	2
पाली	—	1	—	1
सीकर	1	—	—	1
सिरोही	—	4	—	4
उदयपुर	—	1	1	2

*ओ० ला० =औद्योगिक लाइसेंस

**आ० प० =आशय पत्र

***पंजीकरण=तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकरण

12.00 म० प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : मैं उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18कक की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का० आ० 162 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 14 मार्च 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा मैसर्स बंगाल पौटरीज लिमिटेड, कलकत्ता, के प्रबन्धग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं० एल० टी० 875/84]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1984, जो 31 मार्च 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 334 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (काडर सदस्य-संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 1984, जो 31 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा० का० नि० 335 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 8176/84]

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को भी अनुमति नहीं दी है। कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी शामिल न किया जायेगा।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। यह सदस्यों की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। मैं आपके समक्ष पूर्वोदाहरण भी उद्धृत करूंगा। 10 संसद सदस्यों ने श्री बीजू पटनायक, श्री जार्ज फर्नान्डीस और श्री अटल बिहारी बाजपेयी की भी देशभक्ति तथा राष्ट्र के प्रति उनकी वफादारी को चुनौती देकर उन पर लांछन लगाया है। इन्होंने एक वक्तव्य जारी किया है···

अध्यक्ष महोदय : ऐसा सम्भव है ; यह सब कुछ उन्होंने सभा से बाहर कहा होगा ; परन्तु उन्होंने इस सभा में ऐसा कुछ नहीं कहा है।

प्रो० मधु दंडवते : विगत में, जब बम्बई की एक साप्ताहिक पत्रिका ने आचार्य कृपालानी पर कलंक लगाया था, तो उसके प्रकाशक को यहां बुलाया गया था और उसकी प्रताड़ना की गई थी···

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : आपको सदस्यों की प्रतिष्ठा की रक्षा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा। मुझे देखना पड़ेगा। इसके लिए अनुमति नहीं है। कार्यवाही-वृतान्त में अब कुछ भी शामिल न किया जाएगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे देखना पड़ेगा। मुझे इस पर विचार करना होगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। मैंने आपको बता दिया है कि मैं इसे देखूंगा। मुझे देखना होगा।

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० मधु दंडवते : आप इसे विचाराधीन रख रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बता दिया है कि मैं इस पर विचार करूंगा ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दी है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप चिल्ला क्यों रहे हैं ? इसकी अनुमति नहीं है। मैंने आपको बता दिया है कि मैं इसे देखूंगा ।

12.04/1-2 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

75वां प्रतिवेदन

श्री जी० लक्ष्मणन (मद्रास उत्तर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 75वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

12.05 म० प०

प्राक्कलन समिति

73वां प्रतिवेदन और 74वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश तथा सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में और 67वां प्रतिवेदन

श्री बंसी लाल (भिवानी) : श्रीमान मैं, प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) सूचना और प्रसारण मन्त्रालय-प्रसारण, के बारे में समिति का 73वां प्रतिवेदन और तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही-सारांश ।

(दो) कृषि मन्त्रालय-उर्वरकों के वितरण के बारे में समिति का 74वां प्रतिवेदन और तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही-सारांश ।

(तीन) निर्माण और आवास मन्त्रालय-केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में समिति के 50वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 67वां प्रतिवेदन ।

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। यदि श्री रशीद मसूद कुछ कहना चाहते हैं, तो मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक लैटर आया है हमारे पास।

अध्यक्ष महोदय : रोज आते हैं।

श्री रशीद मसूद : आप हमारी बात तो सुन लीजिए। इसमें 27 दिन का नोटिस दिया गया है। यह मुझे मिल चुका है। मैं इसे गृह मंत्री को भेज चुका हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

श्री रशीद मसूद : ...*...

अध्यक्ष महोदय : मैंने दे दिया है। इसके अलावा बताइए मैं क्या कर सकता हूं। मैं पहले ही इसके बारे में लिख चुका हूं। मैं इसे गृह मन्त्री को दे चुका हूं मैं पहले ही यह कर चुका हूं।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं जो कुछ कर सकता था, वह मैं पहले ही कर चुका हूं। मुझसे आप और अधिक क्या चाहते हैं?

श्री रशीद मसूद : हम प्रोटेक्शन चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपनी कार्यवाही कर दी है। और आप क्या चाहते हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, बेकारी और महंगाई के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है...।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा जाब नहीं है। मैं उन्हें वहां जाने के लिए नहीं कह सकता। यह मेरा काम नहीं है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

श्री के० मायातेवर (टिन्डिवाल) : श्रीमान, मैंने रक्षा मन्त्री के विरुद्ध एक विशेषाधिकार की सूचनना दी है। (व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : अध्यक्ष महोदय, हमारी बात तो सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : कल ही लेबर मिनिस्ट्री की डिमांड्स पर चर्चा हुई है। आपने और कोई नोटिस दिया है तो देख लूंगा। इस तरह से शोर करने से बात नहीं होगी।

(व्यवधान)

श्री मंगल राम प्रेमी (बिजनौर) : *

अध्यक्ष महोदय : यह क्या तमाशा करके लाते हैं। नाट अलाउड।

आप लिखकर दीजिए। नाट अलाउड।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप चिल्लाते क्यों है?

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है। कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल न किया जाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप यहां क्या करना चाहते हैं?

उसे फेंक दीजिए।

श्री हरिकेश बहादुर।

श्री के० मायातेवर : श्रीमान, तमिल मारे जा रहे हैं और उनकी सम्पत्तियां···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं। इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको बोलने के लिए नहीं कहा गया है।

श्री के० मायातेवर : मैंने रक्षा मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है। मैंने इसे अस्वीकार कर दिया था।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

श्री सी० टी० दंडापाणि (पोल्लाची) : जबकि सभा चल रही थी, वे सभा से बाहर वक्तव्य कैसे दे सकते हैं ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : नहीं। इसकी अनुमति नहीं है।

(**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बी० डी० सिंह।

श्री सी० टी० दंडपाणि : श्रीमान, एक मन्त्री यह कैसे बता सकता है कि···

अध्यक्ष महोदय : यह संगत नियमों के दायरे में नहीं आता, दंडपाणी महोदय। इसके बारे में मैंने स्पष्ट कर दिया है। मैंने इसे देखा है। मैंने इस पर अपना निर्णय दे दिया है।

श्री सी० टी० दंडपाणि : उस स्थिति में, जबकि सभा यहां चल रही हो, वह सरकार की नीति के बारे में सभा से बाहर कैसे बता सकता है ?

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, 19 अप्रैल को हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती पर चर्चा कराने की बात की थी। हम लोगों को बुलेटिन भी इशू हुआ कि हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती की आर्थिक स्थिति जो बिगड़ रही है, कर्मचारियों में जो असंतोष है, उसके संबंध में 19 अप्रैल को चर्चा होगी। आपने कालिंग अटेंशन स्वीकार किया फिर 193 में उसको कनवर्ट कर दिया। उसके बाद चर्चा नहीं हो रही है। इसके बारे में क्या स्थिति है। हम यह जानना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : किसने कहा है कि चर्चा नही हो रही है। आप कहेंगे तो जरूर हो जायेगी।

···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आपको चाहिए तो मुझे कोई एतराज नहीं हैं। आप, आकर बात कर लेना।

श्री सी० टी० दंडपाणि : श्रीमान्, मैं आपका निर्णय चाहता हूं···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना निर्णय दे दिया है। इससे विशेषाधिकार का मुद्दा नहीं बनता।

श्री सी० टी० दंडपाणि : क्या आपने इसे पढ़ा है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे पढ़ा है ; मैंने अपना निर्णय दे दिया है। आप जो चाहे कीजिए।

श्री सी० टी० दंडपाणि : मैं आपको कायल करना चाहता हूं···(**व्यवधान**)

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कायल हूं। (**व्यवधान**) श्रीमान राही जी, अब आप सभी सीमाओं को पार करते जा रहे हैं। आप बैठ जाइये। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

डा० वसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : मैंने दो प्रस्ताव रखे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इससे क्या फर्क पड़ता है।

डा० वसन्त कुमार पंडित : आपकी यह बात कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित की गई है कि आप जानकारी एकत्र कर रहे हैं···

अध्यक्ष महोदय : किस बात के लिए ?

डा० वसन्तकुमार पंडित : मुझे यह पता चला है कि भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष, मोहम्मद यूनुस और बौन स्थित हमारे उच्चायुक्त ने अपनी रिपोर्ट भेज दी हैं ···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इस मामले का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : आप, मजदूरों और मेहनतकशों के साथ सहानुभूति रखते हैं, लेकिन उनकी कुछ मांगें हैं। उन मांगों के बारे में सरकार ध्यान नहीं दे रही है।···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कोई मोशन दे दीजिए। श्री बी० डी० सिंह।

(**व्यवधान**)

श्री सी० टी० दंडपाणि : कृपया मुझे एक मिनट की अनुमति दें···

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही अपना निर्णय दे चुका हूं ; मेरे निर्णय पर कोई बहस नहीं होगी।

श्री के० मायातेवर : किस अधिकार से आप निर्णय दे सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे निर्णय के बारे में निर्णय नहीं कर सकते।

श्री के० मायातेवर : हमारी बात सुने बिना, आप अपना निर्णय कैसे दे सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपको सभा से बाहर जाने को कहना पड़ेगा ; आप बैठ जाइए।

श्री के० मायातेवर : या आप उनकी बात सुने या मेरी···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप नहीं बैठे, तो मुझे आपको बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा।

श्री के० मायातेवर : मुझे कृपया एक निवेदन करने का अवसर दें···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अवसर का कोई प्रश्न ही नहीं है। मैंने अपना निर्णय दे दिया है।

श्री सी० टी० दंडपाणि : आप मुझे कृपया एक मिनट दीजिए। मैं पाठ पढ़कर सुनाऊंगा···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह देख लिया है ; मैंने इसे पढ़ लिया है। इससे विशेषाधिकार का मामला नहीं बनता।

श्री सी० टी० दंडपाणि : पहले मुझे पढ़ लेने दीजिए और उसके बाद आप निर्णय दीजिए। सभा इस बारे में जान ले···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही इस पर निर्णय दे चुका हूं। (व्यवधान) मैं उन्हें सभा से बाहर जाने के लिए कहने वाला हूं। यदि आप नहीं बैठते, तो मुझे आप सबको सभा से बाहर जाने को कहना पड़ेगा।

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : इस देश में कारखाने के जो संगठित मजदूर हैं, वे भी निर्धारित मजदूरी से वंचित हैं ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई मोशन दे दीजिए। इसकी अनुमति नहीं है, श्री बी० डी० सिंह।

श्री सी० टी० दंडपाणि : मैं पढ़कर सुनाता हूं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको पढ़ने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं पहले ही अपना निर्णय दे चुका हूं। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैं इससे पीछे हटने वाला नहीं हूं। मैं इसकी अनुमति नहीं देता। हद हो चुकी है ; हर बात की एक सीमा होती है। श्री बी० डी० सिंह।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

प्रो० मधुदंडवते : क्या आप कृपया अपना निर्णय देंगे ? मैंने आपको आचार्य कृपालानी का पूर्वोदाहरण दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर गौर कर रहा हूं।

प्रो० मधुदंडवते : क्या आप इस पर गौर कर रहे है ?

अध्यक्ष महोदय : हां। आप इसे क्यों दोहराना चाहते हैं ? आप तो एक अनुभवी सांसद हैं।

प्रो० मधुदंडवते : सही मायनों में मैं यही जानना चाहता था। शोरगुल में मुझे पता नहीं चल सका कि यह आपके विचाराधीन है। बस यही कुछ कहना था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी शामिल न किया जाए। किसी भी ध्यानाकर्षण

प्रस्ताव पर यहां बहस नहीं की जाएगी। नहीं। श्रीमती गीता मुखर्जी मुझसे मिल सकती है। कार्यवाही वृतांत में कुछ भी शामिल न किया जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (मंजेरी) : मेरे विशेषाधिकार के प्रस्ताव का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : कोई विशेषाधिकार का प्रस्ताव नहीं। इसे अस्वीकार कर दिया गया है। अब कुछ नहीं है। आप निर्देश 1।5 के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। प्रो० सैफुद्दीन सोज यदि चाहें तो मुझसे मिल सकते हैं। वे मेरे पास आ सकते हैं।

12.18 म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

भिक्षुक-गृह एवं सुधार-गृहों के निवासियों की दयनीय दशा और दिल्ली के समाज कल्याण निदेशालय के पुनर्वास-एवं-वर्गीकरण केन्द्र में हाल ही में हुई घटना के समाचार

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : मैं शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वे इस बारे में एक वक्तव्य दें।

> "भिक्षुक गृह एवं सुधार गृहों के निवासियों की दयनीय दशा और दिल्ली के समाज कल्याण निदेशालय के पुनर्वास एवं वर्गीकरण केन्द्र में हाल ही में हुई घटना के समाचार।"

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के थुंगन) : दिल्ली में भीख मांगने वाले व्यक्तियों को 1961 में दिल्ली संघ क्षेत्र में विस्तारित किए अनुसार बम्बई भिक्षावृत्ति निवारक अधिनियम; 1959 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया जाता है। उनकी गिरफ्तारी के पश्चात उन्हें स्वागत एवं वर्गीकरण केन्द्र के भवन में लाया जाता है, जहां उन्हें मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय, जो कि स्वागत एवं वर्गीकरण केन्द्र के भवन के अहाते में स्थित है, में पेश किया जाता है। न्यायालय के वचनबद्ध आदेश के पश्चात ही भिखारी को दिल्ली के विभिन्न भागों में स्थित भिखारी गृहों में से किसी एक गृह में भेज दिया जाता है। गत दो वर्षों में 1000 संवासियों की क्षमता वाले तीन अतिरिक्त भिखारी गृहों की स्वीकृति प्रदान की गई है जिससे दिल्ली स्थित भिखारी गृहों की संख्या 1961 की एक की संख्या से बढ़कर 12 हो गई है।

12.19 म० प० **(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुई)**

2. भिखारी गृहों की स्थिति सुधारने के लिए उपलब्ध वित्तीय स्रोतों की सहायता से हरेक तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। भिखारी गृहों में विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षण देने की सुविधा दी गई है ताकि भिखारी गृह से छोड़े जाने के पश्चात वे अपनी जीविका अर्जित करने योग्य हो सके। अत्याधिक भीड़ की समस्या का पूर्णतया समाधान नहीं किया गया है परन्तु अतिरिक्त आवास स्थान की व्यवस्था के साथ स्थिति में कुछ हद तक सुधार आएगा।

3. दिल्ली के गृहों में सेवासियों के लिए भोजन की एक निश्चित मात्रा की स्वीकृति प्रदान की गई है। गृह के भीतर और बाहर दोनों तरह चिकित्सीय सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं। 50 बिस्तरों का एक अस्पताल सेवा कुटीर कैम्पस, किंगजवे कैम्प दिल्ली में चल रहा है। प्रत्येक कम्पलैक्स में आपात मामलों से निबटने के लिए एक एम्बूलैन्स भी प्रदान की गई है। समझ शारीरिक क्षमता रखने वाले भिखारियों को लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम के कार्य-स्थलों पर कार्य करने के लिए भेजा जा रहा है और उन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किए अनुसार निश्चित मजदूरी प्रदान की जाती है।

4. यह बताया गया था कि स्वागत एवं वर्गीकरण केन्द्र का एक संवासी 2 अप्रैल, 1984 को वहां पर ड्यूटी पर तैनात होम गार्ड के यौन आक्रमण का शिकार हुआ था। शीघ्र ही इस मामले की पुलिस को रिपोर्ट की गई और उन्होंने केस रजिस्टर किया तथा मामले की छान-बीन हो रही है। अपराधियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरा भगौड़ा हो गया है। स्वागत एवं वर्गीकरण केन्द्र के केयरटेकर को ड्यूटी के प्रति लापरवाही बतरने के लिए निलम्बित कर दिया गया है।

5. भिक्षावृत्ति की समस्या एक जटिल समस्या है और यह बहुत से सामाजिक-आर्थिक कारणों से उपत्पन्न होती है। यद्यपि जिन राज्यों में भिक्षावृति की समस्या विद्यमान है उनमें से अधिकांश राज्यों द्वारा पहले ही भिक्षावृत्ति विरोधी कानून अधिनियमित कर लिए गए हैं फिर भी केवल कानूनी कार्यवाही के बल पर इस सामाजिक बुराई को समाप्त नहीं किया जा सकता। ये अधिनियम भिखारियों की देख-भाल और पुनर्वास के लिए ढांचा प्रदान करते हैं।

6. भिखारी गृहों की स्थिति सुधारने में स्रोत संघटक ही एक अत्याधिक महत्वपूर्ण घटक है। मैं यहां पर आपके ध्यान में यह लाना चाहूंगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा लिए निर्णय के अनुसरण में चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से ही भिक्षावृत्ति निवारक कार्यक्रम सहित समाज रक्षा के सभी कार्यक्रम राज्य क्षेत्र में स्थानान्तिरत कर दिए गए थे। अतः मुख्य प्रारम्भिक कार्यवाही राज्यों द्वारा की जानी चाहिए, यद्यपि केन्द्रीय सरकार भिखारी गृहों में बेहतर सेवाएं प्रदान करने और आवश्यक ढांचे के सृजन हेतु राज्य सरकारों के साथ विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श कर रही है।

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, भिक्षा-वृत्ति हमारे देश के लिए एक कलंक बन गई है। इस पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए सदन में और बाहर बार-बार आवाज उठाई जाती रही है, लेकिन इसको समाप्त करने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया है। हम देख रहे हैं कि भिक्षावृत्ति में लगे हुए लोगों की संख्या घटने के बजाए प्रति-वर्ष बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। इस क्षेत्र में ऐसे पेशेवर गैंग भी काम करते हैं, जो छोटे-छोटे बच्चों का अपहरण करके उनका अंग-भंगकर देते हैं और उनसे भिक्षावृत्ति करवाते है। हम आये-दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि इन गैंग्ज के द्वारा बच्चे उठा लिए जाते हैं और गायब कर दिए जाते हैं और उनका कोई अता-पता नहीं चलता। दिल्ली के बारे में

रिपोर्ट है कि यहां पर 1979 में 5007 बच्चे गायब हुए और 1980 में यह संख्या बढ़कर 5799 हो गई। कलकत्ता की पुलिस की रिपोर्ट है कि वहां पर 1979 में 3431 बच्चे लापता हुए।

इनमें से अधिकांश बच्चे भिक्षावृत्ति में लगे हुए गैंग्ज के हाथों में पड़ जाते हैं। 16 मार्च को राज्य सभा में एक सवाल के जवाब में मंत्री महोदय ने बताया था :

> "अप्रैल, 1983 से फरवरी 1984 के दौरान बलिकाओं के निगरानी गृहों में 3028 बच्चे दाखिल किए गए हैं।"

साल भर में 3028 बच्चे होम फार गर्ल्ज में एडमिट हुए। इससे पता चलता है कि ये गैंग्ज एक सुनियोजित तरीके से हर वर्ष कितनी बड़ी संख्या में बच्चों को भिक्षावृत्ति में लगा रहे हैं।

बार-बार कहा जाता है कि भिक्षावृत्ति का देश में पूर्ण रूप में उन्मूलन किया जाए। पिछले वर्ष प्रधानमन्त्री ने भी बहुत दुख व्यक्त किया था कि कम से कम बच्चों के द्वारा भिक्षावृत्ति को रोका जाना चाहिए। लेकिन सरकार भिक्षावृत्ति के उन्मूलन के लिए कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि भिक्षावृत्ति का पूर्ण रूप से उन्मूलन करने के लिए सरकार क्या कानून बनाने जा रही है और क्या कार्यवाही करने जा रही है। मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें बताया है कि बैगर्स होम्स हमारे काम कर रहे हैं। लेकिन बैगर्स होम्स की जो दयनीय स्थिति है उसकी जितनी भर्त्सना की जाय वह थोड़ी है। वहां पर लोग भूखे रखे जाते हैं, कपड़े की व्यवस्था नहीं है, बीमारी में दवा वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए सड़कों पर भिक्षा मांगना या भूखे रहना उनको ज्यादा पसंद है बजाय बैगर्स होम में रहने के और यही वजह है कि आए दिन बच्चे वहां से भागते रहते हैं। अभी पिछली जनवरी 1983 की रिपोर्ट थी कि लापरवाही, भोजन और दवा वगैरह न मिलने की वजह से किंग्सवे कैम्प के बैगर्स होम में 50 लोगों की मृत्यु हुई और यह केवल दो महीनों नवम्बर और दिसम्बर के अन्दर हुई। यह दिल्ली की रिपोर्ट है।

इसके अलावा हमारे पास 26 फरवरी से 3 मार्च का "दिनमान" है जिसमें उत्तर प्रदेश के एक बैगर्स होम की चर्चा है। "जिस्म और जान की लूट" शीर्षक से यह पूरा आर्टिलल उसके ऊपर दिया है। इन बैगर्स होम को जिस्म और जान की लूट का केन्द्र कहा है। इसमें तमाम विस्तार से दिया हुआ है। विशेष तौर से दो भिक्षुक गृहों का जिक्र है। एक तो फैजाबाद जिले के अन्दर अयोध्या में जो भिक्षुक गृह चलाया जा रहा है उसकी क्या स्थिति है यह बताया है कि किस तरह से वहां अव्यवस्था है और दूसरे इलाहाबाद के भिक्षुक गृह के बारे में विस्तार से दिया हुआ है कि किस तरह की अव्यवस्था वहां पर चल रही है।

यहां दिल्ली में क्योंकि हमारी सरकार इस बात पर ज्यादा ध्यान देती है कि हमारी समस्याएं चाहे ज्यों की त्यों मौजूद रहें लेकिन विदेशियों की निगाहों में दिखाने के लिए कि हमारे यहां सब व्यवस्थित चल रहा है, कोई भूखा नहीं मर रहा है, इस प्रकार के दिखावे की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाता है इसीलिए 82 में एशियाड हुआ या नाम का आयोजन हुआ तो दिल्ली प्रशासन ने यह कोशिश की कि दिल्ली के अन्दर कोई भिखारी दिखाई न दे, इसलिए उनको पकड़ पकड़ कर कुछ को यहां लाया गया बैगर्स होम्स में और काफी संख्या में लोगों को बाहर के बैगर्स होम्स में भेजने का प्रयत्न किया गया। कुछ लोग फैजाबाद, इलाहाबाद और वाराणसी के अन्दर भेजे गए। इसमें कितनी लापरवाही बरती

जाती है इसका अन्दाजा आपको इसी से लग जायगा कि 12 दिसम्बर को 110 लोगों को जिनमें 40 महिलाएं भी थीं दिल्ली से रवाना किया गया और पहुंचने वालों की संख्या हुई 105।5 कहां रास्ते में मर गए या उनका क्या हुआ, कोई अता पता नहीं है। जनवरी, 1984 में अखबारों में निकला कि वहां पर बैगर्स होम्स में जो भिखारी रखे गए थे, शीत लहरी के कारण उनमें से कितने ही मर गए। 12 दिसम्बर को ये लोग भेजे गए, 13 दिसम्बर को फैजाबाद पहुंचे, 14 दिसम्बर को उनकी डाक्टरी जांच कराई गई। डाक्टर ने बताया कि 24 लोग बुरी तरह से बीमार हैं लेकिन कोई व्यवस्था उनके लिए कपड़े या खाने पीने की नहीं हुई जिसकी वजह से दिसम्बर के आखिरी पखवारे में नौ लोगों की मृत्यु हो गई लापरवाही और देख रेख न होने के कारण। ऐसी स्थिति में जब वहां पर हालत खराब है, खाने को नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता तो वह वहां से भागने का प्रयास करते हैं। इसमें ताज्जुब की बात है कि पिछली 14 मार्च को यहां पर योजना मन्त्री जी जब प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे तो उन्होंने आंकड़े देते हुए बताया कि 57 मिलियन लोगों को पिछले 1979-80 और 1980-81 में पावर्टी लाइन से ऊपर उठाया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन 57 मिलियन के अलावा भी, एक विशेष अनुमान के अनुसार देश में लगभग 50 लाख लोग ऐसे हैं जो पावर्टी लाइन के नीचे भिखारी रूप में विद्यमान हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जिनके पास न रहने के लिए मकान है, न कपड़ा है, न खाने की व्यवस्था है, दर-दर की ठोकरें खाते रहते हैं और दूसरों के सामने हाथ पसारते हैं, ऐसे 50 लाख भिखारियों की दशा में सुधार लाने के लिए आप कोई प्रयत्न क्यों नहीं करते, उनको ऊपर उठाने के बारे में विचार क्यों नहीं करते। एक तरफ तो आप 57 मिलियन लोगों को पावर्टी लाइन से ऊपर उठा देने का बयान देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है। उसको भी देखिए।

उपाध्यक्ष जी, अयोध्या के पास जो भिक्षुक गृह है, वहां पर लोगों की मरने जैसी स्थिति पैदा हो गई है। इलाहाबाद में बार-बार इसके खिलाफ आवाज उठायी जाती रही है। वहाँ पर एक भिखारी पर लगभग 100 रुपया खर्च किया जाता है, ताकि उसका भरण पोषण हो सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पावर्टी लाइन के नीचे लोगों की पर-हैड इन्कम लगभग 65 रुपये महीना है। उसके नीचे पावर्टी लाइन के लोग अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनको भूखा रखा जाता है, नंगा रखा जाता है, उनके लिए दवा इत्यादि की कोई व्यवस्था नहीं की जाती। बार-बार यह आवाज उठी और इलाहाबाद में उसकी जांच भी कराई गई जिसकी रिपोर्ट एक सितम्बर, 1983 को, वहां के एक मजिस्ट्रेट ने जांच करने के बाद, जिलाधिकारी को दी, जिसमें उन्होंने कहा कि वर्ष 1981-82 के विभिन्न विवरणों से स्पष्ट हो जाता है कि अधीक्षिका तथा जिला हरिजन अधिकारी द्वारा विधान सभा सदन तथा तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय को गुमराह किया गया, धोखा दिया गया और भरण-पोषण के नाम पर वित्तीय बजट आबंटन में गोलमाल किया गया और यह काम बड़े पैमाने पर चल रहा है। अपनी विस्तृत जांच में उन्होंने कहा है कि वर्ष 1977-78 और 1982-83 के बीच लगभग 73 हजार रुपये का इसमें गोलमाल हुआ है। उसमें जो लोग रखे जाते हैं, जैसे औरतें हैं, बच्चे हैं, उनका हर प्रकार से शोषण किया जाता है, उनसे अनैतिक कार्य कराए जाते हैं और उसकी शिकायतें बार-बार आती रहती हैं। हमारे किंग्जवे कैम्प में पिछली दो अप्रैल को एक घटना हुई थी ;

समाज कल्याण निदेशालय की देखरेख में एक बैगर्स होम वहां पर चलाया जा रहा है, जिसको रीसैटलमेंट कम क्लासिफिकेशन सैंटर भी कहते हैं, जहां पर शुरू में लोग लाये जाते हैं और उसके बाद उनको क्लासिफाई करके भिन्न भिन्न बैगर्स होम ले जाया जाता है। दो अप्रैल की प्रात: वहां एक घटना घटी और उस सैंटर की दयनीय स्थिति के बारे में पहले भी एक बार हमारे राम विलास पासवान जी ने चर्चा उठाई थी और कहा था कि पंजाब में जा रहे एक लेबरर को रेलवे स्टेशन पर पकड़ कर बैगर्स

होम में डाल दिया गया। इसी तरह से एक लक्ष्मी नाम की महिला, जिसकी उम्र 24 वर्ष की थी, कहा जाता है कि वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लैमन बेचने का काम किया करती थी, उसको 11 मार्च को रेलवे पुलिस ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पकड़ कर बैगर्स होम में भि वा दिया। वहां पर होना यह चाहिए था कि पहले उसकी जांच की जानी चाहिए थी, एक दो दिन में उसका फैसला हो जाना चाहिए था कि वास्तव में वह भिखारी है या नहीं। यदि वह वास्तव में भिखारी है तो उसको निसंदेह बैगर्स होम में भिजवा दिया जाना चाहिए। लेकिन उसको लगातार पन्द्रह दिनों तक जूडीश्यल कस्टडी में रिमाण्ड पर रखा गया और 15 दिनों बाद 29 मार्च को जब उसकी सुनवाई होनी थी तो उस दिन जांच अधिकारी नहीं पहुंचे और उसका परिणाम यह हुआ कि उसको फिर रिमाण्ड बढ़ा कर 15 दिन के लिए रख लिया जाता है। यानी उसको एक महीने तक इस तरह परेशान किया जाता है, यह तय नहीं हो पाता है कि वह वास्तव में भिखारी या नहीं। तो इस प्रकार से लापरवाही होती है। नतीजे के तौर पर आप देखिए कि उसकी कितनी दर्दनाक स्थिति है—24 साल की उम्र और दो छोटे-छोटे बच्चे और वह विधवा भी है लेकिन उसको भी यहां पर रखा गया। घर में उसके कोई है ही नहीं। बच्चों की ममता की वजह से वह जाना चाहती थी। जब वह नहीं जा पाई तो उसने भागने का प्रयास किया। इस प्रयास में वह भाग तो नहीं पाई लेकिन जो वहां के रक्षक थे, जोकि भक्षक बन गए हैं, उन दो रक्षकों ने उसको पकड़ लिया और उसके साथ कई बार बलात्कार किया और उसके बाद फिर होम में डाल दिया। बाद में उसने अपनी यह दर्द-नाक कहानी बतलाई।

उपाध्यक्ष जी, वहां पर इसी बात को तय करने में महीनों लग जाते हैं कि कोई भिखारी है या नही है। "दिनमान" में ऐसे एक दर्जन केसेज दिए हैं जहां वे वास्तव में भिखारी नहीं थे लेकिन उनको पकड़-पकड़ कर वहां डाल दिया गया और यह बात महीनों में तय हो पायेगी कि वे भिखारी हैं भी या नहीं। इसलिए तुरन्त ही इस बात का फैसला हो जाना चाहिए कि वह भिखारी है या नहीं है। अगर फौरन इसका फैसला होने की व्यवस्था रहती तो शायद लक्ष्मी के साथ ऐसा कुकर्म नहीं हो पाता। इसके साथ ही साथ अधिकारियों की लापरवाही से जो होता है उसके लिए उन पर कार्यवाही होनी चाहिए। आज भिक्षुक गृहों की हालत बड़ी दयनीय हो रही है। आज कुछ लोगों ने तो उसको आमदनी का जरिया बना दिया है। हमारे इलाहाबाद में तो कुछ राजनीतिक लोग भी उसमें शामिल हैं, मन्त्री तक शरीक है, पैसा लेते हैं। आप रिपोर्ट देखें कि किस प्रकार से हो रहा है। मैं समझता हूं ज्यादा भिक्षुक गृह बढ़ाने के बजाय भिक्षा वृत्ति का उन्मूलन करने का प्रयास होना चाहिए। भिक्षुक गृहों की वर्किंग कंडीशन्स ठीक करने की जिम्मेदारी भी सरकार के ऊपर है, केवल पैसा एलाट कर देने की ही जिम्मेदारी नहीं है।

आजकल तो देखने में यह आता है कि कार्यपालिका का काम न्यायपालिका ने सम्हाल लिया है, उसको अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करने लगी है। उनके आदेश से वह काम किए जा रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार भिक्षा-गृहों में फैली अव्यवस्था की जांच करने के लिए हर क्षेत्र के लोगों को शामिल करके एक कमेटी का गठन करे जोकि इस समस्या का हर पहलू से अध्ययन करे और सुधार करने के सुझाव दे तथा यह भी बताए कि भिक्षुओं को किस प्रकार से रचनात्मक कार्यों में लगाया जा सकता है? इन सारी बातों पर वह कमेटी अपनी विस्तृत रिपोर्ट दे और सरकार उस पर अमल करे।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इन सारी समस्याओं पर क्या कर रही है, यह बतलाने की कृपा करे।

श्री पी० के० थुंगन : महोदय, माननीय सदस्य ने अपने भाषण में मुख्यत: तीन मुद्दों को सम्मिलित किया है। एक, बच्चों को लंगड़ा-लूला और अयोग्य बनाने के बारे में है। मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहता हूं कि इस संबंध में कार्यवाही एक अन्य अधिनियम अर्थात् बाल अधिनियम के अन्तर्गत की जाती है अत: यह इस विषय की परिधि में नहीं आता। दूसरा मुद्दा माननीय सदस्य ने भिक्षुक-गृहों में भिखारियों की स्थिति सुधारने के बारे में उठाया है। इस बारे में मैं मुख्य वक्तव्य में ही बता चुका हूं कि हम क्या करने जा रहे हैं। फिर भी, इस बारे में मैं कुछ और कहना चाहूंगा। भिक्षुक गृहों में हमने रहने और खाने-पीने की मुफ्त व्यवस्था की है। कतिपय व्यवसायों में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी है ताकि गृह में ठहरने की अवधि समाप्त होने के बाद वे कोई व्यवसाय अपना सकें या कोई काम कर सकें।

इन गृहों में खाने की सुविधा का जहां तक संबंध है, माननीय सदस्य यह जानकर प्रसन्न होंगे कि दिल्ली में प्रत्येक भिखारी को दैनिक आहार में निम्नलिखित सामग्री दी जाती है और निम्नलिखित वस्त्र भी दिए जाते हैं :

दैनिक आहार

आटा	470 ग्राम
चने	30 ग्राम
दालें	85 ग्राम
सब्जियां	250 ग्राम
नमक	15 ग्राम
मसाले	5 ग्राम
सरसों का तेल/वनस्पति घी	20 ग्राम
जलाऊ लकड़ी	350 ग्राम
चीनी	40 ग्राम
चाय के लिए दूध	40 ग्राम
चाय पत्ती	3 ग्राम
पका हुआ मूंगफली का तेल	30 ग्राम

वस्त्र

कुर्ते	4 प्रति वर्ष

पायजामे	4 प्रति वर्ष
कच्छे	4 प्रति वर्ष
बनियान	4 प्रति वर्ष
तौलिए	2 प्रति वर्ष
चप्पल	2 जोड़े
कम्बल	1 प्रतिवर्ष
जर्सी	1 प्रति तीन वर्ष
खेस	1 प्रति वर्ष
चद्दर	2 प्रतिवर्ष
दरी	1 प्रति वर्ष

यह व्यवस्था है और इसके अनुसार उन्हें सामान मिलना चाहिए···(व्यवधान) हम ये सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं।

माननीय सदस्य ने पूछा है कि भिक्षा प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए और भिक्षुक गृहों में सुधार लाने के लिए सरकार कौन से कानून बना रही है। इस सम्बन्ध में दिल्ली में 1961 में मुम्बई भिक्षा निवारण अधिनियम लागू किया गया था। इसके पश्चात् 15 राज्यों ने ऐसे ही अधिनियम बनाए और दो संघ शासित क्षेत्रों दिल्ली और गोवा, दमन और दीव ने भी आवश्यक कानून बनाए। परन्तु अन्य कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रकार के अधिनियम नहीं बनाए हैं। हम उनसे आग्रह करते आ रहे हैं और लिखते भी आ रहे हैं। शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री ने राज्यों को इस बारे में लिखा है। मन्त्रिमण्डल सचिव, सचिव, समाज कल्याण ने भी उन्हें लिखा है। हम मामले का अनुसरण कर रहे हैं।

दूसरी ओर, हम समाज कल्याण मन्त्रालय के अनुसंधान कार्यक्रम के माध्यम से दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, तिरुपति, अजमेर, आदि जैसे कतिपय शहरों में समस्या का अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। इन स्थानों पर पहले ही कुछ सर्वेक्षण किए जा चुके हैं। अध्ययन पूरा करने के बाद सभी संघ शासित क्षेत्रों के लिए नमूने के तौर पर एक अधिनियम बनाया जाएगा जिसे आदर्श मानकर सभी राज्य अपने-अपने राज्य में अधिनियम बनाने के लिए एक नमूने के तौर अपनाएंगे।

माननीय सदस्य ने एक अन्य पहलू उठाया है जो किंग्सवे केम्प केन्द्र की हाल की घटना के बारे में जो अभिरक्षा गृह (रिमांड होम) में हुई है।

इससे और अधिक स्पष्ट करने के लिए माननीय सदस्य ने बताया है कि श्रीमती लक्ष्मी नामक एक महिला को गिरफ्तार किया गया। उसे दिल्ली मेन रेलवे पुलिस स्टेशन द्वारा 11 मार्च, 1984 को

गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उसे पुलिस की हिरासत में दे दिया गया। उसे 12 मार्च, 1984 से 29 मार्च, 1984 तक पुलिस की हिरासत में रखा गया। उस दिन सुनवाई होनी थी परंतु उसे गिरफ्तार करने वाला पुलिस निरीक्षक न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। इसलिए हिरासत की अवधि को और आगे बढ़ा दिया गया। उसे 12-4-84 तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया गया।

(व्यवधान)

श्री पी० के० थुंगन : न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी बिल्कुल स्पष्ट है। एक बार यदि वे सम्बन्धित व्यक्ति जिनके बयान लिए जाने हैं न्यायालय में उपस्थित नहीं होते तो न्यायालय के पास अवधि बढ़ाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रहता है। फिर भी, आप देखेंगे कि बढ़ाई गई अवधि अधिक नहीं है।

(व्यवधान)

इसके बाद 1 अप्रैल की रात को उसने अभिरक्षा गृह(रिमांड हाऊस)से भाग निकलने का प्रयास किया। वह वास्तव में दीवार कूद कर बाहर चली गई थी। तत्पश्चात् अभिरक्षक (केयर टेकर) ने वहां उपस्थित होम गार्ड को तत्काल इसकी सूचना दी और अन्दर रहने वालों का ध्यान रखने के लिए कहा। इस प्रकार अगले दिन प्रातः चार बजे उसे वापस लाया गया। इसके बाद उसने आरोप लगाया कि उसके साथ दुर्व्यहार किया गया है। लगभग 11.45 पर उसका बयान लिया गया है। बयान में उसने आरोप लगाया कि कुछ होम गार्डों ने उसके साथ बलात्कार किया है। इसकी सूचना तत्काल केयर टेकर द्वारा अधीक्षक को दी गई। अधीक्षक ने तत्काल दिल्ली समाज कल्याण निदेशालय को सूचित किया। समाज कल्याण निदेशालय, दिल्ली प्रशासन की सलाह पर पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। तहकीकात चल रही है।

मुझे आशा है, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० अजीत कुमार मेहता और श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री यहां उपस्थित नहीं है। अब श्री राम विलास पासवान।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष जी, मैं आप का और अध्यक्ष महोदय का बहुत शुक्रगुजार हूं, आप ने इतने महत्वपूर्ण प्रश्न को सदन में उठाने का मौका दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को कालिंग एटेन्शन के रूप में मैंने क्यों इस सदन में उठाने का प्रयास किया है ? यदि आप इसकी पृष्ठभूमि में जायेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा···

मैं लगातार दो साल से इस तथाकथित बैगर्स होम, जिसका बहुत अच्छा नाम है—"सेवा कुटीर" के पीछे पड़ा हुआ हूं और पहली बार मैं इस सम्बन्ध में आज से एक साल पहले होम मिनिस्टर साहब से मिला था और यह मेरे पास ता० 15 अप्रैल से 21 अप्रैल का "रविवार" है जिसमें विस्तार से इसके बारे में निकला है। इसलिए मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदया—श्रीमती शीला कौल और हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब, दोनों इसको पढ़ने का कष्ट करें। इसमें लिखा है कि दिल्ली प्रशासन की नजर में सभी गरीब भिखमंगे हैं। यह रविवार में श्री उद्यन शर्मा का लेख है। "नव भारत टाइम्स" 30 मार्च,

1984 का है, उसमें आपने पढ़ा होगा, जिसका हैडिंग दिया था श्री दीनानाथ मिश्र ने—"कहानी शुरू होती है प्लेटफार्म नम्बर 13 से और जाती है जेल।"

इसी सदन में नियम 377 के अधीन भी मैंने यह मामला उठाया था। उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार या दूसरे गरीब राज्यों से तो लोग जाते हैं हरियाणा, पंजाब कमाने के लिए तो दलाल लोग पहले से ही उनके पीछे लग जाते हैं। दलाल उनको कह देते हैं कि तुमको टिकट लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब कर लेंगे। हम तुमको अपने साथ ले जाएंगे। तुमको वहां सारा काम मिल जाएगा। इसके बाद जहां उनको बाउंडेड लेबर रखना होता है, वहां पर स्टेशन पर उन को बिना टिकट पकड़ लिया जाता है। उसके बाद जो दलाल होता है वह कहता है कि तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, हमारी जान पहचान है, तुमको जमानत पर छुड़ा लिया जाएगा। वहां से कोई आदमी आता है और उनको छुड़ा कर ले जाता है। उसके बाद साल-दो-साल उससे बाउंडेड लेबर की तरह काम लिया जाता है। इसमें सब मिले रहते हैं। यह कहानी यहां खत्म होती है।

कुछ लोग हरियाणा, पंजाब कमाने के लिए चले जाते हैं और साल-दो-साल के बाद जब वे कमा-कर लौटते हैं तो पुरानी दिल्ली स्टेशन पर उनको रोक लिया जाता है। पुलिस मिली रहती है। उनका टिकट लेकर फाड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि यह जाली टिकिट है। मैं मन्त्री महोदय को बताना चाहता हूं कि 90 प्रतिशत केस पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के ही हैं। वहां पर एक गैंग काम कर रहा है, जिसमें पुलिस के लोग भी मिले हुए हैं। उसको वहां से ले जाते हैं और जो कुछ कमाकर वह हजार, 5 सौ रुपया लाया होता है, उससे छीन लिया जाता है। पकड़ कर उसको वैन में ले जाते हैं, वहीं उसका पैसा छीन लिया जाता है। फिर उसको मारा-पीटा जाता है। आपने जिसको स्वागत कक्ष कहा है, वहां उसका स्वागत किया जाता है। अगर वह स्वागत कक्ष है तो वह मन्त्री महोदय को ही मुबारक हो। वहां पर लोगों के हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। मन्त्री महोदय कभी स्वयं भिक्षुक बनकर वहां जाकर देखें।

श्री पी० के० थुंगन : मैं गया था देखने के लिए। (व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : उस स्वागत कक्ष में ले जाया जाता है। पैसा तो पुलिस छीन ही लेती है, इसलिए इस बदनामी से बचने के लिए उसको बैगर्स होम में भेज दिया जाता है। आपने बताया है कि वहां पर इतने जोड़े चप्पल दिया जाता है, कपड़ा दिया जाता है, ये दिया जाता है, वह दिया जाता है, इसके बारे में दो उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि उसके साथ क्या-क्या होता है।

मेरे गांव में बगल का एक हरिजन, उसका नाम था मेघूसदा। वह 1982 में काम करने के बाद पंजाब से आ रहा था और जब लौटकर आ रहा था तो उसकी जेब में पैसे थे। वह पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आया। उसकी टिकट पुलिस ने लेकर फाड़ दिया और कह दिया कि यह जाली टिकट है। उसको ले जाकर वैन में बैठा दिया। उसने बताया कि वहां पर 15-20 आदमी पहले से बैठे हुए थे। उसके बाद उसको स्वागत कार्यालय में ले गए। उसका सब पैसा छीन लिया गया। जब उसने प्रोटेस्ट किया तो उसको मारा-पीटा गया। एक सप्ताह तक लाक अप में रखा गया। पता नहीं यह कौन सा लाक अप है, भगवान जाने। उसके बाद उसको बैगर्स होम में डाल दिया गया। उससे एक साल तक मजदूरी करवाई गई बाउंडेड लेबर की तरह। आपने बताया है कि सी० पी० डब्ल्यू० डी० आदि के अन्तर्गत काम कराया जाता है, लेकिन यह नहीं बताया कि छोड़ने के समय पैसा दिया जाता है या नहीं। उससे काम करवाया गया और काम करने के बाद वह निकला अक्तूबर 1983 को दशहरे के समय। उस समय जब

वह जेल में पहुंचा था तो एक राम विलास पासवान नाम का दूसरा आदमी भी वहां पकड़कर बन्द किया गया था। उसका नाम भी मेरी तरह ही राम विलास पासवान है।

उस आदमी से मेघूसदा की मुलाकात हो गई। राम विलास पासवान से उसने कहा कि तुम कुछ बोलना नहीं, वरना तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। उसके बाद उसको कहा कि मैं तुम्हारे घर पर खबर कर दूंगा। एक साल के बाद जब मेघूसदा निकल कर गया तो उसके घर पर पहुंचा। वह राम विलास पासवान के गांव के बगल का ही था। जान पहचान थी। वहां पहुंचकर उसने लोगों को बतलाया कि तुम्हारा भाई अमुक जगह पर बन्द है। उसके बाद, उसके परिवार के लोगों को लेकर के मेरे पास आया। उसको लेकर मैं श्री पी० सी० सेठी, गृह मन्त्री से 19 या 20 अक्तूबर को मिला। मैंने उनसे कहा कि अमुक नाम का आदमी बन्द है। उन्होंने, पुलिस कमीश्नर श्री टंडन को टेलीफोन पर कहा कि इस मामले को आप गम्भीरता से लें। मैंने सब लोगों को पत्र लिखे और फिर प्रैस कांफ्रेंस बुलाई। मैंने कहा कि मेघुसदा, मेरे साथ है, जिसको बेगर्स होम में रखा गया था। प्रैस ने उस पर पूरा कवरेज दिया। मुझे उम्मीद है, मन्त्री जी वहां जरूर गए होंगे। इसके बाद भी किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं हुई। भगत जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मार्च के महीने में मैं स्वयं किंग्सवे कैम्प में गया। वहां, श्री वर्मा, सुपरीनटेंडेंट और श्री मोहन सिंह या मोहर सिंह नाम के डिप्टी सुपरीनटेंडेंट हैं। मैंने उनसे कहा कि यहां पर राम विलास पासवान नाम का आदमी बन्द है। एक-डेढ़ घन्टे तक मैं वहां बैठा रहा। तब, उन्होंने कहा कि हां, यहां पर इस नाम का आदमी है। होम मिनिस्ट्री और पुलिस कमीश्नर ने तो छह महीने तक पता ही नहीं किया। लेकिन, एक संसद् सदस्य, जिसके पास कोई जानकारी ही नहीं है, वह वहां पहुंच गया। डायरेक्टरी से ढूंढ़कर मैंने मालूम किया कि किंग्सवे कैम्प में बैगर्स होम चलता है। उन्होंने बताया कि वह काम पर गया हुआ है और शाम के छह बजे तक लौटेगा। मार्च का महीना था और पार्लियामेंट का अधिवेशन चल रहा था, इसलिए मेरे लिए वहां बैठना मुश्किल था। मुझे बताया गया कि छुड़वाने के लिए एक हजार रुपए लगेंगे। मैंने कहा कि मैं जमानत देने के लिए तैयार हूं। मुझे अगले दिन एक बजे आने के लिए कहा गया। जब मैं दूसरे दिन एक बजे पहुंचा तो मुझे कहा गया कि मजिस्ट्रेट उठकर चला गया है। वहां पर पूरा सैट-अप है क्योंकि मजिस्ट्रेट और वकील सभी हैं। उसके बाद आठ तारीख को मैं जमानत करवाकर उसको अपने घर पर ले आया। जब, नियम-377 के अन्तर्गत मैंने इस मामले को उठाया था तो सोचा था कि मन्त्री जी इसका जवाब देंगे। लेकिन, मन्त्री जी तो कहते हैं कि वहां पर तो खाना, कपड़ा वगैरह सब कुछ मिलता है। एक साल तक रखने के बाद मेघूसदा को एक भी पैसा नहीं दिया गया। आते समय उसको एक अन्डर-वियर और जो पुराना गंजी था, वह दिया गया। उसको अपने कपड़े भी नहीं दिए गए। पासवान को जब छोड़ा तो सिर्फ उसको कपड़े दिए गए। जब मैं गया था तो मेरे साथ जर्नलिस्ट तथा दूसरे लोग भी थे। जिस आदमी को छुड़ाने के लिए एम० पी० जाए और यह कह दिया जाए कि यहां एक भी पैसा मजदूरी नहीं मिलेगी, तो आप किस प्रकार की मदद कर सकते हैं? मैंने अपनी जेब से 80 रुपए का टिकट लेकर, एक महीने के बाद उसको घर भेज दिया। तमाम समाचार पत्रों और मैगजीन्स ने उसका इन्टरव्यू लिया। उस आदमी ने मुझे बताया कि वह सेवा कुटीर नहीं बल्कि डंडा कुटीर है। महीने में पांच-दस लाश वहां से निकलती ही रहती हैं। किसी न किसी तरीके से मार दिया जाता है। आपने महिला के सम्बन्ध में कहा है कि वह दीवार के ऊपर से कूदकर भाग रही थी।

1.00 म० प०

आप महिला मन्त्री है, महिला प्रधानमन्त्री हैं। क्या आपको इतना भी कर्टसी नहीं होती कि

आप उसका पता लगाने का काम करें कि वह कौन भिखमंगी महिला थी, उसको क्यों जबर्दस्ती पकड़कर बन्द कर दिया गया। यदि वह वास्तव में कोई भिखमंगी महिला थी तो उसके साथ क्यों जबर्दस्ती बलात्कार किया गया। और बलात्कार करने वाले के खिलाफ आप कोई स्टर्न एक्शन न लेकर मन्त्री महोदय यहां, अगर-मगर लगाकर जवाब दे रहे हैं। इसलिए मेरा चार्ज है कि वहां पर कितनी कैपेसिटी है, वह तो आप बतलायेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वहां लगभग 5 हजार निर्दोष लोग बन्द हैं। वे सब के सब मजदूर हैं। आपने दिल्ली की सफाई के नाम पर, नाम और एशियाई खेलों के नाम पर गरीबों की हत्या की है और यह सरकार हत्यारी सरकार से कम नहीं है, जिसने गरीबों को बसाने के नाम पर, उनका पुनर्वास करने की बजाए, उनको रोजगार मुहैया करने की बजाए आपने लेजाकर जेलों में बन्द कर दिया और वह तो जेल से भी ज्यादा बहतर जगह हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर एक केन्द्र बना हुआ है। वहां पर राम विलास पासवान नाम का एक व्यक्ति पकड़ कर लाया जाता है, वह कहता है कि मेरे गांव के एक एम० पी० हैं, उनका नाम भी राम विलास पासवान है, आप उनको जाकर यह खबर कर दीजिए। पहले तो उससे पूछा जाता है कि वह एम० पी० कहां रहते हैं, जब वह कहता है कि हमें नहीं मालूम, तो जितनी बार वह एम० पी० का नाम लेता है, उतने ही डण्डे उस पर पड़ते थे। अभी रविवार में एक कहानी दी है कि 24 जनवरी को जब निजामुद्दीन से भिखारियों की धरपकड़ हो रही थी तो उनमें एक पेन्टर साबिर सिद्दीकी को भी भिखारी मान कर पकड़ लिया गया उसके अगले दिन उसके घरवालों ने बड़ी मुश्किल से उसको छुड़ाया। इसी तरह एक हसीना नाम की बुढ़िया जो चारपाई पर बैठी धूप सेंक रही थी, उसको भी पकड़ लिया गया। इस तरह के न जाने सैंकड़ों केस होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने दिल्ली की नाक के नीचे जो बैगर्स होम बनाया है, सेवा कुटीर बनाई है, यह गरीब लोगों की गरीबी के साथ मजाक किया जा रहा है। हमारे साथी अभी ठीक कह रहे थे कि इस योजना के अन्तर्गत यदि आप सचमुच में भिक्षावृत्ति को रोकना चाहते हैं तो इस धन्धे को बन्द कीजिए। वैसे आप चाहे पच्चीस सूत्री योजना बनायें या पचास सूत्री योजना बनायें, उससे इन लोगों का भला होने वाला नहीं है, वे अपना जीवन यापन अच्छी तरह से नहीं चला सकते हैं। मेरी सरकार से मांग है कि सरकार यह पता करने के लिए एक पार्लियामेंटरी कमेटी का गठन करे। वह 5-10 आदमियों की कमेटी, जितने हमारे वहां लोग बन्द हैं, उनका इन्टरव्यू सीक करे। उनके परिवार वालों की खबर करे और जितने लोग बैगर्स होम में बन्द किए गए हैं, उनका पता लगाये। क्यों कि जो इन्सान बैगर नहीं है, इस सरकार ने उनको बैगर बनाकर जेलों में बन्द कर दिया है, बैगर्स होम में बन्द कर दिया है। यह कोई लाख या दो लाख लोगों की समस्या नहीं, कुछ लोगों की समस्या है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि एक पार्लियामेंटरी कमेटी का गठन किया जाए, यह कोई पोलिटिकल मामला नहीं है, इसमें आप की कोई बहुत बड़ी बदनामी नहीं होने वाली है, यह केवल प्रशासन में सुधार करने का कार्य है, इसलिए अविलम्ब वह कमेटी बनाइये।

अभी हमारे एक साथी ने कहा कि देश में लगभग 55 लाख भिखमंगे हो गए हैं, यह देश भिखमंगे का देश हो गया है। एक तरफ हम कहते हैं कि देश आर्थिक स्वावलम्बन की ओर जा रहा है, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, क्योंकि यहां पर दो मामले हमारे नोटिस में आये और उन दोनों मामलों का असर हमारे देश पर इतना गहरा पड़ा है कि यदि मैं उस व्यक्ति को नहीं छुड़ाकर लाता तो पता नहीं छः महीने तो क्या, 6 साल तक भी न छूटता।

दूसरी ओर उनमें क्या होता है कि प्रत्येक आदमी को ग्यारह रुपये प्रति दिन के हिसाब से मजदूरी दी जाती है। लेकिन उस मजदूरी से तीन आदमियों को फायदा पहुंचता है। पहले तो जो पुलिस

उनको पकड़ती है, उनको फायदा होता है कि जितने पैसे उसकी जेब में होते हैं, उनको पुलिस वाले झाड़ लेते हैं। दूसरा फायदा वहां पर जो आफिसर होता है, उसको होता है। यदि उसमें पांच हजार लोग बन्द हैं, तो औसतन यदि एक हजार आदमियों को भी मान लीजिए, यदि केवल एक हजार लोगों को ही काम पर लगाया जाता है तो ग्यारह हजार रुपए उस आफिसर की नैट इन्कम हो जाती है। खाने-पीने और दवा-दारू की बात तो दूर रही। वैसे आप कहते हैं कि उनके लिए अस्पताल हैं, बैड शीटस हैं, लेकिन मैं जानता हूं जेल से भी बदतर हालत वहां पर है। इसलिए मैं आपको सीधे कहना चाहता हूं कि आप इधर-उधर की बातों में न जाकर, आपके पास जो चिटें लिखकर के आई हैं, आप उनको पढ़ने का काम मत कीजिए। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो एक लाइन में कहिए कि जो घटनाएं वहां घट रही हैं, उसके सम्बन्ध में एक पार्लियामेंटरी कमेटी नियुक्त करते हैं, या कोई भी दूसरी कमेटी गवर्नमेंट नियुक्त कीजिए और उसमें एक, दो पार्लियामेंट के मेम्बर रहें, चाहे आप अपनी ही पार्टी के मेम्बर रखिए। जहां आज ये सारे कुकर्म और अत्याचार हो रहे हैं, उनकी जांच करवाइए, यही मेरी मांग है।

यदि आपके पास लिस्ट हो तो बतला दीजिए कि पिछले एक साल में कितने लोगों की मृत्यु बेवसों में हुई है और कारण क्या है? आप इसे पढ़ेंगे तो साफ मालूम होगा कि एक अन्धा लाश से टकरा गया, 3 दिन लाश पड़ी रही, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की, कोई उठाने वाला नहीं था। रिपोर्टर वहां जाता है, कम्पलेंट करता है तो उस लाश को फिर फेंका जाता है। यह रविवार का अंक है और 30 तारीख का नवभारत टाइम्स है, इसमें पूरी कहानी है, यदि आपके पास हो तो कहिए नहीं तो मैं आपको भिजवा दूंगा, आप इसके मुताबिक कीजिए।

मैं यह मांग करूंगा कि हजारों लोग जो कि निर्दोष हैं, इन अत्याचारों के शिकार न हों, जीवन रहते मौत के गर्त में न जायें, इसके लिए कर सकते हों तो एक कमीशन, पार्लियामेंटरी कमेटी या कोई परमानैण्ट कमेटी नियुक्त कीजिए। यह भी बताइए कि क्या कोई कमेटी ऐसी है जो वहां जाकर देखती है? अगर आप पार्लियामेंटरी कमेटी नियुक्त करने को तैयार हों तो मैं निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूं कि उसमें आपको फायदा होगा। आप इसे मुकर्रर कीजिए और इस बारे में साफ जवाब दीजिए।

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय पासवान जी ने बहुत सारी बातें सदन के सामने कही हैं और इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी इकट्ठी की है। हम ऐसा ही चाहते हैं। हमारे सदस्य हमारी आंखें और कान हैं, वह ऐसे विषयों पर अगर ज्यादा ध्यान दें तो हमारे समाज का बड़ा कल्याण हो सकता है। बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो कि अकेले एक दफ्तर हल नहीं कर सकता है, इसमें समाज का सहयोग होना बहुत जरूरी होता है। इस वक्त अकेले माननीय सदस्य के नाते उन्होंने इतनी तकलीफ नहीं की, लेकिन उनके दिल में जो भावनाएं हैं, उन्होंने इनको मजबूर किया कि इन चीजों को देखें।

हमारे यहां वालेन्टियरी आर्गेनाजेशन्ज हैं, लेकिन वह बहुत कम हैं। यह जरूरी है कि हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग होने चाहियें जो हमें इन बातों की जानकारी दें। आफिशियल्स तो रोजमर्रा का काम करते हैं।

मैं माफी चाहती हूं, मैं एक जगह फंस गई थी, यहां नहीं आ सकी, इसलिए देर हो गई आने में, लेकिन मैं समझती हूं कि हमारे उपमन्त्री श्री थुंगन जी ने बताया होगा कि जो औरत थी, जिसको होम

गार्डज ने मिस-विहेव किया, वह पहली दफा बैगरी के लिए नहीं पकड़ी गई थी, लेकिन उसकी कहानी भी बड़ी गमजदा कहानी है।

वह एक अच्छे घर की लड़की थी, बाप अच्छा कमाते थे, लेकिन मां-बाप बचपन में गुजर गए थे। बड़े भाई बहन ने उसकी तरफ ध्यान नहीं किया। जिन बच्चों को इस तरह से खानदानी तरीके से फैमिली देखभाल नहीं करती है तो वह गुमराह हो जाते हैं। इसी तरीके से इस औरत की भी बड़ी दर्दनाक कहानी है।

वह एक दफा पहले पकड़ी गई थी, दोबारा फिर पकड़ी गई बैगरी करते हुए। जो कुछ उसके साथ हुआ होगा, वह थुंगन जी ने कहा होगा। यह जो महिला, जिसको कहते हैं कि जेठ ने उसको छुड़ा लिया, और जेठ ने उसके संग किया, क्योंकि वह किसी और के संग रहने लगी थी, यह पूरी जानकारी तो माननीय सदस्य के पास है। उनकी तरह मैं भी बैगर्ज होम में गई थी। मैंने देखा कि वहां पर जो होना चाहिए, वह नहीं था, क्योंकि उसके लिए पैसा चाहिए और पैसे की कमी हो जाती है। इसीलिए इस तरह की बातें होती हैं। अगर हम सब मिलकर इस बारे में सोचें, ज्यादा पैसा खर्च कर सकें और ज्यादा ध्यान दे सकें, तो इस स्थिति में सुधार हो सकता है। मैं तो यह सब काम करना चाहती हूं, लेकिन इसमें सब माननीय सदस्यों का सहयोग चाहिए, जो उन्होंने मुझे इस वक्त दिया है, जिसके लिए मैं उनकी बहुत आभारी हूं। माननीय सदस्य ने इस पर रोशनी डाली है कि किस तरह काम करने से सुधार हो सकता है।

लोग भिखारी क्यों बनते हैं ? माननीय सदस्य ने रामविलास पासवान का जिक्र किया है। भिखारी तीन-चार कैटेगरीज में आते हैं। एक तो बेचारे अपंग हो जाते हैं और उनके घर वाले कहते हैं कि जाकर भीख मांगो। दूसरे प्रोफेशनल बेगर्ज होते हैं। मैंने सदन में बताया था कि बैगर्ज का एक गैंग बनता है और यह उनका प्रोफेशन है। मैं लखनऊ शहर का बताती हूं कि वहां प्रो० सुशील चन्द्र ने इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, तो मालूम हुआ कि किस तरह से एक गैंग चारबाग स्टेशन पर काम करता था। प्रोफेसर खुद भिखारी बनकर उनके साथ रहे। उन्होंने बताया कि वहां एक फैमिली थी उसका चीफ या हैड ऊपर तो टाट के कपड़े पहनता था, लेकिन अंदर अच्छे गर्म कपड़े पहने रहता था। उसकी चार बीवियां और बच्चे थे और अच्छा खाना-पीना था। जब उसको मालूम हुआ कि वह प्रोफेसर हैं, तो वह उनकी जान के पीछे पड़ गया और वह अपनी जान बचाकर भागे।

जैसा कि मैंने कहा है, कुछ लोग डिसएबिलिटी की वजह से बैगर बन जाते हैं। बाजा दफा मां-बाप के मर जाने पर बच्चे डेस्टीट्यूट हो जाते हैं। जैसे हमारी आबादी बढ़ी है, वैसे ही इन लोगों की संख्या भी बढ़ी है। आपने सुना होगा कि छोटे बच्चों को गार्बज में डाल दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, यह भी हमको देखना है। अगर मैं या आप ऐसे बच्चों को न पालें, तो उन्हें कुत्ते खा जाएंगे। इस प्राबलम में वालन्टेरी आर्गनाइजेशन्ज को ज्यादा इनवाल्व करना चाहिए। कमेटी बनाने से क्या होगा ?—कमेटी से कुछ नहीं हो सकता।

श्री रामविलास पासवान : होगा। आप बनाइए।

श्रीमती शीला कौल : इसमें वालन्टेरी आर्गनाइजेशन्ज को इनवाल्व करना चाहिए और उनकी मदद लेनी चाहिए।

श्री रामविलास पासवान : वालन्टेरी आर्गनाइजेशन्ज तो और ज्यादा चोर हैं। वे तो खुद खाने में लगी रहती हैं।

श्रीमती शीला कौल : बहुत-सी आर्गनाइजेशन्ज काम करती हैं, जिनको इसमें दिलचस्पी है और जिनकी समाज कल्याण विभाग मदद करता है।

श्री रामविलास पासवान : निर्मला देशपांडे हरिजन सेवा संघ चला रही हैं। उनको हरिजनों में क्या दिलचस्पी है ? उनको खाली पैसा चाहिए। मन्त्री महोदय बैगर्ज होम की जांच करने के लिए एक कमेटी मुकर्रर कर दें। वह देखे कि निर्दोष लोग कैसे बैगर बनाए जाते हैं और कैसे उसको रोका जा सकता है। वालन्टेरी आर्गनाइजेशन्ज को एलने दीजिए। बैगर्ज होम में एक, दो, तीन हजार लोग हैं। एक जांच बैठाई जाए कि उन लोगों को किस स्थिति में रखा जाता है, क्या उपाय किए जाएं कि निर्दोष लोगों को बैगर न बनाया जाए और जो पैसा सरकार देती है, उसका सही यूटिलाइजेशन हो। मैंने रामविलास पासवान और मेघू सदा के दो उदाहरण दिए हैं। मैंने चैलेंज किया है कि अगर वे बैगर्ज हों, तो मुझे जो भी सजा दी जाए—रेजिग्नेशन, जेल—, मैं उसके लिए तैयार हूं। अगर उनको बैगर्ज कहकर बन्द किया है, तो किसने किया है, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

श्रीमती शीला कौल : नहीं, नहीं। मैं यह नहीं कहती कि आप किसी तरीके से गलत बात कह रहे हैं। मैं बिल्कुल ऐग्री करती हूं आप के साथ जो आप कह रहे हैं, लेकिन यह कहना कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी इसको तय कर लेगी या इसका फैसला कर लेगी वह नहीं हो पाएगा बल्कि एक और ज्यादा काम लाद दिया जायेगा इस तरह से पार्लियामेंट्री कमेटी के ऊपर···

श्री रामविलास पासवान : वह चेक होगा।

श्रीमती शीला कौल : वह इससे नहीं होगा। इसमें आप जाएं, जैसे आप गए थे, अपने साथियों को ले जाएं, औरों को ले जाएं और यहां बताएं···(**व्यवधान**)···

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी भाग नहीं ले सकता। कृपया बैठ जाइए।

श्रीमती शीला कौल : मैं तो यह समझती हूं कि पार्लियामेंट्री कमेटी हमें ज्यादा मदद नहीं कर सकेगी।

श्री रामविलास पासवान : महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मैंने एक स्पष्ट प्रश्न पूछा है।

मैंने कहा था, मेरा जो मुख्य मुद्दा था वह यह था कि निर्दोष लोगों को बैगर बनाया जाता है। इसके लिए सरकार के पास क्या मशीनरी है जिससे सरकार यह जज करती है कि यह बैगर है या नहीं ? आपका कानून है भिक्षा वृत्ति रोकने का। मेरा चार्ज है कि निर्दोष लोगों को बैगर बनाया जाता है। सरकार के पास क्या पैरामीटर हैं पता करने का कि वह बैगर है या नहीं। यदि वह बैगर है तो मैंने एग्जाम्पल दिया था मेघू सदा और रामविलास पासवान का, क्या सरकार उसके ऊपर जांच बैठाएगी, जांच करवाएगी, इसकी फैक्ट फाइंडिंग करवाएगी और बैगर्ज होम में जो करप्शन है उसकी कोई जांच होती है या नहीं ? अगर नहीं होती है तो कैसे सरकार उसके ऊपर वाच रखेगी, कैसे उसके अपने नियंत्रण में रखेगी ? इसके लिए सरकार के पास क्या मशीनरी है ?

श्रीमती शीला कौल : देखिए, आपने अभी बताया है कि इस पर सरकार क्या वाच रखेगी, तो जरूर वाच रखेगी। जरूर वाच रखा जाएगा।

(**व्यवधान**)

श्री रामविलास पासवान : मैंने कितनी मेहनत की है, उपाध्यक्ष महोदय, आप इसको हश अप मत कीजिए। दो केसेज मैंने पकड़े हैं। दो केसेज मैंने छुड़वाए हैं। उनके सम्बन्ध में आप जांच करवाएंगी? मेरे प्रश्न का क्या हुआ?

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी आपने कहा उस पर कार्यवाही की जायेगी और वे इसकी जांच करेंगे।

श्री पी० के० थुंगन : आपने यह सवाल उठाया कि बैगर है या नहीं, आपकी मशीनरी इसमें क्या करती है? कोई मशीनरी इसके लिए है या नहीं? उसके लिए तो मैं कहना चाहता हूं कि आपको कोर्ट के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट के द्वारा यह तय होता है। हमारे मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद कोर्ट कहता है कि यह सचमुच बैगर है या नहीं। जो बैगर नहीं है उसको छोड़ दिया जाता है।

श्री रामविलास पासवान : प्रतिवादी वकील कहां हैं? क्या वहां कोई प्रतिवादी वकील है?

उपाध्यक्ष महोदय : वे आपको प्रक्रिया बता रहे हैं। क्या आपको उनकी बात सुननी नहीं चाहिए?

श्री पी० के थुंगन : उन दो विशिष्ट मामलों के बारे में जिनका आपने उल्लेख किया है मेरे माननीय वरिष्ठ सहयोगी ने पहले ही कह दिया है कि हम श्री रामविलास पासवान और श्री मेघू सदा द्वारा उठाए गए मामलों की जांच कराएंगे।

श्री रामविलास पासवान : क्या आप इसके बाद सदन को सूचित करेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पासवान, उन्होंने कहा हैं कि वे इसकी जांच करेंगे और उत्तर प्राप्त करेंगे।

श्री रामविलास पासवान : कौन उत्तर देगा? मन्त्री महोदय या अधिकारी वर्ग?

उपाध्यक्ष महोदय : इसे आप विभाग पर छोड़ दीजिये। इसकी एक प्रक्रिया है।

श्री पी० के० थुंगन : उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि जब मैं कहता हूं 'हम इसकी जांच कराएंगे' तो हम सूचित भी निश्चित रूप से करेंगे। क्या आप प्रसन्न हैं? (**व्यवधान**)

1.20 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) देश में अवैध एवं जाली वित्त तथा बचत कम्पनियों की वृद्धि को रोकने की आवश्यकता

श्री चन्द्रपाल सैलानी (हाथरस) : उपाध्यक्ष महोदय, आजकल देश के विभिन्न भागों में सेविंग्ज, फाइनेन्स तथा चिटफण्ड कम्पनियों के नाम से अनेक अवैधानिक और फर्जी संस्थाएं कार्य कर रही हैं। इनके कार्यालय शहरों से लेकर छोटे-छोटे कस्बों तक में हैं। इन कम्पनियों का खुलना एक महामारी की तरह घातक सिद्ध हो रहा है, फिर भी अपनी पूंजी बढ़ाने के चक्कर में आम आदमी इन फर्जी कम्पनियों के चक्कर में पड़ जाता है और लुट जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि इन कम्पनियों द्वारा धन बढ़ाने का भारी प्रचार किया जाता है और लालचवश सीधे-सादे आदमी भारी संख्या में इनके खातेदार बन जाते हैं। जैसे ही पांच-दस लाख रुपया किसी कम्पनी के पास जमा हुआ वैसे ही एक रात को उस कम्पनी के दफ्तर में ताले पड़ जाते हैं और उसके कार्यकर्ता जमा पूंजी और कुर्सी-मेज उठाकर फरार हो जाते हैं। बताया जाता है कि इन फर्जी कम्पनियों की पुलिस से भी मिली-भगत होती है। अभी कुछ दिन पहले आजमगढ़ में एक कम्पनी ने भी ऐसा ही किया है।

(दो) कटक में केन्द्रीय विद्यालय संगठन को आवंटित किए भूखण्ड पर निर्माण कार्य करने हेतु उसे निदेश दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : नियम 377 के अन्तर्गत मैं निम्नलिखित वक्तव्य दे रही हूं :—

> "उड़ीसा सरकार ने कटक में केन्द्रीय विद्यालय के भवन के निर्माण हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन को 5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है। पट्टे पर दिए गए उस स्थल पर निर्माण आरम्भ करने की अपेक्षा संगठन ने 7 एकड़ अतिरिक्त भूमि के आवंटन की मांग की है। बाराबती दुर्ग (फोर्ट) के भीतर पहले से उन्हें आवंटित भूमि बहुत मूल्यवान भूमि है। उसी स्थल पर और अतिरिक्त भूमि उपलब्ध करना राज्य सरकार के लिए सम्भव नहीं होगा। कटक का केन्द्रीय विद्यालय फिलहाल ओल्ड सर्किट हाऊस में चल रहा है। इस तथ्य के अतिरिक्त कि आगन्तुकों और अधिकारियों के आवास के लिए ओल्ड सर्किट हाउस की अत्यधिक आवश्यकता है, केन्द्रीय विद्यालय इस भवन में अगले शैक्षिक सत्र से शुरू होने वाली और अन्य कक्षाओं की आवास व्यवस्था बड़ी मुश्किल से ही कर पायेगा। संगठन के रवैये से शहर के लोगों में असन्तोष उत्पन्न हो गया है। केन्द्रीय विद्यालय ने चेतावनी दे दी है कि यदि राज्य सरकार 31 मार्च, 1984 तक और अधिक आवास व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराती तो 1984-85 के दौरान कक्षा I में दाखिल नहीं किया जाएगा। जब तक केन्द्रीय विद्यालय के भवन का निर्माण नहीं किया जाता कटक केन्द्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटका रहेगा।"

इसको ध्यान में रखते हुए मैं शिक्षा मन्त्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि वे संगठन को राज्य सरकार द्वारा आवंटित प्लाट पर अविलम्ब निर्माण कार्य शुरू करने के लिए निदेश दें।

(तीन) दानापुर की रेलवे कालोनी में सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, दानापुर पूर्व रेलवे का डिवीजनल मुख्यालय है। वहां हजारों मजदूर काम करते हैं। रेलवे कर्मचारियों की अनेकों समस्याएं हैं जिनका समाधान निकालने की आवश्यकता है। एक बड़ी संख्या में रेल मजदूर क्वार्टरों में रहते हैं। परन्तु, रेलवे कालोनियों की सफाई असन्तोषजनक है। मच्छरों का साम्राज्य है। पानी निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं है। रेलवे अस्पताल की व्यवस्था भी असन्तोषजनक है। आवश्यक दवाओं की कमी है। बैडों की संख्या और बढ़ाने की जरूरत है। मर्द और महिला डाक्टरों की भी कमी है। सभी कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था नहीं है। पेय जल की उचित व्यवस्था नहीं है।

दानापुर के रेल कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए वहां कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं है, कोई उनके लिए कालेज भी नहीं है। उन्हें अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए पटना या अन्य स्थानों पर भेजना पड़ता है। अतः जरूरत है कि वहां केन्द्रीय विद्यालय और एक रेलवे कालेज खोलने की व्यवस्था की जाए।

अतः रेल मन्त्री से मेरा अनुरोध है कि वे इन समस्याओं के समाधान में योगदान देकर दानापुर के रेल मजदूरों के असन्तोष को दूर करें।

(चार) श्रीनगर हवाई अड्डे को वर्गोन्नत करके अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की आवश्यकता

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : नियम 377 के अन्तर्गत मैं निम्नलिखित वक्तव्य देता हूं :

"श्रीनगर हवाई अड्डे को वर्गोन्नत करके यदि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना दिया जाये तो यह न केवल कश्मीर की सुन्दर घाटियों में यूरोप और एशिया के सम्पन्न देशों से सैलानियों का यातायात जुटायेगा बल्कि समृद्ध अरब और खाड़ी के देशों की राजधानियों से भी सीधे सैलानी जुटायेगा। इसके अतिरिक्त इस हवाई अड्डे द्वारा फलों और विश्वप्रसिद्ध कश्मीरी हस्तशिल्प और कालीनों के भारी स्टाक को, जिनकी अनेक देशों में हमेशा मांग रहती है, निर्यात किया जा सकेगा। श्रीनगर हवाई अड्डे का सुधार इसलिए होना चाहिए क्योंकि यह देश में सैलानी व्यापार का एक मुख्य स्रोत होने के साथ-साथ इसके अन्य भू-भौतिक आयाम भी हैं। ऐसा करके और जम्मू और कश्मीर को दुनिया के सैलानियों के मानचित्र पर लाकर इसका युगों पुराना पिछड़ापन और इसकी जनता की निर्धनता को आसानी से हटाया जा सकता है। श्रीनगर में रेल की व्यवस्था भी नहीं है। इसके अतिरिक्त, श्रीनगर, जम्मू राष्ट्रीय राजपथ की सड़कें भी प्राकृतिक आपदा के कारण बन्द हो जाती हैं।

दुर्भाग्य की बात है कि सैलानी व्यापार के लिए श्रीनगर हवाई अड्डे के महत्व को अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं गया है। यह देश को आसान और सस्ती उड़ानों द्वारा ताशकन्द, मास्को, काबुल, इस्लामाबाद, पेशावर, तेहरान, बगदाद, मध्य पूर्व देशों से

जोड़ सकता है। जम्मू और कश्मीर जिसकी पर्यटन, फल, हस्तशिल्प की भारी क्षमताएं हैं अन्तर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन सुविधाओं की सहायता से देश के लिए और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकता है। सरकार को श्रीनगर हवाई अड्डे के महत्व को पहचानना चाहिए और उसका दर्जा बढ़ाकर इसे अविलम्ब अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाना चाहिए।"

(पांच) 'संगम एक्सप्रेस' रेलगाड़ी को सहारनपुर से चलाए जाने की आवश्यकता

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सहारनपुर-मुजफ्फरनगर के मुसाफिरों को जो इलाहाबाद जाना चाहते हैं, मेरठ आकर संगम एक्सप्रेस पकड़नी पड़ती है। कभी-कभी कनैक्टिंग ट्रेन को देर होने से सबब संगम ट्रेन मेरठ से छूट जाती है। जिसकी वजह से लोगों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरे कई बार से लिखने पर 1979 में संगम के बजाय मेरठ के सहारनपुर से स्टार्ट होने के आर्डर्स हो गए थे। मगर जब सहारनपुर में ट्रेन को चार घण्टे रुकने के लिए यार्ड नहीं था। मगर अब सहारनपुर में इस ट्रेन को रोकने की जगह है। अब इसमें किसी की परेशानी नहीं है। सहारनपुर-मुजफ्फरनगर से इलाहाबाद के लिए कोई दूसरी ट्रेन या जरिया-ए-सफर भी नहीं है। इसलिए सहारनपुर से अगर संगम एक्सप्रेस को चलाया जाए तो मेरठ और दूसरी जगह के लोगों को परेशानी भी नहीं होगी और सहारनपुर-मुजफ्फरनगर के लोगों को आसानी हो जाएगी। इसलिए संगम एक्सप्रेस को सहारनपुर से शुरू करना चाहिए।

(छः) पी० डी० आई० एल० सिंदरी के अभिकल्पन तथा इन्जीनियरी सम्बन्धी क्रियाकलापों को एक स्थान पर केन्द्रित करने की आवश्यकता

श्री ए० के० राय (धनबाद) : महोदय, पी०डी०आई०एल० सिंदरी के अभिकल्प, इन्जीनियरी और तकनीकी विशेषज्ञता को बड़ौदा और दिल्ली जैसे स्थानों पर विकेन्द्रित करने पर चिन्ता व्यक्त की गई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि सिंदरी एक मूल एकक है जो इसके वैज्ञानिकों, तकनीक-विदों और इन्जीनियरों के सामूहिक प्रयासों से कई वर्षों के पश्चात भारत का अग्रणी तकनीकी और इन्जीनियरी संगठन बन पाया है। इसने अनुसन्धान के लिए एक मजबूत आधारभूत सुविधाएं तैयार की हैं और तकनीकी तथा इन्जीनियरी विशेषज्ञता प्राप्त कर ली है तथा एक ही समय में दो से अधिक मुख्य उर्वरक परियोजना का अभिकल्प (डिजाइन) तैयार करने और उसे कार्यान्वित करने की क्षमता प्राप्त कर ली है। इसने हमारे देश में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त अनेक उर्वरक परियोजनाओं के डिजाइन और इंजीनियरी अंश सफलतापूर्वक पूरे किये हैं जैसे नंगल विस्तार, सिंदरी आधुनिकीकरण, नेवेली लिगनाइट, एच०एस०एल० रूरकेला, ट्रोम्बे मैथानोल, ट्रोम्बे वी० विस्तार, गोरखपुर विस्तार, रामागुण्डम और तलचर।

परन्तु डेनमार्क के हाल्डर टोपसो और इटली के मैसर्ज स्नमप्रोग्रेटी ने किसी प्रकार थाल और हाजिरा के लिए गैस पर आधारित परियोजनाओं के मुख्य ठेकेदार बनने का प्रबन्ध कर लिया। यह स्मरण किया जाये कि ट्रोम्बे वी० परियोजना के लिए स्नमप्रोग्रेटी यूरिया के वास्ते पी०डी०आई०एल० के उप-ठेकेदार थे तथा अमोनिया संयंत्र के लिए मुख्य ठेकेदार थे। थाल और हाजिरा संविदाओं के समय सरकार ने संसद में घोषणा की थी कि विशाल संयंत्रों के लिए विदेशी कम्पनियों को प्रदान किए गये अनुबन्धों के साथ-साथ प्रौद्योगिकी के भारत में स्थानांतरण के लिए भी अनुबन्ध किये गये ताकि भविष्य

में उपरोक्त प्रौद्योगिकी की सहायता से सभी संयंत्रों के डिजाइन स्वदेश में ही तैयार किए जाएंगे। अब भारत की जनता को यह अवश्य बताया जाना चाहिए कि गुना, जगदीशपुर और अनोला में गैस पर आधारित तीन परियोजनाओं के डिजाइन तैयार करने के लिए इटली की उसी फर्म को मुख्य अनुबन्ध प्रदान करने की दुबारा आवश्यकता क्यों हो गई जो कि और कुछ नहीं थाल और हाजिरा परियोजनाओं की मात्र नकल हैं।

इस समय आवश्यकता इस बात की है कि पी०डी०आई०एल० की डिजाइन बनाने और इन्जीनियरी सम्बन्धी गतिविधियों का एक स्थान पर केन्द्रीकरण कर दिया जाए ताकि सिंदरी में अनुसन्धान, प्रौद्योगिकी, इन्जीनियरी विशेषज्ञता और सहयोगी सुविधाओं के सम्बन्ध में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

पी०डी०आई०एल० के प्राधिकारी जो कारण दे रहे हैं वे हैं सिंदरी में संचार व्यवस्था की कमी और कार्यकारी वातावरण की कमी है। ये विश्वसनीय नहीं लगते क्योंकि पी०डी०आई०एल० ने सिंदरी से ही लगभग 16 मुख्य उर्वरक परियोजनाओं के डिजाइन तैयार किए हैं।

(सात) नेवेली लिग्नाइट निगम द्वारा चलाए जा रहे सभी स्कूलों के शिक्षकों तथा कर्मचारियों के वेतन में समानता लाने की आवश्यकता

डा० वी० कुलुनदईवेलु (चिदम्बरम) : महोदय मैं सदन और ऊर्जा मन्त्रालय का ध्यान नेवेली लिग्नाइट निगम द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों के अध्यापकों की चिंताजनक दुर्दशा की ओर तत्काल आकर्षित करना चाहता हूं, जिनके साथ, समान कार्य और दायित्व के बावजूद, वेतन के भुगतान के मामले में भेदभाव बरता जाता है और इसके परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों का शिक्षा स्तर गिर रहा है।

नेवेली परिसर में लगभग 26 स्कूल हैं और एन० एल० सी० के स्कूल की संख्या उनमें अधिक है। केवल एन० एल० सी० के स्कूलों से 16,500 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं और एन० एल० सी० लिमिटेड के संगठन के अन्तर्गत लगभग 570 अध्यापक हैं और इनमें से 364 को एन० एल० सी० के वेतनमान मिल रहे हैं और शेष 206 को राज्य सरकार के वेतनमान मिल रहे हैं जबकि उनके उत्तरदायित्व समान हैं और और पदों के नाम भी समान है। वेतनमान में इस प्रकार अन्तर होने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार के वेतनमान वाले समूह के अध्यापकों और स्टाफ के एक वर्ग में निरन्तर निराशा फैल रही है और मनोबल टूट रहा है। इसके अतिरिक्त उन्हें एन० एल० सी० के वेतनमान समूह वाले अध्यापकों को प्राप्त विशेषाधिकारों और लाभों से वंचित रखा जाता है।

समता लाने और समान स्तर बनाए रखने की दृष्टि से मेरा ऊर्जा मन्त्रालय से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि राज्य सरकार के अध्यापकों के वेतनमान अविलम्ब नेवेली में एन० एल० सी० द्वारा प्रबंधित स्कूलों के अध्यापकों के एन० एल० सी० के वेतनमान के बराबर लाये जायें।

(आठ) बीकानेर-दिल्ली मेल रेलगाड़ी के पश्चिम रेल के नापासार, श्री डूंगरगढ़ तथा राजलदेसर स्टेशनों पर रुकने को बहाल करने की आवश्यकता

श्री अजीत कुमार सारहा (विष्णुपुर) : महोदय मैं सदन का ध्यान रेल प्रशासन द्वारा बीकानेर दिल्ली मेल को पश्चिम रेल क्षेत्र के नेपासर, सुदासर, श्री डुंगरगढ़ और राजलदेसर स्टेशनों पर न रोकने

के निर्णय से उभरी गंभीर स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। पिछले 72 वर्षों से यहां गाड़ियां रुकती रही हैं और इन स्थानों के लोग मद्रास, बम्बई, कलकत्ता और असम की ओर यात्रा करने की सुविधाओं का लाभ उठाते रहे हैं। रेल प्रशासन के इस अचानक निर्णय ने इस क्षेत्रों के हजारों लोगों को असीम कष्ट हो रहा है। गाड़ियां दुबारा से रुकवाने के लिए यात्री संघ द्वारा प्राधिकारियों को मनाने के प्रयत्न विफल हो जाने के पश्चात् लोगों के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं रह गया कि वे 31-3-1984 से ऊपर उल्लिखित रेल स्टेशनों की पटरियों पर शांतिपूर्ण धरना दें। लोगों को वाजिब मांगें मान लेने की बजाय प्रशासन ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस की सहायता लेना ही पसन्द किया। लाठी चार्ज के कारण लगभग 400 प्रदर्शनकारियों के घायल होने की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इन घटनाओं की रिपोर्टें राजस्थान के अनेक स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई हैं। मैं रेल मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वे सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए नापासर, सुदासर, श्री डूंगरगढ़ और राजलेदसर स्टेशनों पर दिल्ली बीकानेर मेल गाड़ी दूबारा से रुकवाने के लिए तत्काल आदेश जारी करें। ऐसा न करने की स्थिति में उपरोक्त स्थानों के लोगों द्वारा व्यापक आंदोलन भड़काया जा सकता है।

(नौ) साबरमती तथा अहमदाबाद के बीच चलने वाली 49-डाऊन तथा 50 अप रेल-गाड़ियों को कड़ी तक बढ़ाने की आवश्यकता

श्री मोती भाई आर० चौधरी (मोहसाना) : उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिम रेलवे में 49 अप तथा 50 डाउन गाड़ी जो साबरमती और अहमदाबाद के बीच चलाई जा रही है, इनको आगे कलोल और कड़ी तक चलाने की मांग सालों से हो रही है। कड़ी और अहमदाबाद के बीच सालों से कोई एक नई गाड़ी शुरू नहीं हुई है। अब ये गाड़ी को कलोल तक आगे ले जाने का सोचा जा रहा है। कलोल से नजदीक में दूसरा तहसील का मुख्यालय कड़ी है। स्वतन्त्रता के बाद कलोल और कड़ी विस्तार का काफी विकास हो रहा है नये। औद्योगिक क्षेत्र बने हुए हैं। इस क्षेत्र में कुदरती वायु मिलने की वजह से पिछले दो तीन साल में कई छोटे-मोटे उद्योग लग चुके हैं और नये-नये उद्योग लग रहे हैं। इन कारखानों में काम करने के लिए आने वाले कामगार लोगों के लिए और दूसरे लोग भी इस क्षेत्र का जो विकास हुआ है, इनकी वजह से यातायात में भी काफी बढ़ोत्तरी हुई है। लेकिन कई सालों से इस विभाग में कोई नई गाड़ी शुरू नहीं हुई है। इससे यात्रियों को दैनिक काम के लिए आने-वाले कामगारों को बहुत परेशानी हो रही है। इन सबको देखते हुए वहां से प्रचुर मात्रा में इस गाड़ी को कड़ी तक चलाने के लिए मांग उठी है। लेकिन रेल विभाग इसको अनसुनी कर रहा है। जिसकी वजह से वहां सत्याग्रह भी छेड़ा जा रहा है। अत: मेरी रेल मन्त्री जी से प्रार्थना है कि यह महत्वपूर्ण गाड़ी को कड़ी तक चलाया जाय।

(दस) श्रम संगठन की राष्ट्रीय अभियान समिति के जनवरी, 1984 के अखिल भारतीय सम्मेलन के सुझावों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, देश के श्रमिक वर्ग में उसके अधिकारों को सुरक्षित न रह जाने की स्थिति के कारण व्यापक असंतोष और रोष व्याप्त है। जीवनावश्यक वस्तुओं के निरन्तर बढ़ते हुए मूल्यों ने श्रमिक समुदाय को त्रस्त कर दिया है। विगत तीन वर्षों में उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक में 142 अंकों की वृद्धि हुई है। ऐसे में कारखानाबन्दी, छंटनी, तालाबन्दी की स्थिति जारी है आधे से अधिक मानव दिवसों की हानि तालाबन्दी के कारण हुई है। इतना ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय

श्रम संगठन द्वारा स्वीकृत संगठन स्वातंत्र्य एवं सामूहिक निर्णयन के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और अनिवार्य सेवा अनुरक्षण कानूनों को श्रमिकों के हितों के विपरीत लागू किए जाने की खतरनाक स्थिति विद्यमान है।

देश में पंजीकृत बेकारों की संख्या 1981 में साढ़े सोलह लाख से बढ़कर 1983 में साढ़े इक्कीस लाख हो गई है। भविष्य में योजनाओं के माध्यम से अधिक लोगों को काम के आसार नहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए गठित महंगाई भत्ता समिति की कार्यवाही ठप्प कर दी गई है। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की पांच किस्तों का भुगतान अवशेष है।

अतएव मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि श्रमिक संघों की राष्ट्रीय अभियान समिति के तत्वावधान में 20 जनवरी, 1984 को आयोजित अखिल भारतीय सम्मेलन द्वारा प्रेषित सुझावों का तत्काल क्रियान्वयन करें। श्रमिक हित विरोधी नीति और गतिविधि समाप्त करें तथा उद्योगों का श्रमिकीकरण कर देश में अधिकाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करावें।

(ग्यारह) इण्डियन एयर लाइन्स की उड़ानों में धूम्रपान पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता

श्री विष्णु प्रसाद (कलियाबोर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अत्यधिक लोक महत्व के मामले को उठाना चाहता हूं जो कि हवाई यात्रियों की सम्पति तथा जीवन के लिए बहुत आवश्यक है।

इंडियन एयर लाइन्स के जहाज जैसे ही एक विशेष ऊंचाई पर उड़ने लगते हैं, लोग सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण सिगरेट न पीने वाले सहयात्रियों को घबराहट होने लगती है। यहां तक कि विमानों में सिगरेट न पीने वाले स्थानों पर धूम्रपान निषेध की चेतावनी का उल्लंघन करते हुए कई बार देखा गया है जिसके कारण विमान में आग लगने जैसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इसी प्रकार, वर्षा ऋतु के दौरान, जब हवाई गर्त के कारण विमान बार-बार ऊपर नीचे जाते हैं तो यात्रियों को मिचली सी आने लगती है जो कि सिगरेट के धुएं से और अधिक होने लगती है।

रूस में 'एरोफ्लोट' की आन्तरिक उड़ानों में सिगरेट पीने की पाबन्दी और साऊदी अरब में स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 1983 में सरकारी दफ्तरों और अस्पतालों में लोगों को सिगरेट पीने पर पाबन्दी का यहां उल्लेख करना असंगत नहीं है।

अतः मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि हवाई यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक और किसी भी खतरे से मुक्त करने के लिए इंडियन एयर लाइन्स के विमानों में सिगरेट पीने पर पाबन्दी होनी चाहिए।

(बारह) कोरापुट (उड़ीसा) तक विमान सेवा की व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्री के० प्रधानी (नौरंगपुर) : महोदय, कोरापुट जिला उड़ीसा राज्य का सबसे बड़ा जिला ही

नहीं अपितु भारत के बड़े जिलों में से एक जिला है जहां बड़ी संख्या में आंदिवासी रहते हैं। इस जिले का न तो राज्य के मुख्यालय भुवनेश्वर से और न ही दिल्ली से पर्याप्त रेल सेवाएं उपलब्ध हैं। इस जिले में बहुत बड़ी संख्या में सरकारी उपक्रम जैसे राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी, मिग फैक्टरी, केन्द्रीय सरकार की दण्डकारमय योजना, अपर इन्द्रावती बहुयोजनीय परियोजना, खोलब बहु प्रयोजनीय परियोजना, बालीमेला बहु प्रयोजनीय योजना और राज्य सरकार की मचकुंड पनबिजली (हाइडल) परियोजना कार्य कर रही हैं। इसके अतिरिक्त यहां जैपुर और रायगदा में दो गैर-सरकारी कागज मिलें और रायगदा के निकट 'सिलिकन' फैक्टरी है। यहां पर सरकारी दफ्तरों, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी उपक्रमों में बहुत बड़ी संख्या में प्रथम श्रेणी अधिकारी हैं। इन अधिकारियों को काम के सम्बन्ध में बाहर जाने और इन उद्योगों का दौरा करने आने वाले अधिकारियों को बहुत अधिक समय लगता है और यहां आने और जाने में बहुत कठिनाई होती है। मैं पर्यटन और नागर विमानन मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूं कि इन उद्योगों और यहां के लोगों की सुविधाओं के लिए लघु विमान सेवाएं उपलब्ध करायी जाएं।

1-31 म० प०

वित्त विधेयक, 1984

उपाध्यक्ष महोदय : मैं विधायी कार्य लेता हूं। माननीय सदस्य, 1984 के वित्त विधेयक के तीनों चरणों के लिए 15 घण्टे का समय नियत किया गया है। यदि सदन की सहमति हो तो हम सामान्य चर्चा के लिए 12 घण्टे, खंडवार विचार के लिए 2 घंटे और एक घंटे का समय तीसरे वाचन के लिए दे सकते हैं।

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं :

> "कि वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, मेरे बजट भाषण में वित्त विधेयक की मुख्य प्रस्थापनाओं की प्रमुख बातों को स्पष्ट किया गया है। बजट पत्रों के साथ परिचालित व्याख्यात्मक ज्ञापन में विधेयक में सम्मिलित प्रस्तावों के ब्यौरे दिए गए हैं, अतः मैं इसी विषय पर दुबारा विचार करने के लिए सदन का समय लेना चाहता हूं।

बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों ने विधेयक के उपबन्धों के बारे में महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। मुझे भी व्यापार और उद्योग, व्यावसायिक संगठनों, अर्थशास्त्रियों, कर-विशेषज्ञों और अन्य लोगों से बहुत बड़ी संख्या में सुझाव प्राप्त हुए हैं। मैं माननीय सदस्यों और साथ ही अन्य लोगों के प्रति बजट पर अनेक द्वारा दिए गए सुझावों और टिप्पणियों के लिए, आभार प्रकट करना चाहता हूं।

इन सुझावों पर भली-भांति विचार करने के बाद, मैंने बिल विधेयक के कुछ उपबन्धों में संशोधन करने का निर्णय किया है। अब मैं पहले प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में प्रस्तावों में प्रस्तावित परिवर्तनों के बारे में बताऊंगा।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि विधेयक में 29 फरवरी 1984 के बाद लोगों द्वारा ईक्विटी शेयरों में निवेश के बारे में रियायत को आयकर अधिनियम की धारा 80 ग ग के अन्तर्गत वापिस लिए जाने का प्रस्ताव है। अनेक माननीय सदस्यों और साथ ही पूंजी निवेश करने वाले लोगों के विचारों का सम्मान करते हुए, मैं इस रियायत को तीन वर्ष तक अर्थात् 1 अप्रैल, 1987 से पहले लोगों के निवेश के लिए दिए गए शेयरों के सम्बन्ध में जारी रखने का प्रस्ताव करता हूं, उससे नए पूंजी निवेश की वृद्धि में इस रियायत के प्रभाव की और समीक्षा के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : बहुत अच्छा।

श्री प्रणब मुखर्जी : यह आपका सुझाव था।

श्री सतीश अग्रवाल : धन्यवाद।

श्री प्रणब मुखर्जी : कर्मचारियों के लिए तथाकथित कल्याण निधियों में अंशदान से सम्बन्धित प्रस्तावों में कुछ परिवर्तन करने का भी मेरा प्रस्ताव है। इस विधेयक में नियोक्ताओं द्वारा इस प्रकार की निधियों के लिए दी गई धनराशि के सम्बन्ध में कर देय लाभों के परिकलन में किसी प्रकार की कटौती की छूट नहीं दी जाएगी। यह भी प्रस्ताव किया गया है कि इसे भूतलक्षी प्रभाव से 1980-81 के निर्धारण वर्ष से लागू किया जाना चाहिए।

मैं इस तर्क से सहमत हूं कि इस उपबन्ध के भूतलक्षी प्रभाव से लागू होने से ऐसे मामलों में कठिनाई आ सकती है जहां, इन निधियों के न्यासियों ने वास्तव में, इस कल्याण निधि का अंशदान करने वाले कर्मचारियों की भलाई के लिए किया है। इन मामलों में आने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से, मेरा यह प्रस्ताव है कि 1 मार्च 1984 से पहले न्यासियों द्वारा कर्मचारियों की भलाई के लिए किया गया खर्च की उस लेखा वर्ष में जिसमें वह खर्च किया गया है, नियोक्ता के करदेय लाभों के परिकलन में, छूट दी जाएगी।

मैं विधेयक में समुचित उपबन्ध करने का प्रस्ताव करता हूं जिससे कोई भी नियोक्ता जिसने 1 मार्च, 1984 से पहले ऐसा अंशदान किया है, यह दावा कर सके कि जो भी अंशदान की राशि उपयोग में नहीं लाई गई है उसे न्यासिकों द्वारा वापस कर दिया जाए। जहां इस राशि का उपयोग किसी पूंजीगत परिसंपत्ति जैसे कि भूमि और भवन, आदि के खरीदने में किया गया है, वहीं नियोक्ता को यह दावा करने का अधिकार भी होगा कि न्यासियों द्वारा यह परिसम्पति उनको हस्तांतरित की जानी चाहिए।

जहां संशोधनों का उद्देश्य विधेयक के उपबंध के भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने के प्रति संगत चिन्ता दूर करना है, वहां कम्पनियों द्वारा नवीन युक्तियों द्वारा इनसे बचने के लिए किए गए प्रयासों को रोकना भी आवश्यक है। कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत नई कम्पनियों के निर्माण के लिए इस प्रकार की एक बढ़िया युक्ति प्रतीत होती है जैसा कि विधेयक का यह प्रावधान केवल न्यास अथवा निधि को दिए जाने वाले चन्दे पर लागू होता है, इसका उद्देश्य न्यासियों या निधियों को चन्दा देने के स्थान पर इन नई कम्पनियों को चन्दा देकर इसे विफल बनाना प्रतीत होता है अतः मेरा प्रस्ताव है कि न्यासों और निधियों के अलावा नियोजकों द्वारा कम्पनियों को, व्यक्तियों के

संगठनों, निजी निकायों, सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत समितियों तथा अन्य संस्थानों को दी गई राशि पर भी विधेयक के उपबंधों को लागू किया जाए।

इस विधेयक के एक उपबंध के अधीन सभी धर्मार्थ और धार्मिक न्यासों को, जिनमें आयकर अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत छूट प्राप्त न्यास भी शामिल हैं, यदि वे आयकर अधिनियम में निर्धारित न्यास विधियों के लिए निवेश ढांचे के अनुरूप नहीं चलते या जो आयकर अधिनियम में निहित उपबंधों का उलंघन करके अवस्थापक, न्यासधारियों आदि के लाभ के लिए न्यास की आय सम्पत्ति का प्रयोग करते हैं। उन्हें धन-कर से मिलने वाली छूट से वंचित रहना पड़ेगा। इस छूट से वंचित हो जाने पर इन मामलों में धन कर अधिकतम सीमांत दर से लिया जाएगा। आयकर अधिनियम में दिए गए संयत उपबंधों के उलंघन के लिए आयकर की छूट से वंचित रहने सम्बन्धी उपबंध ऐसे धर्मार्थ और धार्मिक न्यासों पर लागू नहीं होते, जोकि उस अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत छूट पाने के अधिकारी हैं, यह निवेदन किया गया है कि इन मामलों में धन कर से छूट न दिया जाना असंगत होगा। मेरे विचार में इस तर्क में बल है। तदनुसार मैंने आयकर अधिनियम में दिए गए तदनुरूप उपबंधों के आधार पर धर्मार्थ और धार्मिक न्यासों के मामले में धन कर की छूट से वंचित रह जाने सम्बन्धी उपबंधों को विधेयक में लाए जाने का प्रस्ताव रखा है। इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आयकर अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत धर्मार्थ और धार्मिक न्यासों को विधेयक के उपबन्धों के अन्तर्गत धन कर की छूट से वंचित नहीं रखा जाएगा।

मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि विधेयक में संगत उपबन्ध, जिसमें न्यासियों द्वारा प्राप्त कुल आय में अधिकतम सीमांत दर के लिए कराधान की व्यवस्था है, केवल ऐसे निजी न्यासियों पर लागू होता है जिन्हें व्यापार कार्य में लाभ होता है। जहां तक सार्वजनिक धर्मार्थ और धार्मिक न्यासों का सम्बन्ध है, पिछले वर्ष के वित्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन उनके व्यापार के लाभ पर कर उसी सामान्य दर से लिया जाता है जो निजी व्यक्ति पर लागू होता है। यह स्थिति अपरिवर्तनीय है। निस्संदेह धर्मार्थ और धार्मिक न्यासों के मामले में जो पूंजी निवेश के तरीकों के संबंध में आयकर अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करते हैं अथवा जो न्यास की सम्पत्ति का अवस्थापकों के लाभ के लिए प्रयोग करते हैं, फिर ऐसे न्यासों की अन्य आय पर अधिकतम सीमांत दर ली जाएगी।

आयकर अधिनियम के अन्तर्गत, करदाताओं को किसी विशिष्ट वित्तीय परिसम्पत्ति में पूंजी निवेश से होने वाली आय पर कुल 7000/-रुपये तक की राशि पर छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया अधिनियम के अधिनियम के अंतर्गत एक अलग उपबंध के अधीन यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया की एककों की आय के संबंध में 3000 रुपए तक की और छूट दी जाती है। इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय जमा योजना के अंतर्गत जमा की गई राशि को शामिल करने के लिए विशिष्ट वित्तीय परिसम्पत्ति की सूची बढ़ाना है। इस विधेयक में ऐसी जमा राशि को यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया की यूनिटों के समकक्ष रखने का भी प्रयास किया गया है दोनों स्रोतों से जिसके लिए इस बात की व्यवस्था की जाएगी कि इन होने वाली आय में कटौती के लिए कुल 3000 रुपए तक की छूट दी जाएगी।

राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत कर-दाताओं को अधिक धनराशि जमा करने का प्रोत्साहन देने के लिए ऐसी जमा राशि पर ब्याज के सम्बन्ध में 2000 रुपए तक की अतिरिक्त छूट देने का मैंने प्रस्ताव रखा है। इसी प्रकार धन-कर अधिनियम के अन्तर्गत 2500 रुपए तक की ऐसी जमा राशि पर अतिरिक्त छूट दिए जाने का भी मेरा विचार है।

मैं सभा को याद दिला दूं कि जैसा कि मैंने बजट भाषण में बताया था कि राष्ट्रीय जमा योजना एक अस्थायी योजना है जिसे इससे होने वाली प्राप्तियों के लक्ष्य पर पहुंचने तक अथवा उससे पहले ही जो आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है बंद कर दिया जाएगा।

श्री सतीश अग्रवाल : यह अनिश्चित स्थिति है। आप लोगों को असमंजस में डाल रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : यह 2000 रुपए अतिरिक्त हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : निस्संदेह यह स्वागत योग्य कदम है।

श्री प्रणव मुखर्जी : जब व्यापार में वार्षिक लेन-देन 20 लाख रुपए से अधिक हो अथवा व्यवसाय में कुल आय 10 लाख रुपए से अधिक हो तो ऐसे मामले में विधेयक में उपबंध है कि लेखे की अनिवार्य लेखा परीक्षा की जाए। व्यापार और उद्योग तथा ऐसे लोगों को भी, जो कानून तथा लेखा शास्त्र के व्यवसाय में लगे हैं, नये विधान के अनुसार स्वयं को समायोजित करने के लिए कुछ समय दिए जाने की दृष्टि से मैं वित्तीय सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए तक करने का प्रस्ताव करता हूं।...

श्री सतीश अग्रवाल : मैंने 50 लाख रुपए का सुझाव दिया था। आप बड़े कंजूस हैं। पता नहीं क्यों ?

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं आप ही जैसा हूं।

मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि अनिवार्य लेखा परीक्षा के बारे में प्रस्तावित उपबन्ध उन कम्पनियों को दूसरी अथवा अलग से लेखा परीक्षा से मतलब नहीं है, जिनके लेखों की कम्पनी अधिनियम के अधीन पहले ही लेखा परीक्षा होनी आवश्यक है। नए उपबन्ध में केवल आवश्यक है कि कम्पनियों को अपने लेखों की लेखा परीक्षा कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित तिथि से पहले करा लेनी चाहिए और कम्पनी अधिनियम के अधीन लेखा परीक्षक द्वारा दी जाने वाली अपेक्षित रिपोर्ट के अतिरिक्त कर-प्रयोजनों के लिए उससे केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से इस बारे में निर्धारित फार्म में एक रिपोर्ट प्राप्त की जानी चाहिए।

आयकर अधिनियम के उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय सरकार को अधिकार है कि जब सम्पत्ति के अन्तरण का घोषित प्रतिफल उचित बाजार मूल्य से कम हो तो वह 25000 रुपए से अधिक उचित बाजार मूल्य की अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण कर ले। विधेयक में यह वित्तीय सीमा 50,000 रुपए तक बढ़ाई जा रही है। अधिकांश संख्या में छोटे मकान मालिकों को राहत देने की दृष्टि से मेरा प्रस्ताव है कि इस वित्तीय सीमा को आगे 1 लाख रुपये तक बढ़ा दिया जाये। यह भी आपका सुझाव है।

श्री सतीश अग्रवाल : मेरे संशोधनों को आपने मान लिया है। उसके बाद मैं क्या बोलूंगा ?

श्री प्रणव मुखर्जी : इसका मैंने पूर्वानुमान कर लिया था।

तर्क संगत परिणामों के रूप में मेरा यह व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है कि अचल सम्पत्ति के अन्तरण के बारे में निर्धारित विवरण पंजीकरण अधिकारी के समक्ष केवल उन्हीं मामलों में दाखिल

करना आवश्यक हो जहां अन्तरण प्रतिफल का मूल्य विधेयक में प्रस्तावित 25000 रुपए की अपेक्षा 50,000 रुपए से अधिक हो।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने अपने बजट भाषण में विभिन्न प्रकार की छूटों और कटौतियों का उल्लेख किया है जो समय पाकर हमारी प्रणाली का अंक बन गई हैं और कुल मिलाकर इसका परिणाम यह हुआ है कि कर प्रशासन वहां पेचीदा हो गया है और कर अवचन तथा मुकदमे बाजी के रास्ते खुल गये हैं। यह रियायतों पर आधारित व्यय के बारे में विशेष रूप से सत्य है और नीति का विषय होने के कारण विधेयक के अन्तर्गत विभिन्न उपबन्धों में उपलब्ध सारी भारित कटौतियों को वापस लिए जाने का प्रस्ताव है। वैज्ञानिक अनुसन्धान पर व्यय से सम्बन्धित भारित कटौतियों के बारे में कुछ उपबन्ध हैं और मुझे यह अभ्यावेदन दिया गया है कि इन छूटों को वापस लेने से स्वदेशी विज्ञान और प्राद्योगिकी के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

मैंने इन अभ्यावेदनों पर भलीभांति विचार किया है। इसका प्रश्न ही नहीं है कि सरकार अनुसन्धान और विकास कार्यों के लिए दी जाने वाली सहायता में कटौती करे। फिर भी हमारा अनुभव रहा है कि समान रूप से स्वदेशी अनुसन्धान और विकास पर भारित कटौती का प्रभाव न केवल हमारे वैज्ञानिक समुदाय की सम्भावना तक अपितु किसी भी मामले में अपेक्षाकृत नगण्य रहा है। अतः मुझे विश्वास है कि हमें स्वदेशी अनुसन्धान और विकास, अभिनव परिवर्तन, तथा स्वदेशी अनुसन्धान और विकास के परिणामों के वाणिज्यीकरण को अतिरिक्त सहायता देने के वैकल्पिक तरीकों का पता लगाना चाहिए। इस सम्बन्ध में अलग से घोषणा यथासमय की जाएगी।

अब मैं उन रूप भेदों का उल्लेख करूंगा जो अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र के प्रस्तावों में करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय सदस्यों को याद होगा कि बजट प्रस्तावों में कागज उद्योग के लिए काफी रियायतें दी गई हैं। इस सन्दर्भ में, अपरम्परागत कच्ची सामग्री में से कागज तैयारी करने वाले छोटे और मध्यम कागज मिलों की ओर से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन अभ्यावेदनों में कहा गया है कि सामान्य शुल्क की दर को कम करने से उनके द्वारा पहले उठाया गया लाभ घट जाता है, हालांकि इन कागज मिलों द्वारा चुकाया गया शुल्क भी उसी अनुपात में कम हो गया था। छोटे और मध्यम कागज मिलों को और राहत देने की दृष्टि से मेरा प्रस्ताव है कि इन कागज मिलों को दी जाने वाली वर्तमान रियायत में और वृद्धि की जाए। पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में ऐसे कागज मिलों द्वारा 3000, 7500 और 16500 मीटरी टन की निकासी के लिए देय शुल्क की दर क्रमशः 275, 550 तथा 730 रुपए प्रति मी० टन होगी।

मोटे तौर पर प्रस्तावित रूप भेद के बाद छोटी और मझोली मिलों द्वारा प्राप्त की जाने वाली रियायत पहले की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक होगी। ऐसी कागज मिलों के लिए एक नया खंड आरंभ करने का मेरा प्रस्ताव है। एक नया खंड बांस अथवा लकड़ी की लुगदी का संयंत्र नहीं है। जिसकी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में निकासी 165000 मीटरी टन से अधिक किन्तु 24000 मीटरी टन से अनधिक रही है। जिसकी छपाई और लिखाई के कागज पर जो दर 950 रुपये प्रति मी० टन पहले 7 प्रतिशत मूल्यानुसार 645 रुपए प्रति मीटरी टन थी तथा विशिष्ट क्राफ्ट पेपर पर 1200 रुपए प्रति मीट्रिक टन होगी जो इस समय 7 प्रतिशत मूल्यानुसार + 700 रुपए प्रति मीटरी टन है। इस प्रकार प्रस्तावित रियायत कागज की केवल उन्हीं किस्मों के लिए सीमित होगी जिनके लिए बजट में शुल्क कम किया गया था। इन रियायतों से राजस्व प्रभाव लगभग 9 करोड़ रुपए का होने की सम्भावना है।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने कागज निर्माण के लिए आयात की गई लकड़ी की लुगदी पर सीमा शुल्क कम करने का प्रस्ताव किया था ताकि इससे हमारे वन संसाधनों पर दबाव कम हो सके और आयातित कच्चा माल उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सके। यह भी अनुरोध किया गया है कि गत्ते (पेपर बोर्ड) के निर्माण के लिए भी लकड़ी की लुगदी के मामले में यही नीति अपनाई जाए। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि गत्ते (पेपर बोर्ड) के निर्माण के लिए आयातित लकड़ी की लुगदी पर वही रियायत लागू की जाए और वर्तमान शुल्क 87 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत किया जाए। इससे राजस्व में एक वर्ष में 1.47 करोड़ रुपए के हिसाब से कमी आएगी।

जैसा कि सदस्यों को मालूम होगा कि समाचार पत्र-उद्योग के लिए विशिष्ट मशीनों और उपस्करों पर 35 प्रतिशत का रियायती सीमा शुल्क निर्धारित किया जाता है। बजट में घोषित की गई सहायक शुल्क की दर में वृद्धि के कारण इन वस्तुओं पर सहायक शुल्क 5 प्रतिशत तक बढ़ गया है। एक विशेष मामले के रूप में मैं ऐसी विशिष्ट मदों को इस वर्ष से प्रभावी अतिरिक्त ड्यूटी की वृद्धि से मुक्त रखने का प्रस्ताव करता हूं। इस छूट से 3.5 करोड़ रुपए का राजस्व कम होने का अनुमान है।

23. इस वर्ष के बजट प्रस्तावों में ऐसे पोलिएस्टर मिश्रित वस्त्रों पर, जिनमें 40 प्रतिशत से अधिक परन्तु 70 प्रतिशत से कम पोलिएस्टर मिश्रित है, उत्पादन शुल्क घटा कर यथामूल्य 2 प्रतिशत कर दिया गया। कर की इस रियायती दर को पोलिएस्टर तन्तु (फिलामेंट) धागे (यार्न) मिश्रित वस्त्रों पर लागू नहीं किया गया। वस्त्र उद्योग को और आगे राहत देने के एक उपाय के रूप में मैं इस वर्ष के बजट में पोलिएस्टर सूती वस्त्रों को दी गई रियायतों को कुछ संशोधनों के साथ ऐसे वस्त्रों पर भी लागू करने का प्रस्ताव करता हूं जिनमें पोलिएस्टर तन्तु (फिलामैंट) के धागे (यार्न) सम्मिलित हैं। तथापि यह छूट ऐसे वस्त्रों पर लागू नहीं होगी जिनका प्रतिवर्ग मीटर 25 रुपए से अधिक है। इस छूट से राजकोष पर पूरे वर्ष में 8 करोड़ रुपए की हानि होगी।

24. परोक्ष करों के सम्बन्ध में मैंने जो अभी-अभी रियायतें घोषित की हैं उनके परिणामस्वरूप राजस्व में 22.02 करोड़ रुपये की कमी होगी। सीमा शुल्क में 4.97 करोड़ रुपये और उत्पाद-शुल्क में 17.05 करोड़ रुपये की छूट होगी। इन रियायतों को प्रभावी बनाने हेतु आज अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं। उचित समय पर इसकी प्रतियां सभा पटल पर रख दी जायेंगी।

25. अपरोक्ष और परोक्ष करों से सम्बन्धित अन्य संशोधन गौण हैं या प्रारूप के स्वरूप में हैं और इन संशोधनों से निपटने के लिए मैं सदन का समय नहीं लेना चाहूंगा।

26. अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे मामले के विषय में कहूंगा जिसका सम्बन्ध इस सदन से रहा है। यह मूल्य स्थिति से सम्बन्धित है। माननीय सदस्यों को याद होगा कि पिछले वर्ष अगस्त और नवम्बर में इस प्रश्न पर बहस करते हुए और लोकसभा के प्रश्नों का उत्तर देते हुए मैंने मूल्य नियन्त्रण करने के लिए सरकार द्वारा किए गये उपायों की एक रूप रेखा बताई थी। मैंने यह भी आशा व्यक्त की थी कि अच्छी मानसून और सरकार द्वारा किए गए उपायों को देखते हुए 1983-84 में हमारे लिए मुद्रा स्फिति की वार्षिक दर एक अंक के आंकड़े तक सीमित रखना सम्भव हो जायेगा। 31 मार्च, 1984 के लिए थोक मूल्य सूचकांक अब उपलब्ध है और मुझे सदन को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि उस तिथि में मुद्रास्फिति की वार्षिक दर 8.8 प्रतिशत थी। मूल्य की स्थिति में आये सुधार को देखते हुए यह घोषणा करने में मुझे हर्ष हो रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते

की तीन किश्तें, जो दिसम्बर 1983 में ही देय हो गयी थीं, जारी करने का निर्णय लिया गया है। सरकार द्वारा किए गये व्यय नियन्त्रण सम्बन्धी उपायों से लाभ हुआ है और विभिन्न मन्त्रालयों में मेरे सहकर्मियों, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों, और कर्मचारियों द्वारा इन उपायों के कार्यान्वयन हेतु मुझे दिए गये सहयोग के लिए मैं इस अवसर पर उनके प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं। चूंकि मूल्यों के क्षेत्र में आत्म सन्तोष के लिए कोई स्थान नहीं है इसलिए हमें भविष्य में भी इसी तरह ही चौकस रहने की आवश्यकता है।

27. मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इस वित्त विधेयक जिसका संशोधनों सहित मैंने प्रस्ताव किया है, का समर्थन करें।

28. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस वित्त विधेयक, 1984 पर विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

> "कि वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अब श्री सोमनाथ चटर्जी बोलेंगे।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : महोदय क्या मुझे वित्त विधेयक पर अपने कुछ संशोधन वापस लेने की अनुमति देंगे, क्योंकि वित्त मन्त्री ने पहले ही उन प्रस्तावों की स्वीकार कर लिया है जिनका मैंने सुझाव दिया था ?

उपाध्यक्ष महोदय : अपने भाषण में आप उनका उल्लेख कर सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : महोदय, अब ऐसा प्रतीत होता है कि हमें ऐसे विधेयक पर चर्चा करनी है जिस पर अग्रवाल की छाप है। वित्त विधेयक पर ही बहस करनी होगी और मुझे लगता है कि श्री प्रणव मुखर्जी पर अग्रवाल का प्रभाव बिल्कुल स्पष्ट है। महोदय, श्री अग्रवाल हमेशा अच्छे सुझाव देते हैं और मुझे लगता है कि उनमें से कुछ स्वीकृत हो जाते हैं या वे मन्त्री-महोदय को स्वीकार्य प्रतीत होते हैं। एक बढ़िया बात जिसकी उन्होंने घोषणा की है वह मंहगाई भत्ते से सम्बन्धित है। उन्होंने मेरे सुझाव को पहले से ही कह दिया है।

1.59 म० प० **(श्री एफ० एच० मोहसिन पीठासीन हुए)**

महोदय, जैसा कि हम सब जानते हैं इस वर्ष का वित्त विधेयक, जैसे हमेशा होता रहा है, वित्त मन्त्री महोदय के बजट प्रस्तावों को विधायी रूप देने के लिए है। जैसा वित्त मन्त्री ने स्वयं स्वीकार किया है, वह एक आगामी घटना का विशेष ध्यान रख रहे थे और जिन्होंने जो संसद में हम सबके लिए महत्व की है।

2.00 म० प०

यद्यपि उन्होंने बहुत जल्दी में इस घटना को सातवीं योजना को तैयार करना कहा, लेकिन देश

जानता है कि उनके मन में लोक सभा के आगामी चुनाव का विचार था और यह होना ठीक ही है।

अपने दल की चुनावी सम्भावनाओं की कसौटी मान कर अपने बजट प्रस्तावों को अब वित्त मन्त्री महोदय ने अपनी परियोजनाओं और विकल्पों से पहले ही स्पष्ट कर दिया है। इसके परिणाम में हम यह पाते हैं कि आर्थिक पक्ष के अपने मूल्यांकन के लिए और आर्थिक भविष्य को प्रकट करने के लिए, उन्हें प्रदर्शन कला और इधर-उधर के सतही तर्कों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।

हमारे वित्त मन्त्री महोदय एक सुशील भद्र पुरुष हैं और उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था के बाहरी भाग को संवारने का प्रयत्न किया है लेकिन एक बार पर्दा उठ गया और मुखौटा खोल दिया गया तो हमें इस देश की वंचित और मोह भंग हो चुकी जनता दिखाई देगी जो हमारी तथाकथित आर्थिक प्रगति और सम्पन्नता का विशाल स्तर पर मजाक उड़ाती है।

एक राजनीतिज्ञ के रूप में वित्त मन्त्री महोदय इस बात से प्रसन्न प्रतीत होते हैं कि उन्होंने अपने दल की चुनावी सम्भावनाओं को सुधारने के लिए एक नरम बजट प्रस्तुत किया है लेकिन देश के वित्त मन्त्री के रूप में क्या वे हमारी अर्थ-व्यवस्था के अन्धेरे क्षेत्रों को रोशन करने, सर्वव्यापी विषाद को दूर करने और लाखों-करोड़ों लोगों को अत्यन्त निर्धनता और चिरस्थायी निराशा और लूट-खसोट के चंगुल से बचाने में सफल हुए हैं।

देश के पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधन हैं जिनमें खनिज संसाधन भी शामिल हैं। परन्तु इसकी महानतम सम्पत्ति माननीय संसाधन हैं। परन्तु इन मनुष्यों को स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात के लगभग चार दशकों के पश्चात् भी मूक दर्शकों की तरह, रखा गया है जो हमेशा उस किनारे पर पड़े रहते हैं जहां कुछ न कुछ सहना ही पड़ता है जिनका स्वयं अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए शोषण किया जाता है, जिन्हें कुपोषित और न्यूनपोषित रखा जाता है और जो आज सम्य अस्तित्व का किंचित् भी उपयोग नहीं कर पा रहे। इस देश की एक बड़ी संख्या की यह नियति है।

वित्त विधेयक पर बहस करते समय हमें अपने देश की आर्थिक वास्तविकताओं पर अवश्य चर्चा करनी पड़ती है। वित्त विधेयक पर उसे हम सामान्य रूप से या देश की आर्थिक वास्तविकताओं और वर्तमान परिस्थिति से अलग करके, हम उस पर बहस नहीं कर सकते। जब तक कि बजट जो अन्त में वित्त विधेयक बन जाएगा में उन वास्तविक रोगों पर विचार नहीं किया जाता, जो हमारी अर्थ-व्यवस्था को सता रहे हैं और उनका उपचार नहीं खोजा जाता, तब तक यह दस्तावेज के रूप में दिए गए एक कर्मकाण्ड से अधिक कुछ नहीं बन पायेगा जिससे लोगों को मीठे-मीठे शब्दों के बहकावे में लाया जाता है और अन्त में विकृत होकर मजाक रहित और कल्पित चुटकला बन कर रह जाता है।

इस वर्ष के बजट प्रस्तावों का जो अब एक वित्त विधेयक के रूप में हैं, दिशा कौन-सी है और उनका सक्रिय प्रभाव क्या हुआ है। इन उपायों में कुछ भी नहीं है बल्कि सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने की कोशिश है, ये उपाय गहरे आर्थिक संकटों का समाधान नहीं निकाल सकते। ये तो केवल कुछ सांत्वना देना और कुछ मरहम लगाना भर है। कुछ प्रस्ताव तो बिलकुल बेकार हैं और वे कराधान प्रस्तावों को छूते भर हैं। मूल मुद्दे हमेशा की तरह समस्यापूर्ण और विकट बने रहते हैं। हमें यह पता लगाना है कि वे कौन-सी प्राथमिकताएं हैं जिन्हें सरकार ने अपने लिए निर्धारित किया है। ये क्षेत्र कौन से हैं जहां सरकार कुछ परिणाम प्राप्त करना चाहती है। इसमें कोई शक नहीं कि इन्होंने एक ऐसी

सरकार का आश्वासन दिया था जो कार्य करती है लेकिन गरीबी मिटाने के लिए इसने क्या कार्य किया है ? इस देश में रोजगार की कठिनाइयों को कम करने में इसने कहां तक कार्य किया है ? इस देश की जनता को पेय जल उपलब्ध कराने के लिए इसने कितना कार्य किया है ? हमारे लोगों को दिन में दो दफा भोजन उपलब्ध कराने में इसने क्या कार्य किया है ? हमें मालूम हो गया है कि प्राथमिकताएं उचित रूप से नियत नहीं की गईं क्योंकि इस सरकार को तो लोगों को पेय जल की अपेक्षा रंगदार दूरदर्शन उपलब्ध कराने की चिन्ता अधिक है। दिल्ली में इसे पुल और अस्पतालों का निर्माण करने की अपेक्षा स्टेडियम और फव्वारों का निर्माण करने और सड़कें चौड़ी करने की अधिक चिन्ता है।

यह सरकार रुग्ण उद्योगों के और ऐसे उद्योगों के जिन्हें स्वयं सरकार चला रही है, कर्मचारियों को बेरोजगार होने से बचाने की अपेक्षा एकाधिकार प्राप्त घरानों और निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने में लगी हुई है। मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा है और आज सदन में देखा है कि मंत्री महोदय ने कहा है कि मुद्रास्फिति की दर एक अंक के आंकड़े तक सीमित रखी जा रही है। उन्हें सन्तोष अनुभव हो रहा होगा क्योंकि उनके आंकड़ों के अनुसार मुद्रास्फिति की दर ने एक अंक के आंकड़े को पार नहीं किया है। परन्तु मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस पर भी उन्हें सन्तोष अनुभव होता है कि सरकारी प्रबन्ध के अन्तर्गत एक के बाद एक उद्योग बन्द होते जाते हैं और कर्मचारी मात्र हड्डियों का ढांचा बन कर रह गये हैं। उन्हें क्या इस बात का भी सन्तोष है कि इस देश के लाखों करोड़ों लोगों के पास जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं है।

मुझे यह प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री महोदय ने कीमतों के बारे में भी उल्लेख किया है। जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है, मेरे पास भारतीय रिजर्व बैंक की पिछले वर्ष की रिपोर्ट है परन्तु मुझे इसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक इस वर्ष का सम्बन्ध है 1980 और उसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चावल और गेहूं के मूल्यों में वृद्धि की गई है। चावल 150 रु० से 208 रु० प्रति क्विंटल हो गया है। चावल के मूल्य में चार वर्षों में 58 रुपये प्रतिक्विंटल वृद्धि हुई है।

1980 में गेहूं का मूल्य 130 रुपए था ; अब यह 172 रुपए हैं। ये मूल्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हैं।

जहां तक औद्योगिक मजदूरों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य का सम्बन्ध है, यह दिसम्बर, 1980 में 13.4 अंक बढ़कर 408 अंक तक पहुंच गया और फिर दिसम्बर, 1981 में 52 अंक बढ़कर 460 अंक तक पहुंच गया, दिसम्बर, 1982 में 37 अंक बढ़कर 497 अंक तक पहुंच गबा और दिसम्बर, 1983 में 62 अंक बढ़कर 559 अंक तक पहुंच गया।

जहां तक थोक मूल्य सूचकांक का सम्बन्ध है, जिसके बारे में मन्त्री जी ने बात की है, यह 20 मार्च, 1977 को 182.1 था। 1 दिसम्बर, 1983 को यह अब निर्गम 319.6 अंक तक पहुंच गया है। मैंने चावल के मूल्य के बढ़ने के बारे में बताया है।

जहां तक थोक मूल्य सूचकांक का सम्बन्ध है, दिसम्बर, 1983 में अनाज के सम्बन्ध में यह 158.3 अंक से बढ़कर 253.4 अंक हो गया है ; चाय के सम्बन्ध में यह 352.3 अंक से बढ़कर 462.4 अंक तक पहुंच गया है। कॉफी आदि के सम्बन्ध में बताकर मैं आपके धैर्य की परीक्षा नहीं लेना चाहता।

इस वर्ष के बजट के थोड़ी देर पहले ही, कोयले के मूल्य को बढ़ा दिया गया है। दिनांक 8-1-1984 की कोल इण्डिया ने फिर से कोयले का मूल्य 149.90 रुपए से बढ़ा कर 183 रुपए प्रति टन निश्चित कर दिया है। सिंगरेनी कोलियेरीज में कोयले का मूल्य 154.75 रुपए प्रति मीटरी टन से बढ़ कर 192 रुपए प्रति मीटरी टन हो गया है। दिनांक 1 फरवरी, 1984 से लेवी चीनी का मूल्य भी बढ़ा दिया गया है। इसका मूल्य 25 रुपए प्रति क्विन्टल बढ़ गया है।

सब चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं। यदि आप भारतीय रिजर्व बैंक की पिछले वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन उठा कर देखें तो आप जान जाएंगे कि कीमतें बढ़ गई हैं। रिपोर्ट के अनुसार "खाद्यान्न के निर्गम मूल्यों की बढ़ोत्तरी इसके खरीद मूल्यों की बढ़ोत्तरी से कहीं अधिक है। इसके कारण निर्गम मूल्य वर्तमान बाजार मूल्य के आस-पास हो जाएगा जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा माल उठाने पर विपरीत असर कर सकता है।"

पिछले वर्ष हमने देखा था और हमने आलोचना भी की थी कि प्रशासनिक मूल्यों को बढ़ाने का तरीका हमारे अनुसार न केवल गलत बल्कि एक अनुचित तरीका है क्योंकि इसमें न तो बजट की कार्यवाही की जाती और न इन बढ़ोत्तरियों पर संसद का नियंत्रण है और इसके द्वारा राज्य सरकारें वैध स्रोतों से भी वंचित हो जाती हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बढ़त, जो वर्ष 1982-83 में स्पष्ट दिखाई पड़ती थी, उसको बरकरार रखा गया है और वह बढ़त अभी भी हो रही है। हम यह मांग करते आए हैं कि जहां तक कीमतों का सम्बन्ध है, जब तक आप समाज के कमजोर वर्ग के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक उन्हें कुछ राहत देने की कोई संभावना नहीं है। और इसी कारण, हम मांग करते आए हैं कि आम आदमी को आवश्यक चीजें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित की जाएं। और यदि कोई आर्थिक सहायता प्रदान की जानी है तो वह केन्द्र सरकार को ही प्रदान करनी पड़ेगी।

माननीय मन्त्री जी खुश हैं कि जहां तक थोक मूल्य सूचकांक का सम्बन्ध है, मुद्रास्फीति में वृद्धि एक ही अंक तक सीमित रही है। हमारे देश में हमारे पास और भारत के वित्त मन्त्री के पास भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के बारे में कोई आंकड़े नहीं हैं। इसलिए वह यह नहीं कह सकते कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि एक अंक तक ही सीमित है।

आपने 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए 4,000 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। बहुत अच्छा है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि इसको उचित रूप से उपयोग किया जाता है। लेकिन आप इसमें से इस देश के निश्चित स्तर तक आमदनी एवं स्रोतों वाले आम व्यक्तियों को आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने के लिए कितना खर्च करेंगे जिन्हें वे आवश्यक वस्तु सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा दी जानी हैं। इसलिए मैं यह मांग करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस ओर हितकर रवैया अपनाएं। यह हमारे देश में इसकी तत्काल आवश्यकता है।

गरीबी रेखा से नीचे व्यक्तियों के बारे में क्या स्थिति है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण का आकलन हमारे पास है। यह सर्वेक्षण उपभोक्ता व्यय का किया गया था। वर्ष नवीनतम उपलब्ध सर्वेक्षण वर्ष 1977-78 में किया गया था। मैं इस सभा में अथवा दूसरी सभा में सरकार द्वारा दिए गए उत्तर में से उद्धरण दे रहा हूं। "योजना आयोग ने एक कार्य दल की नियुक्ति की और इस कार्यदल के अनुसार गरीब व्यक्ति वह हैं जो प्रति व्यक्ति खाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति दिन प्राप्त प्रति व्यक्ति केलोरी खाने वाले, मासिक प्रति व्यक्ति

व्यय वर्ग के मध्य बिन्दु से नीचे उपभोग पर व्यय करता है। मेरे विचार से यह बिलकुल बेतुका सूत्र है। परन्तु इसे 1977-78 में भी लागू करें, तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे 30.28 करोड़ व्यक्ति हैं। हमें बताया गया है कि 1983 तक का सर्वेक्षण हो रहा है। चाहे हमें यह बताया गया है कि सर्वेक्षण के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी 1980-81 में यह संख्या 29.23 करोड़ तक गिर गई ; 1981-82 में यह 28.2 करोड़ तक नीचे आ गई। यह सच है कि यह सब अनुमान है इसका कोई आधार नहीं बताया गया है। लोक सभा और राज्य सभा में प्रश्नों के उत्तर में चाहे यह आंकड़े दिए गए हैं परन्तु बिना आकलन के आधार पर भी इस देश में गरीबों की संख्या बहुत बड़ी है। इन गरीब व्यक्तियों में से 61.81 प्रतिशत ग्रामीण हैं जबकि शहरी गरीब 38.19 प्रतिशत हैं।

अनुमान और आंकलन अनुसार संयुक्त प्रतिशत 48.13 है। वर्ष 1977-78 में गरीब व्यक्तियों का प्रतिशत उड़ीसा में 66.40 था, त्रिपुरा में यह 59.73 था, बिहार में यह 57.49 था, मध्य प्रदेश में यह 57.73 था, पश्चिम बंगाल में यह 52.54 था, तमिलनाडु में यह 52.12 था, असम में यह 51.10 था और उत्तर प्रदेश में यह 50.09 था। यह सब स्वतन्त्रता के 30 वर्ष पश्चात् भी विद्यमान हैं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : राजस्थान के बारे में क्या था ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं आपको बताऊंगा।

दिनाँक 1 मार्च, 1984 को योजना मन्त्री ने गांवों में गरीबी के कारण बताते हुए इस सभा में कहा था —क्षमा करना इस सभा में नहीं, राज्य सभा में कहा था—उन्होंने कहा कि गांव में गरीबी इस कारण है कि "वहां अभी भी बहुत बड़ी संख्या में सीमांत किसान और भूमिहीन कृषि मजदूर हैं जिसके पास गरीबी की रेखा से ऊपर उठने के लिए तथा अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए परिसम्पत्ती के रूप में उत्पादन के बहुत थोड़े साधन हैं।" सभा के समक्ष वित्त मन्त्री द्वारा वित्त बिल प्रस्तुत किए जाने के बाद मैं इसे पढ़ने की कोशिश कर रहा था और साथ में वित्त मन्त्री द्वारा दिये गए वित्तीय प्रस्ताव भी। मैं यह देखने की कोशिश कर रहा था कि इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए उस विधेयक में कुछ है भी। उसमें क्या है ? भूमिहीन व्यक्तियों को कुछ राहत देने के लिए बस एक कार्यक्रम है। परन्तु भूमि सुधार के बारे में क्या कहा गया है ? पश्चिमी बंगाल के भूमि सुधार बिल पर पिछले तीन वर्षों से नार्थ ब्लाक अथवा साउथ ब्लाक के लिए अभिलेखा मैं नहीं जानता कहां, धूल चाट रहे हैं, रही है।

सभापति महोदय : नार्थ ब्लाक, यह तो गृह मन्त्रालय करता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरे विचार से यह ग्रामीण विकास मन्त्रालय से सम्बन्धित है।

सभापति महोदय : राज्य विधायक को गृह मन्त्रालय द्वारा निपटाया जाता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप ठीक कहते हैं। आप मन्त्री थे। आपने कई विधेयकों को रोका, तभी स्थिति ऐसी हो गई है। जहां तक बेरोजगार व्यक्तियों का सम्बन्ध है—मैं नहीं जानता—आंकड़े ये हैं कि 1980 में उनकी संख्या 162 लाख थी और 1981 में यह 219.53 लाख थी उनमें से वर्ष 1980 में 3.47 लाख कुल लोगों को रोजगार दिया गया—यह रोजगार केन्द्रों के आंकड़े अनुसार है—

और वर्ष 1981 में ये 3.72 लाख व्यक्ति थे, वर्ष 1982 में ये 3.42 लाख थे और वर्ष 1983 में ये 3.35 लाख थे। ये आंकड़े सभा में पूछे गए प्रश्नों के दिए गए उत्तरों के अनुसार हैं। और जहां तक शिक्षित नौकरी ढूंढने वालों का सम्बन्ध है ये, वर्ष 1983 में 108.64 लाख थे, वर्ष 1978 में 64.5 लाख थे और जहां तक तकनीकी व्यक्तियों का सम्बन्ध है रोजगार केन्द्रों के अभिलेखों के अनुसार दिनांक 31-12-1983 को इन्जीनियरी स्नातकों की संख्या 24239 थी, चिकित्सा स्नातकों की संख्या 19,177 थी। मैं इसके सम्बन्ध में आपको एक और आंकड़ा देना चाहता हूं। जहां तक नौकरी ढूंढने वालों की संख्या का सम्बन्ध है यह अब 183 लाख है। इनमें से दसवीं कक्षा के नीचे के 92 लाख हैं, दसवीं पास 73 लाख हैं, स्नातक 14.43 लाख हैं और उत्तर-स्नातक 1.59 लाख है। जहां तक इस देश में बेरोजगारी का सम्बन्ध है उसकी स्थिति यह है। अब हम देखते हैं कि बहुत से कार्यक्रम घोषित कर दिये गये हैं। शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वत: रोजगार प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम है। मैं वित्त मन्त्री जी से गंभीरतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि यदि इस कार्यक्रम को उचित प्रकार से कार्यान्वित किया जाये तो बेरोजगार युवकों को कुछ राहत दी जा सकती है। किंतु यह किस प्रकार किया जा रहा है। और सारे देशभर में कितना पैसा बांटा गया है ? मैं राज्यवार आंकड़े जानना चाहता हूं। मैं तो कहूंगा कि जिस प्रकार यह कार्यक्रम किया जा रहा है, उसकी सही आलोचना हुई है। कभी-कभी आप अच्छे कार्य भी इस प्रकार से करते हैं कि आप आलोचना को निन्त्रमण दे देते हैं ! जैसाकि कहा गया है अभी उधार मेले लगे थे। मैं जानना चाहता हूं कि जहां तक इस कार्यक्रम का सम्बन्ध है विपक्ष के कितने सांसदों को विश्वास में लिया गया था।

सभापति महोदय : कांग्रेस के सांसदों को भी विश्वास में नहीं लिया गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं यह जानकर खुश हूं क्योंकि यह मेरा अगला वाक्य था। सत्ताधारी पार्टी के सांसदों को भी विश्वास में नहीं लिया गया पर मैं इस पर विश्वास नहीं करता। यदि मेरी उपस्थिति में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कुछ पैसा बांटा जा रहा है तो चुनाव के समय लोगों का समर्थन मुझे अवश्य मिलेगा। हमारे वित्त मन्त्री जी के ऐसे विचार रहे होंगे। हम देखते हैं कि इस देश के कुछ विशेष क्षेत्र में उनके दौरे बढ़ गए हैं। उनका स्वागत है। मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु यह कोई तरीका नहीं है ! आप कृपया सभा और जनता को बताइये कि इन योजनाओं का आप कैसे उपयोग कर रहे हैं और कितने युवकों को सही प्रकार से लाभ हुआ और चयन का क्या तरीका है। ऐसा लगता है कि विशेष उद्देश्यों, जिन्हें स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है, के लिए इन योजनाओं को दिल्ली में केन्द्रित किया गया है।

औद्योगिक स्थिति के सम्बन्ध में हमारे देश की क्या हालत है ? हालत यह है कि 1972 में भारतीय एकाधिकार गृहों की परिसम्पत्ति 2883 करोड़ मूल्य की थी और 1981 में यह 8987 करोड़ रुपये हो गई है। कृपया बढ़त के प्रतिशत की ओर ध्यान दें। जहां तक बिक्री का सम्बन्ध है टाटा की बिक्री वर्ष 1981 में 2389 करोड़ से बढ़ कर वर्ष 1982 में 2883 करोड़ रुपये हो गई है, अब हालत यह है। मैं उन सबके बारे में नहीं पढ़ना चाहता जहां तक हमारे एकाधिकार गृहों का सम्बन्ध है वे अपनी परिसंपत्ति, बिक्री और लाभ का विस्तार कर रहे हैं। एकाधिकार गृहों की कुल संपत्ति 14000 करोड़ रु० से बढ़ कर 21000 करोड़ रुपये हो गई है। उनकी बिक्री 20,000 करोड़ रुपये से बढ़ कर 24000 करोड़ रुपये हो गई है और उनका लाभ 11000 करोड़ रुपये से बढ़ कर 1334 करोड़ रुपये हो गया है। 1980 और 1981 से, दो वर्षों में परिसंपत्ति की बढ़ोत्तरी 43 प्रतिशत है एक वर्ष में बिक्री 22 प्रतिशत बढ़ी है और इनका लाभ 19 प्रतिशत बढ़ा है। अत: इस देश के सबसे बढ़िया संसाधन किसे मिल रहे हैं किसके लाभ के लिये इन्हें उपयोग किया जा रहा है। इस देश में निगम भी हैं।

उन्हें दोनों ही तरफ से फायदा हो रहा है। उनका उत्पादन बढ़ रहा है, मुनाफे में वृद्धि हो रही है और उनकी सहायक कम्पनियों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। उनकी परिसम्पत्ति 1739 करोड़ रुपये से बढ़कर 1893 करोड़ रुपये हो गई है और दो वर्षों अर्थात् 1978 से 1980 में उनका मुनाफा 267 करोड़ से बढ़कर 283 करोड़ रुपए हो गया है। यह है स्थिति। बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां फायदा उठा रही हैं। छोटी तथा मध्यम उद्योग गायब होते जा रहे हैं। सरकार द्वारा चलाए जा रहे उद्योग बन्द रहे हैं। बहु-राष्ट्रीय तथा एकाधिकार घराने सर्वोत्तम सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।

मैं सदन का ध्यान राजस्व संग्रहण ढांचे की ओर दिलाना चाहूंगा। हमारे राजस्व संग्रहण ढांचा यह दर्शाता है कि सरकार ने जो उपाय किए हैं जिससे अमीर एवं समृद्ध लोगों पर नए करों का कम से कम बोझ पड़ता है। जैसाकि सभी लोग जानते हैं प्रत्यक्ष कर समृद्ध लोगों पर लगते हैं। अब प्रत्यक्ष करों में कमी कर दी गई है जबकि अप्रत्यक्ष करों में, जिनका लगभग सम्पूर्ण हमारी जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है, बेतहासा वृद्धि हो रही है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि इस सरकार के एकाधिकारवादी दोस्त एवं समृद्ध व्यक्ति प्रत्यक्ष कर के बोझ को कम करने में सफल रहे हैं और यह सब इस वर्ग के लोगों का हमारे देश की नीति बनाने वाली शक्ति पर प्रभाव का द्योतक है। इस बोझ के भागीदार बने बिना वे देश में चल रहे विकास कार्यक्रमों का सबसे अधिक लाभ उठा रहे हैं।

जहां तक प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों के अनुपात का सम्बन्ध है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं आपसे इसे देखने का अनुरोध करूंगा। प्रत्यक्ष कर जो कि 1952 में 43.32 प्रतिशत था यह कम होकर 20.97 प्रतिशत यानी आधे से भी कम रह गया है, जबकि अप्रत्यक्ष कर 56.68 प्रतिशत से बढ़कर 79.03 प्रतिशत हो गया है। आज देश में अप्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष का अनुपात 4 : 1 है। अतः हमारे देश में एक बड़ा वर्ग जिसमें अधिक गरीब व्यक्ति···(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आपके सहयोग से जब श्री अग्रवाल मन्त्रालय में थे तब अनुपात क्या था ?

श्री सतीश अग्रवाल : 75 : 25।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ठीक है, महोदय, जब आपने प्रश्न कर ही दिया है तो मैं इसका उत्तर दूंगा। मैं सरकार के आंकड़ों से उद्धृत कर रहा हूं। मैं 1977 से शुरू करता हूं, 1977 में प्रत्यक्ष कर 27 प्रतिशत थे। 1978-79 में 24 प्रतिशत थे। 1979-80 में 23.53 प्रतिशत और उसके पश्चात् इसमें निरन्तर ह्रास होता आ रहा है। 1983-84 में यह 20.97 प्रतिशत रह गया है। ह्रास की प्रक्रिया 1969-70 से शुरू हो गई। अतः जहां तक अप्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष करों का सम्बन्ध है यह 4 : 1 के अनुपात में है। इस देश के लोगों की ये वित्तीय और आर्थिक स्थिति है जहां कि बेरोजगारी और गरीबी अत्यधिक है, जहां कि गरीबी बढ़ रही है और बहु-राष्ट्रिक तथा एकाधिकारी घरानों को अधिक से अधिक लाभ मिल रहे हैं।

आइए इस वर्ष के वित्तीय प्रस्तावों पर एक नजर डालें। इस वर्ष प्रत्यक्ष करों में कमी हुई है। जहां तक आयकर का सम्बन्ध है, इसमें 180 करोड़ रुपये तक की कमी हुई है। इसका लाभ किसे हो हो रहा है ? आयकर दरों में कमी के कारण, 16,000 रुपये प्रति वर्ष करयोग्य निम्न आय खण्ड वाले व्यक्तियों को कर देने के पश्चात् उनकी जो आय रहेगी उसमें 0.4 प्रतिशत का फायदा होगा। 50,000 प्रति वर्ष आय खण्ड वाले व्यक्तियों को 3.9 प्रतिशत लाभ होगा तथा एक लाख रुपए

प्रति वर्ष आय खण्ड वाले व्यक्तियों को 8.9 प्रतिशत का और पांच लाख प्रति वर्ष आय खण्ड के व्यक्तियों को 14.8 प्रतिशत का लाभ होगा। हमारे देश में बहुत ही कम लोग आयकर देते हैं, आयकर में कमी 180 करोड़ रुपये तक की है। किन्तु उन्होंने यह कमी 59 करोड़ रुपये बतायी है क्योंकि उन्हें आशा है कि कर नियमों का अच्छी तरह पालन होगा। किन्तु कमी 180 करोड़ रुपये की है। अत: कुल मिलाकर पांच प्रतिशत कमी का फायदा है शब्दावली कुछ भी हो, फायदा सबसे उच्च आय वाले वर्ग को ही होगा।

सभापति महोदय : यह पांच प्रतिशत कमी सबके लिए नहीं हैं ; 50,000 से 65,000 तक के आय वर्ग के लिए यह नहीं है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सम्भवत: यह सिर्फ एक आय खण्ड के लिए नहीं है। कम से कम आपने इस प्रकार अपनी आय तो बतायी।

मुझे खुशी है कि कल ही माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़े व्यापारियों की एक बैठक में बताया कि वे इसे बिल्कुल भी बरदाश्त नहीं करेंगे कि कम्पनियों के फायदों को कम्पनियों में प्रबन्धन के अनुवांशिक प्रणाली को बनाए रखने के लिए उपयुक्त किया जा रहा है। मुझे खुशी है और मैंने इसे बहुत ही दिल-चस्पी से पढ़ा। मुझे आशा है कि वह वास्तव में विश्वास रखते हैं कि इस देश में जीवन के किसी भी अंग में आनुवांशिकता एक अनिवार्य शर्त है।

एक माननीय सदस्य : सिवाय राजनीति के ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जहां तक सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में वृद्धि का सम्बन्ध है, इस बजट में सीमा शुल्क में 465 करोड़ रुपए का तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में 33 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। निश्चित ही, उन्होंने आज कुछ छूट भी दी हैं। ये सभी मूल्यों में वृद्धि करेंगी तथा अप्रत्यक्ष करों की मात्रा बढ़ायेंगी।

जहां तक वर्तमान वित्त विधेयक में प्रत्यक्ष कराधन का सम्बन्ध है, इसकी मात्रा कम है। परन्तु अप्रत्यक्ष करों में 400 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। अतः हमारे अनुसार इस नीति से देश के जनसाधारण को लाभ नहीं होगा।

एकाधिकार घरानों के सम्बन्ध में, सितम्बर 1982 में बिरला के बकाया कर 144 लाख रुपये के थे। श्री राम के 174 लाख रुपये, बांगुर के 24.50 लाख रुपये, टाटा के 5.94 लाख रुपये मफत लाल के 12.94 लाख रुपये तथा सिंघानिया के 3.64 लाख रुपये। वे कर का भुगतान नहीं करते हैं तथा वंशानुगत प्रणाली के ढांचे की वजह से सभी लाभ प्राप्त करते हैं। देश में कराधान ढांचे की स्थिति यह है। इसीलिए हम कहते हैं कि जहां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के वितरण का सम्बन्ध है वह व्यक्ति जो कि प्रभावशाली है उनका देश की नीति के निर्माण की प्रक्रिया पर सबसे अधिक प्रभाव है।

इस वर्ष 1,762 करोड़ रुपए का घाटा है। निश्चित ही तेल क्षेत्रों से अतिरिक्त धन की पूर्ति से यह सम्भव हुआ है। हमारे विचार से इससे मुद्रा स्फिति बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। किन्तु मैं स्वीकार करूंगा कि इस बजट में कुछ अच्छी बातें भी हैं। बेनामी सम्पति रखने के विरुद्ध प्रावधान किया गया है। पहले यह एक मजाक था। कार्यवाही शुरू करने के एक दिन पहले यह किया

जाता था और इसका दुरुपयोग किया जा रहा था। उन्होंने इसे बन्द कर दिया है। न्यास तथा धर्मार्थ पर कराधान के लिए प्रावधान था। यद्यपि उन्हें आज कुछ कम कर दिया गया है। फिर आयकर के संक्षिप्त कर निर्धारण, और खाण्ड सारी तथा अन्य मदों पर शुल्क में छूट के लिए आग्रह किया गया है। हालांकि कुल बजट व्यवस्था में इनका स्थान बहुत ही कम है फिर भी ये प्रस्ताव स्वागत योग्य हैं।

इनमें से कुछ कराधान प्रस्तावों के सम्बन्ध में उन्हें बधाई देता हूं परन्तु इसके तुरन्त बाद में वर्तमान कराधान प्रस्तावों का राज्य सरकारों पर पड़े प्रभाव तथा इसके कारण उत्पन्न हुई गंभीर स्थिति के बारे में बताऊंगा। जैसाकि मैंने कहा, चूंकि उन्होंने अपने दल के चुनाव पहलुओं को सामने रखा है, उन्हें ये लोकप्रिय उपाय करने ही होंगे। उन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए आबंटन में 4,030 करोड़ रुपये अर्थात 47 प्रतिशत की वृद्धि की है। उन्होंने आयकर दर में कमी की है, मध्यम आय वर्ग द्वारा उपयोग की जाने वाली उपभोक्ता वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क दरों में कमी की है तथा उन्होंने मध्यम वर्ग के लोगों पर लगे करों में वृद्धि न करने का प्रयत्न किया है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : और वे सभी अच्छे हैं।

श्री अमलदत्त (डायमण्ड हार्बर) : मूल्य वृद्धि का क्या होगा ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री रंगा जी, बात सिर्फ यह है कि जब भी आप कुछ अच्छा कार्य करते हैं हम तारीफ करते हैं। किन्तु अधिकतर क्षेत्रों में परिणाम अनर्थकारी हैं।

स्थिति यह है। राज्यों पर कराधान प्रस्तावों का प्रभाव विचारणीय है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं ओवर-ड्राफ्ट के प्रश्न को नहीं ले रहा हूं क्योंकि इस पर चर्चा करने के लिए हमें बाद में मौका मिलेगा। इसलिए मैं अभी उसको नहीं ले रहा हूं। किन्तु मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अगर उन्होंने इसे उपयुक्त समझा है कि आयकर-दरों में कमी होनी चाहिए, तो उन्होंने अधिशुल्क की दरों में कमी नहीं की, ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अधिभार की राशि राज्यों को नहीं जाती है, इस सम्पूर्ण राशि का विनियोग केन्द्र द्वारा किया जाता है। पिछली दफा जब उन्होंने अधिभार की दरों को बढ़ाया हम सभी जानते थे ऐसा क्यों किया गया, ताकि सभी कुछ दिल्ली में ही रहे और राज्यों के सभी मुख्य मन्त्रियों तथा वित्त मंत्रियों को यहां आना पड़े।

अप्रत्यक्ष करों में सीमाशुल्क को 400 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। जैसाकि आप जानते हैं सीमाशुल्क का राज्यों के साथ बंटवारा नहीं करना होता है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जिसका राज्यों के साथ बंटवारा होता है उसमें अल्प वृद्धि हुई है। आज भी छूट दी गई है। राज्यों के सम्बन्ध में परिणाम क्या निकला है। आयकर की राशि तथा केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए करों की कुल प्राप्ति में राज्यों के हिस्से में 180 करोड़ रुपए की कमी है। यह 1980-81 में 28.8 प्रतिशत थी, अब 24.4 प्रतिशत है।

महोदय, एक लेख में यह कहा गया है कि केन्द्रीय करों से होने वाली प्राप्तियां, जो कि राज्यों को दी जा रही हैं, का अनुपात उतना ही है जितना 1980-81 में था, राज्यों को 1984-85 में करों की प्राप्तियों के हिस्से के रूप में 1000 करोड़ रुपए से अधिक राशि मिलनी चाहिए। प्रो० रंगा अगर 1980-81 में शुरू की गई दरों को माना जाता तो 1000 करोड़ रुपए की अधिक राशि राज्यों को मिल गई होती।

जहां तक केन्द्र के शुद्ध राजस्व का सम्बन्ध है। इसमें 272.88 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। यह 193.8 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व का आधे से अधिक है, जबकि घाटा राज्यों को उठाना है।

अब स्थिति इस प्रकार है। जहां तक आयकर में कमी का सम्बन्ध है जिसका श्रेय वे ले रहे हैं, प्रत्यक्ष नतीजा राज्यों को कम राजस्व मिलना है। वह राज्यों से अधिक से अधिक संसाधनों को तैयार करने के लिए कह रहे हैं। केन्द्रीय सरकार के पास संसाधनों को बढ़ाने के लिए विभिन्न तरीके हैं—नोट छापना, देश के बाहर तथा अन्दर ऋण लेना तथा उधार लेना। सब कुछ यहां पर है। किन्तु जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है, अगर विभाज्य मूल से केन्द्रीय आबंटन को कम कर दिया जाए, तो इससे राज्यों की गरीबी में कमी आयेगी। यह बहुत ही गम्भीर विषय है।

जहां तक विभाजन मूल का सम्बन्ध है, हमने देखा है कि राज्यों को दी जाने वाली राशि में निरंतर कमी हो रही है। इसीलिए, मैं जोरदार शब्दों में कहता हूं कि यह तरीका, जो अपनाया गया है, राज्यों के हितों के विरुद्ध है, इससे यही पता चलता है कि केन्द्रीय सरकार देश के वित्तीय संसाधनों पर अपना एकाधिकार रखना चाहती है जबकि संविधान के अन्तर्गत लोक कल्याण परियोजनाओं के कार्यान्वय का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है।

जहां तक राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की वार्षिक योजना-परिव्यय का सम्बन्ध है, केन्द्रीय योजना संसाधनों में तो 25 प्रतिशत वृद्धि होने जा रही है, किन्तु राज्य योजना संसाधनों में केवल 9.5 प्रतिशत वृद्धि हुई है। केन्द्रीय सहायता में केवल 12 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी। इसीलिए, केन्द्र को प्राप्त संसाधन अधिक होंगे। राज्यों को प्राप्त संसाधन कम होंगे और जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है, योजना के कार्यान्वयन पर इसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा।

योजना में कुल परिव्यय का 51 प्रतिशत से अधिक राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए प्रस्तावित किया गया था। फिर भी, 1983-84, 1984-85 के आबंटन को लेकर, केन्द्रीय योजना ने पांच वर्षों की अवधि में कुल परिव्यय का 53.7 प्रतिशत लिया है। इसका अर्थ है कि राज्यों की योजनाएं इससे प्रभावित होंगी। अब हम इसके विरुद्ध हैं। हम निवेदन करते हैं कि देश में उचित विकास करने का यह तरीका नहीं है। क्षेत्र-क्षेत्र में, प्रदेश-प्रदेश में विषमता बनी हुई है और यह देश के विकास के लिए अच्छा नहीं है।

मैं एक अन्य घातक प्रणाली के बारे में बताए बिना नहीं रह सकता जो हमारे लगातार आपत्ति और विरोध के बावजूद भी देश में बनी हुई है अर्थात माल-भाड़े में समानीकरण की प्रणाली। हम यह मामला कब से उठा रहे हैं अब तक इसके लिए हमें कोई तर्कसंगत, स्वीकार्य आधार नहीं बताया गया है कि यह प्रणाली क्यों प्रारम्भ की गयी थी और यह अब भी प्रचालित क्यों है। आप जानते हैं, 1957 में, श्री कृष्णभाचारी ने इस प्रणाली को प्रारम्भ किया था जिसके द्वारा कोयला और स्टील सारे देश में एक ही मूल्य पर प्राप्त हो रहे हैं। माल-भाड़े के समानीकरण द्वारा मूल्य में समानीकरण किया गया अर्थात ये वस्तुएं देश में एक ही मूल्य पर सुलभ हैं। किन्तु जहां तक कपास, उर्वरक, नमक, रसायन, चीनी तथा अन्य वस्तुओं का सम्बन्ध है जो उद्योग और उत्पादन इकाइयों के लिए आवश्यक हैं ये वस्तुएं पूर्वी भारत में—बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उत्तरी-पूर्वी भारत में उपलब्ध नहीं हैं। हमें बहुत अधिक मूल्य देना पड़ता है। इन वस्तुओं को पाने के लिए हमें सामान्य माल-भाड़ा देना पड़ता है और पूर्वी भारत का

भौगोलिक लाभ समाप्त हो जाता है। इस देश के किसी भी भाग के विकास पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम यह चाहते हैं कि इससे अप्रसन्न नहीं हैं। हम इसके लिए अनिच्छुक नहीं हैं। किन्तु हम कहते हैं, हमें भी अन्य भागों जैसी ही सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। इससे अधिक हम कुछ नहीं कह रहे हैं। यदि हमें अपनी सूत कपास, औद्योगिक एल्कोहाल और अन्य उपादानों के लिए अधिक देना पड़ेगा तो हमारी उत्पादन लागत भी अधिक होगी। यह लाभ, जहां तक स्टील और कोयले का सम्बन्ध है, जो देश के अन्य भागों में सुलभ हैं हमें सुलभ नहीं हैं। इसीलिए, हम मांग करते हैं, जैसाकि मराठे समिति ने भी सिफारिश की थी, कि इस प्रणाली को समाप्त किया जाए। हमें बताया गया है कि इस सम्बन्ध में कार्रवाई की जा रही है यह कार्रवाई जल्दी पूरी की जानी चाहिए और हमें यह पता चलना चाहिए कि परिणाम क्या है।

दो और बातें हैं। बजट भाषण में देश में काले धन और उस पर नियन्त्रण करने के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा गया है।

श्रीमन्, देश में एक समांतर अर्थव्यवस्था है। सरकार ने धारक बोर्ड योजना प्रारम्भ की और मैं समझता हूं कि उससे 900 करोड़ रु० के आसपास धन मिला। वे बहुत प्रसन्न हुए थे यद्यपि अनुमान यह है कि इस देश में 20,000 करोड़ या 30,000 करोड़ रु० कालाधन प्रचलन में है। मैं नहीं जानता हूं कि श्री पुजारी के बैंकों में इसका कितना हिस्सा है। श्रीमन्, धारक बांड योजना से केवल 900 करोड़ रु० ही प्राप्त हो सके। आप इस काले धन के लिए क्या करने जा रहे हैं? यह कोई अनजानी बात तो नहीं है कि इस देश की अर्थव्यवस्था पर काले धन का शासन है? काले धन से की जाने वाली तस्करी के बारे में आप क्या करने जा रहे है? तस्करी का सामान सभी नगरों में और सभी राज्यों में खुले रूप में उपलब्ध है। अब, इस काले धन का प्रयोग काला धन पैदा करने के लिए ही किया जा रहा है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जब हम धारक बांड योजना पर चर्चा कर रहे थे, उस समय मैंने कहा था कि यह एक ऐसी योजना है जो काले धन के लिए सफेद धन को निकाल रही है। इस देश की यह स्थिति है। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को इस बारे में तनिक भी चिंता नहीं है क्योंकि इसके लिए न ही किसी प्रस्ताव, न ही किसी योजना का उल्लेख किया गया है तथा अर्थव्यवस्था में से काले धन को दूर करने और उस पर नियन्त्रण पाने के लिए भी किसी प्रशासनिक या राजनीतिक इच्छा को व्यक्त नहीं किया गया है।

रुग्ण उद्योग के बारे में मेरी माननीय वित्त मंत्री से एक विशेष अपील है, सरकारी इकाइयां बन्द होती जा रही हैं। सरकार द्वारा संचालित, प्रबन्धित और नियन्त्रित इकाइयां अक्षमता के आधार पर एक के बाद एक बन्द होती जा रही हैं। मैं इस सरकार की नीति जानना चाहता हूं। आप उनके लिए कोई वैकल्पिक रोजगार प्रदान नहीं कर रहे हैं। उनमें से कितने श्रमिक उत्तरदायी हैं? क्या ऐसा कोई अध्ययन किया गया? मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक बहुत बड़ी फैक्टरी है—'बिको लॉरी कम्पनी लिमिटेड' जिसमें 1400 श्रमिक काम करते हैं। यह कम्पनी स्विचगियर तथा अन्य वस्तुओं का निर्माण करती है। उसके बनाए माल के ग्राहक सारे भारत में हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि के राज्य विद्युत बोर्ड इसके ग्राहक हैं। मुझे यह सुनकर बहुत हैरानी हुई कि इसे बन्द करने का निर्णय ले लिया गया है। मुझे बताया गया कि अन्तिम निर्णय लिया जा रहा है। मैं माननीय वित्त मंत्री और यदि अन्य कोई केबिनेट मंत्री हों तो उनसे भी अनुनय करता हूं कि कम से कम मंत्रिमण्डल में इस निर्णय को स्वीकृति न दी जाए।

'बर्न स्टेन्डर्ड कम्पनी' में दो इकाइयां बन्द हो चुकी हैं। 'कार्टर कूलर कम्पनी' और 'कन्टेनर्स एण्ड क्लोजर्स लिमिटेड' जैसे उद्योगों को, जिनको वर्षों से सरकार चला रही है, बन्द कर दिया गया है। मैं प्रसन्न हूं और हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने कुछ प्रयास किए। मैं जानता हूं कि श्री प्रणव मुखर्जी ने कुछ प्रयास किए हैं तथा 'इंचेक' और 'नेशनल रबर' का राष्ट्रीयकरण करने के उनके प्रयासों के लिए मैं खुले रूप से आभार प्रदर्शन करता हूं। 'इण्डियन रबड़' के बारे में मैं नहीं जानता कि क्या होगा। इस देश का वित्त मंत्री, भारत का वित्त मंत्री, इस स्थिति को कैसे बने रहने दे सकता है। मैं नहीं जानता हूं। यह काम अक्षम इकाइयों—जिनका नियन्त्रण और प्रबन्ध वर्षों से सरकार के हाथ में है—का तर्क देकर किया जा रहा है। 'कंटेनर्स एण्ड क्लोजर्स लिमिटेड' का प्रबन्ध गत दस वर्षों से 'भारतीय उद्योग पुनर्वास निगम' (आई० आर० सी० आई०) के हाथों में था और अब इसे बन्द कर दिया गया है। अब मैं माननीय वित्त मंत्री और सरकार से अपील करता हूं, "कृपया यह मत कीजिए !"

इस तरीके से आप निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दे रहे हैं। यदि सरकार संसाधनों के अभाव अथवा सक्षमता के बारे में कोई विशेष अध्ययन किए बिना उद्योग को बन्द कर सकती है तो क्या होगा, श्रीमन 'बिको लॉरी कम्पनी लिमिटेड' में, मैं श्रमिक संघ का अध्यक्ष हूं। वहां कोई परेशानी नहीं हुई। हम सभी ने अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह किया। यह एक सरकारी संस्थान है और हम इसकी सहायता करना चाहते हैं। हम सरकारी क्षेत्र में ही विश्वास रखने वाले हैं। इस देश में अधिकारियों का एक वर्ग है और लोगों का एक वर्ग है जो सरकारी क्षेत्र की प्रतिष्ठा को कलंक लगाना चाहता है, उसे बदनाम करना चाहता है। वे राष्ट्रीयकरण का विरोध कर रहे है ; वे सरकारी नियन्त्रण का भी विरोध कर रहे हैं। वे ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर एक सरकारी उद्योग घाटे में चलेगा, उसको चलाया नहीं जा सकता है और इसीलिए इस देश में ऐसा वातावरण पैदा करने का एक षडयन्त्र रचा जा रहा है जिससे एक के बाद एक सरकारी इकाइयां बन्द होती जा रही हैं। कृपया आप श्रमिकों की तो सोचिए, 1400 श्रमिक क्या करेंगे। उन्हें उनका अपराध भी नहीं बताया गया है। उनसे कभी सलाह-मशविरा भी नहीं किया गया है। मैं इसके बारे में माननीय मंत्री से पूछता हूं। आपने मुझसे कभी भी नहीं कहा कि वहां कुछ करना है या वहां की स्थिति कैसी है। हमें मेज पर आमने-सामने बैठकर स्थिति को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। किन्तु आप वर्षों से चल रही एक सुस्थापित इकाई को इस प्रकार से बन्द करने का निर्णय नहीं ले सकते हैं।

यह बहुत गम्भीर विषय है। मुझे माननीय मंत्री से आशा थी कि जहां तक इन रुग्ण इकाइयों का सम्बन्ध है, इसके लिए बजट भाषण और कुछ वित्तीय प्रस्तावों दोनों में कुछ ठोस पग उठाएंगे। उनमें से कुछ प्रबन्धन और सरकार द्वारा रुग्ण किए गए हैं उत्तरदायित्व किसको वहन करना चाहिए, श्रमिकों को या सरकार को ? यदि सरकारी क्षेत्र की कोई इकाई ठीक से नहीं चलती है तो हमें अप्रसन्नता होती है। किन्तु यह प्रबन्धन की समस्या है या श्रमिकों की, यह निश्चित तो करना ही होगा। यह वित्तीय समस्या है या नहीं ? बहुत से मामलों में हमने देखा कि कम्पनियों का प्रबन्ध सही हाथों में नहीं है।

राष्ट्रीय पटसन निर्माता निगम के सम्बन्ध में, मैं बहुत सी बातें अनेकों बार जो भी वाणिज्य मंत्री रहा, के ध्यान में लाया। किन्तु क्योंकि उन्हें संरक्षण मिला हुआ है, अतः कोई भी उन्हें हाथ नहीं लगा सकता है। मुझे उत्तर मिला, "हां, शिकायतें तो की गयी थीं किन्तु उनमें कोई सार नहीं निकला।" शिकायतों को कौन देखता है ? प्रबन्ध ही देखता है उनके विरुद्ध की गई शिकायतों को वे ही देखते थे और वे स्वयं ही कहते थे, "हम अच्छे लोग हैं।"

इस तरीके से जांच की जा रही है। एक मामला है जिसमें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने स्वयं ही हस्तक्षेप किया क्योंकि कुछ करघे, जो काम करने की स्थिति में थे, उन्हें रद्दी माल के रूप में बेच दिया गया। मेरे संघ के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया, पुलिस को लाया गया। प्रबन्ध-मण्डल को भी लाया गया और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सूचित किया गया। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने स्वयं ही एक मुकद्दमा शुरू कर दिया। माननीय मंत्री अब सभा में कहते हैं कि कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ। नए करघे रद्दी सामान के रूप में बेचे जा रहे हैं। इस बात का पता कर्मचारियों द्वारा लगाया गया है और प्रबन्ध मण्डल के ध्यान में इस बात को लाया गया है। किन्तु उसका परिणाम उन्हें इस प्रकार से मिल रहा है। सरकार उनके काले कारनामों को छिपाकर उनका पक्ष ले रही है।

जहां तक वर्तमान मूल्य स्थिति का सम्बन्ध है। माननीय वित्त मंत्री ने 'अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष' के ऋण के बारे में सर्वनाश की भविष्यवाणी करने वाले लोगों पर छींटाकशी की।

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : मैंने कसांड्रा कहा था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होंने 'सर्वनाश की भविष्यवाणी करने वाले' कहा था। हमारे तेल क्षेत्र में यदि अधिशेष न होता, तो यह कयामत की घड़ी आ सकती थी। इसे कोई भी देख सकता। किन्तु एक बात मत भूलिए। मैं माननीय वित्त मंत्री को स्मरण कराना चाहता हूं कि बीते हुए वर्ष में बहुत अच्छा खाद्यान्न उत्पादन होते हुए भी मूल्य सूचकांक में सितम्बर के बाद अपेक्षित गिरावट नहीं हुई थी। इस बात को मत भूलिए। आप यह अपेक्षा मत कीजिए कि भविष्य में भी ऐसा ही उत्पादन आवश्यक रूप से होगा।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है अनिश्चितता जिसका माननीय मंत्री ने उल्लेख किया। आगामी चुनाव ने संसद-सदस्यों के दिमागों में अनिश्चितता पैदा कर दी है। एक अनिश्चित घटना, जिसने माननीय वित्त मन्त्री को कर-राहतें देने और करांधान को निम्न स्तर पर बनाए रखने के लिए प्रेरित किया, इस बात को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त खर्च भी कराएगी कि यदि मैं प्रो० भावातोष दत्त के शब्दों को उद्धृत करूं, "चुनाव" को सार्थक बनाने के लिए।

इस घटना को अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए आपको अवश्य अधिक खर्च करना पड़ेगा। जितना ही चुनाव का समय नजदीक आयेगा, उतना ही खर्च बढ़ेगा। इसी कारण अनुपूरक बजट में बहुत घाटा दिखाए जाने की केवल सम्भावना ही नहीं, अपितु यह बात निश्चित ही है। अधिक कर लगाए जाने का प्रस्ताव रखा जाएगा और सातवीं पंचवर्षीय योजना में आवश्यक रूप से करों का भारी बोझ डाला जाएगा।

आप देखते हैं कि इसी कारण सभी कांग्रेस (ई) राज्य माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा बताए मार्ग पर चल रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, यह चुनाव वर्ष है। आप यह मत भूलिए। लोगों को उत्तेजित मत होने दीजिए। और अधिक कर मत लगाइए। इन करों को कम करते जाइए और इन करों को इस तरीके से कम कीजिए जिससे ऐसा प्रतीत हो कि आप लोगों की भलाई के लिए बहुत चिन्तित हैं।

सभापति महोदय : पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में क्या किया गया है?

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमने कर बढ़ा दिए हैं। फिर भी माननीय वित्त मंत्री जी कभी खुश

दिखाई नहीं देते। मैं नहीं जानता। स्थिति यह है कि लोगों को इस प्रकार के हथकण्डों द्वारा खुश करना के प्रयासों से आपको उन लाभों से वंचित रहना होगा जो लाभ आप प्राप्त करना चाहते हैं लोग अपने निर्णय देंगे। आप यह मत भूलिए कि इस देश में 60 प्रतिशत लोग अभी गरीबी की रेखा से नीचे हैं। करोड़ों लोग अभी भी बेरोजगार हैं। करोड़ों लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता। 70 प्रतिशत लोग अभी अशिक्षित हैं। आप इन बातों (तथ्यों) को मत भूलिए। दिल्ली में आप जो कुछ देखते हैं और दिल्ली में आपके पास जो कुछ है, केवल उसे ही मत लीजिए। मैंने एक बार प्रो० एन० जी० रंगा से भी निवेदन किया था कि सत्ता के बहुत नजदीक होने के कारण, आप भी अपना परिप्रेक्ष्य खो चुके हैं। मैं निवेदन करता हूं कि यद्यपि इस वित्त विधेयक में बाहरी रूप से कुछ अच्छे लक्षण हैं जहां तक कि यह सामान्य लोगों पर करों के भार को कम करता है, हम निश्चित रूप से इसका स्वागत करते हैं।

परन्तु जहां तक यह धनाढ्य वर्ग के लोगों को अधिक सुविधाएं और सहायता प्रदान करता है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : सभापति जी, माननीय वित्त मन्त्री जी ने सदन में जो वित्त विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

माननीय सभापति जी, पश्चिम बंगाल से साम्यवादी दल के माननीय सदस्य जिनसे यह आशा की जाती थी कि वे मार्क्स और लेनिन के सिद्धान्तों के आधार पर वित्त विधेयक और मौजूदा बजट प्रस्तावों के सम्बन्ध में अपनी साम्यवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा के सुझाव देंगे। आपने बड़े-बड़े धन्नासेठों की वकालत की है, आप उन्हीं लोगों को मंत्रीजी से कन्सेशन और सुविधाएं दिलाना चाहते हैं। माननीय सदस्य की सबसे बड़ी मांग आज अपनी बहस में यह रही है कि इनकम टैक्स में सरचार्ज की दर को कम किया जाए। इनकम टैक्स में सरचार्ज कौन व्यक्ति देता है, वही देता है तो कैपिटलिस्ट ग्रुप में आता है। लेकिन सी० पी० आई० (एम०) के सदस्य उन्हीं पूंजीपतियों की वकालत यहां खुले दिल से कर रहे हैं, तो मुझे इस बात को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वास्तव में आप लेनिन और मार्कसिज्म के सिद्धान्त पर चल रहे हैं या बिरला-टाटा के सिद्धान्तों पर चल रहे हैं? क्या आप उनकी वकालत करने के लिए आज सदन में खड़े हुए हैं···(**व्यवधान**)···मैं आपकी बात समझ रहा हूं, माननीय सदस्य ने आज इस सदन में इनकम टैक्स में सरचार्ज को कम करने की वकालत की है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया मुझे कुछ समय दीजिए। मैं आपको स्पष्ट करूंगा।

सभापति महोदय : मैं उनको बताऊंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जी हां। कृपया उन्हें बताइए।

सभापति महोदय : उनका कहना यह था कि अतिरिक्त कर को हटा देने से राज्यों को उनका हिस्सा नहीं मिलेगा। यह उनका प्रश्न था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जी हां। वह यह नहीं समझ पा रहे हैं कि यदि कमी करनी है तो अतिरिक्त कर और आय-कर में क्यों नहीं की जा रही। कृपया स्पष्ट कीजिए।

श्री रामसिंह यादव : आपका जो मकसद था, उसको आपने इनडायरैक्टली कहा है। असल बात को आप छिपाना चाहते हैं।

3.00 म० प०

वरना इस तथ्य को आपने स्वीकार किया है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा—पश्चिमी बंगाल की आर्थिक स्थिति के बारे में आपने नहीं कहा है। आज पश्चिमी बंगाल में आपकी सरकार है, सी० पी० आई० (एम०) की सरकार है, जिसको खासतौर से रिजर्व बैंक ने ओवर-ड्राफ्ट के लिए मना कर दिया था। मना इसलिए किया था—आपको जितना पैसा प्लाण्ड नान-प्लाण्ड स्कीम्ज के लिए दिया गया था, उम्मीद यह की जाती थी कि पश्चिमी बंगाल सरकार अपने स्रोत से और अधिक रुपया इकट्ठा करके जो प्लान्ज आपको दिए गए हैं, छठी पंच वर्षीय योजना के मुताबिक, जो टारगेट्स थे, आप उनको एचीव करेंगे। लेकिन पश्चिमी बंगाल सरकार ने अपने स्रोत में कितना टैक्स लगाया, कितनी आमदनी की, छठी पंच वर्षीय योजना में जो पैसा आपको दिया गया, उस पैसे को आपने कहां इन्वेस्ट किया है? किन प्रोजेक्ट्स के लिए किया है या ऐसे कामों के लिए किया गया है जिनसे कोई आमदनी नहीं होती है। इन सबके बारे में आपने कुछ नहीं कहा।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा—पश्चिमी बंगाल में एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में सन 1980 से 1984 तक आपके यहां कितनी वृद्धि हुई है और दूसरी स्टेट्स में, जो कांग्रेस (आई०) शासित प्रदेश हैं, उनके यहां कृषि उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा—आपने पश्चिमी बंगाल की इकानामी के बारे में यहां पर कुछ भी जिक्र नहीं किया। वहां पर आपकी क्या स्थिति है? आपने आज जो जैनरल पिक्चर खींचने कोशिश की है, आप यह जानते हैं कि केन्द्र में कांग्रेस शासन स्थापित होने के बाद पंच-वर्षीय योजना में जो लक्ष्य रखे गए थे कि राष्ट्रीय उत्पाद 5 प्रतिशत होगा, उसमें आज तक 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, राष्ट्र की जो औसत आय है उसमें 5.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राष्ट्र की पर-कैपिटा इन्कम में 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा—भारत ने आई० एम० एफ० से जो 5 बिलियन डालर्स का ऋण लिया था, उसकी आखिरी किश्त भी भारत ने स्वीकार नहीं की, इसका कारण यह था कि हमारी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। इन सब बातों को देखकर क्या आप इस नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं कि हमारे वित्त मन्त्री जी ने जो किया है—वह अपने आप में प्रशंसनीय है और उससे देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है।

इतना ही नहीं—यह बात हिन्दुस्तान के इतिहास में लिखी जाएगी कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में इस देश के किसानों ने 144 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पन्न किया है, जितना अनाज इस देश में कभी पैदा नहीं हुआ। खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य केवल 142 मिलियन टन था, लेकिन वास्तविक उत्पादन 144 मिलियन टन हुआ। उत्पादन में यह वृद्धि किसके नेतृत्व में हुई, किस सरकार के नेतृत्व और प्रोत्साहन से यह उत्पादन हुआ है?

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा—एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के साथ-साथ इण्डस्ट्रीयल प्रोडक्शन में जो हमारा लक्ष्य था उसमें आज हमारी पिछले 4 वर्षों से प्रोडक्शन वृद्धि 5 प्रतिशत से कहीं अधिक है।

3.04 म० प० (अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री अगली बार पुनः भाषण जारी रखेंगे। हमें धारा 193 के अन्तर्गत चर्चा को लेना है।

———————

3.04 म० प०

पंजाब में रेलवे स्टेशनों को आग लगाए जाने और अमृतसर में कुछ व्यक्तियों को गोली मार दिए जाने के बारे में गृह मन्त्री द्वारा सभा में 17 अप्रैल, 1984 को दिये गये वक्तव्य के बारे में चर्चा

अध्यक्ष महोदय : डा० स्वामी अब धारा 193 के अन्तर्गत चर्चा होगी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : महोदय, मैं पंजाब में रेलवे स्टेशनों को जलाये जाने और अमृतसर में कुछ व्यक्तियों को गोली मार दिए जाने के बारे में गृह मन्त्री द्वारा सदन में 17 अप्रैल, 1984 को दिए गए वक्तव्य पर चर्चा उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं।

आज देश में पंजाब की समस्या प्रथम चोटी की समस्या है क्योंकि राष्ट्रीय एकता खतरे में है। मेरे विचार में, अब गरीबी की समस्या इतनी महत्वपूर्ण समस्या नहीं है। मेरा ख्याल है कि पंजाब में स्थिति इतनी गम्भीर है कि देश की अखण्डता को खतरा पैदा हो गया है। अतः मेरा विचार है कि इस समस्या का समाधान खोजने के लिए समूचे राष्ट्र को इस ओर पूरा ध्यान देना चाहिए। मैं समाधान पर इसलिए बल दे रहा हूं कि विलम्ब से स्थिति की समीक्षा व्यर्थ हो जाती है। यदि हमारे देश का कोई भाग क्षत-विक्षत हो जाए अथवा उसका कोई भाग अलग कर दिया जाए अथवा कोई भयंकर घटना घटित हो जाए, फिर स्थिति की समीक्षा का कोई लाभ नहीं रह जाता। अतः दोष ढूढ़ना आवश्यक नहीं है अपितु समस्या को समझना और सरकार द्वारा उस पर कार्य करना आवश्यक है क्योंकि इस पर कार्य करने का उत्तरदायित्व सरकार का है। हम विरोधी दल के लोग जब यह समझते हैं कि सरकार ठीक दिशा में कार्य कर रही है तो हमेशा सरकार का समर्थन करते हैं। परन्तु जब सरकार काम नहीं करती ; अथवा गलत काम करती है तो हमें उसका विरोध करने का अधिकार भी प्राप्त है, हम उसका पूरी तरह से जोरदार विरोध करते हैं।

26 जुलाई, 1981, को श्री हरचन्द सिंह लोंगोंवाल द्वारा धर्म युद्ध की घोषणा करने के बाद, उनके द्वारा दिए गए भाषण जिसमें उन्होंने 46 मांगों का उल्लेख किया था, जो इस आन्दोलन की मांगें बन गई थीं, इन प्रश्नों के उठाये जाने के साथ ही वर्तमान स्थिति शुरू हो गई थी। इनमें से कोई भी हिन्दू विरोधी नहीं था। उनकी ये मांगें राजनैतिक, आर्थिक, प्रादेशिक और कुछ धार्मिक मामलों से सम्बन्धित थीं। परन्तु आज कल प्रायः जब मैं पंजाब के किसी भी व्यक्ति से मिलता हूं तो वे कहते हैं कि अब यह समस्या हिन्दू-सिक्ख समस्या बन गई है। प्रश्न यह है कि क्यों ? जबकि यह समस्या हिन्दू

विरोधी रूप में शुरू नहीं हुई तो अब यह साम्प्रदायिक समस्या क्यों समझी जा रही है ? कांग्रेस (इ) के आन्तरिक झगड़े के रूप में जो शुरू हुआ था उसमें अब गति आ गई है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि कांग्रेस (ई) दल में झगड़े हो रहे हैं जिसके कारण एक व्यक्ति को महत्ता प्राप्त हो गई और इस एक व्यक्ति की महत्ता के सम्बन्ध में, मुझे याद है जब मैंने 1982 के पूरे वाद-विवाद को पढ़ा तो मैंने देखा कि अधिकांश वक्ताओं द्वारा बताई गई अधिकतर बातें ये थीं कि उनके दल में जो घटनाएं घटित हो रही हैं पंजाब समस्या उन्हीं की एक झलक मात्र है। लेकिन आज यह स्थिति नहीं है। आज स्थिति यह है कि पंजाब में सरकार का ढांचा लड़खड़ा गया है और साथ ही उसे प्राप्त नैतिक अनुमति भी समाप्त हो गई है और आज केवल नाममात्र की सरकार रह गई है जिसे पंजाब और उसके बाहर लोगों की भरपूर बदनामी मिल रही है विशेषरूप से यह ऐसी सरकार के साथ हुआ है जो कि "कार्य करने वाली सरकार" के नारे पर चुनी गई थी। अतः मेरे विचार से वह बहुत ही खेदजनक आलोचना है।

मैं मन्त्री महोदय से जो प्रश्न पूछना चाहता हूं वह यह है कि आप समाधान खोजने के लिए कितनी देरी लगाएंगे ? क्या आपके पास समाधान है ? यदि आपके पास समाधान नहीं है तो आपको उस समय आकर ऐसा कहना चाहिए था। और यदि आपके पास समाधान है, तो आप इसे कितने समय तक स्थगित करेंगे ? मैं नहीं जानता कि सच्चाई (वास्तविकता) क्या है। परन्तु विरोधी दल के एक नेता ने एक बार मुझे बताया था और हममें से कुछ को बताया था—मुझे उसे उद्धृत करने में संकोच नहीं हो रहा।

...**...

मैं नहीं जानता···

(व्यवधान)

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : ये बिल्कुल बेबुनियाद बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं यह नहीं कहता कि मुझे इसमें विश्वास है।

अध्यक्ष महोदय : सुनी-सुनाई बातें अनावश्यक रूप से नहीं कही जानी चाहिए। उनसे···

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, उन्होंने इस मामले में प्रधान मन्त्री का नाम भी ले दिया है और कुछ विरोधी के नेताओं को उद्धृत कर रहे हैं, इसलिए उन नामों को प्रकट करना बहुत जरूरी है। यह बहुत ही गम्भीर आरोप है। इसका खण्डन किए बिना नहीं रहा जा सकता। यह आरोप किसी सामान्य व्यक्ति पर नहीं अपितु सदन के नेता पर लगाए गए हैं और वह भी कुछ सदस्यों द्वारा जो यहां बैठे भी हो सकते हैं।

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा कि उन्हें इसमें विश्वास नहीं है।

आचार्य भगवान देव : पंजाब के मामले में डा० स्वामी ने आग में घी डालने काम का किया है। ऐसी बात करने का क्या मतलब है ?···(**व्यवधान**)

प्रो० के० के० तिवारी : नियमों के अधीन उन्हें या तो इसे वापस ले लेना चाहिए अथवा नामों को बता देना चाहिए। उन्हें नाम बता देने होंगे।

आचार्य भगवान : यह बड़ा गम्भीर मामला है। हमें इस पर आपत्ति है।···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसे वापस ले रहे हैं ? मेरे ख्याल से वह इसे वापस ले रहे हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : हम नामों के बारे में जानना चाहते हैं। जब उन्होंने आरोप लगाए हैं तो वह इसे वापस नहीं ले सकते।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : वह उन्हें नाम बताने के लिए मजबूर नहीं कर सकते ?इसे कार्यवाही वृत्तान्त से नहीं निकाला जा सकता। इसे वापस नहीं लिया जा सकता और वह उन्हें नाम बताने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।

प्रो० के० के० तिवारी : जब यह आरोप लगाए जा रहे हैं और आपने इस आरोप को सदन की कार्यवाही में शामिल किए जाने की अनुमति दे दी है, अत: वह इसे वापस नहीं ले सकते। हम केवल नाम जानना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी भी इस पर विचार कर रहा हूं। अभी इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया है।

आचार्य भगवान देव : इसको, आप कार्यवाही से निकाल दीजिए।

···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसे वापस ले रहे हैं ?

आचार्य भगवान देव : क्या इस तरह की बातें कहना उचित है ?

···(**व्यवधान**)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : इसमें कुछ भी अपमानजनक अथवा असंसदीय नहीं है। इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल किया जाना चाहिए।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : विदड्रा क्यों करें ? विदड्रा करने का तो कोई मतलब ही नहीं है।···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : या तो आपको इसे वापस लेना होगा अथवा उस व्यक्ति का नाम बताना होगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने इसे वापस नहीं लिया है। मैंने केवल इसलिए इसका उल्लेख किया क्योंकि जिस व्यक्ति ने मुझे यह बताया था, वह इस सभा का सदस्य है।

श्री रशीद मसूद : विदड्रा कैसे किया जा सकता है ?···(**व्यवधान**)

आचार्य भगवान देव : क्यों करते हैं, इस तरह की बात ? क्या मतलब है, ऐसी बात कहने का ?

···(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यह समस्या बहुत ही साधारण है। प्रधान मन्त्री सभा में उपस्थित हैं और यदि वे यह कह दें कि 'यह मैंने नहीं कहा है' तो···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री तिवारी, आप में सुनने के लिए भी धैर्य होना चाहिए। मैं यही कह रहा हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा है, वह अप्रत्यक्ष रूप में एक आरोप है। इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जा सकता। यह एक आरोप है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने कहा है कि किसी व्यक्ति ने मुझे ऐसा बताया है और मैंने यह भी कहा है कि यह···नहीं···(**व्यवधान**)

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्चर) : आपने यह नहीं कहा कि किसी व्यक्ति ने बल्कि आपने कहा कि सभा के किसी सदस्य ने जो कि विपक्ष के एक नेता हैं।···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में नियम हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मुझे ये नियम मालूम हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने यह उद्धृत किया था···

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) श्रीमान्, यह इतनी साधारण बात नहीं है। इन्हें इस बात का अधिकार नहीं है कि ये एक गैर-जिम्मेदाराना तथा अत्यधिक अभिप्रेरक आरोप लगायें और फिर बरी हो जाएं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आरोप क्या है ? कोई आरोप नहीं है।

मैंने यह नहीं कहा कि प्रधान मन्त्री ने ऐसा कहा है। मैंने कहा था कि विपक्ष के एक नेता···

(व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : यह संसदीय प्रजातन्त्र के स्वरूप के ही विरुद्ध है। (**व्यवधान**)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने कहा था कि एक विपक्षी नेता ने ना केवल मुझसे बल्कि इस सभा के कई व्यक्तियों से कहा है कि :

...**...और मैं कहना चाहूंगा था कि यह सच नहीं है ।,(व्यवधान)

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : श्रीमान्, मैंने किसी से ऐसा नहीं कहा है ; ना तो विपक्ष के किसी सदस्य से और ना ही अपने दल के किसी सदस्य से अथवा किसी गैर-राजनैतिक व्यक्ति से । केवल एक बात जो मैंने बार-बार कही है वह यही कि लगता है कि विपक्ष चुनावों से अभिभूत हैं। मैं नहीं हूं । मैं अपना कार्य करने में व्यस्त हूं । जब चुनावों का समय आएगा, चुनाव करेंगे । परन्तु इस समय कार्य करना, इस समय समस्याओं से जूझना और इस समय अपने कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना, ये सब ऐसी बातें हैं जिनका चुनावों से बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं है ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : अब, उन्हें ये आरोप वापस ले लेने चाहिएं ।

(व्यवधान)*

श्री पी० शिवशंकर : क्या आप इस प्रकार के भाषणों का समर्थन करते हैं ? (**व्यवधान**)। इससे पता चलता है कि संसदीय प्रजातंत्र के बारे में आपके विचार कितने हल्के हैं । श्रीमान्, क्या इस प्रकार का भाषण, कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल किया जाना चाहिए ? (**व्यवधान**)

प्रो० एन० जी० रंगा : यह संसदीय प्रजातंत्र तथा इसके विशेषाधिकारों का दुरूपयोग करने का एक शर्मनाक तरीका है । (**व्यवधान**)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्रीमान्, मैं प्रधान मन्त्री के शब्दों को पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूं और बहुत खुश हूं । (**व्यवधान**)

श्री सन्तोष मोहन देव : श्रीमान्, आपको इस बात को यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है । यह 'संसदीय प्रथा के अनुरूप भी है' । यह नियमों के अन्तर्गत है । आपको मैं यह बता दूं कि इस प्रकार के निराधार आरोपों की अनुमति नहीं जा सकती और यह सब उचित नहीं है । इन सबके सम्बन्ध में नियम हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसलिए, उत्तेजित न हों । बैठ जाइये ।

श्री सन्तोष मोहन देव : श्रीमान्, आपको इस बात को यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए । सारे देश में ये यही प्रचार कर रहे हैं । हमें पता चलना चाहिए कि वे नेता कौन हैं ? (**व्यवधान**)

***कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना कार्य पहले ही कर चुका हूं। क्या मैंने नहीं किया है ? मैं आपको एक बात बता दूं। मैं जानता हूं कि सभा के मंच पर निराधार आरोप नहीं लगाये जाने चाहिए। यह एक अच्छी प्रथा नहीं है। यह संसदीय प्रथा नहीं है। मैंने आपको यही बताया है। इस सम्बन्ध में हमने एक बैठक की थी। यह एक ऐसी पुस्तक है जिसमें सभी राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किए गए हैं और हमने कुछ ऐसे नियम तथा परम्पराएं बनाई हैं, जिनका हमें अनुपालन करना है। मैं समझता हूं कि अब सब ठीक है।

(व्यवधान)

श्री पी० शिव शंकर : श्रीमन्, क्या इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल किया गया है अथवा नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : आरोप, कार्यवाही वृत्तान्त का अंग नहीं हो सकते।

(व्यवधान)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु, ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : श्रीमान्, अब इस सभा मंच को आक्षेपपूर्ण बातों के लिए प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। डा० स्वामी द्वारा दिया गया वक्तव्य, उन्हें किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है। अब, इस तरह की बातें सदन में तथा इसके बाहर फैलाई जाती हैं। इससे समस्या सुलझ नहीं रही है। परन्तु इससे समस्या और गम्भीर हो जाएगी। इसलिए, सभा को यह जानने का अधिकार है कि वह नेता कौन है जिसने यह जानकारी दी है। **(व्यवधान)**। हम उसका नाम जानना चाहेंगे और सभा यह जानना चाहेगी कि इस प्रकार की अफवाहें कौन फैला रहा है।

(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है। अगर मैं समझ नहीं पाया हूं तो बात दूसरी है, मैं यह समझ पाया हूं कि श्री स्वामी ने ये शब्द कहे कि किसी मेम्बर ने कोई बात कही।

अध्यक्ष महोदय : हो गया, क्या कहना चाहते हैं ?

श्री मनीराम बागड़ी : उन्होंने कहा कि मुझे कोई बात कही है, जिसका मुझे यकीन नहीं है तो किसी मेम्बर को डिसविलीव करना, यह मेम्बर की खिलाफत है। आप लोग क्यों इतनी बात कर रहे हैं ?

श्री पी० शिवशंकर : अध्यक्ष महोदय, मेरी गुजारिश है। यह बड़ी अजीब बात है। आप सब कुछ बोलेंगे और फिर कहेंगे कि मैं यकीन नहीं करता। क्या तमाशा है, क्या यह रेस्पोसेंबल बात है ? एक तरफ कहें कि मैं विलीव नहीं करता···**(व्यवधान)**

प्रो० एन० जी० रंगा : यह कितने गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य है !

श्री मनीराम बागड़ी : एक मेम्बर किसी साथी पर आरोप लगाये और उसका हवाला भी दे और कहे कि मुझे इसका यकीन नहीं है, इसे मैं गलत मानता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह आपके सोचने की मोरली बात है। जिस चीज पर विश्वास नहीं करते, उसको कहते क्यों हो ?

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वह नेता इस सभा का एक सदस्य है ; उसे चाहिए कि वह खड़ा हो जाए, मैं जिस कठिन परिस्थिति में हूं, उसे देखे और मेरे बचाव के लिए आए।

श्री संतोष मोहन देव : क्या वह इस समय सभा में उपस्थित है ?···**(व्यवधान)**

प्रो० के० के० तिवारी : यह बहुत ही गम्भीर बात है ; यह विपक्षी नेताओं पर एक दोषारोपण है···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उसके बारे में उन्हें खुद ही देखने दीजिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने सोचा कि यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे इसकी सीधी जांच करवानी चाहिए। मैं समझता हूं कि प्रधानमन्त्री का उत्तर पूर्णत: सन्तोषजनक है ; मुझे उन पर शत-प्रतिशत विश्वासे है। मैं नहीं समझता कि उन्होंने यह कहा होगा···**(व्यवधान)**। उस पक्ष के सदस्यों के लिए यह कोई नई बात नहीं है कि किसी भी 'एक्स', 'वाई', 'जैड', का उद्धरण दें, और विरोधी नेता जो कुछ कर रहे हैं, उदाहरणत:, विदेशों आदि में, उसके बारे में आरोप लगाएं। यह बात नहीं है कि मैंने यह एक आरोप लगाया है, बल्कि मुझे इस बात का हक है कि मैं ऐसे कुछ विचारों को, जो देश भर में फैलती हैं, संसद के सामने लाऊं और उनकी प्रत्यक्ष जांच करवाऊं···**(व्यवधान)**।

प्रो० एन० जी० रंगा : यह बहुत ही गैर-जिम्मेदाराना बात है···**(व्यवधान)**

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : प्रो० रंगा एक पुराने ढंग के सांसद हैं, मैं एक नये ढंग का सांसद हूं ; मेरे अपने मानदण्ड हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : मुझे किसी संसद सदस्य की ओर से आज तक कभी भी इस तरह का दुर्व्यवहार देखने को नहीं मिला है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह दुर्व्यवहार नहीं है ; मैं इस बात का विरोध करता हूं। मैं इस बात की पुष्टि चाहता था···**(व्यवधान)**

एक इतने अनुभवी व्यक्ति को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए···**(व्यवधान)**

श्री सन्तोष मोहन देव : यह हद से ज्यादा हो चुका है ; ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप पूरी स्थिति की गम्भीरता को भूल गए हैं। आप किसलिए एकत्र हुए हैं ? इस बात पर बल देने के लिए कि ठीक इसी वक्त, हमारे सामने एक बहुत ही गम्भीर संकट है। हमें, तदनुसार कार्य करना चाहिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मेरे लिए यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। आखिर, मेरा देश के उस हिस्से से सीधा सम्बन्ध एक तरह से इसलिए नहीं है कि मैं वहां से नहीं चुना गया हूं, लेकिन फिर भी यह भारत का एक हिस्सा है, और, इसीलिए, मैंने अपने ऊपर इस बात का उत्तरदायित्व लिया कि मैं अमृतसर जाऊं और इस बात का स्वयं पता लगाऊं कि क्या हो रहा है। यह बात नहीं है कि मेरी इस विषय के प्रति मेरी रुचि नहीं है। मेरे विचार से यह बहुत ही आवश्यक है कि सरकार आगे आये और हमें वास्तविक स्थिति के बारे में बताए। और यदि मुझे कोई ऐसी बात सुनने को मिलती है जो सच नहीं है और जिसे मैं समझता हूं कि यह बेतुकी है, तो वह सब कुछ मुझे इस सभा के समक्ष लाना चाहिए।

पिछले विचार-विमर्श के बाद, अब पंजाब की स्थिति में कई नये पहलू सामने आये हैं। पहला यह है कि गुप्तचर विभाग की पूरी तरह असफलता रही है जिसका पता इस बात से चलता है कि एक ही रात में 39 रेलवे स्टेशन जला दिए गए और इस बात की कल्पना की जा सकती है कि इसके लिए कितने सुनियोजित ढंग से कार्य किया गया होगा। यह इतना आसान काम नहीं है कि एक रेलवे स्टेशन को, विशेष तौर से आवागमन के रास्तों पर, जला दिया जाए क्योंकि इन रेलवे स्टेशनों के बिल्कुल पास ही या तो गांव है अथवा घर हैं। और वास्तव में, मुझे यह बताया गया था कि अधिकतर रेलवे स्टेशनों पर या तो केन्द्रीय रिजर्व पुलिस अथवा सीमा सुरक्षा बल, या पंजाब पुलिस के हथियारबन्द कर्मचारी तैनात थे। (**व्यवधान**)

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : फ्लैग स्टेशनों पर कोई पुलिस कर्मचारी नहीं था।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यदि सभी 39 रेलवे स्टेशनों पर पुलिस की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, तो वहां आसपास लोग तो होंगे। मैं समझता हूं कि वह यह नहीं कह रहे हैं कि क्योंकि ये फ्लैग स्टेशन हैं, इसलिए इनके आसपास के क्षेत्र में कोई गुप्तचर व्यवस्था नहीं है। गुप्तचर विभाग की इस पूर्ण निष्फलता से सरकार को चिन्ता होनी चाहिए, और हमें भी चिन्ता होनी चाहिए; कि एक ही रात में, इस तरह का काम इतने सुव्यवस्थित तरीके से कैसे किया गया, और सरकार को इस बात की जानकारी तक नहीं हुई ?

दूसरा नया पहलू है आतंक का फैलना ; जो अब शहरों से गांवों की ओर फैल रहा है। पंजाब की स्थिति में यह एक नई बात हुई है। यह पहले नहीं था ; पिछले दो महीनों में ऐसा हुआ है। ऐसे में, यदि वहां का वातावरण सांप्रदायिक बन जाता है, तो स्थिति और भी गम्भीर हो जाएगी। ऐसे में अनुपातों में और अधिक अन्तर हो जाएगा। अल्पसंख्यक वर्ग और अधिक अल्पसंख्यक बन जाएंगे। यदि यह

तनाव गांवों में फैलता है, तो स्थिति भयंकर हो जाएगी। पहले, हमें यही पता था कि यह शहरों तक ही सीमित है। परन्तु अब हम गांवों को इससे भी प्रभावित पाते हैं।

तीसरा पहलू प्रव्रजन के बारे में है जो अब आरम्भ हो गया है। अब, हरियाणा में कैथल तथा यमुनानगर के लोग कहते हैं कि लोग पंजाब में अपना व्यापार समाप्त करके, सीमा पार करके, इस ओर कैसे आ रहे हैं। प्रव्रजन शुरू हो गया है। उनके लिए यह एक भयंकर बात है। एक बार उन्होंने 1947 में प्रव्रजन किया था ; और अब, अपने ही देश में उन्हें प्रव्रजन करना पड़ रहा है। उन पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। जरा कल्पना कीजिए ये लोग आ रहे हैं और ये सब कहानियां कह रहे हैं। कभी-कभी ये कहानियां बहुत ही बढ़ा-चढ़ाकर कहलवायी जाती हैं। शेष देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ? क्या ये पंजाब तक सीमित रहेंगी ? क्या ये हरियाणा तक ही सीमित रहेंगी ? ये फैलेंगी। इन कहानियों का अवश्य ही पूरे देश पर प्रभाव पड़ेगा।

वास्तव में, इनमें से कुछ पत्रिकाओं ने अपने सम्वाददाता भेजे तथा लोगों का साक्षात्कार लिया। उन लोगों के बारे में मर्मस्पर्शी कहानियां हैं जो कि 1948 के कश्मीर युद्ध के दौरान, 1965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान तथा 1971 के बंगलादेश युद्ध के दौरान स्वेच्छा से छोड़कर चले गए थे। उन्होंने अब सम्वाददाताओं को बताया है कि वे उस समय यह अच्छी तरह से जानते हुए भी कि देश विजयी होगा और तब वे अपने गांवों को लौटकर आ जाएंगे, स्वेच्छा से चले गए थे। लेकिन आज वे कहते हैं वे अनिच्छापूर्वक जा रहे हैं और वे यह भी महसूस करते हैं कि वे अब लौटकर नहीं आएंगे। वर्तमान स्थिति की यह बहुत ही दुःखद कहानी है।

चौथा तत्व आर्थिक संकट है जिसका अब पंजाब सामना कर रहा है। सिख किसान और हिन्दू व्यापारी तथा उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हुए प्रवासी भैया भी एक साथ समान आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं अर्थात एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। भैया मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार से आते हैं (व्यवधान) वे मेरी तरह हैं, बिल्कुल मेरी तरह दिखते हैं। वे आगे पंजाब कतई नहीं आयेंगे। फसल की कटाई के लिए आने वाले इन मौसमी मजदूरों के प्रव्रजन में बहुत तेजी से गिरावट आई है। सिख किसानों को धन इत्यादि जुटाने वाला हिन्दू व्यापारी भी अब अपना हाथ खींच रहा है। पंजाब और देश के लिए इस बारे में क्या किया जाए। आखिरकार, अनाज की पूर्ति की दृष्टि से पंजाब देश का अनाज भण्डार है।

असल में, मेरी निजी जानकारी यह है कि पिछले कुछ महीनों में पंजाब की स्थिति तेजी के साथ आतंकवादियों के हाथों में चली गई है और सरकार इस स्थिति से डगमगा रही है। उनके मन में क्या है ? क्या उनके पास कोई समाधान है ? मेरे विचार से समाधान है, किन्तु समय निकला जा रहा है। जो कुछ मैंने सुना है उसके अनुसार मैं समझता हूं कि स्थिति को नियन्त्रण से बाहर हुए एक महीने से और अधिक समय नहीं हुआ है। स्वर्ण मन्दिर के अन्दर जो हम देख रहे हैं उससे संकेत मिलता है ; हर रोज जो हत्याएं हो रही हैं उससे संकेत मिलता है जैसाकि आज चण्डीगढ़ में हुआ था और हमने यह रिपोर्ट देखी है। कल यह कहीं और हुआ ; उसके बाद यह अमृतसर में हुआ। उसके बाद एक संसद सदस्य को उसी के घर में मार दिया गया और एक व्यक्ति को तो दिल्ली में दिन-दहाड़े मार दिया गया। रोज हम यही स्थिति देख रहे हैं। जिन लोगों को स्थिति की जानकारी है वे मुझसे कहते हैं कि सरकार ने एक महीने

का समय लिया है और उसके बाद वास्तव में पंजाब में एक विद्रोही सरकार होगी। मैं नहीं जानता कि इन सबके पीछे क्या है। किन्तु एक समाधान निकालना है और समाधान है भी। मुझे नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या है क्योंकि विरोधात्मक रूप से सरकार उनकी धार्मिक मांगों के प्रति उदार है किन्तु राजनीतिक, आर्थिक और क्षेत्रीय मांगों के प्रति उसका रवैया हमेशा से ही अस्थिर रहा है। उदाहरणतः गुरुवाणी एवं अखिल भारतीय गुरुद्वारों से सम्बन्धित उनकी धार्मिक मांगों के प्रति सरकार एक मत रही है। किन्तु चण्डीगढ़ एवं नदी जल प्रश्नों और दूसरी अन्य सम्बन्धित आर्थिक समस्याओं पर तथा क्षेत्रीय प्रश्नों पर अस्थिरता बनी हुई है। हमें ठीक से नहीं मालूम कि उनके दिमाग में क्या है। लेकिन जब अनुच्छेद 25 की बात आई तो सरकार ने बहुत तेजी से कार्रवाई की। फिलहाल अनुच्छेद 25 के विषय में क्या कार्रवाई की जानी चाहिए थी उसके बारे में मेरे अपने विचार हैं। किन्तु अनुच्छेद 25 के विषय में सरकार की स्वीकारोक्ति से यह पता चलता है कि सरकार को अनुच्छेद 25 से सम्बन्धित अकाली दल की ओर से कोई औपचारिक पत्र 18 मार्च, 1984 से पूर्व नहीं मिला था। इस विषय पर पूर्व वार्ताओं में पहले कभी चर्चा नहीं की गई थी और ना ही यह विषय उनकी मांगों की सूची में सम्मिलित था। सरकार ने इस बात को स्वीकार किया था। अनुच्छेद 25 के बारे में मैं जैसा महसूस करता हूं उसे मैं एक मिनट में व्यक्त किए देता हूं। लेकिन मैं यह भी महसूस करता हूं कि सरकार की धार्मिक मांगों के प्रति तत्परता एवं अन्य मांगों के प्रति अस्थिरता एवं अनिच्छा मुझे बहुत ही उलझन में डाल देती है। धार्मिक मांगों के बारे में भी सवाल यह है कि उनकी केवल घोषणा की जाती है, उन्हें लागू नहीं किया जाता है।

जब पिछली बार मैं स्वर्ण मन्दिर गया तो उन्होंने कहा कि इन लोगों ने गुरुवाणी के लिए सिर्फ वायदे किए हैं, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। इसको लागू क्यों नहीं किया गया ? उन्होंने कहा "कि वे इसे लागू करेंगे।" अब अनुच्छेद 25 के विषय में भी यह महसूस किया जा रहा है कि वे अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि इस तथ्य में कहां तक सच्चाई है। किन्तु यह मन्त्री महोदय के ऊपर है कि वे हमें बताएं, किन्तु ऐसा महसूस किया जा रहा है कि वायदों से मुकरा जा रहा है।

अब प्रश्न उठता है कि यदि वे बातचीत करना चाहते हैं तो उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि उन्हें बातचीत किसके साथ करनी है। श्री लोंगोवाल को नरम दल का समझा जाता है। मैं भी उन्हें बहुत उचित व्यक्ति समझता हूं। किन्तु एक दिन यदि वे उनसे बातचीत करते है तो अगले ही दिन घोषणा करते हैं कि वे राजद्रोहात्मक गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त हैं और कहते हैं कि इस कार्य के लिए वे उन पर अभियोग चलायेंगे और इसके दूसरे ही दिन उन्होंने कहा कि उन्होंने इसके बारे में केवल घोषणा ही की थी न कि उन्होंने कोई कार्यवाही की थी। यदि आपके पास किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई मामला है और आप उस पर राजद्रोहात्मक गतिविधियों का आरोप लगाते हैं तो ऐसी स्थिति में आप उसके साथ कैसे बातचीत कर सकते है ? इसका मतलब है कि आप उसके साथ बातचीत करना ही नहीं चाहते। यह तर्कसंगत बात है। वे किसके साथ बातचीत करना चाहते हैं ? आपने तोरा, बादल तथा अन्य लोगों को जेल में डाल रखा है। जब आप उन्हें जेल में रखते हैं तो वे आपके साथ बातचीत नहीं करेंगे। तब आप किसके साथ बातचीत करना चाहते हैं ? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका सरकार को उत्तर देना चाहिए। राजद्रोह के बारे में श्री लोंगोवाल ने स्वयं कहा है कि वे समझ रहे थे कि यह मजाक था। लेकिन पंजाब

में अधिकांश लोग यह महसूस करते हैं कि यह राजनीति का विषय है क्योंकि उन्होंने इसके बारे में उन्हें बताया है। एक बार उनकी पार्टी के एक व्यक्ति ने···**···जो कि अब पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के प्रशासक हैं, वर्ष 1978 में 200 करोड़ रु० का कार्य संचालन किया था। उसने भारतीय राष्ट्रीय झण्डा जला दिया था।

अध्यक्ष महोदय : बस, बस, आप फिर ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो यहां उपस्थित ही नहीं है। यह झूठ भी साबित हो सकता है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या यह झूठ है ?

अध्यक्ष महोदय : हां, कृपा करके ऐसा न कहें।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उन्होंने झण्डा जलाया था।

अध्यक्ष महोदय : आपको नहीं मालूम क्योंकि मैं उस समय वहीं था।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या उन्होंने झण्डा नहीं जलाया था ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा न कहें, क्योंकि आपको इसके बारे में पता नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह जानने का कोई प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : जानकारी गलत भी हो सकती है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मुझे उन लोगों से प्राप्त जानकारी के आधार पर चलना है जिन पर मुझे विश्वास है। मैं जानना चाहता हूं कि सच्चाई क्या है ? मुझे सच्चाई का पता कहां से लग सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : इस तरह आप यहां स्वतन्त्र रूप से सिखों के बारे में नहीं कह सकते··· (व्यवधान)

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : संसद इस प्रकार की बातों का मंच नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : केवल यही ऐसी जगह है जहां आपको मजबूरन सत्य बोलना पड़ता है ; दूसरी जगह न मैं आपको पकड़ सकता और न ही आप सत्य बोल सकते हैं। केवल यही ऐसी जगह है जहां आप सत्य बोल सकते हैं।

** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : वे इसे प्रमाणिक नहीं मान सकते। वे एक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आरोप नहीं लगा सकते जो कि अपने बचाव के लिए यहां उपस्थित ही नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा न करें।

श्री बूटा सिंह : वे इस सभा में उपस्थित नहीं हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या उन्होंने झण्डा नहीं जलाया था ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

श्री बूटा सिंह : किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाने से पहले आपको प्रमाणित करना चाहिए।

श्री जी० एस० रेड्डी (मिरयालगुडा) : उन्हें नोटिस देने दीजिए अथवा प्रश्न···**(व्यवधान)**

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या उन्होंने झण्डा नहीं जलाया ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें सूचना मिल सकती थी परन्तु इस प्रकार नहीं।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं हमेशा ही यह कह सकता हूं कि उनके द्वारा झण्डा जलाए जाने की खबर मिली है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं। ये कुछ चीजें हैं जो पंजाब में हो रही हैं।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : माननीय सदस्य को पहले इसका सबूत सदन के सामने पेश करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप उनका नाम नहीं ले सकते जो हाऊस में मौजूद नहीं हैं।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : ये कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में पंजाब में कहा जा रहा है कि सरकार पक्षपात कर रही है। इसीलिए मैं इसे आपके ध्यान में ला रहा हूं। सच्चाई यह है कि पंजाब की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हमें पता होना चाहिए, क्यों ? वहां के सिख लोगों के दिमाग में यही भावना है।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय चिह्न की निन्दा है, उसका इस तरह से कोई भी अपमान नहीं कर सकता है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यदि श्री बूटा सिंह जी मुझे बता सकें कि ···**···झण्डा नहीं जलाया तो मैं मान लूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने नहीं जलाया। मैं आपको यहां नहीं बता सकता हूं। किन्तु यदि आपने मुझसे चेम्बर में पूछा होता तो मैंने आपको बता दिया होता। मैं उस समय विपक्ष का नेता था।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप मुझे अभी बता सकते हैं। मैं आपकी बात मान लूंगा क्योंकि यह एक अधिकृत बात है।

अध्यक्ष महोदय : इस महत्वपूर्ण विषय पर मेरी बात पंजाब विधान सभा के रिकार्ड में है। मैं कार्यवाही-वृत्तांत में नाम जाने की अनुमति नहीं दूंगा। कोई भी नाम कार्यवाही-वृत्तांत में नहीं जाएगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अनुच्छेद 25 के स्पष्टीकरण के लिए सरकार सहमत हो गई है। अनुच्छेद 25 में ऐसा कुछ भी नही है कि सिख हिन्दू धर्म का ही अंग है किन्तु स्पष्टीकरण से पता लगता है। असल में, जहां तक कानून का स्पष्टीकरण है वहां हिन्दुओं का तात्पर्य सिख, जैन और हिन्दुओं आदि से है। अत: यह बात ऐसी है जिस पर उन्हें आपत्ति है और श्री सेठी, गृह मन्त्री के ढीले होने की बात है उससे यह प्रतीत होता है कि उन्होंने भी अलग वैयक्तिक कानून की बात कही थी। श्री सेठी ने हमें यह नहीं बताया कि श्री लोंगोवाल ने यह कहा है "यदि देश में आप समान सिविल कोड रखते हैं तो मैं अलग सिविल कानून की मांग नहीं करूंगा। किन्तु यदि आप एक समुदाय, एक धार्मिक समुदाय के लिए इसे बनाएंगे तो इसकी मांग करने का हमें भी अधिकार है।" श्री सेठी ने सभा को यह नहीं बताया और वे जानते थे कि श्री लोंगोवाल यही चाहते हैं।

अत: यहां हमारे समक्ष पूर्ण रूप से भिन्न तस्वीर प्रस्तुत करने का प्रश्न है, श्री लोंगोवाल हैं जो कहते हैं "या तो आप हमारे साथ सभी धार्मिक समूहों की तरह समान सिविल कोर्ड रखकर व्यवहार कीजिए अथवा आप इसकी मांग करने वाले व्यक्ति को इसे दीजिए।"

अब मैं कहूंगा कि केवल सिखों ने ही वैयक्तिक कानून की मांग नहीं की है। मैंने अन्य लोगों के वक्तव्यों को भी देखा है जिनमें जैन धर्म और बौद्ध तथा कुछ धर्मों के नेता भी थे। यह एक ऐसी बात है जिसे सरकार को स्पष्ट कर देना चाहिए। देश को भी इस बारे में गम्भीरता से विचार करना है कि क्या देश की अखण्डता को बनाए रखते हुए कानूनों की इस विभिन्नता को जारी रखा जाना चाहिए। वास्तव में श्री लोंगोवाल जी की टिप्पणियों को इस प्रश्न पर राष्ट्रीय वाद-विवाद का विषय मान लिया जाना चाहिए। इस सन्दर्भ में मैं यह नहीं मानता कि श्री लोंगोवाल ने जो मांग की है वह न्यायोचित नहीं है। अत: सरकार जिस सीमा तक इसे स्वीकार करे वह उचित ही होगा। इसमें कुछ और भी··· **(व्यवधान)****

** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह आप लोगों पर है कि इस पर आप वाद-विवाद करें। मैं कह रहा हूं कि जैसा कि श्री लोंगोवाल जी ने कहा है यदि आप एक समान कानून की व्यवस्था रखें तो··· **(व्यवधान)****

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उन्होंने यह भी कहा है **(व्यवधान)****

उन्होंने यह नहीं कहा था, "इसे समाप्त कीजिए" उन्होंने कहा था कि सभी के लिए समान नागरिक कानून हो **(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। वे मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाये।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं यह नहीं कहता कि आपको एक समान सिविल कोड बनाना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि जो श्री लोंगोवाल कह रहे हैं उसमें जोरदार तर्क है कि यदि आप इसे एक धार्मिक समुदाय को देते हैं तो दूसरे धार्मिक समुदायों के लिए आप इन्कार नहीं कर सकते। **(व्यवधान)**

मैंने स्वयं श्री लोंगोवाल से इसकी पुष्टि की है उनका विचार है कि या तो एक समान सिविल कोड होना चाहिए अथवा सिख धर्म को भी यह अधिकार दिया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

समाधान के प्रश्न पर आते हुए सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि मौजूदा परिस्थितियों में स्वर्ण मन्दिर के अन्दर दाखिल होना मूर्खतापूर्ण और नादानी होगी जैसी कुछ लोग मांग कर रहे हैं। इससे पंजाब में सामान्य स्थिति बहाल नहीं हो सकेगी। वास्तव में पंजाब में यह अफवाह जोरों से फैल चुकी है कि सरकार गुप्त रूप से ऐसी योजना बना रही है। मैं कह रहा हूं कि यह अफवाह है। यह नहीं कह रहा हूं कि यह सच है अथवा मैंने यह किसी विपक्ष के नेता श्री लोंगोवाल या किसी और से सुना है। मैं आपसे केवल इतना पूछ रहा हूं कि आप अफवाहें क्यों फैला रहे हैं? **(व्यवधान)**

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : स्टेशन जल रहे हैं, लोग मर रहे हैं, उन मुलजिमों को पकड़ो, उनको सजा दो। लॉ एवं आर्डर कायम रखो। इसलिए थोड़े ही बोल रहे हैं कि मन्दिर की घण्टी बजे या न बजे, मस्जिद में नमाज पढ़ी जाए या न पढ़ी जाए, गुरु ग्रन्थ साहब का पाठ करो या न करो। यह पोलिटिकल बात है यह लॉ एंड आर्डर सिचूएशन के बारे में बोलो।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यदि मेरा नाम श्री बागड़ी के साथ जोड़ दिया जाता है तो इसका यह मतलब नहीं कि वह भी मेरे साथ बोल सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप उसी बैंच में बैठे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इसका क्या समाधान है? सर्वप्रथम हमें मानना होगा कि पंजाब के

** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

लोग विशेषकर सिख समुदाय के लोग बहुत भावुक हैं। उनकी शिकायत है। उनके विचार में उन्हें हर बात के लिए संघर्ष करना है। ऐसा गलत हो या सही—लेकिन वहां ऐसा है, जब आप समाधान तलाश करें तो आप इसको भी ध्यान में रखें। वे मानते हैं कि इस तथ्य के बावजूद कि वे देश के अन्न-भण्डार के लिए इतना अनाज पैदा करते हैं इस पर भी उन्हें पानी के लिए लड़ना पड़ता है। वे समझते हैं कि मद्रास शहर में 60 प्रतिशत लोग तमिलभाषी होने पर भी उसे मद्रास राज्य तमिलनाडु को दे दिया गया था उसी तरह चण्डीगढ़ भी उन्हें दे दिया जाना चाहिए था।

(व्यवधान)

इसलिए वहां ऐसी शिकायत है···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हां, आप जारी रखें।

श्री जी० एम० बनातवाला (पौन्नानी) : आप उन्हें जारी रखने के लिए कह रहे हैं···आप उन्हें समाप्त करने के लिए कहें।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं श्री बनातवाला को खुश नहीं कर सकता, इसलिए उन्हें नाराजगी होनी ही है···**(व्यवधान)**

श्री निहाल सिंह (चन्दौली) : आपसे कौन खुश है?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अच्छा आप भी अप्रसन्न हैं। सारी सभा अप्रसन्न है···**(व्यवधान)** इसलिए मैं कहूंगा कि ये कुछ बातें हैं जिन पर सरकार को विश्वास पैदा करना होगा। इसके लिए कुछ बातें हैं जो उन्हें कर लेनी चाहिए थीं। मिसाल के लिए 3 अप्रैल को अमृतसर में एक बड़ी गोलाबारी में 8 सिख मारे गए वहां न्यायिक जांच होनी चाहिए थी। उन्होंने इसके लिए कहा भी। जब हमने पटियाला में न्यायिक जांच कराने के लिए कहा तो इसे स्वीकार कर लिया गया। उसी प्रकार उनकी भी मांग मान लेनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। इससे काफी दुर्भावनाएं पैदा हुईं। इसलिए मैं कहूंगा कि लोगों में ऐसा विश्वास पैदा किया जाए कि सरकार पूर्ण निष्पक्षता से कार्यवाही कर रही है। सरकार निष्पक्षता से कार्यवाही कर रही है या नहीं—यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि लोगों को ऐसा लगे कि सरकार निष्पक्षता से काम कर रही है। और इस बारे में सरकार असफल रही है। इसी तरह जब हम संसदीय प्रश्न पूछते हैं तो सरकार कुछ बातें नहीं बताती। श्री सेठी कुछ बताते हैं लेकिन जब अतारांकित प्रश्न होता है तो हमें भिन्न प्रकार की सूचना दी जाती है। पंजाब की स्थिति पर श्वेतपत्र जारी करने के लिए और पत्राचार प्रकाशित करने के लिए सरकार ने हमेशा इन्कार किया है। क्यों? यह बात मेरी समझ में नहीं आती। यदि आप हमारा समर्थन चाहते हैं तो आपको हमें बताना चाहिए कि तथ्य क्या हैं। इसी प्रकार स्वर्ण मन्दिर में हथियारों के प्रश्न पर रिकॉर्ड में सरकार कहती है कि कुछ मात्रा तक हथियार रखने की अनुमति है। प्रश्न यह है कि कितने अधिक हथियार न हों, सरकार के पास इसका कोई उत्तर नहीं है। 7 मार्च, 1984 को दिए गए उत्तर के अनुसार वे कहते हैं कि "पंजाब सरकार ने बताया है कि स्वर्ण मन्दिर में पहले सरकार ने नीचे दी गई संख्या में आग्नेयास्त्र रखने की अनुमति दी थी—

आदि आदि, लेकिन वे कहते हैं कि—"हमारे पास कोई सूचना नहीं है कि स्वर्ण मन्दिर में हथियारों की संख्या इतनी ही है या अधिक।" आप जो कहते हैं वह यह है। लेकिन आप उसका उत्तर देने में समर्थ नहीं हैं।

इसी प्रकार सत्तारूढ़ दल के सदस्य जो लगातार कहते हैं कि इसमें विदेशी हाथ हैं—लेकिन जब संसद में प्रश्न पूछे जाते हैं तो उत्तर नकारात्मक होता है।

उदाहरण के लिए प्रश्न पूछा गया था कि क्या निहंगों के वेश में केन्द्रीय सुरक्षा वल ने दो पाकिस्तानियों को पकड़ा? तो गृह मन्त्री द्वारा उत्तर दिया गया कि "पंजाब सरकार के अनुसार केन्द्रीय सुरक्षा दल के लोगों ने निहंगों के वेश में दो पाकिस्तानियों को नहीं पकड़ा।" सत्तारूढ़ दल के सदस्य रोज कहते हैं कि इसमें विदेशी हाथ है, उसमें विदेशी हाथ है। लेकिन जब प्रश्नों के उत्तरों की बात होती है तो वे हमें कोई भी ठोस तथ्य देने में असमर्थ रहते हैं। हम आपको कैसे समर्थन दे सकते हैं जब आप ठोस तथ्य पेश नहीं करते? उसी प्रकार प्रश्न नं० 652 में पूछा गया था कि क्या उग्रवादियों द्वारा हिंसा की घटनाओं में विदेशी हाथ है? सरकार ने उत्तर दिया कि "समय-समय पर सरकार को इस सम्बन्ध में सूचना मिलती रही है, सरकार इस पर लगातार कड़ी नजर रखे हुए है।" यह कोई उत्तर नहीं। इसलिए मैं कहूंगा कि दूसरी जरूरत इस बात की है कि सरकार जो भी जानती है हमें उसे सच्चाई बता देनी चाहिए यदि वह कुछ भी नहीं जानती तो सरकार को यह भी हमें बता देना चाहिए समाधान के लिए मेरा कहना है कि और आगे बातचीत व विचार-विमर्श के लिए कोई तर्क नहीं है। यदि सरकार निर्णयात्मक ढंग से कार्यवाही करना चाहती है और हमारा समर्थन चाहती है तो उसे कुछ मांगें इकतरफा तौर पर लागू कर देनी चाहिए। क्योंकि उन पर नियमानुसार विचार-विमर्श हो चुका है। इस सम्बन्ध में और आगे बातचीत की जरूरत नहीं है। इस बारे में मैं कहूंगा कि जो मांगें पूर्णतया धर्म-निरपेक्ष हैं उन्हें मान लिया जाए। यदि आप चाहें तो मैं उद्धृत कर सकता हूं—ये हैं, चण्डीगढ़, पानी आदि। इन्हें सभी भली-भांति जानते हैं सीमा आयोग का प्रश्न सरकार को लागू कर देना चाहिए। यदि दूसरा पक्ष आगे नहीं आता तो सरकार के लिए पंजाब में साधारण स्थिति बहाल करने के लिए विपक्ष का सहयोग मांगने के लिए एक नैतिक आधार होगा।

अन्त में मैं कहूंगा कि पंजाब के लोगों का हौसला बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सबकी है जो वीरता से उग्रवादियों से लड़ रहे हैं। इसके लिए संसदीय समितियों का वहां पर नियमित दौरा होना चाहिए। वे वहां पर लोगों से मिलें, विभिन्न इलाकों में जाकर जनसभाएं सम्बोधित करें और कुछ लोग महान कार्य के लिए प्राणों का त्याग करें। (व्यवधान) मैं यह बहुत गम्भीरता से कह रहा हूं। प्रायः हम सभी यहीं पर भाषण दे रहे हैं कोई भी हममें से पंजाब नहीं जा रहा है—आप शायद इसके अपवाद हों। ऐसा ही किया जाना चाहिए। आखिर जब नवें गुरु अपने भाइयों के धर्म के लिए अपनी जान दे सकते थे तो मैं समझता हूं पंजाब के लिए यह प्रतिज्ञा करने का समय है और हमें वहां जाना चाहिए।

श्री बी० आर० भगत (सीतामढ़ी) : अध्यक्ष महोदय, पंजाब की स्थिति के परिणामस्वरूप देश

की स्थिति इतनी गम्भीर हो गई है, कि मैं कह सकता हूं कि देश ने आजादी के बाद कभी ऐसी स्थिति का भी सामना नहीं किया। जैसे डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने यह कह कर अपनी बात आरम्भ की कि पंजाब की समस्या देश की नं० 1 समस्या है मैं आशा कर रहा था कि वह स्थिति की गम्भीरता पर संकेन्द्रण करने की कोशिश करेंगे, और ऐसे समाधान सुझाएंगे जो समस्त संसद को पूर्णतया स्वीकार्य होंगे—और अपने को दलीय तर्कों और मुद्दों में नहीं उलझेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश वे सदन में अन्य-मनस्क स्थिति में आए।

श्री बूटा सिंह : उनका दिमाग अफवाहों से भरा था।

श्री बी० आर० भगत : हां, अफवाहों से भरा इसलिए वे रास्ते से भटक गये।

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : अफवाह या मजाक किया।

श्री बी० आर० भगत : सर्व प्रथम मैं सभा से यह अपील करने का अपना फर्ज समझता हूं कि सभा इसे राष्ट्रीय परिपेक्ष्य में ले। इस सम्बन्ध में सभा की एक शानदार परम्परा रही है और जब भी देश को किसी राष्ट्रीय खतरे का अथवा संकट का सामना करना पड़ा, सभा ने अपनी एक-जुटता दिखाई। मुझे यह स्मरण कराने की जरूरत नहीं है कि जब 1971 में बंगला देश संकट था तब यहां क्या स्थिति थी ? सभी सदस्यों की एक आवाज और एक भावना थी, क्योंकि इस बात का स्पष्ट आभास हो गया था कि देश को खतरा है। सम्भवतया उस समय देश को वास्तव में खतरा था, लड़ाई चल रही थी, सातवां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर रहा था और चारों ओर से खतरा था। आज भी उसी प्रकार का गम्भीर खतरा है। लेकिन दुर्भाग्यवश यहां आज उस प्रकार की स्पष्ट भावना नहीं है। हालांकि प्रधानमन्त्री तथा अन्य इस स्थिति के बारे में चेतावनी देते रहे हैं—और यद्यपि प्रधानमन्त्री ने इस सदन में भी कहा कि देश बहुत से खतरों का सामना कर रहा है परन्तु बहुत से विपक्ष के सदस्यों ने इसका मजाक बनाया।

इसलिए आज मेरा पहला कर्तव्य यह है कि खतरा क्या है उसका संक्षिप्त विश्लेषण करूं। खतरा आन्तरिक और बाहरी दोनों ओर से है। बाहर से खतरा नव-साम्राज्यवाद से है। डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी विदेश हो आये हैं, अर्थशास्त्र और विश्व में राजनीतिक गतिविधियों के छात्र हैं इसलिए वे जानते हैं कि नव-साम्राज्यवाद क्या है और कैसे यह कार्य कर रहा है। यह विश्व में, हिन्द महासागर में, फारस की खाड़ी में, पाकिस्तान और सर्वत्र खतरनाक स्थिति पैदा कर रहा है। रक्षा मन्त्री ने पाकिस्तान से सैनिक खतरे से सचेत करके अपना कर्तव्य पूरा किया है। उन्होंने सदन में इसका जिक्र किया है। इस प्रकार सरकार बार-बार कहती आ रही है कि देश बाहरी ताकतों से खतरे का सामना कर रहा है।

देश में दूसरा खतरा है अस्थिरता का, क्योंकि देश में राष्ट्रविरोधी शक्तियों और बाहर की नव-साम्राज्य शक्तियों के बीच दुर्भाग्यपूर्ण सम्बन्ध स्थापित होना है। हर जगह राष्ट्रविरोधी शक्तियां सक्रिय हैं। राष्ट्र धर्मनिर्पेक्षता के प्रति वचनवद्ध है जिसका मतलब है सभी धर्मों के प्रति सम्मान। यदि हम सभी धर्मों का आदर नहीं करते तो हमारी एकता खतरे में पड़ जाएगी तब कोई भी भारत राष्ट्र नहीं होगा। हमारी भिन्न-भिन्न भाषाए हैं और विश्व के लगभग सभी धर्म हमारे यहां हैं। यदि सभी धर्मों और

भाषाओं का हम समान रूप से आदर नहीं करते तो हमारी सरकार की संसदीय पद्धति और देश की एकता खतरे में पड़ जाएगी।

किन्तु दुर्भाग्यवश आज हम क्या देखते हैं ? देखने में आया है कि शुरू से ही साम्प्रदायिकता देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई थी। जब कभी साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं इस सभा ने आगे बढ़कर उस चुनौती का सामना किया है। इस सन्दर्भ में मैं आपको इस विषय पर इस सभा में हुई अनेक चर्चाओं की याद दिलाना चाहता हूं। जब भी कहीं साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं इस सदन की दृष्टि में देश की एकता को खतरा हुआ है, और उन्होंने चाहे वे किसी भी दल के हों, इसके विरुद्ध बोला। लेकिन आज यह रुढ़िवाद की शक्ल में उभर रहा है। हमने मुस्लिम रुढ़िवाद देखा, विश्व हिन्दू परिषद् एवं अन्य आन्दोलनों के रूप में हिन्दू रुढ़िवाद, को देखा, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक और दुखद बात तब हुई जब हमने सिखों में रुढ़िवादिता को देखा। सिख धर्म मानव जाति की सेवा में लगा हुआ सबसे शुद्ध धर्म है क्योंकि इसका जन्म सबसे अन्त में हुआ है। इसने हिन्दू धर्म को बचाने के लिए और मानव जाति की सेवा के लिए जन्म लिया था और इसके लिए बहुत बलिदान किया गया। यह धर्मनिरपेक्ष सिद्धान्तों, धार्मिक स्वतन्त्रता के लिए सम्मान और उन सब मूल्यों के लिए जिनके लिए हमारा देश पर्याय है, आधारित है। किन्तु इसमें भी रुढ़िवादिता है। ईसाई धर्म में भी कुछ रुढ़िवादिता पाई जाती है। देश के सामने सबसे बड़ा खतरा यह है कि रुढ़िवाद तत्व एवं साम्प्रदायिक तत्व बाहर के तत्वों से सम्बन्ध बनाए रखे हुए हैं और देश को अस्थिर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यह देश के सामने भारी संकट है, जो देश को छिन्न-भिन्न कर देगा। भारत एक महान देश है जिसे कोई हथिया नहीं सकता है किन्तु जिसके टुकड़े किए जा सकते हैं और इसे कमजोर बनाया जा सकता है। हमें एक बात पर सहमत होना चाहिए जैसा कि हमने 1971 में राज्य सम्बन्धी मूल विषयों को मानकर किया था। मैं उन स्वतन्त्रता सेनानियों से, जो इस सभा में चारों ओर बैठे हैं और जिनकी संख्या घटती जा रही है, अपील करता हूं कि आइये आज हम सब एक होकर ऐसी स्थिति उत्पन्न करें जिससे इस समस्या का समाधान हो। सबसे पहले इस सभा से मेरी यह अपील है कि आइए इस सभा में हम सब एक होकर पंजाब की स्थिति का सामना करें।

इस बात से सहमत होने के पश्चात अब हमें इस बात पर भी सहमत होना पड़ेगा कि हमें किस प्रकार के खतरों से सामना करना है। आपने मजाक उड़ाते हुए पूछा 'विदेशी हाथ कहां है ?' डा० स्वामी आपने ऐसा क्यों कहा ? आप जानते हैं कि विदेशी हाथ इतनी सरलता से दिखाई नहीं पड़ते हैं और यदि उनका पता चल भी जाता है तो सरकार बता नहीं सकती है क्योंकि उन्हें उनसे निपटना और उन पर वार करना होता है। वास्तव में सरकार को किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ना होता है जो सीमा पार कर पंजाब में घुसने की चेष्टा कर रहा हो। क्योंकि इस सीमा पर कड़ी निगरानी नहीं है इसलिए लोग गैर-कानूनी ढंग से आ-जा सकते हैं। पहले भी इस प्रकार से कई लोग तस्कर आदि आते-जाते रहे हैं। आज हम समाचार-पत्रों द्वारा पढ़ते हैं कि पाकिस्तान में प्रशिक्षण पाए हुए लोग यहां आते रहे हैं और हिंसा और आतंकवाद फैला रहे थे। श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने पिछली बार पंजाब समस्या पर हुई चर्चा में बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि यह घटनाएं बहुत ही प्रशिक्षित और दक्ष लोगों द्वारा की गई हैं इसलिए हमें इस समस्या का गम्भीर रूप से अध्ययन और सामना करना चाहिए। पंजाब में आतंकवाद अत्यन्त सुनियोजित ढंग से चलाया जा रहा है और भारी मात्रा में आधुनिकतम शस्त्र सीमा पार से पहुंचाए जा रहे हैं। इस बात के बहुत से सबूत हैं। सरकार, समाचार-पत्र और अनेक लोग यह कहते

आए हैं कि पंजाब और पाकिस्तान के बीच काफी समय से शस्त्रों की तस्करी हो रही थी और यह शस्त्र आतंकवादियों के इस विशेष ग्रुप के हाथों में हैं जिससे पंजाब आज इस परिस्थिति में आ खड़ा हुआ है।

मैं एक और उदाहरण देता हूं। कई गम्भीर घटनाएं घटी हैं और यह चिंता का कारण बन गयी है। परन्तु यह सरकार पर वार करने का समय नहीं है और न ही यह कहने का समय है कि आप कार्यवाही नहीं कर रहे हैं और आप यह अथवा वो नहीं कर रहे हैं। श्री इन्द्रजीत गुप्ता के कथनानुसार जिससे हम सहमत हैं इस सुनियोजित आतंकवाद से निपटने के लिए आपको किन बातों का सामना करना पड़ता है यह मैं आपको बताता हूं।

4.00 म० प०

इन लोगों को अत्यन्त दक्ष व्यक्तियों से प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। वह एक संगठित नेतृत्व के अधीन कार्य कर रहे हैं, इस स्थिति की आप इंग्लैंड से तुलना कर सकते हैं, जहां आइरिश आतंकवादी हैं। लंदन में मुख्य सड़कों पर रीजेंट स्ट्रीट, आक्सफोर्ड स्ट्रीट इत्यादि जगहों पर बम फेंके गए। पुलिस और अन्य लोग मरते रहे। परन्तु सरकार, संसद और देश भर के लोगों ने धीरज बनाए रखा। इस प्रकार एक महान देश का व्यवहार होना चाहिए। हमें भी उसी तरह व्यवहार करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हम अपना धैर्य न खोयें। मैं जानता हूं कि 37 रेलवे स्टेशनों को आग लगा दी गई है। हर रोज गोलाबारी से कई हत्याएं हो रही हैं। इस सभा को इस बात से सहमत होना पड़ेगा कि हम आतंकवादियों से लड़ रहे हैं और इसमें विदेशी हाथ है। आप इस बात से सहमत हों अथवा नहीं किन्तु मैं गृह मन्त्री से कहूंगा कि यदि उन्होंने अपराधियों को पहचान भी लिया हो तो भी वह यह बात न बतलाएं। मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वह इस बारे में किसी से न कहें। उन्हें इसके लिए आवश्यक कार्यवाही करनी है। यदि वह बताना चाहते हैं तो बता दें और यदि वह नहीं बताना चाहते हैं तो उन्हें नहीं बताना चाहिए। विश्व भर की शक्तियां राष्ट्र विरोधी तत्वों से गठ-जोड़ कर रही हैं। विश्व में ऐसी कई शक्तियां है जो भारत को मजबूत बना नहीं देखना चाहती हैं। विश्व में ऐसी कई शक्तियां हैं जो भारत को अस्थिर और कमजोर बनाना चाहती हैं। वह हमारे देश को विभाजित करना चाहते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि उनका पंजाब में हाथ है। वह इस स्थिति का लाभ उठाना चाहते हैं। अतः इन प्रमुख बातों पर सहमत होने के बाद आइये हम इसकी प्रतिक्रिया देखें। यह राष्ट्रीय संकट है। इसका जवाब भी राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। यह किस प्रकार का खतरा है? यह खतरा क्या है? देश की एकता और अखण्डता को खतरा है। बाहरी तत्वों का अन्दर के तत्वों से सम्बन्ध बनाए रखने के कारण यह खतरा बना हुआ है। यदि हम इससे सहमत हैं तो इसका क्या समाधान है?

डा सुब्रह्मण्यम स्वामी ने समाधान बताना शुरू किया था लेकिन फिर भूल गए और मूल बात से भटक गए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : नहीं, नहीं।

श्री बी० आर० भगत : अनेक बार, जहां तक सरकार का सम्बन्ध है प्रधानमन्त्री और सरकार ने अकाली दल की मांगों के प्रति और सदा बहुत सहानुभूति दिखाई है। डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने स्वयं

ही कहा था कि शुरू में अकाली दल की 46 या 45 मांगें थीं और उनमें से कोई भी हिन्दूओं के विरुद्ध नहीं है। यह सही है।

आप सरकार पर आरोप लगाते हैं कि उसने समय पर कार्यवाही नहीं की है और उन्होंने अपना दृष्टिकोण बदल दिया है। लेकिन वास्तव में हुआ क्या था ? किसने अपना रवैया बदला है ? इस प्रश्न को शान्तिपूर्ण समझौते के द्वारा निपटाने का सरकार का दृष्टिकोण क्या बदल गया था ? नहीं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी सरकार इन मसलों पर विचार-विमर्श करने और उनका समाधान करने के लिए तैयार है। पहली 45 मांगों में से सन्त लोंगोवाल ने संसद सदस्यों को एक अपील के साथ 12 मांगें भेजी थी। हाल ही में संसद सदस्यों को भेजे गए एक पत्र के साथ कुछ मांगों की एक और सूची थी। और अन्त में जैसे कि आपने स्वयं कहा अनुच्छेद 25 से सम्बन्धित एक और नई मांग रखी गई। ऐसी और मांगें हैं। मैं इनके बारे में विस्तार से कुछ नहीं कहूंगा। परन्तु जब कभी सरकार ने कोई कार्यवाही करनी चाही तो विपक्ष ने सरकार की आलोचना की। मैं दो उदाहरण देता हूं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में संशोधन किया गया और पंजाब को अत्यन्त खतरे से पूर्ण राज्य बताया गया। इसके लिए एक अध्यादेश भी जारी किया गया। क्या उसे स्वीकार किया गया ? क्या विपक्ष ने उसका समर्थन किया ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह इसका समाधान नहीं है।

श्री बी० आर० भगत : आप चाहते हैं कि सरकार कार्यवाही करे। क्या आप चाहते हैं कि सरकार इस प्रकार के संकट की स्थिति में निहत्थी जाय ?

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : पास होने के बाद क्या हो गया ?

श्री बी० आर० भगत : सरकार शक्ति चाहती है। सरकार पर दायित्व न निभाने का आरोप लगाया जाता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम इसका एकमात्र समाधान है। स्थिति से निपटने के लिए सरकार को ये आवश्यक शक्तियां प्रदान की गयी हैं। आप इसकी भी आलोचना कर रहे हैं। अब आप अनुच्छेद 25 को ही लीजिए। अकाली दल ने शुरू में इन मांगों को नहीं रखा था और न ही उन 45 या 12 मांगों के बारे में जो बाद में पेश की गई थीं इस पत्र में ही कुछ कहा। तत्पश्चात वे इस अनुच्छेद में परिवर्तन की मांग करने लगे। उन्होंने संविधान की प्रतियां भी जलाई थीं श्री प्रकाश सिंह बादल जैसे अत्यन्त समझदार व्यक्ति भी संविधान की प्रति को जलाने का अपराध कर बैठे। आप कानून जानते हैं। मैं समझता हूं संविधान को जलाना एक दण्डनीय अपराध है और उसके लिए आपको भुगतना पड़ेगा। अब आप कहते हैं कि उन्हें जेल में क्यों रखा गया है ? यदि आप अपराध करते हैं तो आपको उसके लिए भुगतना पड़ेगा। सरकार यह कभी नहीं चाहती कि श्री बादल जैसे नेताओं को जेल में रखें। यदि आप जान-बूझकर कोई दण्डनीय अपराध करते हैं तो आपको दण्ड स्वीकार करना होगा।

अत: जब सरकार ने कहा है कि वह बातचीत के लिए तैयार हैं तो आप उसकी वास्तविकता पर सन्देह करने लगे। आपने सवाल करने शुरू कर दिए। कल आपने चर्चा के दौरान कहा "पत्र में क्या

था और आपका वायदा क्या है ? आप यह आरोप लगाते रहे कि सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है अपितु वह कांप रही है। परन्तु सत्य यह है कि इन विषयों पर सरकार उन विभिन्न मांगों के प्रत्युत्तर में सदैव तैयार थी ताकि यह मामला हल किया जा सके। दुर्भाग्य की बात है कि कई सदस्य जैसा कि आपने अभी कहा, समझते हैं, कि प्रधानमन्त्री को चुनाव की धुन सवार है। चुनाव में अभी कुछ महीने शेष हैं हम जानते हैं कि हमारे यहां परिपक्व लोकतन्त्र हैं।

4.07 म० प० **(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : क्या आपको बिश्वास है कि चुनाव·····

श्री बी० आर० भगत : मैं भी आपकी तरह हूं परन्तु यह जानता हूं कि संसद का कार्यकाल जनवरी 1985 में समाप्त हो रहा है इसलिए·····

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आपस में अलग बातचीत न करें।

श्री बी० आर० भगत : यह आप उनसे कह रहे हैं या मुझसे ? मैं एक माननीय सदस्य की उपेक्षा नहीं कर सकता हूं। अतः हमें चुनाव के प्रश्न को बाहर रखना चाहिए। चुनाव सम्बन्धी वातावरण एवं अन्य मामले में हम सब पक्के और अनुभवी खिलाड़ी रहे हैं। चुनाव का वातावरण तो चुनाव से कुछ सप्ताह पहले ही पता चल जाता है, कि हवा किस ओर चलेगी, इस ओर अथवा उस ओर। अभी इसमें कुछ महीने रहते हैं। आप इन सब बातों का जिक्र यहां पर क्यों कर रहे हैं ? आइये हम सब गम्भीर स्थिति से निपटने का प्रयास करें।

अतः मैं यहां यह बताने जा रहा हूं कि हमें स्थिति से कैसे निपटना है। हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं और इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार के हाथ मजबूत करने हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता (बसीरहाट) : कैसे ?

श्री बी० आर० भगत : सरकार को कार्यवाही करनी पड़ेगी। सरकार कह रही है, प्रधानमन्त्री और गृहमन्त्री कह रहे हैं कि वे सदा कार्यवाही कर रहे हैं और स्थिति उनके पूरे नियन्त्रण में है। वह ऐसा कहते आए हैं। अब विभिन्न त्रिपक्षीय और विपक्षीय बैठकें हो रही हैं। आप जानते हैं कि 1983 में क्या हुआ था। मैं इस बारे में भी कुछ कहूंगा। श्री इन्द्रजीत गुप्ता पूछते हैं कि कैसे सरकार के हाथ मजबूत किए जाएँ ? 1983 में हुई त्रिपक्षीय वार्ता में विभिन्न सूत्र बनाए गए और समझौता बहुत निकट था।

तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि आखिरी समय में, अकाली दल के नेता वार्ता से अलग हो गए जबकि अगर वे कुछ और कोशिश करते तो मामला सुलझ सकता था। मैं समझता हूं कि, उस समय विपक्ष उनको वार्ता जारी रखने के लिए राजी कर सकता था क्योंकि उनके उनसे सीधे सम्बन्ध हैं, आप कह रहे हैं कि सरकार का उनसे गुप्त सम्पर्क है। लेकिन आपके उनसे सीधे और खुले सम्बन्ध हैं। आप

उनको यह कह कर राजी कर सकते थे कि, "हम यहां पर दल के लिए इकट्ठे हुए हैं और हम सरकार पर दबाव डालेंगे।" यहां तक कि कई कांग्रेसी सदस्य भी समाधान के लिए सरकार पर दबाव डालने में आपका सहयोग करते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। पुनः फरवरी, 1984 की त्रिपक्षीय वार्ता के बारे में, मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें हम सब शामिल थे। त्रिपक्षीय बैठक कुछ समय के लिए स्थगित हुई थी, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में कुछ अत्यन्त दुःखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई थी। अकाली दल प्रतिनिधिमंडल वहां स्थिति का जायजा लेने और घटनाग्रस्त क्षेत्रों में शान्ति बनाये रखने के लिए गया था। लेकिन इसके बाद अकाली दल प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए वापस नहीं आया।

आपने उनसे नहीं पूछा, आपने उनसे यह नहीं कहा कि अब शान्ति स्थापित हो गई है इसलिए, आइये वार्ता करें, आइये वार्ता जारी रखें। यहां इस सदन में सभी ने जो कुछ हरियाणा और पंजाब में घटित हुआ है उस पर खेद और दुःख व्यक्त किया है। सिखों और हिन्दुओं दोनों तरफ के बेगुनाह लोगों की जानें गई हैं। सही मायने में राष्ट्रीय दुःख था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? आपने उनको वार्ता पुनः आरम्भ करने के लिए कहना चाहिए था।

उनकी मांगें क्या हैं? इस तथ्य के बावजूद कि नई मांगें जोड़ी जाती रहीं, सरकार ने समस्या को सुलझाने की सच्चे मन से कोशिश की। प्रधान मन्त्री की अकाली दल की मांगों के प्रति खासतौर पर सहानुभूति है और वह इस समस्या को सुलझाना चाहती हैं। इस बात के बावजूद कि उनके विरुद्ध क्या प्रचार किया जा रहा है। कि वे सिखों के विरुद्ध हैं या वह अकालियों के विरुद्ध हैं—ऐसा नहीं है—वह समस्या को सुलझाना चाहती हैं। लेकिन ऐसे नाजुक समय में आपका भी कर्त्तव्य था कि त्रिपक्षीय वार्ता पुनः आरम्भ की जाती। इसलिए अगर हम असफल रहे हैं तो हम सभी ही असफल रहे हैं। किसी एक पक्ष पर सारा आरोप न लगाइये। हम सभी असफल रहे हैं समय निकलता जा रहा है। लेकिन अभी भी ज्यादा देरी नहीं हुई है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जब सफलता मिलती है तो वे कहते है हमें सफलता मिली है। लेकिन जब वे असफल रहते हैं तो वे कहते हैं कि हम सभी असफल रहे हैं।

श्री० बी० आर० भगत : मैं आपको कुछ तथ्य बता रहा हूं। मैं किसी पक्ष पर आरोप लगाने के सन्दर्भ में यह सब नहीं कह रहा हूं। यह एक राष्ट्रीय संकट है और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयत्न होने चाहिए। दो बार ऐसा हुआ है। अगर 1983 और 1984 में समग्र राष्ट्रीय प्रयत्न किये जाते तो यह मामला हल हो जाता।

इसी बीच क्या हुआ? आंतकवाद ने जोर पकड़ा। हिंसा की ताकतों, घृणा की ताकतों, साम्प्रदायिकता की ताकतों, सिखों और हिन्दुओं में अलगाव की ताकतों ने जोर पकड़ा। उसमें राष्ट्रीय क्षति हुई है और किसी ने कुछ नहीं पाया है। इसलिए इस अवसर पर आइये ठंडे दिमाग से सोचें कि क्या किया जाना है।

पहले हमें स्थिति को समझ लेना चाहिए। जब आयरिश आन्दोलन चल रहा था तो कोई भी बन्द आदि बातें नहीं होती थीं। अब अकाली दल बन्द या भारतीय जनता पार्टी बन्द अथवा कोई अन्य

बन्द क्यों होते हैं। आप सरकार पर आरोप लगाते हैं कि राजनैतिक रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन फिर बन्द किस लिए हैं ? क्या इससे समस्या हल होगी ? दूसरी ओर, इससे उत्तेजना उत्पन्न होती है और इससे बुरी भावना फैलती है। इसलिए, पहले संसद की ओर से अनुरोध होना चाहिए कि अकाली दल अपना आन्दोलन समाप्त करे। कोई भी आन्दोलन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस समस्या को सुलझाने के लिए सर्वसम्मति है। आप सभी वार्ता के बारे में जानते हैं, आप सबने इनमें भाग लिया है।

समस्या सुलझने ही वाली थी। धार्मिक मांगें मान ली गई थीं। उनकी नवीनतम मांग, जोकि अनुच्छेद 25 के बारे में थी, के बारे में सरकार ने इस पर चर्चा करने और बातचीत करने की सहमति प्रकट कर दी है। सीमा-विवाद की मांगें भी सुलझाई जा सकती हैं। अगर सदभावना हो तो इन्हें सुलझाया जा सकता है। जल विवाद भी करीब-करीब सुलझ गया है, क्योंकि वे इसे न्यायाधिकरण को सौंपने के लिए तैयार हैं। इस तरह, उनकी कौन सी मांगें बाकी रह जाती हैं। इसके अलावा कुछ नहीं रह जाता, जब तक कि कुछ लोगों के भिन्न मत हों, अधिक सीमा के विचार हों, देश को अस्थिर बनाने, देश की एकता को भंग करने और पाकिस्तान या अन्य बाहरी शक्तियों के प्रभाव में आकर ऐसा करने की न सोचते हों। इन काली शक्तियों को अलग-थलग होने दे। आतंकवादी आंतक फैलाने में लगे हुए हैं। वे समस्या का समाधान नहीं चाहते हैं। भाग्यवश उनकी संख्या बहुत कम है। अगर आप सरकार की सहायता करें तो, मैं समझता हूं सरकार उनको अलग-थलग कर देगी। इसमें कुछ समय लग सकता है। आपको याद होगा कि नागालैण्ड की गम्भीर समस्या को सुलझाने में कितना समय लगा था। आपको याद होगा कि हम उस समय जब हम इस पर चर्चा करते थे तो सरकार को इसी प्रकार कहते थे कि "आप कुछ नहीं कर रहे हैं।" यहां तक कि हमारी बहादुर सेना की भी आलोचना की जाती थी। लेकिन सद्भावना से, मजबूती से, लचीले दृष्टिकोण की भावना से, आखिरकार नागालैण्ड की समस्या न केवल हमारी सेना की कार्यवाही द्वारा बल्कि नागा लोगों को समझाने से सुलझ गई।

मुख्य समस्या पर आते हुए, इसलिए हमें अपना मुख्य कार्य करना है। बन्द, आन्दोलन आदि नहीं होने चाहिए। किसी संगठित संस्था या देश को आतंकवाद और हिंसा के खतरे से बचाने के लिए, इनसे सुलझना होगा। इस पर समझौता होना चाहिए और इस पर समझौता है। हमें पजाब में सौहार्द का वातावरण पैदा करना है। आप कहते है कि पंजाब में हिन्दू भयभीत हैं। हां, इस प्रकार की घटनाएं किसी के भी मन में डर पैदा कर सकती हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है, हिन्दू-सिख एकता कायम रहनी चाहिए। इसी प्रकार हरियाणा, या दिल्ली या किसी अन्य स्थानों पर भी, देश को धर्मनिरपेक्षता, सभी धर्मों के प्रति आदर, सभी नागरिकों को समान समझना और सभी नागरिकों की सुरक्षा के प्रति सख्ती से पेश आना चाहिए। इसे मजबूत रहना चाहिए, तभी हम लोगों से सम्पर्क कर सकते हैं। हमें पंजाब में जाकर वहां शान्तिपूर्ण स्थिति पैदा करनी चाहिए आपको विद्रोहियों और आतंकवादियों से निपटने का काफी अनुभव है। हमारा देश महान है और इसकी एक महान संसद है। यहां कही जो कुछ थोड़ी बहुत घटनाएं होती हैं, उनसे हमें विक्षुब्ध नहीं होना चाहिए। यह वैसा ही उदाहरण है, जब कभी किसी की मृत्यु हो जाती है; उसी प्रकार जब किसी बेगुनाह को मारा जाता है तो दुःख ज्यादा होता है, सारा देश इस दुःख में शामिल है। आइये, हम सभी पंजाब में शान्तिपूर्ण स्थिति पैदा करने की कोशिश करें। पंजाब के लोगों को सावधान करें ताकि सरकार कार्यवाही कर सके और आतंकवादी जोकि हिंसा फैला रहे है अलग-थलग किया जा सके। इसी प्रकार यह मामला हल किया जा सकता है। हल इसी प्रकार होना

चाहिए। आइये हम सब बात पर सहमत हों।

धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि वे अपना भाषण संक्षेप में दें ताकि जब माननीय मंत्री महोदय उत्तर दें तो इसी प्रकार पूरी संख्या में सदस्य सभा में उपस्थित रहें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस चर्चा के लिए केवल तीन घण्टे का समय निर्धारित है।

अब श्री सोमनाथ चटर्जी बोलेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम पंजाब की स्थिति पर विचार कर रहे हैं। वहां खतरनाक घटनाएं हो रही हैं जिनसे कि देश की अखण्डता को हमारे भिन्न-भिन्न देशवासियों को भारी खतरा है। हमने इस सत्र में और पहले भी कई दफा पंजाब की समस्या पर इस सदन में चर्चा की है। इससे इस प्रकार की चर्चा होने की उपयोगिता पर ही सन्देह होने लगता है क्योंकि हम देखते हैं कि पंजाब में सरकार कुछ भी कार्यवाही नहीं कर पा रही है या कर पाने में असमर्थ पाती है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार मूक दर्शक बन कर रह गई है और इन्तजार कर रही है कि घटनाओं पर काबू पाया जा सके। ऐसा अवश्य लगता है कि देश के उस एक भाग में प्रशासन या सरकार नाम की कोई चीज भी है या नहीं, वहां कानून और व्यवस्था लागू करने के लिए सारा तन्त्र, अगर कोई है तो, पूरी तरह असफल हो गया है। इसके अलावा, हम पाते हैं कि स्थिति से निपटने के लिए कोई प्रशासनिक या राजनैतिक इच्छा ही नहीं है।

श्री बी० आर० भगत का भाषण सुनने के पश्चात हम पाते हैं कि पंजाब सरकार न केवल कार्यवाही करने में ही असफल रही है, बल्कि उसके विचार भी कुछ नहीं हैं। मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है। समाचार पत्रों की खबरों से हमें इनकी जानकारी मिलती है।

जब हम, माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करते हैं कि माननीय मन्त्री को सभा के सामने वक्तव्य देना चाहिए, तो हम आशा करते हैं कि सरकार की ओर से कुछ रचनात्मक सुझाव दिये जायेंगे। वक्तव्य भी अधूरा है, अगर मैं ऐसा कहूं, या वह समाचार पत्रों की रिपोर्टों का बहुत ही असन्तोषजनक सारांश है। की जाने वाली कार्यवाही का कहीं भी जिक्र नहीं है। सरकार क्या सोचती है, इसका भी कहीं उल्लेख नहीं है। हमने इसे इसलिए उठाया था, क्योंकि समाचार पत्रों में हमने इस बारे में पढ़ा था। एक ही दफा 9 जिलों के 39 रेलवे स्टेशन जला दिये गए थे। लोगों की हत्या की गई। स्वर्ण मन्दिर के बाहर एक घोषित अभियुक्त मारा गया। फिर उस हत्यारे की भी हत्या कर दी गई। यहां से कौन मार रहा है? एक संसद-सदस्य की हत्या की गई, एक भूतपूर्व विधान सभा सदस्य की हत्या की गई, राजनैतिक दलों के नेताओं की हत्या की गई है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से अपेक्षित था कि वह विशिष्ट हल बताते, कम से कम सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में बताते। लेकिन हम पाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमने समाचार पत्रों और वक्तव्य में पाया है कि ए० आई० एस० एस० एफ०

के आतंकवादी पकड़े गए हैं, हम नहीं जानते कि ये गिरफ्तारियां कब आरम्भ की गई और इन गिरफ्तारियों के बाद स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा। हम नहीं जानते हैं कि क्या इस बात की शिनाख्त कर ली गई है कि इन घटनाओं के लिए कौन जिम्मेवार है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वहां कोई गुप्तचर विभाग कार्यरत है या नहीं। यह किसी एक व्यक्ति की कार्यवाही नहीं हो सकती, कि वहां जाकर आगजनी की कार्यवाहियां करें। एक ही समय में, एक ही प्रक्रिया द्वारा 39 रेलवे स्टेशनों को जला दिया गया इसलिए स्थिति ऐसी है कि वहां कानून और व्यवस्था का तंत्र बिल्कुल खत्म हो गया है।

यह कहना बहुत आसान है कि 'मैं इस पर विचार करूंगा।' श्री भगत ने कहा है कि 'अब सब कुछ विपक्ष पर निर्भर है। यह कहना बहुत आसान है कि 'आइये' हम स्थिति का सामना करें, हम सरकार की आलोचना न करें और सरकार जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का आश्रय ले रही है, हम उसका समर्थन करें आदि। यदि सरकार इस समस्या का समाधान इस तरीके से करने जा रही है, तो हमने देखा है कि सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के क्या परिणाम सामने आए हैं।

जहां तक कानून और व्यवस्था और उसके बनाये रखने का सम्बन्ध है, यह मुख्यतः केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। मैं मांगों के विषय के बाद में बोलूंगा। देश और देशवासी यह जानना चाहते हैं कि वहां पर आप इस समस्या का समाधान कैसे करने जा रहे हैं। आपने मामलों का सजीव चित्रण किया है। स्थिति की गंभीरता यह है कि अकालियों की वे मांगें जो एक समय राजनैतिक थी या कहिए लोकतान्त्रिक थीं, दुर्भाग्यवश उन्हें अब धार्मिक रंग दे दिया गया हैं। और इसीलिए स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। उग्रवादी तत्व अब हावी हैं और उनका स्थिति पर अधिकाधिक नियंत्रण है। इस समय ऐसा लगता है कि मध्यमार्गियों के कहने का कुछ महत्व नहीं है और उनका स्थिति पर नियंत्रण नहीं है। अकालियों और उनके दल में आपसी विवाद और हत्यायें शुरू हो गई हैं। सामान्यतया ऐसा समझा जाता था कि मध्यमार्गियों का वहां प्रभुत्व है पर अब उनका नियंत्रण समाप्त हो रहा है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने समस्या का समाधान नहीं किया और निष्क्रियता की नीति अपना ली। आपने समस्या का समाधान नहीं किया है। मैं माननीय प्रधान मन्त्री को स्मरण कराना चाहता हूं कि पिछले वर्ष जून में दलों ने एक समाधान निकाला था, और कुल 17 राजनीतिक दलों, राष्ट्रीय विपक्ष दलों के सम्मेलन में, यह संकल्प पारित किया गया और यह धारणा व्यक्त की गयी कि यदि प्रधान मंत्री ने पिछले वर्ष जून में विपक्षी दलों द्वारा की गई पहल के पक्ष में स्पष्ट और सही रुख अपनाया होता, तो परवर्ती नौ महीनों से अधिक समय तक हुई दुखद घटनाओं से बचा जा सकता था, अशांत राज्य में पुनः शान्ति लाई जा सकती थी और लोगों को उस पीड़ा से बचाया जा सकता था, जिसका सामना उन्हें इस समय करना पड़ रहा है।

पंजाब का इतिहास, विशेषकर विभाजन पूर्व का इतिहास कई दशकों से साम्प्रदायिक सौहार्द का ख्याति प्राप्त इतिहास रहा है। लेकिन आज हम देखते हैं यह सौहार्द समाप्त हो रहा है। विशेषकर देश के विभाजन के बाद अन्य समुदायों सहित हिन्दुओं और सिखों ने खून-पसीना एक करके, साथ-साथ मिलकर आज के पंजाब का निर्माण किया था। हम जानते हैं कि पंजाब की स्थिति हमारे देश में कितनी महत्वपूर्ण है। चाहे वह विकास से सम्बन्धित हो या खाद्य उत्पाद या औद्योगिक उत्पादन से सम्बन्धित हो, हमें बहुत गर्व है कि हमारे देश के एक हिस्से ने इतना विकास किया है विशेषकर उस समय जब कि

उन्हें इस देश के विभाजन की क्षति बर्दाश्त करनी पड़ी थी। लेकिन यह एक अत्यन्त दुखद घटना ही है कि अब पंजाब के लोग एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने की बात सोच रहे हैं। अब उन लोगों की रक्षा करना किस की जिम्मेदारी है जो अपनी जान के डर से दूसरी जगह जाने के बारे में सोच रहे हैं। हम वैसी स्थिति बने रहना देना नहीं चाहते। उग्रवादियों की गतिविधियां न केवल बेरोक-टोक हो रही हैं अपितु इनमें तेजी आ रही है। आप कह रहे हैं कि जब आप संसद में आते हैं, गृह मन्त्री कहते हैं कि यह घटना हुई, वह घटना हुई है। फिर आप क्या करने जा रहे हैं? आपने इस बारे में क्या किया है? हम बार-बार सरकार से यह अनुरोध करते रहे हैं कि वह राजनैतिक इच्छा दिखाए तथा राज्य में सभी दलों—वामपंथी तथा लोकतान्त्रिक दलों को संगठित करें। इस समय वामपंथी छात्रों को इस हमले का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें राज्य में उग्रवादी तत्वों का सामना करना पड़ रहा है। आपने कभी भी उन्हें इस प्रक्रिया में शामिल करने का प्रयत्न नहीं किया और वे अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं और वे अपना भाग्य आजमा रहे हैं।

आज शिक्षा में रुकावट आ गई है। परीक्षाएं रोक दी गई हैं क्योंकि सिख छात्र महासंघ ने ने परीक्षा के बहिष्कार का आह्वान किया है। हर व्यक्ति की पढ़ाई में बाधा आई है। परीक्षाएं नहीं हो सकती। कक्षाएं नहीं ली जा सकती और वामपंथी छात्र अपनी जान के जोखिम पर उसके विरोध में लड़ रहे हैं। अपने राजनैतिक दल अथवा सरकार के नाते इन ताकतों को एकजुट करने के लिए क्या किया है?

हम 'श्वेत पत्र' के लिए कह रहे हैं.....

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : हम भी आपकी सहायता कर रहे हैं। हम सब एक साथ काम कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम 'श्वेत पत्र' के लिए कह रहे हैं। आप कोई 'श्वेत पत्र' प्रकाशित नहीं करना चाहते। आपको उन तत्वों का पता लगाना चाहिए, जिन्होंने यह स्थिति उत्पन्न की है। आप वैसा करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम इसका कारण नहीं जानते। हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि कानून और व्यवस्था की स्थिति को ठीक करने के लिए कोई ठोस कार्यवाही की गई हो। आपने अधिकाधिक दमनकारी शक्तियां प्राप्त की और आप और शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे विरोध के बावजूद आपने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में संशोधन किया। यहां तक कि आप उसे पारित कराने के लिए संसद में भी नहीं आये। आपने इस बारे में एक अध्यादेश पारित किया। क्या उसके बाद भी आप अपनी सब शक्तियों सहित स्थिति पर नियंत्रण कर पाये। यह कहने का क्या फायदा है कि विपक्ष हमेशा विरोध करता है? वास्तव में हम ऐसे सभी कानूनों का विरोध करेंगे लेकिन क्या हमने देश के उस भाग में सरकार के नाते आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों में कभी बाधा डाली है? मैं जानना चाहता हूं। कानून और व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण करने और देश के उस भाग में बेगुनाह लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के कार्य में विपक्ष ने कहां कठिनाई पैदा की है? विपक्ष ने क्या किया है? दूसरी तरफ जहां तक अकालियों की मांगों का सम्बन्ध है, विपक्ष ने सरकार तथा अकालियों को यथासम्भव निकट लाने के लिए अपना भरसक प्रयास किया है।

महोदय, हमें सबसे अधिक चिन्ता इस बात की है कि वे दो सम्प्रदाय हिन्दू तथा सिख—जिन्होंने दोनों को कभी दो सम्प्रदायों के रूप में नहीं माना, अब वे हम पर शासन करने की बात सोच रहे हैं। मैं एक पत्रिका में एक वृद्ध सिख द्वारा दिए गए एक वक्तव्य को पढ़ रहा था जिसने कहा, "पहली बार मैंने अमृतसर में ऐसा देखा कि केवल एक ही संप्रदाय के लोग कोई उत्सव मना रहे हैं और दूसरे संप्रदाय के नहीं जो कि हम हमेशा एक साथ मनाते रहे हैं।" लेकिन महोदय, हिन्दू तथा सिख संप्रदाय के बीच यह शत्रुता बहुत चिन्ता का विषय है। गृह मन्त्रालय की अनुदानों पर वाद-विवाद के समय मैंने सदन से इस ओर ध्यान देने के लिए कहा। यह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का रूप ले रही है जो कि इस देश तथा देश की एकता के लिए खतरनाक है। हम ऐसी स्थिति नहीं चाहते जहां एक क्षेत्र के लोग इस तरह की स्थिति के कारण, केवल जीवित रहने तथा अपनी सुरक्षा के लिए किसी सुरक्षित स्थान पर जाने की सोचें।

महदोय, अकालियों की मांगें—जैसे चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाये तथा नदी जल विवाद का समाधान, ऐसे मामले हैं जिनका शीघ्र समाधान और निपटारा किया जाना चाहिए। हम नहीं चाहते कि देश में ऐसी स्थिति बनी रहे जिससे उग्रवादी इसका लाभ उठा सकें।

धार्मिक पूजा-स्थल अब राजनीतिक गतिविधियों के स्थान बन गए हैं। हम इसका विरोध करते है। हम धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहते हैं। लेकिन हमने देखा कि धार्मिक स्थानों में राजनीतिक गतिविधियां पनप रही हैं तथा उन्हें धार्मिकता का रंग दिया जा रहा है। लेकिन मैं सरकार से पुनः कहूंगा कि वह हर तरह से उचित कार्यवाही करें। सूचना देना और प्रकट करना उनकी जिम्मेदारी है। उन्हें स्थिति की गंभीरता की जानकारी होनी चाहिए तथा उन्हें चंडीगढ़ का मामला, जिसके लिए विपक्षी दलों जिनमें अकाली दल भी शामिल है द्वारा मांग की गई है, यथाशीघ्र निपटाना चाहिए तथा उन्हें ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए जिसमें कोई भी व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों के लिए पूजा-स्थल का लाभ न उठा सके। आतंवादियों को वहां से हटाना आवश्यक है। उग्रवादी तत्वों को निकालना आवश्यक है और इसके लिए दृढ़ प्रशासनिक कार्यवाही तथा दृढ़ राजनीतिक निर्णय लेना आवश्यक है। स्थिति लगभग आपके हाथों से निकल चुकी है। आप इस स्थिति का कोई लाभ नहीं उठा सकते। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज सतारूढ़ दल की ओर से सबसे पहले बोलने वाले श्री भगत ने विपक्ष पर अभियोग लगाने का काम चुना है।

इस विषय में किस प्रकार से विपक्ष ने सहयोग नहीं दिया? उन्होंने कहा सरकार चाहे जो कार्यवाही करें, हमें उसका आंख मूद कर समर्थन करना चाहिए। हम में इस प्रकार की वफादारी नहीं है।

श्री बी० आर० भगत : मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। मैंने यह नहीं कहा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने यही कहा था। आपने अस्थिरता पैदा करने वाली शक्तियां और विदेशी षड्यंत्र की बात कही थी। यदि इसके पीछे कोई विदेशी हाथ है तो बताइये कौन है? लोगों को आप विश्वास में लीजिए।···(**व्यवधान**)···

प्रो० एन० जी० रंगा : यह उतना सरल नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप सरकार में हैं। आपको तो पता होना चाहिए कि इसमें विदेशी हाथ है अथवा नहीं।

प्रो० एन० जी० रंगा : जहां तक कार्यवाही का सम्बन्ध है यह उतना आसान नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह उतना सरल नहीं है लेकिन इस समय आप सत्ताधारी पक्ष में हैं और इसलिए यह आपको करना है। इसे कौन रोकेगा और कौन नियन्त्रित करेगा ? आपके पास अनुसंधान और विश्लेषण प्रभाग है, केन्द्रीय गुप्तचर ब्यूरो और इसी प्रकार के अन्य विभाग हैं। इनकी मदद से क्या आप विदेशी हाथ का पता नहीं लगा सकते हैं ? यदि आप विदेशी ताकत की पहचान नहीं बता सकते, तो उसे भारत से बाहर कौन निकालेगा ? यह कार्य कौन करेगा ? क्या आप विपक्ष से इसकी अपेक्षा रखते हैं ? भगत जी ने एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि विपक्ष को सरकार की आलोचना नहीं करनी चाहिए।

श्री बी० आर० भगत : क्षमा कीजिए महोदय, मैंने यह कहा था कि इस राष्ट्रीय संकट को ही, राष्ट्रीय समर्थन मिलना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने उनकी बात नोट की है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : इन्होंने कोई उड़ती हुई अफवाह नहीं सुनी अपितु इन्होंने सदन में सुना है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम कार्यवाही वृत्तान्त देखेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया गया। इसका विरोध करके हमने कोई अपराध नहीं किया। मैं इसका विरोध बार-बार करूंगा। यदि आप पूर्व-सूचना चाहते हैं तो मैं वह भी दूंगा। उनका कहना है कि हमें सरकार के हाथ मजबूत करने चाहिए। अब हमने किस प्रकार से सरकार को कमजोर बना दिया है ? हमें वह सरकार चाहिए जो काम कर सकती हो। हम वह सरकार चाहते हैं जो लोगों की रक्षा कर सके और उन निर्दोष लोगों को बचाए जिनकी रक्षा नहीं की जा रही है। आप उन मांगों पर स्वयं निर्णय नहीं ले सकते हैं। आप अनुच्छेद 25 से सम्बन्धित मांग को कैसे अकस्मात् स्वीकार करने लगे जब कि उन्होंने इस बारे में पहले कोई प्रश्न नहीं उठाया था। जब सदन बैठा नहीं था तो आपने अनुच्छेद 25 की उनकी मांग के आधार को जाने बिना अकस्मात यह वक्तव्य कैसे जारी कर दिया कि "नहीं, नहीं हम इस पर भी विचार करेंगे।" तो आज यह स्थिति है। जहां तक धार्मिक मांगों का प्रश्न है तो आपने किसी और की प्रतीक्षा नहीं की। आपने बड़े जोरों से इसकी घोषणा कर दी। आपने अनुच्छेद 25 से सम्बन्धित मांग पर समझौते का रवैया अपना लिया। किन्तु जहां तक लोकतांत्रिक मांगों और आर्थिक मांगों का सम्बन्ध है आप उन्हें दिन, महीने और वर्षों से टालते आए हैं। इस परिस्थिति के जिम्मेदार आप हैं, आज उग्रवादी तत्वों का बोल-बाला है और नरम दल वाले कमजोर पड़ गए हैं। अतः जैसे हमने पहले भी कहा था, इस समस्था का समाधान क्या है ? तो इस स्थिति से सही ढंग से निपटें, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उस पर नियंत्रण

रखें और लोगों की रक्षा करें यह आपका कर्त्तव्य है। यदि आप इसे नहीं निभा सकते हैं तो लोग स्वयं ही इस बात का निर्णय करेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। धन्यवाद।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर): महोदय, डा० स्वामी ने सुनी-सुनाई बातों के आधार पर इस चर्चा की शुरूआत की। पहली अफवाह का खण्डन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। दूसरी अफवाह का खण्डन माननीय गृह-मंत्री ने किया, और तीसरी अफवाह जो संत लोंगोवाल ने विभिन्न धर्मों के बारे में कही थी उसका खण्डन श्री बनातवाला ने किया। अभी एक बात का खण्डन करना शेष है और वह यह है कि जब वे पिछली बार स्वर्ण मन्दिर गए थे तो उन्हें पता चला था कि वहां ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है लेकिन उसकी अनुमति नहीं दी गई थी, अब वे फिर छान-बीन के लिए जा रहे हैं।

उनके शेष वक्तव्य अफवाहों पर आधारित हैं इसलिए मैं उनका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं समझता हूं।

महोदय, मुझे मेरे माननीय पूर्व वक्ता के इस वक्तव्य पर आश्चर्य हुआ कि सरकार की कई वर्षों से टाल-मटोल करने की नीति रही है। पूरे समय वह सरकार की कार्यवाही की आलोचना करते रहे। वह कहते रहे यह होना चाहिए, वह होना चाहिए और उनके भाषण का मुख्य बिन्दु यही था कि सरकार इस मामले को सुलझाना नहीं चाहती है और उनकी नीति ढुल-मुल की नीति है।

यह सदन जानता है कि कितनी बार हमने अकाली नेताओं से बातचीत की और कितनी बार इसके लिए आमंत्रित किया। जब भी हमने यहां वक्तव्य दिया, विपक्ष ने सरकार से यही मांग की कि उन्हें इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल न बनाकर अकाली नेताओं को आमंत्रित करना चाहिए। हम उन्हें निमंत्रण भेजते रहे और जब हमने उन्हें आमंत्रित किया तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। हमने पत्र भी भेजा। जब हमने उन्हें दूसरी बार आमंत्रित किया तो उन्होंने कहा कि वे दिल्ली नहीं आएंगे। हमने उनसे बातचीत के लिए अपनी राजनीतिक कार्य समिति चंडीगढ़ भेजी। हमने उनसे पुनः यहां आकर बातचीत करने का संदेश भेजा तो उन्होंने द्वितीय श्रेणी का दल भेजा। इस प्रकार के लोगों से हमारा पाला पड़ा है। और फिर भी माननीय सदस्य कहते चले गए कि सरकार टाल-मटोल की नीति अपना रही है। मुझे उनकी जानकारी पर आश्चर्य है। मेरी समस्या यह है कि विपक्ष नेता पंजाब समस्या को सही तरह से नहीं समझ पा रहे हैं, और फिर भी वे उस पर टिप्पणी करके कह रहे हैं कि सरकार विलम्ब की नीति अपना रही है।

इस सभा में कई बार पंजाब की स्थिति पर चर्चा हुई है और हर बार विपक्ष सरकार पर हावी होने का प्रयास करता रहा। पंजाब के लोग यही समझते हैं कि हम इस समस्या को सुलझाना नहीं चाहते हैं। हम इस पर केवल चर्चा करते हैं, विचार-विमर्श करते हैं और एक-दूसरे पर लांछन लगाते हैं। पंजाबियों में यह धारणा घर कर गयी है विशेषकर उन लोगों में, जो कष्ट भुगत रहे हैं। वह यह समझते हैं, कि जो नेता इस गुत्थी को सुलझा सकते थे, वह यहां पर एकत्र होकर, एक-दूसरे को भला-बुरा कह कर यह समझते हैं कि उन्होंने अपना कार्य समाप्त कर दिया है। मेरा आप सबसे यह नम्र निवेदन है कि आपने एक-दूसरे पर काफी आरोप लगाए हैं। और भी कई मुद्दे हैं जिन पर एक-दूसरे से हमारे विचार मेल नहीं खाते और हम हर दिन एक-दूसरे पर लांछन लगाते रहते है। मैं आपको यह

सब करने से रोक नहीं रहा हूं अपितु यह कहना चाहता हूं कि पंजाब की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है।

पंजाब के लोग कष्ट भुगत रहे हैं, और प्रतिदिन कई निर्दोष व्यक्तियों को आतंकवादी मौत के घाट उतार देते हैं जिससे कि पंजाब के लोग भयभीत हैं इसलिए भगवान के लिए हमारी मुसीबतों का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास मत कीजिए। मैं आग्रह करता हूं कि आप इस विषय को गम्भीरता से लें और इसका समाधान ढूंढें।

श्री राम विलास पासवान : इसका समाधान क्या है ?

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : उन्होंने पहले निरंकारियों की हत्या की और फिर अन्य लोगों को मौत के घाट उतारा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या की और फिर कांग्रेस और अन्य निर्दोष व्यक्तियों की जानें लीं। आज वहां यह स्थिति है। हमें इसको गम्भीरता से सुलझाना है। इसलिए मेरी दोनों पक्षों से यही विनती है। हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंच कर जो कुछ भी करना है उसे शीघ्र ही कार्यरूप देना चाहिए चाहे वह राजनीतिक समाधान हो अथवा प्रशासनिक कार्य हो। एक पंजाबी होने के नाते और विशेषकर अमृतसर से एक सांसद के रूप में आने के कारण मैं समझता हूं कि वहां के लोग इस सब चीजों से शीघ्रातिशीघ्र छुटकारा पाने की बेताबी से प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री पासवान ने पूछा कि इसका क्या समाधान है ? मेरे पास एक हल है जो मैं सभा के समक्ष रखूंगा। किन्तु उससे पहले मैं कुछ तथ्य बताना चाहूंगा। वर्तमान स्थिति के तीन कारण हैं। सबसे पहला है अकालियों में अस्तव्यस्तता और दुविधा की स्थिति। दूसरा कारण है विपक्ष की भूमिका। उन्होंने इस समस्या को ठीक तरह से नहीं समझा और फिर भी कुछ न कुछ बोलते रहे। उन्होंने इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा। अगले चुनाव को नजर में रखते हुए देखा। तीसरा कारण सरकार से सम्बन्धित है, जिन्हें इस समस्या से सख्ती से निपटना चाहिए था। उन्हें कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए थी। इस प्रकार मैंने आपके समक्ष सभी के विचार रखे।

जहां तक अकालियों का सम्बन्ध है उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत अपने मांगों के समर्थन में की थी। उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि उनका सत्याग्रह शांतिपूर्ण रहेगा। किन्तु क्या वह शांतिमय रहा ? 'रास्ता रोको' 'काम रोको' 'रेल रोको' और अन्य प्रदर्शन हिंसात्मक बन गए। केवल यही नहीं चारों ओर हिंसा की लहर दौड़ गयी।

यह अकाली दल का इतिहास है कि जब भी चुनाव हुए उन्होंने मोर्चे बनाए। उन्होंने सदा सत्याग्रह किया। लोगों के वोट लेने के लिए उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को इसमें सम्मिलित करने का प्रयास किया। यदि आपको याद होगा, तो उन्होंने पहले भी भाषा के आधार पर, ऐसा कई बार किया है। उन्होंने भाषाई प्रदेश, पंजाबी सूबे के लिए संघर्ष किया है।

अब वे सिखों के प्रति भेद-भाव की बात कहते हैं। क्या, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र और वह संविधान जिसमें सभी लोगों की अभिलाषाएं और आशाएं लिपिबद्ध हैं। सिखों के प्रति भेदभाव दर्शाता है ? हुमने

एक सिख को अपना राष्ट्रपति बनाया है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सिख लोग आज ऊंचे पदों पर कार्य कर रहे हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने सिखों को 'कोतवाली' दे दी है जो चांदनी चौक में है। यह उनकी काफी समय से मांग रही थी। वह उन्हें दे दी गई है। वह यह चाहते थे। क्या यह भेदभाव की भावना को दर्शाता है? स्वतंत्रता के पश्चात् कई गुरुद्वारे बने, मेरे विचार में करीब 70 बने होंगे। प्रधानमंत्री ने उन्हें शीघ्र सीमेंट देने की व्यवस्था करवाई। दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर गुरुद्वारों के लिए जमीनें प्रदान की गई हैं। यह कहना गलत होगा, कि नेहरू वंश, जो सदा धर्मनिरपेक्ष रहा उनका कोई व्यक्ति किसी के प्रति भेदभाव रखता है।

इन मोर्चों के बावजूद भी अकाली नेता निर्णय लेने में असमर्थ रहे हैं। पहले जब भी पंजाब में मोर्चे लगाए जाते थे तो संत फतेह सिंह और मास्टर तारासिंह जैसे नेता उपस्थित रहते थे। वह महान् नेता थे। उन्हें लोगों का समर्थन प्राप्त था। यदि वे पाते थे कि मोर्चा उनके नियंत्रण से बाहर जा रहा है तो वे तुरन्त उसे वापस लेते थे। किन्तु क्या वर्तमान नेतृत्व की भी यही स्थिति है? वे एक ऐसे मुट्ठी भर नेता हैं जो निर्णय नहीं कर सकते हैं और दिल्ली आने से पहले आपस में बातचीत करते हैं और फिर सलाह-मशविरा करने के लिए वापस जाते हैं। वह कोई निर्णय नहीं कर सकते हैं। वह बातचीत, वार्ता और सलाह करते हैं किन्तु कुछ ठोस परिणाम सामने नहीं रखते हैं। तो अकाली नेतृत्व की आज यह स्थिति है। यदि मास्टर तारासिंह और संत फतेह सिंह जैसा नेतृत्व होता तो आज ऐसी परिस्थिति ही उत्पन्न न होती। इसलिए मैं कहता हूं कि अकाली इस स्थिति से परेशान हैं। वह कोई निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। कई चीजें पेश की गई थी। उन्होंने पहले तो उन्हें स्वीकार किया, लेकिन बाद में अस्वीकृत कर दिया।

हमने कई मध्यस्थ वहां भेजे। यहां तक कि विपक्ष के बहुत से नेता अकेले अथवा सामूहिक रूप में उनसे बात करने के लिए वहां गये। श्री सोमनाथ चटर्जी कह रहे थे कि हम बातचीत नहीं करना चाहते। यदि उन्होंने दूसरे कम्युनिस्ट नेता श्री सुरजीत सिंह से बात की होती तो शायद उन्हें पता लग जाता कि कोई समझौता हो जाए, इसके लिए कितने प्रयास किए जा चुके हैं। इसमें जो दूसरा पक्ष सम्बद्ध हैं वह है विपक्ष, जैसा मैं पहले कह चुका हूं विपक्ष को पंजाब की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं है। उनमें से किसी को भी सिखों के इतिहास की पृष्ठभूमि उनके द्वारा चलाये जा रहे आन्दोलन और अकाली दल की भूमिका की जानकारी नहीं हैं। वे उनकी मांगों का समर्थन कर रहे हैं, वे जानते हैं कि अकाली दल साम्प्रदायिक पार्टी है। जब श्री सोमनाथ चटर्जी जैसे प्रगतिशील विचार वाले अन्य लोगों ने कहा कि उनकी मांगें उचित हैं तो मुझे बड़ी हैरानी हुई है, क्या वे यह नहीं जानते कि अकाली दल बड़े किसानों का प्रतिनिधित्व करता है और वह एक साम्प्रदायिक पार्टी है? फिर भी वे इनकी मांगों का समर्थन कर रहे हैं। कोई बात नहीं, यह उनका मामला है मैं श्री चटर्जी को इसके लिए चुनौती नहीं देना चाहता। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं वह यह कि वे उन्हें हर स्थिति में प्रोत्साहित कर रहे हैं, इतना ही नहीं श्री स्वामी ने स्वयं मन्दिर का दौरा भी किया, जब वह वहां से वापस आए तो उन्होंने संसद को बताया कि उनकी मांगें जायज हैं। वहां कोई भी उग्रवादी, अपराधी अन्दर नहीं है। मैं हैरान हूं कि ऐसे-ऐसे बुद्धिमान लोग इस सदन में हैं, मैं नहीं जानता कि नोबल पुरुस्कार समिति के सदस्य क्यों

सोए पड़े थे ? उनका ध्यान श्री स्वामी पर क्यों नहीं गया कि हमारे बीच ऐसे मेधावी लोग भी हैं ? वे एक ही दिन में सब देख आए और सभी बातें सदन को बता दीं। मुझे उम्मीद है कि वे फिर पांच दिन के लिए वहां जा रहे हैं। श्री स्वामी वहां क्या करते हैं—नोबल पुरस्कार समिति को उन्हें परखने का अच्छा मौका मिल जायेगा। जब मैं कहूं कि विपक्ष दुविधा में था क्योंकि पहला, उन्हें पंजाब की पृष्ठ-भूमि की कोई जानकारी नहीं थी और फिर वे अचानक बुद्धिमान बन गये। जब वे बुद्धिमान बने तो अकालियों ने एशियन खेलों में अड़चन डालने की कोशिश की, इसके बाद उन्होंने राष्ट्रमण्डलाध्यक्ष सम्मेलन के नेताओं को लिखने की कोशिश की, फिर जब उन्होंने भारतीय संविधान को जलाया तब वे अकालियों के असली इरादों को जान सकें, मैं क्यों यह कह रहा हूं कि उन्होंने आंख मूंद कर बिना वास्तविक स्थिति को जाने उनका समर्थन किया और आज वे अपने रवैये को बदल रहे हैं। इसलिए वे दुविधा में पड़े थे जो वहां पहले से ही मौजूद थी।

इस प्रकार मैं सरकार को उसके उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं कर सकता, सरकार ने अपना कर्तव्य ठीक ढंग से नहीं निभाया क्योंकि पिछले दो वर्षों से यह आन्दोलन चला आ रहा है। हमें बहुत से अवसर मिले, बहुत समय मिला। इसलिए बहुत से लोग वहां भेजे गये। कई बार वे यहां भी आए। हमें राष्ट्र को सही तस्वीर प्रस्तुत कर देनी चाहिए थी, यहां वे कहते हैं कि कुछ लोग उदारवादी हैं कुछ अनुदार-वादी हैं—जिन लोगों ने संविधान को जलाया है क्या उन लोगों को आप उदारवादी कहेंगे ? मैं उनके ज्ञान पर हैरान हूं। मैं हैरान हूं कि वे उनका समर्थन कर रहे हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि उनके दिमाग में आगामी चुनाव की बहुरंगी तस्वीर है और वे प्रादेशिक पार्टियों के साथ गठजोड़ बिठा लेते हैं। यदि वे ऐसा करते हैं तो उन्हें अधिक स्पष्टवादी होना चाहिए लेकिन इस तरह विपक्षी दलों को उनकी मांगों का समर्थन नहीं करना चाहिए। अकाली दल की मांगों का समर्थन करके उन्होंने अपना मजाक खुद उड़ाया है।

पंजाब में हर पंजाबी महसूस करता है कि वे केवल खुद के लिए गलतियां कर रहे हैं बल्कि वे अवसरवादी भी हैं, हम समझ सकते हैं कि लोक तांत्रिक सरकार है। उनके साथ भी विचार-विमर्श करना होता है, अन्य स्रोतों के साथ भी। लेकिन उन्हें किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि लोकतांत्रिक सरकार कमजोर सरकार होती है उसे सभी की राय जाननी पड़ती है ; कोई कार्य-वाही करने से पहले सभी की सलाह लेनी पड़ती है। ठीक है, यह उनका अधिकार है, उन्हें इसे करने दें, लेकिन दो साल का समय बहुत लम्बा समय होता है अब आपको किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए क्योंकि इस बीच फायदा किसको हुआ है ? इसका फायदा केवल उग्रवादियों को हुआ है, इससे विदेशी ताकतों को फायदा हुआ है। मैं श्री सोमनाथ चटर्जी के रवैये पर हैरान हूं जो यह तो जानते हैं कि विदेशी ताकतें अपनी भूमिका अदा कर रही हैं लेकिन ये बातें साबित नहीं हो सकीं, जैसा श्री भगत ने ठीक ही कहा। शायद उन्होंने पाकिस्तान के श्री सुलेरी का लेख नहीं पढ़ा ? श्री जिया के निजी सहायक ने कहा है कि सिखों को एक अलग निर्वाचन आयोग की मांग करनी चाहिए—क्या उन्होंने उसे पढ़ा है ? अमरीकी सिनेट में क्या बहस चल रही है, अमरीका और पाकिस्तान की प्रैस में क्या चल रहा है—क्या उन्होंने पढ़ा ? क्या उन्हें अमेरिकी अथवा पाकिस्तानी संचार माध्यमों द्वारा अदा की जा रही भूमिका की जानकारी है ?

प्रो० एन० जी० रंगा : कनाडा भी।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : हां अन्य सरकारें भी इस सरकार की निन्दा कर रही हैं और बाहर रहने वाले सिखों को उकसा रहे हैं कि उनकी कौम बड़े खतरे में है, उनकी कौम को मिटाया जा रहा है, बाहर के संचार माध्यम क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। अब आप और क्या सबूत चाहते हैं ? क्या राष्ट्रीय समस्या के प्रति आपका यही रवैया है ? मैं यह कहना चाहता हूं कि इन परिस्थितियों में सरकार को अधिकाधिक सूचना प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि सरकार सार्वजनिक रूप से हमें नहीं बता सकती तो वह कुछ नेताओं को बुला ले। जो भी सरकार कर रही है उस बारे में उन्हें विश्वास में ले ताकि वे दूसरे देशों के लिए शोर न मचाएं और मानें कि इस देश में विदेशी शक्तियां हैं जो अपनी सरकार के लिए बोलती हैं। लेकिन वे इस बात की परवाह नहीं करते कि पंजाब और इस देश में क्या हो रहा है।

श्रीमान्, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि बातचीत में उन लोगों को सरकार के साथ रहना चाहिए, जो पंजाब का पिछला इतिहास जानते हैं, वहां की पृष्ठभूमि जानते हैं। चाहे वे राजनीतिक लोग हैं या अधिकारी वर्ग जिनसे आप सलाह-मशविरा करते हैं और आपको उन लोगों को शामिल करना चाहिए जो वास्तव में पंजाब की स्थिति की पृष्ठभूमि जानते हैं।

दूसरा, मैं यह कहना चाहूंगा कि पंजाब में जो कुछ हो रहा है उसके लिए वहां चार तत्व जिम्मेदार हैं जो वहां अपनी भूमिका अदा कर रही हैं—पहला तस्करी, दूसरा असामाजिक तत्व तीसरा नक्सलवादी चौथा उग्रवादी। आपको स्वर्ण-मन्दिर में दाखिल होकर अपराधियों को पकड़ने में कुछ कठिनाई हो रही होगी यह मैं मानता हूं लेकिन आपको नक्सलवादियों, असामाजिक तत्वों और तस्करों को पकड़ने में क्या मुश्किल हो रही है जो पाकिस्तान से, बिना निशान लगे शस्त्र देश में ला रहे हैं। मैं अमृतसर में रहता हूं। मैंने कितने ही लोगों से बातचीत की। यह वहां एक आम चर्चा की बात है। कि पाकिस्तान से हथियार आ रहे हैं। बतौर सरकार आपको यह रोकना चाहिए। आप जाने माने तस्करों सहित सभी तस्करों को गिरफ्तार क्यों नहीं करते। आपके पास उनकी सूची होगी। आपके पास सभी असामाजिक तत्वों के नाम होंगे—उन्हें गिरफ्तार किया जाए यदि गिरफ्तार नहीं किए हैं तो सभी तस्कर गिरफ्तार किए जायें, सभी नक्सलवादी गिरफ्तार किए जायें। तत्पश्चात् उनके बाप या भाई को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता ? आप उनके रक्षकों को दूर क्यों नहीं करते, ताकि वे लोग वापस आएं और आप उनसे निपट सकें। इस तरीके से आप उग्रवादियों को अलग-थलग करने में और उनसे निपटने में कामयाब हो सकते हैं। और यही समाधान होगा। यह मेरा सुझाव है जो मैं देना चाहता था।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : श्री भाटिया (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप यह मानने को तैयार हैं ?

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मुझे इसे पूरा करने दें। मेरे पास एक और सुझाव है।

श्री ए० के० राय : क्या आपने नक्सलवादियों के बारे में प्रैस में कोई रिपोर्ट देखी है ?

(**व्यवधान**)

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : तब अकालियों के साथ हो रहे विचार-विमर्श के बारे में सरकार को अन्तिम निर्णय लेना चाहिए और उन्हें बता देना चाहिए कि सरकार क्या चाहती है।

(व्यवधान)

5.00 म० प० **(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, अच्छा होता कि प्रधान मन्त्री जी और गृह मन्त्री जी भी होते। यह चर्चा सबसे पहले 81 के अप्रैल में मैंने शुरू की थी खालिस्तान के सवाल को लेकर के और कौन जिम्मेदार हैं इसका, सदन का कितना उसमें सहयोग है या कितना सदन उसके लिए उत्तरदायी है की चर्चा चली लेकिन गृह मन्त्री जी का जबाव नहीं हो सका क्योंकि कोरम पूरा नहीं था। इसलिए मेरी चर्चा का कोई जबाव नहीं दे सके गृह मन्त्री जी क्योंकि कोरम पूरा नहीं हो सका। यह पहली बात।

दूसरी बात—यह पक्ष विपक्ष राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय-मजाक सा लगता है इस बात को कहने में। मैं समझ नहीं पाता हूं कि कौन किसका किसके लिए कहता है और कैसे, किस मुंह से, किस जिम्मेदारी के साथ कहता है? अगर चुनाव हों राष्ट्रपति जी का तो वोट मिलें कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को तमाम अकालियों के सर्वसम्मति से। सर्वसम्मति से सारे अकाली दल ने वहां पर वोट दिए कांग्रेस पार्टी को। जरा सोच लेना। मैं छोटी-छोटी बात कह कर आगे चलता जा रहा हूं। ये कहते हैं कि हमारी मदद करो। मान लो सारी विरोधी पार्टी आपकी मदद नहीं करती है, आपकी खिलाफत करती हैं तो गवर्नमेंट किसकी है? केन्द्र में कांग्रेस पार्टी चुनकर आई और पंजाब में कांग्रेस पार्टी चुनकर आई। अगर भारत की प्रधान मन्त्री यहां पर होती तो मैं कहता कि कहां है वह प्रधान मन्त्री जो अमेरिका के सातवें बेड़े से न घबड़ा करके एक सवाल पर अटल रही थी? वह इतनी कायर और इतनी दब्बू सरकार की प्रधान मन्त्री कैसे हो गई कि कत्ले आम होता है और उसका कोई इलाज नहीं। कहते हैं कि कुछ कर नहीं सकते। और करो, या न करो, दूसरे मुल्कों की सरकारें तोड़ा करती हैं, विरोधी सरकारें तोड़ा करते हैं, कांग्रेस पार्टी अगर थोड़ा बहुत भी शर्म रखती हो तो उसको शर्म आनी चाहिए, अपनी पार्टी की सरकार को तोड़ करके, अपनी गवर्नमेंट का राज चला कर के वहां पर लोगों की हत्याओं को बढ़ा करके केन्द्र में सरकार चलाती है, इनको एक क्षण भी हुकूमत करने का कोई अधिकार नहीं है, तुरन्त इनको इस्तीफा देना चाहिए।

सवाल हम हल करें? क्या है प्रावलम? कोई प्राबलम नहीं है। किस चीज की प्रावलम है? प्राव लम है लोगों की जिन्दगी की। झगड़े चलते रहते हैं, चलते रहेंगे। गांवों में चलेंगे, घरों में चलेंगे, जमीनों के चलेंगे, मकानों के चलेंगे, किरायेदारों के चलेंगे, छोटी-मोटी सरहदों के चलेंगे। लेकिन देश के अन्दर का झगड़ा हल करने के लिए अदालत है, पंचायत है, कायदे और कानून हैं। वह सरकार, सरकार नहीं है, सरकार कहलाने की मुश्तहक नहीं है जो डंडे के जोर पर, लाठी के जोर पर और बन्दूक के जोर पर चाहे वह हकदार हैं या बेहकदार हैं, बगैर किसी कानून के सहारे किसी चीज को हथियाता है या किसी की जान लेता है और सरकार बेबस रहती है। इस सरकार को हुकूमत चलाने का कोई अधिकार नहीं है।

सुब्रह्मण्यम स्वामी का नास आ गया बहस में। खैर, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।

सुब्रह्मण्यम स्वामी की निन्दा करो, स्तुति करो। यह डेमोक्रेसी है, इसमें तो विचार रखने चाहिए। यह भी एक विचार है। अगर यह विचार नहीं रखेंगे तो यह विचार कहां से आएगा ? इनका भी एक विचार रखने का तरीका है। हमारी तरफ एक मिसाल दिया करते हैं कि अरे, तैंने चींटी को पैर तले रोंद दिया, मैंने बड़े-बड़े कबूतर पकड़-पकड़कर मार दिए हैं, यह तो चींटी है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : चींटी कबूतर भी पकड़े हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : कहां है विदेशी हाथ, बलिराम भगत जी ? अगर तुम्हारे में जिम्मेदारी है, अगर तुम्हारे में थोड़ी भी राजनीतिक लज्जा है तो चाणक्य दो हजार साल पहले यह कह गया था कि जो राजा यह कहे कि कौन-सा देश मेरे खिलाफ है उसका मुझे ज्ञान नहीं है तो उसको हुकूमत करने का कोई भी अधिकार नहीं। तुम कहते हो यह मामूली बात नहीं है तो फिर क्या मामूली बात पार्टी को बदलना है कि चुनकर इधर से उधर आ गए और उधर से इधर आ गए ? सरकार का काम है जिम्मेदारी को निभाना। यह गृह मन्त्री जी ने क्या बात कही है क्या उसको मैं पढ़कर सुनाऊं ? इस किताब से ? कहते हैं दोनों अकाली थे, भिंडरा वाले भी अकाली थे और यह भी अकाली—अब नजदीक वाले दूर हो रहे हैं और दूर वाले नजदीक हो रहे हैं और नजदीक और दूर करने वाले रंग महल में बैठे हैं, अबलाओं की इज्जतें लुट रही हैं। लारी से लोगों को उतार लिया जाय और एक लाइन में खड़ा करके मार दिया जाए। क्या है प्रावलम ? सुब्रह्मण्यम स्वामी क्या जानते हैं, किसको प्राबलम कहते हैं ?

पानी के लिए वाकायदा एवार्ड हुआ, जजों ने फैसला दिया लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। फिर पंचायत का फैसला भी हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने एवार्ड दिया उसको नहीं माना गया। चुनावों में वोट के वास्ते देश की प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी गई और उद्घाटन किया, हरियाणा से 20 करोड़ रुपया लिया और कहा कि लो यह मैं देती हूं। मैं कहता हूं इन्दिरा जी, या तो सांप को छेड़ो मत और छेड़ो तो छोड़ो मत। आपने जाकर पंजाब का सांप पकड़ा और हरियाणा में छोड़ दिया। आपने एवार्ड दिया, किससे पूछकर दिया ? एक एवार्ड नहीं दो एवार्ड नहीं, तीन एवार्ड नहीं। इस बाउण्ड्री को मैं बहुत अहमियत नहीं देता हूं, क्या पंजाब में, क्या हरियाणा में, क्या यू० पी० में और क्या बिहार में लेकिन बाउण्ड्री के लिए भी कोई कायदा होता है। हरियाणा में मधु दण्डवते जी की पार्टी अगर कुछ काम नहीं करती तो क्या कोई फैसला ही नहीं ? कमीशन मुकर्रर हुआ, जस्टिस शाह ने फैसला दिया कि चण्डीगढ़ हरियाणा को मिलेगा लेकिन संत फतह सिंह ने मरण व्रत किया। जगजीवन राम जी यहां पर नहीं हैं उन्होंने फैसला करवाया कि चण्डीगढ़ के बदले में हरियाणा अबोहर और फाज्लिका ले ले। वे बोले, ठीक हैं हम राजी हैं, वहां पर दीवाली मनाई गई। लेकिन चण्डीगढ़ के वास्ते हरियाणा के 13 लड़के कत्ल हुए, पुलिस की गोलियों से मारे गए परन्तु वे देश से अलग होने की बात नहीं करते हैं, देश-द्रोहिता नहीं करते हैं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि जमीन का टुकड़ा कहां रहता है, भारत का है भारत में ही रहे लेकिन उसके लिए भी कोई कायदा होना चाहिए।

आज मैं सरकार से कहता हूं डिमोक्रैसी पर आपका क्या एतमाद है ? आप वोट क्यों मांगते हैं ? कांग्रेस पार्टी चुनाव किस लिए लड़ती है ? पंजाब के लोगों ने तुम्हें चुनकर भेजा लेकिन तुम उनकी जिंदगी नहीं बचा सकते, पंजाब की सरकार नहीं चला सकते, फिर क्या इंग्लैंड में सरकार चलाओगे ? फिर वोट क्यों लेते हो ? तुम्हारा अधिकार क्या है चुनाव लड़ने का ? (**व्यवधान**) जरा तमीज से बात

करो, गुस्सा मत दिलाओ, यह सुब्रह्मण्यम स्वामी की बात नहीं है। (**व्यवधान**) याद रखना, यह मामूली बात नहीं है भारत की सभ्यता टूट रही है। मैं उस दशमेश पिता की बात कहता हूं, जिसके साहबजादे नौ साल और बारह साल के दीवार में चुनवा दिए और पंथ इसीलिए सजाया था। इसलिए पंथ नहीं सजाया था कि गुरु का नाम लेने वाले गुरु का नाम बदनाम करें और गुरु का नाम लेने उस वाले देश के बच्चों का संहार करें और निर्मम अबलाओं की इज्जत लूटें और बेकसूर लोगों का कत्ल करें। दशमेश पिता ने अपने बाप की नौंवी पादशाही की शीश की शहीदी के लिए भेजा था। आ गए रैंजीमेंट उस महान अवतार का नाम किसके साथ जोड़ा और चिट्ठी लिखी राजेन्द्र कुमार वाजपेयी की बहन जी तुम्हें कतल कर दिया जाएगा। भाई कन्हैया हुआ करते थे। जब लड़ाई हुई तो गुरु महाराज के पास शिकायत आई भाई कन्हैया दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। होगा कोई समझदार आदमी। हम जख्मी करते हैं और भाई कन्हैया जख्मी लोगों को पानी पिलाता है। भारत की सभ्यता देखो, भाई कन्हैया को बुलाया गया, सिक्खी को देखो, सिखी को पढ़ो, जो आज सिखों के नाम पर बेबस और बेकस लोगों को मार रहे हैं, मैंने सुना है कि तू जख्मी लोगों को पानी पिलाता है। उसने कहा—जी महाराज। पूछा गया क्यों? बोला महाराज जो कहरांदा है, मुसीबत में है, जो निर्बल हैं, जो कमजोर हैं, जो रोता है, उसमें मुझको आपकी आत्मा नजर आती है, मुझे और कुछ दिखाई नहीं देता है। तब देशमेश पिता ने कहा तुम मेरे शिष्य हो और लो यह दवाइयां इनको भी लगाओ। यह सिक्खी की पवित्रता है और सिखों का —दिमाग है। याद रखना लड़ाई हिन्दू और सिक्ख की नहीं है। हमारे धर्म के बीच में हमारी शादियों में, रिश्तों में, नातों में, बेटी और रोटी के बीच में हिन्दू और सिख नहीं आता है। हिन्दू जाट और सिक्ख जाट में रिश्तेदारी है। हमारे हिन्दू खतरी और सिख खतरी में रिश्तेदारी है। रोड़े सिख और रोड़ हिन्दू में रिश्तेदारी है। हिन्दू ब्राह्मण और सिक्ख ब्राह्मण में रिश्तेदारी है। हमारी रोटी और बेटी के बीच में जात—आती है, धर्म नहीं आता है। यह दिमाग हिन्दू और सिक्ख का दिमाग नहीं है। यह विदेशी दिमाग है, स्वदेशी दिमाग नहीं हैं। गुरु की औलाद होकर, दशमेश पिता की औलाद होकर उन्होंने सर्वस्व कुर्बान कर दिया। हिन्दू की सुरक्षा की वास्ते वह राम की औलाद जिसकी रक्षा के वास्ते गुरु ने सर्वस्व कुर्बान किया। जो राम को मानने वाला गुरु के मानने वाले की हत्या करता है और गुरु को मानने वाले की हत्या करता है, वह न तो गुरु गोविन्द सिंह की औलाद है और न राम की औलाद है। गौरी, गजनी वह विदेशी दिमाग है, जो देश के टुकड़े-टुकड़े करा रहे हैं।

अध्यक्ष जी, इलाज के बारे में पूछा जाता है। किस का इलाज पूछा जाता है। कतल करते हैं, कतल का इलाज पूछते हैं, सरकार है या बनिए की दुकान खोल रखी है। डकैती का रास्ता बताओ, कैसे रोकें। कतल होता है उसका रास्ता बताओ कैसे रोकें, चोरी का रास्ता बताओ कैसे रोकें —किसी थानेदार से पूछ लो, वह बता देगा। कोई कहता है कि चण्डीगढ़ दे दो, कोई कहता है कि दिल्ली दे दो। कौन इनकी बात करता है। मुझे नाज है दिल्ली के ऊपर सरदार ज्ञानी जैलसिंह जी बैठे हैं। मैं कहता हूं कि दिल्ली और चण्डीगढ़ में फर्क क्या है। सारा हिन्दुस्तान ले लो। सारे हिन्दुस्तान से चुन कर आओ। हिन्दू-मुसलमान-सिख-ईसाई में क्या फर्क है, यह सबका हिन्दुस्तान है। जनतन्त्र में लेने-देने की क्या बात है। यह जो लड़ाई हो रही है, लोगों के कत्ल हो रहे हैं या करवा रहे हैं, याद रखना, सेठी साहब, मैं आज एक सख्त बात कह रहा हूं। इन्दिरा गांधी के बारे में कह रहा हूं—काश वह यहां होतीं—इन्दिरा जी, या तो तुम्हारी शक्ति उम्र के साथ क्षीण हो गई है या प्रकृति के प्रकोप से आदमी कुछ कमजोर हो जाया करता है। जो औरत इतनी मर्द हों कि जब बंगला देश के युद्ध के समय—यह बात दूसरी है कि

सारा देश उसके साथ था—अमरीका का सातवां बेड़ा यहां आया, तो वह नहीं घबराई, आज कांग्रेसियों के कहने से भिंडरावाला यह कहता है, वह कहता है, राजीव को खतरा है, इन्दिरा को खतरा है, मैं पूछता हूं—यह 70 करोड़ का खतरा कहां चला जाएगा।

सेठी साहब, लोगों की हत्याओं की जिम्मेदारी आप पर है। मैं मानता हूं—आप काबिल हैं, ईमानदारी से कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपकी पुलिस आपके साथ नहीं है। आपके सरकारी कर्मचारी आपके साथ नहीं हैं। वहां पर आपका फर्मान नहीं चलता है, किसी और का फर्मान चलता है। ये क्या बेचारी श्रीमती बरार है, जिनसे चला नहीं जाता, उनको हिट-लिस्ट में रख दिया है···

श्रीमती गुरु त्रिन्दर कौर बरार (फरीदकोट) : मेरे बारे में क्या कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : हिट-लिस्ट में बता रहे हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : मैं तो तुम्हारे साथ हमदर्दी कर रहा हूं। सपैरो का नाम हिट-लिस्ट में है। हां, निहालसिंह वाले का होता तो ठीक था, कम-से-कम मर्दान्गी से तो बोलता है, बहादुरी से बोलता है। याद रखो, सपेरा बीन बजाकर काले-नाग को अपने बस में रखता है, काले-नाग की कमाई सपेरा खाता है और शायद उन्हीं काले नाग की वोट से तुमको ताकत मिली हो, लेकिन इस बात को भी याद रखो, सपेरे की मौत का कारण भी काला नाग हो सकता है। वे हाथ अब तुम्हारी तरफ बढ़ रहे हैं, तुमको भी गोली का निशाना बना रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं—अगर चण्डीगढ़ तुमसे नहीं सम्भलता है तो हरियाणा को दे दो, फिर देखें, वहां कैसे कत्ल होता है। चण्डीगढ़ की तरफ मुंह करके भी नहीं सोयेंगे। चण्डीगढ़ शाह कमीशन ने हमको दे दिया था, लेकिन आपने उसके फैसले को बदल दिया। अब वह आपसे नहीं सम्भल रहा है, वहां ला एण्ड आर्डर नहीं चल रहा है, जो आपसे नहीं चलता है हरियाणा के हवाले करते जाओ और तुम छोटी-सी दिल्ली में रहो, इन्दिरा जी, आप इसको ही सम्भाल लो, बाकी की हमारी जिम्मेदारी है।

आप साल्यूशन चाहते हैं। किस चीज का साल्यूशन? बार-बार कहते हैं कि हाथ मजबूत करो, क्या तुम्हारे हाथ को लकवा मार गया है? तुम्हारे पुलिस कप्तान तुम्हारे कहने को नहीं मानते। मैंने पंजाब में खुद देखा है—पुलिस अफसरों के पास जो गनमैन हैं, उनको डण्डा दे रखा है। मैंने पूछा—इनको रिवाल्बर क्यों नहीं देते हो? कहते हैं—क्या पता ये भी मिले हुए हों, रात को मार जायें। याद रखो, अगर पंजाब का हित चाहते हो, सिख का हित चाहते हो, हिन्दू का हित चाहते हो, तो एक सिख का भी कहीं कतल हो, उसका खून बहता हो तो वह सारे हिन्दुस्तान के लिए शर्म की बात होगी, उसमें सारे हिन्दुस्तान का सर्वस्व जाता है। यह कोई मामूली बात नहीं है। आज लोगों के दिमागों में एक किस्म की गलत फहमी पैदा हो गई है। पहले अगर कोई सिख जाता था और कोई रिक्शा वाला उनको बुलाता था, तो कहता था—सरदार जी महाराज। लेकिन आज कोई सरदार आई० जी० पी० भी जाता हो तो लोग मुंह फेर कर जाते हैं। मैं एक और बात बतलाता हूं—मैं फाग के मौके पर हरियाणा में जा रहा था। एक कार में तीन सिख और एक जवान लड़की जा रहे थे, सब पढ़े लिखे और समझदार मालूम होते थे। फतेहाबाद के पास उनकी गाड़ी को रोका गया, उनके ऊपर हमला होता है। मेरी कार आगे निकल

चुकी थी, मैंने मुड़ कर देखा और हालात को समझते हुए वापस लौटा। मैं वापिस गया। मैंने पूछा क्या बात है। उन्होंने देखा कि लोकदल का झण्डा लगा हुआ है। उसको देखकर और घबरा गए क्योंकि प्रचार और किस्म का किया हुआ था। मैंने पूछा क्या बात है। उन्होंने कहा आप लोकदल के हैं। मैंने कहा मैं लोक दल का हूं, मनीराम बागड़ी मेरा नाम है। क्या तकलीफ है आपको। मैंने अपनी गाड़ी आगे लगाई। गाड़ी लेकर थाने में गया। उनसे पूछा कि क्या चाहिए। पैट्रोल चाहिए, पैट्रोल लो, किराया चाहिए किराया लो। वे लोग बहुत डरे हुए थे। बोले आगे कोई गांव तो नहीं पड़ता, मैंने कहा नहीं पड़ता। वे चले गए। एक घण्टे के बाद बाई चांस मैं थाने में गया तो वहां पता लगा कि उनको पकड़ कर थाने में रख लिया है। सरदार जी थाने में बैठे हुए हैं। भटिण्डे में उसकी शादी हुई थी। वहां के अफसर शरीफ आदमी थे। मैंने कहा इनको छोड़ दीजिए। कहने लगे कि ये एक्स्ट्रीमिस्ट्स हैं। मैंने कहा कि मनीराम बागड़ी के साथ कैसे एक्स्ट्रीमिस्ट्स आ सकते हैं। ये आएंगे तो जिन्होंने वोट लिया है अकालियों का उनके साथ आएंगे। कांग्रेसियों के साथ आएंगे। किसी और के साथ आएंगे, मेरे साथ एक्स्ट्रीमिस्ट कैसे हो सकता है। आप मेरी जिम्मेदारी पर इनको छोड़ दीजिए। तीन घण्टे बाद उनको छोड़ा गया और वह भी तब जब वहां अफसर शरीफ आदमी था। इतने शरीफ आदमी थे वे कि पंजाब जाकर उन्होंने मेरी इतनी तारीफ की, मैं ईमानदारी से कहता हूं कि मैंने एक पैसे का काम किया होगा, लेकिन उन्होंने मेरी सौ पैसे के बराबर तारीफ कर दी। उसके ससुर ने मुझको चिट्ठी लिखी, उसको पढ़कर शर्म आती है। कहां गए उस गुरु के शिष्य जिसने कहा था—

"चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं-फिर मैं अपना नाम गुरु गोबिंद सिंह कहलाऊं।"

उस सिंह की औलाद को इन कायरों ने, बुजदिलों ने, गुनाहगारों ने, बेकुसूरों का कत्ल करने वाले कातिलों को न पकड़ने वालों ने, उस सरकार ने गुरु गोबिंद के शिष्यों को पंगु बनाकर रख दिया है। आज वे कुछ नहीं कर सकते हैं।

इस बहस का मतलब यह मत समझना जो आप समझ रहे हैं। कोई कहता है कि पार्लियामेंट का डेलीगेशन भेज दो। क्यों भेज दो। भत्ता बनाने के लिए भेज दो। वहां दरबार साहब में सरोपा मिल जाएगा?

मैं सुबह उठकर सुखवाणी का पाठ करता हूं, कलमा पढ़ता हूं और साथ में गायत्री मन्त्र भी पढ़ता हूं। तीनों काम करता हूं। मेरे लिए धर्म और मजहब कोई चीज नहीं है लेकिन जो कहता है कि मैं मार दूंगा, उसका ईश्वर पर विश्वास नहीं है। मैं तो उसको मानता हूं जो कहता है—"मेरा मुझमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे है मेरा।"

ये वो पापी लोग हैं जो देश के मन्दिरों को झूठा बना रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं गृह मन्त्री जी एक दोस्त के नाते कि आपको फंसाया जा रहा है चक्रव्यूह में। किसी की तोप किसी के गले में डाली जा रही है। कहां भोपाल वाले के गले में डाल दी।

अध्यक्ष महोदय, मैं सजेशन देता हूं। अध्यक्ष महोदय ये कहते हैं सब पार्टी, मैं कहता हूं नहीं। हमारी पार्टी की नीति इसमें बिल्कुल सही है। हम इस मामले में इस मत के हैं कि जो सरकार देश के

टुकड़े होने से बचाने का काम करती है, हम उस सरकार का हमेशा साथ देंगे। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। ये नहीं है कि बेकुसूर लोगों को मारने की छूट दे दी जाए। कहां गए बलीराम भगत जी। कहने लगे कि आर्डिनेंस नहीं बनाने दिया। आर्डिनेंस कायदे से बना, आप 6 आर्डिनेंस बनाओ लेकिन आर्डिनेंस के गर्भ से कुछ निकले तो सही। यह तो वही बात हुई कि 9 महीने तक पेट पर कपड़ा बांधे रखा, जब 9 महीने बाद पूछा कि क्या हुआ, लड़का हुआ या लड़की तो पता चला कि वह तो कपड़ा बांधा हुआ था। या तो वहां सरकार बनाओ नहीं तो अकालियों को गवर्नमेंट दे दो। अपनी पापुलर सरकार बना लो नहीं तो रिटायर हो जाओ और कह दो कि हम नहीं सम्भाल सकते। आप तो सारे काम उल्टे करते हो क्योंकि लोग तो भिण्डर और भिण्डरावाले में कोई फर्क नहीं समझते। ···(**व्यवधान**) कुछ कायदे-कानून बनाओ और ढंग से चलो। डी० आई० जी० को पंजाब में आई० जी० बनाकर भेज दिया। पाण्डेय जी को वहां पर भेज दिया है। उनको तो कमलापति के पास सत्संग के लिए भेजना चाहिए था या पूजा-पाठ पर लगाओ। गांधी जी, जय प्रकाश जी और डा० लोहिया जी आज इस देश में नहीं हैं।···(**व्यवधान**) बागड़ी, आप लोगों की तरह झूठ नहीं बोलता। आप कहते हैं कि पार्लियामेंट का डेलीगेशन भेजो। मुश्किल यह है कि आगे कौन चले? अगर, शांति मार्च रखने की शक्ति है तो आगे प्रधान मन्त्री जी और पीछे हम चलेंगे। यह ठीक है कि गोली नहीं लगने देंगे। वह, भारत की प्रधान मन्त्री हैं और उनकी रक्षा करना हर भारतवासी का धर्म है। उद्घाटन करने या गुरुद्वारे में तो माथा टेकने के लिए अकेले जाते हैं और कहा जाता है कि आप गोल्डन टेम्पल में चले जाओ। हमारे में तो दम नहीं है। सुब्रह्मण्यम स्वामी में दम है, यह जा सकते हैं। इनको सब अड्डों का पता है।

राजनीतिक बात हो तो हम जाने के लिए तैयार हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने अकाली दल पर बैन क्यों नहीं लगाया? क्यों उनको शामिल कर रहे हो? आजकल एक्सट्रीमिस्ट शब्द बहुत चल पड़ा है। एक्सट्रीमिस्ट कौन-सी पार्टी है? श्री बी० आर० भगत, जो अच्छा काम यहां करते हैं, उनकी बुराई करते हैं। नेक्सलाइट ने एलान किया है कि कम्युनल फिरकापरस्तों के खिलाफ हथियारबन्द होकर इन तानाशाहों को मारो। भगत जी, को यह पता नहीं है कि किसकी बुराई करनी थी और किसकी भलाई करनी थी? वे तो यहां बैठकर उनकी बुराई करते हैं।···(**व्यवधान**) शायद, भाटिया साहब ने कहा था। उनको अमृतसर जाना है, इसलिए कह रहे थे। गृह मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि पाप के भागीदार मत बनो और अपनी सरकार बनाओ। डेमोक्रेसी में कभी भी तानाशाह नहीं बचा है। डेमोक्रेसी का यह कायदा है कि दुबारा चुनाव करवाओ। आप, मेजोरिटी में हैं इसलिए कोई परेशानी नहीं है। नहीं तो, लिखकर चले जाओ कि बच्चो इलैक्शन मत लड़ना वरना मारे जाओगे। सरकार नहीं बना सकते तो अकाली दल से कह दो कि हमसे सरकार नहीं चल सकती और इस्तीफा देकर घर बैठ जाओ और अपना काम-धंधा देखो।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान् मैंने श्री भगत और श्री भाटिया के भाषण ध्यानपूर्वक सुने।

एक माननीय सदस्य : और श्री बागड़ी के भाषण के बारे में?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री बागड़ी का भाषण सचमुच बड़ा जजबाती था, लेकिन अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, यह एक जोरदार भाषण था।

29 चैत्र, 1906 (शक)

पंजाब में रेलने स्टेशनों को आग लगाए जाने और अमृतसर में कुछ व्यक्तियों को गोली मार दिए जाने के बारे में गृह मन्त्री द्वारा सभा में 17 अप्रैल, 1984 को दिए वक्तव्य के बारे चर्चा

श्रीमान, मुझे खेद है कि श्री भगत की इस अपील का हम समर्थन न कर सकेंगे कि संकट की इस घड़ी में हमें सरकार को समर्थन देना चाहिए। यह हमें भी लगता है देश को भी, यदि मैं ऐसा कहूं तो गलत न होगा। क्योंकि देश में अधिकतर लोग महसूस करते हैं कि पंजाब के प्रश्न पर जैसा वहां आए दिन हो रहा है सरकार ने अपने उत्तरदायित्व से मुख मोड़ लिया है। संसद में हमें बहस और विचार विमर्श के अलावा कुछ और करने के लिए नहीं बुलाया जाता और न ही हम इससे अधिक कुछ और कर सकते हैं। जिसका समर्थन करना चाहिए हम उसका समर्थन करेंगे जिसकी आलोचना की जानी चाहिए उसकी हम आलोचना करेंगे। हम इसी के लिए यहां भेजे जाते हैं।

बड़ी अजीब चीजें हो रही हैं। मैं उनमें से केवल एक बताऊंगा। प्रैस रिपोर्ट के अनुसार श्री सोढी जिसे दूसरे दिन गोली से मार दिया गया था, स्वर्ण मन्दिर परिसर के बाहर एक चाय की दुकान पर बैठा था। गृह मन्त्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के अनुसार वह एक घोषित अपराधी था। एक पुलिस अधिकारी की हत्या सहित कई मामलों में वह वांछित अभियुक्त था। वह स्वर्ण मन्दिर परिसर के बाहर चाय की दुकान पर बैठे चाय पी रहा था। लेकिन दुर्भाग्य से दूसरे धड़े के लोगों ने उसे घेर कर मार डाला। यह एक भिन्न मामला है। हमें बार-बार कहा गया है और मैंने अपनी आंखों से स्वयं देखा है कि स्वर्ण मन्दिर के चारों ओर पुलिस वाले आदमी से आदमी सट कर घेरा डालकर खड़े हैं। वहां पर एक घोषित अपराधी जिसकी कई मामलों में तलाश है स्वर्ण मन्दिर काम्पलैक्स के बाहर बैठकर चाय की दुकान में चाय पी रहा था।

आपकी पुलिस कहां थी ? आपकी गुप्तचर सेवा कहां थी ? आपके चौकसी विभाग के लोग कहां थे ? इस प्रकार कौन प्रशासन पर विश्वास करेगा ? मैं एक साधारण सी मिसाल दे रहा हूं क्योंकि वे कहते हैं कि इन लोगों को ढूंढ़ पाना बहुत कठिन है उन्हें तलाश करना और पकड़ना काफी मुश्किल है। लेकिन यह भी तो एक मामला है उन्हें कुछ जवाब देना चाहिए। मैं जानता हूं कि वे इनमें से किसी का भी उत्तर नहीं देंगे। यही सारी परेशानी की जड़ है। क्यों मैं इस बहस में भाग लेते हुए स्वयं को प्रेरित महसूस नहीं करता ? हम सरकार से कुछ भी आशा नहीं रख सकते। वे कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं।

श्री भाटिया ने पंजाब की स्थिति पर सदन में पीछे कई बार भाषण दिए। मुझे याद है कि उन्होंने इस तथ्य पर कई बार विशेष बल देकर कहा कि अकालियों द्वारा यह आन्दोलन इसलिए चलाया गया है क्योंकि वे सत्ता में हिस्सा चाहते हैं जिससे वे कुछ समय पूर्व बाहर कर दिए गए थे। मैंने उन्हें यह कहते भी सुना है कि जनता में, सिखों में अकालियों के प्रभाव को बढ़ा-चढ़ा कर पेश नहीं करना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले संसदीय चुनावों में अकाली दल बुरी तरह से हारा था, जहां तक मुझे याद है। 13 सीटों में से केवल एक सीट वे ले सके। मैं नहीं जानता कि श्री भाटिया के क्या निजी विचार हैं। आज उन्होंने कुछ भिन्न सी बात कही, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार अकाली दल को ही सिख सम्प्रदाय का एकमात्र प्रतिनिधि क्यों मान रही है ?

क्यों ? आपने वही बात असम के मामले में की अखिल असम विद्यार्थी संघ के साथ ही बात की जैसे कि असम में कोई अन्य अल्पसंख्यक वर्ग के लोग विभिन्न समुदायों से सम्बन्धित कोई अन्य व्यक्ति रहते ही नहीं। कई वर्षों से अखिल असम विद्यार्थी संघ को ऐसे पद पर उच्चासीन कर एकमात्र एका-

धिकार दे दिया गया है और असम की जनता की ओर से बोलने की प्रतिनिधित्व शक्ति प्रदान कर दी गई है। अब आप वही बात यहां अकालियों के साथ कर रहे हैं। आप अकालियों को सारे सिक्ख समुदाय के बराबर रख रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वे पंजाब की एक महत्वपूर्ण शक्ति हैं, एक बहुत जोरदार ताकत हैं। परन्तु क्या आपका सरकार के रूप में यह रवैया सही है ? मैं नहीं समझता सही है।

मैं यहां एक तथ्य का उल्लेख करना चाहूंगा और मैं आपको यह स्मरण कराना चाहूंगा कि जब श्री आर० वैंकटरामन गृह मन्त्री थे—अस्थायी तौर जब उनके पास गृह मन्त्रालय था—तब 22 जुलाई 1982 को उन्होंने राज्य सभा में एक वक्तव्य दिया था। यह उस अवसर की घटना है, जब पंजाब एकता परिषद की एक बैठक आयोजित की गई थी और अकालियों ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। वे इस बैठक में उपस्थित नहीं हुए थे। उस पर टिप्पणी देते हुए, जो कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित है, तत्कालीन गृह मन्त्री ने कहा था :—

"दुर्भाग्यवश सिक्ख समुदाय ने इस बैठक का वहिष्कार किया।"

यदि अकाली इस बैठक में नहीं उपस्थित हुए तो यह भी एक तथ्य है कि कुछ सिक्ख कांग्रेसी, कुछ साम्यवादी जो सिक्ख हैं, और कुछ स्वतन्त्र जो सिक्ख हैं, इस बैठक में उपस्थित हुए थे। उन्होंने इस बैठक में भाग लिया था। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि यदि कोई सिख अकाली नहीं है तो इस सरकार की नजर में उसका कोई महत्व नहीं है।

श्री आर० वैंकटरामन ने कहा था कि समुदाय ने इस बैठक का बहिष्कार किया है। यह है आपका रवैया।

मैं इस मामले को उठा रहा हूं क्योंकि आपने अनुच्छेद 25 के संशोधन उसकी संभाव्यता या गैर संभाव्यता और वांछनीयता और गैर वांछनीयता के विषय में उनसे विचार-विमर्श करने के लिए सार्वजनिक रूप से प्रस्ताव रखा है। मैं दोबारा इस मामले में नहीं जाना चाहता। आप जो भी चाहें करें और आप उनसे विचार विमर्श करने के लिए स्वतन्त्र हैं। परन्तु यदि यह मामला सिक्ख समुदाय से सम्बन्धित है तो क्या इसका सम्बन्ध केवल अकाली दल से ही है किसी अन्य सिक्ख से नहीं है ? जब आप अनुच्छेद 25 पर विचार-विमर्श करने के लिए बैठें तो इसे भी ध्यान में रखें, जो मैं अब कह रहा हूं।

सच तो यह है, जैसा मैंने एक दिन पहले भी कहा था ; कि अनुच्छेद 25 का वैयक्तिक विधि के प्रश्न से कुछ भी लेना देना नहीं है। परन्तु श्री पी० सी० सेठी ने एक दिन यद्यपि अकालियों से प्राप्त संदेश के पूरे अंश बताने से उन्होंने मना कर दिया था—कि "हां, इसमें वैयक्तिक विधि सम्बन्धी कुछ सम्मिलित हैं।" परन्तु उन्होंने हमें यह नहीं बताया कि वह है क्या।

क्या मैं आपकी अनुमति से श्री लोंगोवाल द्वारा कहे गए उस ज्ञापन में से उद्धरण दूं जिसे कुछ मास पहले संसद सदस्यों में परिचालित किया गया था ? प्रत्येक संसद सदस्य ने इसकी प्रति अवश्य प्राप्त की होगी।

"अत्यन्त अल्पसंख्यक समुदाय सिखों को यह पूर्वाभास उचित ही है कि मुसलमानों, बौद्धों,

और जैनियों की भांति बहुत थोड़े से अल्पसंख्यकों को सिख भी, वे अपनी अलग पहचान को जबरदस्त हिन्दू अधिसंख्या के विशाल सागर में खो देंगे। इस सम्बन्ध में उनकी आशंकाएं इसलिए अधिक बढ़ रही हैं कि संविधान सभा में उनके प्रतिनिधियों द्वारा कड़ा प्रतिरोध करने के बावजूद संविधान के अनुच्छेद 25 में अत्यधिक निरंकुश ढंग से उन्हें हिन्दुओं के रूप परिभाषित किया गया।"

हालांकि यह तथ्यात्मक रूप से सही है या नहीं ; यह मैं नहीं जानता।

"सिक्खों द्वारा आजकल बार-बार दृढ़तापूर्वक यह कहा जाना कि वे एक राष्ट्र हैं, को इस संदर्भ में अवश्य देखा जाना चाहिए। यह उनकी व्यक्तिगत पहचान की पवित्रता और अखण्डता को कायम रखने के संकल्प की पुनरावृत्ति है और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वे अनुच्छेद 25 का संशोधन करना चाहते हैं और हिन्दुओं तथा मुसलमानों की तरह अपनी भी अलग से वैयक्तिक विधि का प्रावधान चाहते हैं।"

श्री लोंगोवाल ने अपने ज्ञापन में यह सब लिखा है। जो वे चाहते हैं, उन्होंने इसमें बिलकुल स्पष्ट कर दिया है। आप एक पृथक वैयक्तिक विधि की उनकी मांग से सहमत हैं, या नहीं यह आपका कार्य है ; मुझे इससे कुछ लेना-देना नहीं, हालांकि उस प्रस्ताव की मुख्य घोषणा का एक परिणाम यह होगा कि महिलाओं को अपनी सम्पत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया जायेगा। यदि श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में चलाई जा रही सरकार 1984 के इस वर्ष में ऐसे विचार को समर्थन देना चाहती है कि एक ऐसा उपबन्ध किया जाए कि जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं को उत्तराधिकार से वंचित रखा जायेगा तो बड़ी खुशी से आप इसे कीजिए। आप उसका उत्तरदायित्व भी लीजिए और जनता को जवाब भी दीजिए। लेकिन मैं तो केवल आपसे निवेदन कर सकता हूं कि धर्म और राजनीति को इस प्रकार मिश्रित होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अतीत में यही इस देश के विनाश का कारण रहा है। केवल धर्म पर आधारित ऐसे अलगाववादी विचारों को प्रोत्साहित होने और सुदृढ़ता प्राप्त करने की अनुमति न दें। हम पूर्ण रूपेण इस बात के विरुद्ध हैं। इसका अर्थ होगा इस देश का अन्त। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं ; कम से कम मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस अन्धाधुन्ध स्वच्छन्दता के साथ हो रही इन आतंकवादी कार्यवाहियों के विरुद्ध आप कुछ कड़े कदम उठायें क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते तो—आपको इसे कैसे करना पड़ेगा, आपको किस प्रकार की कार्यवाही करनी चाहिए, वे कौन-कौन से चरण होंगे जिनके बीच में से आप गुजरेंगे और सभी कुछ, यह सब एक अलग मामला है—यदि आप असफल रहे तो हिन्दू समुदाय, —हिन्दू समुदाय के एक वर्ग द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध कार्यवाही शुरू कर दी जायेगी। वे ऐसा करना चाह रहे हैं। हिन्दुओं के बीच में भी उग्रवादी हैं। पानीपत में हुई दुर्घटनाओं, के लिए जिनके कारण हमारे सिर शर्म से झुक जाते हैं, कौन उत्तरदायी है ? इसलिए हिन्दुओं के उग्रवादी वर्ग द्वारा आतंकवाद के विरोध में आतंकवाद शुरू किया जाएगा यदि वे देख लेंगे कि सिख उग्रवादियों द्वारा चलाए जा रहे इस आतंकवाद को दबाने में सरकार विफल रही है। और कहीं यह हो गया, ऐसा आतंकवाद इस प्रकार चलने दिया गया कि इसके विरोध में एक अन्य आतंकवाद चल निकले तो एक ऐसा भयंकर साम्प्रदायिक अग्निकांड होगा जो अभी तक न हुआ हो—और इसके अभी तक न होने के कारण ही हमें इतनी अधिक राहत और हमें खुशी भी है। अनुभव करते हैं।

ऐसा क्यों है कि इन उग्रवादियों ने मुख्य रूप से मिश्रित परिवार, हिन्दू-सिख मिश्रित परिवारों को अपना निशाना बनाया है? मुझे आशा है आपने इसे नोट किया होगा। श्री मनचन्दा का मामला ही लीजिए जिन्हें दिन-दहाड़े गोली मारी गई थी। उनके पिता और भाई सभी हिन्दू हैं हालांकि वह स्वयं एक सिख थे। और हमारे संसद सदस्य श्री तिवारी जिनकी चण्डीगढ़ में हत्या की गई, उनकी पत्नी एक सिख हैं। प्रीत लड़ी के श्री सुमीत सिंह जिनकी हत्या की गई एक सिख थे लेकिन वे केशधारी नहीं थे, उनका परिवार एक सिख परिवार था और उनकी पत्नी हिन्दू थी। क्या यह केवल संयोग है कि ऐसे हमले मिश्रित परिवारों पर किए गए? हिन्दुओं और सिखों के बीच अंतर्विवाद करने और एक समान परिवार रखने की एक लम्बी परम्परा है पूरी स्थिति को एक साम्प्रदायिक उन्माद की ओर घसीटने का जानबूझकर प्रयत्न किया जा रहा है। एक साम्प्रदायिक गर्त एक साम्प्रदायिक तनाव को तैयार करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

यह कहना व्यर्थ है—मैं नहीं जानता कि सदन में इस पक्ष से किसको यह कहने की चिंता है कि कोई बाहरी खतरा नहीं है। जो बात हम कह रहे हैं, वह यह है कि सरकार जिस प्रकार निष्क्रिय, अकर्मण्य, निष्चेष्ट और असहायक होती जा रही और कुछ भी नहीं कर रही इससे तो वह उन शक्तियों का पोषण कर रही हैं। उन बाहरी ताकतों के विषय में कौन नहीं जानता? वे छिपे हुए नहीं हैं। कुछ छिपे हुए हैं; हो सकता उनको सामने लाना आपके लिए सम्भव न हो या आप उनका पता लगाने में सक्षम नहीं हैं। परन्तु ऐसी अनेक विरोधी शक्तियां हैं जो खुले तौर पर कार्य कर रही हैं जिनके विषय में आप में से कुछ ने उल्लेख किया है। मैं यह सब पुनः दोहराना नहीं चाहता। भारत विरोधी बाहरी शक्तियां यदि अपने हितों को देखते हुए पंजाब की वर्तमान स्थिति से कुछ अपना लाभ उठाने का प्रयत्न न करें तो वे अत्यधिक मूर्ख होंगी। वे बेवकूफ होंगी। ऐसे मामलों में टांग अड़ाने के लिए उनके लिए यह एक लाभप्रद स्थिति है और वे अड़ा रहे है।

श्री भाटिया ने एक समाधान के रूप में सुझाया कि सभी तस्करों को निर्ममता से बन्द कर देना चाहिए। क्या मैं जान सकता हूं कि कौन गिरफ्तार करेगा; कौन उन्हें गिरफ्तार करने जा रहे हैं? वहां सभी पुलिस थाने में, सभी पुलिस कर्मी, ऊपर के अधिकारियों से लेकर नीचे सिपाही तक सभी तस्करों के साथ मिले हुए हैं। हर कोई यह जानता है। क्या आपकी पुलिस इन तस्करों को पकड़ने में सक्षम हैं—जबकि वे स्वयं सीमा के पास चल रही तस्करी की लूट के एक अंश पर जीवित हैं? हर व्यक्ति यह जानता है। तो आपको मेरे तर्क को मानना होगा जो मैंने पिछली बार दिया था कि यदि आवश्यकता हो तो पंजाब पुलिस और पुलिस सुरक्षा बल के समस्त उच्चाधिकारी बाहर से बुलाए जाएं। वे लोग व्यावसायिक रूप से कुशल तथा प्रतिबद्ध होने चाहिए, ऐसे लोगों की तरह नहीं जो अब कार्यभार संभाले हुए हैं। यह तो व्यर्थ की मेहनत की जा रही है।

मैं किसी का उद्धरण देना चाहता था परन्तु कुछ समय पहले बेचारे सुब्रह्मण्यम स्वामी के साथ जो कुछ भी हुआ उसको देखते हुए मैं यह नहीं चाहता कि कोई मुझे यह कहे कि मुझे यह अवश्य प्रकट करना पड़ेगा कि मुझे यह बात किसने बताई। परन्तु इस पक्ष के नहीं बल्कि उस पक्ष के किसी व्यक्ति ने मुझे अवश्य बताया था कि उन्होंने पंजाब के कुछ थानों का दौरा किया और उन्होंने पाया कि थानों के सभी पुलिस कर्मी दिन-दहाड़े नशे में धुत पड़े थ और उनको केवल तस्करों की लूट में से अपना अंश लेने की चिन्ता थी। श्री भाटिया यहां सभी तस्करों को गिरफ्तार करने के विषय में प्रवचन दे रहे हैं।

गिरफ्तार करने कौन जा रहा है ? इसके लिए आपको अपना पूरा ढांचा, सुरक्षा और पुलिस का पूरा ढांचा बदलना पड़ेगा। क्या आप यह करने के लिए तैयार हैं ? यहां तक कि वहां भेजे गए केन्द्रीय सुरक्षा बल भी राज्य पुलिस प्रमुखों के आदेश और नियन्त्रण में हैं। आप ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकेंगे।

इसलिए मैं एक तीन पक्षीय कार्यवाही का जो प्राथमिकताओं के अनुसार होगी। वकालत कर रहा हूं। मैंने पिछली बार भी यही कहा था और अब पुनः दोहरा रहा हूं, आज मेरे पास कोई नया समाधान नहीं है। जैसे मेरे अनेक मित्र पहले कह चुके हैं, पहला है, चाहे हम इसे पसन्द करें या नहीं अंत में यह समस्या कानून और व्यवस्था की पद्धति द्वारा सुलझने वाली नहीं हैं। इन मुद्दों या विवादों, इन्हें आप चाहे कोई भी नाम दें, जिन्हें इस आंदोलन के आरम्भ से ही उठाया गया है, इनका कोई न कोई समाधान निकाला जाना चाहिए। मैं धार्मिक मुद्दों के विषय में नहीं कह रहा। अधिकतर धार्मिक मुद्दों को आपने पहले ही सुलझा लिया है—मेरा मतलब है आपने उनकी मांगें मान ली हैं। परन्तु चण्डीगढ़ के मुद्दे पर, नदी जल के बंटवारे के मुद्दे पर और एक या दो अन्य मुद्दे जो विद्यमान हैं, और सीमा संबंधी अन्य मामलों के विषय में आपको अपने प्रस्तावों और अपने समाधानों के साथ सामने आना होगा। हमने वकालत की थी कि आपको एक बैठक दोबारा बुलानी चाहिए और इन व्यक्तियों को बैठक में भाग लेने के लिए वापस बुलाए—हालांकि मैं उनके इस दावे का एक मिनट के लिए भी समर्थन नहीं करता कि वे पंजाब के सिखों के एकमात्र प्रतिनिधि हैं, लेकिन चूंकि आपने उन्हें उस प्रकार उच्चासन पर आसीन कर दिया है जैसे आपने असम में अखिल असम विद्यार्थी संघ को आसीन किया था तो उन्हें वापस बुला लीजिए। यदि वे आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यह स्पष्ट है कि वे अभी एकदम नहीं आ जायेंगे क्योंकि उनके लोग जेल में हैं और आपने उनके नेताओं को गिरफ्तार किया हुआ है।

परन्तु यदि वे नहीं करते तो मैं कहता हूं और जैसा किसी अन्य ने भी यहां कहा है कि इन मुद्दों पर काफी और सैकड़ों बार बहस हो चुकी है। अब आपको चण्डीगढ़ सीमा क्षेत्रों और जल विभाजन सम्बन्धी मामलों के विषय में अपने प्रस्तावों को निर्भय रूप से सामने लाना चाहिए। लोग विपक्षी दलों के सम्मेलनों का उपहास कर सकते हैं लेकिन यह वास्तविकता है कि इन विपक्षी दलों के सम्मेलनों, जिस में अकाली नेता उपस्थित हुए हैं, वहां वे कुछ ऐसी बातों पर सहमत भी हुए हैं, जिनमें नदी जल सम्बन्धी मामलों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग को सौंपा जाना शामिल है। वे इस पर लिखित रूप से सहमत हुए हैं और अब जनमत से स्वयं को अलग किए बगैर उनके लिए इस बात से मुकर जाना काफी कठिन होगा। परन्तु आप क्यों नहीं इन चीजों को सामने लाते ताकि लोगों के बीच कम से कम एक एक ऐसी स्वीकृति तो उत्पन्न की जाए जिससे इन आतंकवादियों और उग्रवादियों को उनसे अलग करने में सहायता मिले ? यह किया जाना चाहिए। हम इसे सर्वाधिक प्राथमिकता देते हैं इन मुख्य मुद्दों पर चाहे सहमति द्वारा या एकपक्षीय निर्णयों द्वारा इन मुख्य मुद्दों पर सरकार द्वारा एक उचित और सही समाधान की घोषणा की जानी चाहिए। यदि आप इस सहमति से हुए निर्णय को मानते रहेंगे तो मेरा विचार है हम उनमें से अधिकतर मामलों में आपका समर्थन करेंगे।

मेरी दूसरी प्राथमिकता ये है ; यद्यपि इसमें कोई शक नहीं कि हमने अभी तक इस विषय में कुछ नहीं किया—कुछ अधिक नहीं किया और लोगों के बीच में इसका प्रचार नहीं किया गया है। किसी ने

यहीं कहा था कि संसद को इस अवसर के अनुसार कुछ करना चाहिए और ऐसी ही कुछ बातें कहीं। श्री भगत बहुत जोश में व्याख्यान दे रहे थे। लेकिन इन सब महीनों में हम पंजाब में एक संसदीय शिष्टमंडल तक भेजने में भी सफल नहीं हुए। आप इस अवसर का कैसे मुकाबला करेंगे। मुझे समझ नहीं आता। अभी हम एक संसदीय शिष्टमण्डल पंजाब में भेजने में सक्षम नहीं है।

श्री बी० आर० भगत : अब हमें भेजना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम वहां जाने और सभाएं आयोजित करने में सक्षम नहीं हैं। हम शांतिपूर्ण मार्च आयोजित करने में सक्षम नहीं हैं। कुछ दल अपनी ओर से अलग से कुछ करते रहे हैं परन्तु मैंने पिछली बार निवेदन किया था कि यह एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए क्योंकि मेरा अनुभव यह है—कि मैं पंजाब गया था—कि सामान्य हिन्दुओं और सिक्खों के बीच कोई तनाव नहीं है। उनके आपस में अच्छे सम्बन्ध हैं। ये लोग उसे बिगाड़ने में सफल नहीं हुए। मुझे बताया गया था कि कुछ गांवों में से हिन्दू शहरों की ओर भागने लगे तो उन गांवों के सिख उनके पास गए और उन्हें वापस लौट आने के लिए समझाने गए। उन्होंने बताया यह बहुत गलत बात है—आपकी सुरक्षा के लिए हम जिम्मेदार हैं। आप इतने वर्षों तक जहां रहे हैं, वहीं रहिए। ये तो बाहर से आने वाले लोग हैं। बम्ब फेंकते हैं, किसी को गोली मार देते हैं और कृत्रिम तनाव पैदा करने का प्रयत्न करते हैं। उनके विषय में क्या हमें कुछ नहीं करना चाहिए ? हमारे दल चाहे उनके संगठन कोई भी हों चाहे उनके पास दल के व्यक्ति कितने ही हों क्या हमें उन्हें सामूहिक रूप से अभियान में नहीं भेजना चाहिए जिससे लोगों को हौसला मिले और इन साम्प्रदायिक विघटनकारी शक्तियों के विरोध में शांति मार्च करें।

हम केवल सरकारी कार्यवाही पर निर्भर रहने के लिए तैयार नहीं हैं। सरकार को कार्य करने दीजिए। इसमें कोई शक नहीं कि सरकार का मुख्य उत्तरदायित्व है। परन्तु केवल सरकारी कार्यवाही से ही समस्या सुलझने वाली नहीं है। अभी तक यह सरकार असफल रही है। इसके साथ साथ लोगों को भी कार्य करने योग्य बनाया जाना चाहिए।

इस त्रि सूत्रीय समाधान का मेरा तीसरा मुद्दा यह है कि आप यह अवश्य बताएं : कि क्या आप पंजाब के प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन करने वाले हैं ? सारा का सारा ढांचा ही ढह गया है। जो आप केन्द्रीय कक्ष में बोलते हैं उसकी हमें यहां बोलने की आज्ञा नहीं है। केन्द्रीय कक्ष में आप ने हमें बताया कि 90 प्रतिशत पुलिस इन लोगों से सहानुभूति रखती है। (व्यवधान) यही बात लोग कह रहे हैं। अब, महोदय, यह बात केवल सिपाहियों तक ही लागू नहीं है। मैं सिपाही को इतना दोष नहीं दूंगा। उस बेचारे को बहुत कम वेतन मिलता है। उसके घर में उसकी पत्नी और बच्चे हैं। जब एक उच्च पुलिस अधिकारी को स्वर्ण मंदिर के द्वार के पास गोली मारी जा सकती है तो वह क्यों जोखिम में पड़े ?इसलिए जब कोई घटना घटती है तो वह विपरीत दिशा में देखता है। परन्तु उन उच्च अधिकारियों का क्या हुआ, वे लोग जो इस सम्पूर्ण कार्यवाही के लिए उत्तरदायी हैं ? यदि वे इसी तरह का बर्ताव करने वाले हैं और अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने के प्रति जिनमें जरा भी वचनबद्धता और साहस नहीं है और यदि वे कायर हैं तो आप उन्हें वहीं बने रहने की अनुमति नहीं दे सकते। जो कुछ भी पंजाब में हो रहा है उसके कारण पूरे देश की सुरक्षा और एकता दाव पर है। अतः इसे अवश्य उचित रूप से राष्ट्रीय संदर्भ में देखा जाये।

आप विद्रोह-विरोधी उपायों के विषय में कह रहे थे। पिछली बार मैंने भी इसके विषय में कुछ कहा था। विद्रोह-विरोधी उपायों की सफलता मूल रूप से आपकी आसूचना सम्बन्धी जानकारी पर निर्भर करती है। यदि आपके पास विश्वसनीय आसूचना सेवाएं नहीं हैं तो आप कभी भी विद्रोह-विरोधी उपाय नहीं कर सकते।

महोदय, मैं गृह मंत्री से यह नहीं कहना चाहता कि वे हमें बताएं कि वे क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, परन्तु समस्या यह है कि वे सदन को कभी भी कुछ नहीं बताते। वे हमें अस्पष्ट और गोल-मोल तरीके से ही बता सकते हैं कि इन समस्याओं से कैसे निपट रहे हैं। चूंकि हमें गृह मंत्री से कुछ भी मालूम नहीं हो रहा इसीलिए ये चर्चाएं असफल सिद्ध हो रही हैं। (व्यवधान)·····मुझे आशा है कि सरकार चेतेगी और पिछले दिनों की अपेक्षा कुछ अधिक कार्यवाही करेगी।

श्री जी० एस० निहाल सिंह वाला (संगरूर) : सभीकर साहब, इस सदन में छठी बार पंजाब पर बहस हो रही है। पांच दफा इससे पहले इस हाउस में इस मसले पर बहस हुई। इसका हल तो बहुत पहले निकल जाना चाहिए था, लेकिन यह मसला ज्यों का त्यों है। सोचने की बात यह है कि लड़ाई किसने शुरू की, एजीटेशन किस ने शुरू किया और अब किसके हाथ में चला गया है। एजीटेशन अकाली पार्टी ने शुरू की थी। अब अकाली पार्टी के हाथ से भिंडरावाले के पास चली गई और अब भिंडरावाले के हाथ से निकल कर सिख स्टूडेंट फैडरेशन के पास चली गई। मगर वह भी वक्त था, जब ये इकट्ठे किए गए। इकट्ठे अकाली पार्टी ने किए, चौक मेहता गुरुद्वारा से एस० जी० पी० सी० के प्रैजीडेंट टोहरा उसको लेकर आए गोल्डन टैम्पल में। उसको ताकत दी और लोगों को मारने का प्रचार शुरू किया। बैंकों को लूटने का और तरह-तरह की बातें और वह एलीमेंट जिससे यह काम करवाया था, अब वह खुद उससे बागी हो गए हैं। यह बात कल साबित हो गई है। एक दिन में लोंगोवाल के आदमियों ने सोडी का कत्ल करवाया। लोंगोवाल के एक आदमी और एक औरत का भिंडरावाले ने कत्ल करवा दिया तलवन्डी के ग्रुप का आदमी और उसके साथी जहां बैठ कर उन्होंने मश्विरा किया था, वे दोनों दूसरे ग्रुप ने मरवा दिए। इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि कहां से लड़ाई चली थी और कहां पहुंच गई और अब इस का क्या हल निकल सकता है।

स्पीकर साहब, सरकार के लिए भी यह बहुत मुश्किल की बात है, मैं इसको तसलीम करता हूं। सिक्खों के जजबात पर चोट मारना, गुरुद्वारे में दाखिल होना, मैं महसूस करता हूं यह खतरनाक बात है। हिन्दुस्तानी यह महसूस करता है, वरना सरकार के लिए यह मामूली बात थी और पांच मिनट का काम था। झगड़ा इतना न बढ़ता और इसी कमजोरी का फायदा अकाली उठाते रहे हैं, जिसके आज वे खुद शिकार बने हुए हैं। पोलिटिकल पार्टियां लड़ती हैं, एजीटेशन करती हैं, मगर यह पहली अकाली पार्टी है, जो गुरुद्वारे में बैठकर लड़ाई लड़ती है। समझते हुए कि हम यहां पकड़ नहीं सकते हैं इस किस्म के एलीमेंट को वहां रखना, जो लोगों का कतल करके, बैंकों को लूट करके और औरों को लूट कर के वहां चला जाए और उनको प्रोटेक्शन देना। यह अफसोस की बात है कि इस हाउस में पहले भी बहस हुई थी बत अपोजीशन पार्टीज के ताल्लुकात अकाली पार्टी से अच्छे थे। मैंने उस वक्त भी अपनी तकरीर में कहा था अगर आप सिन्सयर हो मुल्क के साथ, पंजाब के साथ आप उनको कह सकते हैं कि हम आपका साथ छोड़ देंगे। आपका साथ नहीं देंगे अगर आप गलत लोगों को गुरुद्वारे में रखोगे। उस वक्त मेरी बात नहीं

मानी।थी उसका जवाब हुआ करता था कि कोई डैप्यूटेशन भेजो। कहते हैं कि सिख कभी झूठ नहीं बोलता है और गुरुद्वारे में बैठकर तो बिल्कुल ही नहीं बोलता है। एस०जी०पी०सी० के प्रैजीडेंट हमेशा कहते रहे हैं प्रैस में आया है—आप संसद या किसी अन्य दल से शिष्टमण्डल भेजिये आपको मालूम हो जायेगा कि स्वर्ण मन्दिर में कोई अपराधी नहीं है। इससे आप अन्दाजा लगाइए, धर्म के ठेकेदार गुरुद्वारे में बैठकर जवाब देते हैं कि गुरुद्वारे में कोई कलप्रित नहीं है। आज क्या हो रहा है, पमफलैट छापे जाते हैं, फलां-फलां नम्बर में भिडरावाले के लड़के ने इस लड़की को इतनी देर रखा, इससे सिखों का सिर शर्म से झुक जाता है।

6.00 म० प०

वह लिखते हैं—लोंगोवाल उनके खिलाफ पम्फलेट निकालता है। एक "बधर खालसा" है, उन्होंने भिंडरावाले से 8 सवालों का जवाब मांगा है। इस तरह एक दूसरे के जान-लेवा बन गए हैं। मैं यह कहना चाहता हूं—इनकी बर्किंग और इनके इत्तिफाक की हालत आपको मालूम हो गई—अब आप बतलाइये, आप क्या करना चाहते हैं? अब तक तो कुछ नहीं किया। यह ठीक है—आप मजबूरी महसूस करते हैं, गुरुद्वारे में नहीं जा सकते हैं, लेकिन जैसा गुप्ता जी ने कहा—वे लोग बाहर निकलते हैं, अन्दर आते हैं, लोगों को चेलेंज करते हैं, मारते हैं, लूट कर आते हैं—क्या इसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, यह कैसे होता है? कम से कम वहां के आइ० जी०, डी० आइ० जी०, एस० पी० से पूछना तो चाहिए कि ऐसा कैसे होता है? कौन अन्दर जाता है, कौन बाहर आता है—क्या इसकी इत्तिला उनको नहीं होती है?

स्पीकर साहब, आप हैरान होंगे—एक जर्नलिस्ट जो मेरे दोस्त हैं, वहां गए उन्होंने वहां अस्लाह देखा, हर किस्म के आदमियों को देखा, दो कातिल उनके भी वाकिफ थे। उन्होंने कहा—हमने आपको खाना खिलासा है और वे खाना खिलाने के लिए बाहर शहर में ले गए, किसी अच्छे रेस्टारां में खाना खाया। जब वापस आए तो उनकी तलाशी ली गई। जर्नलिस्ट दोस्त ने तो अपना आइडेन्टिटी कार्ड दिखला दिया, लेकिन जो उसके साथ थे, उन्होंने रिवाल्वर गले में डाला हुआ था, गोलियों की पेटी लगी हुई थी, उनको देखा और कह दिया—जाओ जी। इसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं बहुत दफा इन सब बातों के बारे में बोल चुका हूं, बहुत कुछ बता चुका हूं—लेकिन अब इनका क्या होगा? मैं समझता हूं, इसके लिए सरकार को सोचना होगा—आया वे फोर्सेज हमें बचा सकती हैं, वहां कायदे और कानून को लागू कर सकती हैं या नहीं कर सकती है? मैं बहुत हैरान हूं—पहले अगर छोटी-छोटी वारदातें भी हुआ करती थीं और उनके अच्छे नतायज नहीं निकलते थे, तो अफसरों को सस्पेंड कर दिया जाता था। पिछले दो सालों से पंजाब में इतने लोग कत्ल हुए, इतनी वारदातें हुईं—क्या किसी आइ० जी० से पूछा गया, किसी डी० आइ० जी० से या एस० पी० से पूछा गया? इन सब बातों का कोई असर नहीं है, सब कुछ आराम से चल रहा है। आखिर, इनको कौन कहेगा, इनसे कौन पूछेगा? मैं तो यह समझता हूं—कांस्टेबिल से लेकर आई० जी० तक सब इस हमाम में नंगे हैं। मैं तो आज आप से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं—आज गोल्डन टैम्पिल में जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से वहां कत्ल हो रहे हैं, एक-दूसरे को कत्ल कर रहे हैं और सब पिक्चर आपके सामने आ गई है तो इस हाउस को सिख जाति से, तमाम दुनिया के सिखों से चाहे वे पंजाब में रहते हों या बाहर रहते हों, अपील करनी चाहिए कि आप बतलायें

कि हम क्या करें ? ये लोग अपने ही लोगों का और दूसरों का कत्ल करके गुरुद्वारे में चले जाते हैं, हम वहां जायें या न जायें, क्या करें ?

स्पीकर साहब, पिछले दिनों मुझे इस बात का इल्म हुआ है—मैं बम्बई गया था। मुझे मालूम हुआ कि वहाँ लोगों ने भिंडरावाले को करोड़ों रुपया दिया था और अब वे रो रहे हैं कि इस गलत आदमी को क्यों इतना पैसा दिया। मैंने कहा—तुम लोग उसको खराब करने वाले हो, तुम लोगों ने उसको करोड़ों रुपया देकर उसका दिमाग खराब कर दिया। वे लोगों को मरवा रहे हैं। आप हमारी सिख कौम के दुश्मन हैं। मेरी सबसे बड़ी एक ही दर्खवास्त है इस हाउस में कि सिख जगत को अपील करो कि आप बताओ, जो बाहर लोग हैं, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, बाहर के मुल्कों में बैठे हैं, किसान हैं, मिल ओनर्स हैं, उनसे पूछो कि आपका क्या इरादा है। क्या हमको गुरुद्वारे में जाने का कोई हक है। यहां कातिल रह सकते हैं। औरतों को गुमराह करके वहां रहते हैं, वे तो जा सकते हैं, कत्ल कर सकते हैं, अन्दर एक दूसरे को कत्ल करवा सकते हैं, लेकिन पुलिस नहीं जा सकती। लाशें जा सकती हैं। मैं समझ नहीं पाया होम मिनिस्टर की तक़रीर को। होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि सोढी का कत्ल हुआ दूकान पर, वह केस रजिस्टर हो गया। जिस स्पाट पर पुलिस नहीं पहुंच सकी, उस स्पाट का मुआयना नहीं कर सकती तो केस कैसे रजिस्टर हो गया। कुत्ते की तरह बाडी को उठाकर फिकवा दिया गया लेकिन पुलिस अंदर नहीं जा सकती। यह गुरुद्वारा परिसर है। यह केस कैसे किया जा सकता है ? इस केस की तहकीकात कौन कर रहा है।

बात कुछ समझ नहीं आई। केस रजिस्टर हो गया। ऐसे केस रजिस्टर करने का क्या फायदा। अगर केस रजिस्टर हो गया है तो वहां स्पाट पर जाना चाहिए, देखना चाहिए कि कहां से गोली लगी है कौन-कौन गवाह हैं, चश्मदीद बाकया किसने देखा है। आखिर कोई ला है। ऐसे ही दो लफ्ज रोजनामचे में डाल दिए और बात हो गई।

मैं बात को लम्बा न करते हुए, क्योंकि बहुत दफा बोल चुका हूं मेरी यही दर्खवास्त है कि इफेक्टिव स्टेप्स लेने होंगे। यह कहां का इन्साफ है कि दो-दो पैसे के बदमाश, उनको मारने से परहेज है, लेकिन वे लाखों रुपए के अच्छे लायक इन्सानों को, निर्दोष लोगों को कत्ल कर दें, वह बरदाश्त हो रहा है। तो इतना तो कर दीजिए कि वहां सिक्यूरिटी इतनी टाइट कर दीजिए कि वहां न कोई आ सके और न कोई बाहर जा सके। एक महीने के लिए बगैर मत्था टेके लोगों का गुजारा हो जाएगा। और बहुत गुरुद्वारे हैं, वहां मत्था टेक लेंगे। हम नहीं जाते, हम भी तो सिख हैं। कई रास्ते निकल सकते हैं। या राम के भरोसे ही बैठना है।

श्री मनीराम बागड़ी : राम के भरोसे बैठना है या बलराम के भरोसे बैठना है।

श्री जी० एस० निहाल सिंह वाला : इसलिए ज्यादा न कहते हुए मैं यही दर्खवास्त करूंगा कि सिख जगत को अपील करो, सिक्यूरिटी टाइट करिए, अगर अन्दर नहीं जा सकते मैं इससे इत्तफाक करता हूं। इतना कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : इस मामले पर 5 या 6 बार वाद-विवाद हो चुका है; और मैं

सत्ताधारी दल में सदस्यों और विपक्ष के कुछ प्रमुख सदस्यों द्वारा दी गई दलीलों को दोहराना नहीं चाहता।

समस्त वातावरण में बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति दिखाई दे रही है और हमें पूर्ण रूप से स्थिति का जायजा लेना है। मैं अपने कुछ मित्रों द्वारा दी गई दलील से सहमत हूं कि किसी एक को दोषी ठहराने का कोई लाभ नहीं है। परन्तु महोदय, मैं अपने एक साथी द्वारा इस सभा में दिए गए वक्तव्य के बारे में आपको याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि एक राष्ट्र के जीवन में ऐसे अवसर, ऐसी चुनौतियां केवल एक बार अथवा बहुत मुश्किल से आती हैं। मैं फिर से यह कहता हूं कि एक ऐसा अवसर मिला है एक चुनौती मिली है जिसको और अधिक उलझाने के स्थान पर हमें पूरी तरह समझना होगा।

आवश्यकता, और अत्यधिक आवश्यकता इस बात की है कि पंजाब की इस उलझन से सम्बन्धित सभी कारणों का विश्लेषण किया जाए। पंजाब में स्थिति वास्तव में खराब है परन्तु दोष ठहराने की कोशिश, जैसा कि विपक्ष के दो महत्वपूर्ण सदस्यों ने किया है, मुझे चौंका देती है। मेरा मतलब है श्री चटर्जी तथा श्री इन्द्रजीत गुप्ता द्वारा दी गई दलीलें। यदि हम सारा दोष सरकार को ही दे दें तो इससे कोई हल नहीं निकलेगा। आखिर हम इस मामले पर वाद-विवाद कर रहे हैं। और मैं विपक्षी दलों को स्मरण कराना चाहता हूं कि वे मुझे इतना बताएं कि विपक्ष के लोगों को पंजाबी सूबे से सम्बन्धित बातचीत में कितनी बार सम्मिलित किया गया है। मैं यह समझता हूं कि पूर्ण कार्यवाही; क्या वे सभा में कहते हैं और क्या सभा के बाहर कहते हैं, और वे ताकतें जो काम कर रही हैं तथा पंजाब की समस्या जो तेजी पकड़ रही है, इन सब चीजों को, सभी सही सोचने वाले व्यक्तियों को और देश के प्रति सभी देशभक्त ताकतों को, गम्भीरतापूर्वक लेना चाहिए और गलत बात पर हमें शोर मचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

मैं समझता हूं कि स्थिति से ऐसा लगता है कि विदेशी ताकतें और देश के अन्दर, देश को कमजोर करने, साम्यवाद फैलाने तथा तोड़-फोड़ करने का कार्य करने वाली ताकतें आपस में मिल गई हैं। हमने कई बार विपक्ष की भूमिका के बारे में इस सभा को सूचित किया है। आज मैंने साफ-साफ कहने का निश्चय किया है। अपनी गल्ती छुपाने का कोई फायदा नहीं है। दोगलापन और पाखण्ड हमने बहुत देख लिया है। यह ऐसा समय है कि जब हम सारी स्थिति का पूरी तरह विश्लेषण करें। अपने लिए ही इमानदार रहें, क्योंकि श्रीमान् सोमनाथ चटर्जी ने इस स्थिति को कानून और व्यवस्था की स्थिति की संज्ञा दी है। पंजाब में जो स्थिति बन रही है वह कोई कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है। यह इस देश की स्वतन्त्रता, अखण्डता और आजादी पर सीधा आक्रमण है। इसलिए इसे केवल कानून और व्यवस्था की समस्या कहना और सरकार को दोषी ठहराना और यह कहना कि सरकार कानून और व्यवस्था बनाए रखने में विफल हो गई है, मामले को बिल्कुल साधारण बनाना है, और मैं अपने मार्क्सवादी दोस्तों को यह बता दूं कि इसी कारण उन्हें कठिनाई होती है मामले को इतना सरल समझना भ्रान्त सैद्धान्तिक धारणा से चिपटे रहना आदि के कारण देश में ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों में भी प्रगतिवादी दलों विशेषकर मार्क्सवादी साम्यवादियों का बहुत अहित हुआ है।

(व्यवधान)

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : वे तथ्यों को तोड़-मरोड़ रहे हैं। यह हमारी ही पार्टी चाहती है कि पंजाब समस्या का हल निकाला जाए।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : या तो इन्होंने मुझे अच्छी तरह समझा नहीं है अथवा वे जानबूझकर तथ्यों को तोड़-मरोड़ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : वह हम पर दोष क्यों लगा रहे हैं, जबकि हम ईमानदारी से पंजाब समस्या का हल निकालना चाहते हैं।**

अध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

प्रो० के० के० तिवारी : इससे असहन-शक्ति तथा गम्भीरता के अभाव का पता चलता है। यदि मुझे इस शब्द का प्रयोग करने की अनुमति दी जाए कि इस सभा में ** बैठते हैं जो यह नहीं समझ सकते कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : जब मैं राजनीति में था, तब आप पैदा भी नहीं हुए थे। मैं 45 वर्षों से भी अधिक समय से राजनीति में हूं।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं इसके नहीं···**···कि मैं बात कर रहा था···**(व्यवधान)** यह पूछा गया था कि मांगें किस प्रकार की हैं। मैं मांगों के प्रकार के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि बात-चीत के आरम्भ में ही प्रधान मन्त्री जी की यह धारणा थी और वे स्वयं बार-बार कट्टरपन्थी और अकाली दल का नियन्त्रण न होने के बारे में कहती रही हैं। जितने भी आप सब लोग यहां बैठे है वे मुझे बताएं कि यह सच है अथवा नहीं कि आप उनके साथ बैठकें करते रहे, आपने धर्म को राजनीति के साथ न मिलाने के बारे में और संयुक्त मोर्चे के बारे में, अथवा जो भी उपकरण आपके द्वारा उन्हें दिए गए हैं के बारे में बात की है। भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी दल तो सर्वोच्च बन गए हैं। वे इस अकालियों को आमंत्रित करने में सबसे आगे हैं। इसमें जनता पार्टी के डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी भी शामिल हैं। महोदय, इस पार्टी ने, पता नहीं यह सच है कि नहीं, यह पूरी तरह से जानते हुए कि अकाली दल की प्रकृति क्या है, इसकी पृष्ठ भूमि क्या है, अकाली दल का साम्प्रदायिक प्रतिक्रियावादी और उग्र-वादी रूप क्या है, फिर भी इन्होंने अपनी गुप्त सभाओं में शामिल, आमंत्रित किया अथवा नहीं और ऐसी सभाओं से यह आशा की जाती है कि जादू की छड़ी से इस महान देश की सभी समस्याओं का हल ढूंढ़ा जा सकता है। श्रीमान स्वामी, आप मुझे बताइये।

एक माननीय सदस्य : उनसे मत पूछिए।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

प्रो० के० के० तिवारी : प्रधान मन्त्री ने सभी धार्मिक मांगों की एक तरफा स्वीकृति की घोषणा की।

(व्यवधान)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : वाद-विवाद तो ठीक चल रहा था। जिस प्रकार की भाषा वे बोले और जो उन्होंने राजनीतिक आक्रमण किया, हम ये मानते हैं कि इसकी आपने अनुमति दी ताकि हम इसमें भाग न लें। यदि आपने अनुमति दी है तो आप मुझे उसकी पार्टी पर भी आक्रमण करने की अनुमति दें।

प्रो० के० के० तिवारी : आपका कोई मानदण्ड नहीं है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : हमारा मानदण्ड है। आप इसका उल्लंघन कर रहे हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : आपका कोई मानदण्ड नहीं है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : या तो आप इन्हें रोकिये, अथवा मुझे मजबूर होकर···।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : यदि आप श्री चक्रवर्ती को अनुमति देंगे तो मुझे सभा में बोलने पर विवश नहीं कर सकते।

श्री सत्यसाधान चक्रवर्ती : आपको अनुमति दी जाती है। किन्तु आप इस प्रकार का गाली-गलोच नहीं कर सकते।

प्रो० के० के० तिवारी : आप जब भी बोलते हैं, तो श्री चक्रवर्ती आपकी यही आदत हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आपने क्या किया, जब श्री स्वामी बात कर रहे थे ?

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : या तो आप सभा को नियंत्रित कीजिए या मैं तो अपने स्थान पर बैठ जाऊंगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप अपनी जबान सम्भालिए।

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : राष्ट्रपति के चुनाव में अकालियों ने वोट किस को दिए थे।

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : उन्हें अपनी जबान सम्भालनी चाहिए। मैं सुन रहा था। मैं सुनने को तैयार हूं। आपको यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : क्या इन्हें इस गुप्त सभा के लिए आमंत्रित किया गया है या नहीं ?

(व्यवधान)

आइए हम बिना किसी द्वैधवृत्ति के, बिना किसी संदिग्धता के, बिना किसी क्षणिक राजनीतिक लाभ के, इस सभा में यह प्रतिज्ञा करें कि हम देश की किसी ऐसी पार्टी के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे जो संविधान के सिद्धान्तों, संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है और जो धर्म को राजनीति के साथ जोड़ने की कोशिश करती है। यदि आप यह प्रतिज्ञा करने को तैयार हैं तो आइए हम यहां सभा में करें। आप सभा में प्रतिज्ञा करें ताकि यह देश को मालूम हो (**व्यवधान**) देश को मालूम हो कि हम कुछ करके दिखाना चाहते हैं। मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता हूं कि वे क्या मांगें कर रहे हैं। यह अकालियों की मुख्य मांगों के समर्थन में बड़ी बातें कही गई है। अकालियों ने क्या किया है। और केन्द्र सरकार को कौन-कौन सी मांगें प्रस्तुत की हैं अथवा केन्द्र सरकार को दी हैं, मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। मैं तो केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या आप सभी जो गुटबंधन अथवा मोर्चे में प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे सहमत हैं ? निश्चित रूप से मेरा तात्पर्य सम्बन्धित राज्यों के अन्य संघटकों से है। क्या वे आपकी प्रतिज्ञाओं से सहमत है? इन पार्टियों के केन्द्रीय नेता अकालियों के साथ एक प्रतिज्ञा करते है एक वचन देते हैं और फिर हरियाणा, राजस्थान और अन्य स्थानों पर आंदोलन आरम्भ होता हैं। ऐसे विचारों वाली संबंधित पार्टियां अथवा राष्ट्रीय नेताओं द्वारा दिया गया इस प्रकार का समाधान हमें स्वीकार नहीं है। अत: यह दोहरी नीति नहीं अपनाई जानी चाहिए।

श्रीमती प्रोमिला दंडवते (बम्बई उत्तर मध्य) : भजन लालजी किस पार्टी के है ?

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : आप हरियाणा को पंजाब से लड़ा रहे हैं।

श्रीमती प्रोमिला दंडवते : हिन्दु रक्षा समिति किसने शुरू की है।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : श्री चटर्जी ने प्रश्न किया है कि आज अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोणों को किस प्रकार तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है और किस प्रकार देश में और देश के बाहर हमारे चारों तरफ अस्थिरता तथा विभाजित करने वाली ताकतें संगठित हो रही हैं और इस देश की एकता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा। कर रही है खतरे का हमें बहुत स्पष्ट बोध हो रहा है। हस्तक्षेप की बात भी की गई हैं। श्री चक्रवर्ती, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस मामले पर सोचें। आप स्वयं भी बोलते रहे हैं और आपके सभी मित्र भी बोलते रहे हैं। यदि आपको सबूत चाहिए और यदि आपकी सारी समझ तथा विचार शक्ति विदेशी खतरे को नहीं देख सकती हैं तो मैं आपके ध्यान में बहुत ही प्रतिष्ठित विदेशियों, विशेष रूप से पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया-उल-हक के सलाहकार द्वारा लिखे गये कुछ लेखो की ओर दिलाता हूं। यह व्यक्ति

हैं, जनरल अक्राम खान जो राष्ट्रपति जिया के सलाहकार दल के एक प्रमुख सदस्य हैं। पंजाब समस्या के बारे में वह यह कहते हैं :

> "भारत एक देश नहीं है। इसमें एकता कभी नहीं रही जो एक राष्ट्र के लिए आवश्यक है। जिन लोगों को यहां संभवतः पृथक्तावादी समझा जा सकता है, वे हैं सिख द्रविड़ तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग जिनमें नागा, मीजो, त्रिपुरा और असम शामिल हैं।"

वह आगे कहते हैं :

> "यदि इस उपमहाद्वीप के लोगों के दो राष्ट्र बन सकते हैं तो तीन क्यों नहीं हो सकते ? चार अथवा पांच अथवा छः क्यों नहीं बन सकते ?

उसी सांस में वे यह भी कहते हैं :

> "समय हमारे पक्ष में है कि भारत 1980 से आरम्भ होने वाले दशक में भारत के समक्ष जो समस्याएं हैं उनका हल निकालना भी दिन प्रति मुश्किल हो रहा है और भारत उत्तरोत्तर शक्तिशाली होने की बजाय कमजोर होता जा रहा है।"

यह पाकिस्तान के जनरल अक्राम खान का नजरिया है, जो पाकिस्तान के रणनीति अध्ययन संस्थान के महानिदेशक भी हैं इसके अलावा पाकिस्तान के राष्ट्रपति के एक सलाहकार श्री सुलेरी हैं जिन्होंने पंजाब में उग्रवादी और पृथकवादी तत्वों का खुले रूप से समर्थन किया है। हमारे चारों तरफ यह क्या हो रहा है ? संयुक्त राज्य अमेरीका के उप-सचिव ने पंजाब की समस्या के बारे में हाउस आफ रिपरजैंटेटिवज की विनियोजन उपसमिति को एक लम्बी और विस्तृत रिपोर्ट दी है। मैं तो कहूंगा कि यदि सबूत की आवश्यकता है तो इसका पक्का सबूत है कि विभाजन करने वाली ताकतें और वे लोग जो भारत को एक मजबूत देश बनने देना नहीं चाहते है, इस समय क्रियाशील हैं। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने यह चेतावनी दी है। कि यदि आपने स्थिति को बिगाड़ दिया तो स्वाभाविक है कि बाहरी ताकतें इसका लाभ उठायेंगी। स्थिति दूसरे के हाथ में है, ऐसा नहीं हम सभी जानते हैं कि अस्थिरता पैदा करने वाली ताकतें सबसे पहले भारत में अथवा विकास शील देशों में कहीं भी, अपने एजेन्टो के माध्यम से ऐसी ही स्थिति पैदा करती हैं। महोदय, अमरीकी एजेन्सियों द्वारा किए विश्लेषण अनुसार जातीय समस्याओं, धार्मिक समस्याओं जैसे शक्तिशाली हथियारों के प्रयोग से विकासशील देशों में अस्थिरता पैदा की जा सकती है। वे संभवतः जानते हैं कि आर्थिक प्रश्नों से विकासशील देशों को विभाजित नहीं किया जा सकता। इसलिए धर्म ही बहुत ज्वलनशील वस्तु है जिसे उपयोग में लाया जा सकता है। अतः मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त तथा श्री सोमनाथ चटर्जी से अपने दृष्टिकोण को सही करने का आग्रह करता हूं। वे गड़बड़ी होने का इंतजार नहीं करते हैं गड़बडी पैदा करने के लिए वे अपने सम्पर्कों तथा संसाधनों के माध्यम से गड़बड़ी पैदा करते हैं। और फिर इसमें भाग लेते हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि अक्राम खान ने भारत के चार या पांच इकाइयों में विभाजन के बारे में जो भी कहा है उसमें श्री रिचर्ड निकसन ने जो अपनी पुस्तक में लिखा है, वही स्पष्टतः प्रतिध्वनित होता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिका भारत के बारे में क्या सोचता है और किस प्रकार भारत के सम्बन्ध में विशेष रूप से पंजाब के बारे में

क्योंकि पंजाब इस दौर गुजर रहा है, विचारों से चारों ओर हमारे दुश्मन सहमत हैं, उनके यह निकसन द्वारा दिया गया वक्तव्य है। अपनी पुस्तक में वे कहते हैं :

> "सम्पूर्ण यूरोप का एक देश होना सम्भव है किन्तु इसकी तुलना में बिल्कुल भी स्वभाविक नहीं है कि सम्पूर्ण भारत एक ही देश रहे। भाषा की दृष्टि से जातीयता की दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से भारत यूरोप से अधिक विविध है।"

वह आगे कहते हैं :

> "क्या भारत विभिन्न राष्ट्रों के रूप में ज्यादा खुशहाल होता।"

अत: श्री रिचर्ड निकसन कहते हैं कि संभवत: भारत रहने के लिए अधिक अच्छा स्थान होता यदि इसे अनेक इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता। विभिन्न निश्चित साक्ष्य हैं। यदि कम्यूनिस्ट इन ताकतों का अर्थात् अस्थिरता की ताकतों का और साम्राज्यवाद तथा नव-उपनिवेशवाद के केन्द्रों के संचालित विनाश कारी ताकतों के सबूत की मांग करते हैं तो इसका अर्थ है, भारत में उनकी रूचि बढ़ रही है। लेकिन क्यों ? इसका बहुत ही सरल उत्तर है क्यों कि वे शुरू से ही इस उपमहाद्वीप को विभाजित करने के लिए, धार्मिक विभाजन तथा भाषायी विभाजन करने की दृष्टि से इन अवसरों का उपयोग करते आये हैं। और अब श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व के कारण, और विभिन्न क्षेत्रों में हमने जो सफलतायें प्राप्त की हैं, उनके कारण भारत पर अधिकतम दबाव पड़ा हुआ है। इससे वे हमसे ईर्ष्या करते हैं और इसीलिए हमें अस्थिर बनाने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया है, इस मामले के बारे में मैं विपक्ष के सभी वरिष्ठ सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे जरा अपने गिरेबां में झाँक कर देखें। आप यहां कुछ कहते हैं और बाहर कुछ और कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से तथा इस सभा के माध्यम से सारे देश को स्थिति की गंभीरता के बारे में बताना चाहूंगा। जबकि देश के सामने संकट है; देश के अस्तित्व पर ही अभूतपूर्व हमला हो रहा है, जबकि देश के क्षितिज पर अलगाव-वाद मंडरा रहा है तो इस देश में विरोधी दल क्या कर रहे हैं ? वास्तव में, आज सरकार अपना कार्य कर रही है और अपना कार्य करती रहेगी, लेकिन यह बात देखने की है कि विरोधी दलों को किस प्रकार से दिशाभ्रम हो गया है। हाल ही में, तथाकथित गठबन्धन ने एक आरोपपत्र तैयार किया। क्या यह भारत के लोगों की संकल्प शक्ति को कमजोर करने, भारत के लोगों के मनोबल को गिराने, सरकार की विश्वसनीयता का नष्ट करने का एक प्रयास नहीं है ? यह एक प्रत्यक्ष प्रथा है और ···(हंसी) वे हंस रहे हैं। आप मुझे बताइए, यदि मैं व्यक्ति का नाम लेता हूं तो आप फिर आपत्ति उठाने लगेंगे। उनके अकालियों से घनिष्ठ सम्बन्ध थे। गठबंधन में शामिल दलों में से कुछ उनके साथ सरकार में थे और अनौपचारिक तौर पर उनके साथ इनकी बहुत अच्छी मैत्री रही है। इनमें से बहुतों का कहना है कि सरकार शुरू से लेकर आखिर तक असफल रही है। क्या ये मुझे बतायेंगे कि राजनैतिक प्रणाली का आवश्यक अनुपूरक अंग हैं—या नहीं हैं ? क्या यह इनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि ये अपने प्रभाव का उपयोग करते और पंजाब जाकर लोंगोवाल तथा अन्य उन व्यक्तियों से मिलते जिन्हें ये नरम दल की कहते हैं ? मेरे विचार से इनमें कोई अन्तर नहीं है, अन्तर यदि है तो केवल उतना ही है जैसा सांपनाथ और नागनाथ में है दोनों गुटों में कोई अन्तर नहीं है, परन्तु यह उनका उत्तर-दायित्व था। इन्होंने देश को नीचा दिखाया है। मैं इन्हें यह बता दूं कि यह उनका उत्तरदायित्व था, इन्हें

रचनात्मक रूप में विपक्ष की भूमिका निभाने का प्रयास करना चाहिए था। इन्होंने किया क्या है? पाकिस्तानी एजेंसियों···(**व्यवधान**)।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : एक क्षण रुकिए, यदि आप पिछले वाद-विवाद पर गौर करें तो आप पाएंगे कि गृह मंत्री ने इस बात को पहले ही स्वीकार किया है कि सरकार तथा अकाली दल के बीच मतभेदों को कम करने के लिए त्रि-पक्षीय बातचीत में, विपक्ष ने काफी सहयोग दिया। उनका यह वक्तव्य कार्यवाही वृतांत में शामिल है।

प्रो० के० के० तिवारी : अध्यक्ष महोदय, वास्तव में गृह मंत्री ने ऐसा कहा था। इन्होंने जो सहयोग उसकी सराहना करके गृहमंत्री ने बड़ी कृपा की है पर बाद में क्या हुआ? वास्तव में, त्रि-पक्षीय वार्ता में इन्होंने भाग लिया, मतभेद को कम किया गया परन्तु जैसा कि हुआ है, अकाली फिर भी कोई समाधान नहीं चाहते। यह कहना कि सरकार कोई समाधान नहीं चाहती, ऐसा कुछ भी कहना बहुत ही रूखेपन तथा स्वार्थीपन की बात है। प्रो० दंडवते वाद-विवाद में भाग लेते रहे हैं और वे एक राष्ट्रीय दल के नेता हैं चाहे उस दल की स्थिति आज कैसी भी क्यों न हो। देश भर में घटिया प्रचार किया जा रहा है, और विपक्ष की ओर का कोई भी सदस्य इस बात को सदन में और सदन के बाहर दोहराता रहता है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी की नेतृत्व में वर्तमान सरकार अपनी नजर 1985 के अगले चुनावों के परिणाम पर टिकाए हुए है और, इसीलिए, वे हिन्दुओं और सिक्खों के बीच यह साम्प्रदायिक भेद-भाव उत्पन्न कर रही हैं। हमें इस मामले में ईमानदारी से देखना चाहिए। भारतीय राज्यतंत्र का आविर्भाव तथा यहां उसका विकास धर्म निरपेक्षता को लेकर धर्मनिरपेक्ष दर्शन के आधार पर हुआ है और कुछ थोड़े से दलों को छोड़कर लगभग अधिकतर दलों ने, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र तथा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के इस आधार भूत और मौलिक दर्शन को अपनाया है। इस प्रचार के पीछे क्या ध्येय है? फिर, अकाली यही दोहराते जा रहे हैं, पश्चिम के समाचार-पत्र भी यही कहते हैं और पाकिस्तान के प्रचार माध्यम से भी यही प्रसारित किया जाता है कि भारत में हिन्दू साम्राज्यवाद की सत्ता है। क्या आप सच में यह विश्वास रखते हैं कि भारत पर अतिराष्ट्रवादी हिन्दुओं का आधिपत्य है अथवा उनकी सत्ता है? परन्तु बार-बार इस प्रकार के आरोप को दोहराकर आपने वास्तव में, इस प्रकार की धारणा उत्पन्न कर दी है। शायद कुछ छोटे राजनैतिक स्वार्थों के लिए आप अपनी ही सीमाओं अपने ही दर्शन, अपनी वचन बद्धता को भूल गए हैं।

मैं यहां पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं और मैं आरोप लगाना नहीं चाहता। आप सभी माननी व्यक्ति हैं, माननीय सदस्य हैं, और विपक्षी दलों के माननीय नेता हैं। मैं तो केवल आपको आइने में आपके चेहरों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या हो रहा है···(**व्यवधान**)। वास्तव में, पंजाब की स्थिति खराब है; मैं यह मानता हूं। इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। पंजाब समस्या का कोई न कोई समाधान ढूंढ़ना होगा। परन्तु यह नहीं हो सकता कि हम तमाशा देखते रहें और विपक्ष से किसी सहायता की आशा करें।

जब इस सभा के दो सदस्य, जिया से मिलने पाकिस्तास गये, तो उन्हें अमृतसर जाकर लोंगोवाल से मिलने से किसने रोका था? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि इन दो सदस्यों ने, अपनी पाकिस्तान यात्रा से पूर्व यहां अमरीकी राजदूत, से कई बैठकें की थीं और क्या पाकिस्तानी राष्ट्रपति के

साथ इनकी बैठक भारतीय राजदूत की अनुपस्थिति में हुई थी जबकि ऐसा कभी नहीं किया जाता है। इन प्रश्नों के बारे में, मैं माननीय गृहमन्त्री से विशिष्ट उत्तर चाहूंगा। यह सब स्थिति हमारे सामने है। इसीलिए इस अवस्था में भी, विरोधी दल इस बढ़ते हुए संघर्ष के संदर्भ में—जोकि चल रहा है, अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने आधे घंटे से अधिक समय ले लिया। इन्हें अपना भाषण समाप्त करनी चाहिए।

प्रो० के० के० तिवारी : जो कुछ भी आज हो रहा है, वह भयानक है। पूरे का पूरा विपक्ष··· **(व्यवधान)** इस बात का तब तक कोई हल नहीं निकल सकता, जब तक सत्ताधारी दल तथा विपक्ष पूरी तरह से तथा जिम्मेदारीपूर्वक, इस बारे में नहीं सोचते। जहां देश की अखण्डता खतरे में हो, मैं समझता हूं हमारी सबकी एक ही आवाज होनी चाहिए। श्रीमती गांधी इस समस्या के समाधान के लिए उचित वातावरण तैयार करने की दिशा में पहले ही काफी कुछ कर चुकी हैं। अतः अब भी, मैं विपक्ष से यह आशा रखता हूं कि स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए, वह इस विध्वंसक समस्या के स्थायी हल के लिए, सरकार तथा अकालियों को एक ही जगह बातचीत के लिए बुलाने हेतु एक कड़ी तथा एक मध्यस्थ के रूप में एक रचनात्मक भूमिका अदा करे।

श्री सूरजभान (अम्बाला) : अध्यक्ष महोदय, पंजाब की आज की हालत को देखकर स्वर्ग में लाला लाजपत राय, शहीदे आजम भगत सिंह, शहीद ऊधम सिंह और पंजाब के हजारों शहीदों की आत्मायें उर्दू का यह शेर गुनगुना रही होंगी :

क्या इसलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके
बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा दे !

मिर्जा गालिब का एक शेर मैं थोड़ा-सा बदल कर पंजाब के बारे में कहना चाहूंगा :

जख्मी दुखी पंजाब पर राहत खुदा की
मर्ज बढ़ता गया ज्यूं ज्यूं दवा की।

आज 13वीं बार इस हाउस में पंजाब के इश्यु पर डिस्कशन हो रहा है। 11वीं बार जैसाकि मेरे दोस्त कह रहे थे। पंजाब में रात 12 बजे से लेकर तीन बजे के बीच तीन घंटों में 39 स्टेशन्स जला दिए गए। इसमें 400 किलो मीटर का एरिया कवर्ड है। इसके बारे में नार्दन इण्डिया के मशहूर पेपर "ट्रिब्यून" के एडिटर प्रेम भाटिया ने अपने एडिटोरियल में लिखा है उसमें से मैं कुछ पढ़कर सुनाना चाहता हूं :

"इस कार्यवाही में, जो कि किसी सैनिक कार्यवाही से किसी तरह कम नहीं थी—बहुत ही सावधानीपूर्वक आयोजित तथा कुशलतापूर्वक कार्यान्वित की गई—राज्य के 12 जिलों में से 9 इसमें शामिल थे···जैसाकि प्रत्येक सुदृढ़ सैनिक आक्रमण में होता है,

रेलवे स्टेशनों पर किए गए हमलों को एक तरह से एक ही साथ किया गया और अचानक किया गया।"

वे आगे कहते हैं :

"यह भावावेश में आकर किया गया विनाश का कोई साधारण कार्य नहीं था। इस कार्यवाही से पता चलता है कि विस्तृत तौर पर तैयारी की गई और इस कार्य में और पर्याप्त संसाधन का उपयोग किया गया। कार्यवाही कुल 200 मील के क्षेत्र में की गई।"

आगे और क्या कहते हैं वह लास्ट सेन्टेन्स पढ़कर सुना रहा हूं :

"पंजाब के लोगों को अब इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है कि क्या कार्यवाही की जा रही है और किस तरह से की जा रही है। वे चाहते हैं कि उन्हें शान्तिपूर्वक जीने दिया जाय।"

6.36 म० प० (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, इस मुल्क में 1975 में एमर्जेंसी लगी थी, काले बादल छाए थे लेकिन उस इमर्जेंसी से भी लोग उतने दुःखी नहीं थे जितने कि आज पंजाब के हालत से दुखी हैं। इमर्जेन्सी में इतनी बात थी कि गिरफ्तार करके कहीं छोड़ दिया जायेगा लेकिन आज तो यह भी पता नहीं रहता कि सुबह का निकला हुआ आदमी शाम को अपने घर वापिस भी आयेगा या नहीं। भारतीय जनता पार्टी के हरबंस लाल खन्ना, रूलिंग पार्टी के संसत्सदस्य प्रोफेसर तिवारी और यहां दिल्ली में हरबंस लाल मनचन्दा—किसी को भी वे नहीं बख्शते हैं। खन्ना का कुसूर यह कि उनके विचारों से उनके विचार नहीं मिलते थे। प्रोफेसर तिवारी ठेठ पंजाबी थे, उनका कुसूर यही था कि उनकी विचारधारा उनसे मेल नहीं खाती थी। मनचन्दा जी सिख थे लेकिन उनके विचार भी मेल नहीं खाते थे—यही उनका भी कुसूर था। जो भी उनके खिलाफ बोलेगा उसको वे नहीं बख्शेंगे। अब तो यह अखबार में आया है कि कंप्यूटर से हिट लिस्ट बनाई जा रही है। पता नहीं कौन सा कंप्यूटर इस्तेमाल किया जा रहा है हिट लिस्ट बनाने के लिए। एक खबर तो यह भी पढ़ी है कि फारेन एजेंसीज भी इंगेज की जा रही हैं उन आतंकवादियों की तरफ से। खुले रूप में चार आदमियों के नाम हैं—प्रधान मन्त्री जी, राजीव गांधी जी, चरण सिंह जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी—वे कहते हैं पैसा चाहे कितना भी खर्च हो लेकिन इनको खत्म किया जाए। फारेन आतंकवादियों के लिए पासपोर्ट, उनकी सुरक्षा, उनके यहां पर आने और जाने का पूरा इन्तजाम किए जाने की बात कही जाती है। मैं जानना चाहता हूं आपकी सरकार क्या कर रही है ? अभी यहां पर चर्चा हुई कि सुरेन्द्र सिंह सोढ़ी दरबार साहब के बाहर चाय पी रहा था, वह एक प्रोक्लेम्ड आफेंडर था, वह अपनी बहन के घर होकर आया था तो कहां थी आपकी पुलिस ? उसको मारने वाले थे सिंदा और बलजीत कौर। वह उसको मारने के बाद स्वर्ण मन्दिर में चले जाते हैं। बाद में स्वर्ण मन्दिर से बाहर भी आ जाते हैं, लेकिन आपकी सी० आई० डी० कुछ नहीं कर पाती है। मलिक सिंह भाटिया को सो-काल्ड भिण्डरावाले ने माफ भी कर दिया कि

चलो इसने कसूर मान लिया है कि वह साजिश में शामिल था। भिण्डरावाले के आर्डर को भी इम्पोलेट किया गया और बलजीत कौर, सुरेन्द्र सिंह छिन्दा को दोनों को बाहर मार दिया गया। जो सोडी का कातिल था। सरकार उसको पकड़ नहीं सकी है। लेकिन उन दुश्मनों ने कातिलों ने कातिल को मार दिया। सरकार खामोश है, मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर किसलिए ?

एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, उनके पास बम मिलते हैं। सैकड़ों बमों के विस्फोट हो चुके हैं। आपकी सरकार मानती है, अखबारों में आया है, लेकिन होम मिनिस्टर ने अपनी जबान से नहीं कहा है। हमारी फौज से निकले हुए बम हैं, पाकिस्तान में बने हुए बम भी हैं और अमरीका के बने हुए बम भी हैं तथा सोवियत रूस के बने हुए बम भी हैं। यह अखबारों में छपा है। उनके पास स्टेनगन हमारी मिलिटरी की हैं और इन विदेशों की भी हैं। कैसे आती हैं और कहां चली जाती हैं, कुछ पता नहीं हैं। इससे एक बात साफ है कि शासन अयोग्यता अक्षमता और अकर्मण्यता बिल्कुल साफ जाहिर हो गई है। इसलिए बेहतर है कि आप पंजाब के लोगों से कह दें कि यह हमारे बस की बात नहीं है, आप अपनी रक्षा आप कर लें। यदि इतनी हिम्मत है, तो आप कह दीजिए।

सभापति जी, एक दो चीजें मैं और आपके समक्ष रखना चाहता हूं। जहां हम यह कहते हैं कि अकाली दल अपना स्टैंड बदलते हैं और उनको कसूरवार ठहराते हैं। इन तमाम चीजों की शुरुआत करने वाले भिण्डरावाला आपकी पैदावार है। इसमें कोई दो राय नहीं है, यह कई बार इस हाउस में कहा जा चुका है। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर पर हमला करने वाला और हरियाणा के मुख्य मन्त्री का बयान छपा है। हरियाणा डिस्ट्रिक्ट करनाल यूथ कांग्रेस आई के तीन आफीस बीयरर्स हैं। जिनको अब निकालना पड़ा है। मैं सेठी जी से एक बात और पूछना चाहता हूं कि आपने आल इंडिया सिख फैडरेशन को बैन कर दिया है। लेकिन नार्मली जो कानून आप बनाते हैं, उसमें जब तक खास तौर से मैंशन न किया जाए जम्मू-काश्मीर पर लागू नहीं होता है। क्या आपने आल इण्डिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन को जम्मू काश्मीर में भी बैन किया है या नहीं ? वहां के सिख स्टूडेंट फैडरेशन के कर्ताधर्ता मिटठैन सिंह हैं, जिनको मिट्ठु कहते हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वे कांग्रेस-आई के नेता के लड़के हैं। मैं आपको सिलसिला बता रहा हूं। आप बताइए कि आपने वहां पर बैन किया हुआ है ?

मैं आपसे दो-तीन सवाल पूछना चाहूंगा। मेरा पहला सवाल है—क्या सरकार मानती है कि आतंकवादियों के हैड भिण्डरावाले हैं ? दूसरा सवाल—क्या आपको जानकारी है कि पंजाब में कुछ गुरुद्वारों से बाकायदा लाउड-स्पीकर पर एलान किया जा रहा है कि कोई सिख हिन्दू की जायदाद को मत खरीदे, यह जायदाद हमें मिलने वाली है। अगर इस किस्म का प्रोपेगेंडा होगा जैसी कि उनकी नीति है कि वहां हिन्दुओं को मार कर, धमकाकर और डराकर निकाला जाए। इसका रियैक्शन यह होगा कि पंजाब के बाहर जो सिक्ख बैठे हैं, वे वहां आ जायेंगे और खालिस्तान बन जाएगा। तीसरा सवाल है—क्या अकाली दल का ऐजीटेशन और आतंकवाद को पूरी मुहीम, आप इसको मानते हैं कि इन दोनों को स्वर्ण मन्दिर से डायरैक्टशन दी जा रही हैं ?

चौथा सवाल—क्या यह असलियत है—अखबारों में छपा है कि स्वर्ण मन्दिर में आने-जाने के लिए सुरंगें बनी हुई हैं ? उन सुरंगों के जरिये बम जाते हैं, स्टेन-गनें जाती हैं, आदमी जाते और आते हैं। क्या वे वाकई बनी हुई हैं और अगर बनी हुई हैं तो अभी तक आपने कुछ क्यों नहीं किया ?

पांचवां सवाल—अखबारों में छपा है कि पाकिस्तान के जैनरल इकबाल आजकल वहां नहीं हैं और वे यहां आतंकवादियों को डायरैक्शन्ज दे रहे हैं। क्या इसके बारे में आपको कोई जानकारी है ? क्या यह असलियत हैं कि पाकिस्तान का वह जैनरल इकबाल नई दिल्ली के वेस्टर्न कोर्ट के एक कमरे में आकर अक्सर ठहरता है, यह वह कमरा है जो वी० आई० पीज को, एम० पीज को एलाट होता है ?

छठा सवाल—पांवटा साहब में ट्रेनिंग कैम्प लगा था। वैसे ट्रेनिंग कैम्प्स जम्मू-काश्मीर और पंजाब में भी लगे थे। लेकिन पांवटा साहब में जो इंस्ट्रक्टर्स उनको तलवार और दूसरे हथियारों का इस्तेमाल सिखलाते थे, वे हिमाचल के एक भूतपूर्व मुख्य मन्त्री के घर में ठहरे थे ?

आखिरी सवाल—कितने अपराधी (आफैण्डर्स) हैं जो आपकी जानकारी में स्वर्ण मन्दिर में ठहरे हुए हैं और वे कौन-कौन हैं ?

अब आखिर में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं :—

पहला सुझाव—पंजाब की पुलिस किसी जमाने में हिंदुस्तान की मशहूर पुलिस होती थी। लेकिन आज हालत क्या है ? मैंने सुना है अगर अमरीका में कोई घटना हो जाय तो 48 घन्टे में वहां की पुलिस तलाश कर लेती है, स्काटलैंड वाले सिर्फ 24 घन्टों में तलाश कर लेते हैं, लेकिन पंजाब की पुलिस के आदमी इतने एफिशियेन्ट है कि घटना होने से पहले ही, 24 घन्टे पहले, उनको जानकारी मिल जाती है, यानी यह सब घटनाएं उनसे मिल कर होती हैं। क्या इन हालात को सुधारने के लिए—जैसा गुप्ता जी ने सुझाव दिया है—मैं उसको रिपीट करना चाहता हूं—पंजाब के सीनियर आफिसर्ज का ओवर-हाल करेंगे और खास तौर पर जो वहां के ला-एण्ड-आर्डर के इन्चार्ज हैं, भिण्डर साहब, उनके पफार्मेंस को रिव्यू करेंगे और उनको वहां से बाहर भेजेंगे ?

दूसरा सुझाव—क्या जो वहां पर पैरा-मिलिट्री फोर्सेज हैं, उनको पूरे इख्तियारात देंगे। एरियाज को उनके बीच में बांट दिया जाय, उनकी डयूल रेस्पोंसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। उनको अपने-अपने एरियाज को एलाट कर दिया जाय और खुली छूट दी जाय।

तीसरा सुझाव—पंजाब की टोटल इंटैलिजेंस को केन्द्र अपने हाथ में ले। वैसे तो भरोसा आप पर भी नहीं रहा है, फिर भी कम से कम स्टेट के इंटैलिजैंस को अपने हाथों में लें।

आखिरी सुझाव—पंजाब के कुछ जिले—मिसाल के तौर पर फीरोजपुर, अमृतसर, पटियाला—इनमें इतने ज्यादा हालात खराब हो गये हैं कि इनको सीधे-सीधे आर्मी के हाथों में दीजिए, उनको दिए बगैर गुजारा नहीं है।

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) : सभापति महोदय, आज जिस विषय पर बातचीत हो रही है,

वह एक बहुत ही गंभीर विषय है, और मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस पर विस्तारपूर्वक कहा है। मैं समझता हूं, यह तीसरा या दूसरा अवसर है जबकि इस विषय पर सभा में विचार-विमर्श किया जा रहा है।

श्रीमान्, स्थिति तनावपूर्ण है और हर व्यक्ति इससे अवगत है। आप देश के किसी भाग में चले जाइए और एक आम नागरिक से बात कीजिए। वह भी इसके बारे में चिन्तित है। वह भी औरों की ही तरह चिन्तित है और उसकी दृष्टि, इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही पर टिकी हुई है। यह सारे राष्ट्र के लिए चिन्ता का विषय है। मैं इस स्थिति के मुख्य कारणों के सम्बन्ध में कहूंगा और एक संसद सदस्य के रूप में जो कुछ निदान मेरे सोचने-समझने के अनुसार हो सकता है, उसका सुझाव सरकार को देना चाहूंगा।

इस स्थिति का मुख्य कारण यही है कि इस देश में राजनैतिक चरित्र दिन-प्रतिदिन गिरता जा रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह एक कारण है जिसके फलस्वरूप देश इस अवस्था तक पहुंचा है। पहले राजनैतिक चरित्र ऐसा होता था कि राजनीतिज्ञ राष्ट्र को राजनीति से ऊंचा मानते थे। यह मानदण्ड का दिन-प्रतिदिन गिरता जा रहा है। यह मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं विपक्ष को दोषी ठहराना चाहता हूं।

मैंने भाषण सुने हैं और मैंने समाचार-पत्रों में समाचार भी पढ़े हैं। जब अकालियों ने अनुच्छेद 25 को जलाना आरम्भ किया, तो यह उन्होंने लगभग 10 दिन तक किया इसकी खबरें समाचार पत्रों में छपीं। परन्तु, अधिकांश विरोधी दलों ने इसकी भर्त्सना नहीं की।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : नहीं, नहीं। आपने समाचार पत्र ठीक तरह से नहीं पढ़े हैं। हमने इसकी भर्त्सना की है।

श्री राजेश पाइलट : कुछ दलों ने इसकी भर्त्सना की थी, परन्तु कुछ दल ऐसे भी हैं, जिन्होंने भर्त्सना नहीं की।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : हो सकता है आप किसी विशेष दल के बारे में कह रहे हों। परन्तु जहां तक मेरे दल, भारतीय जनता पार्टी, का प्रश्न है, हमने इसकी भर्त्सना की है।

श्री राजेश पाइलट : विपक्ष के साथ यही एक समस्या है। जब हम विपक्ष के बारे में बात करते हैं, तो वे विपक्ष की ओर से बात नहीं करते। वे कहते हैं, "मेरा दल, यह दल और वह दल।" मैं विपक्ष की बात कर रहा हूं।

श्री रामावतार शास्त्री : विपक्ष में कितने ही दल हैं।

श्री राजेश पाइलट : मैं विपक्ष का एक और उदाहरण देना चाहता हूं। गुट निरपेक्ष सम्मेलन के दौरान, अकाली दल ने पंजाब की मांगों के बारे में पर्चे वितरित करने का निश्चय किया, उस दल के अध्यक्ष ने कुछ नहीं कहा ; उन्होंने इसकी भर्त्सना नहीं की। जब सरकार ने श्री लोंगोवाल पर आरोप लगाया तो उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में कहा कि यह राजनीति से प्रेरित है। इसका क्या अर्थ है?

गुट निरपेक्ष आन्दोलन के सम्मेलन के दौरान जब वह ऐसा कह रहे थे, जब विदेशी विशिष्ट व्यक्ति इस देश में आए हुए थे, उन्होंने इसकी निन्दा नहीं की। यह हमारे देश के लिए बहुत निन्दनीय है। विरोधी पक्ष को इस प्रकार की बातें नहीं कहनी चाहिए। हमें इन बातों से बाहर आना चाहिए। अन्यथा इस समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा।

मैं समझता हूं कि अकाली लोग इस समस्त आन्दोलन के अभिन्न अंग हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति अकालियों के नियन्त्रण में है। इनके नामजद लोग ही सारे देश में गुरुद्वारों का प्रबन्ध करते हैं। यदि वे यह निर्णय करें कि वे गुरुद्वारों में किसी भी समाज विरोधी तत्वों और अपराधियों को शरण लेने की अनुमति नहीं देंगे, तो क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि इस समस्या का समाधान होगा? परन्तु कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता। कोई भी व्यक्ति अकालियों को यह कहने के लिए बाध्य नहीं करता कि "आप ऐसा निर्णय लें।" अकालियों ने ऐसा निर्णय कभी नहीं लिया कि वह किसी भी समाज विरोधी तत्वों और अपराधियों को गुरुद्वारों में शरण लेने की अनुमति नहीं देंगे। श्री भिण्डरावाला को देश के सभी नागरिकों द्वारा समाज विरोधी तत्व के रूप में करार दिया गया है। उन्हें स्वर्ण मन्दिर में रहने की आज्ञा क्यों दी गई है? आप उसके लिए सरकार की निन्दा कर रहे हैं। परन्तु विरोधी पक्ष द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं? निश्चय ही, सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती। इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने का उत्तरदायित्व सरकार का है। परन्तु इस दिशा में विरोधी पक्ष द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं?

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर): आप डा० सुब्रह्मण्यम से अपील करें।

श्री राजेश पाइलट: मैंने एक वाद-विवाद में पढ़ा कि जब स्वर्गीय नेहरु गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भाग लेकर वापिस आए वह और संसद में आये सबसे पहले विपक्ष के सदस्यों द्वारा गुट निरपेक्ष आन्दोलन में सम्मेलन उनकी भूमिका की प्रशंसा की। स्वर्गीय श्री एच०वी० कामथ और अन्य सदस्यों ने उनके इन कार्यों की प्रशंशा की। लेकिन आज दृष्टिकोण सर्वथा भिन्न है। आज यदि सत्तारूढ़ दल द्वारा कुछ कार्य किया जाता है तो विरोधी दल उसमें दोष ढूंढ़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति को अन्तरिक्ष में भेजा जाता है तो इसकी प्रशंसा करने की बजाय विरोधी पक्ष के सदस्य कहेंगे कि दाल और नमक के भाव बढ़ रहे हैं। उनका इस प्रकार का दृष्टिकोण है। वह एक कारण है, जिसका आजकल उत्पन्न होने वाली सभी परिस्थितियों पर प्रभाव पड़ रहा है।

पंजाब की स्थिति एक राष्ट्रीय समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। सरकार को प्रशासनात्मक दृष्टि से कुछ कदम उठाने हैं। सरकार हर बार यह नहीं कह सकती कि दृढ़ कदम उठाए जा रहे हैं और प्रतिदिन आप समाचार-पत्रों में पढ़ते हैं कि 5 अथवा 10 हत्यायें हो रही हैं। सरकार द्वारा ऐसा वक्तव्य देना एक उत्तरदायित्वपूर्ण बसूल नहीं है। सरकार को सदन को विस्तृत रूप से बताना होगा कि वह क्या कदम उठा रही है। सरकार को सदन को यह बताना होगा कि वे अमुक कदम उठाने जा रहे हैं।

स्पष्ट बात यह है कि सदन को इस बात की चिन्ता नहीं है कि वे क्या कदम उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए और इसके फलस्वरूप समाचार पत्रों की खबरों में इन

हत्यायों की कोई खबरें नहीं छपनी चाहिए। हम लोगों की सुरक्षा चाहते हैं हम लोगों की भलाई चाहते हैं। शान्ति, मैत्री और मेल-मिलाप लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। यही सरकार की समस्या है। सामान्य स्थिति लाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, हमें इसकी चिन्ता नहीं है। राज्य में किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए। यही बात, हम, संसद सदस्य होने के नाते, चाहते हैं।

दूसरा प्रश्न जो उठाया जा रहा है, वह मसले में विदेशी हाथ होने के सम्बन्ध में है। मेरे आगे बैठे एक सदस्य हमेशा यह उल्लेख कहते रहे हैं कि इसमें विदेशी हाथ है। इसमें विदेशी हाथ शामिल है। कोई भी इसे खुले आम स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन यदि आप समाचार पत्र पढ़े तो आप देखेंगे, जैसाकि प्रो० के० के० तिवारी ने बताया कि ऐसे गतिविधियां होने के संकेत हैं। "पेट्रीयट" में ऐसा संकेत है। कुछ अन्य समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में भी इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। लगभग दो महीने पहले जब हमने यह प्रश्न उठाया था कि जम्मू और काश्मीर में अखिल भारतीय सिक्ख विद्यार्थी संघ के लोग मारे गए, यहां एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उठाया गया था और इस ओर से भी होहल्ला किया गया था···दोनों दोस्त आज लापता हैं···और वह दावा करते हैं कि वहां ऐसी कोई गतिविधि नहीं हुई। और आज वही पूछ रहे हैं "कि आपने जम्मू और काश्मीर में अखिल भारतीय सिक्ख विद्यार्थी संघ पर प्रतिबन्ध लगाया है अथवा नहीं ? वह सरकार से एक प्रश्न पूछ रहे हैं। दो माह पूर्व जब हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उठाया था, तो हमने इस बात पर बल दिया था कि इन लोगों को वहां प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस पक्ष की ओर से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उठाया गया था। पर अब वहां इस प्रकार की कोई घटना नहीं हो रही। यह वही सदन है और वही सदस्य हैं।

इस प्रकार के दृष्टिकोण से, क्या कभी समस्या का समाधान हो सकेगा ? आपको इसमें विदेशी हाथ को देखना है। परन्तु समस्या यह है कि आपको हर तरफ केवल कांग्रेस (आई०) के लोग ही दिखाई देते हैं।

सरकार को तत्काल प्रशासन में सुधार करना चाहिए और इस बारे में युद्ध स्तर पर कार्यवाही करनी चाहिए। पंजाब इतना बड़ा राज्य नहीं है जितना कि उत्तर प्रदेश और बिहार। आपको शक्तियों को संघटित करना होगा। आपको युद्ध स्तर पर कदम उठाने होंगे। प्रत्येक ब्लाक और जिला मुख्यालय में आप अपने नियन्त्रण कक्ष और संचालन कक्ष खोलिए। उनसे रिपोर्ट मांगिए। दृढ़ कदम उठाइए और समाज-विरोधी तत्वों को मनोवैज्ञानिक रूप से निरुत्साहित कीजिए। युद्ध स्तर पर कार्यवाही की जानी चाहिए। समय गंवाने का नहीं है।

मैंने लोगों की तीन-चार बार जांच पड़ताल करने के बारे में श्री निहालसिंह को बातें करते सुना है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की जांच पड़ताल नहीं की गई। यह कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। आपको कर्मचारियों और अधिकारियों की जांच पड़ताल करनी है। कुछ कर्मचारी अपना कार्य ठीक नहीं कर रहे हैं। ये मामले को सही ढंग से नहीं ले रहे हैं। जांच पड़ताल की जानी चाहिए। आपको पता लगाना है और कर्मचारियों की जांच-पड़ताल करनी है। आप सम्पूर्णतः किसी एक पर निर्भर नहीं रह सकते और बाद में गुप्तचर विभाग को दोष नहीं दे सकते। कोई भी असफल हो सकता है। सरकार के पास काम करवाने के लिए और पता करने के लिए सैकड़ों साधन उपलब्ध हैं। आप इसे केवल एक विभाग और एक खण्ड तक नहीं छोड़ सकते। आपको उसके लिए वैकल्पिक प्रबन्ध करना चाहिए।

प्रत्येक गांव और प्रत्येक खण्ड मुख्यालयों में शान्ति समितियों की स्थापना की जानी चाहिए। इनकी निगरानी की जानी चाहिए। सामाजिक संगठनों को सरकार द्वारा जो भी सहायता दी जा सकती है, दी जानी चाहिए।

हम सदन में बैठकर राजनैतिक दृष्टि से पंजाब समस्या पर विचार-विमर्श करते आ रहे हैं। परन्तु आज मैं विपक्ष के सदस्यों से आश्वासन लेना चाहता हूं। आज यहां बैठे सभी विपक्ष के सदस्यों को सदन और राष्ट्र को यह आश्वासन देना चाहिए कि यदि अकालियों ने समाज-विरोधी तत्वों से सम्बन्ध विच्छेद नहीं किया, तो वे अकालियों का बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे। परन्तु मैं ऐसा कुछ नहीं देखता हूं। आप सदन में आकर पंजाब के मसले पर लड़ाई करते हैं। कल जाकर आप गुप्त सभा का आयोजन करेंगे। उस गुप्त सभा में आप फिर अपनी नीतियों का निर्धारण करेंगे। यह बहुत ही खेदजनक बात है।

आपको सदन को और राष्ट्र को यह दृढ़ आश्वासन देना चाहिए कि यदि अकालियों की समाज विरोधी तत्वों के साथ गतिविधियां बढ़ती हैं तो आप राजनैतिक कारणों से उनका साथ नहीं देंगे। आप सबको इस पर गम्भीर रूप से विचार करना चाहिए। विरोधी पक्ष के कुछ वरिष्ठ सदस्यों को सदन को यह आश्वासन देना चाहिए। अन्यथा, हम हर बार विचार विमर्श करेंगे और उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। इसका कोई लाभ नहीं है और इसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा।

मैं माननीय गृह मन्त्री जी का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहूंगा कि देश अब पंजाब समस्या के सम्बन्ध में बहुत चिन्तित है। आप किसी भी राज्य में जाएं चाहे वह पूर्वोत्तर हो अथवा दक्षिण। सर्वत्र लोग पंजाब समस्या के सम्बन्ध में बहुत उत्तेजित हैं। पंजाब की स्थिति बहुत ही दयनीय है। हमें युद्ध स्तर पर कार्यवाही करनी होगी और पहले स्थिति में सुधार लाना चाहिए। लोगों को वहां सुरक्षा की भावना अवश्य महसूस करनी चाहिए। आज लोग पंजाब की ओर जाने में डरते हैं। लोगों में एक मनोवैज्ञानिक भय पैदा हो गया है। लोगों के मन में से उस भय को निकालने और विश्वास की भावना उत्पन्न करने के लिए आपको तत्काल कदम उठाने चाहिए।

7.00 म० प०

श्री हरीश कुमार मंगवार (पीलीभीत) : सभापति जी, पंजाब में उग्रवादियों की गतिविधियां दिनों-दिन बढ़ती जा रही हैं और जब-जब हम लोकसभा में उसकी चर्चा करते हैं, उसके बाद उनकी गतिविधियां और भी बढ़ जाती हैं। कभी-कभी मन करने लगता है कि हम इस समस्या को लोकसभा में डिस्कस न करें, नहीं तो ये गतिविधियां और आगे बढ़ती जाएंगी और हम हैल्पलैस हो जाएंगे। श्रीमन्, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कम्यूनलिज्म का सवाल है, इस कांग्रेस आई पार्टी ने चुनाव में शिवसेना के साथ समझौता किया, केरल में मुस्लिम लीग के साथ समझौता किया और सरकार बनाई, अकालियों के साथ सरदार लक्ष्मण सिंह गिल के जमाने में समझौता किया और सरकार में आई, और त्रिपुरा में आनन्द मार्गियों के साथ इस पार्टी ने समझौता किया। लेकिन आज यह कहते हैं कि कम्यूनलिज्म दूसरे फैला रहे हैं। मैं समझता हूं शिवसेना जैसी कम्यूनल दूसरी कोई पार्टी यहां नहीं हो सकती और आपने उनके साथ भी चुनाव समझौता किया···(**व्यवधान**)···उनकी सपोर्टिड पार्टी के साथ समझौता किया···

(**व्यवधान**)···श्रीमन्, अगर आपको बुरा लग रहा है तो···(**व्यवधान**)···लेकिन इन्होंने शिव सेना के साथ समझौता किया, अकालियों के साथ समझौता किया। क्या यह गलत है या नहीं। मुस्लिम लीग के साथ समझौता किया और सरकार में बैठी। हमेशा इस पार्टी ने ऐसी पार्टियों के साथ समझौते किए हैं···(**व्यवधान**)···आप मेरा इंटरप्शन वाला पीरियड निकाल दीजिए। इसलिए कम्यूनलिज्म को बढ़ावा देने में इस पार्टी ने योगदान दिया है, जितनी यह पार्टी आगे रही है, उतनी कोई दूसरी पार्टी नहीं। शायद भारतीय जनता पार्टी ने भी कभी इतना कम्यूनलिज्म न उभारा हो, जितना विभेद कांग्रेस आई पार्टी ने देश में पैदा किया है। श्रीमन्, यह समझ में नहीं आता कि जब ये अकालियों के साथ मिले हुए नहीं हैं तो यह प्रोब्लम सौल्व क्यों नहीं हो रही। कैसे ज्ञानी जैलसिंह जी के चुनाव में अकालियों ने इनको वोट दे दिए, कैसे दिल्ली के चुनावों में, जो अभी हुआ, अकालियों की पूरी कम्यूनिटी ने मिलकर कांग्रेस को जिताया और वोट दिए। यह गुत्थी आज तक मेरी समझ में नहीं आ रही है। श्रीमन्, हिट लिस्ट में बहुत से लोग होंगे, लेकिन ओरीजिनली झगड़ा किस बात का था—

···**···

इसलिए उनको होम मिनिस्टर बना दिया गया।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (बूटा सिंह) : माननीय सदस्यों ने जो कहा है मुझे उस पर आपत्ति है। वह माननीय राष्ट्रपति का नाम ले रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री मनीराम बागड़ी : यह लिखा हुआ है, होम मिनिस्टर के बारे में किताब में, यदि आप कहें तो मैं उसको निकाल दूं। जो उनके बारे में लिखा हुआ है, वह तो रहेगा। यदि ज्ञानी जैल सिंह जी कहीं विद्यार्थी थे और किसी विद्यार्थी के कोई थप्पड़ मार दे, ज्ञानी जी कहें कि मेरे थप्पड़ मारा, तो वह नहीं आएगा। इसलिए ये ठीक बात कह रहे हैं।

(**व्यवधान**)

श्री हरीश कुमार गंगवार : श्रीमन्, यह प्रोब्लम कहां से शुरू हुई, क्योंकि **साहब जब होम मिनिस्टर बनाए गए, उस वक्त से यह प्रोब्लम शुरू हुई। दरबारा सिंह साहब बाद में चीफ मिनिस्टर बने, क्योंकि मैडम को पैरलल आदमी तो रखना था, जैसे आजकल नारायण दत्त तिवारी के खिलाफ के० सी० पन्त को लगा दिया गया है···(**व्यवधान**)

श्री बूटासिंह : यह सब असंगत है। इसका पंजाब से कोई सम्बन्ध नहीं है।

सभापति महोदय : आप राष्ट्रपति जी का नाम मत लीजिए।

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : मेरे विचार से आप पंजाब के मसले पर विचार-विमर्श करना नहीं चाहते।

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री हरीश कुमार गंगवार : यह पंजाब ईश्यू नहीं डिग्स हो रहा है, क्या, श्रीमन, मैं यहां..... नाम नहीं ले रहा हूं, जिस वक्त वे होम मिनिस्टर थे, उस वक्त की बात कर रहा हूं। मैंने इसलिए कोई अनपार्लियामेंटरी शब्द नहीं कहे।

.....**.....का झगड़ा कहां से शुरू हुआ.....इट इज ए हार्ड फैक्ट..... (व्यवधान).....

श्री मनीराम बागड़ी : आप चण्डीगढ़ जाइए, पंजाब जाइए, इनकी करतूतों को बिना पर आज चण्डीगढ़ जल रहा है, गोलियां सरे आम चल रही हैं।

(व्यवधान)

श्री हरीश कुमार गंगवार : ये ले जा रहे हैं, मुझे पीछे.....

(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : चण्डीगढ़ जल रहा है इनको करतूत की वजह से। अब वहां गोलियां चल रही हैं।

श्री अनन्त रामुलु (नगरकुरमूल) : संसद सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई आरोप लगाना अशोभनीय है।

सभापति महोदय : .....कृपया अब समाप्त कीजिए वह कार्यवाही वृतांत में नहीं जायेगा।

श्री हरीश कुमार गंगवार : बुरा लग रहा है श्रीमन्, मैं बिल्कुल बैठ जाऊं, न बोलूं ? मैंने अभी सिर्फ डेढ़ मिनट ही बोला है।

मेरा कहना यह है कि यह सरकार किस काम के लिए बनी है ? हमने कभी किताब में पढ़ा था कि शांति व्यवस्था कायम रखना सरकार का पहला कर्तव्य है। उसी को हम जानते थे कि सरकार का मतलब है कि हर आदमी की जिन्दगी, जानो-माल को सुरक्षित रखे।

उत्तर प्रदेश में अगर किसी दारोगा के क्षेत्र में 3,3, या 4,4 कत्ल हो जायें, डकैती पड़ जाएं, वारदातें हो जाएं तो उसको हटा दिया जाता था। डी० एस० पी०, एस० पी० को हटा दिया जाता था। पिछली दफा फूलन देवी वाले केस में आई० जी० को हटा दिया था क्योंकि बहुत से लोग मारे गये थे।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं जिन दारोगाओं के क्षेत्र में, थानों, सी० ओ० और एस० पी०

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

के क्षेत्र में ये वारदातें बढ़ी हैं, उनमें से कितनों को सजा दी गई, कितनों को हटाया गया, कितनों को डिमोट किया गया और कितनों को घर बैठाकर लाइन हाजिर किया गया? आप एक को भी नहीं हटाना चाहते, आपकी हिम्मत नहीं है किसी को हटाने की। ऐसा लगता है जैसे कोई कत्ल करने वाला कसाई हो, आप उसको देख रहे हैं कि इसको रहने दो, आखिर किसी दिन कत्ल करते-करते थक जायेगा तो अपने आप कत्ल करना बन्द कर देगा। आप पालिसी अपना रहे हैं कि देर करके देर करो—देर करो, चाहे जितने आदमी मरते चले जायें। ऐसा लगता है कि कोई सरकार पंजाब में नहीं है।

आपने सरदार दरबारा सिंह को इसलिए बर्खास्त किया था कि वहां कोई ला एण्ड आर्डर नहीं था, सिचुएशन संभल नहीं रही थी। अब आपकी सरकार है, आप वहां रूल कर रहे हैं तो आपका क्या फैसला है? आप भी हट रहे हैं या नहीं? अब पहले से ज्यादा सिचुएशन खराब हो गई है, इसलिए आप इसको भी बर्खास्त करो।

मैं तो यह मानता हूं कि इस सरकार का कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि यह एक मिनट भी शासन में रहे। मैं इसके इस्तीफे की मांग करता हूं। पंजाब की सिचुएशन दिल्ली से डील होती है। वहां जो भी काम होता है, सब दिल्ली के इशारे पर होता है और यह सरकार इसको कन्ट्रोल नहीं करना चाहती, इस वजह से वहां पर फसादात आगे बढ़ रहे हैं। मेरा साफ चार्ज है कि यह सरकार जिस दिन चाहेगी, उसी दिन उसको ठीक कर सकती है। अपोजिशन ने पूरी कोशिश हर दफा की है, जब भी इन्होंने चाहा है, त्रिपक्षीय वार्ता से भी और दूसरे तरीके से भी। अपोजिशन का कोई आदमी नहीं चाहता कि यह मामला सुलझे नहीं या शांति न हो। आप शांति चाहते हैं, लेकिन आप उसका जरिया नहीं निकाल रहे हैं। आप चाहें तो एक मिनिट में शांति हो सकती है। नहीं तो शांति नहीं हो सकती।

वहां क्या सिचुएशन हो रही है? एक आई० जी० की पत्नी स्वर्ण मन्दिर में गई और उन्होंने जाकर मत्था टेका और भिंडरावाले से कहा कि मेरे पति के ऊपर दया रखना। जब यह हालत हो कि आई० जी० पुलिस की पत्नी जाकर कहे कि मेरे पति के प्राणों की रक्षा करो तो इससे साफ पता लगता है कि वहां केआस का शासन हो गया है, वहां सरकार का कोई शासन नहीं है, पुलिस का कोई शासन नहीं है, न सैंटर का और न स्टेट का शासन है। यह कहकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकती कि कुछ लोग इसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं सिर्फ यह अर्ज कर रहा हूं—

न इधर उधर की तू बात कर,
यह बता कि काफिला क्यों लुटा!
तेरी रहबरी का सवाल है,
मुझे राहजन से गर्ज नहीं।

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्चर) : सभापति महोदय, असम और पंजाब की समस्या देश में कुछ शक्तियों द्वारा उत्पन्न की गई है। मैं इसके विस्तार में न जाकर और इन बातों को दोहराए बिना, गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इस सभा में वे एक बात स्पष्ट करें कि क्या यह सत्य है कि देश में भिन्न-भिन्न स्थानों, चाहे वह स्थान जम्मू, दिल्ली, अमृतसर अथवा चण्डीगढ़ हो, से गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों

ने पुलिस के समक्ष सुस्पष्ट बयान दिए हैं कि उनमें से सभी लोगों को स्वर्ण मन्दिर में प्रशिक्षित किया गया है और उन्हें भिण्डरावाला की ओर से शस्त्र दिए गए हैं अथवा शस्त्र खरीदने के लिए धन दिया गया है। क्या यह सत्य है कि इन लोगों को स्वर्ण मन्दिर के भीतर ही प्रशिक्षित किया गया है। इस बात को कृपया विस्तार से स्पष्ट किया जाए क्योंकि विपक्ष हमेशा से कह रहा है कि स्वर्ण मन्दिर में शस्त्रों का कोई लाना ले जाना नहीं है और वे यह भी कह रहे हैं कि अखिल भारतीय सिख छात्र संघ का अकालियों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। क्या इन गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों ने—चाहे वे तस्कर हैं अथवा आतंकवादी—पुलिस के समक्ष अपने बयानों में स्वीकार किया है कि अकालियों अथवा आतंकवादियों सभी को भिण्डरवाला तथा अन्य दलों की ओर से हर प्रकार की मदद दी गई है।

महोदय श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि नीति और राजनीति के सम्बन्ध में सरकार का यह दिवालियापन है। मैं इसे विपक्ष का दिवालियापन समझता हूं क्योंकि इस समस्या को जो कि एक राष्ट्रीय समस्या है, वे समझ नहीं रहे हैं और सहयोग के अभाव में वह समस्या को सुलझाने की बजाय और अधिक गम्भीर बनाते जा रहे हैं। महोदय, इस सभा में इस समस्या पर हमने कई बार वाद-विवाद किया है और मुझे पंजाब समस्या तथा असम समस्या में कुछ समानता दिखाई देती है। क्योंकि पंजाब में पुलिस के विरुद्ध आरोप है। ऐसी ही स्थिति एक समय असम में भी हो गई थी और जब हमने उस समय पुलिस कर्मियों से बात की तो उस समय वे कहा करते थे कि हमारे पारिवारिक सदस्य गांव में रहते हैं और मैं यहां कार्रवाई करता हूं तो इसकी प्रतिक्रिया वहां होगी।

पिछली बार जब मैंने वाद-विवाद में भाग लिया था तब मैंने गृह मंत्री महोदय से प्रार्थना की थी कि यह पुलिस और कर्मचारियों पर एक कलंक है। हमें कुछ ऐसे कदम उठाने हैं कि परिस्थिति को अनुकूल बनाया जा सके और धीरे-धीरे उसमें पंजाब पुलिस को छोड़कर अन्य पुलिस भी सम्मिलित हो जाए ताकि पंजाब में कानून व्यवस्था की जो स्थिति उत्पन्न हो गई है है उस पर नियन्त्रण प्राप्त किया जा सके। हाल ही में 39 रेलवे स्टेशनों पर हमला किया गया था। इससे पुलिस तथा गुप्तचर विभाग की निष्क्रियता और उनकी असफलता सिद्ध होती है। सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए ताकि देश के लोग—विशेष रूप से पंजाब के लोग—यह महसूस करें कि सरकार ने वहां पुलिस—चाहे पंजाब पुलिस हो अथवा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अथवा सीमा सुरक्षा बल—को सक्रिय बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं।

महोदय, श्री निहाल सिंह वाला ने एक आसान सुझाव दिया था और मैं भी उसे दोहराना और इसमें शामिल करना चाहूंगा। हाल ही में मैं रेल में यात्रा कर रहा था। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से मेरे साथियों में से तीन सिख सज्जन थे। उन्होंने भी बिल्कुल इसी प्रकार का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा कि देव जी, यदि आप इस समस्या को हल करना चाहते हैं तो समस्या हल करने के लिए अपनाया जाने वाला आपका वर्तमान रवैया उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि आप पंजाब के सभी गुरुद्वारों को क्यों नहीं घेर लेते और किसी को भी उनमें हथियार और गोलाबारुद लेकर न जाने दिया जाए और न ही किसी को भी गोलाबारुद व हथियार के साथ बाहर आने की अनुमति दी जाय। उनमें एक सज्जन ब्रिगेडियर थे। उन्होंने कहा, यदि आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा कि गुरुद्वारों के भीतर छह महीने तक जो भी चीज वे चाहें हवाई जहाज द्वारा गिराई जाती रहें। ताकि वे यह न कह सकें कि उन्हें किसी प्रकार की सुख-

सुविधाओं से वंचित रखा गया था । और एक समय ऐसा आएगा जब या तो वे अपने हथियार समर्पित कर देंगे या फिर आपस में एक दूसरे को गोली मार लेंगे। यह बात थल सेना के एक ऐसे व्यक्ति ने मुझ से कही है जो ब्रिगेडियर के पद का उत्तरदायित्व सभाले हुए है और जो मेरे साथ यात्रा कर रहा था। भले ही यह हास्य जनक लगता हो, किन्तु स्थिति सन्तुलन से बाहर जा चुकी है और ऐसे वह स्तर पर पहुंच गई है कि अब पंजाब के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना और उनकी धार्मिक आस्थाओं को आहत किए बिना सशक्त कार्रवाई करनी होती है। हमें सरकार की ओर से यह सिद्ध कर देना चाहिए कि हम वर्तमान समस्या का सौहार्दपूर्ण हल खोजने के लिए हर सम्भव कोशिश कर रहे हैं अभी हाल ही में "टेलीग्राफ" में एक लेख छपा था। कुछ पत्रकार वहां गए और वे उस व्यापारी के बारे में जो कि श्री भिण्डरावाले के पास कुछ सहायता मांगने गया था, कुछ जानकारी एकत्र कर सके। व्यापारी ने श्री भिण्डरावाले से प्रार्थना की कि वे एक भूमि का टुकड़ा हथियाने में उसकी मदद करें। बातचीत में श्री भिण्डरावाले ने कुछ धनराशि की मांग की और व्यापारी ने उन्हें कुछ धनराशि देना स्वीकार कर लिया था। किन्तु कुछ समय के बाद श्री भिण्डरवाले को पता लगा कि व्यापारी बहुत बड़ा आदमी था और इसलिए उन्होंने अपनी प्रारम्भिक मांग की राशि को बढ़ा दिया। अतः इससे सिद्ध होता है कि उनका इरादा अकालियों के हित के लिए कार्य करने का नहीं है । वे कुछ विदेशी लोगों की सहायता से केवल यह स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं । किन्तु यहां विपक्ष सरकार से विदेशी हाथ का पता लगाने के लिए कह रहा है। महोदय, इसके पीछे कार्य करने वाला न केवल विदेशी हाथ है बल्कि इसके पीछे विदेशी विचारधारा भी है जो यहां कार्य कर रही है। यह विदेशी विचारधारा पंजाब के उन पड़ोसी देशों से आ रही है जो कि दूर के देश हैं। अतः हमें वर्तमान स्थिति को समझना चाहिए और तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। स्थिति का मुकाबला करने के लिए समय बहुत कम है। डा० स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) ने बड़े ही युक्तिपूर्ण ढंग से कहा है कि वहां एक महीने के भीतर ही भीतर समानान्तर सरकार बनने जा रही है। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने एक महीने की समय-सीमा किस प्रकार रखी है। क्या यह इसीलिए है क्योंकि उनका श्री भिण्डरावाले के साथ कुछ सम्बन्ध हैं ? इस समय-सीमा के बारे में यह जानकारी उन्हें किसने दी ? एक महीने की इस समय-सीमा के बारे में वे बहुत निश्चित थे। मुझे नहीं पता कि यह जानकारी सही है। किन्तु यह कहा जाता है कि वहां पहले से ही एक समानान्तर सरकार कार्य कर रही है और वे क्षेत्रीय गतिविधियों का सहारा ले रहे हैं। अब समय आ गया है कि क्षेत्रीय गतिविधियों की रोकथाम के लिए सरकार को इस ढंग से कार्रवाई करनी चाहिए कि पूरे देश के लोग महसूस करें कि सरकार वास्तविक रूप से सही कार्य कर रही है। देश के प्रति उनकी वफादारी और पंजाबियों के हित में उनकी सहानुभूतियों को उचित ठहराने की दृष्टि से अकालियों को पर्याप्त समय और मौका दिया जा चुका है। किन्तु निसंदेह यह सिद्ध हो चुका है कि न तो वे पंजाबियों के हित में सहानुभूति रखते हैं और न ही वे राष्ट्र की प्रगति के हित में उत्साहपूर्ण कार्य करने वाले हैं। उनका एक मात्र उद्देश्य विदेशी शक्ति के उकसाव पर अस्थिरता पैदा करना है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता है कि वे अपनी प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में सूचित करें। माननीय गृह मन्त्री जी सभा को बताएं कि उस स्थिति से निपटने के लिए, जोकि पूरे देश में समस्या उत्पन्न कर रही है और देश के भीतर विघटन की भावना भी पैदा कर रही है, वे कौन से प्रभावी कदम उठा रहे हैं।

धन्यवाद।

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : सभापति महोदय, इस वाद-विवाद में भाग लेते हुए मुझे उस

शपथ की याद आती है जो कि संविधान मर्यादा बनाए रखने के लिए मैंने इस सभा में ग्रहण की थी। संविधान की प्रस्तावना में यह लिखा है कि :—

> "**हम, भारत के लोग**, भारत की एक **सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने** के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों की : सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की **स्वतन्त्रा** प्रतिष्ठा और अवसर की **समता** प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली **बन्धुता** बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में....."

मुझे खेद है कि हमने अपने को सर्वथा उस भावना तक सीमित नहीं रखा जिसके साथ हमने संविधान की रक्षा करने की शपथ ग्रहण की थी। महोदय, विचार परीक्षा की बजाय हमारा ध्यान एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के कार्य में अधिक है। दुर्भाग्य से डा० स्वामी ने इस दिशा में आवाज उठाई। महोदय, पंजाब में उग्रवादियों द्वारा किए जाने वाले स्पष्ट अत्याचारों और हिंसात्मक कार्यों से हम सभी परिचित हैं। उन्होंने पूरे देश को अस्त व्यस्त कर दिया है। इन लोगों के पास परिष्कृत हथियारों का आगमन है और उनके चलाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया गया है। उन्हें गन्तव्य स्थान पर पहुंचने के लिए परिवहन सुविधाएं दी जाती हैं और अपराध करने के बाद उन्हें वहां से उठा लिया जाता है और उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाता है जहां वे शरण लेते हैं। इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर क्या हम सभी का यह कर्तव्य नहीं है कि इसके लिए कुछ करें? पंजाब की समस्या बहुत ही नाजुक है, यह एक सामरिक महत्व का राज्य है। लोग अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। इन परिस्थितियों में किसी भी सरकार के लिए, बल्कि इस सरकार के लिए भी, सभी वर्गों के सहयोग के बिना स्थिति से निपटना बहुत ही कठिन कार्य होगा, हम देखते हैं कि सरकार धीमी कार्रवाई कर रही है लेकिन कुछ मजबूरियां भी हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि सरकार पूर्ण रूप से असफल हो गई है। हमने लोगों के साथ बातचीत करने की कोशिश की है, किन्तु दुर्भाग्य से अधिक प्रगति नहीं हुई है।

इस अवसर पर, मैं कहना चाहूंगा कि अभियुक्तों को खोजने और उनको गिरफ्तार करवाने में हम सभी को सरकार की सहायता करनी चाहिए। स्वाधीनता से पूर्व, अंग्रेजों को मुखबिर प्राप्त करना आसान था और वे सभी योजनाओं और षडयन्त्रों की सूचना इनके घटने से पहले ही बड़ी जल्दी प्राप्त कर लेते थे। क्या अब ऐसी जानकारी प्राप्त करना अधिक कठिन हो गया है? क्या कमी है? उन दिनों पुलिस बल अधिक कार्यकुशल था, और आज वे क्यों असफल हो गए हैं? कहीं कुछ कमी है, और इस कमी को ढूंढ़ निकालने के लिए हम सभी को सहयोग देना चाहिए। मैं श्री सोमनाथ चटर्जी इसके कथन से सहमत हूं कि उनका कार्य केवल सरकार की आलोचना करना और जैसे और जब वे चाहें सहयोग देना है। उनका आदर्श यह नहीं होना चाहिए। उन विदेशी शक्तियों के बारे में हम सभी को मालूम है जो इन लोगों की मदद करने की कोशिश कर कर रही हैं। हम इसे जानते हैं, श्री चटर्जी भी निश्चित रूप से हमें जानते हैं, और हम सभी यह जानते हैं, ऐसी स्थिति में हम क्यों न एक जुट हो जाएं, और संगठित होकर इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए सरकार की मदद करें।

इस सन्दर्भ में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। 14 फरवरी को इसी तरह का समझौता हुआ था।

इस समझौते के बारे में जनता को बताया जाए, और यहि हो सके, तो जिन बातों पर समझौता हुआ है उन्हें एक पक्षीय रूप से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। हमें उनकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। और सिखों के अन्दर जो एक भ्रम पैदा कर दिया गया है कि सरकार कुछ भी करने को तैयार नहीं है, ऐसा करके इस भ्रम को दूर करना चाहिए। दूसरे, आपको केवल पंजाब में ही गुप्तचर विभाग, पुलिस बल और इस पर नियन्त्रण के बारे में ध्यान रखना है अपितु इसके साथ लगने वाले क्षेत्र जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान तथा अन्य क्षेत्रों में भी इसका सुरक्षित रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। यह मत सोचिए कि इन लोगों के लिए इन क्षेत्रों में घुसकर पनाह लेना कोई मुश्किल है। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि ऐसा तत्काल किया जाए ताकि ये लोग अपने क्षेत्रों से बाहर न निकलें और किसी अन्य स्थान पर पनाह न ले सकें।

मुझे स्मरण है कि जब मुरादाबाद में दंगे हुए थे, इस सभा के अधिकतर सदस्यों ने मुरादाबाद का दौरा किया था और उसके बाद यहां आकर वाद-विवाद में हिस्सा लिया था। मैं आशा करता था कि इस मामले में भी विपक्षी सदस्य ऐसा ही करेंगे। इस मामले विशेष में, विपक्ष को क्या हो गया है? क्या वे अपना उत्तरदायित्व भूल गए हैं? आप वहां जा सकते थे। हमारे दल के लोग वहां गए, उन्होंने वहां शान्ति जुलूसों का नेतृत्व किया, श्री भाटिया ने ऐसा किया था। यह मत सोचिए कि सरकार ही अकेली हर काम कर सकती है। सरकार अकेली कुछ भी नहीं कर सकती है, जब तक हम सभी उसमें शामिल न हों···(**व्यवधान**)

पंजाब के लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि सभी राजनीतिक दल और विभिन्न राज्यों, असम, महाराष्ट्र, केरल आदि के लोग पंजाब के लिए कोई स्थाई समाधान खोज रहे हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि यदि ऐसा वातावरण बनाया गया होता, ओ अधिकतर समस्याओं को सुलझाना सरल हो जाता।

इस अवसर पर मुझे अल्लामा इकबाल कर एक शेर याद आता है :—

छिपाकर आस्तीं में बिजलियां रखी हैं गरदूं ने,
अनादिल बाग के गाफिल न बैठ आशियाने में।
नहीं समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिन्दोस्तांवालो,
तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में।

डा० वी० कुलनदईवेलु (चिदम्बरम) : अपने दल द्रविड़ मुनेत्र कणगम की ओर से मैं इस चर्चा में भाग लेना चाहता हूं और फिर 4-1/2 घंटे से चल रही इस चर्चा में भाग लेना मेरा अपरिहार्य कर्त्तव्य भी है।

हम एक बहुत ही मानवीय और राष्ट्रीय समस्या पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे बीच इस पर कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम एक राष्ट्रीय समस्या से निपट रहे हैं, अत: सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दलों में मतैक्य होना चाहिए। एक बुद्धिवादी दल के नाते द्रविड मुनेत्र कणगम ने सही हितों के लिए सदैव अपनी आवाज उठाई है। जब भी कोई गलत बात होती है, उसे ठीक करने के लिए हम हमेशा संघर्ष

करते हैं। किन्तु जब भी राष्ट्र ने किसी संकट का सामना किया अथवा उसकी सुरक्षा को कोई धमकी दी गई या इसकी जनता के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा को धमकी दी गई, हमने सत्तारूढ़ सरकार को सदैव अपना हार्दिक समर्थन दिया है।

पंजाब में हृदय-विदारक घटनायें हो रही हैं। लोगों की निर्दयतापूर्ण हत्यायें और राष्ट्रीय सम्पत्ति की क्षति को कोई भी सहन नहीं कर सकता है। अतः मैं सत्तारूढ़ पक्ष और विपक्ष के बीच मतैक्य की आशा कर रहा था। किन्तु मैं यह देखकर हतोत्साहित हो गया कि सत्तारूढ़ पक्ष विपक्ष के विरुद्ध आरोप लगा रहा है और विपक्ष भी सत्तारूड़ पक्ष के विरुद्ध प्रति-आरोप लगा रहा है। किन्तु जब जनता का हित हो तो हम सभी को एक होना चाहिए। निर्दयतापूर्ण हत्याओं को सहन नहीं किया जा सकता है। हम नहीं चाहते हैं कि विभाजक शक्तियों को प्रोत्साहित किया जाए।

7.26. म०प० **(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

हम द्रविड मुनेत्र कणगम वाले आरम्भ में पृथक् द्रविड देश के लिए चिल्ला रहा था किन्तु इसके पीछे हमारा आशय दक्षिण के लोगों के लिए अधिक अधिकारों और लाभों का दावा करना था। जब 1962 में चीनी आक्रमण हुआ था तो हमारे महान नेता और हमारे दल के प्रधान पेरारिग्नर अन्ना ने संसद में घोषणा की थी कि सरकार को हमारा हार्दिक समर्थन है, और पृथकतावादी आंदोलन को समाप्त कर दिया था। उसी समय, उन्होंने यह भी घोषणा की थी कि हमारे दावों के पीछे जो आशय था वह असंगत नहीं हुआ है। अर्थात केन्द्र सरकार से सभी राज्यों के लिए समान सेवाओं की मांग समस्या छोटी नहीं है। यह अवसर है, जब विपक्ष और सत्तारुढ़ पक्ष को एक दूसरे पर कीचड़ उछाले बिना एक साथ मिलकर त्रिपक्षीय समिति का गठन करना चाहिए। इसमें सरकार होगी, सत्तारुढ दल होगा और विपक्ष तथा अकालियों को भी निमन्त्रण दिया जाना चाहिए हमें एक साथ मिलकर इस स्थिति पर चर्चा करनी चाहिए, इसी के साथ-साथ अकालियों की निंदा नहीं की जानी चाहिए। वास्तव में उग्रवादी अधिक हावी हैं। उन्हें न केवल पंजाब में वरन् अन्य स्थानों में भी शांतिमय वातावरण तैयार करना चाहिए और सारे देश में ऐसा ही वातावरण बनाना चाहिए।

दिल्ली में, हर दिन लोग आशंकित रहते हैं कि कहीं संसद पर बम न फेंक दिया जाए या किसी नेता की हत्या न कर दी जाए। किन्तु यह रणनीति जारी नहीं रहनी चाहिए। अतः हमको सत्तारुढ़ दल और विपक्ष को एक सामान्य समझौते पर आना चाहिए। हमें त्रिपक्षीय समिति का गठन करना चाहिए और उसके माध्यम से बातचीत करनी चाहिए ताकि पंजाब में शांतियम वातावरण और हमारे लोगों की सुरक्षा तथा राष्ट्र की सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित हो। इन शब्नों के साथ, सरकार को मैं अपना पूरा सहयोग देता हूं।

शनिवार, 21 अप्रैल 1984 को लोक सभा की बैठक के बारे में

आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : आपकी अनुमति से मैं सभा से एक अनुरोध करना चाहता हूं। कि क्योंकि शुक्रवार को छुट्टी है और अगले दिन शनिवार है—मैं इस बात पर विपक्ष के नेताओं से भी चर्चा कर चुका हूं—और शनिवार के दिन हमें वित्त विधेयक पर सामान्य चर्चा करनी चाहिए; शनिवार

को सभा वित्त विधेयक पर चर्चा करने के लिए बैठेगी। मेरे सुझाव से वे सहमत हो गए हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : जैसा कि मैंने आपको बताया था हम शुक्रवार, शनिवार और रविवार के लिए अपना कार्यक्रम पहले ही निश्चित कर चुके हैं। मैं शनिवार को यहां नहीं आ पाऊंगा वह इस बात पर सहमत हो गए हैं कि हममें से कुछ को सोमवार को बोलने की अनुमति है, क्योंकि हर एक ख्याल था कि हमारी 3 छुट्टियां होंगी। 20 तारीख की छुट्टी अचानक घोषित नहीं की गई है।

कुछ माननीय सदस्य : हम सभी।

श्री बूटा सिंह : ठीक है।

श्री सतीश अग्रवाल : अत: ता० 20, 21 और 22 सूची में दी गई छुट्टियां हैं। इसीलिए, हर-एक ने तीन दिन के लिए अपना कार्यक्रम निश्चित कर लिया है। किन्तु अब श्री बूटा सिंह ने विशिष्ट रूप से हमसे कहा कि वित्त मन्त्री को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक में मंगलवार को विदेश जाना है। इसके बाद, स्वाभाविक ही है, जैसा हमेशा होता है, हम कहेंगे, ठीक है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मेरा भी कुछ कार्यक्रम था उनके साथ-साथ यह कार्य क्रम नही बनाना चाहता।

श्री सतीश अग्रवाल : और भी अच्छा है। अत: चर्चा मंगलवार को समाप्त होगी।

श्री बूटा सिंह : ठीक है।

श्री सतीश अग्रवाल : अत: वह सहमत हो गए हैं कि वित्त विधेयक पर चर्चा मंगलवार को ही समाप्त होगी। अत: कुछ लोग सोमवार को बोलेंगे और कुछ शनिवार को।

श्री बूटा सिंह : मैं रात्रि-भोज की भी व्यवस्था कर सकता हूं।

श्री सतीश अग्रवाल : प्रलोभन मत दीजिए (**व्यवधान**) अन्यथा हमारी सद्भावना का कोई अर्थ नहीं होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपको 11 बजे गणपूर्ति की व्यवस्था करनी चाहिए और चर्चा आरम्भ करना चाहिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : वह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

श्री सतीश अग्रवाल : आपसे हम यही अधिकतम सहयोग चाहते हैं कि आप शनिवार को जितना सम्भव हो, उतनी संख्या में कांग्रेस (इ) के सदस्यों को बोलने दें ताकि अगले दिन विपक्षी सदस्य बोल सकें।

श्री बूटा सिंह : बिल्कुल ठीक है।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : चण्डीगढ़ के बारे में अगर कोई ताजा खबर आई हो तो बतला देना, कहीं मुझे कल फिर बोलना पड़े ।

पंजाब में रेलवे स्टेशनों को आग लगाए जाने और अमृतसर में कुछ व्यक्तियों को गोली मार दिए जाने के बारे में गृह मंत्री द्वारा सभा में 17 अप्रैल, 1984 को दिए गए वक्तव्य के बारे में चर्चा

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने विपक्ष के नेताओं की बैठक बुलायी और वहां हमने यह चर्चा की कि पंजाब समस्या पर चर्चा ऐसी होनी चाहिए कि वह कोई समाधान निकालने में भी उपयोगी हो। मैं विपक्ष के नेताओं और कांग्रेसी सदस्यों-दोनों को धन्यवाद देता हूं कि चर्चा बहुत ही सुखद थी और उसमें कोई कटुता नहीं थी।

श्रीमन्, जहां तक कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों का सम्बन्ध है, श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा कि आतंकवाद ग्रामीण क्षेत्रों तक फैल रहा है और लोगों का देशान्तरण शुरू हो गया है। पंजाब प्रशासन द्वारा हमें दी गई सूचना के अनुसार ग्रामीण पंजाब में सांप्रदायिक सौहार्दता बनी हुई है। पहले कुछ हिन्दू अपने गांवों को छोड़कर चले गए थे किन्तु वहां के सिख समुदाय के लोग उनके पास गए और वापस बुलाया और उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व ले लिया।

एक मुद्दा यह भी उठाया गया कि उ० प्र० और बिहार से पंजाब आने वाले श्रमिकों की संख्या दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है। यह बात किसी सीमा तक सच है। यह सच है कि उ०प्र० और बिहार से 40 प्रतिशत लोग पंजाब में श्रमिक के रूप में काम करने के लिए आते हैं क्योंकि पंजाब में श्रमिक सुलभ नहीं हैं और इसीलिए वहां कमी है। फिर भी हमें आशा है कि फसल की कटाई का काम बिना किसी कठिनाई के पूरा हो जाएगा।

श्रीमन् ! जहां तक अनुच्छेद 25 का सम्बन्ध है, मैं वही बात दोहराना चाहूंगा जो मैंने 31 मार्च, 1984 को कही थी :

> "शिरोमणि अकाली दल के सदस्यों के बीच इस बारे में कुछ अविश्वास दिखाई देता है कि संविधान के अनुच्छेद 25 (2) की व्याख्या II में प्रयुक्त शब्दों में सिख समुदाय की विशिष्ट पहचान नहीं होती है। सरकार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति और सिख समुदाय के अन्य प्रतिनिधियों तथा विधि विशेषज्ञों से परामर्श करने के लिए तैयार है तथा यदि इस मुद्दे पर संदेह को दूर करने के लिए आवश्यक हुआ तो अनुच्छेद में संशोधन के लिए विधायन करने को भी तैयार होगी। इस दृष्टि से, मैं

विश्वास करता हूं कि शिरोमणि अकाली दल 2 अप्रैल से जो आंदोलन शुरू करने वाला है, उसे वापस ले लगे।"

जहां तक वैयक्तिक कानून का सम्बन्ध है, मैंने इस बारे में कोई वचन नहीं दिया था।

श्रीमन्, जहां तक चण्डीगढ़ के समाचार का सम्बन्ध है। आज सवेरे मरे व्यक्ति की शव-यात्रा, नगर के विभिन्न क्षेत्रों से होती हुई 5-15 बजे श्मशान-भूमि पहुँची। शव-यात्रा के आगे हिन्दू युवक स्कूटरों और मोटर-साइकिलों पर चल रहे थे। रास्ते में दो स्कूटर, एक मोटर साइकिल और मिट्टी का तेल बेचने वालों की दो रेहड़ियों को आग लगा दी गयी थी। शव-यात्रा में शामिल युवकों ने पांच-छह कारों और एक ट्रक को क्षति पहुंचायी तथा चण्डीगढ़ परिवहन उपक्रम की बस को आग लगा दी थी। अन्त्येष्टि-क्रिया 6 बजे सम्पन्न हो गयी तथा बिना किसी अशोभनीय घटना के लोग शांतिपूर्वक तितर-बितर हो गए। स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

श्रीमन्, जैसा कि माननीय सदस्यों ने बताया, पंजाब की समस्या कोई अकेली समस्या नहीं है। यह एक राष्ट्रीय समस्या है और किसी दल अथवा मात्र पंजाब राज्य की अकेली समस्या नहीं है। और इसीलिए, मैं अपने मित्र श्री बी० आर० भगत से सहमत हूं कि एक राष्ट्रीय समस्या है और हमें इस अवसर पर एक हो जाना चाहिए तथा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ही इस समस्या को राष्ट्रीय ढंग से सुलझाना चाहिए।

उग्रवादी गुटों और संगठनों द्वारा हिंसा और आतंकवाद लगातार फैलाया जा रहा है। उनका प्रयास है कि लोगों को धर्म के नाम पर गुमराह किया जाए, उकसाया जाए और अपने संकीर्ण स्वार्थों के लिए उनका प्रयोग किया जाए।

जैसाकि कहीं भी आतंकवादियों के मामले में होता है, ऐसी हिंसा का विरोध करने के लिए प्रबल जन समर्थन की आवश्यकता होती है। हिंसा का विरोध करने के लिए मैं राजनीतिक दलों को धन्यवाद देता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इसे राजनीतिक मामला न बनाएं तथा आतंकवाद के उन्मूलन के लिए जन समर्थन तैयार करने का कार्य करें।

ऐसी स्थिति में, अकाली दल के नेताओं को यह सोचना चाहिए कि आंदोलन जारी रखना क्या बुद्धिमत्तापूर्ण है? स्वर्ण मन्दिर में और उसके आस-पास हुई हाल की घटनाओं से वर्तमान स्थिति के संभावित खतरे पता चल गए हैं। किसी भी असाधारण समस्या का हल चर्चा और वार्ताओं के माध्यम से खोजने का हमारा सम्बन्ध है हम बातचीत के लिए तैयार हैं।

हत्याओं और पूजा स्थलों को अपवित्र करने के बहुत से मामलों की पुलिस द्वारा जांच की गयी जिससे यह पुष्टि हो गयी कि इन कामों को करने वाले लोगों का स्रोत, प्रेरणा और निर्देशन तथा हथियारों के प्रयोग का प्रशिक्षण उग्रवादियों—जिन्हें स्वर्ण मन्दिर परिसर में शरण प्राप्त है—द्वारा दिया गया था।

मैं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति से पूछता हूं कि वे कब तक इस प्रकार से पूजास्थलों को अपवित्र करते रहेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी उनसे अपील की थी मैं फिर उनसे अपील करता हूं कि सभी उग्रवादियों और अपराधियों को कानून के हवाले कर दें।

विदेशी गुप्तचर एजेंसियों के समर्थन और शामिल होने के बारे में भी मुद्दा उठाया गया। मामला बहुत नाजुक है किन्तु सरकार को रिपोर्ट मिली है कि उग्रवादियों का काफी समय से पाकिस्तान से सम्पर्क है। पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी के प्रमाण मिले हैं। जो उग्रवादियों के हाथों में पहुंच जाते हैं।

श्री सूरज भान ने प्रश्न उठाया कि क्या कुछ तस्करों को पकड़ा गया है और उन्होंने सारी पुलिस की इसके लिए निंदा की है। सारे पुलिस बल का मनोबल तोड़ने का कोई लाभ नहीं है। मैं स्वीकार करता हूं कि गद्दार सब जगह हैं। और वे पंजाब पुलिस तथा अन्य पुलिस में भी हैं। किन्तु जहां तक तस्करों का सम्बन्ध है, बहुत से तस्कर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सरकार द्वारा समय-समय पर किए गए विभिन्न कानूनी, प्रशासनिक और पुलिस उपायों के बारे में मैं पहले ही माननीय सदस्यों को सूचित करता रहा हूं। रेलवे स्टेशनों को आग लगाए जाने जैसी हाल की घटनाओं के बाद पंजाब में और अधिक अर्द्ध-सैनिक बलों को तैनात कर दिया गया है। स्थानीय पुलिस के संचार और गतिविधियों में निरन्तर सुधार हो रहा है। जबकि जिला मुख्यालयों और पुलिस स्टेशनों में पहले से ही बेतार संकेत प्रणाली मौजूद थी, अब इस प्रणाली को गश्ती दलों को भी उपलब्ध करा दिया गया है और पंजाब में काफी संख्या में बेतार यन्त्र भेज दिए गए हैं। आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए अब प्रत्येक जिले में अर्द्ध-सैनिक बलों को विशेष कार्य बल के रूप में तैनात किया जा रहा है। यह कार्य करने के लिए उन्हें जो विशेष शक्तियां दी गई हैं, वे उनका प्रयोग करेंगे जबकि उस क्षेत्र में उनकी गतिविधियों में जिला अधिकारियों द्वारा तालमेल बिठाया जाएगा। उन्हें दिए गए क्षेत्रों में वे निगरानी करेंगे और आगे ग्रामीण प्रतिरक्षा योजना भी शुरू करेंगे। बुरी तरह से प्रभावित जिलों में कारगर कार्यवाही की जाएगी।

पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद अवैध हथियारों का पता लगाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं और 14 अप्रैल तक काबाईन और राइफल सहित 1085 आग्नेयास्त्र बरामद किए गए थे। हथियारों से सम्बद्ध मामलों के अलावा इस अवधि के दौरान दर्ज हिंसा के 467 मामलों में 228 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। गत दो महीनों के दौरान बहुत से महत्वपूर्ण मामलों को हल किया जा चुका है।

जैसा कि कल मैंने अपने वक्तव्य में कहा, ऐसा विश्वास किया जाता है कि रेलवे स्टेशन को आग लगाने का काम अखिल भारतीय सिख छात्र संघ और उसके हमदर्दों का है। इन घटनाओं के संबंध में 144 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले अखिल भारतीय सिख छात्र संघ के 130 कार्यकर्त्ताओं को अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था या हिरासत में रखा गया था। बैंकों और रेल पटरियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन द्वारा अनेक उपाय किए जा चुके हैं और मैं प्रसन्नतापूर्वक यह बात कहता हूं कि गत कुछ सप्ताहों में रेल पटरियों को तोड़ने-फोड़ने के कुछ प्रयासों को रोका गया अथवा समय रहते ही पता लगा लिया गया और होने वाली दुर्घटना को रोक लिया गया। भू-गुप्तचर

सेवा को सुधारने के लिए भी पग उठाए जा रहे हैं। जहां तक बैंक-डकैतियों का सम्बन्ध है, गत कुछ दिनों से ऐसी कोई घटना सुनने में नहीं आई है।

अंत में, मैं सम्मानीय सभा को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आतंकवादियों से निपटने के लिए सरकार कृत संकल्प है और आतंकवादियों को रोकने और उनका उन्मूलन करने के लिए सरकार कोई कसर बाकी नहीं रखेगी।

हम बातचीत करने के लिए तैयार है और हम शांतिमय तरीकों से ही इस मामले का समाधान करना चाहते हैं। किन्तु मैं सम्मानित सभा को और इसके माध्यम से सारे देश को विश्वास दिलाता हूं कि हम किसी भी मूल्य पर खालिस्तान को सहन नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब कल म० पू० 11 बजे पर समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

7.42 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 19 अप्रैल, 1984/30 चैत्र, 1906 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

प्रबन्धक, मित्तल प्रिण्टर्स, के-13, नवीन शाहदरा, दिल्ली-32 द्वारा मुद्रित